vol 6

3971

सुनन नसाई

हदीस नं. 4873

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

6

हदीस नम्बर 3971 से 4873

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خُدّامُ القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहक़ीक़ व तख़रीज :-
हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द 6

हदीस नम्बर 3971 से 4873

-: हिन्दी तर्जुमा :-
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी **सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**

مرکزی انجمن خدّام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन नसाई (जिल्द - 6)**
तालीफ़	**इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**हाफिज मुहम्मद अमीन**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूल-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत** **जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़ व तस्हीह	**हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.)**
नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फी** (63758-92334)
लेज़र टाइपसेटिंग	**अब्दुल वाजिद,** (99506-96917)
मेनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	**अली हम्जा,** (82338-55857) **अहमद अब्बास** (97397-31956)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट,** स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	672	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	मई-2021	कीमत (मुकम्मल 7 जिल्द)	4500/-

प्रकाशक	**मर्कजी अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर**
ज़ेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

सल्फ़ी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख़ ज़ुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुज़ैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves, Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI
GALI No.1 NEAR RAILWAY STATION, TELI ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मजामीन

काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान	17
बाब : (1) नाहक़ ख़ून बहाना हराम है	17
बाब : (2) मोमिन का ख़ून इन्तेहाई क़ाबिले ताज़ीम है	31
बाब : (3) कबीरा गुनाहों का ज़िक्र	44
बाब : (4) सबसे बड़े गुनाह का ज़िक्र और वासिल अन अबी वाइल अन अब्दुल्लाह की हदीस में यहया और अब्दुर्रहमान के सुफ़ियान पर इख़्तिलाफ़ का बयान	47
बाब : (5) किन जराइम की वजह से मुसलमान का ख़ून बहाना जायज़ है?	49
बाब : (6) जो आदमी (मुसलमानों की) जमाअत से अलग हो जाये उसे क़त्ल करना, और अर्फ़जा की हदीस में, ज़ियाद बिन इलाक़ा पर (रावियों के) इख़्तिलाफ़ का बयान	52
बाब : (7) अल्लाह तआला के फ़रमान : (इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन .... मिनल् अर्ज़) की तफ़्सीर, यानी 'जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि वह बुरी तरह क़त्ल कर दिये जायें या उन्हें बुरी तरह सूली पर लटका दिया जाये या उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ सिम्तों से बुरी तरह काट दिये जायें या उन्हें जलावतन कर दिया जाये।' और (इसका बयान कि) ये आयत किन लोगों के बारे में नाज़िल हुई, और हज़रत अनस (ﷺ) की इस हदीस के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र	56
बाब : (8) हुमैद की, हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी हदीस में नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	61
बाब : (9) इस हदीस में यहया बिन सईद पर तल्हा बिन मुसर्रिफ़ और मुआविया बिन सालेह के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	67
बाब:(10) मुस्ला करने की मुमानिअत का बयान	75
बाब : (11) सूली पर लटकाने का बयान	76
बाब : (12) (मुसलमानों का) गुलाम मुश्रिकों के इलाक़े से भाग जाये तो? और शअबी से मरवी, जरीर की हदीस में नाक़िलीने हदीस के अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	77
बाब : (13) अबू इस्हाक़ (की रिवायत) पर (रावियों के) इख़्तिलाफ़ का बयान	79
बाब : (14) मुर्तद का हुक्म	80
बाब:(15) मुर्तद की तौबा (क़बूल हो सकती है)	88
बाब : (16) जो शख़्स नबी-ए-अकरम (ﷺ) को गाली दे, उसके लिये क्या हुक्म है?	92
बाब : (17) इस हदीस में आमश पर (उसके शागिर्दों के) इख़्तिलाफ़ का बयान	95
बाब : (18) जादू का बयान	100
बाब : (19) जादूगरों के बारे में क्या हुक्म है?	105
बाब: (20) अहले किताब के जादूगरों का बयान	106
बाब : (21) जिस शख़्स का माल छीनने की कोशिश की जाये, वह क्या करे?	108
बाब : (22) जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये	111

बाब : (23) जो शख़्स अपने घर वालों के दिफ़ा में मारा जाये?	115
बाब : (24) जो शख़्स अपने दीन को बचाने के लिये लड़ाई करे?	115
बाब : (25) जो आदमी अपने हक़ की ख़ातिर लड़ाई करे?	116
बाब : (26) जो शख़्स तलवार नंगी करके लोगों पर चलाये?	117
बाब : (27) मुसलमान से (मुसल्लह) लड़ाई लड़ना (कुफ़्र की बात है)	125
बाब : (28) जो शख़्स किसी मुब्हम झण्डे के नीचे लड़े, उसकी बाबत शदीद वईद	130
बाब : (29) मुसलमान का क़त्ल हराम है	133
माले ग़नीमत और माले फ़ै की तक़्सीम के मसाइल	141
बैअत का मफ़हूम व मआनी	162
बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	164
बाब : (1) समअ व ताअत की बैअत	164
बाब : (2) ये बैअत कि हम हाकिम से हुकूमत नहीं छीनेंगे	165
बाब : (3) हक़ बात कहने की बैअत	166
बाब : (4) अदल व इन्साफ़ की बात कहने पर बैअत करना	167
बाब : (5) इताअत की बैअत करना अगरचे दूसरों को तर्जीह दी जाये	167
बाब : (6) हर मुसलमान के लिये ख़ुलूस व ख़ैरख़्वाही की बैअत	169
बाब : (7) मैदाने जंग से न भागने की बैअत	170
बाब : (8) मौत पर बैअत (भी दुरुस्त है)	170
बाब : (9) जिहाद की बैअत	171
बाब : (10) हिजरत पर बैअत	174
बाब : (11) हिजरत का मामला	175
बाब : (12) देहाती व बदवी की हिजरत	176
बाब : (13) हिजरत की एक तशरीह	177
बाब : (14) हिजरत की तर्ग़ीब	178
बाब : (15) इन्किताए हिजरत की बाबत इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	178
बाब : (16) हर पसन्द व नापसन्द हुक्म की इताअत की बैअत	182
बाब : (17) मुश्रिकीन से अलैहदगी की बैअत	183
बाब : (18) औरतों से बैअत लेना	184
बाब : (19) आफ़तज़दा शख़्स की बैअत	187
बाब : (20) बच्चे की बैअत	188
बाब : (21) गुलाम की बैअत	189
बाब : (22) बैअत की वापसी का मुतालबा करना	190
बाब : (23) जो शख़्स हिजरत करने के बाद दोबारा आराबी बन जाये	191
बाब : (24) बैअत उन उमूर में है जो इन्सान की इस्तेताअत में हों	192
बाब : (25) जो शख़्स इमाम की बैअत करे, उसके हाथ में हाथ दे और उसे ख़ुलूस का यक़ीन दिलाये तो (उस पर क्या ज़िम्मेदारी आइद होती है) ?	194
बाब : (26) इमाम (अमीर) की इताअत का शौक़ दिलाना और उस पर उभारना	196
बाब : (27) इताअते इमाम की तर्ग़ीब देना	197

बाब : (28) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान (व उलिल अम्रि मिन्कुम) की वज़ाहत	198
बाब : (29) इमाम (शरई हुक्मरान) की नाफ़रमानी पर सख़्त वईद	199
बाब: (30) इमाम के हुक़ूक़ व फ़राइज़ किया है?	200
बाब : (31) इमाम के साथ ख़ुलूस का बर्ताव किया जाये	201
बाब : (32) इमाम के मुशीर और राज़दान (अच्छे होने चाहिए)	204
बाब : (33) इमाम का वज़ीर (भी नेक और मुख़्लिस़ होना चाहिए)	206
बाब : (34) अगर किसी को गुनाह का हुक्म दिया जाये और वह इताअ़त करे तो ......?	207
बाब : (35) ज़ुल्म पर अमीर की मदद करने वाले शख़्स़ के लिये वईद	209
बाब : (36) जो शख़्स़ ज़ुल्म के मामले में अमीर का साथ न दे?	210
बाब:(37) जो शख़्स़ ज़ालिम अमीर (हुक्मरान) के सामने कलिम-ए-हक़ कहे, उसकी फ़ज़ीलत	211
बाब : (38) जो शख़्स़ अपनी बैअत का वफ़ादार रहे उसका स़वाब	211
बाब : (39) इमारत (और ओ़हदे) की हिर्स़ व ख़्वाहिश नापसन्दीदा है	212
अ़क़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	214
बाब : (1) लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ (ज़बह करने का बयान)	214
बाब : (2) लड़के का अ़क़ीक़ा	216
बाब : (3) लड़की का अ़क़ीक़ा	217
बाब : (4) लड़की की तरफ़ से कितने जानवर ज़बह किये जायें?	217
बाब : (5) अ़क़ीक़ा कब किया जाये?	219
फ़रअ़ और अ़तीरा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	221
बाब : (1) (इसका बयान कि) फ़रअ़ और अ़तीरा दुरूस्त नहीं	221
बाब : (2) अ़तीरा की तफ़्सीर	225
बाब : (3) फ़रअ़ की तफ़्सीर	228
बाब : (4) मुर्दार का चमड़ा	229
बाब : (5) मुर्दार के चमड़े को किस चीज़ से दबाग़त दी जाये?	234
बाब : (6) जब मुर्दार जानवर के चमड़े को रंग दिया जाये तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है	236
बाब : (7) दरिन्दों के चमड़े से फ़ायदा उठाने की मुमानिअ़त	237
बाब : (8) मुर्दार की चर्बी से फ़ायदा उठाने की मुमानिअ़त	238
बाब : (9) अल्लाह तआ़ला की हराम कर्दा चीज़ से (किसी भी तरह) फ़ायदा उठाने की मुमानिअ़त	239
बाब : (10) चूहा घी में गिर जाये तो ......?	240
बाब : (11) मक्खी बर्तन में गिर जाये (तो क्या किया जाये?)	242
शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	244
बाब : (1) शिकार करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म	244

बाब : (2) वह जानवर खाना हराम है जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो	246
बाब : (3) सधाये हुये कुत्ते का शिकार	247
बाब : (4) उस कुत्ते का शिकार जिसे सधाया न गया हो	248
बाब:(5) अगर कुत्ता शिकार को क़त्ल कर दे तो	248
बाब : (6) अगर अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाये जिसको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई तो?	249
बाब : (7) जब कोई शख़्स अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाये तो?	250
बाब : (8) कुत्ता शिकार से खाना शुरू कर दे तो?	252
बाब : (9) कुत्ते क़त्ल करने का हुक्म	253
बाब : (10) किस क़िस्म के कुत्ते मारने का हुक्म दिया गया था?	255
बाब : (11) फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिस में (नाजायज़) कुत्ता हो	257
बाब : (12) जानवरों (की हिफ़ाज़त) के लिये कुत्ता रखने की रुख़्सत	259
बाब : (13) शिकार के लिये कुत्ता रखने की रुख़्सत	260
बाब : (14) खेती की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता रखने की रुख़्सत	261
बाब : (15) कुत्ते की क़ीमत (लेने देने) की मुमानिअत	263
बाब : (16) शिकारी कुत्ते की क़ीमत (लेने देने) की रुख़्सत	264
बाब : (17) घरेलू जानवर वहशी बन जाये (जंगली जानवर की तरह भाग जाये) तो?	266
बाब : (18) कोई शख़्स शिकार पर तीर चलाये और वह पानी में गिर जाये तो?	268
बाब : (19) जो शख़्स जानवर को तीर मारे, फिर वह उससे ग़ाइब हो जाये तो?	270
बाब : (20) शिकार बदबूदार हो जाये तो?	271
बाब : (21) मिअ़राज़ तीर का शिकार	272
बाब : (22) जिस जानवर को मिअ़राज़ तीर अ़र्ज़ के बल लगे?	273
बाब : (23) जिस जानवर को मिअ़राज़ की नोक लगे?	273
बाब : (24) शिकार के पीछे चलते जाना	274
बाब : (25) ख़रगोश (की हिल्लत) का बयान	275
बाब : (26) साण्डे का बयान	278
बाब : (27) लकड़ बगड़ का बयान	284
बाब : (28) दरिन्दों को खाना हराम है	286
बाब : (29) घोड़े का गोश्त खाना हलाल है	287
बाब : (30) घोड़े का गोश्त खाना हराम है?	289
बाब : (31) घरेलू गधों का गोश्त खाना हराम है	290
बाब : (32) जंगली गधों का गोश्त खाना जायज़ है	295
बाब : (33) मुर्ग़ का गोश्त खाना भी जायज़ है	297
बाब : (34) चिड़िया का गोश्त खाना भी हलाल है	299
बाब : (35) समन्दरी मुर्दा जानवरों का हुक्म	300
बाब : (36) मेण्डक का हुक्म	306
बाब : (37) टिड्डी का बयान	307
बाब : (38) चीटीं को क़त्ल करने का बयान	308

कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	317
बाब : (1) जो शख़्स कुर्बानी करना चाहता हो, वह अपने बाल न काटे	317
बाब : (2) जो शख़्स कुर्बानी की ताक़त न रखता हो	319
बाब : (3) इमाम अपनी कुर्बानी ईदगाह में ज़बह करे	320
बाब : (4) दूसरे लोग भी कुर्बानी ईदगाह में ज़बह कर सकते हैं	321
बाब : (5) जिन जानवरों की कुर्बानी मना है, उनका बयान: काने जानवर की (कुर्बानी मना है)	322
बाब : (6) लंगड़े जानवर का बयान	323
बाब : (7) इन्तेहाई कमज़ोर जानवर की कुर्बानी (भी दुरुस्त नहीं)	324
बाब : (8) जिस जानवर के कान का अगला किनारा कटा हो (उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं)	325
बाब : (9) जिस जानवर के कान का पिछला किनारा कटा हो	326
बाब : (10) जिस जानवर के कान में सूराख़ हो	326
बाब : (11) जिस जानवर का कान चिरा हुआ हो	327
बाब : (12) टूटे हुये सींग वाले जानवर (की कुर्बानी) का बयान	328
बाब : (13) मुसन्ना और ज़ज़आ जानवर (की कुर्बानी) का बयान	328
बाब : (14) मैण्ढे की कुर्बानी का बयान	332
बाब : (15) कुर्बानी में ऊँट कितने अफ़राद की तरफ़ से किफ़ायत कर सकता है?	334
बाब : (16) कुर्बानी में गाय कितने अफ़राद की तरफ़ से किफ़ायत कर सकती है?	336
बाब : (17) इमाम से पहले कुर्बानी ज़बह करना	336
बाब : (18) तेज़ धार पत्थर के साथ ज़बह करना भी जायज़ है	341
बाब : (19) (तेज़ धार) लकड़ी से भी ज़बह किया जा सकता है	342
बाब : (20) नाख़ुन के साथ ज़बह करने की मुमानिअत का बयान	343
बाब : (21) दाँत के साथ ज़बह करना (मना है)	344
बाब : (22) (ज़बह के लिये) छुरी तेज़ करने का हुक्म	345
बाब : (23) ज़बह वाले जानवर को नहर और नहर वाले को ज़बह करने की रुख़सत का बयान	346
बाब : (24) जिस जानवर में दरिन्दे ने दाँत गाड़ दिये हों, उसे ज़बह करना	347
बाब : (25) जानवर कुएँ में गिर जाये और उसके हलक़ तक न पहुँचा जाये तो कैसे ज़बह किया जाये?	348
बाब : (26) कोई जानवर छूट जाये और क़ाबू में न आ सके तो?	348
बाब : (27) ज़बह अच्छी तरह करना चाहिए	350
बाब : (28) कुर्बानी के जानवर के एक पहलू पर पाँव रखना	352
बाब : (29) कुर्बानी ज़बह करते वक़्त अल्लाह तआला का नाम लेना	353
बाब : (30) कुर्बानी ज़बह करते वक़्त तकबीर पढ़ना	353
बाब : (31) कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बह करना	354

बाब : (32) कोई शख़्स किसी दूसरे की क़ुर्बानी भी ज़बह कर सकता है	354
बाब : (33) ज़बह वाला जानवर नहर करना	355
बाब : (34) जो शख़्स ग़ैरुल्लाह की ख़ातिर ज़बह करे?	355
बाब : (35) तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों का गोश्त खाने या रखने की मुमानिअ़त	357
बाब : (36) इसकी इजाज़त का बयान	358
बाब : (37) क़ुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने का बयान	362
बाब : (38) यहूदियों का ज़बह शुदा जानवर	364
बाब : (39) ग़ैर मारूफ़ शख़्स का ज़बह शुदा जानवर?	365
बाब : (40) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान 'जिस ज़बीहे पर अल्लाह तआ़ला का नाम न लिया गया हो, उसे मत खाओ' की तफ़्सीर	366
बाब: (41) मुजस्समा की मुमानिअ़त का बयान	367
बाब : (42) जो शख़्स चिड़िया (या किसी और हलाल जानवर) को नाहक़ मारे	370
बाब : (43) गन्दगी खाने वाले जानवर का गोश्त खाने की मुमानिअ़त का बयान	371
बाब : (44) जल्लाला का दूध पीने की मुमानिअ़त का बयान	372
बैअ़ का लुग़वी और इस्तेलाही मफ़हूम	373
ख़रीद व फ़रोख़्त से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	375
बाब : (1) कमाने (मेहनत करने) की तर्ग़ीब	375
बाब:(2) कमाई के दौरान मुश्तबह चीज़ों से बचना	377
बाब : (3) तिजारत का बयान	380
बाब : (4) ताजिरों को ख़रीद व फ़रोख़्त में किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए?	381
बाब : (5) जो शख़्स अपने सामान को झूठी क़सम खा कर बेचे?	383
बाब:(6) सौदे में धोखा देने के लिये क़सम खाना	385
बाब : (7) उस शख़्स को सदक़ा करने का हुक्म जो ख़रीद व फ़रोख़्त के वक़्त क़सदन क़सम नहीं खाता (इत्तेफ़ाक़न क़सम निकल जाती है)	387
बाब : (8) ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को जुदा होने से पहले बैअ़ की वापसी का इख़्तियार है	387
बाब : (9) नाफ़ेअ़ की हदीस़ के अल्फ़ाज़ में (रावियों के) इख़्तिलाफ़ का बयान	388
बाब : (10) इस हदीस़ के अल्फ़ाज़ में अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार पर (रावियों का) इख़्तिलाफ़	392
बाब : (11) सौदा करने वाले दो अश्ख़ास़ जब तक जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनको वापसी का इख़्तियार बाक़ी रहता है	395
बाब : (12) सौदे में धोखा लगता हो तो?	397
बाब : (13) वह जानवर जिसका दूध दूहना (धोखा देने के लिये) रोक दिया जाये)	398
बाब : (14) तस़रिया मना है, वह ये है कि ऊँटनी या बकरी के थन बाँध दिये जायें और दो तीन दिन दूध दूहना छोड़ दिया जाये ताकि दूध जमा हो जाये और ख़रीदने वाला दूध ज़्यादा समझ कर जानवर की ज़्यादा क़ीमत लगाये	399
बाब : (15) नफ़ा उसको मिलेगा जो चीज़ का ज़ामिन हो	402

बाब : (16) शहरी आदमी का आराबी की चीज़ बेचना	403
बाब : (17) शहरी के लिये देहाती का माल बेचना जायज़ नहीं	404
बाब : (18) तिजारती क़ाफ़िले को मण्डी से बाहर जाकर मिलना	406
बाब : (19) अपने मुसलमान भाई के भाव पर भाव करना	407
बाब : (20) अपने (मुसलमान) भाई के सौदे पर सौदा करना	409
बाब : (21) नजश, यानी भाव बढ़ाने का हीला करना	410
बाब : (22) नीलामी वाली बैअ़	411
बाब : (23) बैअ़े मुलामसा का बयान	412
बाब : (24) इस (मुलामसा) की तफ़्सीर	413
बाब : (25) बैअ़े मुनाबज़ा का बयान	414
बाब : (26) इस (मुनाबज़ा) की तफ़्सीर	415
बाब : (27) कंकरियों वाली बैअ़ का बयान	417
बाब : (28) फल पकने से पहले उसकी बैअ़ का बयान	419
बाब : (29) सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले इस शर्त पर फल ख़रीदना कि ख़रीदार उन्हें (दरख़्तों से) काट और तोड़ लेगा, पकने तक (दरख़्तों पर) बाक़ी नहीं रख छोड़ेगा	422
बाब : (30) नागहानी आफ़ात से पहुँचने वाले नुक़सान की तलाफ़ी	423
बाब : (31) कई साल के लिये फल बेचना	426
बाब : (32) खजूर के (दरख़्त पर लगे हुये) ताज़ा फल का ख़ुश्क खजूरों से सौदा करना	427
बाब : (33) ताज़ा अंगूर मुनक़्क़ा के बदले बेचना	428
बाब : (34) अराया (अतिया के दरख़्तों) का फल अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बेचना	430
बाब : (35) अतिया के दरख़्तों का फल ताज़ा खजूरों के ऐवज़ भी फ़रोख़्त करना	431
बाब : (36) ख़ुश्क खजूरों को ताज़ा खजूरों के ऐवज़ ख़रीदना	433
बाब : (37) खजूरों के एक ढेर का सौदा, जिसका माप मालूम नहीं, मुक़र्रर माप की खजूरों के साथ करना	434
बाब : (38) ग़ल्ले के ढेर का सौदा ग़ल्ले के ढेर से करना	435
बाब : (39) खेती की ख़ुश्क ग़ल्ले (अनाज) के ऐवज़ बैअ़	435
बाब : (40) सफ़ेद होने से पहले सट्टे और बाली की बैअ़ (की मुमानिअ़त का बयान)	436
बाब : (41) खजूर की बैअ़ खजूर के बदले में कमी बेशी के साथ (जायज़ नहीं)	438
बाब : (42) खजूरों की खजूरों के साथ बैअ़ (कैसे होनी चाहिए?)	442
बाब : (43) गन्दुम की गन्दुम के साथ बैअ़ (कैसे होनी चाहिए?)	443
बाब : (44) जौ की जौ से बैअ़ (कम व बेश नहीं होनी चाहिए)	447
बाब : (45) दीनार को दीनार के बदले फ़रोख़्त करना	452
बाब : (46) दिरहम का सौदा दिरहम से करना	452
बाब : (47) सोने की बैअ़ सोने के साथ करना	453

बाब : (48) ऐसे हार को सोने के ऐवज़ ख़रीदना जिसमें सोने के अलावा मोती और मुंगे भी हों	455
बाब : (49) चाँदी को सोने के ऐवज़ उधार फ़रोख़्त करना	456
बाब : (50) चाँदी की सोने के ऐवज़ और सोने की चाँदी के साथ बैअ (सौदा) करना	458
बाब : (51) सोने की जगह चाँदी लेना और चाँदी की जगह सोना लेना और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायत के नाक़िलीन के अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	462
बाब : (52) सोने की जगह चाँदी लेना	464
बाब : (53) तोलते वक़्त ज़्यादा देना (चाहिए)	465
बाब : (54) तोलते वक़्त झुका कर देना	465
बाब : (55) ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचना (मना है)	468
बाब : (56) माप कर ख़रीदा हुआ ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचने की मुमानिअत का बयान	472
बाब : (57) अन्दाज़न ख़रीदा हुआ ग़ल्ला (पहली जगह से) मुन्तक़िल किये बग़ैर बेचने की मुमानिअत का बयान	472
बाब : (58) कोई शख़्स एक मुद्दत तक ग़ल्ला उधार ख़रीदे और बेचने वाला उसकी क़ीमत की जगह कोई और चीज़ गिरवी रख ले (तो जायज़ है)	474
बाब : (59) घर (हालते इक़ामत) में होते हुये (कोई चीज़) गिरवी रखना	475
बाब : (60) जो चीज़ बेचने वाले के पास न हो, उसकी बैअ	476
बाब : (61) ग़ल्ले में बैअे सलम करना	479
बाब : (62) मुनक़्क़ा में बैअे सलम करना	480
बाब : (63) फलों में बैअे सलम करना	480
बाब : (64) किसी से हैवान क़र्ज़ लेना	481
बाब : (65) हैवान की हैवान के बदले उधार बैअ (नाजायज़ है)	484
बाब : (66) हैवान के बदले हैवान की नक़द, कम व बेश बैअ करना	485
बाब:(67) हमल के हमल की बैअ (नाजायज़ है)	486
बाब : (68) इस बैअ की तफ़्सीर	488
बाब : (69) (फल वग़ैरह की) कई साल के लिये बैअ करना	488
बाब : (70) मुअय्यन मुद्दत तक उधार सौदा (जायज़ है)	489
बाब : (71) क़र्ज़ और बैअ, इससे मुराद ये है कि क़र्ज़ की शर्त पर सामान बेचे	490
बाब : (72) एक बैअ में दो शर्तें लगाना और उससे मुराद ये है कि बेचने वाला कहे कि एक माह के उधार पर ये भाव होगा और दो माह के उधार पर भाव दूसरा होगा	491
बाब : (73) एक सौदे में दो सौदे करना और उससे मुराद ये है कि बेचने वाला कहे कि मैं तुझे ये सामान नक़द सौ दिरहम में और उधार दो सौ दिरहम में बेचता हूँ	492
बाब : (74) बैअ में इस्तेसना करना मना है मगर ये कि वह मालूम हो	493
बाब : (75) खजूर के दरख़्त बेचे जायें और ख़रीदने वाला उनका फल मुस्तस्ना करे तो?	494
बाब:(76) गुलाम बेचा जाये और ख़रीदार उसके माल की शर्त लगा ले (तो माल ख़रीदार का होगा)	494
बाब : (77) बैअ में कोई शर्त लगा ली जाये तो बैअ और शर्त दोनों दुरुस्त होंगे	495

बाब : (78) अगर बैअ में कोई फ़ासिद शर्त लगा ली जाये तो बैअ सही होगी, अलबत्ता वह शर्त ग़ैर मोतबर होगी	502
बाब : (79) माले ग़नीमत की तक़्सीम से पहले उसे बेचना	508
बाब : (80) मुश्तरका चीज़ की बैअ का बयान	509
बाब : (81) बैअ के वक़्त गवाह न बनाये जायें तो उसकी गुंजाइश है	510
बाब : (82) बेचने और ख़रीदने वाले में क़ीमत का इख़्तिलाफ़ हो जाये तो?	512
बाब : (83) अहले किताब से लेन देन और सौदे करना	513
बाब : (84) मुदब्बर गुलाम की बैअ	514
बाब : (85) मुकातिब गुलाम को फ़रोख़्त करना	516
बाब : (86) मुकातिब ने अपनी किताबत से कुछ भी अदा न किया हो तो उसे बेचा जा सकता है	517
बाब : (87) वला की बैअ (मना है)	519
बाब : (88) पानी की बैअ	520
बाब : (89) ज़्यादा और फ़ालतू पानी बेचना	521
बाब : (90) शराब बेचना	522
बाब : (91) कुत्ते की बैअ	524
बाब : (92) क्या कोई कुत्ता मुस्तस्ना है?	524
बाब : (93) ख़िंज़ीर की बैअ	525
बाब : (94) ऊँट की जुफ़्ती की बैअ	526
बाब : (95) एक आदमी कोई चीज़ ख़रीदता है, फिर मुफ़्लिस हो जाता है और वह चीज़ बिऐनिही (हुबहू) उसके पास पाई जाती है तो?	528
बाब : (96) एक शख़्स कोई सामान बेचता है, बाद में उस सामान का मालिक कोई और निकल आता है तो?	530
बाब : (97) क़र्ज़ लेने का बयान	534
बाब : (98) क़र्ज़ की बाबत शदीद वईद	535
बाब : (99) क़र्ज़ लेने की गुंजाइश भी है	536
बाब : (100) मालदार शख़्स का अदायगी में टाल मटोल करना	537
बाब : (101) हवाला (मक़रूज़ का क़र्ज़ ख़्वाह को किसी मालदार शख़्स के हवाले करना जायज़ है)	539
बाब : (102) क़र्ज़ की किफ़ालत (कोई शख़्स मक़रूज़ की तरफ़ से अदायगी का ज़िम्मेदार बन सकता है)	540
बाब : (103) अदायगी अच्छे तरीक़े से करनी चाहिए	541
बाब : (104) लेन देन और क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा अच्छे तरीक़े और नर्मी से करना चाहिए	541
बाब : (105) माल के बग़ैर शराकत का बयान	543
बाब : (106) गुलाम में शिर्कत	544
बाब : (107) खजूर के दरख़्तों में शिर्कत का बयान	544
बाब : (108) अहाते में शिर्कत का बयान	545
बाब : (109) शुफ़आ और उसके अहकाम	545
क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार	548
क़सामत, क़िसास और दियत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	550

बाब : (1) ज़मान-ए-जाहिलियत, यानी इस्लाम से पहले की क़सामत का बयान	550
बाब : (2) क़सामत का बयान	554
बाब : (3) क़सामत में पहले मक़्तूल के वारिसीन से क़समें लेने का बयान	556
बाब : (4) सहल की इस हदीस़ की रिवायत में रावियों के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र	559
बाब : (5, 6) क़िसास़ का बयान	569
बाब : (6, 7) अल्क़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों के इख़्तिलाफ़ का बयान	572
बाब : (7, 8) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान (व इन हकम्त फ़ह्कुम बैनहुम बिल्क़िस्त) की तफ़्सीर	580
बाब : (8, 9) इस रिवायत में इक्रिमा पर इख़्तिलाफ़ का बयान	580
बाब : (9, 10) आज़ाद और ग़ुलाम के दरम्यान क़िसास़ का बयान?	583
बाब : (10, 11) मालिक से ग़ुलाम को क़िसास़ लेने का बयान	585
बाब : (11, 12) औरत को औरत के बदले क़त्ल किया जायेगा	587
बाब : (12, 13) औरत के बदले मर्द को क़िसास़न क़त्ल करने का बयान	588
बाब : (13, 14) मुसलमान से काफ़िर का क़िसास़ न लेने का बयान	589
बाब : (14, 15) ज़िम्मी को क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है	592
बाब : (15, 16) ग़ुलामों में जान से कम में क़िसास़ न होने का बयान	595
बाब : (16, 17) दाँत टूट जाने की सूरत में क़िसास़	595
बाब : (17, 18) सनिय्या (दाँत) में क़िसास़	598
बाब : (18, 19) दाँत काटने के क़िसास़ और इमरान बिन हुसैन की रिवायत में नाक़िलीने हदीस़ के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का बयान	600
बाब : (19, 20) आदमी अपना दिफ़ा करे (और उससे फ़रीक़े स़ानी का नुक़सान हो जाये तो कोई क़िसास़ और तावान नहीं)	602
बाब : (20, 21) इस रिवायत में (रावियों का) अ़ता पर इख़्तिलाफ़	604
बाब : (21, 22) छड़ी चुभोने में क़िसास़	608
बाब : (22, 23) थप्पड़ में क़िसास़	609
बाब : (23, 24) खींचने (और घसीटने) में क़िसास़	610
बाब : (24, 25) बादशाहों से क़िसास़ लेने का बयान	611
बाब : (25, 26) हाकिमे वक़्त के हाथों किसी पर ज़्यादती हो जाये तो?	612
बाब : (26, 27) तेज़ धार आले की बजाये किसी और चीज़ से क़िसास़ लेना	613
बाब : (27, 28) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान (फ़मन उफ़िया लहू अख़ीहि शैउन फत्तिबाउम बिल मारूफि व अदाउन इलैहि बिइह्सानिन) की तफ़्सीर	615
बाब : (28, 29) क़िसास़ माफ़ करने का मश्वरा देने का बयान	617

बाब : (29, 30) जब मक़्तूल का वारिस़ क़िसास़ माफ़ कर दे तो क्या क़ातिले अम्द से दियत ली जायेगी?	618
बाब : (30, 31) क्या औरत क़िसास़ माफ़ कर सकती है?	619
बाब : (31, 32) जो शख़्स़ पत्थर या कोड़े से क़त्ल कर दिया जाये तो?	620
बाब : (32, 33) क़त्ले शिब्हे अम्द की दियत का बयान और क़ासिम बिन रुबैआ की हदीस़ में अय्यूब पर रावियों का इख़्तिलाफ़	621
बाब : (33, 34) ख़ालिद अल्हज़्ज़ा पर राावियों का इख़्तिलाफ़	623
बाब : (34, 35) क़त्ले ख़ता की दियत के ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील	629
बाब : (35, 36) चाँदी से दियत का बयान	629
बाब : (36, 37) औरत की दियत	631
बाब : (37, 38) काफ़िर की दियत कितनी है?	631
बाब : (38, 39) मुकातब गुलाम की दियत	632
बाब : (39, 40) औरत के पेट के बच्चे की दियत	634
बाब : (40, 41) क़त्ले शिब्हे अम्द का बयान और उसका कि पेट के बच्चे और क़त्ले शिब्हे अम्द की दियत किसके ज़िम्मे होगी? और इब्राहीम अन उबैद बिन नुज़ैला की हज़रत मुग़ीरा से मरवी रिवायत पर रावियों के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र	641
बाब : (41, 42) क्या किसी शख़्स़ को दूसरे के जुर्म में पकड़ा जा सकता है?	647
बाब : (42, 43) अपनी जगह क़ाइम कानी आँख अगर फोड़ दी जाये तो?	651
बाब : (43, 44) दाँतों की दियत	652
बाब : (44, 45) उँगलियों की दियत	653
बाब : (45, 46) हड्डी को नंगा कर देने वाले ज़ख़्मों की दियत	656
बाब : (46, 47) दियत के मसाइल के बारे में हज़रत अम्र बिन हज़्म की हदीस़ और राावियों का इख़्तिलाफ़	657
बाब : (47, 48) जो शख़्स़ हाकिम तक मुक़द्दमा ले जाये बग़ैर ख़ुद ही बदला ले ले या अपना हक़ ले ले	663
बाब : (48, 49) क़िसास़ से मुताल्लिक़ा रिवायात जो सिर्फ़ मुज्तबा नसाई में हैं, सुनन कुब्रा में नहीं, और अल्लाह तआला के फ़रमान: 'जो शख़्स़ किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है। वह उसमें हमेशा रहेगा' का बयान	666

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب المحاربة (تحريم الدم)

काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान

باب(۱): تحريم الدم

बाब : (1) नाहक़ ख़ून बहाना हराम है

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ".

(3971) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुश्रिकीन से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। जब वह गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, और वह हमारी तरह नमाज़ पढ़ें और हमारे क़िब्ले की तरफ़ (दौराने नमाज़ में) मुँह करें और हमारा ज़बह किया हुआ जानवर खायें, तो उसके बाद उनके जान व माल हम पर हराम हो जाते हैं मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो।'

(3971) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3428.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस मफ़हूम की रिवायात किताबुज़्ज़कात और किताबुल जिहाद में गुज़र चुकी हैं और उनकी तफ़्सील भी बयान हो चुकी है। (2) 'मुझे हुक्म दिया गया है' मक़सूद ये है कि काफ़िरों से लड़ाई लड़ने की इजाज़त है लेकिन अगर वह मुसलमान हो जायें तो उनसे लड़ना जायज़ नहीं

बशर्ते कि वह इस्लाम के अहम अहकाम पर भी अ़मल करें और मुसलमानों की तरह रहें। (3) 'इस्लाम का कोई हक़ बनता हो' यानी उन्होंने किसी के जान व माल का नुक़्सान किया हो तो इसमें माख़ूज़ होंगे। (4) लोगों के मामलात ज़ाहिर पर महमूल किये जायेंगे। अगर दीनी आमाल ज़ाहिर करेंगे तो उन पर मुसलमानों के अहकामात जारी किये जायेंगे अगरचे वह बातिन में कोई और अ़क़ाइद रखते हों। ये अहकामात उस वक़्त तक जारी रहेंगे जब तक वह इस्लाम के ख़िलाफ़ अपना कोई अ़मल ज़ाहिर न कर दें। (5) जो इस्लाम में दाख़िल होगा उसके लिये वही हुक़ूक़ हैं जो मुसलमानों के लिये हैं और उस पर वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो दीगर मुसलमानों पर हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ " .

(3972) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के रसूल हैं। जब वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के रसूल हैं और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह करें, हमारा ज़बह शुदा जानवर खायें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ें तो हम पर उनके जान व माल हराम हो जाते हैं, मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। उनको वह हुक़ूक़ हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल होते हैं और उन पर वह फ़राइज़ लागू होंगे जो मुसलमानों पर लागू होते हैं।'

(3972) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 392, मुसनद अहमद, हदीस: 255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3429

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुफ़्फ़ार से लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं बल्कि ये हालात के तक़ाज़े पर मौक़ूफ़ है। अगर कुफ़्फ़ार मुसलमानों के फ़रमांबरदार हो कर रहें और आइदकर्दा टेक्स अदा करें तो उनसे लड़ने की बजाये उन्हें बतौर ज़िम्मी रखा जाये। अगर कोई ग़ैर इस्लामी हुकूमत क़ाइम हो तो उनके साथ बराबरी की बुनियाद पर सुलह के साथ भी रहा जा सकता है। (2) हदीस से क़िब्ले की अहमियत वाज़ेह होती है।

जो शख़्स जानबूझ कर नमाज़ में अपना रुख़ क़िब्ले की जानिब नहीं करेगा उसकी नमाज़ नहीं होगी। (देखिये, हदीस: 3092, इस मसले की पूरी तफ़्सील किताबुल जिहाद में मुलाहिज़ा फ़रमायें।)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

(3973) हज़रत मैमून बिन स्याह ने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा: अबू हम्ज़ा! मुसलमान की जान व माल को कौन सी चीज़ क़ाबिले एहतिराम बनाती है? आपने फ़रमाया: जो शख़्स गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे, हमारी तरह नमाज़ पढ़े और हमारा ज़बह शुदा जानवर खाये, वह मुसलमान है। उसको मुसलमानों वाले तमाम हुक़ूक़ हासिल होंगे और उस पर मुसलमानों वाले तमाम फ़राइज़ लागू होंगे।

(3973) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 393, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3430.

फ़ायदा : किसी शख़्स के मुसलमान होने की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वह मुसलमानों का ज़बीहा खाता हो क्योंकि अहले किताब और दूसरे ग़ैर मुस्लिम मुसलमानों का ज़बीहा खाने को नापसन्द करते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ

(3974) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला को प्यारे हो गये तो बहुत से अरब मुर्तद हो गये। (हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने उनसे लड़ने का अज़्म फ़रमाया तो) हज़रत उमर(ﷺ) कहने लगे: ऐ अबू बक्र! आप उन अरबों से कैसे लड़ेंगे? हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं

أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ " . وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْىَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

अल्लाह तआला का रसूल हूँ, नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात अदा करें।' अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का एक बच्चा न दें जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं इस बिना पर उनसे ज़रूर लड़ूँगा। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: जब मैंने अच्छी तरह ग़ौर किया तो मुझे यक़ीन हो गया कि अबू बक्र (ﷺ) की राय ही वाज़ेह और बरहक़ है।

(3974) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3096, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3431.

फ़ायदा : मानेईने ज़कात से क़िताल करना वाजिब है बशर्ते कि वह अदमे अदायगी पर इस्रार करें और इसकी ख़ातिर क़िताल के लिये तैयार हो जायें। अगर लड़ाई न करें तब भी ज़बरदस्ती उनसे ज़कात वसूल की जायेगी। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2445.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ

(3975) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह को प्यारे हो गये और अबू बक्र (ﷺ) ख़लीफ़ा बनाये गये और कुछ अरब (दोबारा) काफ़िर बन गये (और अबू बक्र (ﷺ) ने उनसे लड़ाई करने का अज़्म फ़रमाया) तो हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से कहा: आप उन लोगों से कैसे लड़ सकते हैं जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह ... अलख़ पढ़ लें। जिस शख़्स ने कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे अपना माल व जान महफ़ूज़ कर लिया मगर ये कि उसके ज़िम्मे (इस्लाम का) कोई हक़ बनता हो और उसका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) फ़रमाने लगे: अल्लाह

وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

की क़सम! मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूँगा जिन्होंने नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ कर दी है क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे एक रस्सी देने से इन्कार करें जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं इस पर भी उनसे ज़रूर लड़ूँगा। हज़रत उमर ने कहा: अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में आ गया कि लड़ाई के लिये हज़रत अबू बक्र (ؓ) का सीना अल्लाह तआला ने खोला है। और मुझे यक़ीन हो गया कि यही बात बरहक़ है।

(3975) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3432.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " . فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَلأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . فَقَاتَلْنَا

(3976) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जब वह ये कलिमा पढ़ लें तो उन्होंने मुझ से अपना जान व माल बचा लिया, मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ हो। और उनका (अन्दुरूनी) हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।' जब फ़ित्न-ए-इर्तिदाद बरपा हुआ तो हज़रत उमर (ؓ) ने हज़रत अबू बक्र (ؓ) से कहा कि आप इनसे लड़ेंगे? जबकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यूँ यूँ फ़रमाते सूना है। हज़रत अबू बक्र (ؓ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ नहीं करने दूँगा, बल्कि जो तफ़रीक़ करेगा, मैं उससे ज़रूर लड़ूँगा। (हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) ने फ़रमाया:) फिर हमने हज़रत अबू बक्र के साथ

مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُفْيَانُ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .

मिल कर (मुन्किरीने ज़कात से) लड़ाई की और इसे दुरुस्त मस्लक पाया।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ज़ोहरी की बाबत सुफ़ियान क़वी नहीं (मतलब ये कि सुफ़ियान ज़ोहरी से जो रिवायत बयान करता है वह ज़ईफ़ होती है।) और ये सुफ़ियान बिन हुसैन है।

(3976) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3433.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ित्न-ए-इर्तिदाद हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त के आग़ाज़ ही में बरपा हुआ जिसे हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने पूरे अज़्म और दानिशमन्दी के साथ फ़रो (ख़ात्मा) फ़रमाया। **(2)** 'तफ़रीक़ करेगा' यानी नमाज़ को तो फ़र्ज़ समझेगा लेकिन ज़कात को फ़र्ज़ न समझेगा। या हुकूमत को ज़कात अदा न करे क्योंकि ये बग़ावत के मुतरादिफ़ है। **(3)** अगर कोई शख़्स कलिम-ए-तौहीद का इक़रार कर ले तो उसकी जान व माल महफ़ूज़ हो जाते हैं अगरचे ये इक़रार क़त्ल के ख़ौफ़ ही से किया हो।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . جَمَعَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا .

(3977) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि ला इलाह इल्लल्लाह .... अलख़ पढ़ लें। जिस शख़्स ने ला इलाल इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे अपनी जान व माल बचा लिये मगर ये कि उस पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। और उसका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।'

शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने (ऊपर दी गई) दोनों ही रिवायतों (3976, 3977) को (दो मुख़्तलिफ़ सनदों से) जमा किया है।

(3977) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3434.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जमा से मुराद दोनों हदीसों ही को रिवायत करना है। ये मक़सद नहीं कि एक ही सनद से दोनों अहादीस को गुड़-मुड़ कर दिया है। **(2)** 'ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया' ये

मुख़्तसर है, वरना सिर्फ़ इतना पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि तौहीद के साथ साथ रिसालत का इक़रार भी ज़रूरी है। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि नमाज़ क़ाइम करें, मुसलमानों का क़िब्ला इख़्तियार करें, उनका ज़बीहा खायें, ज़कात अदा करें और हर उस चीज़ पर ईमान लायें जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ले कर आये हैं जैसा कि दीगर अहादीस़ में स़राहतन ज़िक्र है। ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ना इस्लाम क़बूल करने से किनाया है। (मज़ीद देखिये, हदीस़: 3092)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ فَوَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي

(3978) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हो गये और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) आपके बाद ख़लीफ़ा बने और कुछ अरब काफ़िर बन गये, तो हज़रत उ़मर(ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ अबू बक्र! आप लोगों से कैसे लड़ाई करेंगे जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख़्स़ ने कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझसे अपना माल व जान बचा लिया, मगर ये कि उस पर (इस्लाम का) कोई हक़ बनता हो। और उसका हिसाब अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं हर उस शख़्स़ से ज़रूर लड़ूँगा जो नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ करेगा। ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का एक बच्चा भी देने से इन्कार करें जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं इस वजह से उनसे लड़ाई लड़ूँगा। हज़रत उ़मर(ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मुझे समझ आ गई कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) का सीना लड़ाई के लिये खोल दिया है, और मुझे यक़ीन हो गया कि यही बात बरहक़ है।

بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

(3978) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3435.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बकरी का एक बच्चा' बकरी का बच्चा ज़कात में नहीं लिया जाता। मक़सद तक़लील का इज़्हार है जैसा कि दूसरी रिवायत में इसका इज़्हार रस्सी के ज़िक्र से किया है। **(2)** 'उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।' कि उसने कलिमा सिद्क़ दिल से पढ़ा है या जान बचाने के लिये। **(3)** अगर सिर्फ़ ज़ाहिरी मआनी लिये जायें तो अहले किताब से भी क़िताल जायज़ नहीं क्योंकि वह भी ला इलाह इल्लल्लाह का इक़रार करते हैं, इसलिये तफ़्सील ज़रूरी है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

(3979) सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) से मन्क़ूल है कि उन्हें सय्यदना अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उन लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जो शख़्स ये कलिमा पढ़ ले, उसने मुझसे अपनी जान व माल को महफ़ूज़ कर लिया मगर ये कि उस पर (इस्लाम का) कोई हक़ हो। और उसका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।'

वलीद बिन मुस्लिम ने इस (उस्मान) की मुख़ालिफ़त की है।

(3979) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3097, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3436.

फ़ायदा : वलीद बिन मुस्लिम ने इसे मुसनदे उमर बनाया है। जबकि उस्मान बिन सईद ने जब इसी सनद से बयान किया है तो उन्होंने इसे अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की मुसनद बनाया है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(3980) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने उन (मुन्किरीने ज़कात) से लड़ाई करने का पुख़्ता फ़ैसला कर लिया तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) कहने लगे: ऐ अबू बक्र! आप उन लोगों से कैसे लड़ सकते हैं जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुझे हुक्म दिया

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فَأَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

गया है कि मैं लोगों से लडूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें? जब वह ये कलिमा पढ़ लेंगे तो मुझ से अपने ख़ून व माल बचा लेंगे मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं उस शख़्स से ज़रूर लडूँगा जो नमाज़ और ज़कात में तफ़रीक़ करेगा। अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का एक बच्चा भी नहीं देंगे जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं उस पर उनसे लडूँगा। हज़रत उमर(ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) का सीना लड़ाई के लिये खोल दिया है और मैंने जान लिया कि यही बात बरहक़ है।

(3980) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3437.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सीना खोल दिया है' यानी वह दलाइल की बिना पर इस वाज़ेह नतीजे पर पहुँचे हैं और उन्हें कोई शक व शुब्हा नहीं। **(2)** अगर सिर्फ़ ज़कात अदा न करें तो वह बाग़ियों में शुमार होंगे और उनसे क़िताल वाजिब है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا

(3981) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई लडूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह कह दें। जब वह ये कह देंगे तो मुझसे अपने ख़ून व माल महफ़ूज़ कर लेंगे मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। और उनका हिसाब अल्लाह (ﷻ) के ज़िम्मे है।'

مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(3981) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 21/35, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3438, तिर्मिज़ी, हदीस: 2606.

फ़ायदा : अगर कोई हादसा पेश आ जाये तो अइम्मा और उलमा को इज्तेहाद और उसूले दीन की तरफ़ रुजूअ करना चाहिए, फिर मुनाज़रे और बहस व मुबाहसे के बाद जिसकी बात हक़ हो, उसे बग़ैर किसी बुग़्ज़ व इनाद के तस्लीम कर लेना चाहिए।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .

(3982) हज़रत जाबिर और हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह कह दें। जब वह ये कलिमा पढ़ लेंगे तो मुझसे अपने ख़ून व माल बचा लेंगे मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। और उनका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।'

(3982) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3439.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .

(3983) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम लोगों से लड़ेंगे यहाँ तक कि ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जब वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लेंगे तो हम पर उनके ख़ून और माल हराम हो जायेंगे मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। बाक़ी रहा उनका अंदुरूनी हिसाब तो वह अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।'

(3983) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3440.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . ثُمَّ قَالَ " أَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .

(3984) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मरवी है कि हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास बैठे थे कि एक आदमी आपके पास आया और उसने आपसे ख़ुफ़िया तौर पर बात चीत की। आपने कहा: 'इसे क़त्ल कर दो।' फिर आपने फ़रमाया: 'क्या वह ला इलाह इल्लल्लाह की गवाही देता है?' उस शख़्स ने कहा: जी हाँ, लेकिन वह जान बचाने के लिये कलिमा पढ़ता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर उसे क़त्ल न करो क्योंकि मुझे उस वक़्त तक लोगों से लड़ने की इजाज़त है जब तक वह कलिमा न पढ़ लें। अगर वह ये कलिमा पढ़ लें तो उन्होंने अपने ख़ून व माल मुझसे महफ़ूज़ कर लिये मगर ये कि उन पर इस्लाम का हक़ बनता हो। उनका हिसाब अल्लाह तआला पर है।'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3441.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ख़ुफ़िया बातचीत की' यानी किसी और शख़्स के बारे में कि उसने ये काम किया है या ये काम किया है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'उसे क़त्ल कर दो' इससे मुराद वह शख़्स है जिसकी शिकायत की गई थी, लेकिन फिर पता चला कि उसने कलिमा पढ़ लिया है और मुसलमान हो चुका है तो आपने अपना पहला हुक्म वापस फ़रमा लिया क्योंकि मुसलमान का क़त्ल नाजायज़ है। **(3)** इसमें उन लोगों के लिये तम्बीह है जो मुसलमानों को उनके कुछ तावीली अक़ाइद की वजह से काफ़िर समझते हैं और उनके क़त्ल को जायज़ बल्कि कारे सवाब जानते हैं। याद रहे हुदूदुल्लाह का निफ़ाज़ हुकूमत का काम है अफ़राद का नहीं और इस्लाम में मुक़र्ररा हुदूद के अलावा किसी मुसलमान को किसी अक़ीदे या अमल की वजह से क़त्ल करना अज़ीम गुनाह है। क़ातिल जहन्नमी होगा, ख़्वाह वह कितने ही ख़ूशनुमा नारे की बुनियाद पर क़त्ल करे। **(4)** 'हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है' क्योंकि ये उसका मन्सब है, हमारा मन्सब नहीं। हुदूदे शरईया के अलावा बाक़ी अक़ाइद और गुनाहों की सज़ा अल्लाह तआला के सुपुर्द है। हम इसमें दख़ल नहीं दे सकते। **(5)** अगर कोई मुसलमान शिर्क या कुफ़्र का इर्तिकाब करे तो उसे इस्लाम की दावत देकर उस पर हुज्जत क़ाइम की जायेगी और अगर वह अपने शिर्क व कुफ़्र पर इस्रार करे तो शरई अदालत उसके क़त्ल का हुक्म जारी कर दे।

} أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، } قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ فِيهِ " إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . نَحْوَهُ .

(3985) हज़रत नौमान बिन सालिम एक सहाबी से बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाने लगे, जबकि हम मदीना मुनव्वरा की मस्जिद के कुब्बा में थे: 'मुझे वह्य की गई है कि मैं लोगों से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह कह दें।' बाक़ी रिवायत साबिक़ा रिवायत की तरह है।

(3985) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3929, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3442.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَوْسًا، يَقُولُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(3986) हज़रत नौमान बिन सालिम से रिवायत है कि मैंने हज़रत औस (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये, जबकि हम उस वक़्त मस्जिद के कुब्बा में थे। फिर साबिक़ा हदीस पूरी बयान की।

(3986) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3443.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَوْسًا، يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَكُنْتُ مَعَهُ فِي قُبَّةٍ فَنَامَ مَنْ كَانَ فِي الْقُبَّةِ غَيْرِي وَغَيْرُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ " . فَقَالَ " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ يَشْهَدُ . فَقَالَ رَسُولُ

(3987) हज़रत नौमान बिन सालिम ने कहा: मैंने हज़रत औस (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बनू सक़ीफ़ के वफ़्द में हाज़िर हुआ। मैं आपके साथ कुब्बा में था। मेरे और आपके अलावा कुब्बे में मौजूद सब लोग सो गये, चुनांचे इतने में एक आदमी आया और उसने आपसे कोई ख़ुफ़िया बात की। आपने फ़रमाया: 'जा, उसे क़त्ल कर दे। फिर आपने पूछा: 'कहीं वह ये गवाही तो नहीं देता कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ?' उसने कहा: ये गवाही तो वह देता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَرْهُ " . ثُمَّ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ أَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ أَظُنُّهَا مَعَهَا وَلاَ أَدْرِي .

फ़रमाया: 'फिर रहने दे।' फिर आपने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जब वह ये पढ़ लें तो उनके जान व माल क़ाबिले एहतिराम हो जाते हैं मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो।' मुहम्मद (इब्ने आयुन) ने कहा: मैंने शोबा से पूछा: क्या हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं: (अ लैसा यश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु)? उन्होंने फ़रमाया: मेरा ख़याल है कि (ये अल्फ़ाज़) हैं, जबकि मैं नहीं जानता।

(3987) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3444.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا " .

(3988) हज़रत नौमान बिन सालिम से रिवायत है कि मुझे अम्र बिन औस ने बयान किया कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत औस (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ये गवाही दें कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं .... अलख़ फिर उनके जान व माल क़ाबिले एहतिराम हो जाते हैं मगर ये कि उनके ज़िम्मे इस्लाम का कोई हक़ बनता हो।'

(3988) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3445.

फ़ायदा : 'क़ाबिले एहतिराम हो जाते हैं' न उन्हें क़त्ल किया जा सकता है न ज़ख़्मी, न उनकी बेइज़्ज़ती की जा सकती है और न उनका माल उनकी मर्ज़ी के बग़ैर लिया जा सकता है। अलबत्ता अगर उनके ज़िम्मे किसी का हक़ बनता हो तो वह उन्हें अदा करना होगा, जैसे: उन्होंने किसी को क़त्ल या ज़ख़्मी किया हो तो उन्हें क़िसास़ या दियत देनी पड़ेगी। इसी तरह उनके ज़िम्मे किसी का माली हक़ वाजिबुल अदा है तो वह हुकूमत ज़बरदस्ती भी दिलायेगी।

(3989) हज़रत अबू इदरीस बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मुआविया (ﷻ) को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते सुना, और वह अल्लाह के रसूल (ﷺ) से बहुत कम रिवायात बयान करते थे, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाते सुना: 'उम्मीद है कि अल्लाह तआला हर गुनाह माफ़ फ़रमा दे मगर ये कि कोई शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे या कुफ़्र की हालत में फ़ौत हो जाये।'

(3989) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3446, अबी दाऊद: 4270.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ - وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا أَوِ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا " .

फ़ायदा : मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। क़ुर्आन मजीद में इसकी सज़ा हमेशा के लिये जहन्नम, अल्लाह का ग़ुस्सा, लानत और अज़ाबे अज़ीम बताई गई है। किसी और गुनाह की ये सज़ा नहीं बतलाई गई, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मन्क़ूल है कि ऐसे शख़्स की तौबा भी क़बूल नहीं। उसे ऊपर दी गई सज़ायें भुगतना होंगी। या दुनिया में वह क़िसास दे दे, या क़िसासन मार दिया जाये तो हद्दे गुनाह को मिटा देती है वरना माफ़ न होगा। वैसे भी ये हुक़ूक़ुल इबाद में सबसे अहम हक़ है। और हुक़ूक़ुल इबाद अल्लाह तआला भी माफ़ नहीं फ़रमायेंगे। इस हदीस में भी इसे कुफ़्र के साथ ज़िक्र किया गया है। गोया मोमिन को जानबूझ कर, बेगुनाह क़त्ल करना कुफ़्र के मुतरादिफ़ है। अआजनल्लाहु (अल्लाह हमें बचाये), दूसरे गुनाह तो नेकियों के तबादले में ख़त्म हो सकते हैं मगर ये ऐसा गुनाह है कि नेकियों के तबादले में भी ख़त्म न हो सकेगा। कुफ़्र व शिर्क और निफ़ाक़ भी ऐसे ही हैं। अलबत्ता कोई शख़्स कुफ़्र की हालत में किसी दूसरे शख़्स को क़त्ल कर दे तो इस्लाम लाने से वह गुनाह माफ़ हो जाता है। (मज़ीद तफ़्सील आगे आ रही है।)

(3990) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷻ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो भी शख़्स नाहक़ मारा जाता है उसके क़त्ल का बोझ हज़रत आदम के बेटे, (क़ाबील) जो सबसे पहला क़ातिल था, पर भी होगा क्योंकि उसने सबसे पहले क़त्ल को जारी किया था।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى

ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ " .

(3990) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3335, मुस्लिम, हदीस: 1677, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3447.

फ़ायदा : क़ाबील ने अपने भाई हाबील को नाहक़ क़त्ल कर दिया था और ये दुनिया में पहला क़त्ल था। इससे पहले ये काम नहीं हुआ था। गोया क़त्ल का तआरुफ़ क़ाबील की बदौलत हुआ। अब हर क़ातिल उसका पेरोकार है, लिहाज़ा उसका हिस्सा हर क़त्ल में होता है। लाज़िमन गुनाह में भी उसे हिस्सा मिलेगा अगरचे उससे क़ातिल के गुनाह में कोई कमी न आयेगी क्योंकि उसे गुनाह और सज़ा फ़ेअ़ले क़त्ल की है और क़ाबील को क़त्ल के रिवाज की। दोनों अलग अलग जुर्म हैं।

باب(٢): تَعْظِيمِ الدَّمِ

बाब : (2) मोमिन का ख़ून इन्तेहाई क़ाबिले ताज़ीम है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

(3991) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अलबत्ता मोमिन का (नाहक़) क़त्ल अल्लाह तआ़ला के यहाँ सारी दुनिया की तबाही से ज़्यादा हौलनाक है।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमाया: (इस हदीस़ का एक रावी) इब्राहीम बिन मुहाजिर क़वी नहीं (ज़ईफ़) है।

(3991) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3448.

फ़ायदा : यानी अगर दुनिया मोमिनीन के बग़ैर फ़र्ज़ कर ली जाये तो दुनिया व मा फ़ीहा की तबाही अल्लाह तआ़ला के नज़दीक एक मोमिन की जान नाहक़ ज़ाया होने से हल्की है। या कोई बिल फ़र्ज़ सारी दुनिया जो मोमिनीन से ख़ाली फ़र्ज़ कर ली जाये, को हलाक कर दे तो उसका गुनाह एक मोमिन के नाहक़ क़त्ल के गुनाह से बहुत कम है। मक़सद मोमिन और ईमान की अहमियत को ज़ाहिर करना है जिसे इस फ़र्ज़ी सूरत से ज़ाहिर कर दिया गया है। उर्फ़ में ये अन्दाज़ आम है।

(3992) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दुनिया का तबाह हो जाना अल्लाह तआ़ला के नज़दीक एक मुसलमान शख़्स के (नाहक़) क़त्ल के मुक़ाबले में बहुत मामूली है।'

(3992) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3449.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ " .

(3993) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) ने फ़रमाया: एक मोमिन का क़त्ल अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पूरी दुनिया की तबाही से ज़्यादा बड़ा है।

(3993) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3450.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا .

(3994) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) ने फ़रमाया: एक मोमिन का क़त्ल अल्लाह के नज़दीक दुनिया की तबाही से ज़्यादा अहमियत रखता है।

(3994) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3451.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا .

(3995) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन का क़त्ल अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पूरी दुनिया की तबाही से बढ़ कर है।'

(3995) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अ़दी: 2/454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3452.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، - ثِقَةٌ - حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا "

أَخْبَرَنَا سَرِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الْخَصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ " .

(3996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जायेगा, वह नमाज़ है। और लोगों के दरम्यान सबसे पहले फ़ैसला क़त्ल के बारे में होगा।'

(3996) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2617, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3453, देखें: 3998.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि क़यामत के दिन फ़ैसले सिर्फ़ लोगों के दरम्यान होंगे जबकि दुरुस्त ये है कि पहले लोगों के दरम्यान फ़ैसले होंगे, फिर हैवानात के दरम्यान भी फ़ैसला फ़रमाया जायेगा। **(2)** ये क़यामत के दिन की बात है। हुक़ूक़ुल्लाह में सबसे अहम नमाज़ है, लिहाज़ा पहले उसी का हिसाब लिया जायेगा। अगर उसमें कामयाबी हासिल हो गई तो उम्मीद है बाक़ी हुक़ूक़ुल्लाह में भी रिआयत हासिल हो जायेगी और अगर नमाज़ ही में नाकाम हो गया तो बाक़ी हुक़ूक़ुल्लाह का हिसाब लेने की ज़रूरत ही न रहेगी। या उनमें कामयाबी न होगी। हुक़ूक़ुल इबाद में सबसे अहम जान की हुर्मत है। अगर किसी ने ये हक़ ज़ाया कर दिया, यानी किसी को नाहक़ क़त्ल कर दिया तो बाक़ी हुक़ूक़ की अदायगी कोई मआनी नहीं रखती। और अगर कोई शख़्स इस हक़ में गिरफ़्तार न हुआ तो बाक़ी हुक़ूक़ में भी निजात की तवक़्क़ो की जा सकती है। मालूम हुआ, इन दो चीज़ों के फ़ैसले पर ही निजात का दारोमदार है। या इन दो चीज़ों की अहमियत मक़सूद है कि हुक़ुक़ुल्लाह में सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा और हुक़ूक़ुल इबाद में से क़त्ल का फ़ैसला सबसे पहले होगा। बाक़ी हिसाब किताब और फ़ैसले बाद में होंगे। लेकिन पहले मआनी ज़्यादा मुअस्सिर हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ " .

(3997) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सबसे पहले लोगों में क़त्ल वग़ैरह के फ़ैसले किये जायेंगे।'

(3997) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 678, बुख़ारी, हदीस: 6864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3454.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

(3998) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷻ) बयान करते हैं कि क़यामत के दिन लोगों के दरम्यान सबसे पहले क़त्ल के फ़ैसले किये जायेंगे।

(3998) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3454-3456.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .

(3999) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷻ) से मरवी है कि क़यामत के दिन लोगों के दरम्यान सबसे पहले क़त्ल वग़ैरह के फ़ैसले होंगे।

(3999) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3457.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " .

(4000) हज़रत अम्र बिन शुरहबील (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरम्यान क़त्ल वग़ैरह के फ़ैसले किये जायेंगे।'

(4000) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3458.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ .

(4001) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷻ) बयान करते हैं कि सबसे पहले लोगों के दरम्यान क़त्ल के फ़ैसले होंगे।

(4001) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3459.

फ़ायदा : यानी क़ातिलीन को जहन्नम रसीद किया जायेगा बशर्ते कि उन्हें दुनिया में क़िसासन क़त्ल न किया गया हो। या मक़्तूलीन को उनके क़ातिलीन की नेकियाँ देकर जन्नत में भेज दिया जायेगा और क़ातिलीन पर मक़्तूलीन के गुनाह लाद दिये जायेंगे। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ . فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي . وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلاَنٍ فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلاَنٍ فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ" .

(4002) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '(क़यामत के दिन) एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुये आयेगा और दुहाई देगा: ऐ मेरे रब! इसने मुझे क़त्ल किया था। अल्लाह तआला क़ातिल से फ़रमायेगा: तूने इसको क्यूँ क़त्ल किया था? वह कहेगा: या अल्लाह! मैंने इसलिये क़त्ल किया ताकि तेरे दीन को ग़ल्बा हासिल हो। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: ये तो मेरा हक़ है। एक और आदमी एक दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुये आयेगा और कहेगा: मौला! इसने मुझे क़त्ल किया था। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने इसे क्यूँ क़त्ल किया था? वह कहेगा: इसलिये कि फ़ुलां की इज़्ज़त और ग़ल्बा क़ाइम रहे। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: इज़्ज़त तो उसे नहीं मिल सकती, फिर वह क़ातिल अपने गुनाह समेत लौटेगा। (अपने किये की सज़ा पायेगा।)'

(4002) तख़रीज : (सनद सही) अबू नुऐम: 4/147, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3460.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपने गुनाह समेत लौटेगा' यानी क़ातिल अपने किये की सज़ा पायेगा। उसके दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि फिर क़ातिल पर मक़्तूल के गुनाह लाद दिये जायेंगे जो कि क़त्ल का ऐवज़ होगा। नतीजे के लिहाज़ से दोनों मआनी में कोई फ़र्क़ नहीं। वल्लाहु आलम! **(2)** इस हदीस में दो क़िस्म के क़ातिलों का ज़िक्र है एक वह जो अल्लाह तआला और उसके दीन की ख़ातिर किसी काफ़िर को क़त्ल करता है। ज़रूरत पड़ने पर ये क़त्ल जायज़ है बल्कि उससे सवाब हासिल होगा, जैसे: जिहाद के दौरान में या हुदूद के निफ़ाज़ की ख़ातिर। दूसरा क़त्ल जो हुकूमत, सरदारी, अना और इज़्ज़त की ख़ातिर किया जाता है (अपनी हो या किसी की) ये क़त्ल जुर्म है। उस क़ातिल को अपने किये की सज़ा भुगतनी होगी।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ قَالَ جُنْدَبٌ حَدَّثَنِي فُلاَنٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ " . قَالَ جُنْدَبٌ فَاتَّقِهَا .

(4003) हज़रत जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे फुलां शख़्स ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः 'क़यामत के दिन मक़्तूल अपने क़ातिल को लेकर (अल्लाह तआला के हुज़ूर) पेश होगा और कहेगा इससे पूछ कि इसने मुझे क्यूँ क़त्ल किया था? वह कहेगाः मैंने इसे फुलां की हुकूमत की ख़ातिर क़त्ल किया था।' हज़रत जुन्दुब ने फ़रमायाः ऐसे काम से बचो।

(4003) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 3461.

फ़ायदा : 'ऐसे काम से बचो' यानी किसी को अपनी या किसी की दुनिया की ख़ातिर क़त्ल न करो वरना क़यामत को कोई जवाब न सूझेगा और क़त्ल की सज़ा बरदाश्त करनी पड़ेगी। और वह 'फुलां' वहाँ काम न आयेगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي " . ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا .

(4004) हज़रत सालिम बिन अबुल जअद से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जो किसी मोमिन को जानबूझ कर (नाहक) क़त्ल कर दे, फिर तौबा करे और ईमान ले आये और नेक काम करने लगे और राहे रास्त पर आ जाये। हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) ने फ़रमायाः उसके लिये तौबा की गुंजाइश कैसे हो सकती है कि मैंने तुम्हारे नबी ए अकरम (ﷺ) को फ़रमाते सुना हैः 'मक़्तूल अपने क़ातिल को पकड़ कर लायेगा। उसकी रगों से ख़ून बह रहा होगा। वह कहेगाः ऐ मेरे रब! इससे पूछ इसने मुझे किस जुर्म में क़त्ल किया?' फिर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! यक़ीनन ये आयत अल्लाह तआला ही ने उतारी है मगर फिर उसे मन्सूख़ फ़रमा दिया।

तख़रीज:(सनद सही) इब्ने माजा,: 2621, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3462, बुख़ारी: 3855, मुस्लिम : 3023.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बहस तलब मसला ये है कि क्या मोमिन को जानबूझ कर नाहक़ क़त्ल करने वाले की तौबा क़बूल हो सकती है? हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) इसके क़ाइल नहीं क्योंकि इसके बारे में सूर-ए-निसा की एक मख़्सूस आयत, उतर चुकी है कि 'और जो किसी मोमिन को जानबूझ कर (नाहक़) क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, वह उसमें हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब और लानत है। और अल्लाह ने उसके लिये अज़ाबे अज़ीम तैयार कर रखा है।'(सूरह निसा: 4/93) आयत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ हज़रत इब्ने अब्बास की ताईद करते हैं, और ये हुक़ूक़ुल इबाद में से सबसे बड़ा हक़ है, लिहाज़ा मक़्तूल की रज़ामन्दी के बग़ैर माफ़ी कैसी? मगर दीगर अहले इल्म इसकी तौबा के भी क़ाइल हैं। इस्तेदलाल सूर-ए-फुरक़ान की आयत से है: 'मगर जो तौबा कर ले, ईमान ले आये और नेक काम करने लगे, अल्लाह तआला उसकी बुराईयों को नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह तआला बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।'(अल फुरक़ान: 25/70) इससे पहली आयत में कबीरा गुनाहों का ज़िक्र है और उनमें क़त्ल भी मज़्कूर है। हज़रत इब्ने अब्बास का मौक़िफ़ ये है कि ये आयत कुफ़्फ़ार के बारे में है, यानी जो शख़्स कुफ़्र की हालत में क़त्ल कर बैठे, फिर तौबा करे और इस्लाम क़बूल कर ले तो इस्लाम की बरकत से उसके गुनाह माफ़ हो जायेंगे जिनमें क़त्ल भी शामिल है, मगर ईमान लाने के बाद किसी बेगुनाह मोमिन को क़सदन क़त्ल करे तो उसके लिये सूर-ए-निसा वाली आयत है जिसमें तौबा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) इस मसले में अकेले हैं। जुम्हूर अहले इल्म तौबा के क़ाइल हैं क्योंकि आख़िर ये है तो कबीरा गुनाह ही, कुफ़्र तो नहीं, लिहाज़ा क़ाबिले माफ़ी है। 'बाक़ी रहा इसका हुक़ूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ होना, तो कोई बईद नहीं कि अल्लाह तआला जिस शख़्स को माफ़ फ़रमाना चाहे, तो उसके मक़्तूल को अपनी तरफ़ से राज़ी फ़रमा दे, जैसे: उसे अपने फ़ज़्ल से जन्नत में भेज कर ख़ुश कर दे और वह माफ़ कर दे वग़ैरह।' (अन् निसा: 4/48) **(2)** 'मन्सूख़ फ़रमा दिया' इस आयत से मुराद सूर-ए-फुरक़ान वाली आयत है जिसमें तौबा का ज़िक्र है। इसका मन्सूख़ होना इसलिये क़रीने क़यास है कि ये मक्की आयत है और दूसरी आयत सूर-ए-निसा वाली मदनी है मगर ऊपर दी गई तत्बीक़ की सूरत में किसी को मन्सूख़ कहने की ज़रूरत नहीं। वल्लाहु आलम! (और देखिये, हदीस: 3989 और हदीस: 4013)

قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ

(4005) हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि अहले कूफ़ा का आयत: (वमन् यक़्तुल ...) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे .....' में इख़्तिलाफ़ हो गया, तो मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और

الآيَةِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ .

उनसे पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ये आयत आख़री दौर में नाज़िल हुई है, फिर इसे किसी और आयत ने मन्सूख़ नहीं किया।

(4005) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4590, मुस्लिम, हदीस: 3023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3463.

फ़ायदा : वाक़ेअतन ये आयत मन्सूख़ नहीं, मगर ये कहा जा सकता है कि ये सज़ायें तब हैं जब वह तौबा न करे या अल्लाह तआला उसे माफ़ न फ़रमाये, जैसे अगर क़ातिल को क़िसास में क़त्ल कर दिया जाये तो बिल इत्तेफ़ाक़ उसे सज़ा नहीं मिलेगी।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ . وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } .

(4006) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा: क्या उस शख़्स की तौबा क़बूल हो सकती है जिसने किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दिया हो? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। मैंने उन्हें सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत पढ़ कर सुनाई: (वल्लज़ीना ला यद्ऊन मअल्लाहि इलाहा ...) 'वह लोग जो अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी शख़्स को नाहक़ क़त्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के साथ।' उन्होंने फ़रमाया: ये मक्की आयत है। इसको दूसरी मदनी आयत ने मन्सूख़ कर दिया: (वमन् यक़्तुल् ......) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम है..... अलख़।'

(4006) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 3023/20, बुख़ारी, हदीस: 4762, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3464.

फ़ायदा : मन्सूख़ का मतलब वह भी हो सकता है जो ऊपर बयान हुआ कि सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत कुफ़्फ़ार के बारे में है जो बाद में मुसलमान हो जायें और ये दूसरी आयत मुसलमान क़ातिले अम्द के बारे में है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ، { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ . وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ .

(4007) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने फ़रमाया कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से उन दो आयतों के बारे में पूछूँ। एक तो ये आयत है: (वमन् यक़्तुल् ...) 'जो शख़्स किसी मोमिन को क़सदन क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम है।' मैंने पूछा तो आपने फ़रमाया: इस आयत को किसी और आयत ने मन्सूख़ नहीं किया और दूसरी आयत है: (वल्लज़ीना ....) 'जो लोग अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी को नाहक़ क़त्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के साथ।' फ़रमाया: कुफ़्फ़ार के बारे में है।

(4007) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3023/18, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 4764, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3465.

फ़ायदा : गोया दोनों में से कोई भी मन्सूख़ नहीं, पहली आयत मुसलमानों के बारे में है और ये दूसरी आयत कुफ़्फ़ार के बारे में है। इस तख़सीस को भी नस्ख़ कह लेते हैं, इसलिये पिछली हदीस में इस दूसरी आयत को मन्सूख़ भी कहा गया है। नतीजे में कोई फ़र्क़ नहीं।

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قَوْمًا، كَانُوا قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا وَانْتَهَكُوا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الَّذِي

(4008) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि (दौरे जाहिलियत में) कुछ लोगों ने क़त्ल किये थे और बहुत ज़्यादा किये थे, ज़िना किये थे और बहुत ज़्यादा किये थे और हुर्मतों को पामाल किया था। वह लोग नबी-ए-अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये और कहा: ऐ मुहम्मद! जो बात आप करते हैं और जिसकी आप दावत देते हैं, बहुत अच्छी है बशर्ते कि आप हमें ये बतायें कि हमारे गुज़िश्ता आमाल का कफ़्फ़ारा मुमकिन

تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } إِلَى { فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } قَالَ يُبَدِّلُ اللَّهُ شِرْكَهُمْ إِيمَانًا وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا وَنَزَلَتْ { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } الآيَةَ .

है? तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतार दी: (वल्लज़ीना ....) 'जो लोग अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते .... अल्लाह तआला उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा।' यानी अल्लाह तआला उनके शिर्क को ईमान और उनके ज़िना को पाकदामनी से बदल देगा। और ये आयत भी उतरी: (कुल या इबादी ....) 'कह दीजिये: ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की है .... अलख़'

(4008) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3466, सैर अलाम अलनबला: 7/74, देखें, 2011.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुफ़्र के दौर में किये गये गुनाह इस्लाम लाने से ख़त्म हो जाते हैं, अमलन भी गुनाह छूट जाते हैं और नेकियों का दौर दौरा हो जाता है और साबिक़ा गुनाहों की सज़ा से भी बच जाता है। **(2)** गुनाहों की ज़िन्दगी में तंगी और बेचैनी जबकि इस्लाम के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने में राहत व सलामती है।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ أَتَوْا مُحَمَّدًا فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً . فَنَزَلَتْ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} وَنَزَلَتْ { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ }

(4009) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मुश्रिक लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: जो बात आप फ़रमाते हैं और जिस बात की आप दावत देते हैं, वह बहुत अच्छी है बशर्ते कि आप हमें बतायें कि हमारे गुज़िश्ता आमाल का कफ़्फ़ारा मुमकिन है? तो ये आयत उतारी: (वल्लज़ीना ....) 'और जो लोग अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते .... अलख़' और ये आयत उतरी: (कुल या इबादी .....) 'कह दीजिये: ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की है (यानी गुनाह किये हैं) .... अलख़'

(4009) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 122, बुख़ारी, हदीस: 4810, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3467.

(4010) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि क़यामत के दिन मक़्तूल अपने क़ातिल को सर के अगले बालों से पकड़ कर लायेगा जबकि उसकी गर्दन की रगों से ख़ून बह रहा होगा। वह कहेगा: ऐ मेरे रब! इसने मुझे क़त्ल किया था यहाँ तक कि वह उसे अर्श से क़रीब कर देगा।' लोगों ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से उसकी तौबा का ज़िक्र किया तो उन्होंने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (वमन यक़्तुल .....) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे .... अलख़' और फ़रमाया: जब से ये आयत उतरी है, मन्सूख़ नहीं हुई। उसके लिये तौबा कैसे मुमकिन है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ " . قَالَ فَذَكَرُوا لاِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } قَالَ مَا نُسِخَتْ مُنْذُ نَزَلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ

(4010) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3468.

(4011) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि ये आयत: (वमन यक़्तुल्....) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है। उसमें हमेशा रहेगा ... अलख़' सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत से छः माह बाद उतरी है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मुहम्मद बिन अम्र ने ये रिवायत अबू अज़ ज़िनाद से नहीं सुनी। (इस तरह ये सनद मुन्क़तअ हो गई)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } الآيَةُ كُلُّهَا بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ .

(4011) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4272, देखें, हदीस: 4013, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3469.

फ़ायदा : ये इन्क़िताअ, सेहते हदीस़ में मुज़िर्र नहीं क्योंकि दरम्यान वाला वास्ता मारूफ़ है। और वह मूसा बिन उक़्बा हैं जैसा कि आइन्दा हदीस़ में है। तो मुमकिन है उन्होंने पहले बवास्त-ए-मूसा, अबू ज़िनाद से बयान किया हो और फिर बिला वास्ता ख़ुद भी अबू ज़िनाद से सुन लिया हो, इसलिये वह कभी वास्ते के साथ बयान कर देते हों और कभी बग़ैर वास्ते के। मुहद्दिसीन की रिवायात में ऐसा आम है, लिहाज़ा इससे हदीस़ की सेहत मुतास्सिर नहीं हुई। हदीस़ सही और क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 31/278)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَعْدَ الَّتِي فِي { تَبَارَكَ } الْفُرْقَانِ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَارِجَةَ مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍ

(4012) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से रिवायत है कि ये आयत: (वमन् यक़्तुल् .....) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर (नाहक़) क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम है.... अलख़' सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली (आइन्दा) आयत से आठ माह बाद नाज़िल हुई है: (वल्लज़ीना ......) 'जो लोग अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी जान को नाहक़ क़त्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम किया है। मगर हक़ के साथ ..... अलख़'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि (अगली रिवायत में) अबू ज़िनाद ने अपने और ख़ारिजा के दरम्यान (इन्क़िताअ ख़त्म करने के लिये) मुजालिद बिन औफ़ दाख़िल कर दिया है।

(4012) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3470.

फ़ायदा : लगता है इसमें इन्क़िताअ नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि अबू ज़िनाद ने मुजाहिद से सुना हो और फिर ख़ारजा से भी सुन लिया हो। मुहद्दिसीन के यहाँ ये आम होता है, फिर तबरानी की रिवायत से भी ज़ाहिर होता है कि ख़ारिजा ने इसे रिवायत बयान की है। वल्लाहु आलम! (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 31/279)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} أَشْفَقْنَا مِنْهَا فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} .

(4013) हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन साबित अपने वालिद मोहतरम (हज़रत ज़ैद बिन साबित(ﷺ)) से बयान फ़रमाते हैं कि जब ये आयत उतरी: (वमन यक़्तुल् .....) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, वह उसमें हमेशा रहेगा।' तो हम बहुत डरे। फिर वह आयत उतरी जो सूरह फ़ुरक़ान में है: (वल्लज़ीना ......) 'जो लोग अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और न किसी जान को नाहक़ क़त्ल करते हैं जिसे अल्लाह ने हराम किया है। मगर हक़ के साथ ..... अलख़'

(4013) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, देखें, हदीस: 4011, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3471.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बहुत डरे' क्योंकि इस आयत में सख़्त वईद है कि क़ातिल अब्दी जहन्नमी है, मग़ज़ूब व मलऊन है, अज़ाबे अज़ीम का मुस्तहिक़ है। जबकि ये हालत तो कुफ़्फ़ार की होगी। सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत में शिर्क व क़त्ल के बाद तौबा का ज़िक्र है, इसलिये इस आयत में लोगों के लिये सहूलत है। **(2)** हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) की साबिक़ा दो रिवायात में सराहत है कि सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत पहले उतरी है और सूर-ए-निसा वाली आयत बाद में। लेकिन इस रिवायत में बिल्कुल उलट है कि सूर-ए-निसा वाली आयत पहले उतरी और सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत बाद में। ये सरीह तआरुज़ है, इसलिये मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को मुन्कर (ज़ईफ़) क़रार दिया है। मुमकिन है ग़लतफ़हमी हो कि सूर-ए-निसा वाली पहले उतरी। बाद में पता चल गया हो सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली पहले उतरी है क्योंकि उन्होंने सराहत फ़रमाई है कि सूर-ए-निसा वाली आयत छः या आठ माह बाद उतरी है। क़रीब क़रीब उतरने वाली आयात में ऐसी ग़लतफ़हमी मुमकिन है। ख़ैर! हज़रत इब्ने अब्बास वाली रिवायात क़तई हैं कि सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत पहले उतरी है, और सूर-ए-फ़ुरक़ान मक्की है और सूर-ए-निसा मदनी। इस लिहाज़ से भी हज़रत इब्ने अब्बास वाली रिवायात को तर्जीह होगी। सनदन भी वह क़वी हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की इन रिवायात का मफ़ाद ये है कि तौबा वाली आयत कुफ़्फ़ार के साथ ख़ास है और सज़ा वाली मोमिनीन के साथ, या फिर तौबा वाली आयत मन्सूख़ है क्योंकि वह मुतक़द्दिम

है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। जुम्हूर तौबा के क़ाइल हैं। सज़ा वाली आयत तब लागू होगी जब वह तौबा न करे या उससे क़िसास़ न लिया जाये या अल्लाह तआला उसे माफ़ न करना चाहे। ये भी कहा जा सकता है कि ये उस गुनाह की इन्फ़िरादी सज़ा है। जब उस गुनाह के साथ नेकियाँ भी मिलेंगी तो फिर हर गुनाह की सज़ा और हर नेकी का स़वाब मिलाने से जो मुरक्कब नतीजा हासिल होगा, उसके मुताबिक़ उससे सुलूक होगा। वल्लाहु आलम! (देखिये, हदीस़: 3989, 4004)

बाब : (3) कबीरा गुनाहों का ज़िक्र

باب(٣): ذِكْرِ الْكَبَائِرِ

वज़ाहत : गुनाहों का छोटा बड़ा होना फ़ितरी अम्र है। इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उनकी तादाद मुतय्यन नहीं। हर वह गुनाह कबीरा है जिस पर किताब व सुन्नत में जहन्नम की वईद सुनाई गई हो या उस पर हद मुक़र्रर कर दी गई हो या उसके मुर्तकिब को मलऊन क़रार दिया गया हो या उसे दीन से निकलने के मुतरादिफ़ क़रार दिया गया हो या उसे स़राहतन कबीरा कह दिया गया हो या वह किसी कबीरा गुनाह के बराबर हो या उससे बड़ा हो। और ये भी कहा गया है कि बार बार करने से स़ग़ीरा गुनाह कबीरा हो जाता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ أَبَا رُهْمٍ السَّمَعِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ " . فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ " الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ " .

(4014) हज़रत अबू अय्यूब अन्स़ारी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अल्लाह तआला के पास इस हाल में हाज़िर हुआ कि वह अल्लाह तआला की इबादत करता रहा हो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाया हो, नमाज़ पाबन्दी के साथ पढ़ता रहा हो, ज़कात (पूरी की पूरी) देता रहा हो और कबीरा गुनाहों से बचा रहा हो, उसके लिये जन्नत है।' लोगों ने आपसे कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा (कि वह कौन कौन से हैं?) तो आपने (बतौर मिस़ाल) इरशाद फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक बनाना, मुसलमान शख़्स को क़त्ल करना और लड़ाई के दिन भाग जाना।'

(4014) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3472, इब्ने हिब्बान: 20, वलहाकिम: 1/23.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ में दीन के बुनियादी उसूल और उनकी हैसियत बयान की गई है कि इन उमूर पर क़ाइम रहना और इनके मुनाफ़ी उमूर से बचना ही जन्नत में दुख़ूल का सबब बन सकता है। **(2)** 'उसके लिये जन्नत है' क्योंकि ये नेकियाँ बाक़ी गुनाहों पर ग़ालिब आ जायेंगी और फ़ैसला ग़ालिब की बुनियाद पर होगा वरना ग़लती से पाक तो कोई शख़्स भी नहीं। इल्ला माशाअल्लाह! **(3)** इस हदीस़ में सिर्फ़ तीन गुनाहों को कबीरा कहा गया है जबकि क़ुर्आन व सुन्नत के दीगर दलाइल से और भी बहुत से गुनाह कबीरा क़रार पाते हैं। ये तीन गुनाह बतौर मिसाल बयान किये गये हैं बतौर हस्र नहीं, क्योंकि कबीरा गुनाह सिर्फ़ यही नहीं। कबीरा गुनाहों की बाबत स़हाब-ए किराम (ﷺ) के इस्तेफ़सार का जवाब देते हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ मज़्कूरा तीन गुनाहों का ज़िक्र फ़रमाया है, इस मौक़े पर उनके अलावा और किसी गुनाह का आपने नाम नहीं लिया, मुमकिन है कि इस जवाब से उस वक़्त आप का मक़सद इसी बात की तरफ़ इशारा फ़रमाना हो कि कबीरा गुनाह किसी ख़ास क़िस्म या किसी एक सिफ़त में महसूर नहीं बल्कि किसी मामले में हुक़ूक़ुल्लाह की तल्फ़ी कबीरा गुनाह होती है तो किसी मामले में मुस्लिम मुआशरे के मुसलमान अफ़राद की हक़ तल्फ़ी कबीरा गुनाह होती है और इसी तरह कभी काफ़िरों के साथ कोई मामला दरपेश हो तो उसमें भी आदमी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है, इसलिये हर हाल में और हर मौक़े पर एक मुसलमान शख़्स को इन्तेहाई मोहतात ज़िन्दगी बसर करनी चाहिए। **(4)** कबीरा गुनाहों से बचने की वजह से स़ग़ीरा गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ "

(4015) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े गुनाह ये हैं: अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, किसी शख़्स को नाहक़ क़त्ल करना और झूठी गवाही देना।'

(4015) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 88, बुख़ारी, हदीस़: 2653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3473.

फ़ायदा : कबीरा गुनाहों की तीन क़िस्में हैं: **(1)** अकबरूल कबाइर, जैसे: शिर्क या किसी क़तई शरई अम्र का इन्कार। **(2)** जिनसे हुक़ूक़ुल इबाद ज़ाया होते हैं, जैसे: क़त्ल **(3)** हुक़ूक़ुल्लाह में ख़राबी, जैसे: ज़िना और शराबनोशी वग़ैरह।

أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ " .

(4016) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े गुनाहः अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, नाहक़ क़त्ल करना और झूठी क़सम खाना है।'

(4016) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 6675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3474.

फ़ायदा : 'झूठी क़सम खाना' अरबी में इसके लिये लफ़्ज़ 'अल्यमीनुल ग़मूस' इस्तेमाल किया गया है, यानी गुनाह में डूबो देने वाली क़सम या आग में दाख़िल करने वाली क़सम। जिस क़सम खाने का ये अन्जाम हो ज़ाहिर है कि वह क़सम झूठी ही हो सकती है। और ये वह क़सम होती है जिससे किसी का माल नाहक़ हासिल किया जाये, या किसी को नाहक़ नुक़सान पहुँचाया जाये या उसके ज़रिये से किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया जाये वग़ैरह। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَدِيثِ، عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ " هُنَّ سَبْعٌ أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ " . مُخْتَصَرٌ .

(4017) हज़रत उबैद बिन उमर से रिवायत है कि मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने बयान फ़रमाया, और वह नबी (ﷺ) के सहाबी थे, कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? आपने फ़रमाया: 'वह सात हैं। इनमें से सबसे बड़ा अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराना है। (दीगर ये हैं:) किसी शख़्स को नाहक़ क़त्ल करना और जंग के दिन मैदान से भाग जाना वग़ैरह।' ये रिवायत मुख़्तसर है।

(4017) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः 3875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3475, व सहीह अलहाकिम: 4/259.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन, जैसे: मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी और अल्लामा अतयूबी वग़ैरह ने

इसे हसन कहा है और दलाइल की रू से उन्हीं की राय अक़रब इलस्सवाब मालूम होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 31/296-298) इसकी तफ्सील दूसरी रिवायत में है। सहाबी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! गुनाहे कबीरा कितने हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह नो हैं। उनमें सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है और (दीगर ये हैं:) किसी मोमिन को नाहक़ क़त्ल करना, जंग के दिन मैदान से भाग जाना, पाक दामन ख़ातून पर गुनाह की तोहमत लगाना, जादू करना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, मुसलमान वालिदैन की नाफ़रमानी करना, बैतुल्लाह में क़िताल करना .... रिवायत की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मुस्तदक लिल हाकिम: 1/59, अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 10/186)

باب: (٤)

ذِكْرِ أَعْظَمِ الذَّنْبِ وَاخْتِلاَفِ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ

बाब : (4)

सबसे बड़े गुनाह का ज़िक्र और वासिल अन अबी वाइल अन अब्दुल्लाह की हदीस में यहया और अब्दुर्रहमान के सुफ़ियान पर इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " . قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ " .

(4018) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह तआला का शरीक बनाये, हालांकि उसने तुझे पैदा किया है।' मैंने कहा: फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अपने बच्चे को इसलिये क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ खायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अपने पड़ौसी की बीवी से ज़िना करे।'

(4018) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4761, मुस्लिम, हदीस: 86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3476.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बसा औक़ात एक आम गुनाह मख़्सूस हालात में बहुत बड़ा बन जाता है, जैसे: मुहसिन से बदसुलूकी और बेवफ़ाई करना बुरी बात है मगर अल्लाह तआला जैसे मुहसिन व

मुन्इमे हक़ीक़ी से बेवफ़ाई और उसकी नाफ़रमानी करना, जो कि तन्हा ख़ालिक़ व राज़िक़ है, इन्तेहाई क़बीह बात है। (2) क़त्ले नाहक़ कबीरा गुनाह है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) और दीगर बहुत से अहले इल्म ने क़त्ले नाहक़ को, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क़रार दिया है। यक़ीनन क़त्ले नाहक़ कबीरा गुनाह है, फिर अपनी औलाद को क़त्ल करना सिर्फ़ खाने की वजह से, ये इन्तेहाई कबीरा गुनाह है। (3) ज़िना बज़ाते ख़ुद कबीरा गुनाह है मगर पड़ौसी की बीवी से! जो इन्तेहाई ऐज़ाज़ व इकराम और ऐतमाद की जगह है, ये काम इन्तेहाई क़बाहत को पहुँच जाता है। इसी तरह गुनाह करने वाला अगर कोई आलिम हो तो उसके गुनाह की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है, और ज़मान व मकान के ऐतबार से भी गुनाह की शिद्दत व शनाअत में इज़ाफ़ा हो जाता है।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ " .

(4019) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह तआला का शरीक बनाये, हालांकि उसने तुझे पैदा किया है।' मैंने कहा: फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: '(फिर) ये कि तू अपने बच्चे को इस बिना पर क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ खायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: फिर कौन सा? फ़रमाया: '(फिर) ये कि तू अपने पड़ौसी की बीवी से ज़िना करे।'

(4019) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3477.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ " الشِّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَأَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ

(4020) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फ़रमाया: 'शिर्क' कि तू अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक बनाये। और ये कि तू अपने पड़ौसी की बीवी से बदकारी करे। और ये कि तू अपने बच्चे को फ़क्र के डर से मार दे कि वह तेरे साथ खायेगा।' फिर हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने ये

आयत पढ़ी: (वल्लज़ीना .....) ('अल्लाह के बन्दे वह हैं) जो अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते .... अलख़'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत (आसिम अन अबी वाइल) ग़लत है जबकि सही रिवायत इससे पहली (वासिल अन अबी वाइल) है। यज़ीद की ये रिवायत (जिसमें उसने वासिल की बजाये आसिम कहा है) ग़लत है। असल में (आसिम नहीं बल्कि) वासिल है।

(4020) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3478.

الْفَقْرِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ " . ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ وَحَدِيثُ يَزِيدَ هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ وَاصِلٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

बाब : (5) किन जराइम की वजह से मुसलमान का ख़ून बहाना जायज़ है?

ذِكْرِ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

(4021) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! किसी मुसलमान आदमी का, जो गवाही देता हो कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ, ख़ून बहाना जायज़ नहीं, सिवाए तीन आदमियों के: (एक) वह जो इस्लाम छोड़ कर काफ़िर बन जाये और मुसलमानों की जमाअत छोड़ जाये, और (दूसरा) वह जो शादी शुदा होकर ज़िना करे, और (तीसरा) वह जो किसी जान को नाहक़ क़त्ल करे।'

आमश ने कहा: मैंने ये रिवायत इब्राहीम नख़ई से बयान की तो उन्होंने मुझे अस्वद अन आयशा (की सनद) से इस जैसी रिवायत बयान की।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلإِسْلاَمِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ " . قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

(4021) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1676/26, बुख़ारी: 6878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3479.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में क़त्ल का ज़िक्र है, क़िताल का नहीं। क़त्ल से मुराद हद के तौर पर क़त्ल करना है और इन तीन उसूलों ही में जायज़ है, लेकिन क़िताल, यानी लड़ाई तो बाग़ियों और मुन्किरीने ज़कात वग़ैरह से भी लड़ी जा सकती है। **(2)** 'काफ़िर बन जाये' यानी इस्लाम क़बूल करने के बाद मुर्तद हो जाये तो उसे हद के तौर पर क़त्ल किया जायेगा। अलबत्ता अगर वह हद से पहले तौबा कर ले तो उसे माफ़ी मिल जायेगी। **(3)** 'जमाअत छोड़ जाये' इसका ये मतलब नहीं कि अगर वह मुर्तद होने के बाद मुसलमानों ही में रहे तो उसे हद न लगाई जाये क्योंकि ये दरअसल इर्तिदाद की तफ़्सीर है, यानी मुर्तद हो जाना मुसलमानों की जमाअत से अलग हो जाना है। अहनाफ़ के नज़दीक मुर्तद औरत को क़त्ल नहीं किया जायेगा बल्कि उसे क़ैद किया जायेगा लेकिन ये सरीह रिवायात के ख़िलाफ़ है। **(4)** क़ातिल, ख़्वाह आज़ाद आदमी हो या गुलाम, मर्द हो या औरत उसे क़िसासन क़त्ल किया जायेगा, अलबत्ता आज़ाद आदमी को गुलाम के बदले क़त्ल करने में इख़्तिलाफ़ है जिसकी तफ़्सील हदीस: 4838 के फ़वाइद में देखी जा सकती है। **(5)** 'इस जैसी रिवायत' इब्राहीम नख़ई के पास ये रिवायत हज़रत आयशा (ﷺ) से थी जबकि आमश के पास अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) से। आमश ने इब्राहीम नख़ई को अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत सुनाई तो इब्राहीम ने उन्हें ये रिवायत हज़रत आयशा (ﷺ) से सुनाई। गोया दोनों ने एक दूसरे से इस्तेफ़ादा किया।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ " . وَقَفَهُ زُهَيْرٌ .

(4022) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि क्या तुझे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान शख़्स का ख़ून बहाना जायज़ नहीं मगर (तीन आदमियों का:) वह आदमी जिसने शादी शुदा होने के बाद ज़िना किया और वह शख़्स जिसने इस्लाम लाने के बाद कुफ़्र किया या क़ातिल को क़िसास में मारा जायेगा।

इस रिवायत को ज़ुबैर ने मौक़ूफ़ बयान किया है।

(4022) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3480, मुसनद अहमद: 6/181, 205, 214, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3481.

फ़ायदा : गुलाम अगर ज़िना करे, अगरचे वह शादी शुदा भी हो, उसे रज्म नहीं किया जायेगा क्योंकि उस पर निस्फ़ हद है। और वह है पचास कोड़े, रज्म निस्फ़ नहीं हो सकता।

(4023) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि ऐ अम्मार! क्या तू नहीं जानता कि तीन अश्ख़ास के अलावा किसी मुसलमान का ख़ून बहाना हलाल नहीं: जान के बदले जान, या (उस आदमी को रज्म किया जायेगा) जिसने शादी शुदा होने के बाद ज़िना किया। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की।

(4023) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3481.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(4024) हज़रत अबू उमामा बिन सहल (ﷺ) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ (ﷺ) बयान करते हैं कि जब हज़रत उस्मान (ﷺ) महसूर थे तो हम उनके पास बैठे थे। जब हम (किसी जगह से) वहाँ जाते तो बलात वालों की बातें सुनते थे। एक दिन हज़रत उस्मान(ﷺ) भी उस जगह गये, फिर हमारी तरफ़ निकले और फ़रमाया: ये लोग मुझे क़त्ल की धमकियाँ देते हैं। हमने कहा: अल्लाह तआला आपको इससे किफ़ायत फ़रमायेगा। आपने फ़रमाया: आख़िर ये मुझे क्यूँ क़त्ल करते हैं? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'किसी मुसलमान आदमी का ख़ून तीन (जराइम) में से किसी एक के बग़ैर जायज़ नहीं: (एक) वह शख़्स जिसने इस्लाम लाने के बाद कुफ़्र किया। (दूसरा) वह जिसने शादी शुदा होने के बाद ज़िना किया। (तीसरा) वह शख़्स जिसने किसी को नाहक़ क़त्ल किया।' अल्लाह की क़सम! मैंने न कुफ़्र की हालत में ज़िना किया है न इस्लाम की हालत में। और जब से अल्लाह तआला ने मुझे

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالاَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ - وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلاً نَسْمَعُ كَلاَمَ مَنْ بِالْبَلاَطِ - فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ . قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ . قَالَ فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ

فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ وَلاَ تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي

हिदायत दी है, मैंने कभी सोचा तक नहीं कि मुझे मेरे दीन के अलावा कोई और दीन मिले। और मैंने कभी किसी (मुसलमान) को क़त्ल नहीं किया। तो फिर वह मुझे क्यूँ क़त्ल करते हैं?

(4024) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4502, तिर्मिज़ी, हदीस: 2157, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3482, व सहीह इब्ने अल----, हदीस: 836.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बलात' मस्जिदे नबवी से बाहर एक चोतरा सा बना हुआ था जिस पर लोग उमूमन बैठते और बातें करते थे ताकि मस्जिदे नबवी का तक़द्दुस बहाल रहे। इस हदीस में बलात वालों से मुराद वह फ़सादी लोग हैं जो दूसरे इलाक़ों से इकट्ठे होकर ख़िलाफ़त को मिटाने आये थे। आख़िरकार उन्होंने अपनी धमकियों पर अमल कर ही दिया। **(2)** इस हदीस में हज़रत उ़स्मान (ﷺ) की अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत व मन्क़बत का बयान है। वह इस तरह कि ज़मान-ए-जाहिलियत और ज़मान-ए-इस्लाम में हमेशा मकारिमे अख़्लाक़ आपकी फ़ितरते सलीमा का जुज़्वे ला यन्फ़क्क रहे। आप हमेशा बुराई और बेहयाई से दूर और किनाराकश ही रहे। **(3)** जिन लोगों ने हज़रत उ़स्मान(ﷺ) को ज़्यादती और सरकशी करते हुये क़त्ल किया उन्होंने बहुत बड़ा ज़ुल्म किया क्योंकि हज़रत उ़स्मान(ﷺ) ने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया था जिसकी बिना पर एक मुसलमान को क़त्ल करना जायज़ होता है। (ﷺ).

بَاب : (٦)

قَتْلِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيهِ

बाब : (6)

जो आदमी (मुसलमानों की) जमाअ़त से अलग हो जाये उसे क़त्ल करना, और अर्फजा की हदीस में, ज़ियाद बिन इलाक़ा पर (रावियों के) इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانْبَهْ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ

(4025) हज़रत अर्फजा बिन शुरैह अशजई(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मिम्बर पर लोगों को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा, आपने फ़रमाया: 'मेरे बाद बहुत से फ़ित्ना व फ़साद बरपा होंगे। जिस शख़्स को तुम देखो

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ " إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ تَفْرِيقَ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ

कि वह (मुसलमानों की) जमाअत से अलग हो गया है या मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत में फूट डालना चाहता है, जो भी हो उसे क़त्ल कर दो। बिलाशुब्हा जमाअत पर अल्लाह तआला का हाथ होता है। और शैतान उस शख़्स के साथ होता है जो जमाअत से जुदा हुआ, वह उसे लात मार कर हाँकता है।'

(4025) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1852, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3483.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस नबुवत की निशानियों में से है। जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़बर दी थी बिऐनिही उसी तरह फ़ित्ने और फ़साद ज़ाहिर हुये और ये सिलसिल-ए-शर ता हाल जारी है। अआजनल्लाहु (अल्लाह हमें बचाये) मिन्हा। **(2)** ये हदीस इस बात की सरीह दलील है कि उम्मते मुस्लिमा में तफ़रक़ा डालने वाला हर शख़्स वाजिबुल क़त्ल है, ख़्वाह वह कोई भी हो। हदीस शरीफ़ के अल्फ़ाज़ हैं: (फ़क़्तुलूहु) यानी उम्मते मुहम्मदिया में फूट डालने वाले को क़त्ल कर दो। ये अल्फ़ाज़ सेग़-ए-अम्र पर मुश्तमिल हैं और जब तक कोई क़रीन-ए-सारिफ़ा मौजूद न हो, अम्र वजूब पर दलालत करता है। चूंकि यहाँ कोई भी क़रीन-ए-सारिफ़ा नहीं है, लिहाज़ा ये हुक्म वजूबी है, इसलिये इस्लामी हुकूमत के सरबराह के लिये ज़रूरी है कि ऐसा मुजरिम अगर अपनी शरारतों से बाज़ न आये तो उसे क़त्ल की सज़ा दे। याद रहे इस्लामी हुदूद का निफ़ाज़ हर मुस्लिम मुल्क के सरबराह की ज़िम्मेदारी है। **(3)** इस हदीस से अल्लाह जल्ल शानहु की सिफ़त 'यद' का इस्बात है, यानी अल्लाह तआला का हाथ है। ये बात याद रहे कि अल्लाह तआला का हाथ वैसा ही है जैसा कि उसकी अरफ़अ व आला ज़ात के लायक़ और शायाने शान है। अल्लाह तआला का हाथ न तो मख़्लूक़ के हाथ के मुशाबेह है और न उसके कोई दूसरे मआनी, यानी क़ुदरत वग़ैरह ही मुराद हैं जैसा कि तावील करने वाले करते हैं: (लैस कमिस्लिही शैउन) (अल मुल्क 67:1) 'ज़ात बड़ी बाबरकत है वह जिसके हाथ में तमाम बादशाही है।' **(4)** इस हदीस से जमाअत की फ़ज़ीलत मालूम होती है क्योंकि अल्लाह तआला का हाथ जमाअत पर होता है। और उसकी मदद व नुसरत कभी भी जमाअत से अलग नहीं होती, और जमाअत से मुराद धड़े ग्रुप और जमाअतें नहीं बल्कि मुसलमानों की वह जमाअत मुराद है जो एक ख़लीफ़ा पर मुत्तहिद हो, और इस हदीस शरीफ़ से उम्मते मुस्लिमा के अन्दर तफ़रक़ा बाज़ी, फूट और उनके नुक़सानदेह इख़्तिलाफ़ की मज़र्रत और मज़म्मत भी वाज़ेह होती है। चूंकि अल्लाह का हाथ और उसकी मदद जमाअत के साथ ख़ास है। जब जमाअत फूट और इख़्तिलाफ़ का शिकार होगी तो फिर अल्लाह तआला का हाथ उस

जमाअत पर से उठ जायेगा और शैतान को उस पर ग़ल्बा हासिल हो जायेगा, फिर वही उनका हाथ बन जायेगा। और जिसका साथी शैतान बन जाये तो वह बहुत ही बुरा साथी है। (वमय्यकुनिश्शैतानु लहु क़रीनन फ़साअ क़रीना) (अन्निसा: 4/38) वल्लाहु आलम! (5) उस शख़्स से मुराद या तो मुर्तद है या बाग़ी। मुर्तद तो वह है जो मुसलमान होने के बाद इस्लाम से निकल जाये। ऐसा शख़्स इस्लाम का दुश्मन बन जायेगा और वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़्फ़ार की मदद करेगा। तजुर्बा यही बताता है, लिहाज़ा अगर वह तौबा न करे तो क़त्ल कर दिया जाये। और बाग़ी से मुराद वह है जो मुसलमानों के एक अमीर पर मुत्तफ़िक़ हो जाने के बाद अलग जत्थाबन्दी कर ले। चूंकि ऐसा शख़्स भी उम्मते मुस्लिमा का दुश्मन है और उनको आपस में लड़ा कर तबाह व बर्बाद करना चाहता है, लिहाज़ा वह भी वाजिबुल क़त्ल है ताकि उम्मते मुस्लिमा उसके शर से महफ़ूज़ रहे। इसी तरह जो शख़्स उम्मते मुस्लिमा से निकल कर कुफ़्फ़ार के साथ मिल जाये, वह भी बाग़ी और मुर्तद है और उसे भी क़त्ल किया जायेगा, ख़्वाह वह अपने आपको मुसलमान भी कहता रहे। (6) बाग़ी की सज़ा के बारे में तो तमाम दुनिया मुत्तफ़िक़ है कि उसके फ़ित्ने से बचने के लिये उसे सज़ा-ए-मौत दी जा सकती है मगर मुर्तद की सज़ा-ए-मौत पर कुछ बज़अमे ख़्वेश, रोशन ख़्याल' हज़रात को ऐतराज़ है कि ये तंग नज़री है और आज़ादि-ए-फ़िक्र पर क़दग़न है। लेकिन ताज्जुब है कि एक मुल्क के बाग़ी को सज़ा-ए-मौत देना तो तंग नज़री नहीं और न उससे आज़ादि-ए-फ़िक्र पर कोई क़दग़न आइद होती है मगर मज़हब के बाग़ी को सज़ा-ए-मौत देना तंग नज़री और तशद्दुद है। क्या ये रोशन ख़्याली है? इन्साफ़ है? या तो हर किसी को मादर पेदर आज़ाद कर दीजिये कि वह मज़हब और मुल्क के बारे में जो मर्ज़ी करे। चाहे वह लोगों को क़त्ल करता फिरे या डाके मारता फिरे, उसे कुछ न कीजिये क्योंकि ये तंग नज़री और आज़ादि-ए-फ़िक्र पर पाबन्दी है। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं। तो फिर लाज़िमन हर शख़्स को, जो कोई दीन इख़्तियार करता है या किसी मुल्क की शहरीयत इख़्तियार करता है, किसी न किसी ज़ाब्त-ए-अख़्लाक़ का पाबन्द होना पड़ेगा। इसी में अमन व सुकून और इज़्ज़त व आफ़ियत बल्कि इन्सानियत की बक़ा है।

(4026) हज़रत अर्फजा बिन शुरैह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद बहुत सी ख़राबियाँ और शरो फ़साद होगा ..... फिर आपने अपने हाथ उठाये .... जिस शख़्स को तुम देखो कि वह उम्मते मुहम्मद (ﷺ) में तफ़रीक़ पैदा करना चाहता है जबकि उम्मत मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद है तो उसे क़त्ल कर दो, चाहे वह कोई भी हो।'

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ - وَرَفَعَ يَدَيْهِ - فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ

تَفْرِيقَ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ " .

(4026) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3484.

फ़वाइद व मसाइल : उम्मत का इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। मामूली मामूली बातों पर उम्मत में फूट डालना, उनमें तफ़रीक़ पैदा करना और उन्हें हक़ व बातिल का मैयार क़रार देना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर उम्मत किसी एक अमीर पर मुत्तफ़िक़ हो तो ख़्वाहमख़्वाह अमीर पर ऐतराज़ात करके उम्मत में फ़साद पैदा करना बग़ावत की ज़ेल(शुमार) में आता है। अमीर आख़िर इन्सान है फ़रिश्ता नहीं, उसमें ख़ामियाँ हो सकती हैं, वह ग़लती कर सकता है मगर ख़ामियाँ और ग़लतियाँ बग़ावत और फ़साद को जायज़ नहीं कर सकतीं। क्या कोई अमीर ख़ामियों और ग़लतियों से पाक मुमकिन है? लिहाज़ा जब तक अमीर वाज़ेह कुफ़्र का इर्तिकाब न कर ले, उसके ख़िलाफ़ बग़ावत जायज़ नहीं। अलबत्ता उस पर जायज़ तन्क़ीद हो सकती है मगर तख़रीब जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ " .

(4027) हज़रत अर्फ़जा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मेरे बाद बहुत सी ख़राबियाँ और फ़साद होंगे। जो शख़्स उम्मते मुहम्मद (ﷺ) में फूट डालना चाहे जबकि उम्मत (एक शख़्स पर) मुत्तफ़िक़ हो तो उसे तलवार से मार दो।'

(4027) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3485.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " .

(4028) हज़रत उसामा बिन शरीक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मेरी उम्मत में फूट डालने के लिये निकले, उसकी गर्दन उड़ा दो।'

(4028) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल्कबीर: 1/186, हदीस: 487, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3486.

फ़ायदा : उम्मत से अलग होने वाला या उम्मत में फूट डालने वाला मुर्तद और मुसलमानों की जमाअत से अलग है। उसका क़त्ल जायज़ है मगर उसे क़त्ल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अवामुन्नास अपने तौर पर क़त्ल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ित्ना व फ़साद का ख़तरा है। इसी तरह हुदूद का निफ़ाज़ भी हुकूमत ही कर सकती है।

बाब : (7)

अल्लाह तआला के फ़रमान : (इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन .... मिनल् अर्ज़) की तफ़्सीर, यानी 'जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि वह बुरी तरह क़त्ल कर दिये जायें या उन्हें बुरी तरह सूली पर लटका दिया जाये या उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ सिम्तों से बुरी तरह काट दिये जायें या उन्हें जलावतन कर दिया जाये।' और (इसका बयान कि) ये आयत किन लोगों के बारे में नाज़िल हुई, और हज़रत अनस (ﷺ) की इस हदीस के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र

باب : (٧)

تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } وَفِيمَنْ نَزَلَتْ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ

फ़ायदा : इनसे मुराद मुर्तद्दीन, बाग़ी और मुफ़्सिदीन हैं जो ऐलानिया डाके डालते और बिला दरेग़ लोगों को क़त्ल करते हैं। चूंकि ये लोग मुआशरे के लिये नासूर होते हैं, लिहाज़ा इनका क़लअ क़मअ करना ज़रूरी है। इन पर तरस खाना या इन्हें शक का फ़ायदा देना मुआशरे पर ज़ुल्म है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इनके साथ सख़्ती से निपटे और मज़्कूरा सज़ाओं में से जो सज़ा उनके जुर्म से मुनासिबत रखती हो, बिला दरेग़ नाफ़िज़ करे, जैसे: अगर कोई शख़्स अस्लहे के ज़ोर पर लोगों को लूटे, उन्हें क़त्ल करे और उनकी इज़्ज़तें तार तार करे तो उन लोगों को क़त्ल करके लाशों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें दूसरों के लिये इबरत बना दे। या उनके आज़ा एक एक करके काट दे और उनको तड़पा तड़पा कर भूखा प्यासा मारा जाये। अगर बाग़ियों या मुफ़्सिदीन ने सिर्फ़ क़त्ल किये हों या सिर्फ़ डाका डाला हो तो उन्हें सूली पर लटका दिया जायेगा। और अगर उन्होंने अस्लहे के साथ लोगों को सिर्फ़ ख़ौफ़ज़दा किया हो या डराया धमकाया हो तो उन्हें उस इलाक़े से निकाल दिया जाये या उन्हें जेल में डाल दिया जाये ताकि वह अपनी इस्लाह करके आइन्दा के लिये तौबा कर लें। कुछ हज़रात ने इस आयत को मन्सूख़ बनाने की

कोशिश की है कि अब हुदूद नाज़िल हो चुकी हैं मगर ये बात दुरुस्त नहीं।'अक़्ले सलीम भी उनके लिये अलग सज़ा का तक़ाज़ा करती है। इस आयत को आयते मुहारबा कहा जाता है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا " . قَالُوا بَلَى . فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فَأَخَذُوهُمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا .

(4029) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि उक्ल क़बीला के आठ आदमी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आये (और क़बूले इस्लाम ज़ाहिर किया) फिर उन्होंने मदीना की आबो हवा को मुवाफ़िक़ न पाया और उनके जिस्म कमज़ोर पड़ गये। उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इस बात की शिकायत की। आपने फ़रमाया: 'तुम हमारे चरवाहे के साथ उसके (बाहर रहने वाले) ऊँटों में क्यूँ नहीं चले जाते कि तुम उन ऊँटों के दूध और पेशाब पियो?' उन्होंने कहा: ठीक है। वह वहाँ चले गये और (ऊँटों का) दूध और पेशाब पीते रहे। वह तन्दुरुस्त हो गये तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें पकड़ने के लिये आदमी भेजे। उन्होंने उन लोगों को जा पकड़ा, चुनांचे उनको आपके पास लाया गया तो आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं, फिर उनको धूप में फेंक दिया यहाँ तक कि वह मर गये।

(4029) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6899, मुस्लिम: 10/1671, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3487.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुनन नसाई की मज़्कूरा रिवायत, नसाई शरीफ़ के अलावा सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामेअ तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा के साथ साथ मुसनद अहमद में भी मौजूद है। सहीहैन समेत दीगर तमाम कुतुबे मज़्कूरा में ये रिवायत हर किताब में, एक से ज़्यादा मक़ामात में बयान की गई है। यहाँ नसाई शरीफ़ में इस मक़ाम पर है कि क़बील-ए उक्ल के आठ अफ़राद नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि सुनन नसाई ही की दूसरी रिवायात में, किसी में

तो हाज़िर होने वाले लोगों को क़बील-ए-उ़रैना के लोग कहा गया है और किसी रिवायत में उन्हें उक्ल और उ़रैना दोनों क़बीलों के लोग बयान किया गया है। (देखिये मज़्कूरा बाब के तहत वारिद शुदा अहादीस़) मज़ीद बरां ये कि ख़ुद स़हीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम में बयान की गई अहादीस़ की सूरते हाल भी यही है कि किसी रिवायत में उन्हें उक्ल क़बीले के अफ़राद बताया गया है, किसी में उ़रैना के और किसी में उक्ल और उ़रैना दोनों के। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1501, हदीस़: 3018, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1671) बज़ाहिर इन अहादीस़ में तज़ाद मालूम होता है लेकिन इनमें तज़ाद क़तअ़न नहीं, अस़ल हक़ीक़त ये है कि आने वाले, उक्ल और उ़रैना दोनों क़बीलों के लोग थे। उनकी तादाद आठ थी। चार अफ़राद क़बील-ए-उ़रैना में से थे और तीन उक्ल में से और एक शख़्स़ इन दोनों क़बीलों के अ़लावा किसी और क़बीले में से था। चूंकि ये सारे के सारे आठों अफ़राद इकट्ठे ही रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर होकर मुसलमान हुये थे, इसलिये किसी हदीस़ में उन्हें उक्ल क़बीले के अफ़राद कहा गया है, किसी में उ़रैना के और किसी में अक्ल और उ़रैना दोनों के। वल्लाहु अ़ालम! **(2)** 'मुवाफ़िक़ न पाया' चूंकि वह लोग दूसरे इलाक़े से आये थे, आबो हवा के मुवाफ़िक़ न होने की वजह से वह बीमार हो गये जैसा कि उ़मूमन मुसाफ़िरों को किसी दूसरे मुल्क में जाने से स़ेहत की ख़राबी का सामना करना पड़ता है। कुछ मुद्दत बाद ठीक हो जाते हैं और कुछ को तवील मुद्दत तक भी उधर की आबो हवा मुवाफ़िक़ नहीं आती। **(3)** 'दूध और पेशाब पियो।' दूध तो उनकी मरग़ूब ग़िज़ा थी। पेशाब पेट के इलाज के लिये तजवीज़ फ़रमाया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, उनका पेशाब पाक है। तभी आपने पीने का हुक्म दिया। जो लोग इसके क़ाइल नहीं, वह इसे इलाज की मजबूरी बतलाते हैं। उनके नज़दीक इलाज पलीद चीज़ के साथ भी जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) भी इसके क़ाइल नहीं। वह इसको सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ ख़ास़ क़रार देते हैं। ये बहस़ पीछे किताबुत तहारा में गुज़र चुकी है। **(4)** 'क़त्ल कर दिया' दरअस़ल ये लोग डाकू थे। मुमकिन है आये ही बुरी नियत से हों या इज़्हारे इस्लाम धोखा ही के लिये हो। हो सकता है इस्लाम लाते वक़्त नियत स़ही हो मगर चूंकि वह अस़लन डाकू थे, इसलिये जब उन्होंने इतने ऊँटों में सिर्फ़ दो चरवाहे देखे तो उनकी नियत में फ़ुतूर आ गया, चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल किया और ऊँटों को हाँकते हुये चलते बने। कुछ तारीख़ी रिवायात में उन ऊँटों की तादाद पन्द्रह मज़्कूर है। वल्लाहु अ़ालम! **(5)** 'उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया' सुनन नसाई की इस रिवायत (4029) में इसी तरह मुफ़रद के अल्फ़ाज़ हैं जबकि सुनन नसाई ही की एक दूसरी रिवायत (4040) में जमा के अल्फ़ाज़ हैं, यानी उन्होंने 'चरवाहों को क़त्ल कर दिया' और स़हीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम की रिवायात में भी मुफ़रद और जमा दोनों तरह के अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने स़हीह बुख़ारी में ये रिवायत चौदह मक़ामात पर बयान फ़रमाई है। तेरह मक़ामात पर मुफ़रद के अल्फ़ाज़ मज़्कूर हैं जबकि एक जगह

जमा के अल्फ़ाज़ लाये गये हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6802) इसी तरह सहीह मुस्लिम में हज़रत इमाम मुस्लिम(رحمہ اللہ) भी मुफ़रद और जमा, दोनों तरह के अल्फ़ाज़ लाये हैं। जमा के अल्फ़ाज़ के लिये देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1671) इस वाक़िये की असल हक़ीक़त ये है कि चरवाहे सिर्फ़ दो थे। इसकी सराहत सही अबू अवाना में है। एक वह जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) का चरवाहा कहा गया है और उसे ही उन लोगों ने क़त्ल किया था। उसका नाम यसार था। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का आज़ादकर्दा गुलाम था। ख़ूबसूरत अन्दाज़ में नमाज़ अदा करते देख कर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे आज़ाद फ़रमा दिया था। दूसरा चरवाहा ये सब कुछ देख कर भाग खड़ा हुआ, और मदीना तय्यबा पहुँच कर उसने ये इत्तिला दी कि उन लोगों ने मेरे साथी को क़त्ल कर दिया है और ऊँटनियाँ हाँक ले गये हैं, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पीछे, उनकी तलाश में सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) की एक जमाअत रवाना फ़रमाई, उन्होंने उन बदमाश लोगों को रास्ते ही में जा लिया और उन्हें पकड़ कर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में पेश कर दिया, चुनांचे आपने चरवाहे के क़िसास में उसके सब क़ातिलों के साथ जो कि डाकू और लुटेरे भी थे, वही सुलूक किया जो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे के साथ किया था, यानी आपने उनके हाथ सख़्ती के साथ कटवा दिये और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरवा कर उन्हें धूप में फेंक दिया गया। इस तरह वह तड़प तड़प कर प्यासे मर गये। मक़्तूल चरवाहे का नाम यसार बिन ज़ैद अबू बिलाल था, दूसरे, इत्तिला देने वाले का नाम मालूम नहीं हो सका। इस हदीस के बयान करने वाले अक्सर रावियों का इत्तेफ़ाक़ है कि मक़्तूल सिर्फ़ नबी (ﷺ) ही का चरवाहा था, उसके साथ दूसरा कोई चरवाहा क़त्ल नहीं हुआ, जिन इक्का दुक्का रावियों ने जमा के अल्फ़ाज़ बोले हैं वह मजाज़न हैं। और ये भी हो सकता है कि चूंकि जमा के कम अज़ कम अफ़राद (अकल्लुज्जमा) दो होते हैं, चरवाहे भी दो ही थे और वह लोग भी इन दोनों को क़त्ल करना चाहते थे, एक जान बचा कर भाग निकला था, इसलिये कुछ रुवात ने जमा के अल्फ़ाज़ बयान कर दिये हैं। राजेह और दुरुस्त बात यही है कि सिर्फ़ एक चरवाहा ही क़त्ल हुआ था। इसकी ताईद अस्हाबे मग़ाज़ी की बयानकर्दा उन तारीख़ी रिवायात से भी होती है जिनमें उन्होंने सिर्फ़ एक चरवाहे यसार के क़त्ल ही का ज़िक्र किया है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/441, 442) **(6)** 'यहाँ तक कि वह मर गये' आपने उनको ये सख़्त सज़ा बिला वजह नहीं दी बल्कि उनके जराइम एक से ज़्यादा थे। इस्लाम से मुर्तद हो गये। चरवाहे को क़त्ल किया। सिर्फ़ क़त्ल ही पर इक्तेफ़ा नहीं किया बल्कि उसके हाथ पाँव काटे, आँखों में सलाइयाँ फेरीं, फिर उस बेगुनाह को भूखा प्यासा धूप में गर्म पत्थरों पर फेंक दिया, और ख़ून निचुड़ निचुड़ कर वह अल्लाह को प्यारा हो गया। ऊँट और दीगर सामान लूट कर ले गये। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने जो उन को सज़ा दी, वह तो सिर्फ़ चरवाहे के साथ सुलूक का बदला था। बाक़ी जराइम की सज़ायें इसके तहत ही आ गईं। जब मुजरिम जुर्म करते वक़्त तरस न खाये तो क़िसास लेते वक़्त उस पर भी तरस नहीं खाना चाहिए, वरना जराइम न रुक सकेंगे।

मुजरिम को उसके जुर्म के मुमासिल सज़ा दी जानी चाहिए। क़ुर्आन मजीद की ऊपर दी गई आयात का मफ़ाद भी यही है। जिन फ़ुक़हा ने इस क़िस्म की सज़ा को ला क़वद इल्ला बिस्सैफ़ जैसी ज़ईफ़ रिवायात की वजह से मन्सूख़ कहा है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि (कुतिब अलैकुमुल क़िसासु) के मफ़हूम से इस मौक़िफ़ की तर्दीद होती है। ऊपर दी गई आयत (आयते मुहारबा) तो इस बारे में सरीह है और बाब वाली हदीस इसकी वाज़ेह ताईद करती है। वल्लाहु आलम! (ये बहस पीछे गुज़र चुकी है) (7) अगर क़ाबू आने से पहले मुजरिम सच्ची तौबा कर ले तो इन्शाअल्लाह माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है, अगरचे हुक़ूक़ुल इबाद ही क्यूँ न हों। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ - قَالَ - فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآيَةَ .

(4030) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि उक्ल क़बीले के कुछ लोग नबी-ए-अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये (और मुसलमान हो गये) फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा की आबो हवा को नामुवाफ़िक़ पाया। नबी-ए अकरम (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह सदक़ा के ऊँटों में चले जायें। और उनके दूध और पेशाब पियें। उन्होंने ऐसे किया (तो सेहतमन्द हो गये) फिर उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँटों को हाँक कर ले गये। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनकी तलाश में आदमी भेजे। उन्हें पकड़ कर लाया गया तो आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये। और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं, फिर आपने उनके ज़ख़्मों (को दाग़ लगा कर उन) का ख़ून बन्द नहीं किया बल्कि उनको (इसी तरह) छोड़ दिया यहाँ तक कि वह मर गये। फिर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन ....) 'बिलाशुब्हा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, उनकी सज़ा ये है .... अलख़'

(4030) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3488.

(4031) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि उक्ल क़बीले के आठ आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये। उसके बाद रावी ने साबिक़ा हदीस़ की तरह हदीस़ बयान की। आख़िर में है: आपने उनके ज़ख़्मों का ख़ून बन्द न किया। रावी ने ये भी कहा कि उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर दिया था।

(4031) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3489.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَقَالَ قَتَلُوا الرَّاعِيَ .

(4032) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि उक्ल या उ़रैना क़बीले के कुछ लोग नबी-ए अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। मदीना मुनव्वरा की आबो हवा उन्हें रास न आई तो आपने उनको अपने ऊँटों में जाने का हुक्म दिया कि वह उनके दूध और पेशाब पियें। उन्होंने (स़ेहतमन्द होने के बाद) चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँट हाँक कर ले गये। आपने उनकी तलाश में अपने आदमी भेजे, फिर आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये और उनकी आँखें (गर्म सलाइयों से) बुरी तरह फोड़ दीं।

(4032) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4030, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3490.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ - وَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ - بِذَوْدٍ أَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ أَلْبَانَهَا وَأَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ .

बाब : (8) हुमैद की, हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी हदीस़ में नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ

(4033) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि उ़रैना क़बीले के कुछ लोग

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَوْدٍ لَهُ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये (और इस्लाम क़बूल किया), फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा की आबो हवा को नामुवाफ़िक़ पाया तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनको अपने ऊँटों में भेज दिया। उन्होंने (चन्द दिन तक) उनका दूध और पेशाब पिया। जब वह तन्दुरुस्त हो गये तो वह इस्लाम से मुर्तद हो गये, रसूलुल्लाह (ﷺ) के साहिबे ईमान चरवाहे को क़त्ल किया और ऊँट हाँक कर चलते बने। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी तलाश में आदमी भेजे। वह पकड़ कर लाये गये। आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये। उनकी आँखों में सलाइयाँ फेर कर उनको फोड़ दिया और उन्हें सूली पर लटका दिया।

(4033) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/107, इब्ने माजा, हदीस़: 2578, 3503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3491.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब में जिस इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र है, इस बाब के तहत मज़्कूर अहादीस़ पर ग़ौर करने से मालूम होता है कि वह इख़्तिलाफ़ दो क़िस्म का है: एक इख़्तिलाफ़ तो ये है कि हुमैद से ये रिवायत उनके कई शागिर्द बयान करते हैं, जैसे: अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र अलअ़मरी, इस्माईल बिन अबू कस़ीर, ख़ालिद बिन हारिस़ अल हुजैमी और मुहम्मद बिन अबू अ़दी। लेकिन स़लबहुम आपने उन्हें सूली पर लटका दिया' के अल्फ़ाज़ स़िर्फ़ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र अल अ़मरी बयान करता है, हुमैद के मज़्कूरा दूसरे शागिर्दों में से कोई भी ये अल्फ़ाज़ बयान नहीं करता, इसलिये इस रिवायत में मज़्कूर अल्फ़ाज़ 'स़लबहुम' का इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं बल्कि ये इज़ाफ़ा मुन्कर है क्योंकि अ़ब्दुल्लाह अल अ़मरी दूसरे सिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त करता है जबकि वह ख़ुद ज़ईफ़ है। (2) इसमें दूसरा इख़्तिलाफ़ ये है कि इस रिवायत में अब्वालिहा के जो अल्फ़ाज़ हैं वह अगरचे दुरुस्त हैं लेकिन ये अल्फ़ाज़ हुमैद के दो शागिर्द अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र अल अ़मरी और इस्माईल बिन अबू कस़ीर बयान करते हैं तो वह हुमैद अ़न अनस की सनद से बयान करते हैं जबकि हुमैद के शागिर्द ख़ालिद अल हुमैदी और मुहम्मद बिन अबू अ़दी अब्वालिहा के अल्फ़ाज़ हुमैद अ़न क़तादा अ़न अनस की सनद से बयान करते हैं। तर्जीह भी अभी की रिवायत को है क्योंकि ये अल अ़मरी और इस्माईल से अस्बत हैं। वल्लाहु आ़लम! (3) किसी मुजरिम

को सज़ा के तौर पर सूली पर लटकाना अगरचे जायज़ है ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो, लेकिन इस रिवायत में मज़्कूर सूली पर लटकाने के अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा मुन्कर है क्योंकि इसमें अ़ब्दुल्लाह अ़मरी ने, जो कि ज़ईफ़ रावी है, सिक़ात की मुख़ालिफ़त की है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا " . فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ .

(4034) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि उ़रैना क़बीले के कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अगर तुम हमारे ऊँटों में जाकर रहो और उनके दूध और पेशाब पियो (तो तुम्हारी स़ेहत के लिये बेहतर होगा)' उन्होंने इसी तरह किया, फिर जब वह तन्दुरुस्त हो गये तो उठे और रसूलुल्लाह(ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया और दोबारा काफ़िर बन गये, और नबी (ﷺ) के ऊँट हाँक कर ले गये। आपने उनकी तलाश में आदमी भेजे। उन्हें लाया गया तो आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये और उनकी आँखें फोड़ दीं।

(4034) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3492.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا " . قَالَ وَقَالَ قَتَادَةُ " وَأَبْوَالِهَا " . فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(4035) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि उ़रैना क़बीले के कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये। उन्होंने मदीना की आबो हवा को मुवाफ़िक़ न पाया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अगर तुम हमारे (स़हरा में चरने वाले) ऊँटों में जाकर रहो और उनके दूध और पेशाब पियो (तो तुम्हारी स़ेहत के लिये बेहतर होगा)' वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊँटों में जाकर रहने लगे। जब वह तन्दुरुस्त हो गये तो बावजूद इस्लाम क़बूल करने के काफ़िर बन गये, रसूलुललाह

عليه وسلم فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ .

(ﷺ) के साहिबे ईमान चरवाहे को क़त्ल कर दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊँट हाँक कर चलते बने। गोया उनकी रसूलुल्लाह(ﷺ) से जंग हो गई। आपने उनकी तलाश में कुछ आदमी भेजे। उन्हें पकड़ कर लाया गया। आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं।

(4035) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3463.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَسْلَمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا " . قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ " وَأَبْوَالِهَا " . فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَتَى بِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا .

(4036) **हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मरवी है कि उरैना क़बीले के कुछ लोग मुसलमान हुये, फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा की आबो हवा को मुवाफ़िक़ न पाया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अगर तुम हमारे ऊँटों में जाकर रहो और उनके दूध और पेशाब पियो (तो ये तुम्हारी सेहत के लिये बेहतर होगा)' उन्होंने इसी तरह किया। चुनांचे जब वह तन्दुरुस्त हो गये तो वह इस्लाम से कुफ़्र की तरफ़ लौट गये, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुसलमान चरवाहे को क़त्ल किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊँट हाँक लिये और ऐलानिया बग़ावत करते हुये भाग खड़े हुये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पीछे आदमी भेजे तो वह लोग पकड़े गये, चुनांचे (उन्हें पकड़ कर) आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये, उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं और उनको पत्थरीले मैदान में छोड़ दिया यहाँ तक कि वह (ऐड़ियाँ रगड़ते प्यासे) मर गये।**

(4036) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3494, मुस्लिम, हदीस: 1671.

फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा के मशरिक़ और मग़रिब में दो वसीअ़ पत्थरीले मैदान हैं, उनमें से हर एक को हर्रा कहा जाता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ . فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ لَبَنِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا - وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ - كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا .

(4037) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि उक्ल या उरैना क़बीले में से कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हम दूध पर गुज़ारा करने वाले लोग हैं, हम काश्तकार नहीं। (वजह ये थी कि) उन्हें मदीना मुनव्वरा की आबो हवा रास न आई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि हमारे ऊँटों और चरवाहे के पास रहो और ऊँटों के दूध और पेशाब पियो। वह हर्रा के एक किनारे में रहते थे, फिर जब वह तन्दुरुस्त हो गये तो इस्लाम से मुर्तद होकर काफ़िर बन गये। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँट हाँक कर चलते बने। आपने उनके पीछे तलाश करने वाले भेजे। उन्हें पकड़ लाया गया, चुनांचे आपने उनकी आँखें (गर्म सलाइयों से) फोड़ीं। उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये, फिर उन्हें इसी हालत में हर्रा (गर्म पत्थरीले मैदान) में छोड़ दिया यहाँ तक कि वह मर गये।

(4037) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1501, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3495, 3496.

फ़ायदा : 'किनारे में रहते थे' मक़सद ये है कि वह मदीना से अलग थलग जगह थी। काफ़ी ऊँट थे। चरवाहे एक दो थे। उन हालात ने उनकी 'डाकूवाना फ़ितरत' को जगा दिया और वह इस्लाम भूल गये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، نَحْوَهُ .

(4038) मुहम्मद बिन मुसन्ना ने भी अ़ब्दुल आला से इसी (ऊपर दी गई रिवायत की) तरह बयान किया है।

(4038) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत : सुनन नसाई की ऊपर दी गई रिवायत (4037) की सनद से मालूम होता है कि मुहम्मद बिन अब्दुल आला यज़ीद बिन ज़रीअ से और वह शोबा से बयान करते हैं, यानी यज़ीद का उस्ताद शोबा है। इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि उस्ताद मुहम्मद बिन मुसन्ना ने भी अब्दुल आला, अन शोबा बयान किया है। ये सनद सुनन नसाई (अल मुज्तबा) में इसी तरह है जबकि सुनन नसाई (अल कुब्रा) में 'शोबा' के बजाये 'सईद' है और 'सईद (बिन अबी अरुबा)' ही दुरुस्त है जबकि 'शोबा' तसहीफ़ है। इसकी ताईद सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत से भी होती है क्योंकि उनमें 'शोबा' के बजाये 'सईद' ही है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4192, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1671)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ . قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا .

(4039) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि उरैना क़बीले के कुछ लोग हर्रा के मैदान में उतरे, फिर वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आये। उन्होंने मदीना मुनव्वरा की आबो हवा को मुवाफ़िक़ न पाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह सदक़े के ऊँटों में रहें और उनके दूध और पेशाब पियें, फिर उन्होंने चरवाहे को क़त्ल किया, इस्लाम से मुर्तद हो गये और ऊँट हाँक कर ले गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पीछे आदमी भेजे। उनको पकड़ लाया गया तो आपने उनके हाथ पाँव सख़्ती के साथ काट दिये, उनकी आँखों को फोड़ दिया और उन्हें गर्म पत्थरीले मैदान में छोड़ दिया। (हज़रत अनस ने फ़रमाया:) अल्लाह की क़सम! मैंने देखा कि वह प्यास की बिना पर ज़मीन पर दाँत मार रहे थे यहाँ तक कि इसी तरह मर गये।

(4039) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4367, तिर्मिज़ी: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3497.

फ़ायदा : 'दाँत मार रहे थे' शायद ये अल्फ़ाज़ पढ़ कर किसी की 'हुक़ूक़े इन्सानी की हिस्स (एहसास)' जोश मारे कि ये इन्सानियत की तौहीन है, लेकिन क्या ये मालूम है कि उनके साथ ये सुलूक क्यों किया गया? उसका जवाब ये है कि नबी-ए-रहमत (ﷺ) ने उनके साथ ये सुलूक ऐन क़ुर्आनी हुक्म के

मुताबिक़, क़िसास के तौर पर किया था। उन्होंने बेगुनाह चरवाहे की बड़ी बेदर्दी से जान ली। इसके साथ साथ वह बड़े डाकू, मुर्तद और एहसान फ़रामूश भी थे, फिर किसी चीज़ की कसर बाक़ी रह गई थी? लिहाज़ा ये मुस्ला था न उन पर ज़ुल्म व तशद्दुद ही बल्कि उनके किये करते का बदला था। जो अमने आम्मा के क़याम के लिये ज़रूरी होता है, और शर पसन्द अनासिर, ज़ुल्म व तअद्दी और क़त्ल व बग़ावत की रोक थाम के लिये अम्रे ला बुद्दी होता है। आज के नाम निहाद इन्सानियत के ख़ैरख़्वाहों को ऐसे सफ्फ़ाक मुजरिमों पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस क़िस्म के किरदार के हामिलीन क़ाबिले तरस होते तो सबसे पहले उन लोगों पर नबी-ए-रहमत (ﷺ) तरस खाते। जिन फ़ुक़हा ने इसको मुस्ला क़रार देकर मन्सूख़ कहा है उन्हें रज्म की सज़ा को ज़रूर मद्दे नज़र रखना चाहिए। क्या रज्म मुस्ला की इस मरफ़ूअ तफ़्सीर के तहत नहीं आता? हालांकि वहाँ तो मुजरिम ने किसी बेगुनाह के साथ ऐसा सुलूक भी नहीं किया होता। यक़ीनन उन लोगों का जुर्म ज़िना के जुर्म से कई दर्जा ज़्यादा था।

बाब : (9)
इस हदीस में यहया बिन सईद पर तल्हा बिन मुसर्रिफ़ और मुआविया बिन सालेह के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

ذِكْرِ اخْتِلاَفِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

(4040) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि उरैना क़बीले के कुछ बद्दु नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आये और इस्लाम क़बूल किया, फिर उन्हें मदीना की आबो हवा रास न आई यहाँ तक कि उनके रंग ज़र्द पड़ गये और पेट बढ़ गये। तो अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) ने उनको अपने ऊँटों में भेज दिया और उन्हें उनके दूध और पेशाब पीने का हुक्म दिया यहाँ तक कि वह तन्दुरुस्त हो गये। बाद में उन्होंने ऊँटों के चरवाहों को क़त्ल कर दिया और ऊँट हाँक कर ले गये। अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) ने उनकी तलाश में आदमी भेजे। उन्हें लाया गया तो आपने उनके हाथ पाँव काट दिये। और उनकी आँखों में

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى لِقَاحٍ لَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ

يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ . قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفْرٍ .

गर्म सलाइयाँ फेरीं। जब हज़रत अनस (ﷺ) ये हदीस़ बयान फ़रमा रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन अ़ब्दुल मलिक ने उनसे पूछा कि उनके साथ ये सुलूक उनके कुफ़्र की वजह से किया या उनके गुनाह की वजह से? फ़रमाया: कुफ़्र की वजह से।
(4040) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 307, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3498.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब में जिस इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र है उसकी वज़ाहत कुछ इस तरह है कि तल्हा बिन मुसर्रिफ़ ने ये रिवायत बयान की तो अ़न यहया बिन सईद अ़न अनस कहा, यानी उसे मुत्तसि़ल और मौसू़ल बयान किया, जबकि मुआविया बिन स़ालेह (और यहया बिन अय्यूब) ने बयान की तो अ़न यहया बिन सईद अ़न सईद बिन अल मुसय्यब कहा। यानी मुर्सल बयान की। वल्लाहु आ़लम! **(2)** 'कुफ़्र की वजह से' मक़सूद ये है कि उन्होंने कुफ़्र का इर्तिकाब भी किया था वरना हाथ पाँव काटना और आँखों में सलाइयाँ फेरना कुफ़्र की वजह से न था बल्कि क़िसास़न था क्योंकि इर्तिदाद की सज़ा तो सादा क़त्ल है। **(3)** 'अ़ब्दुल मलिक' बनू उमैया का एक आ़लिम बादशाह जिसने बनू उमैया की डगमगाती हुई कश्ती को संभाल दिया और मज़बूत हुकूमत की और उसके बाद उसकी औलाद ने डट कर हुकूमत की मगर उसके इल्म को उसकी हुकूमत ने दबा दिया। और ये दोनों शाज़ व नादिर ही इकट्ठे चलते हैं।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَرِضُوا فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لِقَاحٍ لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا

(4041) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि कुछ अ़रब लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और इस्लाम क़बूल किया, फिर वह बीमार हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें ऊँटों में भेज दिया ताकि वह उनके दूध पियें। वह उनमें रहे, फिर उन्होंने मन्सूबा बनाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुलाम चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँट हाँक कर ले गये। स़हाबा फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दुआ़ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह!

फِيهَا ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي غُلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " اللَّهُمَّ عَطِّشْ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ " . فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتَاقُوا إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ .

उस शख़्स को प्यासा मार जिसने आले मुहम्मद को रात प्यासा रख के मारा।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनकी तलाश में आदमी भेजे। वह पकड़े गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सख़्ती के साथ उनके हाथ पाँव काट दिये। और उनकी आँखों को (गर्म सलाइयों से) फोड़ दिया।

कुछ उस्ताद दूसरों से ज़्यादा बयान करते हैं, मुआविया ने इस हदीस में कहा कि वह ऊँटों को मुश्रिकीन के इलाक़े की तरफ़ हाँक कर ले गये।

(4041) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3499.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ .

(4042) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की दूध वाली ऊँटनियों को लूट लिया था। आपने उनको गिरफ़्तार किया, फिर सख़्ती के साथ उनके हाथ पाँव काट दिये और उनकी आँखों को फोड़ दिया।

(4042) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3500.

फ़ायदा : ये रिवायत ऊपर दिये गये वाक़िये ही का इख़्तेसार है वरना आपने ये सज़ा सिर्फ़ ऊँटनियाँ लूटने पर न दी थी। वैसे बिल जब्र डाका डालने वालों के एक से ज़्यादा हाथ पाँव काटे जा सकते हैं जैसा कि मुहारबा वाली आयत में है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

(4043) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की दूध वाली ऊँटनियाँ लूट लीं, चुनांचे उन्हें (पकड़ कर) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास लाया गया तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने सख़्ती के साथ उनके हाथ पाँव काट दिये और उनकी आँखों को (गर्म सलाइयों

قَوْمًا، أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَّعَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ . اللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى .

से) फोड़ दिया।

ये अलफ़ाज़ इब्ने मुसन्ना के हैं।

(4043) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3501.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये रिवायत दो उस्तादों मुहम्मद बिन मुसन्ना और मुहम्मद बिन बश्शार (बुन्दार) से सुनी है। अल्फ़ाज़ में कुछ फ़र्क़ है, मफ़हूम दोनों का एक ही है। ये अल्फ़ाज़ उस्ताद मुहम्मद बिन मुसन्ना के हैं।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا، أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ .

(4044) हज़रत हिशाम के वालिद (हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊँट लूट लिये थे। आपने सख़्ती के साथ उनके हाथ पाँव काट दिये। और उनकी आँखें फोड़ दीं।

(4044) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3502.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَاقُوهَا وَقَتَلُوا غُلاَمًا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ .

(4045) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से मरवी है कि उरैना क़बीले के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की दूध वाली ऊँटनियाँ लूट लीं और उन्हें हाँक ले गये। और आपके एक ग़ुलाम (चरवाहे) को भी क़त्ल कर दिया। आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाये, चुनांचे वह (क़ातिल) पकड़ लिये गये। आपने उनके हाथ पाँव काट दिये और आँखें फोड़ दीं।

(4045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3503.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ

(4046) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने

أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ .

भी ये रिवायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल फ़रमाई है। इसमें ये लफ़्ज़ भी है कि उनके बारे में मुहारबा वाली आयत उतरी।

(4046) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3504, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4051.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। लेकिन ये रिवायत शवाहिद की बिना पर हसन बन जाती है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी शवाहिद का तज़्किरा करते हुये एक रिवायत का हवाला दिया है और उस पर सनदन हसन होने का हुक्म लगाया है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी इसे सही और हसन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, रक़म: 4052, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 31/353, 354) **(2)** मुहारबा वाली आयत से मुराद वही आयत है जो इन अहादीस से पहले ज़िक्र की गई है,यानी: (इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन ....) मतलब ये है कि इस आयत में उस सज़ा का ज़िक्र है जो उरैना के लोगों को दी गई।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآيَةَ كُلَّهَا .

(4047) हज़रत अबुज़ ज़िनाद से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगों के हाथ काटे जिन्होंने आपकी दूध वाली ऊँटनियाँ चुराई थीं और उनकी आँखें आग (पर गर्म की हुई सलाइयों) के साथ फोड़ दीं तो अल्लाह तआला ने इस बारे में आप पर इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया और ये पूरी आयत उतरी: (इन्नमा जज़ाउल्लज़ी....)

(4047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3505.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ये आयत अल्लाह तआला की तरफ़ से रसूलुल्लाह (ﷺ) पर इज़्हारे नाराज़ी के लिये नाज़िल नहीं हुई बल्कि सही वही है जो दूसरी रिवायात में ज़िक्र हो चुका है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी आँखें, इसलिये फोड़ दीं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे के साथ ये

सुलूक किया था, क़िसासन उनके साथ भी वही सुलूक किया गया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، - ثِقَةٌ مَأْمُونٌ - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ .

(4048) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनकी आँखें इसलिये फोड़ी थीं कि उन्होंने चरवाहों की आँखें फोड़ी थीं।

(4048) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1671/16, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3506.

फ़ायदा : 'चरवाहों' ज़िक्रकर्दा बीस रिवायात में से एक दो में जमा का लफ़्ज़ आया है। बाक़ी तमाम रिवायात में एक चरवाहे का ज़िक्र है। यही सही है। इख़्तिलाफ़ के वक़्त राजेह दलाइल की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाता है। इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस रिवायत को बीस दफ़ा ज़िक्र फ़रमाया है ताकि वाक़िये से मुताल्लिक़ तमाम तफ़सीलात का इल्म हो जाये और कोई बात ओझल न रहे, और अगर कोई इख़्तिलाफ़ है तो वह भी वाज़ेह हो जाये। अगरचे इमाम साहिब का असल मक़सद सनद के इख़्तिलाफ़ात बयान करना होता है जिनको जानने के लिये सनद का दिक़्क़त से जायज़ा लेना पड़ता है। कुछ रावी मुत्तसिल बयान करते हैं कुछ मुन्क़तअ वग़ैरह। कुछ एक सहाबी का नाम लेते हैं और कुछ दूसरे का। हक़ीक़ते हाल का जायज़ा लेते हुये तर्जीह व तक़्दीम का फ़ैसला होता है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ

(4049) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी आदमी ने अन्सार की एक लड़की को उसके ज़ेवरात लूटने के लिये क़त्ल कर दिया। और उसका सर पत्थर से कुचल कर उसे एक पुराने कुएँ में फेंक दिया। उस यहूदी को पकड़ कर लाया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इसे पत्थर से कुचला जाये यहाँ तक कि वह मर जाये।

(4049) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1672/16, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3507.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब जिस आयते करीमा पर मुश्तमिल है उस आयत में उन

लोगों के मुताल्लिक़ शरीयते मुतह्हरा का हुक्म बयान किया गया है जो अल्लाह और उसके रसूल(ﷺ) से लड़ाई करते हैं, ज़मीन में शर व फ़साद फैलाते और बग़ावत का इर्तिकाब करते हैं, डाके डालते और लूट मार करते हैं। हदीस़ में जिस यहूदी की सज़ा का ज़िक्र है उसने भी फ़साद फ़िल अर्ज़ के जुर्म का इर्तिकाब किया। एक मासूम जान को नाहक़ क़त्ल करके उसका माल लूटा वग़ैरह, लिहाज़ा हदीस़ की बाब से मुनासिबत बहुत वाज़ेह और स़रीह है। **(2)** इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि हाकिम को मुजरिम लोगों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने का हक़ है, और ये भी कि वह नर्मी और मीठे पन से मुजरिमों से हक़ीक़ते हाल और उनके भेद मालूम करे जैसा कि नबी (ﷺ) ने पहले उस लड़की से मुजरिम के बारे में मालूम किया, फिर उसे पकड़वाया और उससे हक़ीक़ते वाक़िया मालूम की। **(3)** जब कोई मुजरिम। बिला इकराह - अपने जुर्म का इक़रार करे तो उस पर हद लगाना हाकिम पर वाजिब हो जाता है। **(4)** ऐसा इशारा जिसकी मतलूब पर दलालत वाज़ेह हो, वह क़ाबिले हुज्जत है। **(5)** औरत के क़िसास में मर्द को क़त्ल किया जा सकता है, जुम्हूर का यही मज़हब है। **(6)** ये रिवायत इस बात की भी ताईद करती है कि क़ातिल जिस तरीक़े और जिस आले से मक़्तूल को क़त्ल करे, क़ातिल को उसी तरीक़े से क़त्ल किया जायेगा ख़ुसूसन जबकि वह सफ्फ़ाकाना तरीक़े से क़त्ल करे। लफ़्ज़ क़िसास़ का तक़ाज़ा भी यही है। जिन लोगों ने ये कहा कि क़िसास़ सिर्फ़ तलवार से लिया जाये उनकी बात दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मफ़हूम की कोई भी रिवायत स़ही नहीं जैसा कि इसकी बाबत हदीस़: 4029 के फ़वाइद में सियर हासिल बहस की गई है।

خْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ .

(4050) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने अन्स़ार की एक लड़की को उसके ज़ेवरात की ख़ातिर क़त्ल कर दिया, फिर उसे पुराने कुएँ में फेंक दिया। (दरअस़ल) उसने उसका सर पत्थर से कुचल दिया था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि उसे पत्थर के साथ कुचला जाये यहाँ तक कि वह मर जाये।

(4050) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3508.

फ़ायदा : अस़ल वाक़िया यूँ है कि उस यहूदी ने बच्ची का सर कुचल कर उसके ज़ेवरात उतार लिये और उसे एक कुएँ में फेंक दिया और समझा कि वह मर चुकी है लेकिन उसमें अभी कुछ जान बाक़ी थी। बच्ची को आपके पास लाया गया। आपने चन्द मशकूक अफ़राद के नाम लेकर बच्ची से पूछा कि क्या

इनमें से किसी ने उसे क़त्ल किया है? बच्ची हर नाम पर नफ़ी में सर हिलाती रही (क्योंकि वह बोल न सकती थी) यहाँ तक कि जब उस यहूदी का नाम लिया गया तो बच्ची ने इस्बात में सर हिलाया। उस यहूदी को पकड़ कर तफ़्तीश की गई तो वह मान गया कि मैंने क़त्ल किया है। इतने में बच्ची फ़ौत हो गई तो आपने हुक्म दिया कि इसका सर पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से कुचला जाये। यहाँ तक कि मर जाये। इस हदीस़ में इसे रज्म के लफ़्ज़ से बयान किया गया है क्योंकि रज्म भी पत्थरों से होता है।

خْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآيَةَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ .

(4051) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि आयते मुबारका : (इन्नमा जज़ाउ ....) मुश्रिकीन के बारे में उतरी है। उनमें से अगर कोई शख़्स़ पकड़े जाने से पहले पहले तौबा कर ले तो उस पर सज़ा नाफ़िज़ करने की इजाज़त नहीं, लेकिन ये आयत मुसलमान शख़्स़ के लिये नहीं है, लिहाज़ा अगर कोई मुसलमान किसी को क़त्ल कर दे या ज़मीन में फ़साद करे (डाका डाले या बग़ावत करे) या अल्लाह तआला और उसके रसूल करीम (ﷺ) से जंग करे (मुर्तद हो जाये) फिर वह काफ़िरों से जा मिले और उसे पकड़ा ना जा सके तो ये चीज़ उस पर मुताल्लिक़ा हद क़ाइम करने से मानेअ न होगी।

(4051) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3509.

फ़ायदा : आयते मुहारबा के आख़िर में ये लफ़्ज़ हैं: 'मगर जो लोग पकड़े जाने से पहले तौबा कर लें तो तुम जान लो कि बेशक अल्लाह तआला ग़फ़ूर्रुर्रहीम है।' उससे कोई शख़्स़ ये समझ सकता है कि ऊपर दी गई जराइम करने के बाद गिरफ़्त में आने से पहले वह तौबा कर ले तो उसे माफ़ी मिल जायेगी, हालांकि ये बात मुत्लक़न स़ही नहीं क्योंकि डाकाज़नी, आबरूरेज़ी और क़त्ल जैसे गुनाह तौबा से माफ़ नहीं हो सकते। सिर्फ़ इर्तिदाद से तौबा हो सकती है, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने वज़ाहत फ़रमाई कि इस क़िस्म की माफ़ी उस काफ़िर के लिये है जो इन जराइम के बाद इस्लाम क़बूल कर ले क्योंकि इस्लाम पहले जराइम को ख़त्म कर देता है, मगर इस्लाम की हालत में कोई शख़्स़ इन जराइम

का इर्तिकाब करे तो उसे तौबा के नाम पर माफ़ी नहीं मिल सकती। सिर्फ़ मुर्तद अगर नादिम होकर तौबा करे और दोबारा इस्लाम क़बूल कर ले तो उसे इर्तिदाद की सज़ा माफ़ कर दी जायेगी क्योंकि ये हुक़ूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखती है जबकि दीगर जराइम तो हुक़ूकुल इबाद से मुतालिलक़ हैं। वह तौबा से माफ़ न हो सकेंगे।

बाब : (10)
मुस्ला करने की मुमानिअ़त का बयान

باب(١٠): النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ .

(4052) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ख़ुत्बे में सदक़ा करने की तर्ग़ीब दिलाया करते थे और मुस्ला करने से मना फ़रमाया करते थे।

(4052) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3510, बुख़ारी, हदीस: 4192, अबी दाऊद, हदीस: 2667, मुसनद अहमद: 5/12, 20 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुस्ला से मुराद मक़्तूल के आज़ा (कान, नाक, शर्मगाह वग़ैरह) काटना है ताकि लाश की तज़्लील की जाये। जंगों में इसका आम रिवाज था। कुफ़्फ़ार इसको फ़ख़्र से करते थे। इस्लाम एक संजीदा दीन है, इसलिये आपने जंगों में भी और दुश्मनों के साथ भी मुस्ला से रोक दिया, अलबत्ता अगर किसी क़ातिल ने अपने मक़्तूल के साथ क़त्ल से पहले या बाद में ऐसा सुलूक किया हो तो उसके साथ भी वही सुलूक उसी तरह किया जायेगा ताकि क़िसास का हक़ अदा हो और इस फ़ेअ़ल की हौसला शिकनी हो। **(2)** कुछ लोगों ने मुस्ला करने की मुमानिअ़त वाली हदीस की वजह से हदीसे उरैनिय्यीन को मन्सूख़ कहा है। इमाम नसाई (رحمه الله) की तब्वीब से ज़ाहिरन यही बात मालूम होती है कि उन्होंने साबिक़ा तर्जुमतुल बाब के बाद अन्नह्यु अनिल मुस्ला बाब बाँधा है। इससे यूँ लगता है गोया कि इन्हीं लोगों की राय को तर्जीह दी गई है लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं जैसा कि पहले भी गुज़र चुका है, बल्कि राजेह बात ये है कि हदीस बतौर क़िसास ही था। चूंकि इन लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के चरवाहे के साथ इसी तरह किया था, इसलिये क़िसासन उनके साथ भी इसी तरह किया गया। हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी, सुनन नसाई की हदीस: 4048 और हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी सहीह मुस्लिम की हदीस: 1671 में ये सराहत मौजूद है कि 'नबी (ﷺ) ने उन लोगों की आँखें महज़ इसलिये

फोड़ीं कि उन्होंने चरवाहों की आँखें फोड़ी थी।' ये भी हो सकता है कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने क़बील-ए-उक्ल और उरैना के लोगों और यहूदी की सज़ा वाली अहादीस़ के बाद ये रिवायत ये इशारा करने के लिये ही ज़िक्र की हो कि ऊपर दी गई अहादीस़ इस हदीस़ के ख़िलाफ़ नहीं वरना सहाबा ज़रूर तम्बीह फ़रमाते ख़ुसूसन जबकि इन तीनों क़िस्म की अहादीस़, यानी हदीस़ . उरैनिय्यीन, अन्सारी लड़की के क़िसास़ में यहूदी को क़त्ल करने और मुस्ला करने की मुमानिअ़त वाली हदीस़ के रावी हज़रत अनस (رضي الله عنه) हैं। (मज़ीद देखिये, हदीस़: 4039)

बाब : (11) सूली पर लटकाने का बयान

باب(١١): الصَّلْبِ

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ "

(4053) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान शख़्स का ख़ून बहाना जायज़ नहीं मगर तीन जराइम में से किसी एक जुर्म की बिना पर: शादी शुदा ज़ानी को रज्म किया जायेगा। या जो शख़्स किसी दूसरे शख़्स को जान बूझ कर क़त्ल कर दे, उसे क़िसास़न क़त्ल किया जायेगा। या जो शख़्स इस्लाम से मुर्तद हो जाये और अल्लाह (عزوجل) और उसके रसूल से जंग करे उसे भी क़त्ल किया जायेगा या सूली पर लटकाया जायेगा या उसे जलावतन किया जायेगा।'

(4053) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3511, 4747.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है। **(2)** मालूम हुआ डाकू, बाग़ी और मुर्तद के सिलसिले में हाकिम को ऊपर दी गई सज़ाओं में से किसी एक का इख़्तियार है, यानी वह जुर्म की मुनासिबत से सज़ा कम व बेश कर सकता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (12)

(मुसलमानों का) गुलाम मुशिरकों के इलाक़े से भाग जाये तो? और शअबी से मरवी, जरीर की हदीस़ में नाक़िलीने हदीस़ के अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (١٢)

الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَرِيرٍ فِي ذَلِكَ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ

वज़ाहत : तर्जुमतुल बाब में मज़्कूरा इख़्तिलाफ़ दो तरह का है। रुवाते हदीस़ के माबैन वाक़ेअ होने वाले एक इख़्तिलाफ़ का ताल्लुक़ तो अल्फ़ाज़े हदीस़, यानी मतन से है। इस बाब के तहत मज़्कूरा अहादीस़ के मतन पर ग़ौर करने से ही अल्फ़ाज़ का इख़्तिलाफ़ वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है, जबकि दूसरे इख़्तिलाफ़ का ताल्लुक़ सनद से है। और वह इस तरह कि कुछ रावी इस हदीस़ को मरफ़ूअ बयान करते हैं और कुछ मौक़ूफ़। लेकिन इस हदीस़ का मरफ़ूअ होना ही राजेह है जैसा कि स़हीह मुस्लिम में इसकी स़राहत है। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 68, 69, 70)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ " .

(4054) हज़रत जरीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब गुलाम बिला इजाज़त भाग जाये तो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती यहाँ तक कि वह अपने मालिकों के पास वापस लौट आये।'

(4054) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3512.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत इस तरह बनती है कि अगर कोई गुलाम भाग कर मुशिरकों और काफ़िरों के इलाक़े में चला जाये और उन्ही से मिल जाये तो वह मुहारिब के हुक्म में होगा, चुनांचे उसका हुक्म ये है कि जब वह गिरफ़्त में आ जाये तो उसे क़त्ल कर दिया जाये जिस तरह कि हज़रत जरीर ने किया था। बाब मज़्कूर की दूसरी हदीस़ में इस वाक़िये की स़राहत मौजूद है। **(2)** नमाज़ क़बूल न होने से मुराद ये है कि उसे नमाज़ का स़वाब नहीं मिलेगा। अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल न होगी अगरचे वैसे नमाज़ किफ़ायत कर जायेगी, यानी उसके ज़िम्मे से नमाज़ का फ़रीज़ा साक़ित हो जायेगा और उसे उसकी क़ज़ा नहीं देनी पड़ेगी। कहा जाता है: 'किसी अ़मल की क़बूलियत उसके महज़ किफ़ायत करने से ख़ास़ है।' चूंकि किसी भी नेक स़ालेह अ़मल की क़बूलियत अज्र व स़वाब, अल्लाह तआला के कुर्ब और उसकी रज़ामन्दी के हुसूल का

सबब होती है जबकि अज्जा (किफ़ायत) का मतलब सिर्फ़ ये है कि जो ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ थी और जिस चीज़ का इन्सान मुकल्लफ़ था वह फ़र्ज उससे साक़ित हो गया है और बस। मज़ीद कोई अज्र व सवाब या अल्लाह तअला का क़ुर्ब व रज़ा उससे हासिल नहीं होता। जो गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर उसे छोड़ कर काफ़िरों और मुश्रिकों के इलाक़े में चला जाये तो इस तरह वह अपने मालिक का नुक़सान करता है, चुनांचे सज़ा के तौर पर उसकी नमाज़, बावजूद अदा करने के, बारगाहे इलाही में शर्फ़े क़बूलियत हासिल नहीं कर सकती। अलबत्ता उसके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ था वह साक़ित हो जायेगा क्योंकि नमाज़ की ज़ाती शराइत उसमें मौजूद हैं। और ये भी याद रहे कि ये इस सूरत में है कि उस ग़ुलाम का मक़सद सिर्फ़ इधर से भागना हो, उन काफ़िरों से मिल जाना मक़सद न हो। अगर उस ग़ुलाम का मक़सद महज़ उधर से भाग कर उधर जाना नहीं बल्कि उनके दीन को तर्जीह देना और पसन्द करना हो तो फिर ये ग़ुलाम मुर्तद और काफ़िर हो जायेगा। अब अगर बिलफ़र्ज़ नमाज़ पढ़े भी सही तो न वह नमाज़ सही होगी और न क़बूल ही होगी। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीस से ये मसला भी मालूम होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके कर लेने से, अदायगी के बावजूद, फ़राइज़ क़बूल नहीं होते। **(4)** कुफ़्र व शिर्क पर राज़ी और ख़ुश होना भी कुफ़्र है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا " . وَأَبَقَ غُلاَمٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(4055) हज़रत जरीर (ﷺ) नबी-ए-अकरम(ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं कि (आपने फ़रमाया:) 'जब कोई ग़ुलाम अपने मालिक से भाग जाये तो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती। अगर वह मर जाये तो कुफ़्र की हालत में मरेगा।' हज़रत जरीर का एक ग़ुलाम भाग गया था। वह उनकी गिरफ़्त में आया तो उन्होंने उसकी गर्दन उतार दी।

(4055) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3513, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : यहाँ एक ख़ास सूरत का ज़िक्र है कि जब ग़ुलाम भाग कर कुफ़्फ़ार के पास चला जाये जैसा कि बाब के उन्वान से मालूम होता है। इस सूरत में वह या तो मुर्तद होगा या कम अज़ कम बाग़ी। पहली सूरत में वह वजूबन और दूसरी सूरत में जवाज़न क़त्ल किया जायेगा। काफ़िरों से जा मिलना भी काफ़िर बनने के लिये ही है। तभी फ़रमाया कि अगर वह इस हाल में मर गया तो काफ़िर मरेगा। चाहे वह ऐलानिया मुर्तद न हुआ हो। आइन्दा अहादीस का मक़सूद यही है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ .

(4056) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि ग़ुलाम भाग कर मुश्रिकीन (और कुफ़्फ़ार) के इलाक़े में चला जाये तो उसके लिये मुसलमानों की अमान और पनाह नहीं रहती (यानी उसे क़त्ल किया जा सकता है।)

(4056) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3514.

بَاب(١٣): الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ

बाब : (13) अबू इस्हाक़ (की रिवायत) पर (रावियों के) इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .

(4057) हज़रत जरीर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ग़ुलाम भाग कर मुश्रिकीन के इलाक़े में चला जाये तो उसका ख़ून बहाना जायज़ हो जाता है।'

(4057) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4360, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3515.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، { عَنِ الشَّعْبِيِّ، } عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .

(4058) हज़रत जरीर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई ग़ुलाम भाग कर कुफ़्फ़ार के इलाक़े में चला जाये तो उसका ख़ून बहाना हलाल हो जाता है।'

(4058) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3516.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، { عَنْ إِسْرَائِيلَ، } عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ .

(4059) हज़रत जरीर (ﷺ) से मरवी है कि जो ग़ुलाम भाग कर काफ़िरों के इलाक़े में चला जाये। उसका ख़ून हलाल हो जाता है।

(4059) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3517.

أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ .

(4060) हज़रत जरीर (ﷺ) बयान करते हैं कि जो ग़ुलाम भाग कर मुश्रिकों के इलाक़े में चला जाये, उसका ख़ून बहाना जायज़ हो जाता है।

(4060) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3518.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ.

(4061) हज़रत जरीर (ﷺ) ने फ़रमाया: जो ग़ुलाम अपने मालिकों से भाग कर दुश्मनाने इस्लाम से जा मिले, उसने अपना ख़ून (मुसलमानों के लिये) हलाल कर दिया।

(4061) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3519.

باب(١٤): الْحُكْمِ فِي الْمُرْتَدِّ

बाब : (14) मुर्तद का हुक्म

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ " .

(4062) हज़रत उस्मान (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'किसी मुसलमान शख़्स का ख़ून बहाना जायज़ नहीं मगर तीन जराइम में से किसी एक की बिना पर: जो शख़्स शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे, उस पर रज्म की सज़ा है। जो शख़्स किसी को जानबूझ कर नाहक़ क़त्ल कर दे तो उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया जायेगा। और जो शख़्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाये तो उसे भी क़त्ल कर दिया जायेगा।'

(4062) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3520.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुताबिक़त बिल्कुल वाज़ेह है कि जो शख़्स मुर्तद हो जाये उसका हुक्म ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। **(2)** हज़रत उस्मान (ﷺ) ने ये बात उन बलवाइयों से फ़रमाई थी जिन्होंने उनका मुहासरा कर रखा था और बिल आख़िर उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया। **(3)** मुर्तद अपने इर्तिदाद पर क़ाइम रहे तो इत्तेफ़ाक़ है कि उसे क़त्ल कर दिया जायेगा।

हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उन्हें बिला दरेग़ क़त्ल किया। किसी सहाबी ने इस पर ऐतराज़ नहीं किया। गोया सहाबा का इस सज़ा पर इज्मा है। अलबत्ता मुर्तद उसे कहा जायेगा जो सराहतन जानबूझ कर कुफ़िया आमाल का इर्तिकाब करे या इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर दे या काफ़िरों से मिल जाये या रसूलुल्लाह (ﷺ) को गाली दे वग़ैरह। इस्लामी मज़हब के बाहमी फ़िक़्ही इख़्तिलाफ़ात की बिना पर किसी को मुर्तद नहीं कहा जायेगा जब तक वह उसूले दीन पर क़ाइम है।

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ " .

(4063) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तीन जराइम के बग़ैर किसी मुसलमान का ख़ून बहाना जायज़ नहीं: वह शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे या किसी इन्सान को क़त्ल करे तो उसे क़त्ल किया जायेगा। या मुसलमान होने के बाद काफ़िर बन जाये तो उसे भी क़त्ल किया जायेगा।'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3521, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 10/167, हदीस: 18702.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

(4064) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपना दीन बदले (इस्लाम को छोड़ कर कोई दूसरा दीन इख़्तियार कर ले) उसे क़त्ल कर दो।'

(4064) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3017, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3522.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दीन से मुराद दीने हक़, यानी इस्लाम है। ये सज़ा सिर्फ़ उस शख़्स के लिये है जो इस्लाम क़बूल करने के बाद दोबारा काफ़िर हो जाये। मुर्तद भी सिर्फ़ उसी शख़्स को कहा जायेगा क्योंकि आपका ख़िताब मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। **(2)** दीने इस्लाम से मुन्हरिफ़ होकर दूसरा दीन इख़्तियार कर लेने पर क़त्ल किये जाने का हुक्म मर्द व औरत सबको शामिल है। अहनाफ़ मुर्तद औरत के क़त्ल के क़ाइल नहीं मगर ये कि वह उस दर्जे की हो कि मुसलमानों को नुक़सान पहुँचा सके। गोया उनके नज़दीक क़त्ल इर्तिदाद की सज़ा नहीं बल्कि मुहारबा की सज़ा है, हालांकि हदीस में दीन तब्दील करने की सज़ा बयान की गई है न कि मुहारबा की।

(4065) हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि कुछ लोग इस्लाम से मुर्तद हो गये। हज़रत अली (ﷺ) ने उन्हें आग में जला दिया। हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) ने फ़रमाया अगर मैं सज़ा देता तो मैं उन्हें आग में न जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'तुम किसी को अल्लाह वाला अज़ाब न दो।' अगर मैं उन्हें सज़ा देता तो उन्हें सिर्फ़ क़त्ल ही कर देता क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जो शख़्स अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।'

(4065) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3523.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ نَاسًا، ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ، أُحَرِّقْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا " . وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

फ़ायदा : अल्लाह वाले अज़ाब से मुराद आग में जलाना है। ये अज़ाब सिर्फ़ अल्लाह तआला के इख़्तियार में है। किसी हैवान को भी आग में जलाया नहीं जा सकता।

(4066) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।'

(4066) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3524, व सहीह इब्ने हिब्बान: 6/323, हदीस: 4459.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "

(4067) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।'

(4067) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3525, देखें, हदीस: 4065.

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ .

(4068) हज़रत हसन बस़री से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ (मुसलमान होने के बाद) अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये हदीस़ अ़ब्बाद की हदीस़ से ज़्यादा दुरुस्त है।

(4068) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3526.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद ये है कि सईद अन क़तादा अन इक्रिमा अन इब्ने अ़ब्बास वाली मुहम्मद बिन बिश्र की रिवायत अगरचे मुर्सल है लेकिन ये अ़ब्बाद बिन अ़व्वाम की सईद अ़न क़तादा अ़न इक्रिमा अ़न इब्ने अ़ब्बास की मौसूल रिवायत के मुक़ाबले में ज़्यादा स़ही और दुरुस्त है, इसलिये कि मुहम्मद बिन बिश्र ख़ुद अ़ब्बाद बिन अ़व्वाम से अहफ़ज़ (ज़्यादा हाफ़िज़) है। अ़ब्बाद बिन अ़व्वाम भी अगरचे सिक़ा रावी है लेकिन इसकी सईद बिन अबी अ़रूबा से मरवी रिवायत में इज़्तेराब होता है। अ़ब्बाद की मज़्कूरा रिवायत मौसूलन भी स़ही है जैसा कि दूसरी स़ही सनदों से मौसूलन ये रिवायत मरवी है, ताहम इमाम अहमद (رحمه الله) का क़ौल यही है कि अ़ब्बाद, सईद बिन अबी अ़रूबा से मुज़्तरिबुल हदीस़ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

(4069) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।'

(4069) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3527.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4070) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) के पास कुछ सूडानी (या हिन्दुस्तानी) लोग लाये गये जिन्होंने (इस्लाम लाने के बाद) एक बुत की पूजा शुरू कर दी थी। आपने उन्हें आग में जला दिया।

إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो फ़रमाया था: 'जो मुसलमान अपना दीन बदल ले उसे क़त्ल कर दो।'

(4070) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3528.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ . فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا فَأُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ .

(4071) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद मोहतरम (हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷻ)) से बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा। जब वह आये तो कहने लगे: ऐ लोगो! मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ासिद हूँ। हज़रत अबू मूसा (ﷻ) ने उनके लिये तकिया या गद्दा रखा ताकि वह उस पर बैठें। इतने में एक आदमी लाया गया जो पहले यहूदी था, फिर मुसलमान हो गया, फिर काफ़िर बन गया। हज़रत मुआ़ज़ (ﷻ) ने फ़रमाया: मैं नहीं बैठूँगा यहाँ तक कि इसे क़त्ल कर दिया जाये। ये अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) का फ़ैसला है। तीन मर्तबा फ़रमाया, फिर जब उसे क़त्ल कर दिया गया तो आप बैठे।

(4071) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6923, मुस्लिम, हदीस: 1733/15, पहले, हदीस: 1825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3529.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस की बाब के साथ मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि मुर्तद अगर अपने इर्तिदाद से तौबा न करे तो उसका हुक्म ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। **(2)** इस हदीस से मालूम होता है कि हर शख़्स अपना तआ़रुफ़ करा सकता है, चाहे वह साहिबे मर्तबा हो या कोई आम आदमी हो जैसा कि हज़रत मुआ़ज़ (ﷻ) ने अहले यमन को अपना तआ़रुफ़ कराया। **(3)** इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि उलमा, उमरा और मुसलमान भाई एक दूसरे की ज़ियारत के लिये जा सकते हैं **(4)** इकरामे ज़ैफ़, यानी मेहमान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने पर भी ये हदीस दलालत करती है, जिस तरह कि हज़रत अबू मूसा (ﷻ) ने मुअ़ज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मुआ़ज़ (ﷻ) के लिये तकिया या गद्दा

वग़ैरह बिछाया था। (5) हदीस़ से ये मसला भी साबित होता है कि किसी भी मुन्कर और ग़ैर शरई काम के इन्कार में देर नहीं करनी चाहिए। (6) जिस शख़्स पर, उसके किसी जुर्म की वजह से, हद वाजिब हो चुकी हो उस पर हद क़ाइम करना ज़रूरी है। (7) ये हदीस़ दलील है कि शरई हद की तन्फ़ीज़, हाकिमे वक़्त की शरई ज़िम्मेदारी है, इसमें सुस्ती, ग़फ़लत और अपनी सवाबदीद पर माफ़ी देना दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम!

(4072) हज़रत मुसअब बिन सअद अपने वालिद मोहतरत (हज़रत सअद (ﷺ)) से बयान फ़रमाते हैं: जिस दिन मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार मर्दों और दो औरतों के सिवा तमाम लोगों को अमान दे दी। आपने फ़रमाया: 'अगर तुम उनको काबा शरीफ़ के पर्दों से लटका हुआ पाओ, तब भी क़त्ल कर दो।' (वह चार मर्द ये थे:) इक्रिमा बिन अबी जहल, अब्दुल्लाह बिन ख़तल, मिक़्यस बिन सुबाबा और अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह। अब्दुल्लाह बिन ख़तल काबे के पर्दों से लटका हुआ पाया गया। हज़रत सईद बिन हुरैस़ और हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) उसकी तरफ़ लपके। सईद अम्मार से पहले पहुँच गये क्योंकि वह अम्मार की निस्बत जवान थे। उन्होंने उसे क़त्ल कर दिया। मिक़्यस बिन सुबाबा को लोगों ने बाज़ार में पकड़ लिया और क़त्ल कर दिया। इक्रिमा भाग कर समन्दर में कश्ती पर सवार हो गया। बहुत तेज हवा चल पड़ी। (कश्ती तूफ़ान में फँस गई) कश्ती वाले कहने लगे: अब ख़ालिस़ अल्लाह तआला को पुकारो क्योंकि तुम्हारे माबूद (बुत वग़ैरह) यहाँ (तूफ़ान में) तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। इक्रिमा ने कहा: अगर समन्दर में ख़ालिस़ अल्लाह तआला को पुकारने के अलावा

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ " اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ " . عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا - وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ - فَقَتَلَهُ وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ أَخْلِصُوا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لاَ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَا هُنَا . فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللَّهِ

لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلاَّ الإِخْلاَصُ لاَ يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ فَلأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا . فَجَاءَ فَأَسْلَمَ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ " . فَقَالُوا وَمَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ هَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ . قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ " .

निजात नहीं तो ख़ुश्की में भी ख़ालिस अल्लाह तआला को पुकारे बग़ैर निजात नहीं मिल सकती। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से अहद करता हूँ कि अगर तू मुझे इस मुसीबत से, जिसमें मैं फँस चुका हूँ, बचा ले तो मैं ज़रूर हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास जाकर अपना हाथ उनके हाथ में दे दूँगा और मुझे यक़ीन है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और एहसान करने वाला पाऊँगा। फिर वह आये और मुसलमान हो गये। बाक़ी रहा अब्दुल्लाह बिन अबी सरह! तो वह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) के पास छुप गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को बैत के लिये बुलाया तो हज़रत उस्मान उसे लेकर आये यहाँ तक कि उसे बिल्कुल आपके पास खड़ा कर दिया और अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! अब्दुल्लाह से बैत ले लें। आप सर उठाकर उसे देखने लगे। तीन बार हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) ने यही गुज़ारिश की। आप हर दफ़ा (अमलन) इन्कार फ़रमा रहे थे। आख़िर तीसरी बार के बाद आपने बैत ले ली, फिर आप अपने सहाबा की तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई समझदार शख़्स नहीं था कि जब तुम देख रहे थे कि मैंने उसकी बैत लेने से हाथ रोके रखा है तो कोई शख़्स उठता और उसे क़त्ल कर देता।' उन्होंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालूम न था कि आपके दिल में क्या है? आप आँख से हल्का सा इशारा फ़रमा देते। आपने फ़रमाया: 'नबी के लाइक़ नहीं कि उसकी आँख ख़ाइन (खयानत करने वाली) हो।'

(4072) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद : 3683, 4359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3530.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि बैतुल्लाह में हुदूद क़ाइम की जा सकती हैं लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मसाजिद में हुदूद क़ाइम करने से रोका है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4490) जब आम मसाजिद में हुदूद क़ाइम करना मना है तो बैतुल्लाह में बिल औला मना होगा, ताहम अगर कोई मुजरिम वहाँ छुपता है तो उसको वहाँ से निकाल कर उस पर हद क़ाइम की जा सकती है। जहाँ तक इब्ने ख़तल के क़त्ल का ताल्लुक़ है तो उसका जवाज़ उसी वक़्त से मुक़य्यद होगा क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है कि बैतुल्लाह को महदूद वक़्त के लिये मेरे लिये हलाल किया गया था, अलबत्ता हुदूदे हरम के अन्दर शरई हद क़ाइम की जा सकती है। **(2)** तौहीदे ख़ालिस, अल्लाह की बारगाह में इल्तेजा और इज्ज़ो-न्याज़ की वजह से दुनियावी मुसीबतें भी टल जाती हैं और इन्सान मुश्किलात से सही सलामत बच निकलता है। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ल्क़े अज़ीम के मालिक थे। (व इन्नक लअला ख़ुलुकिन अज़ीम) (अल क़लम 68/4) मकारिमे अख़्लाक़ में आप दर्जे-ए-कमाल पर फ़ाइज़ थे। माफ़ करना, दरगुज़र से काम लेना, और अपनी बा कमाल शफ़क़त व रहमत से शाद काम करना, आपके ऐसे आलीशान और उम्दा फ़ज़ाइल व ख़साइल हैं कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनका ऐतराफ़ करने पर मजबूर है। अबू जहल मलऊन के बेटे, जलीलुल क़द्र सहाबी-ए-रसूल हज़रत इक्रिमा (رضي الله عنه) का इक़रार इसकी वाज़ेह दलील है। **(4)** अल्लाह तआला जिसके साथ ख़ैरो भलाई का इरादा करे, उसे वह भलाई और ख़ैर मिल कर ही रहती है। अल्लाह (ﷻ) के इरादे के मुक़ाबले में किसी का इरादा, ख़्वाहिश और चाहत पूरी होती है न रुकावट ही बन सकती है। **(5)** क़राइने कविय्या पाये जाने की वजह से किसी भी अमल की गुंजाइश निकलती है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का बैत न लेना एक क़वी क़रीना था कि उसे क़त्ल किया जा सकता है। अगर कोई इस क़रीने को समझते हुये अब्दुल्लाह बिन सअद को क़त्ल कर देता तो जायज़ था। **(6)** सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) कमाल दर्जे के मुअद्दबे रसूल थे कि आपका सरीह हुक्म न मिलने की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़े मुजरिम को भी क़त्ल नहीं किया। **(7)** अम्बिया व रुसूल इन्तेहाई अरफ़अ व आला शान के मालिक होते हैं बख़िलाफ़ मुलूक व सलातीन, उमरा व वुज़रा और अवामुन्नास के, कि वह ख़ुफ़ीया ज़रिये, इशारे और तरीक़े से लोगों के साथ क़तअन कोई मामला नहीं करते। **(8)** आँख वग़ैरह से मख़्फ़ी इशारा करने को ख़्यानत क़रार दिया गया है, लिहाज़ा किसी भी दीनदार और अच्छे इन्सान के लिये ये रवा नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐब है। **(9)** 'चार मर्द दो औरतें' दीगर रिवायात में और मर्दों औरतों का भी ज़िक्र है, जैसे: वहशी बिन हर्ब और मफ्सद वग़ैरह, अलबत्ता किसी और मर्द और औरत को क़त्ल नहीं किया गया। इन चार मर्द और दो औरतों में से भी कुछ को माफ़ी मिल गई। **(10)** इन चार मर्दों में से तीन अब्दुल्लाह बिन ख़तल, मिक़्यस बिन सुबाबा और अब्दुल्लाह बिन अबी सरह मुसलमान होकर बाद में मुर्तद हो गये थे। अब्दुल्लाह बिन अबी सरह दोबारा मुसलमान हो गये और हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) की सिफ़ारिश पर उनको माफ़ी मिल गई। अब्दुल्लाह बिन ख़तल और मिक़्यस बिन सुबाबा दोनों पर क़त्ल का जुर्म भी साबित था।

दोनों ने एक एक मुसलमान क़त्ल किया था और भाग कर मक्का आ गये और मुर्तद हो गये थे, लिहाज़ा उनको क़त्ल और इर्तिदाद के जुर्म में क़त्ल कर दिया गया। क़त्ल की वजह से उनको माफ़ी न मिल सकती थी। अलबत्ता इक्रिमा बिन अबी जहल का कोई ऐसा जुर्म न था बल्कि उनको अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का बेटा होने और कुफ़्फ़ारे कुरैश का सरदार होने की वजह से क़त्ल का मुस्तहिक़ ठहराया गया। लेकिन उनकी बीवी उम्मे हकीम बिन्ते हारिस़ (ﷺ) ने उनके लिये अमान हासिल की और उनको यमन से वापस ले आई और वह मुसलमान हो गये और ख़ूब मुसलमान हुये यहाँ तक कि फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करते हुये शहीद हुये। (ﷺ). **(11)** दो औरतें अब्दुल्लाह बिन ख़तल की लौण्डियाँ थीं जिनको उसने मुर्तद होने के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिजू और तौहीन के लिये मुक़र्रर किया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की तौहीन भी सज़ा-ए-मौत का मुस्तहिक़ बना देती है। मगर एक लौण्डी के मुसलमान हो जाने की वजह से उसको माफ़ कर दिया गया और दूसरी को क़त्ल कर दिया गया। **(12)** इन मर्द व औरत के अलावा हुवैरिस़ बिन नक़ीद को भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की हजू व तौहीन की सज़ा में क़त्ल कर दिया गया। बाक़ी सब मक्का वालों को माफ़ी मिल गई। **(13)** 'उसकी आँख ख़ाइन हो' आप हज़रत उस़्मान (ﷺ) की वजह से क़त्ल का हुक्म नहीं दे रहे थे लेकिन अगर कोई क़त्ल कर देता तो आप रोकते भी न क्योंकि उसके क़त्ल का फ़रमान तो जारी हो चुका था। इस बात को कोई समझ लेता तो उसे क़त्ल कर देता। आपके बैत न लेने में भी इस तरफ़ इशारा था कि क़त्ल का फ़रमान क़ाइम है। आँख से इशार-ए-क़त्ल आप नहीं फ़रमा सकते थे क्योंकि जो बात ज़बान से नहीं कह रहे थे, उसे आँख से कहना ख़यानत की ज़ेल में आ सकता है। कि हज़रत उस़्मान(ﷺ) से छुपा कर क़त्ल का हुक्म देते। ये नबी की शान के लाइक़ न था। कोई शख़्स ख़ुद से नहीं उठा, लिहाज़ा आख़िर आपने बैत ले ली। (ﷺ). **(14)** स़ाबित हुआ मुर्तद तौबा करे और इस्लाम क़बूल करने का ऐलान करे तो उसकी सज़ा की माफ़ी हाकिमे वक़्त का इख़्तियार है।

बाब : (15)
मुर्तद की तौबा (क़बूल हो सकती है)

باب(١٥): تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ

(4073) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि अन्स़ार में से एक आदमी मुसलमान हो गया, फिर मुर्तद हो गया और मुश्रिकों से जा मिला। बाद में वह शर्मिन्दा हुआ तो उसने अपनी क़ौम को पैग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछो, क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? उसकी क़ौम के लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ

إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ فُلاَنًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَنَزَلَتْ { كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ } إِلَى قَوْلِهِ { غَفُورٌ رَحِيمٌ } " . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ .

कहने लगे कि फ़ुलां शख़्स नादिम है और उसने हमें पैग़ाम दिया है कि हम आपसे पूछें, क्या उसकी तौबा क़बूल हो सकती है? चुनांचे ये आयत उतरी (कैफ़ यहदिल्लाहु ......) 'अल्लाह तआला उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गये, जबकि वह गवाही दे चुके कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) बरहक़ हैं और उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकीं और अल्लाह ज़ालिम क़ौम को हिदायत नहीं देता। उन लोगों की सज़ा यही है कि उन पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वह इस (लानत) में हमेशा रहेंगे, उनसे अज़ाब न तो हल्का किया जायेगा और न उनको मोहलत ही दी जायेगी। मगर जिन लोगों ने इसके बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली, बेशक अल्लाह तआला बहुत दरगुज़र और निहायत रहम करने वाला है।' फिर उसे पैग़ाम भेजा गया और वह मुसलमान हो गया।

(4073) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/247, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3531, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1728, वलहाकिम: 2/142, 4/366, वलज़हबी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत वाज़ेह है कि मुर्तद की तौबा क़ाबिले क़बूल है। (तौबा न करने की सूरत में उसकी सज़ा क़त्ल है) **(2)** हदीस शरीफ़ से कुछ आयाते कुर्आनी का सबबे नज़ूल मालूम होता है। **(3)** इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि इर्तिदाद की वजह से साबिक़ा तमाम आमाले सालेहा बातिल और ज़ाया हो जाते हैं। **(4)** ख़ालिस तौबा करने से तमाम बुरे आमाल और कुफ़्रिया व शिर्किया अक़ाइद मिट जाते हैं, ख़्वाह जिस नोईयत ही के हों। **(5)** ये हदीस शरीफ़ अल्लाह तआला की कमाल मेहरबानी, वाफ़िर फ़ज़्ल व करम और वुस्अते माफ़ी पर भी दलालत करती है कि अगर कोई शख़्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अम्दन ऐराज़ करता है, फिर तौबा करता है तो उसे भी माफ़ी मिल जाती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ } إِلَى قَوْلِهِ { لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4074) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने सूर-ए-नहल की आयत: (मन कफ़र ....) 'जो शख़्स अपने ईमान लाने के बाद कुफ़्र करे, सिवाए इसके जिस पर जब्र किया गया और उसका दिल ईमान पर मुत्मइन था, लेकिन जिसने कुफ़्र के लिये अपना सीना खोल दिया (राज़ी ख़ूशी कुफ़्र किया) तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब है और उनके लिये बहुत बड़ा अ़ज़ाब है।' के बारे में फ़रमाया कि फिर उसे मन्सूख़ कर दिया गया, यानी उससे ये मुस्तस़ना कर लिया गया। (सुम्मा इन्ना रब्बक ......) 'फिर तेरा रब उन लोगों को जिन्होंने आज़माइश में पड़ने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और स़ब्र किया (स़ाबित क़दम रहे) बेशक आपका रब इन (आज़माइशों) के बाद (उन लोगों को) बहुत माफ़ फ़रमाने वाला और रहम करने वाला है।' इससे मुराद अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबू सरह हैं जो (बाद में हज़रत उ़स्मान (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में) मिस्र के गवर्नर रहे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये (वह्य व ख़ुतूत वग़ैरह) लिखा करते थे। शैतान ने उन्हें फुसला दिया और और वह काफ़िरों से जा मिले। फ़तहे मक्का के दिन आपने उनके क़त्ल का हुक्म जारी फ़रमा दिया लेकिन हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (ﷺ) ने उनके लिये पनाह माँगी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें पनाह दे दी (और उनका इस्लाम क़बूल कर लिया)

(4074) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3532.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब से हदीस़ शरीफ़ की मुताबिक़त बिलकुल वाज़ेह है कि मुर्तद की तौबा भी क़बूल है। (2) आयात व अहकामे इलाही का नस्ख़ शरअन स़ाबित है और इस मसले की बाबत अहले इस्लाम का इज्मा है कि दीन में कई अहकाम पहले दिये गये, बाद में उन्हें मन्सूख़ कर दिया गया। फिर कभी तो उन साबिक़ा अहकाम की मिस्ल अ़ता फ़रमाया गया और कभी उनसे भी बेहतर। इरशादे बारी है: 'जिस आयत को हम मन्सूख़ कर दें या भुला दें, उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं।' (अल बक़र: 2/106) (3) तशरीह व तन्सीख़ अहकाम में महज़ अल्लाह (ﷻ) की हिकमते बालिग़ा कार फ़रमा है। वह हर चीज़ को ख़ूब जानता और हर चीज़ पर ख़ूब क़ुदरत रखता है। जब, और जब तक वह चाहता है किसी चीज़ की बाबत उसे बजा लाने का हुक्म फ़रमाता है और जिस वक़्त चाहता है उसे ख़त्म फ़रमा देता है। वह (फ़अ़आलुल लिमा युरीदु) है। (4) ये हदीस़ दलालत करती है कि अगर किसी को ज़बरदस्ती कुफ़्र करने पर मजबूर कर दिया जाये जबकि उस शख़्स़ का दिल ईमान पर मुत्मइन हो तो वह शख़्स़ क़ाबिले मुवाख़िज़ा नहीं। (5) इससे ये मसला भी स़ाबित हुआ कि जब ज़बरदस्ती कराये जाने वाले कुफ़्र पर गिरफ़्त नहीं तो जो ..... कुफ़्रिया आमाल ..... उससे कम तर दर्जे के हैं, उन पर बतरीक़े औला कोई मुवाख़िज़ा नहीं होगा। बन्दूक़ के ज़ोर पर या किसी और तरीक़े से ज़बरदस्ती की जाने वाली तलाक़ भी नाफ़िज़ नहीं होगी। (6) किसी भी मामले में जायज़ सिफ़ारिश, हाकिम या ग़ैर हाकिम के पास की जा सकती है जैसा कि हज़रत उ़स्मान (ؓ) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबू सरह (ؓ) की सिफ़ारिश रसूलुल्लाह (ﷺ) से की थी। (7) हाकिम चाहे तो किसी की जायज़ सिफ़ारिश क़बूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे उसे इसका इख़्तियार है। (8) रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ हज़रत उ़स्मान (ؓ) का अ़ज़ीम मक़ाम व मर्तबा भी इस हदीस़े पाक से मालूम होता है कि आपने एक बहुत बड़े मुजरिम की बाबत उनकी सिफ़ारिश क़बूल फ़रमा ली, हालांकि इससे पहले नबी (ﷺ) उसे क़त्ल करने का हुक्म स़ादिर फ़रमा चुके थे और हरम शरीफ़ के अन्दर भी उसका ख़ून बहाना जायज़ और हलाल हो चुका था। (9) ये हदीस़ दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कमाल दर्जे के मेहरबान व शफ़ीक़ इन्सान थे। मुर्तद हो जाने वाले, इन्तेहाई ईज़ा रसां शख़्स़ को माफ़ कर देना, आपके रहमतुल लिल आ़लमीन होने का अ़जीब मज़्हर है। (ﷺ). (10) इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि मुर्तद मर्द और मुर्तद औ़रत अगर तौबा कर लें और दोबारा इस्लाम क़बूल कर लें तो उनको क़त्ल नहीं किया जायेगा। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ बिन जबल(ؓ) को यमन भेजते वक़्त इरशाद फ़रमाई थी। अगर वह तौबा न करें तो उन्हें बे दरेग़ क़त्ल कर दिया जायेगा, मर्द हो या औ़रत। अहनाफ़ औ़रत को इर्तिदाद की सज़ा में क़त्ल करने के क़ाइल नहीं मगर उनके पास उसकी कोई दलील नहीं।

बाब : (16) जो शख़्स नबी-ए-अकरम (ﷺ) को गाली दे, उसके लिये क्या हुक्म है?

الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ

(4075) हज़रत उ़स्मान शह्हाम से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं एक नाबीना शख़्स को लिये जा रहा था कि मैं हज़रत इक्रिमा के पास पहुँचा तो वह बयान फ़रमाने लगे कि मुझे इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में एक नाबीना शख़्स था। उसकी एक लौण्डी थी जिससे उसके दो बेटे भी थे लेकिन वह अक्सर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऐबजोई किया करती और आपको गालियाँ बकती थी। वह (नाबीना शख़्स) उसे डाँटता था मगर वह बाज़ न आती थी, वह उसे रोकता था मगर वह रुकती न थी। (वह नाबीना शख़्स कहते हैं:) एक रात मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) का ज़िक्र किया तो उसने आपको फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो मैं स़ब्र न कर सका। मैंने एक ख़ंजर पकड़ा और उसके पेट पर रख कर ऊपर से पूरा बोझ डाल दिया और उसे क़त्ल कर दिया। सुबह हुई तो उसके क़त्ल का शोर मच गया। नबी (ﷺ) से भी उस (के क़त्ल) का तज़्किरा किया गया, चुनांचे आपने सब लोगों को इकट्ठा किया और फ़रमाया: 'मैं उस शख़्स को जिस पर मेरा हक़ है और उसने ये काम किया है, अल्लाह की क़सम देकर कहता हूँ कि वह खड़ा हो जाये।' चुनांचे वह नाबीना शख़्स लड़खड़ाता हुआ आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उसे क़त्ल किया है। ये मेरी लौण्डी थी और मेरे साथ बहुत

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ كُنْتُ أَقُودُ رَجُلاً أَعْمَى فَانْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَسُبُّهُ فَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَعَتْ فِيهِ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَأَصْبَحَتْ قَتِيلاً فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ " أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلاَّ قَامَ " . فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي

وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ‏"‏ ‏.‏

शफ़क़त और मोहब्बत करने वाली थी और उससे मेरे मोतियों जैसे दो बेटे भी हैं लेकिन वह अक्सर आपकी ऐबजोई किया करती थी और आपको गालियाँ बकती थी। मैं उसे रोकता था, वह रुकती न थी। मैं उसे डाँटता था, वह समझती न थी। गुज़िश्ता रात मैंने आपका ज़िक्र किया तो वह आपको बुरा भला कहने लगी। (मैं स़ब्र न कर सका) मैंने ख़ंजर पकड़ा और उसके पेट पर रख कर पूरा बोझ डाल दिया यहाँ तक कि मैंने उसे क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! गवाह रहो कि उसका ख़ून ज़ाया है। (उसके क़त्ल का क़िस़ास़ है न दियत)'

(4075) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4361, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3533.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** हदीस़ की बाब के साथ मुनासिबत बिल्कुल स़रीह है कि नबी (ﷺ) को गाली बकने वाले की सज़ा क़त्ल है। **(2)** अल्लाह तआला की ज़ाते अक़्दस और नबी (ﷺ) की पाकीज़ा ज़ात की बाबत इस क़िस्म की ज़बान दराज़ी करने से ज़िम्मी शख़्स़ का ज़िम्मा और मुसलमान का इस्लाम ख़त्म हो जाता है। **(3)** इस हदीस़ से मालूम हुआ नबी-ए-अकरम (ﷺ) को गाली देने वाला वाजिबुल क़त्ल है, ख़्वाह मर्द हो या औरत। वह अगर मुसलमान था तो गाली देने से काफ़िर व मुर्तद बन गया क्योंकि रिसालत की तस्दीक़ न रही, और एक मुसलमान के लिये तौहीद व रिसालत की तस्दीक़ ज़रूरी चीज़ है, लिहाज़ा उसे इर्तिदाद वाली सज़ा दी जायेगी। और अगर वह ज़िम्मी था तो आप (ﷺ) को गाली देने से उसका ज़िम्मा ख़त्म हो गया क्योंकि इस्लामी हुकूमत के तहत काफ़िरों के लिये ज़िम्मा और पनाह रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से है, और आपको गाली देना ज़िम्मे से दस्त बरदार होने के मुतरादिफ़ है, इसलिये उसका ख़ून मासूम व महफ़ूज़ न रहा, चुनांचे उसे क़त्ल किया जायेगा। मज़्कूरा हदीस़ इस मआनी में स़रीह़ है। वह लौण्डी भी काफ़िर और ज़िम्मी थी, मुसलमान न थी। कअब बिन अशरफ़ का क़त्ल भी इस मसले की वाज़ेह दलील है। मगर ये कि वह तौबा कर के मुसलमान हो जाये क्योंकि इस्लाम पहले के हर गुनाह को ख़त्म कर देता है। अइम्म-ए किराम में से सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) से मन्क़ूल है कि 'ज़िम्मियों को इस जुर्म में क़त्ल न किया जायेगा क्योंकि उनके दूसरे अक़ाइद जो ख़ालिस़ कुफ़्र व शिर्क हैं, उनके ख़ून को मुबाह नहीं करते तो ये जुर्म कैसे मुबाह कर देगा?'

हालांकि उनको अपने अक़ाइद व आमाल पर कारबन्द रहने की इजाज़त है मगर ऐलानिया नहीं। नबी (ﷺ) को गाली बकना कोई मख़्फ़ी चीज़ नहीं बल्कि ये ऐलानिया होगा, और जिस तरह उन्हें ये इजाज़त नहीं कि किसी को क़त्ल करें, उसी तरह उनको ये भी इजाज़त नहीं कि आप (ﷺ) को गाली दें। आप (ﷺ) को गाली देना यक़ीनन एक मुसलमान को क़त्ल करने से बढ़ कर है। उनका ज़िम्मी होना उन्हें हर मनमानी की इजाज़त नहीं देता। आम आदमी को भी गाली देने की इजाज़त नहीं चे जाये कि मुसलमानों के जान व ईमान से बढ़ कर मोहतरम नबी-ए-अकरम (ﷺ) को (खाकम बदहन) गाली देने की इजाज़त हो। **(4)** आफ़रीन सद आफ़रीन है उस नाबीना सहाबी की ईमानी ग़ैरत और दीनी हमियत पर कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की मोहब्बत में ऐसे डूबे हुये थे जिसकी मिसाल नापैद है। हर चन्द वह ज़ाहिरी बसारत से महरूम थे, मगर उसकी तलाफ़ी उनकी बसीरत और हुब्बे रसूल की मेराज से हो गई। इस ग़य्यूर शख़्स ने अपने मासूम बच्चों की माँ, अपनी कोर चश्मी की लाठी और जाँनिसार रफ़ीक़-ए-ज़िन्दगी को आपकी गुस्ताख़ी पर मौत के घाट उतार दिया, इसलिये कि वह उसकी मताऐ ईमान व दीन की ग़ारतगर थी। इस बे अदब लौण्डी का जुर्म इस क़द्र संगीन था कि जिसमें मुदाहनत करना और चश्मपोशी से काम लेना मोमिन की दीनी ग़ैरत व हमियत के मुनाफ़ी और उसकी शाने इस्लाम के ख़िलाफ़ है। **(5)** इस हदीस शरीफ़ से सहाब-ए-किराम (ﷺ) की इस क़ल्बी उल्फ़त व मोहब्बत और शुऊरी व बा बसीरत अक़ीदत की निशानदेही भी होती है कि जिसके मुक़ाबले में वह लोग अफ़रादे मख़्लूक़ में से किसी क़रीबी से क़रीबी अज़ीज़ और ताल्लुक़दार की मोहब्बत को ख़ातिर में लाते न किसी क़िस्म की मसलिहत ही को आड़े आने देते थे। (ﷺ).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ أَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَذَا لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4076) हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के बारे में कोई बकवास बका। मैंने कहा: मैं इसे क़त्ल कर दूँ? उन्होंने मुझे डाँटा और फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद ये किसी का हक़ नहीं।

(4076) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3534, अबू दाऊद, हदीस: 4363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़लीफ़-ए-बिला फ़स्ल, यानी ख़लीफ़-ए-अव्वल के फ़रमान से साफ़ मालूम हो गया कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के नज़दीक रसूलुल्लाह (ﷺ) को गाली बकने वाला वाजिबुल क़त्ल है। **(2)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि सहाबा को या किसी मुसलमान हुक्मरान

को गाली देने वाला क़त्ल का मुस्तहिक़ नहीं क्योंकि नबी (ﷺ) के फ़रमान की रू से वह फ़ासिक़ है, काफ़िर नहीं। उसे कोई और सज़ा दी जायेगी, जैसे: क़ैद, कोड़े, जलावतनी वग़ैरह। **(3)** इस हदीस़ शरीफ़ से स़ाबित होता है कि ख़लीफ़-ए-बिला फ़स्ल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) इन्तेहाई मुतहम्मिल मिज़ाज, बा हौस़ला और बहुत ज़्यादा दरगुज़र करने और माफ़ करने वाले इन्सान थे। **(4)** हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) ख़लीफ़-ए-रसूल की मोहब्बत में इस क़द्र सरशार थे कि उनकी ज़ात के मुताल्लिक़ सूए अदबी के मुर्तकिब शख़्स़ का सर तन से जुदा करने पर तैयार हो गये थे।

बाब : (17) इस हदीस़ में आमश पर (उसके शागिर्दों के) इख़्तिलाफ़ का बयान

باب(١٧): ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الأَعْمَشِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि जब अबू मुआविया ये रिवायत आमश से बयान करते हैं तो वह अम्र बिन मुर्रा और अबू बर्ज़ा के दरम्यान सालिम बिन अबी जअद का वास्ता बयान करते हैं जबकि यअ्ला बिन उबैद जब आमश से बयान करते हैं तो इन दोनों के दरम्यान में उबैद अबुल बख़्तरी का वास्ता बयान करते हैं। ये इख़्तिलाफ़ हदीस़ की सेहत को मुतास्सिर नहीं करता क्योंकि मुमकिन है आमश ने दोनों से सुना हो। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لِمَ قُلْتُ لأَضْرِبَ عُنُقَهُ إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ . قَالَ أَفَكُنْتَ فَاعِلاً قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَوَاللَّهِ لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَا كَانَ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

(4077) हज़रत अबू बर्ज़ा (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) एक आदमी पर नाराज़ हुये (क्योंकि उसने आपको गाली दी थी) मैंने कहा: ऐ ख़लीफ़-ए-रसूल! ये कौन शख़्स़ है? फ़रमाया: क्यूँ? मैंने कहा: ताकि मैं उसकी गर्दन उतार सकूँ बशर्ते कि आप मुझे हुक्म दें। उन्होंने फ़रमाया: तू ऐसे कर गुज़रेगा? मैंने कहा: हाँ। हज़रत अबू बर्ज़ा कहते हैं: अल्लाह की क़सम! जो बात मैंने कही थी उसकी अज़्मत ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) का गुस्सा ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने फ़रमाया: ये हक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद किसी और को हासिल नहीं।

(4077) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3535.

(4078) हज़रत अबू बर्ज़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पास से गुज़रा तो वह अपने साथियों में से किसी आदमी पर ग़ुस्सा हो रहे थे। मैंने अ़र्ज़ की: ऐ ख़लीफ़-ए-रसूलुल्लाह! ये कौन शख़्स है जिस पर आप इस क़द्र नाराज़ हो रहे हैं? फ़रमाने लगे: तुम इस बारे में क्यूँ पूछ रहे हो? मैंने कहा: मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँगा। हज़रत अबू बर्ज़ा ने कहा: अल्लाह की क़सम! मेरी इस बात ने उनका ग़ुस्सा ख़त्म कर दिया। फिर आपने फ़रमाया: ये हज़रत मुहम्मद(ﷺ) के बाद (आपके अ़लावा) किसी का हक़ नहीं।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ هَذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ قَالَ وَلِمَ تَسْأَلُ قُلْتُ أَضْرِبُ عُنُقَهُ . قَالَ فَوَاللَّهِ لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَا كَانَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

(4078) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3536.

(4079) हज़रत अबू बर्ज़ा (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) किसी आदमी पर बहुत नाराज़ हुये। मैंने कहा: अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं कर गुज़रूँ (इसे क़त्ल कर दूँ) उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के बाद किसी इन्सान को ये हक़ हासिल नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ . قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

(4079) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3537.

फ़ायदा : 'ये हक़ हासिल नहीं' कि उसके कहने से किसी को क़त्ल कर दिया जाये, बग़ैर तहक़ीक़ के कि वह क़त्ल का मुस्तहिक़ है या नहीं। ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की शान है कि आप जो भी फ़रमायें, उस पर बिला तहक़ीक़ अ़मल किया जायेगा। दूसरे हर शख़्स की बात की तहक़ीक़ की जायेगी। स़ही हो तो अ़मल किया जायेगा वरना छोड़ दिया जायेगा, ख़्वाह वह ख़लीफ़ा और हाकिम हो या कोई कमाण्डर। दूसरे मआनी पीछे गुज़र चुके हैं कि सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) को गाली देने की सज़ा क़त्ल है, किसी और का ये मर्तबा नहीं, ख़्वाह वह स़हाबी ही हो।

أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَغَيَّرَ لَوْنُهُ قُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ . قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا بَرْزَةَ وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَبُو نَصْرٍ وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ خَالَفَهُ شُعْبَةُ .

(4080) हज़रत अबू बर्ज़ा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) एक आदमी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुये यहाँ तक कि उनका रंग बदल गया। मैंने अर्ज़ की: ऐ ख़लीफ़-ए-रसूलुल्लाह! अल्लाह की क़सम! अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इसकी गर्दन उतार दूँगा। (मेरी इस बात से) गोया उन पर ठण्डा पानी डाल दिया गया, चुनांचे उस शख़्स पर से उनका ग़ुस्सा ख़त्म हो गया। और फ़रमाने लगे: ऐ अबू बर्ज़ा! तेरी माँ तुझे गुम पाये! रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद किसी का ये मर्तबा और हक़ नहीं।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये ग़लत है। दुरुस्त अबू नस्र है और इस (अबू नस्र) का नाम हुमैद बिन हिलाल है। शोबा ने ज़ैद बिन अबू उनैसा की मुख़ालफ़त की है (यानी अ़म्र बिन मुर्रा से इसकी रिवायत में मुख़ालिफ़त की है)

(4080) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3538.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ये फ़रमाना चाहते हैं कि अ़म्र बिन मुर्रा से मज़्कूरा हदीस ज़ैद ने बयान की तो अ़न अ़म्र बिन मुर्रा अ़न अबी नज़्रा कहा। लेकिन अ़म्र बिन मुर्रा से यही रिवायत इमाम शोबा ने बयान की तो फ़रमाया: अ़न अ़म्र बिन मुर्रा क़ाल: समिअ़्तु अबा नस्र, यानी अबू नज़्रा (बिज़्ज़ाद) के बजाये अबू नस्र (बिस्साद) कहा, और इसमें यानी जो हालते वक़्फ़ में 'ह' पढ़ी जाती है, वह भी बयान नहीं की, सिर्फ़ अबू नस्र कहा और बस। इमाम नसाई(رحمه الله) का मक़्सद ये है कि शोबा ने ज़ैद की मुख़ालिफ़त की है और वह ज़ैद से अहफ़ज़ व अत्क़न है, इसलिये शोबा की बात दुरुस्त है और सही लफ़्ज़ अबू नस्र है, जबकि ज़ैद की बात मबनी बर ख़ता है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'रंग बदल गया' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) इन्तेहाई बुर्दबार और मुतहम्मिल मिज़ाज़ शख़्स थे। जल्दी और ज़्यादा ग़ुस्से में नहीं आते थे। उस शख़्स ने कोई बड़ी ग़लती या गुस्ताख़ी की होगी जिस पर इस क़द्र ग़ुस्सा आ गया। (ﷺ). **(3)** 'ठण्डा पानी' क़ुर्बान जाइये ख़लीफ़-ए-रसूल पर कि ग़लत बात सुन कर हालत बदल गई, हालांकि ज़ाहिरन ये बात उनके हक़ में थी। अगर कोई ख़ुशामद पसन्द बादशाह होता तो उसका पारा और चढ़ता मगर ये ख़लीफ़ा-ए रसूल थे। फ़ौरन नाराज़ी का इज़्हार

फ़रमाया कि मेरे बारे में ग़ुलू क्यूँ किया? याद रहे ख़लीफ़-ए-रसूल का लक़ब सिर्फ़ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के साथ ख़ास था, बाक़ी तमाम ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। और हक़ ये है कि उन्होंने ख़िलाफ़ते रसूल का हक़ अदा कर दिया। जब तक उस 'कमज़ोर जान' में जान रही, रसूलुल्लाह (ﷺ) के दीन में ज़र्रा भर तब्दीली बरदाश्त न की। **(4)** 'ये मर्तबा और हक़ नहीं' कि उसकी नाराज़ी किसी के क़त्ल का मोजिब हो। ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की शान है कि जिस पर नाराज़ हो जायें, उसे क़त्ल करने की इजाज़त तलब की जा सकती है और इजाज़त मिलने पर उसे क़त्ल भी किया जा सकता है। मेरी तेरी नाराज़ी का ये दर्जा नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَانْتَهَرَنِي . فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ . وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَأَسْنَدَهُ.

(4081) हज़रत अबू बर्ज़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पास आया तो आप किसी शख़्स पर सख़्त नाराज़ हो रहे थे। उसने जवाबन आपको कुछ कहा (बद तमीज़ी की) मैंने कहा: मैं इसकी गर्दन न उतार दूँ? आपने मुझे डाँटा और फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद किसी को ये हक़ हासिल नहीं।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अबू नस्र का नाम हुमैद बिन हिलाल है और उससे ये हदीस़ यूनुस बिन उ़बैद ने बयान की तो उसने उसको मुसनद, यानी मुत्तसिल बयान किया है।

(4081) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3539.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) दरअस़ल इस बात की तरफ़ इशारा फ़रमाते हैं कि इसमें यूनुस बिन उ़बैद ने अ़म्र बिन मुर्रा की मुख़ालिफ़त की है, और वह इस तरह कि अबू नस्र से ये हदीस़ अ़म्र बिन मुर्रा ने बयान की तो कहा: समिअ़तु अबा नस्र युहद्दिसु अ़न अबी बर्ज़ा, इस तरह ये रिवायत मुन्क़तअ़ बनती है। और यही हदीस़ यूनुस बिन उ़बैद ने बयान की तो कहा: अ़न हुमैद बिन हिलाल अ़न अ़ब्दुल्लाह बिन मुतर्रिफ़ बिन शिख़्ख़ीर अ़न अबी बर्ज़ा अल असलमी, यानी यूनुस बिन उ़बैद ने हुमैद बिन हिलाल (अबू नस्र) और हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (ﷺ) के दरम्यान अ़ब्दुल्लाह बिन मुतर्रिफ़ का वास्ता बयान किया है, लिहाज़ा इस तरह सनद मुत्तसिल क़रार पाती है।

أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ قُلْتُ ذَكِّرْنِيهِ ‏.‏ قَالَ أَمَا تَذْكُرُ مَا قُلْتَ قُلْتُ لاَ وَاللَّهِ ‏.‏ قَالَ أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَمَا تَذْكُرُ ذَلِكَ أَوَكُنْتَ فَاعِلاً ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ وَاللَّهِ وَالآنَ إِنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ ‏.‏ قَالَ وَاللَّهِ مَا هِيَ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ الأَحَادِيثِ وَأَجْوَدُهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ‏.‏

(4082) हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (ﷺ) से रिवायत है कि हम हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के पास बैठे थे। आप किसी मुसलमान आदमी पर नाराज़ हुये और इन्तेहाई ज़्यादा नाराज़ हुये। जब मैंने ये सूरते हाल देखी तो मैंने कहा: ऐ ख़लीफ़-ए-रसूल! मैं इसकी गर्दन उतार दूँ? जब मैंने क़त्ल का ज़िक्र किया तो इस बात को आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया और इधर उधर की बातें शुरू कर दीं। जब हम मुतफ़र्रिक़ हो गये तो आपने मुझे पैग़ाम भेजा और फ़रमाया: अबू बर्ज़ा! तुमने क्या कहा था? मैं उस वक़्त तक भूल चुका था कि मैंने क्या कहा था। मैंने आपसे कहा: मुझे याद दिला दीजिये। आपने फ़रमाया: क्या तुझे याद नहीं, तूने क्या कहा था? मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! नहीं। आपने फ़रमाया: जब तूने मुझे एक आदमी पर नाराज़ होते देखा तो तूने कहा था: ऐ ख़लीफ़-ए-रसूल! मैं इसकी गर्दन उतार दूँ? क्या तुझे ये बात याद नहीं? क्या तू (वाक़ेई) ऐसे कर देता (यानी उसे क़त्ल कर देता?) मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ। अब भी अगर आप हुक्म दें तो मैं ये काम कर गुज़रूँगा। आपने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! ये रुत्बा हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के बाद किसी का भी नहीं।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि इन अहादीस में ये हदीस सबसे बेहतर और अहसन है।

(4082) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3540.

फ़ायदा : ये तफ़्सीली रिवायत है जिससे ऊपर वाली अहादीस़ के तमाम इब्हामात दूर हो जाते हैं। मसल-ए-बाब की वज़ाहत इससे क़ब्ल हो चुकी है। (देखिये, हदीस़: 4075) इस मसले के बारे में इमाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) की एक मुस्तक़िल किताब मौजूद है। 'अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमुर्रसूल' ये बहुत मुफ़ीद और लाइक़े मुताला किताब है। इसमें हज़रत इमाम ने तफ़्सीली दलाइल के साथ स़ाबित किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को गाली बकने वाला वाजिबुल क़त्ल है, ख़्वाह मुसलमान हो या काफ़िर। ज़िम्मी को तो हुकूमत ऐलानिया क़त्ल करेगी और ग़ैर मुस्लिम मुल्क के काफ़िर को ख़ुफ़िया क़त्ल करवाया जायेगा। या जैसे भी मुमकिन हो। हुकूमत करे या कोई आम मुसलमान। वल्लाहु आलम!

बाब : (18) जादू का बयान

باب(۱۸): السِّحْرِ

जादू उस चीज़ को कहते हैं जिसका सबब मख़्फ़ी हो। ये उमूमन शयातीन व जिन्नात की मदद से होता है। वह मख़्फ़ी ही हैं। इसमें चूंकि ग़ैरुल्लाह को पुकारना पड़ता है और बसा औक़ात ख़िलाफ़े शरअ काम करने पड़ते हैं, लिहाज़ा जादू कुफ़्र और शिर्क भी हो सकता है, इसलिये ये हराम है, गुनाहे कबीरा है। अलबत्ता शोब्दाबाज़ी और हाथ की स़फ़ाई के कर्तब जिसमें ख़िलाफ़े शरअ कोई काम न करना पड़े, जायज़ हैं जबकि उनसे मक़सूद माली तआवुन का हुसूल होता है, किसी को धोखा देना मक़सद नहीं होता। ये सिर्फ़ अपने फ़न और चालाकी का मुज़ाहिरा होता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता कमाई के लिये ये तरीक़ा इख़्तियार करना मुस्तहसन नहीं। जादू एक हक़ीकत है लेकिन इससे नुक़सान ही किया जा सकता है, नफ़ा नहीं, इसलिये कि शयातीन इन्सान के दुश्मन हैं, वह उसका भला नहीं कर सकते। और शयातीन से ताल्लुक़ रखने वाला इन्सान भी शैतान सिफ़त बन जाता है। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, बदगुमानी, जिस्मानी व माली नुक़सान यहाँ तक कि मौत तक के अमल कर गुज़रता है, इसलिये कुछ अहादीस़ में जादूगर को काफ़िर कहा गया है। कुछ हज़रात जादू या इसके अस़रात के मुन्किर हैं कि इसकी कोई हक़ीक़त नहीं, सिवाए ज़हनी तख़य्युलात के जिससे कम अक़्ल लोग मुतास्स़िर होते हैं और बस। लेकिन ये बात एक हक़ीक़ते स़ाबिता का इन्कार है। रसूलुल्लाह (ﷺ) बावजूद कामिल रूहानी कुव्वत और मज़बूत ज़हन के जादू से मुतास्स़िर हुये। इसका ज़िक्र स़ही तरीन अहादीस़ में आता है। क़ुर्आन मजीद में जादू और इसके आमिलीन के शर से पनाह माँगने की तल्क़ीन की गई है। अगर इसकी कोई हक़ीक़त न होती तो इसके शर से पनाह माँगने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ़ अक़ीदे की इस्लाह कर दी जाती कि इसकी कोई हक़ीक़त नहीं। अगर शयातीन और जिन्नों का वजूद बग़ैर देखे माना जा सकता है तो जादू कौन सी ऐसी अनहोनी चीज़ है कि इसका इन्कार किया जाये। इस दुनिया में अरबों खरबों जरासीम हर वक़्त ज़िन्दगी और मौत में दख़ील रहते हैं, न वह नज़र आते हैं और न उनका अमल, मगर साइंस की दुनिया उनको तस्लीम करती है। अगर इससे कोई ख़िलाफ़े अक़्ल बात लाज़िम नहीं आती तो जादू या जिन्न व शयातीन को तस्लीम करने से कौन सा इस्तेहाला लाज़िम आ जायेगा?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ . قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ . فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ " لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلاَ تَسْحَرُوا وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلاَ تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلاَ تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ " . فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ . قَالَ " فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي " . قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لاَ يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ .

(4083) हज़रत सफ़वान बिन अस्साल (ﷺ) से मरवी है कि एक यहूदी ने अपने साथी से कहा: आओ उस नबी के पास चलें। उसके साथी ने उससे कहा: उसे नबी न कहो। अगर उसने तेरी बात सुन ली तो उसकी आँखें चार हो जायेंगी। फिर वह दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और आपसे 'नौ वाज़ेह आयात' के बारे में पूछा। आपने उनसे फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न बनाओ। चोरी न करो। ज़िना न करो। किसी क़ाबिले एहतिराम जान को नाहक़ क़त्ल न करो। किसी बेगुनाह शख़्स को (नाहक़ सज़ा दिलवाने के लिये) साहिबे इक़्तेदार के पास न ले जाओ। जादू न करो। सूद न खाओ। किसी पाक दामन पर इल्ज़ाम न लगाओ और जंग के दिन मैदाने जंग से न भागो। और ऐ यहूदियों! ख़ास तुम्हारे लिये ये हुक्म है कि तुम हफ़्ते के दिन (की ताज़ीम) के बारे में (अल्लाह तआला के हुक्म से) तजावुज़ न करो।' चुनांचे उन दोनों ने (ये सुन कर) आपके हाथ और पाँव चुमे और कहा: हम गवाही देते हैं कि यक़ीनन आप नबी हैं। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम्हें मेरा मुतीअ बनने से क़ौन सी चीज़ मानेअ है?' उन्होंने कहा: हज़रत दाऊद (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई थी कि हमेशा नबी उनकी नस्ल से आये, और हम डरते हैं कि अगर हमने आपकी पेरवी की तो यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे।

(4083) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2733, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3541.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ुअफ़ में इख़्तिलाफ़ है, ताहम बग़र्ज़ तफ़हीमे हदीस चन्द ज़रूरी वज़ाहतें हाज़िरे ख़िदमत हैं: 'उसकी आँखें चार हो जायेंगी' यानी वह बहुत

ख़ूश होंगे क्योंकि ख़ूशी इन्सान की कुव्वतों में इज़ाफ़ा करती है। ये एक मुहावरा है।(2) 'वह दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और आपसे 'नो वाज़ेह आयात' के बारे में पूछा।' इन आयाते बय्यिनात से क्या मुराद है? आयात जमा है आयतुन की। इसके कई एक मआनी हैं, जैसे: किसी चीज़ की ज़ाहिरी अलामत, निशान, ख़ास़ निशान, इबरत, सामाने इबरत, ज़ात, जमाअत, क़ुर्आने मुक़द्दस का एक जुम्ला या चन्द जुम्ले जिनके आख़िर में वक़्फ़ (गोल दाइरा) होता है। इसी तरह मोजिज़ा भी आयत कहलाता है और हर वह कलाम जो लफ़्ज़न दूसरे कलाम से मुन्फ़सिल और जुदा होता है उस पर भी उसका इत्लाक़ होता है। ये महसूसात पर भी बोला जाता है और माक़ूलात पर भी जिस तरह कि अलामतुत्तरीक और अल्हिकमुल वाज़िह वग़ैरह। इस जगह हदीस़ में इससे क्या मुराद है, अहकाम या मोजिज़े? अगर तिस्आ आयात बय्यिनात से मुराद अहकाम हों, फिर तो हदीस़ में कोई इश्काल बाक़ी नहीं रहता क्योंकि उन यहूदियों को सवाल का जवाब देते हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया: 'शिर्क न करो, चोरी न करो, किसी को नाहक़ क़त्ल न करो, जादू न करो, ज़िना न करो, सूद न खाओ, किसी बेगुनाह पर ज़ुल्मों व ज़्यादती या उसे क़त्ल कराने के लिये हाकिम व सुल्तान के पास न ले जाओ वग़ैरह, यानी आपने उनके सवाल के जवाब में अहकाम ज़िक्र फ़रमाये हैं। चूंकि सवाल व जवाब में मुताबिक़त है, लिहाज़ा कोई इश्काल बाक़ी नहीं रहता।

लेकिन यहाँ आयाते बय्यिनात से मुराद अहकाम नहीं बल्कि मोजिज़ात हैं। एक तो इसलिये कि मुसनद अहमद और जामेअ तिर्मिज़ी की रिवायात में इसकी तस़रीह मौजूद है।

मुसनद अहमद की रिवायत में है कि उन दोनों (यहूदियों) ने आयते मुबारका (व लक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिम् बय्यिनातिन) (बनी इस्राईल अल इस्रा 17/101) के बारे में सवाल किया। जामेअ तिर्मिज़ी की रिवायत में भी इस क़िस्म की तस़रीह है। देखिये: (अल मौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल: 30/22, हदीस़: 18096, व जामेअ तिर्मिज़ी, तफ़्सीरुल क़ुर्आन, बनी इस्राईल, हदीस़: 3144) बहरहाल इससे वाज़ेह होता है कि उनका सवाल अहकाम की बाबत नहीं था बल्कि उन नौ मारूफ़ और अहम मोजिज़ात के मुताल्लिक़ था जो मूसा (ﷺ) को अता फ़रमा कर फ़िरऔन और उसकी फ़ासिक़ व फ़ाजिर क़ौम की तरफ़ भेजा गया था और इन मोजिज़ात से मुराद हैं: अस़ा, यद बैज़ा वग़ैरह। एक मक़ाम पर क़ुर्आन मजीद में इसकी स़राहत कुछ यूँ फ़रमाई गई है।

इरशादे बारी है: (व अल्क़ि अस़ाक ....) (अन्नमल: 27/10-12)

इस मक़ाम पर नौ में से स़िर्फ़ दो मोजिज़े मज़्कूर हैं, बाक़ी मुफ़स्सल तौर पर सूर-ए-आराफ़ में बयान फ़रमाये गये हैं। इरशादे बारी है: (व लक़द अख़ज़ना ......) (अल आराफ़: 7/130-133) वैसे मूसा (ﷺ) को इन नौ मोजिज़ात के अलावा और भी कई मोजिज़े दिये गये थे, जैसे: पत्थर पर मारने से पानी

के चश्मे जारी होना, बादलों का साया करना और मन व सलवा नाज़िल करना वग़ैरह जो मिस्र से निकलने के बाद ही इस्राईल को दिये गये। इस तफ़्सील से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सवाल मोजिज़ात ही के बारे में था, न कि अहकाम के बारे में। दूसरी बात ये भी है कि मूसा (ﷺ) को फ़िरऔन की तरफ़ ही भेजा गया था जैसा कि क़ुर्आन मजीद में इसकी वाज़ेह तौर पर तसरीह मौजूद है। अगर इन नौ वाज़ेह आयात से मुराद अहकाम हों तो इससे फ़िरऔन और उसकी क़ौम पर कोई हुज्जत ही साबित नहीं होती। असल बात तो फ़िरऔन और उसकी क़ौम से मूसा (ﷺ) की नबुवत व रिसालत तस्लीम कराना, और उन्हें उन पर ईमान लाने पर आमादा करना था। अगर उनसे मुराद अहकाम हों तो उससे असल मक़सद हासिल नहीं होता, यानी मूसा (ﷺ) की नबुवत व रिसालत का इस्बात और मुन्किरीन की तर्दीद।

अब रहा ये इश्काल कि सवाल तो था मोजिज़ात की बाबत जबकि जवाब में अहकाम इरशाद फ़रमा दिये गये। इसकी क्या वजह? अल्लामा सिन्धी (رحمه الله) ने इसका जवाब ये दिया है कि यहूदियों के सवाल का जवाब देते हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन मशहूर मारूफ़ नौ मोजिज़ात ही का ज़िक्र फ़रमाया था, किसी वजह से रावी ने उनका ज़िक्र नहीं किया, बल्कि उसके बाद उन आम अहकाम का ज़िक्र कर दिया जो तमाम अक़्वाम व मिलल के लिये वाजिबुल अमल हैं। तौरात में भी ये सब अहकाम मज़्कूर हैं। इमाम इब्ने कसीर (رحمه الله) ने फ़रमाया है कि इस हदीस के एक रावी अब्दुल्लाह बिन सलमा के हाफ़िज़े में ख़राबी है जिसकी वजह से उस पर जवाब ख़लत मलत हो गया है और उसने नौ मोजिज़ात उन दस कलिमात को बना दिया है जो तौरात में मज़्कूर हैं लेकिन ये फ़िरऔन पर हुज्जत क़ाइम करने और मूसा (ﷺ) की नबुवत व सदाक़त की दलील नहीं बन सकते। तफ्सील के लिये देखिये: (तफ़्सीर इब्ने कसीर, तफ़्सीर सूरह बनी इस्राईल, तहत आयात: 101, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई, अल मुहारबा, हदीस: 4083, वत्तालीक़ातुस्सल्फ़िया अला सुनन नसाई, अल मुहारबा, हदीस: 4083)

बिला शुब्हा मज़्कूरा तफ़्सील से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि 'नौ वाज़ेह आयात' से मुराद: असा, यद बैज़ा, क़हत, फलों की कमी, तूफ़ान, जूएँ, टिड्डियाँ, मेंडक और ख़ून हैं। वैसे इनके अलावा हज़रत मूसा (ﷺ) को और मोजिज़े भी दिये गये थे मगर उनका ताल्लुक़ बनी इस्राईल से है न कि आले फ़िरऔन से।

ये तफ़्सील तो थी नौ वाज़ेह आयात की बाबत। अब बाक़ी रह गई दस्वीं चीज़, यानी जो सिर्फ़ यहूदियों के साथ ख़ास है, दूसरा कोई भी उसमें उनका शरीक नहीं, तो उससे मुराद, जैसा कि क़ुर्आन व हदीस से वाज़ेह होता है, हफ़्ते की ताज़ीम करना है और वह ताज़ीम भी सिर्फ़ इसी हद तक मालूम होती है कि हफ़्ते के दिन मछली का शिकार न करें और बस। चूंकि बाक़ी नौ अहकाम तमाम मिलल व अक़्वाम में मुश्तरक हैं जबकि ये दस्वाँ हुक्म सिर्फ़ यहूदियों के लिये था, इसलिये फ़रमाया गया कि 'ऐ यहूदियों! ये तुम्हारे साथ ख़ास है, दूसरा कोई इसमें तुम्हारा शरीक नहीं। वल्लाहु आलम!

(3) 'साहिबे इक़्तेदार के पास न ले जाओ' ताकि उसे किसी झूठे मुक़द्दमे में फँसा कर नाहक़ सज़ा दिलवाओ या उसे क़त्ल करवा दो, या उस पर किसी क़िस्म की ज़्यादती और ज़ुल्म कराओ। (4) 'तजावुज़ न करो' यानी उस दिन मछली का शिकार न करने के मुताल्लिक़। (5) 'हाथ और पाँव चूमे' मोहब्बत और प्यार में या बतौर एहतिराम बोसा देना एक फ़ितरी अम्र है। बच्चों और बुज़ुर्गों को बोसे दिये जाते हैं, अलबत्ता पाँव के बोसे में सज्दे से मुशाबिहत होती है, लिहाज़ा इससे इज्तेनाब किया जाये। (6) 'नबी उनकी नस्ल से आये' इस बात से उनका मक़सद ये मालूम होता है कि वह कहना चाहते थे कि दाऊद (ﷺ) ने इसकी बाबत दुआ की थी कि उनकी नस्ल ही से नबी आयें, चूंकि आप नबी हैं, लिहाज़ा आपकी ये दुआ क़बूल होगी, इसलिये हम उसी नबी के आने के मुन्तज़िर हैं और फिर हम उसी की इत्तिबा करेंगे। लेकिन यहूदियों का ये सरीह झूठ है, इसलिये कि ये नामुमकिन है कि सय्यदना दाऊद (ﷺ) जैसे जलीलुल क़द्र नबी इस क़िस्म की कोई दुआ करें जबकि उन्हें ये भी इल्म हो कि अल्लाह तआला ने ख़त्मे नबुवत का ताज हज़रत मुहम्मद करीम (ﷺ) के सर पर सजाना है। सय्यदना, दाऊद (ﷺ) पर यहूदियों का ये महज़ इफ़्तरा है क्योंकि वह तो तौरात व ज़बूर में ये पढ़ चुके थे कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) बतौर ख़ातमुन्नबिय्यीन मबऊस होंगे, और ये भी कि आप साबिक़ा अदयान व शरीयतों को मन्सूख़ करेंगे। इस सब कुछ के होते हुये दाऊद (ﷺ) ऐसी दुआ क्योंकर फ़रमा सकते हैं। इसके अलावा ये दुआ अल्लाह तआला की इस इत्तिला के भी ख़िलाफ़ है जो कि उसने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की शान व मर्तबे के मुताल्लिक़ अपने अम्बिया व रुसुल को दी है। वल्लाहु आलम! मज़्कूरा बात यहूदियों में ग़लत मशहूर कर दी गई थी वरना ये बात अक़्लन सही है न नक़लन। हज़रत दाऊद (ﷺ) से पहले भी अम्बिया मुख़्तलिफ़ नस्लों से आये, बाद में भी। मुमकिन न था कि सारी दुनिया के लिये अम्बिया सिर्फ़ एक ही नस्ल से आयें। ये बात नबी की बसीरत से मख़्फ़ी नहीं रह सकती थी, लिहाज़ा वह ये दुआ नहीं कर सकते थे। (7) 'क़त्ल कर देंगे' रसूलुल्लाह(ﷺ) पर ईमान न लाने की दूसरी वजह उन यहूदियों ने ये बयान की कि आप पर ईमान लाने की वजह से हमें जान का ख़तरा है, लिहाज़ा हम ईमान नहीं लाते। उनका ये बहाना भी बिल्कुल भोंडा और ग़लत था क्योंकि अगर वह ईमान ले आते तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा(رضي الله عنهم) के साथ रहते, इसलिये बाक़ी यहूदियों को ये जुर्अत ही न हो सकती कि वह उन्हें इस्लाम क़बूल करने की वजह से क़त्ल करते? फिर ये बात भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) भी तो मोमिन बन गये थे, क्या उन्हें क़त्ल किया गया था जो उन्हें क्या जाता? ये भी उनका सरीह झूठ था।

बाब : (19) जादूगरों के बारे में क्या हुक्म है?

باب(۱۹): الْحُكْمِ فِي السَّحَرَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ " .

(4084) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गिरह बाँधी और उसमें (पढ़ कर) फूँका, उसने जादू किया। और जिसने जादू किया, उसने शिर्क किया और जिस शख़्स ने कोई (शिर्किया) चीज़ गले में लटकाई, उसे उसी के सुपुर्द किया जायेगा।'

(4084) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी फ़िल्कामिल फ़िज़्ज़ुअफ़ा: 4/1648, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3542.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत तालीक़ वाले जुम्ले के अलावा ज़ईफ़ है लेकिन मसले की तफ़हीम के लिये कुछ ज़रूरी वज़ाहत दर्ज ज़ेल है। 'जिसने गिरह बाँधी' जादूगर उमूमन गिरहें बाँध कर जादू किया करते हैं, इसलिये गिरह का ज़िक्र फ़रमाया, वरना जादू किसी भी तरीक़े से किया जाये, वह जादू ही है। अगर जिन्न व शैतान से मदद तलब न की जाये और ऐसे कलिमात इस्तेमाल न किये जायें जिनकी मआनी व मफ़हूम मालूम न हों तो वह जादू नहीं, ख़्वाह कोई गिरह भी बाँधे। **(2)** 'जिसने जादू किया, उसने शिर्क किया' क्योंकि जादू में लाज़िमन ग़ैरुल्लाह, जैसे: जिन्न व शैतान से मदद हासिल की जाती है। उन्हें पुकारा जाता है। इसलिये जादू शिर्क को मुस्तलज़िम है। **(3)** 'जिसने कोई चीज़ लटकाई' उस दौर में काहिन कोई चीज़ पढ़ फूँक कर दे देते थे कि इसे गले में लटका लो, फ़ायदा होगा। चूंकि काहिन मुश्रिक थे और शिर्किया कलिमात ही पढ़ते थे, लिहाज़ा उससे रोक दिया गया। ऐसा दम भी मना है और ऐसा तालीक़ भी। लेकिन क्या क़ुर्आन मजीद या दुआओं या अच्छे कलिमात को इलाज के लिये इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? यक़ीनन ये जायज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से क़ुर्आन मजीद और अच्छे कलिमात को अपने और दूसरों के लिये बतौर इलाज इस्तेमाल करना साबित है। लेकिन दम की सूरत में। रहा मसला क़ुर्आन व हदीस़ पर मबनी दुआओं से तहरीरकर्दा तावीज़ या तालीक़ का कि आया वह भी मसनून है? तो इसका जवाब ये है कि नबी-ए अकरम (ﷺ) से तावीज़ लिखना साबित नहीं। अलबत्ता मुहक़्क़िक़ीन अहले हदीस़ व फ़ुक़हा का मौक़िफ़ है कि जिस तरह कलामुल्लाह और मन्क़ूल दुआओं और ग़ैर शिर्किया कलिमात के साथ दम जायज़ है, उसी तरह उनसे तावीज़ लिखना भी जायज़ है। लेकिन इन दोनों के माबैन ये फ़र्क़ ज़रूर रहेगा कि दम करना मसनून और तावीज़ लिखना ग़ैर

मसनून होगा, इसलिये इस मसले में इफ़रात व तफ़रीत दुरुस्त नहीं। न तो मुत्लक़न क़ुर्आनी आयात पर मुश्तमिल तावीज़ को लटकाना हराम और शिर्क कहा जाये और मज्हूलुल मआनी और मशकूक इबारात या ग़ैरुल्लाह को पुकारने वाले कलिमात पर मुश्तमिल तावीज़ लिखे जायें, लिहाज़ा दम करना अगरचे अमले मसनून और क़ुर्आनी आयात व दुआए मासूरा के साथ तावीज़ लिखना मशरूत तौर पर जायज़ है, ताहम अह्वत और अक़रब इलल्हक़ यही बात है कि तावीज़ लिखने और लटकाने से एहतियात की जाये। वल्लाहु आलम!

बाब : (20) अहले किताब के जादूगरों का बयान

باب(٢٠): سَحَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، - يَعْنِي يَزِيدَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَخْرَجُوهَا فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلاَ رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ .

(4085) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से मरवी है कि एक यहूदी शख़्स ने नबी (ﷺ) पर जादू कर दिया। आप उसकी वजह से कुछ दिन बीमार से रहे। फिर हज़रत जिब्राईल (ﷺ) आपके पास आये और फ़रमाया: एक यहूदी ने आप पर जादू कर दिया है। उसने कुछ गिरहें देकर फुलां कुएँ में रख छोड़ी हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ सहाबा भेजे। उन्होंने उन गिराहों को निकाला और उनको आपके पास लाया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इस तरह उठ खड़े हुये जैसे किसी ऊँट का घुटना खोल दिया जाये। फिर न तो आपने उस यहूदी से उसका ज़िक्र किया और न उस (यहूदी) ने कभी आपके चेहरे पर इसका कुछ असर पाया।

(4085) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3543.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत मुख़्तसर है। सहीह बुख़ारी में ये रिवायत हज़रत आयशा(ﷺ) से तफ़्सील के साथ मरवी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3268) **(2)** ये जादू एक मशहूर यहूदी जादूगर लबीद बिन आसम मलऊन ने यहूदियों के पुरज़ोर इसरार पर तीन दीनार के ऐवज़ किया था। और ये माहे मुहर्रम 7 हिजरी की बात है। उसने आपकी कंघी और आपके बाल एक यहूदी लड़के की मारिफ़त हासिल किये और उनको जादू के लिये इस्तेमाल किया। उसका मक़सद (ख़ाकम बदहन) आपको ख़त्म

करना था मगर वह नाकाम रहा। (3) 'कुछ दिन बीमार से रहे' इस जादू का असर आप पर ग़ैर मरई रहा, यानी आम लोगों को महसूस न होता था लेकिन आप पर इसके असरात यूँ ज़ाहिर हुये कि आप कुछ उमूर में मुतरद्दिद होने लगे, आया मैंने ये काम किया है या नहीं वग़ैरह? हुसूले वह्य या इब्लाग़े शरीयत में क़तअन आप पर ये जादू असर अन्दाज़ न हुआ, जैसा कि मुख़्तलिफ़ रिवायात का जायज़ा लेने से मालूम होता है, और आप ज़रा परेशान से रहने लगे थे। दरअसल आपकी रूहानी कुव्वत जादू की कुव्वतों का मुक़ाबला करती थी। और मुक़ाबला की सूरत में ऊपर दिये गये असरात लाज़िमी थे। (4) 'कुछ सहाबा भेजे' दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ख़ुद भी तशरीफ़ ले गये थे। मतलब ये है कि पहले अपने कुछ सहाब-ए-किराम (ﷺ) को भेजा और फिर ख़ुद आप भी तशरीफ़ ले गये। उस कुएँ से जादू वाली चीज़ें निकाली गई और आपने मुअव्विजतैन (कुल अऊज़ुबिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊज़ुबिरब्बिन्नास) पढ़ कर जादू की गिरहों को खोला। ग्यारह गिरहें थीं और इन दोनों सूरतों की आयात भी ग्यारह हैं। आप एक एक आयत पढ़ते जाते थे और गिरहें खुलती जा रही थीं। गिरहों का खोलना था कि आप बिलकुल तन्दुरुस्त हो गये। (5) 'घुटना खोल दिया जाये' तो वह बड़ी चुस्ती से खड़ा हो जाता और इधर उधर भगता दौड़ता है। (6) आपने उस यहूदी या दूसरे यहूदियों से इसका तज़्किरा न फ़रमाया बल्कि आम लोगों में भी मशहूर न किया गया ताकि यहूदी ये समझें कि हमारे सख़्त तरीन जादू का भी कोई असर नहीं हुआ और वह नाउम्मीद होकर आपका पीछा छोड़ दें। अगर आप इस बात को उछालते तो उनको पता चल जाता कि आप पर कुछ न कुछ असर हुआ है, लिहाज़ा वह मज़ीद सरगर्मी के साथ इससे भी बड़ा जादू करने की कोशिश करते। (7) बाब का मक़सद ये है कि आपने जादू करने वाले को कोई सज़ा नहीं दी। कुछ लोगों ने कहा है: ये इसलिए कि वह मुसलमान नहीं था बल्कि यहूदी था। और हुदूद मुसलमानों के लिये हैं। लेकिन ये इस्तेदलाल सही नहीं। सही बात ये है कि अगर जादूगर के जादू का कोई सबूत मिल जाये और उसने किसी का नुक़सान किया हो तो उसे सज़ा दी जायेगी, ख़्वाह काफ़िर, यानी यहूदी हो या कोई और। (8) जादू को किताबुल मुहारबा में ज़िक्र करने की वजह ये है कि जादू कुफ़्र है। अगर कोई मुसलमान करेगा तो वह मुर्तद समझा जायेगा और उस पर सज़ा-ए-इर्तिदाद नाफ़िज़ की जायेगी, यानी अगर वह तौबा न करे तो उसे क़त्ल कर दिया जायेगा। ग़ैर मुस्लिम अगर जादू करे और उससे किसी को क़त्ल कर दे तो उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया जायेगा। और अगर उसने किसी का सिर्फ़ नुक़सान किया हो तो उससे वसूली की जायेगी, और उसे क़ैद वग़ैरह भी किया जायेगा ताकि मुआशरा उसके मुज़िर असरात और मफ़ासिद से महफ़ूज़ रह सके। (9) कुछ हज़रात ने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर जादू वाली रिवायत को रद्द किया है, हालांकि ये रिवायत सहीहैन में क़तअन साबित है। किसी मुहद्दिस या फ़क़ीह ने इसकी सनद या मतन में कोई ख़राबी नहीं समझी। न इसे अक़्ल, क़ुर्आन या शाने रसूल(ﷺ) के ख़िलाफ़ समझा है। कुछ मुतकल्लिमीन और मुतकब्बिरीने हदीस को ये ख़ल्जान हुआ कि 'ये हदीस शाने नबुवत के मुनाफ़ी है।'

हालांकि तबीयत का ढीला पड़ जाना वग़ैरह किसी लिहाज़ से भी शाने नबुवत के ख़िलाफ़ नहीं। आपको बुख़ार चढ़ता था, सर दर्द होता था, बुढ़ापा तारी हुआ। अगर ये जिस्मानी अवारिज़ शाने नबुवत के मुनाफ़ी नहीं तो ऊपर दिये गये अस़रात क्यूँ मुनाफ़ी हों? कुछ समझते हैं कि अगर आप पर जादू का अस़र माना जाये तो गोया आप पर काफ़िरों को ग़ल्बा हासिल हो गया, हालांकि काफ़िरों के हाथों आप ज़ख़्मी हुये, ज़हर खिलाया गया। अगर उससे कुफ़्फ़ार को ग़ल्बा हासिल नहीं हुआ तो ऊपर दिये गये अस़रात से कैसे ग़लबा हासिल हो गया? ग़ल्बा तो तब होता अगर यहूदी अपने मक़सद में कामयाब हो जाते। कुछ हज़रात ने आप पर जादू को आयते करीमा: (इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरन) (बनी इस्राईल: 17/74) के ख़िलाफ़ ख़्याल किया है क्योंकि ये तो काफ़िरों का दावा था कि आप जादूज़दा हैं। और कुफ़्फ़ार का आपको जादू ज़दा कहने से मतलब ये था कि आप जो दीन पेश कर रहे हैं, ये किसी जादू का अस़र है जबकि इस हदीस़ में जिस जादू का ज़िक्र है, वह किसी काफ़िर शख़्स़ ने किया था और उसने आप पर सिर्फ़ जिस्मानी अस़र किया था जो कि आम आदमी को महसूस भी नहीं होता था। इससे न आपके दिमाग़ पर कोई अस़र पड़ा और न क़ोई तालीमात मुतास्सिर हूईं। ऐसे अस़रात तो बीमारी की बिना पर भी हो सकते हैं। अगर बीमारी तारी हो सकती है तो इन अस़रात में क्या हर्ज है? बल्कि आप पर जादू का अस़र होने से ये स़ाबित हो गया कि आप जादूगर नहीं क्योंकि जादूगर पर जादू का अस़र नहीं होता, लिहाज़ा काफ़िरों के इस इल्ज़ाम की तर्दीद हो गई कि आप जादूगर हैं। स़ही बात यही है कि जादू का अस़र किसी पर भी हो सकता है, अलबत्ता जादू कुफ़्र है और अगर कोई ख़ास़ मस़लिहत न हो तो जादू करने वाला वाजिबुल क़त्ल है। यही अहले सुन्नत वल जमाअ़त का मस्लक है। वल्लाहु आलम!

बाब : (21) जिस शख़्स़ का माल छीनने की कोशिश की जाये, वह क्या करे?

باب(٢١): مَا يَفْعَلُ مَنْ تُعُرِّضَ لِمَالِهِ

(4086) हज़रत क़ाबूस के वालिद मोहतरम हज़रत मुख़ारिक़ (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: एक शख़्स़ मेरे पास आता है और मेरा माल छीनना चाहता है। (तो मैं क्या करूँ?) आपने फ़रमाया: 'उसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर नस़ीहत कर (उसकी वईद से डरा)' उसने कहा: अगर वह नस़ीहत न माने तो? आपने फ़रमाया: 'अपने आस पास के मुसलमानों से

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي . قَالَ " ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ قَالَ " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ " . قَالَ فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ " قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ " .

मदद हासिल कर।' उसने कहा: अगर मेरे आस पास कोई मुसलमान न हों तो? आपने फ़रमाया: 'हाकिम से मदद तलब कर।' उसने कहा: अगर हाकिम भी मुझ से दूर हो? फ़रमाया: 'फिर अपने माल की हिफ़ाज़त के लिये लड़ाई कर यहाँ तक कि तू (मारा जाये और) आख़िरत में शहीद बन जाये या अपने माल को बचा ले।'

(4086) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/294, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3544, मुस्लिम, हदीस: 160 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है, वह इस तरह कि जिस शख़्स़ से उसका माल छीना जा रहा हो, उसके लिये दिफ़ा करना जायज़ है। **(2)** इस हदीस़ से मालूम हुआ कि दिफ़ा करना अगरचे दुरुस्त है,ताहम ये काम तदरीजन करना ज़्यादा बेहतर है, यानी पहले डाकू वग़ैरह को अल्लाह तआला की पकड़, उसके मुवाख़िज़े और अज़ाब से डराया जाये। अगर उसका अस़र न हो तो आस पास के मुसलमानों से उसके ख़िलाफ़ मदद ली जाये। ये भी मुमकिन न हो तो हाकिमे वक़्त से मदद तलब की जाये। जब कोई और चार-ए-कार न हो तो लड़ना और उसे क़त्ल करना या उसके हाथों शहीद होना जायज़ है। हाँ, इस मुक़ाबले में अगर डाकू और लुटेरा मारा जाये तो उसका ख़ून ज़ाया है। अपना दिफ़ा करने वाले शख़्स़ से न तो क़िसास़ लिया जायेगा और न उस पर किसी क़िस्म की कोई दियत वग़ैरह ही आयेगी। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीस़ शरीफ़ से वाज़ेह तौर पर ये भी मालूम हुआ कि लड़ाई करना आख़री चार-ए-कार है। इससे पहले हर मुमकिन ज़राये से लड़ाई से बचा जाये क्योंकि लड़ाई नुक़सान वाली चीज़ है, अलबत्ता अगर कोई चार-ए-कार न रहे तो अपना माल बचाने के लिये लड़ाई की जा सकती है। उस दौर में अगर वह ख़ुद मारा जाये तो शहीद होगा, यानी अज़ीम स़वाब का मुस्तहिक़ होगा और अगर वह डाकू को मार दे तो उस पर कोई क़िसास़, दियत या तावान आइद न होगा जैसा कि इससे पहले भी ये बयान हो चुका है। लेकिन लड़ाई से पहले ये देख ले कि मैं उसका हम पल्ला भी हूँ? यानी मेरे पास भी अस्लहा वग़ैरह है। ख़ाली हाथ मुसल्लह आदमी से लड़ना हिमाक़त है। जान यक़ीनन माल से ज़्यादा क़ीमती है और क़ुर्आन मजीद का हुक्म है

कि 'अपने आपको ख़्वाह मख़्वाह हलाकत में न डालो' गोया लड़ाई वाजिब नहीं, जायज़ है बशर्ते कि वह डाकू का मुक़ाबला भी कर सकता हो। फिर ज़िन्दगी, मौत अल्लाह के सुपुर्द है। अलबत्ता इज़्ज़त बचाने के लिये बे दरेग़ भी लड़ पड़े तो अज्र का मुस्तहिक़ होगा और मारे जाने की सूरत में शहीद होगा। **(4)** इस हदीस़ में जो शहीद कहा गया है इससे मुराद शहीदे मारका नहीं बल्कि आख़िरत में स़वाब के ऐतबार से उसे शहीद क़रार दिया गया है, चुनांचे ऐसे शख़्स़ को ग़ुस्ल भी दिया जायेगा और उसकी नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जायेगी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي قَالَ " فَانْشُدْ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ . قَالَ " فَانْشُدْ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ . قَالَ " فَانْشُدْ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ قَالَ " فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ " .

(4087) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये अगर मेरे माल पर हम्ला कर दिया जाये (तो क्या करूँ?) आपने फ़रमाया: 'उन्हें अल्लाह तआला का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह न मानें तो? फ़रमाया: 'फिर अल्लाह का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह फिर भी न मानें तो? फ़रमाया: 'फिर अल्लाह तआला का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह फिर भी मुस़िर्र रहें तो? आपने फ़रमाया: 'फिर उनसे लड़। अगर तू मारा गया तो जन्नत में जायेगा और अगर तूने उन्हें मार दिया तो वह आग में जायेंगे।'

(4087) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3545.

फ़ायदा : 'वह आग में जायेगा' मक़सूद ये है कि उसके क़त्ल पर कोई तावान नहीं देना पड़ेगा बल्कि उसका ख़ून रायगां होगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

(4088) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुआ और कहा: अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये अगर मेरे माल पर हम्ला कर दिया जाये तो? आपने फ़रमाया: 'उनको अल्लाह का

رَجُلاً، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي قَالَ " فَانْشُدْ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ قَالَ " فَانْشُدْ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ قَالَ " فَانْشُدْ بِاللَّهِ " . قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ قَالَ " فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ "

वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह (डाकू) न मानें? आपने फ़रमाया: 'फिर अल्लाह(ﷻ) का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह फिर भी न मानें तो? आपने फ़रमाया: 'तो फिर अल्लाह तआ़ला का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह फिर भी न मानें तो? आपने फ़रमाया: 'फिर उनसे लड़। अगर तू क़त्ल हो गया तो जन्नत में जायेगा और अगर तूने उनको मार दिया तो वह जहन्नमी होंगे।'

(4088)तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/360, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3546, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'जहन्नमी होंगे' डाकू, मुहारिबीन (अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने वाले) में दाख़िल हैं। उसकी सज़ा क़त्ल भी हो सकती है। जब वह लड़ाई में मारा गया तो सज़ा पूरी हो गई। आख़िरत में भी जहन्नमी होगा क्योंकि बग़ैर तौबा, ऐलानिया शरीयत की मुख़ालिफ़त करता हुआ, बेगुनाह मुसलमानों को क़त्ल करता हुआ मारा गया, इसलिये कुछ उलमा उसके जनाज़े के भी क़ाइल नहीं क्योंकि उसका जहन्नमी होना क़तई है। वल्लाहु आलम!

باب(٢٢): مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ

बाब : (22) जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4089) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: जो अपने माल को (डाकूओं वग़ैरह से) बचाने के लिये लड़ाई करे और मारा जाये तो वह शहीद है।'

(4089) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3547.

फ़ायदा : 'शहीद है' यानी शहीद की तरह उसकी भी मग़फ़िरत हो जायेगी। उसे अज्रे अ़ज़ीम हासिल होगा क्योंकि वह मज़लूम मारा गया। शहीद भी मज़लूम मारा जाता है। अलबत्ता उस पर शहीद फ़ी सबीलिल्लाह वाले अहकाम लागू न होंगे, जैसे: उसे आ़म मय्यत की तरह गुस्ल दिया जायेगा और

उसका जनाज़ा पढ़ा जायेगा। मैदाने जंग के अलावा जिनको शहीद कहा गया है, उनका हुक्म भी यही है। हज़रत उ़मर (ﷺ) मज़लूम शहीद हुये थे मगर उन्हें गुस्ल दिया गया था और उनका जनाज़ा भी पढ़ा गया था। हज़रत अ़ली और हज़रत उ़स्मान (ﷺ) का मामला भी यही हुआ।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4090) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में लड़ता हुआ मारा जाये, वह शहीद है।'

(4090) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3548.

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ

(4091) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स(ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अपने माल की हिफ़ाज़त में मज़लूम मारा जाये, उसके लिये जन्नत है।'

(4091) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2480, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3549.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 4089.

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4092) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये, वह शहीद है।'

(4092) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3550.

(4093) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का माल नाहक़ छीनने की कोशिश की जाये और वह लड़ता हुआ मारा जाये तो वह शहीद होगा।'

(इमाम नसाई (رحمه الله) ने फ़रमाया:) ये (रिवायत) ग़लत है। सुऐर बिन ख़िम्स की (इससे पहली) रिवायत दुरुस्त है।

(4093) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4771, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3551, तिर्मिज़ी: 1420.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " . هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ .

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद है कि ये रिवायत बवास्ता अब्दुल्लाह बिन हसन, इक्रिमा से सही है जैसा कि सुऐर बिन ख़िम्स ने बयान किया है, न कि बवास्ता अब्दुल्लाह बिन हसन अन इब्राहीम बिन मुहम्मद जैसा कि सुफ़ियान सौरी ने बयान किया है। लेकिन इमाम साहिब (رحمه الله) का सुफ़ियान की हदीस को ख़ता कहना महल्ले नज़र है क्योंकि सौरी सिक़ा और हाफ़िज़ हैं और फिर वह मुन्फ़रिद भी नहीं बल्कि अब्दुल अज़ीज़ बिन मुत्तलिब ने उनकी मुताबिअत की है। इस रिवायत को इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने बयान किया है और हसन कहा है। गोया इस रिवायत में अब्दुल्लाह बिन हसन के दो उस्ताद हैं: इक्रिमा और इब्राहीम बिन मुहम्मद। और रिवायत दोनों तरीक़ से सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 32/73)

(4094) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये, वह शहीद है।'

(4094) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3552.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4095) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - قَالاَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये, वह शहीद है।' ये (हदीस़) मुख़्तस़र है।

(4095) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3553, बुख़ारी: 83.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4096) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ लड़ाई लड़े (और मारा जाये) वह शहीद है।'

(4096) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3554.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4097) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल को (डाकूओं से) बचाते हुये मारा जाये, वह शहीद है।'

(4097) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3555.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

(4098) हज़रत अबू जाफ़र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी ज़ालिम के मुक़ाबले में मारा जाये, वह शहीद है।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मुअम्मिल की (साबिक़ा) हदीस़ ग़लत है जबकि अ़ब्दुर्रहमान की (यही) हदीस़ दुरुस्त है।

(4098) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3556.

फ़ायदा : मुअम्मिल मुतकल्लम फ़ीह रावी है जबकि अब्दुर्रहमान बिन महदी सिक़ा और मुत्क़न हैं। अब्दुर्रहमान ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है और मुअम्मिल ने इसे मौसूलन बयान किया है। यक़ीनन मुअम्मिल की रिवायत के मुक़ाबले में अब्दुर्रहमान की मुर्सल रिवायत महफ़ूज़ ठहरती है। गोया इस रिवायत का मुअम्मिल की सनद से मुत्तसिल होना दुरुस्त नहीं। वैसे (अबू जाफ़र की) ये रिवायत (4098) सही है और मौसूलन भी साबित है और आगे (4101 में) आ रही है।

बाब : (23) जो शख़्स अपने घर वालों के दिफ़ा में मारा जाये?

باب(۲۳): مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4099) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुये मारा जाये, वह शहीद है। और जो अपनी जान बचाते हुये मारा जाये, वह भी शहीद है और जो शख़्स अपने घर वालों के दिफ़ा में मारा जाये, वह भी शहीद है।'

(4099) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3557, देखें, हदीस: 4095, तिर्मिज़ी, हदीस: 1421.

फ़ायदा : मक़सद ये है कि जो ज़ुल्मन मारा जाये, ख़्वाह अपनी जान की हिफ़ाज़त करते हुये या माल की हिफ़ाज़त करते हुये या इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करते हुये या अहल व अयाल की हिफ़ाज़त करते हुये या दीन की हिफ़ाज़त करते हुये, वह शहीद है, यानी उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी। वह जन्नती होगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (24) जो शख़्स अपने दीन को बचाने के लिये लड़ाई करे?

باب(۲۴): مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينِهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ - الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ

(4100) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल को (लुटेरों से) बचाते हुये मारा जाये, वह शहीद है। और जो शख़्स अपने घर वालों का दिफ़ा करते हुये मारा जाये, वह शहीद है। और जो

مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

शख़्स अपने दीन की ख़ातिर मारा जाये, वह भी शहीद है। और जो शख़्स अपनी जान बचाते हुये मारा जाये, वह भी शहीद है।'

(4100) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3558.

फ़ायदा : 'दीन की ख़ातिर' यानी किसी ने उसे धमकी दी कि अपना दीन (इस्लाम) छोड़ दे वरना तुझे क़त्ल कर दूँगा। उसने दीन न छोड़ा, क़त्ल होना क़बूल कर लिया, तो वह शहीद है। उसकी शहादत में क्या शक है जबकि उसे शरअन इजाज़त थी कि वह ऐसी हालत में कलिम-ए-कुफ़्र कह सकता है बशर्ते कि दिली तौर पर ईमान इस्लाम पर पक्का रहे लेकिन उसने रुख़्सत की बजाये अज़ीमत पर अमल किया।

باب(٢٥): مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ

बाब : (25) जो आदमी अपने हक़ की ख़ातिर लड़ाई करे?

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

(4101) हज़रत अबू जाफ़र (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं हज़रत सुवैद बिन मुक़र्रिन (رضي الله عنه) के पास बैठा था। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने हक़ की ख़ातिर (लड़ता हुआ) मारा जाये, वह शहीद है।'

(4101) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी फ़िल्कबीर: 7/86, 87, हदीस़: 6454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3559.

फ़ायदा : कोई ज़ालिम किसी मज़लूम का हक़ छीनना चाहता है और माल हवाले न करने की सूरत में उसे क़त्ल की धमकी देता है। मज़लूम को इजाज़त है कि उससे लड़ कर अपना हक़ बचा ले और अगर इस कोशिश में वह मारा जाये तो वह इन्दल्लाह शहीद होगा और अगर ज़ालिम मारा जाये तो उसका ख़ून ज़ाया है।

बाब : (26) जो शख़्स तलवार नंगी करके लोगों पर चलाये?

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ " .

(4102) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तलवार म्यान से निकाल कर लोगों पर चलानी शुरू कर दे, उसका ख़ून ज़ाया है।' (उसका क़त्ल जायज़ है। उसकी कोई दियत होगी न क़िसास़)

(4102) तख़रीज : (सनद स़ही) अत्तहावी फ़ी मुश्किलुल आस़ार: 2/117, वलहाकिम: 2/159, व सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3560, नुऐम: 4/21.

फ़ायदा : किसी भी मज़हबी, सियासी या मुआशरती इख़्तिलाफ़ की वजह से किसी शख़्स को ये हक़ हासिल नहीं कि वह मुसल्लह कार्यवाही करे। इसी तरह कोई शख़्स किसी गुनाहगार को भी क़त्ल नहीं कर सकता, ख़्वाह हालते गुनाह में पकड़ ले क्योंकि हुदूद का निफ़ाज़ हुकूमत का इख़्तियार है, अफ़राद का नहीं। अगर कोई अज़ ख़ुद ऐसी कार्यवाही करेगा, उसे क़त्ल कर दिया जायेगा, ख़्वाह वह सच्चा ही हो। उसके बाद उसका मामला अल्लाह तआला के सुपुर्द है। आज कल मज़हबी इख़्तिलाफ़ात की बिना पर आपस में क़त्ल व ग़ारत करने वालों को ये हदीस़ मद्दे नज़र रखनी चाहिए, ख़्वाह वह कितना ही ख़ूश नुमा नारा क्यूँ न लगाते हों, जैसे: इस्मते स़हाबा व अज़्वाजे मुतह्हरात या अहले बैत वग़ैरह। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

(4103) अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से भी ये हदीस़ उन्हीं अल्फ़ाज़ से मरवी है मगर उसने उसे मरफ़ूअ बयान नहीं किया।

(4103) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3561, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ مَنْ رَفَعَ السِّلاَحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ .

(4104) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) बयान करते हैं कि जिसने (लोगों पर) अस्लहा सौंता, फिर उसे चलाना शुरू कर दिया तो उसका ख़ून ज़ाया है। (कोई मुआवज़ा होगा न उसका क़िसास़ ही लिया जायेगा।)

(4104) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3562.

फ़ायदा : 'चलाना शुरू कर दिया' ख़्वाह कोई क़त्ल हो या न मगर अस्लहा चलाने वाले की शरई सज़ा क़त्ल है क्योंकि वह लोगों के क़त्ल के दर पे है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ".

(4105) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स हम (मुसलमानों) पर हथियार उठाये, वह हममें से नहीं।'

(4105) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7070, मुस्लिम, हदीस: 98, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3563.

फ़ायदा : 'वह हममें से नहीं' यानी ज़ाहिरन क्योंकि मुसलमानों को क़त्ल करना काफ़िरों का काम है, और अगर वह ऐलानिया मुसलमानों को क़त्ल करता फिरता है जैसे डाकू या बाग़ी तो वह मुहारिबीन में दाख़िल है। अलबत्ता अगर जज़्बात में आकर नादानिस्ता उससे अस्लहा के साथ क़त्ल सादिर हो जाये तो वह काफ़िर न बनेगा बल्कि उस पर हालात के मुताबिक़ क़िसास या दियत का हुक्म लागू होगा। सज़ा मिलने के बाद माफ़ी मुमकिन है क्योंकि वह मुसलमान है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدَ

(4106) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अली (ﷺ) ने, जब वह यमन के हाकिम थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जो अभी मिट्टी से अलग नहीं किया गया था। आपने वह सारा सोना तक़्सीम फ़रमा दिया, अक़रअ बिन हाबिस हन्ज़ली को, जो कि बनू मुजाशेअ से थे, उयय्ना बिन बद्र फ़ज़ारी को, अल्क़मा बिन उलासा आमिरी को, जो कि बनू किलाब में से था और ज़ैद ख़ैल ताई को जो कि बनू नब्हान में से था। इस बात से क़ुरैश और अन्सार को ग़ुस्सा आ गया। वह कहने लगे: आप नज्दी सरदारों को दे रहे

بَنِي نَبْهَانَ - قَالَ - فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ " إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ " . فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئَ الْوَجْنَتَيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ " مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي " . فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ " .

हैं और हमें छोड़ रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'मैं उनकी तालीफ़े क़ल्ब करता हूँ।' इतने में एक आदमी आया जिसकी आँखें अन्दर को धँसी हुई, रुख़्सार उभरे हुये, दाढ़ी घनी और सर मुण्डा हुआ था, वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद अल्लाह से डर। आपने फ़रमाया: 'अगर मैं ही अल्लाह का नाफ़रमान हूँ तो कौन अल्लाह की इताअत करेगा? उस (अल्लाह तआला) ने तो मुझे ज़मीन वालों पर अमीन बनाया है (तभी तो मुझे नबुवत से सरफ़राज़ फ़रमाया है) लेकिन तुम मुझे अमानतदार नहीं समझते?' चुनांचे हाज़िरीन में से एक शख़्स ने उसके क़त्ल की इजाज़त तलब की लेकिन आपने इजाज़त न दी। जब वह आदमी चला गया तो आपने फ़रमाया: उसकी नस्ल से कुछ ऐसे लोग नमूदार होंगे जो क़ुरआन पढ़ेंगे मगर वह उनके हल्क़ से नीचे नहीं जायेगा। दीन से इस तरह साफ़ निकल जायेंगे जिस तरह तीर अपने शिकार से साफ़ निकल जाता है। वह मुसलमान को क़त्ल करेंगे। बुत परस्तों को कुछ नहीं कहेंगे। (अल्लाह की क़सम!) अगर मैंने उन्हें पाया तो उन्हें क़ौमे आद की तरह क़त्ल कर दूँगा।'

(4106) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3564.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने वाला वाजिबुल क़त्ल है। (2) इस्लाम की तरफ़ माइल कराने, और इस्लाम का गर्वीदा करने के लिये मुअल्लिफतुल क़ुलूब लोगों को ज़कात दी जा सकती है जैसा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिये उन्हीं चार अफ़राद में सारा सोना तक़सीम फ़रमा दिया। चूंकि वह चारों अफ़राद बड़े क़बीलों के सरदार थे। नो मुस्लिम थे। अभी ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की तर्बीयत से फ़ैज़याब

नहीं हुये थे। ईमान दिल में जागुज़ीं न हुआ था। इस क़िस्म के लोगों को माल मिल जाये तो बड़े ख़ूश होते हैं और वफ़ादार बन जाते हैं। माल न मिलें तो फ़ित्ना खड़ा कर देते हैं। इर्तिदाद का भी ख़तरा होता है। (जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद हुआ।) इसलिए आपने उन्हें ख़ूब अ़तियात दिये। हुनैन की ग़नीमत से भी उन्हें सो सो ऊँट दिये और दीगर अ़तियात से भी नवाज़ा। आपका मक़सद उनकी तालीफ़े क़ल्ब था ताकि उनके दिलों में ईमान जागुज़ीं हो जाये और वह पक्के मोमिन बन जायें। क़ुरैश व अन्सार चूंकि ईमान में पुख़्ता थे, उनसे इस क़िस्म का कोई ख़तरा न था, इसलिये आपने उन्हें कुछ न दिया। (3) 'ग़ुस्सा आ गया' ये ग़ुस्सा भी कुछ नोजवानों को आया था वरना साबिक़ूने अव्वलून मुहाजिरीन व अन्सार से तो इसकी तवक़्क़ो भी नहीं की जा सकती थी। (4) इस हदीस़ शरीफ़ से मालूम होता है कि महज़ क़ुर्आन मजीद की तिलावत किसी शख़्स़ के मोमिन स़ादिक़ होने की दलील नहीं बन सकती जबकि वह क़ुर्आने मुक़द्दस के अ़मली तक़ाज़े पूरे न करे। (5) रसूलुल्लाह (ﷺ) इन्तेहाई मुतहम्मिल मिज़ाज और अ़फ़्वो दरगुज़र से काम लेने वाले अ़ज़ीम इन्सान थे। बड़े बड़े बे अदब और गुस्ताख़ लोगों से भी स़र्फ़े नज़र फ़रमा जाया करते थे, बिल ख़ुसूस़ अपनी ज़ात की ख़ातिर किसी से भी इन्तेक़ाम न लेते थे। (6) इस हदीस़ से ख़वारिज के साथ क़िताल करने की मशरूईयत भी स़ाबित होती है, ख़्वाह उन्हें मुर्तद समझ कर उनसे क़िताल किया जाये या इमामे आ़दिल का बाग़ी समझ कर किया जाये। (7) इस हदीस़ से ख़ारजियों की कुछ निशानियाँ भी मालूम होती हैं, जैसे: ज़ाहिरन वह आ़म मुसलमानों की निस्बत बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार होते हैं, और ये भी कि वह दूसरे लोगों के मुक़ाबले में मुसलमानों से बहुत ज़्यादा अ़दावत भी रखते हैं। (8) इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि कुछ लोग बग़ैर क़स़द व इरादा के दीने इस्लाम से निकल जाते हैं, हालांकि वह दीने इस्लाम पर किसी भी दूसरे दीन व मज़हबत को क़तअ़न तर्जीह नहीं दे रहे होते। (9) रसूलुल्लाह (ﷺ) की तक़सीम पर ऐतराज़ करने वाले शख़्स़ का नाम हदीस़ में ज़ुल्ख़ुवैसरा मज़्कूर है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 3610) बिला शुब्हा मोतरिज़ का ये ऐतराज़ ग़लत और ईमान के तक़ाज़ों के मुनाफ़ी है बल्कि उससे निफ़ाक़ मुतरश्शेह होता है। (10) इस मोतरिज़ को क़त्ल करने की इजाज़त तलब करने वाले हज़रात जनाब ख़ालिद बिन वलीद और हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) हैं। स़हीह बुख़ारी में इन दोनों के नामों की तस़रीह है। देखिये: (हदीस़: 3344, 3601) (11) इस हदीसे पाक से उ़मर बिन ख़त्ताब और ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) की अ़ज़ीम फ़ज़ीलत व मन्क़बत भी मालूम होती है कि वह दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुस्ताख़ को क़त्ल करने पर तैयार हो गये। (12) 'हल्क़ से नीचे न जायेगा' यानी क़ुर्आन की समझ हासिल न होगी। स़िर्फ़ पढ़ने से इल्म व हिकमत का हुसूल नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ का होना भी ज़रूरी है। (13) 'स़ाफ़ निकल जाता है' जिस तरह तेज़ तीर अपने शिकार से बिल्कुल स़ाफ़ निकल जाता है। ख़ून या गोबर की आलूदगी से स़ाफ़ रहता है। इसी तरह ये लोग क़ुर्आन मजीद से कोरे निकल जायेंगे और उन्हें

दीन का फ़हम हासिल नहीं होगा। ये मतलब नहीं कि वह काफ़िर होंगे क्योंकि ख़वारिज बहरसूरत मुसलमानों का एक फ़िर्क़ा थे जो दीन के मुबादी का इक़रार करते थे मगर सहाब-ए-किराम (ﷺ) का रास्ता छोड़ देने की वजह से गुमराह हो गये। (14) ये लोग हज़रत अली (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में ज़ाहिर हुये थे। पहले हज़रत अली (ﷺ) के हामी थे, फिर बग़ावत कर दी। बग़ावत की वजह से उन्हें ख़ारजी या ख़वारिज कहा गया। (अरबी में ख़ुरूज बग़ावत को कह देते हैं।) ये लोग हद से ज़्यादा नेक थे लेकिन कम अक़्ली की वजह से अपने अलावा किसी को मुसलमान न समझते थे। इन्तेहा पसन्द थे। हर गुनाह को कुफ़्र कहते थे और हर गुनाहगार को काफ़िर। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों को काफ़िर कह कर अक्सर क़त्ल करते थे और काफ़िरों को माज़ूर समझ कर छोड़ देते थे। इन्तेहा पसन्दी का नतीजा हमेशा ऐसा ही निकलता है, इसलिए इन्तेहा पसन्दी, तशद्दुद और तकल्लुफ़ की इस्लाम में मज़म्मत की गई है। (15) 'क़त्ल कर देगा' क्योंकि वह उम्मते मुस्लिमा के लिये नासूर की हैसियत रखते थे। सहाब-ए-किराम (ﷺ) तक को काफ़िर कहने और क़त्ल करने से दरेग़ नहीं करते थे। उनका क़त्ल उनके शर से बचने के लिये था न इसलिए कि वह काफ़िर थे। हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के समझाने के बावजूद बाज़ न आये। आख़िर हज़रत अली (ﷺ) ने उन्हें लड़ कर शिकस्त दी। हज़ारों मारे गये मगर अर्स-ए दराज़ तक उम्मते मुस्लिमा के लिये फ़ित्ना बने रहे। मालूम हुआ, हिदायत का मैयार सिर्फ़ नेकी नहीं बल्कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की पैरवी भी है जो कि असल दीने इस्लाम है। इस्लाम की वही ताबीर सही है जो सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने की। अगर उनका इत्तेफ़ाक़ हो तो उसकी पैरवी लाज़िम है और अगर उनमें इख़्तिलाफ़ हो तो फिर भी सहाब-ए-किराम (ﷺ) से बाहर नहीं जाना चाहिए। (16) ख़वारिज सिर्फ़ उस दौर के साथ ख़ास नहीं थे बल्कि बाद में भी इस ज़हनियत के लोग पैदा होते रहे हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। (17) जो शख़्स भी इन्तेहा पसन्द हो, बात बात पर कुफ़्र के फ़तवे लगाता हो, मुसलमानों को काफ़िर कह कर उनके क़त्ल का क़ाइल हो, सहाब-ए-किराम (ﷺ) को गुमराह या बिदअती कहता हो और अपने आपको सहाबा से बढ़ कर दीन का मुहाफ़िज़ समझता हो, वह ख़ारजी है चाहे किसी फ़िर्क़े से ताल्लुक़ रखता हो। वल्लाहु आलम! (18) ख़ारजियों की बाबत अहले इल्म के माबैन शदीद इख़्तिलाफ़ है। कुछ अहले इल्म उन्हें काफ़िर क़रार देते हैं जबकि अक्सर अहले इल्म उन्हें काफ़िर नहीं बल्कि फ़ासिक़ व फ़ाजिर और बिदअती क़रार देते हैं। काफ़िर क़रार देने वालों की दलील मज़्कूरा हदीस और इस जैसी दीगर अहादीस हैं कि जिनमें उनके मुताल्लिक़ इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाये गये हैं, जैसे: यम्रुक़ून मिनद्दीनी, फ़क़्तुलूहुम, फ़इन्ना क़त्लहुम अज्रून लिमन क़तलहुम यौमल क़ियामा और हुम शर्रुल ख़ल्क़ि वग़ैरह। लेकिन ख़ारजियों को बिदअती और फ़ासिक़ व फ़ाजिर क़रार देने वालों का कहना है कि ख़ारजी लोग शहादतैन (कलिम-ए-शहादत) का इक़रार करते हैं और अर्काने इस्लाम पर भी उनकी मुवाज़बत और हमेशगी है, लिहाज़ा वह काफ़िर नहीं।

चूंकि अहले इस्लाम के मुताल्लिक़ उनका नुक़्त-ए-नज़र दुरुस्त नहीं, इसलिये वह बिदअती और फ़ासिक़ व फ़ाजिर हैं। शायद अहादीस़ में उनकी बाबत ऊपर जिक्रकर्दा क़िस्म के शदीद अल्फ़ाज़ बोल कर उन्हें सख़्त तन्बीह करना और राहे मुस्तक़ीम पर लाना मक़सूद हो। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(4107) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'आख़िर ज़माने में कुछ नो उम्र, कम अक़्ल लोग ज़ाहिर होंगे। वह मख़लूक़ में से बेहतरीन शख़्स (हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ)) की बातें करेंगे। उनका ईमान उनके हल्क़ से तजावुज़ नहीं करेगा। दीन से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह शिकार (के जिस्म) से तीर (साफ़) निकल जाता है। जब तुम्हारी उनसे मुलाक़ात हो तो उन्हें (बेदरेग़) क़त्ल करो क्योंकि उनका क़त्ल क़त्ल करने वाले के लिये क़यामत के दिन अज्र व स़वाब का ज़रिया होगा।'

(4107) **तख़रीज :** (सनद स़ही) मुस्लिम: 1066, बुख़ारी, हदीस़: 3611, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3565.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ तलवार उठाने वाला वाजिबुल क़त्ल है (मगर ये कि वह ताइब हो जाये) (2) इस हदीस़ से ऐसे लोगों को ज़ज्र व तौबीख़ करना भी साबित होता है जो कुर्आने मुक़द्दस की उन तमाम आयात और उन अहादीसे रसूल के, सिर्फ़ ज़ाहिरी मआनी मुराद लेते हैं, और ये भी कि उनके ज़ाहिरी मआनी इज्मा-ए-अस्लाफ़ के ख़िलाफ़ होते हैं। (3) दीन में ग़ुलू करने वालों को तम्बीह करना भी इस हदीस़ से मालूम होता है। इसी तरह इस अन्दाज़ की इबादात से बचने का दरस भी मिलता है जिसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी और जिसमें शिद्दत और सख़्ती का पहलू नुमायाँ और ग़ालिब हो, हालांकि शारेअ(ﷺ) की लाई हुई शरीयत इन्तेहाई आसान, सहल और हर एक मर्दोज़न (मर्द-औरत) के लिये क़ाबिले अमल है। (4) इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि मुसलमानों के मुक़ाबले में काफ़िरों पर सख़्ती करना और उनके साथ अदावत व नफ़रत रखना मुस्तहब बल्कि ज़रूरी है। (5) ये हदीस़ रसूलुल्लाह(ﷺ) की नबुवत की अज़ीम दलील भी है कि आपने ऐसे लोगों की इत्तिला (बज़रीय-ए वह्य) उनके ज़हूर से भी पहले दे दी थी। (6) ख़ारजियों में पाई जाने वाली ख़राबियाँ अगर आज भी

लोगों में पाई जायें तो ऊपर दी गई शुरूत के तहत उन्हें क़त्ल करना जायज़ होगा और उनके क़ातिल के लिये रोज़े क़यामत अज्र भी साबित होगा बशर्ते कि ये काम इमामे आदिल और हाकिमे वक़्त करे। (7) ख़ारजी लोग उम्मते मुहम्मदिया के बिदअती ग्रुपों में से गन्दा और बदतरीन बिदअती फ़िर्क़ा हैं। (8) ऐतक़ादे फ़ासिद की बिना पर इमामे आदिल के ख़िलाफ़ बग़ावत करने वाले, उससे जंग करने वाले और ज़मीन में शर और फ़साद करने वाले, और इसी तरह के क़बीह अफ़आल के मुर्तकिब लोगों के ख़िलाफ़ क़िताल करना जायज़ है। वल्लाहु आलम! (9) 'नो उम्र और कम अक़्ल' उमूमन नौ उम्री में अक़्ल कम ही होती है। इल्म भी पुख़्ता नहीं होता, जज़्बात ग़ालिब होते हैं। तजुर्बा वसीअ नहीं होता जबकि इल्म उम्र और तजुर्बा व मुताला से पुख़्ता होता है, इसलिए 'नौ उम्र' आलिम को फ़तवा बाज़ी से परहेज़ करना चाहिए, ख़ुसूसन जबकि उसके फ़तावा जुम्हूर अहले इल्म और अहले फ़तवा से मुख़्तलिफ़ हों। नौ उम्र और नौ आमूज़ लोग शैतान के जाल में जल्दी फँसते हैं और उम्मत में फ़ित्ने का सबब बनते हैं। (10) 'मख़्लूक़ में से बेहतरीन' अहादीस में दो तरह के अल्फ़ाज़ आये हैं: मिन क़ौलि ख़ैरिल बरीया और मिन ख़ैरिल क़ौलिल बरीया। तर्जुमा में तो फ़र्क़ है मगर नतीजा एक ही है। ऊपर हदीस में तर्जुमा पहले अल्फ़ाज़ के लिहाज़ से किया गया है, दूसरे अल्फ़ाज़ का तर्जुमा यूँ होगा: 'लोगों की बेहतरीन बातें।' इससे मुराद क़ुर्आन व अहादीस ही हैं, यानी वह बात तो सही करेंगे मगर उसका मफ़हूम ग़लत समझेंगे। क़ुर्आन मजीद का सही मफ़हूम अहादीस की मदद से और अहादीस का सही मफ़हूम सहाबा के तर्ज़े अमल और फ़तावा की मदद से समझना चाहिए वरना गुमराही का ख़तरा है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى، رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَ[illegible] الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ نَعَمْ

(4108) हज़रत शरीक बिन शिहाब से मन्क़ूल है कि मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाब-ए-किराम (رضی الله عنهم) में से किसी को मिलूँ और उनसे ख़ारजियों के बारे में पूछूँ, चुनांचे ईदुल मुबारक के दिन हज़रत अबू बर्ज़ा (رضی الله عنه) के साथ मेरी मुलाक़ात हुई। उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे। मैंने उनसे कहा: आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ख़ारजियों का ज़िक्र फ़रमाते सुना है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) (के फ़रमान) को अपने कानों से सुना और मैंने (उस वक़्त) आपको अपनी आँखों से देखा कि आपके पास कुछ माल लाया गया। आपने उसे तक़्सीम फ़रमा

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ . رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ " وَاللَّهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي " . ثُمَّ قَالَ " يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرِيكُ بْنُ شِهَابٍ لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ .

दिया। अपनी दायें बायें तरफ़ वाले लोगों को दिया लेकिन अपने पीछे वाले लोगों को कुछ न दिया। आपके पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ और कहा: ऐ मुहम्मद! आपने तक़्सीम में इन्साफ़ नहीं किया। वह आदमी काले रंग का, मुण्डे हुये सर वाला था। उस पर दो सफ़ेद कपड़े थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) को (ये सुन कर) शदीद ग़ुस्सा आया और आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! तुम मेरे बाद कोई आदमी मुझसे बढ़ कर इन्साफ़ करने वाला नहीं पाओगे।' फिर फ़रमाया: 'अख़ीर ज़माने में ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे, और ये भी मुझे उन्हीं से लगता है, जो क़ुर्आन पढ़ेंगे, मगर वह उनके हल्क़ से नीचे नहीं उतरेगा। वह इस्लाम से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर अपने शिकार से (साफ़) निकल जाता है। उनकी ख़ुसूसी अलामत सर मुण्डवाना है। वह लोग हमेशा (बार बार) निकलते रहेंगे यहाँ तक कि उनमें से आख़री गिरोह मसीह दज्जाल के साथ निकलेगा। जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें (बे दरीग़) क़त्ल करो। वह तमाम मख़लूक़ात में से बदतरीन लोग हैं।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि शरीक बिन शिहाब (रावि-ए-हदीस) कोई मारूफ़ आदमी नहीं। (बल्कि मज्हूल है क्योंकि अज़रक़ बिन क़ैस के अलावा दूसरे किसी शख़्स ने उससे रिवायत बयान नहीं की।)

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी शैबा: 15/320, 321, मुसनद अहमद: 4/421, 424, 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3566, व सहीह अलहाकिम: 2/146, 147.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नहीं पाओगे' नबी से बढ़ कर कोई इन्साफ़ करने वाला नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी इन्साफ़ पसन्द हो। (2) 'सर मुण्डवाना' सर मुण्डवाना अगरचे जायज़ है और हज में मुस्तहब है मगर किसी जायज़ चीज़ को लाज़िम कर लेना और उसे शरई मसला समझ लेना और उसे ख़्वाह मख़्वाह मुस्तहब बना लेना क़तअन नाजायज़ है। वह लोग भी सर मुण्डने को अपना शिआर बना लेंगे और उसे लाज़िम समझेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि आपने उसे सिर्फ़ बतौर अलामत बयान फ़रमाया है। इसकी मज़मत नहीं फ़रमाई क्योंकि अगर किसी जायज़ चीज़ को मुस्तक़िल्लन इख़्तियार कर लिया जाये मगर उसे शरई मसला और अफ़ज़ल ख़्याल न किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। बसा औक़ात इन्सान अपनी सहूलत के लिये एक जायज़ चीज़ को मुस्तक़िल्लन इख़्तियार कर लेता है, जैसे कोई शख़्स हमेशा क़मीस़ पहने या बन्द जूता पहने। ज़ाहिर है इसमें कोई क़बाहत नहीं और अगर वह काम अफ़ज़ल और मुस्तहब है तो फिर उस पर दवाम बदर्जे-ए-औला मुस्तहब है, जैसे इशराक़ की दो रकअतें वग़ैरह। (3) 'आख़री गिरोह' गोया ख़्वारिज वाली ज़हनियत क़यामत तक रहेगी। (4) 'मसीह दज्जाल' यानी झूठा और दग़ा बाज़ मसीह। जिस तरह हम अब किसी मुद्दइये नबुवत को झूठा नबी कहें। चूंकि वह मसीह होने का दावा करेगा बल्कि उस वक़्त के यहूदी उसे 'मसीह' तस्लीम करके उसकी पैरवी करेंगे। अब भी यहूदी मसीह की आमद के मुन्तज़िर हैं। (हालांकि मसीह (عليه السلام) तो कब के आ चुके) इसलिए उसे मसीह दज्जाल कहा गया। दज्जाल सिफ़त का स़ेग़ा है, किसी का नाम या लक़ब नहीं। इसके मआनी हैं: इन्तेहाई दग़ाबाज़, झूठा और फ्रोडी। गोया इन अल्फ़ाज़ से इसका मसीह होना स़ाबित नहीं होता बल्कि झूठा होना स़ाबित होता है, जैसे 'झूठा नबी' कहने से किसी की नबुवत स़ाबित नहीं होती। (5) 'बदतरीन लोग' क्योंकि वह मुसलमानों को क़त्ल करेंगे। और मुसलमानों का क़ातिल बदतरीन जहन्नमी है।

बाब : (27) मुसलमान से (मुसल्लह) लड़ाई लड़ना (कुफ़्र की बात है)

باب(٢٧): قِتَالِ الْمُسْلِمِ

(4109) हज़रत सअद बिन अबू वक़्क़ास़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान से लड़ना कुफ़्र और उसे गाली देना फ़िस्क़ (कबीरा गुनाह) है।'

(4109) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/176, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3567.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलमान के साथ लड़ाई करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह और कुफ़्रिया अमल है। (2) इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमान की इज़्ज़त व हुर्मत और उसका वक़ार बहुत ज़्यादा है, लिहाज़ा जो शख़्स किसी मुसलमान की बेइज़्ज़ती और तौहीन करता या उसे सताता है, वह ईमान के तक़ाज़े पामाल करता है, चुनांचे अपने ईमान की हिफ़ाज़त के लिये उस पर लाज़िम है कि वह हर मुसलमान की ताज़ीम व तकरीम करे,और उसे बेइज़्ज़त करने से एहतिराज़ करे और गाली गलोच जैसे क़बीह अमल से किनाराकशी करते हुये मोहतात रवैया अपनाये। ये काम किसी मुसलमान के शायाने शान नहीं। (3) इस हदीस से ये भी साबित होता है कि जब आम मुसलमान को गाली गलोच देना कबीरा गुनाह और नाजायज़ अमल है तो सहाब-ए-किराम (ﷺ) जो तमाम उम्मत से अफ़ज़ल व अकरम और आला व अरफ़ा दर्जे के मुसलमान हैं, उनको सब्बो-शतम का निशाना बनाना किस क़द्र गन्दा, क़बीह व ग़लीज़ अमल और घिनौना जुर्म होगा। (4) ये हदीस मुर्जिआ फ़िर्क़े के उस बातिल अक़ीदे का सरीह तौर पर रद्द करती है कि इन्सान के लिये ईमान के साथ गुनाह नुक़सानदेह नहीं होते, और उनके इस अक़ीदे का भी इस हदीस से रद्द होता है कि आमाल ईमान का हिस्सा नहीं। (5) हुक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी भी अज़ हद ज़रूरी है। एक कामिल मोमिन के लिये ज़रूरी है कि सर ता पा अपने तमाम आज़ा (अंगों) को सोच समझ कर इस्तेमाल करे, बिल ख़ुसूस हाथ और ज़बान से किसी भी मुसलमान को मामूली से मामूली नुक़सान और तक्लीफ़ तक न दे। (6) 'लड़ाई लड़ना' उससे मुसल्लह लड़ाई मुराद है। ज़बानी या दस्ती या लाठी की लड़ाई को अरबी ज़बान में क़िताल नहीं कहते क्योंकि इस क़िस्म की लड़ाई में किसी के क़त्ल होने का ग़ालिब इम्कान नहीं होता। (क़िताल क़त्ल से बना है।) (7) 'कुफ़्र है' यहाँ कुफ़्र से मुराद कुफ़्र दून कुफ़्र है, वह कुफ़्र मुराद नहीं जिसकी वजह से मुसलमान मुसलमान ही नहीं रहता, यानी यहाँ कुफ़्रे अकबर मुराद नहीं बल्कि कुफ़्रिया अमल की निशानदेही मुराद है, और मुसलमान से लड़ाई की शदीद क़बाहत का बयान मक़सूद है। वल्लाहु आलम! (8) फ़िस्क़ से मुराद कबीरा गुनाह है। जिसके करने से इन्सान काफ़िर तो नहीं बनता मगर सही मोमिन भी नहीं रहता। गाली गलोच इसलिये फ़िस्क़ है कि ये लड़ाई का पेश ख़ैमा है। आम तौर पर गाली गलोच क़त्ल व क़िताल का सबब बन जाते हैं, और गाली गलोच करना फ़ासिक़ीन का काम है। मज़ीद बरां ये भी कि जिन कामों को कुफ़्र व फ़िस्क़ या जाहिलियत के काम कहा गया है, उनसे बचना बहुत ज़रूरी बल्कि वाजिब है क्योंकि ऐसे काम किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देते और न किसी मोमिन के लाइक़ ही हैं।

(4110) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ और उससे लड़ाई लड़ना कुफ़्र है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

(4110) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3568.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ . فَقَالَ لَهُ أَبَانُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَمَا سَمِعْتَهُ إِلاَّ مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الأَسْوَدِ وَهُبَيْرَةَ .

(4111) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ (कबीरा गुनाह) है और उससे लड़ना कुफ़्र है।

अबान ने (अबू इस्हाक़ से) पूछा: अबू इस्हाक़! आपने ये हदीस़ सिर्फ़ अबुल अह्वस से सुनी है? उन्होंने कहा: (नहीं) बल्कि अस्वद और हुबैरा से भी मैंने ये हदीस़ सुनी है।

(4111) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3569.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

(4112) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ और उससे लड़ाई लड़ना कुफ़्र है।

(4112) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3570.

फ़ायदा : ये मआनी पहले मआनी से मुख़्तलिफ़ हैं, ताहम अरबी तरकीब के लिहाज़ से ये मआनी भी बन सकते हैं कि मुसलमान को ये काम नहीं करने चाहिए।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " .

(4113) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उससे लड़ाई करना कुफ़्र है।'

(4113) तख़रीज : (सनद सही मरफ़ूअ) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3571.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، وَسُلَيْمَانَ، وَزُبَيْدًا، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " . مَنْ تَتَّهِمُ أَتَتَّهِمُ مَنْصُورًا أَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا أَتَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ قَالَ لاَ وَلَكِنِّي أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ .

(4114) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द)(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान को गाली गलोच करना फ़िस्क़ और उससे लड़ाई लड़ना कुफ़्र है।'

(इमाम शोबा ने अपने उस्ताद हम्माद से कहा:) तुम किस पर तोहमत लगाते हो? क्या तुम मन्सूर पर तोहमत लगाते हो? क्या तुम ज़ुबैद पर तोहमत लगाते हो? क्या तुम सुलैमान पर तोहमत लगाते हो? हम्माद ने कहा: नहीं (मैं इनमें से किसी पर भी तोहमत नहीं लगाता) लेकिन मैं (इन सबके उस्ताद) अबू वाइल पर तोहमत लगाता हूँ। (कि आया उसने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से ये हदीस़ सुनी है या नहीं।)

(4114) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 48, मुस्लिम, हदीस़: 64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3574.

फ़ायदा : ऊपर दिये गये मसले की तफ़्सील कुछ इस तरह से है कि हम्माद, जिससे इमाम शोबा ने मन्सूर वग़ैरह पर तोहमत लगाने की बाबत पूछा था, ग़ालिबन ये हम्माद बिन अबू सुलैमान है। वह इमाम शोबा का शैख़ था और मुर्जिआ में से था। ये तो मालूम ही है कि मुर्जिआ फ़िर्क़े का अ़क़ीदा है कि आमाल, ईमान का जुज़ नहीं और ये भी कि जब कोई शख़्स़ कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो जाता है तो फिर ईमान के साथ उसके लिये कोई गुनाह नुक़सानदेह नहीं हो सकता और ये अ़क़ीदा क़तअ़न बातिल है। हम्माद का अबू वाइल को मुत्तहम करना ग़लत है। इससे उनका मक़सद अपने बातिल अ़क़ीदे का दिफ़ा करना है। अबू वाइल से मुराद हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा हैं जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) के मारूफ़ शागिर्द और मुख़ज़रम ताबेई हैं। मुर्जिआ के ज़हूर के बाद, हज़रत अबू वाइल (رحمه الله) से जब इन (मुर्जिआ) के मुताल्लिक़ पूछा गया तो साइल के जवाब में उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की यही हदीस़ बयान फ़रमाई कि असबाबुल मुस्लिम फ़िस्क़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 64) चूंकि इस मुत्तफ़क़ अ़लैहि हदीस़ शरीफ़ से मुर्जिआ के मज़्कूरा बातिल अ़क़ीदे का स़रीह तौर पर रद्द होता है, इसलिये इस हदीस़ के बुनियादी रावी हज़रत अबू वाइल(رحمه الله) ही को मुत्तहम करने की नापाक जसारत करते हुये ये कहा गया कि मालूम नहीं अबू वाइल ने ये हदीस़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन

मसऊद (ﷺ) से सुनी भी है कि नहीं? लेकिन अल्लाह तआला करोड़ों रहमतें फ़रमाये जमाअते अस्हाबुल हदीस़ पर कि जिन्होंने बिदअतियों के फ़रार की तमाम राहें बन्द कर दीं, सहीह मुस्लिम में इस बात की क़तई स़राहत मौजूद है कि अबू वाइल (رحمه الله) ने जो हदीस़ बयान फ़रमाई है, ला रैब! वह रसूलुल्लाह (ﷺ) ही का सच्चा फ़रमान है। इसमें क़तअन कोई शक नहीं। हज़रत अबू वाइल से बयान करने वाले उनके शागिर्द ज़ुबैर ने कहा कि मैंने हज़रत अबू वाइल से, ये हदीस़ शरीफ़ सुन कर पूछा: क्या आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से सुना है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये हदीस़ बयान फ़रमाते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से सुना है कि वह ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं।) देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: (116)-64)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " . قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ .

(4115) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान का गाली देना फ़िस्क़ और उसका (दूसरे मुसलमानों से) लड़ाई करना कुफ़्र है।'

ज़ैद कहते हैं: मैंने अबू वाइल से पूछा: क्या आपने इस हदीस़ को अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से सुना है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (सुना है)

(4115) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3575.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " .

(4116) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ और उससे लड़ाई लड़ना कुफ़्र है।'

(4116) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3576.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

(4117) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ और उससे लड़ाई लड़ना कुफ़्र है।

(4117) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3577.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ .

(4118) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मोमिन से लड़ाई लड़ना कुफ़्र और उसको गाली देना फ़िस्क़ है।

(4118) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3578.

फ़ायदा : तकरार से मक़सूद ये है कि कुछ रावियों ने इस रिवायत को मरफ़ूअ (रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान) बयान किया है और कुछ ने मौक़ूफ़ (सहाबी का क़ौल) ये इख़्तिलाफ़ नुक़सानदेह नहीं क्योंकि मौक़ूफ़ से मरफ़ूअ की नफ़ी नहीं होती, और रिवायत का दोनों तरह मरवी होना दुरुस्त ठहरता है। बशर्ते कि इस्नादी ज़ुअफ़ से पाक हों। गोया अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने भी फ़रमाया और सहाबी ने भी वही बात कह दी।

التَّغْلِيظِ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ

बाब : (28) जो शख़्स किसी मुब्हम झण्डे के नीचे लड़े, उसकी बाबत शदीद वईद

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".

(4119) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स (तस्लीम शुदा अमीर की) इताअत से निकल जाये और जमाअत से जुदा हो जाये, अगर वह उसी हाल में मरा तो जाहिलियत की मौत मरा। जो शख़्स मेरी उम्मत के ख़िलाफ़ (मुसल्लह होकर) निकला और हर नेक व बद को बिला इम्तियाज़ क़त्ल करने लगा, वह न मोमिन की परवाह करता है न किसी ज़िम्मी की अहद का लिहाज़ रखता है तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और जो शख़्स (किसी क़िस्म के हिज़्बी, क़ौमी या मज़हबी व गिरोही तास्सुब में आकर) किसी मुब्हम और अँधे झण्डे के नीचे लड़ा, किसी एक जमाअत की तरफ़ दावत देता है या किसी जमाअत की ख़ातिर वह गुस्से में आकर लड़ता है और मारा जाता है तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी।'

(4119) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1848, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3579.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिलकुल वाज़ेह है कि जो शख़्स अँधाधुन गिरोही और हिज़्बी तअस्सुब का शिकार होकर अँधे और मुब्हम झण्डे के नीचे लड़ता हुआ मरा, वह हराम मौत ही मरा। (2) इस हदीस शरीफ़ का तक़ाज़ा है कि तमाम अहले इस्लाम को शरई तौर पर बा इख़्तियार हाकिम व अमीर मुक़र्रर करके उसके हाथ मज़बूत करने चाहिए और उसकी हिदायात के मुताबिक़ दुश्मनाने इस्लाम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होना चाहिए। (3) बा इख़्तियार शरई हाकिम व अमीर की इताअत वाजिब है, और मुसलमानों की जमाअत के साथ लुज़ूम भी ज़रूरी है। (4) अहले इस्लाम जिस शख़्स को अपना इमाम व हाकिम मुक़र्रर कर दें, शरई तक़ाज़ों के मुताबिक़ उसकी इत्तिबा वाजिब और सबीलुल मोमिनीन की मुख़ालिफ़त हराम है। (5) मज़्कूरा सिफ़ात के हामिल शरई अमीर की इताअत न करने वाला अहले जाहिलियत के मुशाबेह है, और उसी हालत में मर जाने वाला जाहिलियत की मौत मरेगा। (6) ऐसे शरई हाकिम की मुख़ालिफ़त करना, उसकी इताअत न करना कबीरा गुनाह है। (7) इस हदीस से ये भी साबित होता है कि फ़िस्क़ व फ़ुजूर और कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब, मिल्लते इस्लामिया से ख़ारिज नहीं होता मगर ये कि वह सरीह कुफ़्र का इर्तिकाब करे या मुर्तद होकर दीने इस्लाम से किनाराकश हो जाये। (8) 'तस्लीम शुदा अमीर' इससे मुराद वह मुसलमान हाकिम है जो या तो मुन्तख़ब शुदा हो या वैसे लोग उस पर मुत्तफ़िक़ हों, वह अमन व अमान क़ाइम करता हो, मुजरिमीन को सज़ाएँ देता, (शरई हुदूद हों या दीगर सज़ाएँ) और उम्मते मुस्लिमा के दिफ़ा का फ़रीज़ा सरअंजाम देता हो, न कि वह काग़ज़ी अमीर जिनको टिड्डी दल तन्ज़ीमें अपना अमीर बना लेती हैं और वह बैक वक़्त एक दूसरे के मुख़ालिफ़ भी होती हैं। ऐसे अमीर सिवाए दफ़्तरी सहूलतों के इस्तेमाल के और कुछ नहीं कर सकते। न मुल्की इन्तेज़ाम में उनका कोई दख़ल होता है और न मुल्की दिफ़ा में। न उनकी इताअत का मुआशरे को कोई फ़ायदा है न उनकी नाफ़रमानी का नुक़सान। वह तन्ज़ीमें सियासी हों या मज़हबी, हर शहर में वाफ़िर मिक़्दार (ज़्यादा मात्रा) में पाई जाती हैं। एक पुलिस अहलकार उनके अमीरों से ज़्यादा इख़्तियारात का मालिक होता है। ऐसे अमीर और ऐसी तन्ज़ीमें यहाँ मुराद नहीं। जब तक किसी का जी करे, इन तन्ज़ीमों में रहे और जब जी करे, उन्हें छोड़ जाये। उनमें दाख़िल होने का कोई सवाब नहीं और उन्हें छोड़ने में कोई अज़ाब नहीं, अलबत्ता अगर उसने कोई अहद और वादा किया हो तो उसकी पाबन्दी ज़रूरी है बशर्ते कि वह वादा और अहद शरीयत के ख़िलाफ़ न हो। (9) 'जमाअत से जुदा हो जाये' जमाअत से मुराद मुसलमानों की ज़माअत है जो एक इमाम व हाकिम पर मुत्तफ़िक़ हो या अक्सरियत उस पर मुत्तफ़िक़ हो। ऐसी सूरत में अक़्लियत को भी हाकिम ही की ताअत करना होगी। अगर कोई शख़्स ऐसी जमाअत से निकल जाये, यानी अमीर से बाग़ी हो जाये और जमाअत में तफ़रक़ा की कोशिश करे तो ख़्वाह वह तबई मौत मरे या हुकूमत उसे बग़ावत की सज़ा में मार दे, उसकी मौत ग़ैर इस्लामी होगी। (10) 'जाहिलियत की मौत' यानी जाहिलियत में लोग बग़ैर किसी इमारत और नज़्म के

रहते थे। कोई किसी का मातहत न था। इसी तरह ये भी नज़्म और जमाअत से बाहर मरा, गोया काफ़िरों जैसी मौत मरा अगरचे वह काफ़िर नहीं। ये तब है अगर वह बग़ावत न करे और फ़ित्ना पैदा न करे। अगर वह बग़ावत करे, फ़ित्ना पैदा करे या उम्मते मुस्लिमा में तफ़रीक़ पैदा करे तो वह वाजिबुल क़त्ल है। **(11)** 'उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं।' क्योंकि वह बाग़ी के हुक्म में है। उससे ख़ारजियों वाला सुलूक होगा। (देखिये, हदीस़: 4104, 4106, 4108) **(12)** 'मुब्हम और अँधे झण्डे' मुब्हम से मुराद जिसका हक़ या बातिल होना वाज़ेह न हो। और अँधे से मुराद कि वह लड़ाई किसी फ़िर्क़े, गिरोह या नस्ल की ख़ातिर हो। उसकी बुनियाद तअस्सुब पर हो। ऐसी जंग में मारा जाने वाला हराम मौत मरेगा जिस तरह लोग दौरे जाहिलियत में अपने क़बीले, गिरोह या साथी और दोस्त के लिये लड़ते थे। हक़ ना हक़ का कोई ऐसा इम्तियाज़ न था और हराम मौत मरते थे। सिर्फ़ अला-ए-कलिमतुल्लाह की ख़ातिर लड़ने वाला ही शहादत की मौत मरेगा न कि मुसलमानों के साथ लड़ने वाला, ख़्वाह वह कैसा ही ख़ूश नुमा नारा लगा कर क्यूँ न लड़े, जैसे: हुब्बे अहले बैत या हुब्बे सहाबा वग़ैरह। ये इसलिये कि बाहमी लड़ाई बहरहाल हराम है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

(4120) हज़रत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स (अँधाधुन तअस्सुब में आकर) किसी मुब्हम और अँधे झण्डे के तहत लड़ा, वह सिर्फ़ अपने गिरोह की हिमायत में लड़ता और उसी की हिमायत में ग़ज़ब नाक होता है, (वह मारा जाये) तो उसकी मौत जाहिलियत की (हराम) मौत होगी।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि (इस हदीस़ का रावी) इमरान अल क़त्तान क़वी नहीं है।

(4120) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1850, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3580.

बाब : (29) मुसलमान का क़त्ल हराम है

باب(٢٩): تَحْرِيمِ الْقَتْلِ

(4121) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई मुसलमान अपने भाई की तरफ़ अस्लहे के साथ इशारा करे (एक मुसलमान दूसरे पर हथियार उठा ले और दूसरा भी उठा ले) तो वह दोनों जहन्नम के किनारे पर होते हैं। और जब एक, दूसरे को क़त्ल कर दे तो दोनों इकट्ठे जहन्नम में गिर पड़ते हैं।'

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا "

(4121) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7083, मुस्लिम, हदीस: 2888/16, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3581.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमान को नाहक़ क़त्ल करना कबीरा गुनाह और हराम है, और ये भी साबित होता है कि इस कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जहन्नम की आग का मुस्तहिक़ हो जाता है। (2) इस हदीस शरीफ़ से ये मसअला भी साबित होता है कि जब कोई शख़्स किसी भी (अच्छे या बुरे) काम का पुख़्ता इरादा कर लेता है लेकिन किसी वजह से उस पर अमल नहीं कर सकता तो भी अपने अज़्म के मुताबिक़ वह शख़्स मुवाख़िज़े या अज्र का मुस्तहिक़ बन जाता है। (3) मुर्तकिबे कबीरा, मिल्लते इस्लामिया से ख़ारिज नहीं होता बल्कि वह मोमिन और मुस्लिम ही रहता है जैसा कि क़ुर्आन मजीद में भी उन्हें मोमिन कहा गया है। और मज़्कूरा अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी उन्हें मुसलमान कहा है। (4) 'गिर पड़ते हैं' ये तब है जब दोनों की नियत लड़ाई की हो। दोनों नंगे मुसल्लह हों। दोनों एक दूसरे को क़त्ल करने के दर पे हों, अलबत्ता दाव एक का लग गया, तो क़ातिल व मक़्तूल दोनों यक्सां जहन्नमी होंगे क्योंकि दोनों की नियत क़त्ल की थी। इस हदीस से मुराद भी यही है कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें, जिस तरह कि अगली अहादीस में इसकी सराहत मौजूद है। वल्लाहु आलम!

(4122) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से मरवी है कि जब दो मुसलमान एक दूसरे पर अस्लहे के साथ हम्ला करें, वह दोनों जहन्नम के किनारे पर होते हैं। फिर जब उनमें से कोई एक, दूसरे को क़त्ल

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ إِذَا حَمَلَ

الرَّجُلاَنِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ .

कर देता है तो दोनों आग में जाते हैं। (क़ातिल तो मुसलमान को क़त्ल करने की वजह से और मक़्तूल इसलिये कि उसकी नियत भी मुसलमान को क़त्ल करने ही की थी)

(4122) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3582.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .

(4123) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे के मुक़ाबिल आ जायें, फिर उनमें से एक दूसरे को क़त्ल कर दे तो वह दोनों जहन्नम में जायेंगे।' पूछा गया: अल्लाह के रसूल! क़ातिल का जहन्नम में जाना तो समझ में आता है मगर मक़्तूल के जहन्नम में जाने की वजह क्या है? आपने फ़रमाया: 'उसका इरादा भी अपने साथी को क़त्ल करने का था।'

(4123) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3964, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3583.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ مِثْلَهُ سَوَاءً " .

(4124) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे के मुक़ाबिल आ जायें, फिर उनमें से कोई दूसरे को क़त्ल कर दे तो वह दोनों आग में जायेंगे।' ये रिवायत भी बिल्कुल पहली रिवायत की तरह है।

(4124) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3584, सियाती, हदीस: 4129.

(4125) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने आ जायें जबकि उनमें से हर एक, दूसरे को क़त्ल करना चाहता हो (फिर ख़्वाह कोई किसी को क़त्ल कर दे) तो दोनों आग में जायेंगे।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क़ातिल तो ठीक है मगर मक़्तूल क्यों? आपने फ़रमाया: 'वह भी अपने साथी को क़त्ल करने पर हरीस़ था।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/46, 47, 51, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3585, देखें, हदीस़: 4127.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ " . قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

(4126) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान तलवारें लेकर मुक़ाबला करने लगें, फिर उनमें से एक दूसरे को क़त्ल कर दे तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।'

(4126) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3586.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " .

(4127) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब दो मुसलमान अपनी तलवारें (या कोई भी अस्लहा) लेकर आमने सामने आ जायें, फिर उनमें से एक दूसरे को क़त्ल कर दे तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।' स़हाबा ने अर्ज़ की: क़ातिल तो जहन्नम में जाये मगर मक़्तूल क्यूँ? आपने फ़रमाया: 'उसने भी तो

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ".

अपने साथी को क़त्ल करने का इरादा किया था।'

(4127) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7083, मुस्लिम, हदीस: 2888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3887.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " .

(4128) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान तलवारें लेकर एक दूसरे से लड़ने लगें, फिर उनमें से एक दूसरे को मार दे तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।'

(4128) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3588.

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .

(4129) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान तलवारों से मुसल्लह होकर एक, दूसरे के आमने सामने आ जायें (और लड़ने लगें), फिर उनमें से एक, दूसरे को क़त्ल कर दे (या दोनों एक दूसरे को क़त्ल कर दें) तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल क़ातिल का जहन्नम में जाना तो सही है मगर मक़्तूल क्यूँ आग में जायेगा? आपने फ़रमाया: 'उसका इरादा भी अपने साथी को क़त्ल करने ही का था।'

(4129) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3589.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ

(4130) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो।'

سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

(4130) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 66/120, बुख़ारी, हदीस: 6868, 6166, 7077, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3590.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** मुसलमानों से लड़ना काफ़िरों का काम है। अगर मुसलमान मुसलमानों से लड़ने लगें तो काफ़िरों के मुशाबेह हो गये, और उससे काफ़िरों का मक़सद पूरा हो गया। उन्हें लड़ने की ज़रूरत ही न रही। जो शख़्स बाहमी इख़्तिलाफ़ात की बिना पर लड़ाई को जायज़ समझता है, वह हक़ीक़तन काफ़िर है क्योंकि वह एक हराम काम को हलाल क़रार देता है। अगर वैसे ही जज़्बात में आकर लड़ाई लड़ने लगा तो फिर काफ़िर तो न होगा मगर उसका ये काम काफ़िरों के मुशाबेह होगा। ऐसे में वह अगर किसी को क़त्ल करेगा तो उसे क़िसासन क़त्ल किया जायेगा। **(2)** कभी कभी ग़लत फ़हमी की बिना पर जंग छिड़ जाती है या शर पसन्द अनासिर फ़रीक़ैन में लड़ाई भड़का देते हैं तो इससे फ़रीक़ैन काफ़िर न होंगे जैसे जंगे जमल और सिफ़्फ़ीन में हुआ। हज़रत आयशा, ज़ुबैर, तल्हा, मुआविया और अम्र बिन आस (ﷺ) हजरत उस्मान के नाहक़ क़त्ल का क़िसास चाहते थे मगर क़ातिलीने उस्मान अपनी गर्दन बचाने के लिये जंग बरपा कर देते थे। हज़रत अली (ﷺ) इस अन्दाज़ से क़त्ल के मुतालबे को बग़ावत से ताबीर करते थे। और बग़ावत फ़रो करने को सरकारी फ़रीज़ा समझते थे मगर मामला इतना सादा न था। ग़ैर मुसलमानों की साज़िशें काफ़ी गहरी थीं। फ़रीक़ैन में ऐसी ग़लतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी थीं कि न चाहते हुये भी उनमें लड़ाई होती गई अगरचे फ़रीक़ैन नेक नियत थे। उनकी नेक नियती के लिये उनका सहाबी होना ही काफ़ी है। सहाबा आम लोग नहीं थे बल्कि: (उलाइकल्लज़ीनम्तहनल्लाहु .....) (अल हुजुरात: 39/3) वह अल्लाह तआला के मुन्तख़ब शुदा अफ़राद थे, इसलिये उनके बारे में इन्तेहाई अच्छा गुमान रखना ज़रूरी है, वरना अपने ईमान का ख़तरा है। वह लोग यक़ीनन जन्नती हैं। उनके लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाम बनाम बशारतें मौजूद हैं। उनसे बदगुमानी रखने वाला ईमान से बेबहरा है। (ﷺ). **(3)** 'काफ़िर न बन जाना' काफ़िर के एक मआनी नाशुक्रा भी हैं। आपस में लड़ना नेअमते ईमान की नाशुक्री है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(4131) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लग जाओ। किसी शख़्स को उसके बाप या भाई के जुर्म में न पकड़ा जायेगा।'

اللَّهِ ﷺ " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلاَ جِنَايَةِ أَخِيهِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ .

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये (मज़्कूरा रिवायत मुत्तसिल बयान करना) ग़लत है। दुरुस्त (ये है कि ये) रिवायत मुर्सल है।

(4131) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3591.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) के क़ौल की वज़ाहत कुछ इस तरह से है कि मज़्कूरा रिवायत कुछ रुवात ने मुत्तसिल बयान की है और कुछ ने मुर्सल। इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत का मुत्तसिल होना दुरुस्त नहीं बल्कि दुरुस्त बात ये है कि ये रिवायत मुर्सल ही है, इसलिये कि मुत्तसिल बयान करने वाले रावी शरीक और अबू बक्र बिन अयाश हैं और वह दोनों आमश से बयान करते हैं। आमश से ये रिवायत अबू बक्र बिन अयाश और शरीक के अलावा अबू मुआविया और यअ्ला ने भी बयान की है और इन दोनों ने इसे मुर्सल ही बयान किया है, और उनकी बात ही मोतबर है, लिहाज़ा ये रिवायत मुर्सल ही दुरुस्त है। एक तो इसलिये कि शरीक कसीरुल ख़ता (बहुत ग़लतियाँ करने वाला) रावी है, दूसरे ये कि उसने और अबू बक्र बिन अयाश ने अबू मुआविया की मुख़ालिफ़त की है, हालांकि अबू मुआविया, आमश के तमाम शागिर्दों में से अस्बत रावी है, सिवाए सुफ़ियान सौरी के। अबू मुआविया ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है। मज़ीद बरां ये भी कि यअ्ला बिन उबैद ने (इसके मुर्सल बयान करने में) अबू मुआविया की मुताबिअत भी की है। **(2)** 'काफ़िर न बन जाना' ये मआनी भी किये गये हैं कि तुम मेरे बाद मुर्तद होकर काफ़िर न बन जाना वरना तुम्हारी हालत वही हो जायेगी जो इस्लाम से पहले थी कि तुम एक दूसरे की गर्दनें काटने लग जाओगे और आपस में क़त्ल व क़िताल का दौर दौरा होगा। वल्लाहु आलम! **(3)** 'न पकड़ा जायेगा' ये इस्लाम का सुनहरी उसूल है कि हर शख़्स अपने आमाल का जवाबदेह ख़ुद है। किसी के जुर्म में उसके भाई, बाप या बेटे को नहीं पकड़ा जा सकता मगर ये कि उनका उस जुर्म में दख़ल साबित हो। जाहिलियत में ये आम दस्तूर था कि क़ातिल की बजाये उसके किसी रिश्तेदार बल्कि उसके क़बीले के किसी भी फ़र्द का क़त्ल जायज़ समझा जाता था। एक शख़्स के जुर्म की वजह से उसका पूरा क़बीला मुजरिम बन जाता था, इसलिये क़त्ल व क़िताल आम था। और एक क़त्ल पर बसा औक़ात सैंकड़ों क़त्ल हो जाते थे। इस्लाम ने इस बे उसूली की नफ़ी और मज़म्मत फ़रमाई।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(4132) हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें उतारने लगो। किसी आदमी को उसके बाप या भाई के जुर्म में नहीं पकड़ा जा सकता।'

اللّٰهِ ﷺ" لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَلاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ " .

(4132) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3592.

फ़ायदा : अलबत्ता क़त्ले ख़ता में क़ातिल के नसबी रिश्तेदार बल्कि पूरा क़बीला उसके साथ मिलकर दियत अदा करेंगे। ये उस रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि ख़तअन क़त्ल जुर्म नहीं और मक़्तूल की दियत भरना रिश्तेदारों के लिये सज़ा नहीं बल्कि ये तो सिर्फ़ उस शख़्स के साथ तआवुन है जिससे बिला क़सद व इरादा क़त्ल सादिर हो गया। और मुसलमान मक़्तूल का ख़ून रायगां नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर क़ातिल ने जानबूझ कर क़त्ल किया हो तो उसका क़िसास उसी से ले लिया जायेगा और अगर दियत पर मामला तै हो जाये तो वह दियत भी ख़ुद ही अदा करेगा। रिश्तेदारों पर कोई ज़िम्मेदारी आइद न होगी क्योंकि वह मुजरिम है और मुजरिम से तआवुन कैसा?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ " . هَذَا الصَّوَابُ .

(4133) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें इस हाल में न पाऊँ कि तुम मेरे बाद काफ़िर बन जाओ और एक दूसरे की गर्दनें काटो। किसी शख़्स को उसके बाप या भाई के जुर्म में गिरफ़्तार न किया जायेगा।'

ये (मुर्सल रिवायत, मौसूल की निस्बत) दुरुस्त है।

(4133) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3593.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا " . مُرْسَلٌ.

(4134) हज़रत मस्रूक़ से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न बन जाओ।' (ये रिवायत) मुर्सल है (और यही सही है)

(4134) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4131, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3594.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا

(4135) हज़रत अबू बक्रा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद

إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

गुमराह न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो।'

(4135) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3595.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ قَالَ " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

(4136) हज़रत जरीर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा के दिन लोगों को चुप कराया और फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें उतारने लगो।'

(4136) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6869, मुस्लिम, हदीस: 65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3596.

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ". ثُمَّ قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

(4137) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली(ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'लोगों को चुप कराओ।' फिर आपने फ़रमाया: '(ऐ लोगो!) तुम्हें मुसलमान देखने के बाद मैं तुम्हें इस हाल में न पाऊँ कि तुम मेरे बाद काफ़िर बन जाओ और एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3597, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'मैं तुम्हें न पाऊँ' यानी क़यामत के दिन क्योंकि उस वक़्त सब राज़ खुल जायेंगे और उम्मत के आमाल रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ज़ाहिर हो जायेंगे, या जब तुम मरने के बाद मेरे पास आओगे तो तुम्हारी ये हालत नहीं होनी चाहिए। ये कलाम ज़ाहिरन तो अपने आपसे ख़िताब है मगर हक़ीक़तन मुख़ातब को समझाना मक़सूद है कि तुम्हारी ये हालत नहीं होनी चाहिए। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

माले ग़नीमत और माले फ़ै की तक़्सीम के मसाइल

मुसलमानों को काफ़िरों से जो माल मिलता है, उसे माले ग़नीमत कहते हैं, ख़्वाह वह माल जंग के दौरान में हासिल हो या बाद में या किसी भी तरीक़े से, अलबत्ता अ़रबी में माले ग़नीमत के हुसूल के मुख़्तलिफ़ तरीक़ों के मुख़्तलिफ़ नाम हैं, जैसे: जंग के दौरान में जो माल कुफ़्फ़ार से हासिल हो, ख़्वाह वह अस्लहा हो या माल व दौलत, भेड़ बकरियाँ और ऊँट हों या मर्द व औरतें, उसको माले ग़नीमत कहते हैं। और अगर लड़ाई के बग़ैर कोई माल हासिल हो, जैसे: सुलह के नतीजे में या किसी मुआहिदे के नतीजे में या उनकी कोई चीज़ वैसे मुसलमानों के क़ाबू में आ जाये, उसे माले फ़ै कहते हैं। फ़ै मुकम्मल तौर पर बैतुलमाल का हक़ होता है। इसमें किसी का कोई हक़ नहीं होता, अलबत्ता लड़ाई के दौरान या नतीजे में हासिल होने वाली ग़नीमत में से अगर इमाम चाहे तो फ़ौजियों को हिस्सा दे सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में और माबाद अदवार (बाद के ज़माने)में माले ग़नीमत से ख़ुम्स बैतुलमाल में रखा जाता था, बाक़ी लड़ने वालों में तक़्सीम कर दिया जाता था। कभी आप ये ख़ुम्स भी नहीं लेते थे और ऐलान फ़रमा देते थे कि जो शख़्स किसी को क़त्ल करे, उसका सामान वह ख़ुद ही ले सकता है। अस़ल बात ये है कि माले ग़नीमत दरअस़ल बैतुलमाल का हक़ है, अलबत्ता लड़ने वालों को इमामे वक़्त के तक़ाज़े के मुताबिक़ कुछ दे सकता है। इसका मुअय्यन हक़ नहीं। इसी तरह जंग के दौरान में अगर किसी इलाक़े पर क़ब्ज़ा हो तो ज़मीन भी बैतुलमाल की होगी, अलबत्ता इमाम मुनासिब समझे तो फ़ौजियों को ज़रूरत के मुताबिक़ ज़मीन भी तक़्सीम कर सकता है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ैबर फ़तह किया तो उसकी ज़र ख़ैज़ ज़मीन फ़ौजियों में तक़्सीम फ़रमा दी, मगर बाक़ी इलाक़े फ़तह किये तो ज़मीन तक़्सीम न फ़रमाई। हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने ज़मीन तक़्सीम करने से इन्कार कर दिया कि इस तरह तो कुछ लोग बड़े बड़े जागीरदार बन जायेंगे जबकि बाद वाले एक इंच से भी महरूम रहेंगे। गोया माले ग़नीमत के बारे में हाकिम मुख़्तार है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में चूंकि मुजाहिदीन की तनख़्वाहें मुक़र्रर नहीं थीं, इसलिये उनको ग़नीमत से हिस्सा दिया जाता था, बाद में बाक़ायदा फ़ौज तश्कील दी गई और तनख़्वाहें मुक़र्रर हो गईं जैसा कि आज कल है। तो अब फ़ौजियों को माले ग़नीमत से हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं,

हाँ हाकिम मुनासिब समझे तो उनको इनामात वग़ैरह दे सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुजाहिदीन को हिस्सा देना शरई मसला नहीं बल्कि इन्तेज़ामी मसला था। और इन्तेज़ामी मसाइल में हर हुकूमत तब्दीली का इख़्तियार रखती है जैसा कि हज़रत उमर (ﷺ) के ऊपर दिये गये तर्ज़े अमल से पता चलता है। बाक़ी रही क़ुर्आन मजीद की आयत: 'वअ्लम अन्नमा ग़निमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि ख़ुमुसहू' (अल अन्फ़ाल 8:41) तो इसका मतलब ये है कि जमीअ ग़नीमत मुजाहिदीन का हक़ नहीं बल्कि इसमें से बैतुलमाल का भी हक़ है। जो ख़ुम्स से ज़्यादा यहाँ तक कि कुल भी हो सकता है क्योंकि आयत में ख़ुम्स से ज़्यादा की नफ़ी नहीं, और आयत में बाक़ी माल को मुजाहिदीन का हक़ नहीं बतलाया गया कि इसमें कमी बेशी न हो सके बल्कि ख़ुम्स के अलावा बाक़ी माले ग़नीमत के बारे में ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई गई है। गोया वह हुकूमते वक़्त की सवाबदीद के मुताबिक़ तक़्सीम होगा। हुकूमत चाहे तो उसे मुजाहिदीन में तक़्सीम करे, चाहे तो उसे बैतुलमाल में दाख़िल कर दे।

इबादात के अलावा दीन में जमूद नहीं कि इसमें सर मू तब्दीली न हो सके, ख़ुसूसन इन्तेज़ामी व मआशी मसाइल में जो बदलते रहते हैं। ऐसे मामलात में हालात व ज़ुरूफ़ का लिहाज़ न रखना दीन की हक़ीक़ी रूह से बेगाना हो जाने वाली बात है। शरीयत का मक़्सद लोगों के मसाइल मुनासिब तरीक़े से हल करना है और ज़ाहिर है कि हर दौर के मुनासिबत मुख़्तलिफ़ होते हैं। इस हक़ीक़त को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। इसी अन्दाज़े फ़िक्र ही को इज्तेहाद कहा जाता है जिसके क़यामत तक जारी और जायज़ रहने के मुहक़्क़िक़ीन क़ाइल हैं। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب قسم الفيء

माले फ़ै और माले ग़नीमत की तक़्सीम के मसाइल

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ، حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ تُرَاهُ قَالَ هُوَ لَنَا لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ .

(4138) हज़रत यज़ीद बिन हुर्मज़ से रिवायत है कि नज्दा हरूरी (ख़ारजी) जब हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) की शौरिश के दौरान में आया तो उसने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को पैग़ाम नामा भेजा और पूछा कि आपकी राय में (पाँचवां हिस्से में से) क़राबतदारों का हिस्सा किसे मिलेगा? उन्होंने फ़रमाया: हमें, यानी रसूलुल्लाह(ﷺ) के रिश्तेदारों को। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ये हिस्सा उन (बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब) के लिये तक़्सीम किया। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने भी हमें (ख़ुम्स में से) कुछ माल पेश किया जिसे हमने अपने हक़ से कम समझा तो हमने उसे क़बूल करने से इन्कार कर दिया। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने उन्हें पेशकश की थी कि वह उनमें से निकाह करने वाले की मदद करेंगे। उनके मक़रूज़ का क़र्ज़ अदा करेंगे और उनसे मोहताज लोगों को अ़तियात देंगे। इससे ज़्यादा देने से उन्होंने इन्कार कर दिया।

(4138) तख़रीज : (सनद सह़ी) मुस्लिम: 1812.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें माले फ़ै की तक़्सीम का मसला बयान किया गया है। (2) इस हदीस़ से ये मसला भी स़ाबित होता है कि ख़त किताबत के ज़रिये से इल्म हासिल किया जा सकता है जैसा कि नज्दा हरूरी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) की तरफ़ एक तहरीर लिख कर चन्द एक मसाइल का जवाब मालूम किया था। स़हीह मुस्लिम में इस बात की स़राहत है कि उसने पाँच सवालों का जवाब तलब किया था। देखिये: (स़हीह

मुस्लिम, हदीस़: 1812) (3) मज़्कूरा हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि जब कोई मस़लिहत हो या किसी क़िस्म के फ़साद का ख़तरा हो तो आ़लिम शख़्स को अहले बिदअ़त को भी फ़तवा दे देना चाहिए जैसा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) ने नज्दा हरूरी को तहरीरी जवाब लिख भेजा था। (4) 'हरूरी' ये निस्बत है बस्ती 'हरूरा' की तरफ़। यहाँ ख़ारजियों का अव्वलीन इज्तेमा हुआ था। इस निस्बत से हर ख़ारजी को हरूरी कहा जाता है, चाहे वह हरूरा बस्ती से ताल्लुक़ न भी रखता हो। इस हवाले से देखिये: हदीस़: 8, 7, 4107 (5) 'क़राबतदारों का हिस़्सा' क़ुर्आन मजीद में ग़नीमत के अलावा ख़ुम्स के मस़ारिफ़ में 'क़राबतदारों' का ज़िक्र है। इसके तअ़य्युन में इख़्तिलाफ़ है। मशहूर बात तो यही है कि इससे रसूलुल्लाह (ﷺ) के रिश्तेदार मुराद हैं जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया। इमाम शाफ़ेई और दीगर अक्स़र अहले इल्म के नज़दीक क़राबतदारों से मुराद बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब हैं। दूसरा क़ौल ये है कि हाकिमे वक़्त के रिश्तेदार मुराद हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने दौर में हाकिम भी थे। इस लिहाज़ से आपके रिश्तेदार मस्रफ़ थे। ये नहीं कि अब भी (आपकी वफ़ात से क़यामत तक) आले रसूल ख़ुम्स का मस्रफ़ हैं। ये क़ौल माक़ूल है मगर कहा जा सकता है कि चूंकि आले रसूल के लिये ज़कात हराम है, ख़्वाह ग़रीब ही हों, इसलिये ज़कात के ऐवज़ उनका हिस़्सा ख़ुम्स में रख दिया गया लेकिन इस सूरत में सिर्फ़ ज़कात के मुस्तहिक़ आले रसूल ही ख़ुम्स का मस्रफ़ होंगे न कि आ़म अहले बैत। मालूम होता है हज़रत उ़मर (ﷺ) का यही मौक़िफ़ था जैसा कि ऊपर दी गई रिवायत के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर हो रहा है। और यही बात दुरुस्त मालूम होती है। बाक़ी रहे हाकिमे वक़्त और उसके रिश्तेदार तो वह कोई हिस़्सेदार नहीं बल्कि आज कल के रिवाज के मुताबिक़ हाकिमे वक़्त की मुनासिब तनख़्वाह मुक़र्रर की जायेगी जैसा कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में हुआ। इस तनख़्वाह को वह ख़ुद ख़र्च करेगा और रिश्तेदारों को भी उसी से देगा जिस तरह रिश्तेदारों में आ़म लेन देन होता है। उनकी कोई ख़ुसूसी हैसियत नहीं। (6) 'हक़ से कम समझा' हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) और दीगर अहले बैत का ख़्याल था कि हमारा बैतुलमाल में ख़ुसूसी हक़ है। कुछ के नज़दीक पूरा ख़ुम्स और कुछ के नज़दीक ख़ुम्स का ख़ुम्स (ख़ुम्स से मुराद माले ग़नीमत का पाँचवां हिस़्सा है जो बैतुलमाल में जमा होता है) जबकि हज़रत उ़मर (ﷺ) का ख़्याल था कि अहले बैत में से फ़क़ीर और हाजतमन्द लोग ज़कात की बजाये बैतुलमाल से ज़रूरत के मुताबिक़ माल ले सकते हैं। अहले बैत का कोई मुस्तक़िल हिस़्सा मुक़र्रर नहीं, अलबत्ता हाकिम आ़म शहरियों की तरह अहले बैत को भी अ़तियात दे सकता है बल्कि उनको ज़्यादा भी दे सकता है क्योंकि उनकी शान बलन्द है, जैसे हज़रत उ़मर (ﷺ) ने स़दक़तुन्नबी (ﷺ) वाली ज़मीन आ़रज़ी तौर पर हज़रत अ़ब्बास और हज़रत अ़ली (ﷺ) की ज़ेरे निगरानी दे दी थी कि वह उसकी आमदनी से अपनी और दीगर अहले बैत की ज़रूरियात पूरी करें। बाक़ी आमदनी बैतुलमाल की होगी और ज़मीन भी हुकूमत ही की रहेगी। (7) आज कल तो ये मसला ख़ुद ब ख़ुद तै हो चुका है, न माले ग़नीमत आता है और न ख़ुम्स ही की सूरत बनती है।

सिर्फ़ बैतुलमाल, यानी सरकारी ख़ज़ाना होता है जिससे हाजतमन्द और फ़क़ीर लोगों की हाजात पूरी की जायेंगी। वह अहले बैत से हों या आम मुसलमान। यही हज़रत उमर (ﷺ) की राय थी और यही दुरुस्त है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ، ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَيُحْذِيَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَأَبَى ذَلِكَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ .

(4139) हज़रत यज़ीद बिन हुर्मुज़ से मन्क़ूल है कि नज्दा हरूरी ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से तहरीरी तौर पर पूछा कि 'क़राबतदारी' का हिस्सा किस को मिलेगा? यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने कहा कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तरफ़ से नज्दा को जवाब मैंने तहरीर किया था। मैंने लिखा था कि तुमने मुझसे 'क़राबतदारों' वाले के हिस्से के मुताल्लिक़ पूछा है कि किस को मिलेगा? ये हिस्सा दरअसल हम अहले बैत का है। हज़रत उमर (ﷺ) ने हमें ये पेशकश की थी कि इस हिस्से में से मैं, तुममें से ग़ैर शादीशुदा की शादी करूँगा और फ़क़ीर को अतिया दूँगा और मक़रूज़ का क़र्ज़ अदा करूँगा, लेकिन हमने (इसे क़बूल करने से) इन्कार कर दिया मगर ये कि वह हमारा ख़ुम्स पूरे का पूरा हमें दे दें। हज़रत उमर (ﷺ) ने इससे इन्कार किया तो हमने ये उन्हीं पर छोड़ दिया (और थोड़ा लेने से इन्कार कर दिया।)

(4139) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1812/138 पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - وَهُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ وَقَسْمُ أَبِيكَ

(4140) हज़रत औज़ाई से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) ने उमर बिन वलीद को लिखा कि तेरे बाप (वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान) ने तुझे पूरा ख़ुम्स दे दिया था, हालांकि दरहक़ीक़त तेरे बाप का हिस्सा एक आम मुसलमान के हिस्से के बराबर था। इस (ख़ुम्स) में तो अल्लाह तआला का हक़ था, रसूलुल्लाह

لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلاَمِ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ .

(ﷺ) का, रसूलुल्लाह के क़राबतदारों का, यतामा व मसाकीन और मुसाफ़िरों का हक़ था। क़यामत के दिन तेरे बाप से झगड़ा करने वाले लोग किस क़द्र होंगे! वह शख़्स कैसे निजात पायेगा जिससे हक़ वसूल करने वाले इस क़द्र ज़्यादा हों? फिर तेरा ऐलानिया आलाते मोसीक़ी इस्तेमाल करना और बांसुरी बजाना इस्लाम के अन्दर एक बिदअत है मेरा इरादा है कि में तेरे पास ऐसा शख़्स भेजूँ जो तेरे लम्बे लम्बे क़बीह बालों को काट दे। (या तेरे लम्बे क़बीह बालों से पकड़ कर तुझे घसीट लाये।)

(4140) तख़रीज : (सनद सही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) का मस्लक भी यही है कि ख़ुम्स सिर्फ़ उनका हक़ है जिनका बयान अल्लाह तआला ने कुर्आने मुक़द्दस में फ़रमाया है और ये उन्हीं पर ख़र्च होगा। इसमें उनके अलावा कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता, चुनांचे मुत्लक़ुल अनान हुक्मरान और मुलूक व सलातीन इसमें जो मन माने तसर्रुफ़ करते हैं वह सरीह ज़ुल्म और लोगों का माल बातिल तरीक़े से खाना है, लिहाज़ा ऐसे शख़्स की निजात एक सवालिया निशान ही है। (2) उमर बिन वलीद ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक का बेटा था। ये शहज़ादे महलों में और सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा हुये थे। ऐश व इशरत उनकी घुट्टी में पड़ चुकी थी, इसलिये उसके क़बीह कामों पर उसको डाँट पिलाई। (رحمه الله). (3) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (رحمه الله) भी अगरचे शहज़ादे ही थे मगर अल्लाह तआला ने उनकी काया पलट दी थी। ख़लीफ़ा बनने के बाद तो वह 'हज़रत उमर (رضي الله عنه)' ही बन गये थे यहाँ तक कि तारीख़ ने उनको 'उमर सानी' का लक़ब दिया अगरचे उनको सिर्फ़ अढ़ाई साल हुकूमत का मौक़ा मिला और वह सिर्फ़ सैंतीस (37) साल की उम्र में अपने मौला को प्यारे हो गये। सहाबी न होने के बावजूद उनके लिये रजिअल्लाह तआला अन्हू कहने को जी करता है। (4) 'लम्बे लम्बे क़बीह बाल' लम्बे बाल रखना मना नहीं। मुमकिन है उसने लम्बे बालों को तकब्बुर का ज़रिया बना लिया हो। और लम्बे बाल उसके लिये या दूसरों के लिये फ़ित्ना बन गये हों जैसा कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने एक शख़्स का सर मुण्डा दिया था जिसकी ज़ुल्फ़ें दूसरों के लिये फ़ित्ने का बाइस थीं। (तारीख़ दमिश्क़ अल कबीर: 3/17, 20) इस सूरत में ये इन्तेज़ामी मसला बन जाता है जो क़ाबिले गिरफ़्त होता है, और लड़कों और लड़कियों का हद से ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ तवज्जा देना हलाकत का बाइस है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ . فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا " . قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ .

(4141) हज़रत जुबैर बिन मुत्इम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं और हज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। हमारा मक़्सद आपसे ग़ज़्व-ए-हुनैन की ग़नीमत बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब में तक़्सीम करने के बारे में बात चीत करना था। हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे भाईयों बनू मुत्तलिब बिन अ़ब्दे मुनाफ़ को (ख़ुम्स में से) हिस्सा दिया मगर हमें कुछ नहीं दिया जबकि आपसे हमारी और उनकी रिश्तेदारी एक जैसी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तो बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को एक ही चीज़ समझता हूँ।' हज़रत जुबैर बिन मुत्इम(ﷺ) ने कहा: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू अ़ब्दे शम्स और बनू नौफ़ल को इस ख़ुम्स में से कुछ नहीं दिया जैसे आपने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को हिस्सा दिया।

(4141) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 4228.

फ़ायदा : आपके जद्दे अम्जद अ़ब्दे मुनाफ़ के चार बेटे थे: हाशिम, मुत्तलिब, अ़ब्दे शम्स और नौफल। रसूलुल्लाह (ﷺ) हाशिम की नस्ल से थे। मतलब, अ़ब्दे शम्स और नौफ़ल की औलाद आपके चचाज़ाद थे। ग़ज़्व-ए-हुनैन में बहुत ज़्यादा माले गनीमत हासिल हुआ। उसके ख़ुम्स की मिक्दार भी बहुत ज़्यादा थी। आपने इससे बड़े बड़े अ़तियात दिये। अपने रिश्तेदारों में से आपने अपने ख़ानदान बनू हाशिम और अपने चचाज़ाद बनू मुत्तलिब के लोगों को अ़तियात दिये मगर बनू अ़ब्दे शम्स और बनू नौफ़ल को कुछ नहीं दिया, हालांकि वह भी आपके चचाज़ाद थे। हज़रत उ़स्मान(ﷺ) बनू अ़ब्दे शम्स

में से थे और हज़रत जुबैर बिन मुत्इम बनू नौफ़ल में से थे। वह दोनों सूरते हाल की वज़ाहत के लिये आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुये और अर्ज़ की कि बनू हाशिम तो आपका ख़ानदान है उनको हिस्सा देना बजा मगर बनू मुत्तलिब और हम आपके बराबर के रिश्तेदार हैं। बनू मुत्तलिब को देना और हमें न देना समझ में नहीं आता। आपने फ़रमाया कि बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब एक ही हैं। चूंकि मक्का मुकर्रमा में जब रसूलुल्लाह (ﷺ) इब्तिला (आजमाइश) का शिकार थे तो बनू हाशिम के साथ साथ बनू मुत्तलिब ने भी आपकी भरपूर मदद की थी लेकिन बनू अब्दे शम्स और बनू नौफल मजमूई तौर पर आपसे ला'ताल्लुक़ रहे और आपका साथ न दिया, इसलिये आपने अतियात देते वक़्त बनू मुत्तलिब को अपने साथ रखा और बनू नौफ़ल और बनू अब्दे शम्स को अलग रखा। और आप इस सिलसिले में हक़ बजानिब थे। इस हदीस़ को यहाँ ज़िक्र करने से इमाम साहिब (رحمه الله) का मक़सद ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने रिश्तेदारों को ख़ुम्स में से दिया। मालूम हुआ आपके रिश्तेदारों का ख़ुम्स में हिस्सा है लेकिन हल तलब मसला ये है कि क्या अब भी अहले बैत का ये हक़ क़ाइम है और क्या पूरा ख़ुम्स उनका है? बहस़ गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस़: 4138)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو

(4142) हज़रत जुबैर बिन मुत्इम (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़राबतदारी का हिस्सा बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब में तक़्सीम फ़रमा दिया तो मैं और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुये और हमने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! बनू हाशिम की फ़ज़ीलत का तो हम इन्कार नहीं करते क्योंकि वह आपका ख़ानदान है, अल्लाह तआला ने आपको इनमें से बनाया है लेकिन बनू मुत्तलिब को आपने दिया और हमें नहीं दिया, हालांकि दरहक़ीक़त आपसे हमारा और इनका ताल्लुक़ एक जैसा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह दौरे जाहिलियत में भी मुझसे जुदा नहीं रहे और इस्लाम में भी हमारे साथ रहे, लिहाज़ा बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब एक चीज़ हैं।' (ये फ़रमाते हुये) आपने अपने दोनों

الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ " . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

हाथों की उँगलियों को एक दूसरे में फँसाया।

(4142) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - وَهُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُ أَبِي سَلاَّمٍ مَمْطُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٌّ وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَىُّ بْنُ عَجْلاَنَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(4143) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-हुनैन के दिन एक ऊँट के पहलू से ऊन का एक बाल लिया और फ़रमाया: 'ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने जो कुछ तुम्हें अता फ़रमाया है, उसमें से मेरे लिये ख़ुम्स के अलावा इतना भी जायज़ नहीं और ख़ुम्स भी फिर तुम पर ही लौटा दिया जाता है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि (रावि-ए-हदीस) अबू सलाम का नाम ममतूर है और वह हब्शी है। और (सहाबी-ए-रसूल (ﷺ)) अबू उमामा का नाम सुदय बिन अज्लान है।

(4143) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/319, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1693, तिर्मिज़ी: 1561, इब्ने माजा: 2852, वलहाकिम: 2/135, अबी दाऊद : 2755 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'तुम पर ही लौटा दिया जाता है' क्योंकि ये ख़ुम्स दरअसल बैतुलमाल में जमा हो जाता है और वहाँ से ये माल मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद पर ख़र्च होता है। इन अल्फ़ाज़ से इमाम साहिब(رحمه الله) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि ख़ुम्स सिर्फ़ अहले बैत का हक़ नहीं बल्कि ये बैतुलमाल में जमा होता है। वहाँ से ज़रूरत के मुताबिक़ अहले बैत पर भी ख़र्च होगा और दूसरे अवामुन्नास पर भी। और ये इस्तेदलाल सही है और यही सही मस्लक है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

(4144) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَىْءِ شَىْءٌ وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ " .

ऊँट के पास आये और अपनी दो ऊँगलियों के दरम्यान उसके कोहान से ऊन पकड़ी, और फ़रमाया: 'मेरे लिये माले ग़नीमत से इतना भी जायज़ नहीं अलावा ख़ुम्स के और वह ख़ुम्स भी तुम पर ही लौटा दिया जाता है।'

(4144) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2694, इब्ने अल जारूद: 1080 वग़ैरह, बतहक़ीक़ी: 203.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(4145) हज़रत उमर (ﷺ) से मरवी है कि बनू नज़ीर का माल उन मालों में से था जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) को जंग के बग़ैर अता फ़रमाया था, मुसलमानों ने उसके हुसूल के लिये इस पर अपने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये थे (लड़ाई के बग़ैर ही हासिल हुआ) आप इसमें से अपने लिये (और अपने घर वालों के लिये) एक साल की ख़ूराक रख लेते थे और बाक़ी माल को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तैयारी के लिये घोड़े और अस्लहा ख़रीदने में ख़र्च फ़रमा देते थे।

(4145) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2904, मुस्लिम, हदीस: 1757.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बनू नज़ीर एक यहूदी क़बीला था जिसको उनकी बद अहदी की सज़ा में मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया। वह अपना सामान वग़ैरह तो साथ ले गये थे, अलबत्ता उनकी ज़मीनें मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गई थीं लेकिन वह बैतुलमाल की मिल्कियत थीं। रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़ाती और घरेलू अख़राजात चूंकि बैतुलमाल के ज़िम्मे थे, इसलिये आप अपने अहले बैत की सालाना ख़ूराक उसमें से रख लेते और बाक़ी माल मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिये ख़र्च फ़रमाते थे। (2) जायज़ असबाब का हुसूल तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जंगी अस्लहा और हथियार वग़ैरह ख़रीदा करते थे, और इसी तरह अपने लिये और अहल व अयाल के लिये साल भर का ख़र्चा जमा कर रखना भी तवक्कल अल्लाह के मुनाफ़ी नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - هُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ نُورَثُ "

(4146) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को पैग़ाम भेजा जबकि वह उनसे नबी (ﷺ) के सदक़ा और ख़ुम्स ख़ैबर से अपनी विरासत तलब करती थीं। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'हमारे तरके में विरासत नहीं चलती।'

(4146) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3711, मुस्लिम, हदीस: 59.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पीछे गुज़र चुका है कि अहले बैत ख़ुम्स को अपना हक़ समझते थे जबकि दीगर सहाबा के नज़दीक ख़ुम्स बैतुलमाल की मिल्कियत होता है, अलबत्ता इसमें से अहले बैत के मोहताज लोगों को तआवुन किया जायेगा। हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने अपने ख़्याल के मुताबिक़ ख़ैबर के ख़ुम्स, बनू नज़ीर की ज़मीनों, फ़िदक की ज़मीन और सदक़तुन नबी (ﷺ) से विरासत तलब की। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने वज़ाहत फ़रमाई कि ये ज़मीनें आपकी ज़ाती नहीं बल्कि बैतुल माल की मिल्कियत थीं, लिहाज़ा उनमें विरासत जारी नहीं होगी। (2) 'नबी (ﷺ) के सदक़ा से' ये ज़मीन बाद में इस नाम से मशहूर हुई वरना अगर उसी वक़्त ये सदक़ा के नाम से मारूफ़ थी तो हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) इससे विरासत तलब न फ़रमातीं। कुछ दीगर रिवायात में आता है कि ये ज़मीन एक यहूदी शख़्स (मुख़ैरिक़) ने बतौर वसीयत आपके लिये हिबा की थी। (3) 'विरासत नहीं चलती' क्योंकि नबी (ﷺ) ने अपनी जायदाद नहीं बनाई, न ग़नीमत से हिस्सा लिया बल्कि आप ग़नीमत से ख़ुम्स वसूल फ़रमाते थे जिससे अपने अख़राजात पूरे करने के बाद वह मुसलमानों के मसालेह में सर्फ़ होता था। गोया आपने ख़ुम्स से सिर्फ़ ज़रूरियात पूरी की थीं, इसे अपनी मिल्कियत नहीं बनाया था बल्कि वह दरअसल बैतुलमाल ही की मिल्कियत था। आपका ये तर्ज़े अमल, इसलिये था कि कोई नाबकार मुनाफ़िक़ या काफ़िर ये न कह सके कि आपने दाव-ए-नबूवत सिर्फ़ माल जमा करने के लिये किया है। जब आपने अपनी ज़िन्दगी में कोई जायदाद ही नहीं बनाई बल्कि जो कुछ आता था, वह बैतुलमाल में जमा फ़रमाते थे, सिर्फ़ अपने ज़रूरी अख़राजात वसूल फ़रमाते थे तो फिर विरासत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ख़ातून होने की वजह से इस हक़ीक़त से वाक़िफ़ न थीं। हज़रत अब्बास (ﷺ)

भी आख़री दौर में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये थे, लिहाज़ा कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर इन हज़रात को ये बात मालूम न हो सकी। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) जो कि राज़दारे नबूवत थे, इस हक़ीक़त से मुत्तलअ थे। ये हदीस (हमारे मत्रूका माल में विरासत नहीं चलती) हज़रत अबू बक्र के अलावा कुछ दीगर सहाबा से भी मरवी है। सब से बड़ी दलील रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपनी ज़िन्दगी में तर्ज़े अमल था कि आपने न कभी ग़नीमत में अपना हिस्सा लिया, न ख़ुम्स को अपना ज़ाती माल समझा। सिर्फ़ ज़रूरत के लिये इस्तेमाल फ़रमाया। विरासत तो उस माल में होती है जो मम्लूका हो। जब ये माल (ज़मीनें वग़ैरह) आपकी मिल्कियत ही नहीं था तो विरासत कैसे जारी होती?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } قَالَ خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ .

(4147) हज़रत अता से अल्लाह तआला के फ़रमान (वअ्लमू . . . .) 'तुम जान लो कि जो भी तुम ग़नीमत हासिल करो, उसका पाँचवां हिस्सा अल्लाह तआला, उसके रसूल (ﷺ) और रिश्तेदारों के लिये है।' के बारे में मरवी है कि अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) का हिस्सा एक ही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) इस हिस्से में से (मुफ्लिस और तंगदस्त लोगों को जिहाद के लिये) सवारियाँ मुहैया करते और इसमें से ज़रूरत मन्दों और मोहताजों को देते। जहाँ चाहते ख़र्च फ़रमाते और इससे जो चाहते करते।

(4147) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/338, 339, अस्सियर लिल फ़ज़ारी अबी इस्हाक़: 535.

फ़ायदा : 'एक ही है' मतलब ये है कि अल्लाह तआला का ज़िक्र तो बतौर तबर्रुक है। अल्लाह तआला का कोई अलग हिस्सा नहीं बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुम्स में मुकम्मल बा इख़्तियार थे। कुछ का ख़याल है कि अल्लाह तआला का हिस्सा बैतुल्लाह पर ख़र्च किया जाये। इस हदीस को यहाँ ज़िक्र करने से मक़सूद ये है कि ये ख़ुम्स मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवाबदीद के सुपुर्द था। इसमें किसी का हिस्सा मुक़र्रर नहीं था। आपकी वफ़ात के बाद यही इख़्तियार हाकिमे वक़्त को था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى -

(4148) हज़रत क़ैस बिन मुस्लिम से रिवायत है कि मैंने हज़रत हसन बिन मुहम्मद से अल्लाह तआला के फ़रमानः (वअ्लमू .....) 'जान लो

قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - هُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } قَالَ هَذَا مَفَاتِحُ كَلاَمِ اللَّهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى فَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ‏.‏

कि तुम जो भी ग़नीमत हासिल करो, उसका ख़ुम्स अल्लाह तआला के लिये है।' के (मफ़हूम के) बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया: ये अल्लाह तआला का आग़ाज़े कलाम का अन्दाज़ है वरना दुनिया और आख़िरत सब अल्लाह तआला ही के लिये हैं, अलबत्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद आप और क़राबतदारों के दो हिस्सों में लोगों ने इख़्तिलाफ़ किया। कुछ ने कहा कि आपके बाद आपका हिस्सा ख़लीफ़ा और हाकिमे वक़्त के लिये होगा। इसी तरह कुछ ने कहा कि रिश्तेदारों का हिस्सा अब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहले बैत के लिये है। और कुछ ने कहा: अब रिश्तेदारों का हिस्सा ख़लीफ़-ए-वक़्त के रिश्तेदारों के लिये होगा, फिर बिल आख़िर उन्होंने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया कि ये दोनों हिस्से जिहाद के लिये घोड़े और अस्लहा ख़रीदने में ख़र्च किये जायें, चुनांचे हज़रात अबू बक्र व उमर (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में ये दोनों हिस्से इसी मस्रफ़ में ख़र्च होते रहे।

(4148) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहक़ी: 6/338, हाफ़िज़ फ़ी तफ़्सीर: 5/1704, हदीस: 9091, अस्सियर लिलफ़ुज़ारी: 537.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का जो हिस्सा था, आपके बाद उसके हक़दार ख़लीफ़-ए-बिला फ़स्ल सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) और सिद्दीक़े अकबर के बाद ख़लीफ़-ए-सानी अमीरूल मोमिनीन सय्यदना उमर फ़ारूक़ (ﷺ) थे लेकिन इन दोनों मोहतरम बुज़ुर्गों ने हरगिज़ वह हिस्सा न लिया। ये हदीस उनकी हक़्क़ानियत और बेन्याज़ी व ग़िना की बहुत बड़ी दलील है। (2) जैसा कि पहले भी पीछे गुज़र चुका है कि ख़ुम्स दरअसल बैतुलमाल का है। इसमें किसी का कोई हिस्सा मुक़र्रर नहीं। जहाँ ज़रूरत हो ख़र्च किया जाये, जैसे: हाकिमे वक़्त और दीगर मुलाज़िमीन की तनख़्वाह, ज़रूरतमन्द और मोहताज हज़रात के वज़ाइफ़, जिहाद की तैयारी और मुसलमानों की बहबूद के दूसरे

काम। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुम्स में जो तसर्रुफ़ फ़रमाया, वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ फ़रमाया और यही रसूल की ज़िम्मेदारी है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद, हदीस: 4138)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ } قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْخُمُسِ.

(4149) मूसा बिन अबू आयशा से रिवायत है कि मैंने यहया बिन जज़्ज़ार से इस आयत: (वअ़्लमू ......) 'तुम जान लो कि जो भी तुम गनीमत हासिल करो, उसका पाँचवां हिस्सा अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) के लिये है।' के (मफ़हूम के) बारे में पूछा। मैंने कहा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का ख़ुम्स में कितना हिस्सा था? उन्होंने कहा: ख़ुम्स का पाँचवां हिस्सा।

(4149) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहक़ी: 6/338, अस्सियर लिलफ़ुज़ारी: 538.

फ़ायदा : आयत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल किया गया है क्योंकि इसमें अल्लाह तआला के अलावा पाँच मसारिफ़ ज़िक्र हैं, लिहाज़ा हर मस्रफ़ में ख़ुम्स का पाँचवां हिस्सा सर्फ़ किया जायेगा लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि आयत में ये कहीं ज़िक्र नहीं कि हर एक को बराबर रखो बल्कि ये तो हालात व हाजात पर मौक़ूफ़ है। जिस मस्रफ़ में ज़्यादा की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा सर्फ़ किया जाये और जिसमें कम ज़रूरत है, वहाँ कम ख़र्च किया जाये। किसी एक का हिस्सा मुक़र्रर नहीं। रिवायत में मज़्कूर यहया बिन जज़्ज़ार को ग़ाली शीया कहा गया है। वल्लाहु आलम! वैसे वह सच्चा था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم وَصَفِيِّهِ فَقَالَ أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ فَغُرَّةٌ تُخْتَارُ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ شَاءَ .

(4150) हज़रत मुतर्रिफ़ से मन्क़ूल है कि हज़रत शअबी से नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हिस्से और आपके सफ़ी (ख़ास हिस्से) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) का (आम) हिस्सा तो एक आम मुसलमान आदमी के हिस्से के बराबर था, अलबत्ता सफ़ी (ख़ुसूसी हिस्से) के बारे में आपको इख़्तियार था कि जो भी पसन्दीदा और नफ़ीस चीज़ आप पसन्द फ़रमाते, ले सकते थे।

(4150) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2991.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सफ़ी' उस ख़ुसूसी हिस्से को कहा जाता है जो इमाम व रईस माले ग़नीमत की तक़्सीम से पहले अपनी ज़ात के लिये चुन ले, जैसे: लौण्डी, गुलाम, ऊँट और घोड़ा वग़ैरह। (2) गोया आपको ख़ुम्स में मुकम्मल इख़्तियार था। आप किसी भी चीज़ को अपने लिये ख़ुसूसी तौर पर पसन्द फ़रमा सकते थे जैसे आपने ख़ैबर के क़ैदियों से हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन(ﷺ) को पसन्द फ़रमाया और उनको आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। (3) दलाइल की रू से मज़्कूरा रिवायत मुर्सल सही है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ، مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدَمٍ قَالَ كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَقْرَأُ فَإِذَا فِيهَا " مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ وَسَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَفِيِّهِ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .

(4151) हज़रत यज़ीद बिन शिख़्ख़ीर से मरवी है कि मैं (बसरा के मुहल्ला) मर्बद में हज़रत मुतर्रिफ़ के साथ था कि एक आदमी आया। उसके पास सुर्ख़ चमड़े का एक टुकड़ा था। उसने कहा: ये मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिख कर दिया था। तुममें से कोई पढ़ सकता है? मैंने कहा: मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा था: 'ये दस्तावेज़ नबी-ए-अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) की तरफ़ से बनू ज़ुबैर बिन उक़ैश के लिये लिखी गई है कि अगर वह 'ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाही दें, मुश्रिकीन से अलग थलग हो जायें और अपनी हासिलकर्दा ग़नीमतों में से ख़ुम्स (हुकूमत को) देने का इक़रार करें, और वह नबी (ﷺ) का आम हिस्सा और ख़ुसूसी हिस्सा (सफ़ी) भी अदा करें तो (वह बेख़ौफ़ हो कर रहें) उनको अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ से परवान-ए-अमन हासिल होगा।'

(4151) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2999, पिछली हदीस देखें, अस्सियर लिलफ़ुज़ारी: 533, व सही इब्ने अल जारूद: 1099, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 949.

फ़ायदा : सही बात यही है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का उमूमी व ख़ुसूसी हिस्सा भी ख़ुम्स में शामिल है, अगरचे ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इन हिस्सों को ख़ुम्स से अलग ज़ाहिर कर रहे हैं। बाक़ी रिवायात का लिहाज़ रखना भी ज़रूरी है। (देखिये फ़वाइद हदीस: 4144, 4143)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِهِ لاَ يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاِبْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّهِ ابْتِدَاءُ كَلاَمٍ لأَنَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلاَمَ فِي الْفَىْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَىْءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِمَامِ يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ

(4152) हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि वह ख़ुम्स जो अल्लाह तआला के लिये और उसके रसूल के लिये था, वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) और आपके रिश्तेदारों के लिये था क्योंकि वह सदक़ा नहीं लेते थे, लिहाज़ा ख़ुम्स का पाँचवां हिस्सा नबी-ए-अकरम (ﷺ) के लिये था। और ख़ुम्स का एक और पाँचवां हिस्सा आपके रिश्तेदारों के लिये था। यतीमों के लिये भी इसी क़द्र (पाँचवां हिस्सा) था। मसाकीन के लिये भी (पाँचवां हिस्सा) था। और मुसाफ़िरों के लिये भी पाँचवां हिस्सा था।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: (वअ़्लमू ....) 'तुम जान लो कि जो भी तुम ग़नीमत हासिल करो, उसका पाँचवां हिस्सा अल्लाह तआला, उसके रसूल(ﷺ), आपके रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिये है।' अल्लाह तआला का फ़रमाना (अल्लाह) ये तो आग़ाजे कलाम (तबर्रुक) के लिये है। क्योंकि सब चीज़ें अल्लाह तआला ही की हैं। मुमकिन है अल्लाह तआला ने ग़नीमत और ख़ुम्स के मसले में अपना ज़िक्र पहले इसलिये फ़रमाया हो कि ये इन्तेहाई उम्दा कमाई है। अल्लाह तआला ने सदक़े की निस्बत अपनी तरफ़ नहीं फ़रमाई क्योंकि ये लोगों का मैल कुचेल है। वल्लाहु आलम!

ये भी कहा गया है कि ग़नीमत से कुछ माल लेकर बैतुल्लाह पर सर्फ़ किया जायेगा और ये अल्लाह तआला वाला हिस्सा है। और नबी-ए-अकरम (ﷺ) का हिस्सा अब इमामे वक़्त, यानी हाकिमे आला को

وَالسِّلاَحَ وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ كَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ خِلاَفَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلاَنٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلاَنٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمٌ لاِبْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينٍ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ وَقِيلَ لَهُ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ

मिलेगा। वह उससे घोड़े और अस्लहा वग़ैरह ख़रीदेगा और जिनको वह मुनासिब समझे, उनको उसमें से अतियात देगा, जैसे: जिन लोगों ने मुसलमानों के लिये कोई कारनामे सरअंजाम दिये हों और जिनसे मुसलमानों का फ़ायदा हो। मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, हुफ़्फ़ाज़ और दीगर अहले इल्म वग़ैरह (भी इसमें शामिल हैं) 'क़राबतदारी' का हिस्सा बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब में तक़्सीम होगा, ख़्वाह वह मालदार हों या फ़क़ीर। ये भी कहा गया है कि उनमें से सिर्फ़ फ़ुक़रा को मिलेगा, अग़निया (मालदारों) को नहीं, जिसे यतीमों और मुसाफ़िरों में से सिर्फ़ फ़क़ीर। ये भी कहा गया है कि उनमें से सिर्फ़ फ़ुक़रा को मिलता है। और मेरे नज़दीक ये क़ौल ज़्यादा दुरुस्त है। वल्लाहु आलम, छोटे, बड़े, मर्द और औरत सब इसमें बराबर होंगे क्योंकि अल्लाह तआला ने ये हिस्सा उनके लिये मुक़र्रर फ़रमा दिया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें तक़्सीम फ़रमाया। किसी हदीस में ये ज़िक्र नहीं कि आपने उनमें से किसी को दूसरे से ज़्यादा दिया हो। (उसकी दलील ये है कि) अगर कोई शख़्स किसी ख़ानदान के लिये अपनी मत्रूका जायदाद के तीसरे हिस्से की वसीयत कर जाये तो उलमा में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं कि वह उनके दरम्यान बराबर तक़्सीम होगा। मुज़क्कर मुअन्नस गिनती के वक़्त एक से होंगे (यानी कम व बेश नहीं दिया जायेगा) इसी तरह जो भी चीज़ किसी क़बीले को दी जाये, वह उनमें बराबर तक़्सीम होती है मगर ये कि वज़ाहत कर दी जाये और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला है। और यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के हिस्से उनमें से मुसलमानों को मिलेंगे (काफ़िरों को नहीं) और उनमें से किसी को दो हिस्से नहीं दिये जायेंगे, जैसे: मिस्कीन का भी, मुसाफ़िर का भी

يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ .

(बल्कि एक हिस्सा दिया जायेगा) उसे कहा जायेगा। उनमें से जो चाहो ले लो। और बाक़ी चार हिस्से (यानी ख़ुम्स के अलावा ग़नीमत) इमामे वक़्त (हाकिमे आला या उसका नुमाइन्दा) जंग में हाज़िर होने वाले बालिग़ मुसलमानों में तक़्सीम कर देगा।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 10/5, मुल्हक़,

फ़ायदा : ग़नीमत और ख़ुम्स के बारे में तफ़्सीली बहस साबिक़ा हदीस में हो चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमायें। बाक़ी रहा इमाम साहिब का फ़रमाना कि ख़ुम्स में फ़ुलां फ़ुलां के हिस्से मुक़र्रर हैं और बराबर हैं। ये फ़रमाना दुरुस्त नहीं बल्कि ख़ुम्स का और ख़ुम्स के मुस्तहिक़्क़ीन का तअय्युन है मिक़्दार का तअय्युन नहीं। जिस मस्रफ़ में ज़रूरत हो, ख़र्च करे और जिस क़द्र ज़रूरत हो, ख़र्च करे। ये नहीं कि फ़ुक़रा व मसाकीन और क़राबतदारों को ऐन बराबर हिस्से दे बल्कि उनको उनकी हाजत के मुताबिक़ मिलेगा, यानी अल्लाह तआला ने ख़ुम्स, यानी बैतुलमाल के मसारिफ़ बयान फ़रमाये हैं न कि उनके हिस्से बयान किये हैं कि सब के बराबर हैं या कम व बेश। ये कहीं मन्क़ूल नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने रिश्तेदारों या दूसरे मुस्तहिक़्क़ीन में ऐन बराबर माल तक़्सीम किया हो बल्कि ग़ज़्व-ए-हुनैन के ख़ुम्स से आपने कुछ लोगों को सौ सौ ऊँट दिये थे और कुछ को कुछ भी नहीं दिया था, और ये भी तो मुमकिन है कि किसी इलाक़े में अहले बैत ही न हों। तो फिर उनका हिस्सा किन को दिया जायेगा? असल यही है कि मुस्तहिक़्क़ीन मुतय्यन हैं लेकिन हिस्सा मुतय्यन नहीं जो भी मुस्तहिक़ पाया जायेगा उसकी हाजत के मुताबिक़ उसे दिया जायेगा।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا . فَقَالَ النَّاسُ افْصِلْ بَيْنَهُمَا . فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَفْصِلُ

(4153) हज़रत मालिक बिन औस बिन हदसान से रिवायत है कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास (ﷺ) हज़रत उमर (ﷺ) के पास झगड़ते हुये आये। हज़रत अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: मेरे और इस (अली (ﷺ)) के दरम्यान फ़ैसला फ़रमाइये। हाज़िरीन ने भी कहा: इनके दरम्यान ज़रूर फ़ैसला फ़रमाइये। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: लेकिन मैं उनके दरम्यान फ़ैसला नहीं करूँगा जबकि उन्हें इल्म है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है: 'हमारी विरासत तक़्सीम नहीं होती। जो कुछ हम छोड़

بَيْنَهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . قَالَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ أَتَيَانِي فَسَأَلاَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَا ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُولُ هَذَا اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ ابْنِ أَخِي . وَيَقُولُ هَذَا اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ امْرَأَتِي . وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَإِنْ أَبَيَا كُفِيَا ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

जायें, वह सदक़ा होता है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) इन (मुतनाज़ा/विवादित) ज़मीनों के सरपरस्त और मुतव्वली थे। आप उनसे अपने अहले बैत की ख़ूराक लेते और बाक़ी आमदन बैतुलमाल में रखते थे। फिर हज़रत अबू बक्र(ﷺ) आपके बाद उनके सरपरस्त और मुतव्वली बने। फिर हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के बाद मैं उनका सरपरस्त और मुतव्वली बना और मैंने उनमें वही कुछ किया जो कुछ वह किया करते थे, फिर ये दोनों (हज़रात अली व अब्बास (ﷺ)) मेरे पास आये और मुझसे मुतालबा किया कि ये ज़मीन उनके सुपुर्द की जाये इस शर्त पर कि वह इस तरीक़े से इसका इन्तेज़ाम करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) करते थे, हज़रत अबू बक्र(ﷺ) करते थे और मैं करता रहा हूँ। मैंने इस शर्त पर उनको ज़मीन दे दी और उनसे अहद व पैमान ले लिया। फिर ये दोबारा मेरे पास आये। ये (हज़रत अब्बास (ﷺ)) कहते थे कि इतनी ज़मीन मेरे इन्तेज़ाम में दे दीजिये जो मुझे मेरे भतीजे (रसूलुल्लाह (ﷺ)) से बतौर विरासत मिलती। और ये (हज़रत अली (ﷺ)) कहते थे कि इतनी ज़मीन मेरे इन्तेज़ाम में दे दीजिये जो मेरी बीवी (हज़रत फ़ातिमा (ﷺ)) को विरासत में मिलती। अगर तू ये चाहें कि मैं उनको इस शर्त पर ज़मीन सुपुर्द कर दूँ कि वह इसमें इस तरह इन्तेज़ाम करें जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) करते थे, हज़रत अबू बक्र (ﷺ) करते थे और मैं करता रहा हूँ, फिर तो मैं इस शर्त पर ज़मीन उनके सुपुर्द करता हूँ, वरना मैं इन्तेज़ाम संभाल लेता हूँ, फिर आपने ये आयत

خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ] هَذَا لِهَؤُلاَءِ { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } هَذِهِ لِهَؤُلاَءِ { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } قَالَ الزُّهْرِيُّ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً قُرًى عَرَبِيَّةً فَدَكُ كَذَا وَكَذَا { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَ { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ } { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ } { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ } فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ - أَوْ قَالَ حَظٌّ - إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ

पढ़ीः (वअ़्लमू .....) 'तुम जान लो कि जो भी तुम ग़नीमत हासिल करो, उसका पाँचवां हिस्सा अल्लाह तआ़ला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के रिश्तेदारों (अहले बैत), यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिये है। ख़ुम्स तो उनके लिये होगा (इन्नमस्सदक़ातु लिल्फ़ुक़राइ वल मसाकीन) बिला शुब्हा सदक़ात फ़ुक़रा, मसाकीन, सदक़ात जमा करने वाले मुलाज़िमीन, मुअल्लिफ़-ए-क़ुलूब, ग़ुलामों, मक़रूज़ों और मुजाहिदीन के लिये हैं।' ये (सदक़ात) उनके लिये हो गये। (वमा ....) 'और जो माले ग़नीमत अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूले करीम (ﷺ) को उनसे (बनू नज़ीर) से अ़ता फ़रमाया है, उसके लिये तुमने न घोड़े दौड़ाये न ऊँट।' हज़रत ज़ोहरी बयान करते हैं कि ये ज़मीनें ख़ालिस रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये थीं। इसी तरह कुछ अ़रबी बस्तियाँ जिसे फ़िदक वग़ैरह भी आपके लिये ख़ास थीं। 'जो कुछ अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूले करीम (ﷺ) को इन बस्तियों से दिया है, वह अल्लाह तआ़ला, उसके रसूल (ﷺ), अहले बैत, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिये है।' और 'ये उन फ़ुकरा मुहाजिरीन के लिये है जिनको उनके घर बार से निकाल दिया गया और उन अन्सार के लिये जो दारुल इस्लाम (मदीना मुनव्वरा) के रहने वाले हैं और मुहाजिरीन की आमद से क़ब्ल ही मुसलमान हो चुके थे और उन लोगों के लिये भी जो उनके बाद आये (या आयेंगे)' ये आयत तमाम मुसलमानों को शामिल है। किसी मुसलमान को भी बाहर नहीं रहने दिया।

مُسْلِمٍ حَقُّهُ أَوْ قَالَ حَظُّهُ .

सबका इस माल में हक़ है, अलबत्ता वह ग़ुलाम जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं (उनका कोई हक़ नहीं) और अगर मैं ज़िन्दा रहा तो इन्शाअल्लाह हर मुसलमान को इसका हक़ लाज़िमन मिल के रहेगा।

(4153) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/49, बुख़ारी, हदीस: 3094, मुस्लिम, हदीस: 1757/49.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अब्बास और हज़रत अली (ﷺ) से इन ज़मीनों की मिल्कियत नहीं माँगते थे बल्कि उनका इन्तेज़ाम ही माँगते थे लेकिन चूंकि दोनों का आपस में इत्तेफ़ाक़ नहीं रहता था, मिज़ाज मुख़्तलिफ़ थे, इसलिये आम लड़ते झगड़ते रहते थे। चूंकि उनका मुतालबा था कि आप हमें उनका इन्तेज़ाम तक़्सीम फ़रमा दें, यानी निस्फ़ एक को निस्फ़ दूसरे को। (या जितना हिस्सा बनता अगर विरासत मिलती) हज़रत उमर (ﷺ) का मौक़िफ़ ये था कि तक़्सीम करने से ये तसव्वुर पैदा होगा (ख़ुसूसन हिस्सा विरासत के मुताबिक़ तक़्सीम करने से) कि शायद उनकी मिल्कियत है जबकि ये तसव्वुर सही नहीं, लिहाज़ा मैं तक़्सीम नहीं करता। दोनों मिलकर इन्तेज़ाम करें। अगर वह इससे आजिज़ हैं तो मेरे सुपुर्द कर दें। मैं ख़ुद इन्तेज़ाम करता रहूँगा। सहीह बुख़ारी में इसकी तफ़्सील सराहत से है। (2) 'बतौर विरासत मिलती' यानी अगर विरासत जारी होती और हिस्से तक़्सीम होते। ये मतलब नहीं कि अब हमें बतौर विरासत तक़्सीम कर दें। (3) पहले गुज़र चुका है कि हज़रत उमर(ﷺ) के नज़दीक ख़ुम्स ख़ैबर, बनू नज़ीर की ज़मीनें, फ़िदक और सदकतुन्नबी (ﷺ) वग़ैरह (जिन्हें अहले बैत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ाती जायदाद समझते थे और बतौर विरासत अपना हक़ समझते थे) दरअसल बैतुलमाल की मिल्कियत थे और इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ), अहले बैत और मुहाजिरीन व अन्सार बल्कि तमाम (मौजूदा आइन्दा) मुसलमानों का हक़ समझते थे, यानी जो भी ज़रूरतमन्द और मोहताज हो, उसे दे दिया जायेगा, ख़्वाह वह अहले बैत से हो या दीगर मुसलमानों से। इस बात को साबित करने के लिये उन्होंने क़ुर्आन मजीद के मुख़्तलिफ़ मक़ामात से ये आयात व अज्ज़ा पढ़े जिनसे उनका मुद्दआ साबित होता है। यक़ीनन इस सिलसिले में हज़रत उमर (ﷺ) की राय उन लोगों से ज़्यादा मोतबर है जिन्होंने ख़ुम्स में बाक़ायदा हिस्सेदार बना दिये हैं कि उनके हिस्से से सर मू कमी बेशी नहीं हो सकती बल्कि तक़्सीम में भी बराबरी फ़र्ज़ कर दी है जैसा कि इमाम नसाई(رحمه الله) के ख़्यालात ऊपर गुज़रे हैं। हज़रत उमर (ﷺ) ख़लीफ़-ए-राशिद हैं। तजुर्बाकार हुक्मरान हैं। माली मामलात की नज़ाकतों से ख़ूब वाक़िफ़ हैं, और शरीयत से भी कमा हक़्क़हू वाक़िफ़ हैं। मुज्तहिद सहाबा में दाख़िल हैं बल्कि उनके सरख़ैल हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुसूसन उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया है। उनकी बात अक़्ल और उसूल के भी बहुत मुवाफ़िक़ है। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बैअत का मफ़हूम व मआनी

ये किताब बैअत के मसाइल पर मुश्तमिल है। इससे मा'क़ब्ल किताब, तक़्सीमे फ़ै के मसाइल के मुताल्लिक़ है। इन दोनों के माबैन मुनासिबत ये है कि माले फ़ै और माले ग़नीमत उस वक़्त तक़्सीम होगा जब उसे कोई तक़्सीम करने वाला भी हो। चूंकि तक़्सीम की नाज़ुक और गिराँबार ज़िम्मेदारी इमाम और अमीर ही की होती है, इसलिये अमीर का तअय्युन मुसलमानों पर वाजिब है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब अमीर का तअय्युन होगा तो ला'महाला उसकी बैअत भी होगी। लेकिन मुसलमानों का इमाम और अमीर ऐसा शख़्स होना चाहिए जो इस हस्सास और नाज़ुक ज़िम्मेदारी का अहल हो क्योंकि मुसलमानों के तमाम उमूर की अंजामदेही का इन्हेसार अमीर व ख़लीफ़ा ही पर होता है, क़ौम व मिल्लत की तरक़्क़ी, फ़लाह व बहबूद और मुल्की इन्तेज़ाम व इन्सिराम का मेहवर व मरकज़ उसकी ज़ात होती है। हुदूद व ताज़ीरात की तन्फ़ीज़ मुल्क में क़यामे अमन के लिये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये सिर्फ़ ख़लीफ़ा ही कर सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वह शरई तौर पर शराइते-ख़लीफ़ा का हामिल हो, लिहाज़ा जब इस मन्सब के हामिल शख़्स का इन्तेख़ाब होगा तो हर मुसलमान के लिये ज़रूरी होगा कि उसकी बैअत करे। ये बैअत दरअसल उस क़ल्बी ऐतमाद का इज़्हार होती है जिसकी बुनियाद पर किसी को अमीर और इमाम तस्लीम किया जाता है, और ये अहद भी होता है कि हम उस वक़्त तक आपकी बात सुनें और इताअत बजा लायेंगे जब तक आप अल्लाह तआला की रिज़ा के मुतलाशी और उसके क़ुर्ब के हुसूल के लिये मुसल्सल जद्दो जहद करते रहेंगे। जब तक आप अल्लाह की इताअत पर कारबन्द रहेंगे हम भी ख़ुलूसे नियत के साथ आपके इताअत गुज़ार रहेंगे। अगर आपने अल्लाह से वफ़ा न की तो हमसे भी वफ़ा की उम्मीद न रखें क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'अल्लाह के नाफ़रमान की क़तअन कोई इताअत नहीं।' (मुसनद अहमद: 3/213)

बैअत बैअ (सौदा) से माख़ूज़ है। बैअ करते वक़्त लोग उमूमन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बैअत कह देते हैं। बैअत दरअसल एक अहद होता है। इसकी अहमियत के पेशे नज़र एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाता है ताकि ख़िलाफ़वर्ज़ी न हो। बैअत का दस्तूर इस्लाम से पहले भी था। इस्लाम ने भी इसको क़ाइम रखा। रसूलुल्लाह (ﷺ) से तीन क़िस्म की बैअत साबित है: इस्लाम क़बूल करते वक़्त बैअत, जिहाद के वक़्त बैअत और शरीयत के अवामिर व नवाही के बारे में बैअत। कुछ औक़ात आपने तज्दीदे अहद के वक़्त भी बैअत ली है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद ख़ुलफ़ा ने बैअते ख़िलाफ़त

ली, यानी नये ख़लीफ़ा के इन्तेख़ाब के बाद अहम ओहदेदारान और मुआशरे के अहम अफ़राद नये ख़लीफ़ा से बैअत करते थे कि हम आपकी ख़िलाफ़त को तस्लीम करते हैं और आपकी जहाँ तक हो सकेगी इताअत करेंगे। बैअत जिहाद भी क़ाइम रही जो आम तौर पर इमाम का नाइब किसी बहुत अहम मौक़े पर लेता था। बैअते इस्लाम (इस्लाम क़बूल करते वक़्त) और बैअते इताअत (शरीयत के अवामिर व नवाही की पाबन्दी) ख़त्म हो गईं। मालूम होता है कि सहाबा ने इन दो बैअतों को रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास समझा। अगरचे सहाबा से ये बात सराहतन साबित नहीं मगर उनका अमल इस बात पर दलालत करता है, लिहाज़ा बेहतर है कि इन दो बैअतों (बैअते इस्लाम और बैअते इताअत) से परहेज़ किया जाये। अलबत्ता बैअते ख़िलाफ़त और बैअते जिहाद मशरूअ और बाक़ी हैं। लेकिन बैअते इस्लाम और बैअते इताअत को भी क़तअन ममनूअ नहीं कहा जा सकता। कुछ सुफ़िया ने जो बैअते सिलसिला ईजाद की है कि जब कोई शख़्स उनका मुरीद बनता है तो वह उससे बैअत लेते हैं और समझते हैं कि अब ये हमारे सिलसिले में दाख़िल हो गया है, जैसे: सिलसिला-ए-चिश्तिया, सिलसिल-ए-नक़्शबन्दिया, सिलसिल-ए-क़ादरिया, सिलसिल-ए-सहरवर्दिया और पँच पीरिया व सिलसिल-ए-ग़ौसिया वग़ैरह, तो ये बैअत ईजादे बन्दा और ख़ैरुल क़ुरून के बाद की ख़ुद साख़्ता चीज़ है। इसका सबूत सहाब-ए-किराम, ताबेईने इज़ाम, अइम्म-ए-दीन और मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा से नहीं मिलता, इसलिये इससे परहेज़ वाजिब है ख़ुसूसन जब कि ऐसी बैअत करने वाला समझता है कि अब मुझ पर इस सिलसिले की तमाम पाबन्दियों पर अमल करना लाज़िम है, ख़्वाह वह शरीयत के मुताबिक़ हों या इससे तकरार ही हों जब कि क़ुर्आन व हदीस की रू से इन्सान किसी भी इन्सान की ग़ैर मशरूत इताअत नहीं कर सकता बल्कि इसमें शरीयत की क़ैद लगाना ज़रूरी है, यानी मैं तेरी इताअत करूँगा बशर्ते कि शरीयते इस्लामिया की ख़िलाफ़वर्ज़ी न हो मगर बैअते सलासिल में ये पाबन्दी नापैद होती है बल्कि इसे नामुनासिब ख़्याल किया जाता है। बैअते सिलसिला को बैअते इस्लाम पर क़तअन क़यास नहीं किया जा सकता क्योंकि इस्लाम दीने इलाही है और सिलसिला एक इन्सानी हल्क़-ए-फ़िक्र व अमल। बाक़ी रही बैअते इताअत तो वह भी दरअसल बैअते इस्लाम ही की तज्दीद है क्योंकि इताअत से मुराद शरीयते इस्लामिया ही की इताअत है, लिहाज़ा बैअते सिलसिला को इस पर भी क़यास नहीं किया जा सकता, और इस बैअते सिलसिला से उम्मत में गिरोहबन्दी और तफ़रीक़ पैदा होती है जिससे रोका गया है। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب البيعة

बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب(1): الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .

बाब : (1) समअ़ व ताअ़त की बैअत

(4154) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की कि हम हर आसानी व तंगी और ख़ूशी व नाख़ूशी में आपकी बात सुनेंगे और इताअ़त करेंगे। और हम हाकिम से उसकी हुकूमत नहीं छीनेंगे। और हम हक़ पर क़ाइम रहेंगे जहाँ भी हों। और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/314, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7770, देखें, हदीस: 4156.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि समअ़ व ताअ़त पर इमाम की बैअत मशरूअ़ है। **(2)** शरई अमीर की बात सुनना और उसकी इताअ़त करना हर मुसलमान पर हर हालत में वाजिब है। हालत तंगी की हो या आसानी की, ख़ूशी की हो या नाख़ूशी की। बात पसन्द हो या नापसन्द, यानी इख़्तिलाफ़े अहवाल से वजूबे इताअ़त पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। बक़द्रे इस्तेताअ़त हर हाल में इताअ़त करनी पड़ेगी मगर ये कि कोई शरई उज़्र हो। **(3)** शरई अमीर जब तक ख़ुद इताअ़ते इलाही पर कारबन्द रहेगा, उस वक़्त तक उसे माज़ूल किया जा सकता है न उसकी इताअ़त ही से दस्तकश हुआ जा सकता है। हाँ अगर किसी अमीर व इमाम में ज़ाहिरे कुफ़्र देखा जाये तो उसकी इताअ़त व फ़रमांबरदारी वाजिब नहीं रहेगी बल्कि उसे माज़ूल करने की अगर ताक़त हो तो उसे माज़ूल भी किया जायेगा या कम अज़ कम उसकी माज़ूली की कोशिश की जायेगी। **(4)** हक़ पर

क़ाइम रहना, और हक़ का इज़्हारे अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर के तौर पर करना, हर शख़्स के लिये हर जगह ज़रूरी है। इसमें किसी मलामत गर की मलामत की परवाह करने की क़तअन कोई ज़रूरत नहीं। (5) 'आसानी व तंगी' यानी अमीर के हुक्म में हम पर तंगी आये या आसानी, हम उस पर ख़ुश हों या नाख़ुश, उसे पसन्द करें या नापसन्द, उसकी इताअत करेंगे बशर्ते कि वह शरीयत के ख़िलाफ़ न हो। (6) 'नहीं छीनेंगे' यानी किसी नाराज़ी की बिना पर या अमीर की किसी ग़लती की बिना पर उसके ख़िलाफ़ बग़ावत नहीं करेंगे मगर ये कि उससे स़रीह कुफ़्र स़ादिर हो जाये तो फिर उसकी इमारत शरअन ख़त्म हो जायेगी। बग़ावत न करने का हुक्म हर अमीर के बारे में है, ख़्वाह वह मुन्तख़ब हो या मुन्तख़ब अमीर का नामज़दकर्दा। (7) 'नहीं डरेंगे' इसका मतलब ये है कि किसी की मलामत और नाराज़ी के डर से हक़ बात कहने से नहीं रुकेंगे वरना गुनाह के मसले में तो लोगों की मलामत से डरना चाहिए ताकि इन्सान गुनाहों से बच सके।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ . وَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(4155) हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत की कि हर आसानी और तंगी में आपकी बात सुनेंगे और इताअत करेंगे। और बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ ज़िक्र की।

(4155) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 7771.

الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ

बाब : (2) ये बैअत कि हम हाकिम से हुकूमत नहीं छीनेंगे

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

(4156) हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की कि हम हर तंगी व आसानी और हर पसन्द व नापसन्द में आपकी बात सुनेंगे और इताअत करेंगे। और हम हाकिम से उसकी हुकूमत के बारे में झगड़ा नहीं करेंगे। और हम जहाँ भी हों, हक़ पर क़ाइम व दाइम रहेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे।

عُبَادَةَ، قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ - أَوْ نَقُومَ - بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

(4156) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7199, 7200, मुस्लिम, हदीस: 1709/41, बाद हदीस: 1840, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7772, मौता, सफ़ा 521, हदीस: 505.

फ़ायदा : हाकिम, अमीर या इमाम की किसी ग़लती की बिना पर उसके ख़िलाफ़ बग़ावत नहीं की जा सकती क्योंकि ग़लती से पाक तो कोई भी नहीं। क्या उस शख़्स के बाद फिर किसी फ़रिश्ते को हाकिम या इमाम बनायेंगे? नया हाकिम या इमाम भी तो इन्सान ही होगा, और बग़ावत करने वाले क्या ख़ुद, गलती से पाक और मासूम हैं? अलबत्ता अगर हाकिम या इमाम से सरीह कुफ़्र सादिर हो जाये तो उसको बज़ोर बर तरफ़ कर दिया जायेगा।

باب(٣): الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ

बाब : (3) हक़ बात कहने की बैअत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا .

(4157) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) ने फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की कि हम हर तंगी व आसानी और ख़ुशी व नाख़ुशी में आपकी बात सुनेंगे और इताअत करेंगे, ख़्वाह दूसरों को हम पर तर्जीह दी जाये। और हम हाकिमों से उनकी हुकूमत नहीं छीनेंगे। और हम जहाँ भी हों, हक़ बात डंके की चोट कहेंगे।

(4157) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4155, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7774, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'जहाँ भी हों' घर में हों या बाहर बाज़ार में हों या दरबार में यहाँ तक कि ज़ालिम व जाबिर सुल्तान व हाकिम के सामने भी हक़ बात कहेंगे।

बाब : (4) अदल व इन्साफ़ की बात कहने पर बैअत करना

الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .

(4158) हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हमने रसूले करीम (ﷺ) की बैअत की कि हम अपने उस्र व युस्र और अपनी पसन्द व नापसन्द में (आपकी) बात सुनेंगे और इताअ़त करेंगे। और हम किसी स़ाहिबे इक़्तेदार से उसके इक़्तेदार के बारे में झगड़ा नहीं करेंगे। और हम जहाँ भी हों, अ़दल व इन्स़ाफ़ पर क़ाइम रहेंगे। और अल्लाह तआ़ला (की इताअ़त) के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे।

(4158) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4155, 4156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7773.

बाब : (5) इताअ़त की बैअत करना अगरचे दूसरों को तर्जीह दी जाये

باب(٥): الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، - أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا، يَحْيَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا

(4159) हज़रत उबादा बिन वलीद के दादा मोहतरम (हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ)) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की कि हम अपनी तंगी व आसानी और अपनी पसन्द व नापसन्द में (हर हाल में) आपकी बात सुनेंगे और इताअ़त करेंगे, ख़्वाह दूसरों को हम पर तर्जीह दी जाये। और हम स़ाहिबाने इक़्तेदार से उनका इक़्तेदार नहीं छीनेंगे। और हम जहाँ कहीं भी हों, हक़ बात पर क़ाइम रहेंगे। और हम अल्लाह तआ़ला (की इताअ़त) के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे।

وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ . قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى . قَالَ شُعْبَةُ إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى .

शोबा ने कहा: हैस मा कान के अल्फ़ाज़ सियार ने ज़िक्र नहीं किये, यहया ने ज़िक्र किये हैं। (सय्यार ने सिर्फ़ व अन नक़ूल बिल हक़ के अल्फ़ाज़ कहे हैं।) शोबा ने कहा: अगर मैंने इसमें कुछ ज़्यादती की है तो वह सय्यार या यहया की तरफ़ से है।

(4159) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7775.

फ़ायदा : 'तर्जीह दी जाये' ज़ाहिर है सब लोगों को ओहदे नहीं दिये जा सकते, ख़्वाह वह अहल ही हों, फिर अमीर से ग़लती भी मुमकिन है कि वह हर शख़्स से उसके मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक न कर सके। ऐसी सूरत में कोई कह सकता है कि फ़ुलां को मुझ पर तर्जीह दी गई है और मुझ से मेरे मक़ाम व मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक नहीं किया गया। लेकिन इतनी बात से अमीर से बग़ावत या उसकी नाफ़रमानी को जायज़ क़रार नहीं दिया जा सकता, लिहाज़ा ऐसे हालात में भी अमीर से वफ़ादार रहना होगा और उसकी इताअत करना होगी वरना वह शरअन सज़ा का हक़दार होगा। जिस तरह रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात के बाद इमारत व हुकूमत क़ुरैश मुहाजिरीन ही को मिली, अन्सार महरूम रहे मगर आफ़रीन है उन मुख़्लिस तरीन लोगों पर कि उन्होंने अपने शहर में और अक्सरियत में होने के बावजूद क़ुरैश की इमारत को दिल व जान से तस्लीम किया और कभी मुख़ालिफ़त का नहीं सोचा।(ؓ).

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ " .

(4160) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(ऐ अबू हुरैरह!) तू अपनी पसन्द व नापसन्द और हर तंगी व आसानी में अमीर की इताअत पर कारबन्द रहना अगरचे तुझ पर दूसरों को तर्जीह दी जाये।'

(4160) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1836, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7776.

बाब : (6) हर मुसलमान के लिये ख़ुलूस व ख़ैरख़्वाही की बैअत

باب : (٦) الْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

(4161) हज़रत जरीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की कि हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करूँगा।

(4161) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2714, मुस्लिम, हदीस: 56/98, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 777.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीसे मुबारका की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि ख़ैरख़्वाही के जज़्बे के साथ हर शरई अमीर की बैअत मशरूअ है और शरई अमीर पर ऐतमाद का इज़्हार भी, लिहाज़ा मक़्दूर भर इस अहद की वफ़ा इन्सान पर वाजिब है। हाँ! अलबत्ता इस्तेताअत से ज़्यादा ईफ़ा-ए-अहद का कोई शख़्स मुकल्लफ़ नहीं जैसा कि इरशादे बारी तआला है: (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) **(2)** लफ़्ज़ 'मुस्लिम' के उमूम की वजह से हर छोटे बड़े, अमीर ग़रीब, आलिम जाहिल, मर्द औरत, काले गोरे, आक़ा व मुलाज़िम, उस्ताद व शागिर्द, अरबी अजमी और अज़ीज़ व अक़ारिब, और ग़ैर रिश्तेदार की ख़ैरख़्वाही करना और उसे नसीहत करना फ़र्ज़ है। **(3)** मालूम हुआ किसी भी मुसलमान के लिये धोखा देना, मिलावट करना, बद दयानती और ख़्यानत करना, दूसरे मुसलमान से कीना व बुग़्ज़ और हसद व एनाद रखना, किसी की ग़ीबत करना और चुग़ली खाना, और उसकी बाबत किसी भी क़िस्म के नुक़सान का सोचना क़तअन नाजायज़ और हराम बल्कि तक़ाज़ा-ए-ईमान के भी मुनाफ़ी है। एक और फ़रमाने रसूल है: 'तुममें से कोई शख़्स (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिये वही कुछ न चाहे जो अपने लिये चाहता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 13, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 45) **(4)** दुनिया व आख़िरत को कारआमद और क़ीमती बनाने, और अब्दी और लाज़वाल ज़िन्दगी को पुर सुकून और आरामदेह गुज़ारने के लिये ज़रूरी है कि इन्सान तमाम इन्सानों का ख़ैरख़्वाह रहे और इस नसीहत व ख़ैरख़्वाही का दामन किसी भी वक़्त न छोड़े बल्कि ता'हयात उसको हर्ज़े जाँ बनाये रखे।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ،

(4162) हज़रत जरीर (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की इस बात पर बैअत की कि आपकी बात सुनूँगा और मानूँगा और हर

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ جَرِيرٌ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

मुसलमान से ख़ैरख़्वाही करूँगा।

(4162) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4945, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7778.

फ़ायदा : ख़ैरख़्वाही का मतलब ये है कि दूसरे मुसलमान से भला करूँगा और उसे फ़ायदा पहुँचाऊँगा, ख़्वाह अपना नुक़सान हो जाये। वल्लाहु आलम!

باب(٧): الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ

बाब : (7) मैदाने जंग से न भागने की बैअत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ .

(4163) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते थे कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत मौत (के अल्फ़ाज़) पर नहीं की थी, हमने सिर्फ़ इस बात की बैअत की थी कि (मैदाने जंग से) भागेंगे नहीं।

(4163) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1856/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7889.

फ़ायदा : मौत पर बैअत करने का मतलब भी यही है कि हम साबित क़दम रहेंगे, भागेंगे नहीं, ख़्वाह मौत वाले हालात पैदा हो जायें। हज़रत जाबिर (ﷺ) का मक़सूद ये है कि हमने बैअत करते वक़्त ये नहीं कहा था कि अगरचे मर जायें। सिर्फ़ ये कहा था कि भागेंगे नहीं। वैसे मफ़हूम और नतीजे में कोई फ़र्क़ नहीं। कुछ लोगों ने मौत का लफ़्ज़ भी बोला है कि भागेंगे नहीं, ख़्वाह मौत भी आ जाये जैसा कि आइन्दा रिवायत में इसकी सराहत है।

باب(٨): الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ

बाब : (8) मौत पर बैअत (भी दुरुस्त है)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ

(4164) हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत सलमा बिन अक्वा(ﷺ) से पूछा कि हुदैबिया के दिन तुम (यानी सहाबा) ने किस बात पर नबी-ए अकरम(ﷺ) से बैअत की थी? उन्होंने फ़रमाया: मौत पर।

الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

(4164) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4169, मुस्लिम, हदीस: 1860, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7780.

फ़ायदा : मौत पर बैअत का मफ़हूम साबिक़ा रिवायत में बयान हो चुका है और दोनों रिवायात में तत्बीक़ भी कि कुछ सहाबा ने बैअत के मौक़े पर मौत के लफ़्ज़ बोले थे और कुछ ने नहीं। ये वाक़िया बैअते रिज़वान का है जो सुलह हुदैबिया के मौक़े पर ली गई। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा से कुछ फ़ासिले पर एक जगह का नाम है जिसे आज कल शम्सिया कहा जाता है। आपने सुलह की बातचीत के लिये हज़रत उस्मान (ﷺ) को मक्का मुकर्रमा भेजा था मगर मशहूर हो गया कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। उस वक़्त ये बैअत ली गई थी। (ﷺ).

باب(٩): الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ أَخِي، يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ " .

बाब : (9) जिहाद की बैअत

(4165) हज़रत यअला बिन उमैया (ﷺ) से मरवी है कि मैं फ़तहे मक्का के दिन अपने वालिद हज़रत उमैया (ﷺ) के साथ रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद से हिजरत की बैअत ले लीजिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं उनसे जिहाद की बैअत लेता हूँ। हिजरत तो अब ख़त्म हो चुकी।'

(4165) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/223, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7782, मुश्किलुल आसार: 3/252-254 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'ख़त्म हो चुकी' मुराद मक्का मुकर्रमा से हिजरत है क्योंकि मक्का मुकर्रमा फ़तह के बाद दारुल इस्लाम बन गया था। अब वहाँ से हिजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता अगर कोई और इलाक़ा काफ़िरों के क़ब्ज़े में हो और वह मुसलमानों को अपने दीन पर आज़ादी से अमल न करने दें तो वहाँ से मुसलमानों के लिये दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत कर जाना अब भी ज़रूरी है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ". خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ.

(4166) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इर्द गिर्द सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत थी कि आपने फ़रमाया: 'मुझसे बैअत करो कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को क़त्ल नहीं करोगे, किसी पर अपनी तरफ़ से घड़ कर झूठ व बोहतान नहीं बाँधोगे और किसी नेकी के काम में मेरी नाफ़रमानी नहीं करोगे, फिर जो शख़्स इस अहद को पूरा करेगा, उसका अज्र व सवाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। और तुममें से जिस शख़्स ने उनमें से कोई काम कर लिया और उसको (दुनिया में) उसकी सज़ा मिल गई तो वह सज़ा उसके गुनाह को मिटा देगी। और जिस शख़्स ने उनमें से कोई काम किया, फिर अल्लाह तआला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया तो उसका मामला अल्लाह तआला के सुपुर्द है, चाहे माफ़ फ़रमाये, चाहे सज़ा दे।'

अहमद बिन सईद ने (उबैदुल्लाह बिन सअद की) मुख़ालिफ़त की है।

(4166) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 18, मुस्लिम, हदीस: 1709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7784.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका जिस बैअत पर दलालत करती है वह बैअते इस्लाम है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास थी, अब किसी से ये बैअत लेना जायज़ नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के किसी से ये बैअत लेना मन्क़ूल नहीं है। इससे बैअते तसव्वुफ़ का फ़ल्सफ़ा कशीद करना क़तई तौर पर ग़लत और नाजायज़ है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि जिस शख़्स पर दुनिया में उसके जुर्म की हद क़ाइम हो जाये (उसे अपने जुर्म की शरई सज़ा मिल जाये) तो ये सज़ा उस मुजरिम के लिये कफ़्फ़ारा बन जाती है। जुम्हूर अहले इल्म का भी यही क़ौल है, अलबत्ता कुछ अहले इल्म इक़ामते हद के

साथ साथ, कफ़्फ़ारे के लिये तौबा भी ज़रूरी क़रार देते हैं। लेकिन जुम्हूर का क़ौल ही क़ाबिले हुज्जत और दलाइल के ऐतबार से मज़बूत है। (3) ये रिवायत इमाम नसाई (رحمه الله) ने दो उस्तादों, यानी उ़बैदुल्लाह बिन सअ़द और अहमद बिन सईद से बयान की है। उस्ताद अहमद बिन सईद ने अपनी रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दूसरे उस्ताद उ़बैदुल्लाह बिन सअ़द की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि जब उ़बैदुल्लाह बिन सअ़द ये रिवायत बयान करते हैं तो वह इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) और हज़रत उबादा बिन स़ामित (رضي الله عنه) के दरम्यान अबू इदरीस ख़ौलानी का वास्ता ज़िक्र करते हैं और जब अहमद बिन सईद ये रिवायत बयान करते हैं तो वह अबू इदरीस ख़ौलानी का वास्ता ज़िक्र नहीं करते बल्कि वह इब्ने शिहाब (رحمه الله) को हज़रत उबादा बिन स़ामित(رضي الله عنه) का शागिर्द बनाते हैं, हालांकि इमाम ज़ोहरी (इब्ने शिहाब) ने हज़रत उबादा (رضي الله عنه) को नहीं पाया। इस तरह ये रिवायत मुन्क़तअ़ भी है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا فَنَالَتْهُ عُقُوبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَنَلْهُ عُقُوبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " .

(4167) हज़रत उबादा बिन स़ामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम उन कामों की मुझसे बैअत नहीं करते जिनकी औरतों ने बैअत की है? कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को क़त्ल नहीं करोगे, किसी पर अपनी तरफ़ से घड़ कर बोहतान नहीं बाँधोगे और किसी अच्छे काम में मेरी नाफ़रमानी नहीं करोगे।' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं? (हम बैअत करेंगे) फिर हमने उन कामों पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके बाद जिसने उनमें से कोई काम किया और उसको सज़ा मिल गई तो वह सज़ा उसके गुनाह को मिटा देगी और जिसको (दुनिया में) सज़ा न मिली तो उसका मामला अल्लाह तआ़ला के सुपुर्द है, चाहे वह उसे माफ़ फ़रमा दे, चाहे सज़ा दे।'

(4167) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7785, पिछली हदीस़ देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत और साबिक़ा रिवायत मुताल्लिक़ा बाब से ताल्लुक़ नहीं रखती क्योंकि इनमें जिहाद का कोई ज़िक्र नहीं, अलबत्ता असल बाब, यानी बैअत के मसाइल से ताल्लुक़ है। मगर ये कि कहा जाये कि 'अच्छे और नेकी के काम' में जिहाद भी दाख़िल है। **(2)** 'औरतों ने बैअत की' जब कोई औरत मक्का से हिजरत कर के आपके पास पहुँचती और मुसलमान होती तो आप उससे ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ के साथ बैअत लेते थे। सूर-ए-मुम्तहिना' आयत नम्बर:12 में आपको इन अल्फ़ाज़ के साथ औरतों से बैअत लेने का हुक्म दिया गया था मगर याद रहे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी औरत से मारूफ़ बैअत (दस्ते मुबारक से) नहीं ली बल्कि आप औरतों से सिर्फ़ ज़बानी बैअत लेते थे। सारी ज़िन्दगी आपका दस्ते मुबारक किसी ग़ैर महरम औरत के हाथ को नहीं लगा। फ़िदा अबी व उम्मी, सुम्मा नफ़्सी व रूही (ﷺ). **(3)** 'किसी अच्छे काम में' ये लफ़्ज़ उर्फ़न आ गये हैं वरना ये मुमकिन ही नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी बुरे काम का हुक्म दें। **(4)** 'मिटा देगी' मालूम हुआ कि दुनिया में मिलने वाली शरई सज़ा गुनाह को मिटा देती है। अल्लाह तआला उसकी पूछ गछ नहीं फ़रमायेगा। अहनाफ़ के नज़दीक गुनाह की माफ़ी के लिये तौबा भी ज़रूरी है। सज़ा तो सिर्फ़ आइन्दा रोकने और इबरत के लिये है लेकिन हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ उसके ख़िलाफ़ हैं। **(5)** 'अल्लाह तआला के सुपुर्द है' पर्दा पोशी के बाद अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद यही है कि माफ़ फ़रमा देगा बशर्ते कि गुनाह का इर्तिकाब करने वाला पर्दा पोशी से फ़ायदा उठाते हुये सच्ची तौबा करे।

बाब : (10) हिजरत पर बैअत

(4168) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मैं आपसे हिजरत पर बैअत करने आया हूँ जबकि मैं अपने माँ बाप को रोता छोड़ आया हूँ। आपने फ़रमाया: 'उनके पास वापस जा और जैसे तूने उन्हें रुलाया है उसी तरह उन्हें हँसा।'

(4168) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2528, इब्ने माजा, हदीस: 2782, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7786, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम.

باب(١٠): الْبَيْعَةِ عَلَى الْهِجْرَةِ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا ‏"

फ़वाइद व मसाइल : (1) हिजरत पर बैअत लेना मशरूअ नहीं रहा, हाँ दारे कुफ़्र से दारे इस्लाम की तरफ़ हिजरत बाक़ी है लेकिन बग़ैर बैअत के। **(2)** तर्जुमतुल बाब, यानी हिजरत पर बैअत, के साथ

हदीस़ की मुनासिबत इस तरह बनती है कि हिजरत पर बैअत की नियत से आने वाले शख़्स से रसूलुल्लाह(ﷺ) ने, उसके वालिदैन की अदमे रज़ामन्दी की वजह से बैअत नहीं ली। अगर उसके वालिदैन का मसला न होता तो आप बैअत ले लेते। वल्लाहु आलम! (3) वालिदैन की नाफ़रमानी और उनको ईज़ा पहुँचाना हराम और नाजायज़ है। इसी तरह अगर जिहाद की फ़र्ज़ीयत के हालात भी न हों तो इजाज़त के बग़ैर जाना दुरुस्त नहीं। (4) हर दारे कुफ़्र से हिजरत करना फ़र्ज़ नहीं अगर क़ब्ज़ा काफ़िरों का हो मगर वह दीनी उमूर में रुकावट न डालते हों तो वहाँ से हिजरत फ़र्ज़ नहीं जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों को ख़ुद हब्शा भेजा, हालांकि वहाँ ईसाईयों की हुकूमत थी।

बाब : (11) हिजरत का मामला

باب(١١): شَأْنِ الْهِجْرَةِ

(4169) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है एक आराबी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हिजरत की इजाज़त तलब की। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तुझ पर रहम करे! हिजरत बहुत मुश्किल काम है। क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'क्या तू उनकी ज़कात देता है?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'बस्तियों से बाहर रह कर नेकी के काम करता रह। यक़ीनन अल्लाह तआला (हिजरत न करने की बिना पर) तेरे अमल के सवाब में कोई कमी नहीं करेगा।'

(4169) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1452, मुस्लिम, हदीस़: 1865, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7787.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ " وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत इस तरह है कि हिजरत करना इन्तेहाई मुश्किल और अज़ीमत व अज़मत वाला काम है, ऐसे लोग भी अज़ीम और जलीलुल क़द्र हैं, ताहम ये हर एक के बस का मामला नहीं बल्कि बसा औक़ात राहे हिजरत में पेश आमदा मुश्किलात से इन्सान घबरा जाता है और अपनी हिजरत पर नादिम होता है जिससे उसकी हिजरत यक़ीनन मुतास्सिर होती है। (2) ऊँटों की ज़कात अदा करना फ़ज़ीलत वाला अमल है। (3) मज़्कूरा हदीस़ से सहरानशीनों और आराबियों के लिये नर्मी का पहलू भी निकलता है कि उनकी इस्तेताअत को मद्दे नज़र रख कर उन्हें

किसी चीज़ का पाबन्द किया जाये। इसी लिये उन पर हिजरत फ़र्ज़ नहीं थी जबकि मक्का शहर वालों पर हिजरत फ़र्ज़ थी।

बाब : (12) देहाती व बदवी की हिजरत

باب(١٢): هِجْرَةِ الْبَادِي

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا " .

(4170) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हिजरत कौन सी अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू उन कामों को छोड़ दे जिन्हें तेरा रब तआला नापसन्द फ़रमाता है।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हिजरत दो क़िस्म की होती है। एक तो शहरी की हिजरत, दूसरी बदवी (आराबी) की हिजरत। बदवी का काम ये है कि जब उसे बुलाया जाये तो वह आ जाये और जब उसे हुक्म दिया जाये तो वह इताअत करे लेकिन शहरी को मशक़्क़त भी ज़्यादा है और सवाब भी।'

(4170) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/159, 160, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7788, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1580, 1581, वल हाकिम: 1/11 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उन कामों को छोड़ दे' हिजरत के लुग़वी मआनी छोड़ देने के हैं। मारूफ़ हिजरत में घर बार, रिश्तेदार और माल व मनाल छोड़ा जाता है। आपने इस लिहाज़ से फ़रमाया कि अफ़ज़ल हिजरत गुनाहों को छोड़ना है क्योंकि हिजरत भी तो दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिये की जाती है। गुनाहों के छोड़ने से भी दीन महफ़ूज़ हो जाता है। अगर गुनाह न छोड़े जायें तो ख़ाली हिजरत का क्या फ़ायदा? गुनाहों को छोड़ने वाली हिजरत ही असल हिजरत है क्योंकि गुनाह छोड़ना, वतन छोड़ने से बेहतर है और हिजरत में भी वतन छोड़ने का असल मक़सद तो गुनाह छोड़ना और अपने ईमान की हिफ़ाज़त करना ही है। **(2)** 'जब उसे बुलाया जाये' यानी जब उसे जिहाद के लिये बुलाया जाये तो वह आ जाये। और अपने घर में रह कर शरीयत पर अमल करता रहे। गाँव और क़बाइल के रहने वालों पर

हिजरत फ़र्ज़ नहीं थी जबकि मक्का शहर में रहने वाले मुसलमानों पर हिजरत फ़र्ज़ थी, लिहाज़ा शहरी के लिये मशक़्क़त भी ज़्यादा और उसका अज्र भी ज़्यादा था। वल्लाहु आलम!

बाब : (13) हिजरत की एक तशरीह

باب(١٣): تَفْسِيرِ الْهِجْرَةِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ .

(4171) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबू बक्र व उमर(ﷺ) इसलिये मुहाजिर थे कि उन्होंने मुश्रिकीन (और उनके इलाक़े) को छोड़ दिया था। और अन्सार में से भी कुछ लोग मुहाजिर थे क्योंकि मदीना भी (आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले) शिर्क और मुश्रिकीन का इलाक़ा था, चुनांचे कुछ अन्सार उक़्बा की रात रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास (मक्का मुकर्रमा) चले आये थे।

(4171) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7789.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) इन्तेहाई ज़हीन शख़्स थे। उन्होंने ये लतीफ़ नुक्ता पैदा किया कि अगर घर बार छोड़ कर जाने की वजह से कोई शख़्स मुहाजिर बन सकता है तो वह अन्सार जो बैअत करने के लिये मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे, वह भी मुहाजिर थे क्योंकि वह मदीना छोड़ कर आपके पास गये थे और आपके हुक्म से दोबारा मदीना आये थे। इसी तरह मुहाजिरीन को भी अन्सार कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने हर मौक़े पर आपका साथ दिया और आपकी मदद की। और मदद करने वालों को लुग़त के लिहाज़ से अन्सार कहा जा सकता है। ये सिर्फ़ एक नुक्ता है वरना हक़ीक़त ये है कि मुहाजिरीन वही थे जिन्होंने हमेशा के लिये अपने घर बार छोड़ दिये। यहाँ तक कि मक्का फ़तह होने पर बावजूद दारुल इस्लाम बन जाने के वहाँ ठहरना पसन्द न किया। और अन्सार वही थे जिन्होंने अपना शहर, अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें यहाँ तक कि अपनी जानें रसूलुल्लाह (ﷺ) को पेश कर दीं। (ﷺ). **(2)** 'अक्बा की रात' ये रात दरअसल दो रातें थीं। एक 12 नबूवत में जिसे लैलतुल अक़्बा ऊला कहा जाता है और दूसरी 13 नबूवत में जिसे लैला अक़्बा सानिया कहा जाता है। अक़्बा मिना से मक्का मुकर्रमा की तरफ़ आख़री जम्रे का नाम है। इस जम्रे के पास रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना वालों को

इस्लाम की दावत दी थी। ये 11 नबूवत की बात है। वह छ: आदमी थे। उन्होंने आइन्दा साल आपसे मिलने का वादा किया और मदीना जाकर आपकी दावत मदीना वालों के सामने पेश की। 12 नबूवत में हज के बाद बारह आदमी इस जम्रे के पास आपको मिले, इस्लाम क़बूल किया और आपकी बैअत की। आपने उनके साथ मुबल्लिग़ भी भेज दिया। अगले साल 13 नबूवत में हज के बाद इसी जम्रे के पास सत्तर (70) से ज़्यादा अन्सार ने आपकी बैअत की और आपसे मदीना चलने की दरख़्वास्त की। आपने इसे क़बूल फ़रमाया और मुनासिब वक़्त पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये।

बाब : (14) हिजरत की तर्ग़ीब

باب(١٤): الْحَثِّ عَلَى الْهِجْرَةِ

(4172) हज़रत अबू फ़ातिमा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई ऐसा काम बताइये जिस पर मैं क़ाइम रहूँ और उसे जारी रखूँ। आपने फ़रमाया: 'हिजरत कर। (इस वक़्त, तेरे हक़ में) उसके बराबर कोई और काम नहीं'

(4172) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7790.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، -وَهُوَ ابْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ، أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهَا " .

फ़ायदा : वक़्त वक़्त की बात है। किसी वक़्त हिजरत अफ़ज़ल है, कभी जिहाद और कभी कोई और काम। इसी तरह आदमी आदमी का फ़र्क़ होता है। किसी आदमी के लिये हिजरत अफ़ज़ल है, किसी के लिये कोई और काम, जैसे आपने आराबी को हिजरत से रोक दिया था। (देखिये, हदीस: 4168, 4169)

बाब : (15) इन्क़िताए हिजरत की बाबत इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ فِي انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ

(4173) हज़रत यअला (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं फ़तहे मक्का के दिन अपने वालिदे मोहतरम को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद से हिजरत की बैअत ले लीजिये। रसूलुल्लाह

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى

قَالَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ ‏"‏ ‏.‏

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं उनसे जिहाद की बैअत लेता हूँ। हिजरत तो अब ख़त्म हो चुकी है।'

(4173) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4165, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7791.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4165.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُهَاجِرٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ‏"‏ ‏.‏

(4174) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (ؓ) से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग कहते हैं कि मुहाजिरीन के अलावा कोई शख़्स जन्नत में नहीं जायेगा। आपने फ़रमाया: 'फ़तहे मक्का के बाद (मक्का से) हिजरत (की कोई ज़रूरत) नहीं रही लेकिन जिहाद करो और बैअत रखो (कि अगर कभी हिजरत करना पड़ी तो करेंगे) और जब तुमसे जिहाद के लिये निकलने को कहा जाये तो निकलो।'

(4174) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/401, 6/466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7792.

फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि अब मुस्तक़िल्लन घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता जिहाद और दूसरे नेक कामों के लिये वक़्ती तौर पर घरों से निकालो।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ ‏"‏ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ‏"‏ ‏.‏

(4175) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़रमाया: 'अब (मक्का से) हिजरत करने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता जिहाद करो और नियत रखो। जब तुमसे जिहाद के लिये घरों से निकलने को कहा जाये तो निकलो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2783, मुस्लिम: 1353/85,: 1863, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7793.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ला हिज्रत, इसके ये मआनी लेना दुरुस्त नहीं कि अब हिजरत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोई मुसलमान दारुल कुफ़्र में, ख़्वाह किसी भी हालत में हो, उसके लिये दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत करना जायज़ नहीं बल्कि इस हदीस़ का मतलब ये है कि फ़तहे मक्का के बाद मक्का से हिजरत नहीं जैसा कि इमाम नववी (رحمه الله) ने फ़रमाया: हमारे अस्हाब और दीगर उलमा ने कहा है: दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत करना क़यामत तक बाक़ी है, चुनांचे उन्होंने मज़्कूरा हदीसे मुबारका कि (ला हिज्रत . . . . अलख़) की दो वजहें बयान फ़रमाई हैं: एक तो ये कि फ़तहे मक्का के बाद, मक्का से हिजरत नहीं क्योंकि मक्का दारुल इस्लाम बन चुका है, इसलिये वहाँ से हिजरत करने का तस़व्वुर ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी तौजीह ये कि वह फ़ज़ीलत वाली अहम हिजरत जो (इब्तेदा-ए-इस्लाम में) मतलूब थी और जिसके फ़ाइल मुमताज़ हैसियत के हामिल बन गये, अब मक्का से वह हिजरत ख़त्म हो चुकी है। इस हिजरत का ऐज़ाज़ जिस जिस के मुक़द्दर में था, वह हर उस शख़्स को मिल चुका है जिसने फ़तहे मक्का से पहले हिजरत कर ली। अब (फ़तहे मक्का के बाद) हिजरत करने का वह ऐज़ाज़ किसी और को नहीं मिल सकता, इसलिये कि फ़तहे मक्का के बाद इस्लाम मोअज़्ज़ज़ और मज़बूत हो चुका है। देखिये: (शरह मुस्लिम, 13/12, 13) हिजरत के मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 32/247) **(2)** इस हदीस़ में है कि अब हिजरत नहीं रही जबकि बाद वाली अहादीस़ में है कि हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ाहिरन इन अहादीस़ में तज़ाद मालूम होता है, हालांकि इनमें कोई तज़ाद नहीं बल्कि इन अहादीस़ में तत्बीक़ मुमकिन है और वह इस तरह कि जिन अहादीस़ में है कि फ़तहे मक्का के बाद हिजरत ख़त्म हो चुकी, उसका मफ़हूम ये है कि जो हिजरत फ़तहे मक्का से पहले, यानी इब्तेदा-ए-इस्लाम में फ़र्ज़ थी, वह अब ख़त्म हो गई है क्योंकि मक्का दारुल इस्लाम बन चुका है, लिहाज़ा वहाँ से हिजरत बाक़ी नहीं रही। और जिन अहादीस़ में है कि हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती तो उसका मतलब है कि हर दारुल हरब से, दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत करना बाक़ी है। इस सूरत में दारुल हरब से हर ज़माने में हिजरत की जायेगी और ऐसी हिजरत क़यामत तक बाक़ी है। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि जिहाद फ़र्ज़े ऐन नहीं बल्कि फ़र्ज़े किफ़ाया है, चुनांचे जब कुछ लोगों के करने से किफ़ायत हो जाये तो फिर बाक़ी लोगों से जिहाद साक़ित हो जायेगा, हाँ! अगर तमाम लोग जिहाद करना छोड़ दें तो इस सूरत में सब गुनाहगार होंगे। **(4)** इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि जब इमाम जिहाद के लिये निकलने का हुक्म दे तो हर उस शख़्स के लिये निकलना ज़रूरी होगा जिसे इमाम हुक्म दे। इमाम कुर्तुबी (رحمه الله) ने इस मसले के मुताल्लिक़ अहले इल्म का इज्मा नक़ल किया है। **(5)** ये हदीस़ हर ख़ैर और भलाई के क़ौल व अमल का शौक़ दिलाती है, और इससे ये भी स़ाबित होता है कि हर नियते ख़ैर पर अज्र व सवाब है, और हर बुराई और अमले शर से इज्तेनाब और इज्तेनाब की नियत भी बाइसे अज्र है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4176) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद हिजरत की ज़रूरत नहीं रही।

(4176) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला: 1/167, हदीस: 186, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7794.

फ़ायदा : ग़ालिबन हज़रत उमर (ﷺ) का मक़सूद रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ौल ही है कि फ़तहे मक्का के बाद हिजरत नहीं, वैसे भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात फ़तहे मक्का के ज़माने के क़रीब ही थी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ السَّعْدِيِّ، قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ . قَالَ " لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ " .

(4177) हज़रत अब्दुल्लाह बिन वक़्दान सअदी(ﷺ) से रिवायत है कि हम एक वफ़द की सूरत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये। हममें से हर शख़्स आपसे कोई न कोई सवाल करता था। मैं सबके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने पीछे बहुत से लोग छोड़ आया हूँ जो कहते हैं कि अब हिजरत ख़त्म हो चुकी है। आपने फ़रमाया: 'जब तक कुफ़्फ़ार से लड़ाई जारी है, हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती।'

(4177) तख़रीज : (सनद सही) तहावी फ़ी मुश्किलुल आसार: 3/258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7795, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1579.

फ़ायदा : 'ख़त्म नहीं हो सकती' क्योंकि जब तक इस्लाम व कुफ़्र में आवेज़िश (चिपकलिश) क़ाइम है, किसी न किसी इलाक़े में मुसलमान मज़्लूम व मक़हूर रहेंगे, लिहाज़ा दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ़ सफ़र जारी रहेगा और यही हिजरत है, या इससे मुराद है कि जिहाद के लिये मुसलमान अपने घर बार वक़्ती तौर पर छोड़ते रहेंगे। इन दो मआनी की मदद से हिजरत के ख़त्म होने या न होने के बारे में मरवी रिवायात में तत्बीक़ मुमकिन होगी।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الضَّمْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، قَالَ وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً فَقَالَ " حَاجَتُكَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ " .

(4178) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़दी (ﷺ) ने फ़रमाया: हम एक वफ़्द की सूरत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये। मेरे साथी (अपनी अपनी बारी पर) दाख़िल हुये। आपने उनकी मतलूबा हाजतें पूरी कीं। मैं सबसे आख़िर में दाख़िल हुआ। आपने फ़रमाया: 'तुझे क्या काम है?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हिजरत कब ख़त्म होगी? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तक काफ़िरों से लड़ाई जारी है, हिजरत ख़त्म नहीं होगी।'

(4178) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, अलतहावी फ़ी अलमुश्किल: 3/257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7796.

باب(١٦): الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ

बाब : (16) हर पसन्द व नापसन्द हुक्म की इताअ़त की बैअत

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا أَحْبَبْتُ وَفِيمَا كَرِهْتُ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوَتَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَا جَرِيرُ أَوَتُطِيقُ ذَلِكَ " . قَالَ " قُلْ فِيمَا اسْتَطَعْتُ " . فَبَايَعَنِي وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

(4179) हज़रत जरीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अ़र्ज़ की कि मैं आपसे बैअत करता हूँ कि हर पसन्द व नापसन्द में आपकी बात सुनूँगा और इताअ़त करूँगा। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जरीर! तू इसकी ताक़त भी रखता है?' और फ़रमाया: 'तू कह अपनी ताक़त के मुताबिक़' फिर आपने मुझ से बैअत ली और फ़रमाया कि हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करना।

(4179) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7204, मुस्लिम: 56/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7797.

फ़ायदा : 'अपनी ताक़त के मुताबिक़' कुर्बान जायें आपकी शफ़क़त व रहमत पर कि ख़ुद आसानी की राह दिखाई। (देखिये: 62:4161)

बाब : (17) मुश्रिकीन से अलैहदगी की बैअत

باب(١٧): الْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ

(4180) हज़रत जरीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की नमाज़ क़ाइम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करने और मुश्रिकीन से अलाहिदा (अलग) रहने पर।

(4180) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7798.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ .

(4181) हज़रत जरीर (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। फिर रावी ने साबिक़ा रिवायत की तरह बयान किया।

(4181) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7799.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(4182) हज़रत जरीर (ﷺ) से मन्क़ूल है, वह बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो आप लोगों से बैअत ले रहे थे। मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! अपना हाथ बढ़ाइये ताकि मैं आपकी बैअत करूँ। और शर्तें आप ख़ुद बता दीजिये क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'मैं तुझ से बैअत लेता हूँ कि तू अल्लाह वहदहु की इबादत करेगा, नमाज़ क़ाइम करेगा, ज़कात अदा करेगा, हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करेगा और मुश्रिकीन से जुदा रहेगा।'

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَىَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ . قَالَ " أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُنَاصِحَ

الْمُسْلِمِينَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ " .

(4182) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4181, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7800.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ فَقَالَ " أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِيهِ فَهُوَ طَهُورُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " .

(4183) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने चन्द लोगों की मईयत में रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की। आपने फ़रमाया: 'मैं तुमसे इस शर्त पर बैअत लेता हूँ कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को क़त्ल नहीं करोगे और अपनी तरफ़ से घड़ कर किसी पर बोहतान तराज़ी नहीं करोगे और किसी नेक काम में मेरी नाफ़रमानी नहीं करोगे। तुममें से जो शख़्स इस अहद पर क़ायम रहा, उसका अज्र व सवाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है और जिसने उनमें से कोई काम कर लिया, फिर उसको इस काम की सज़ा मिल गई तो उसका गुनाह धुल जायेगा। और जिस शख़्स की अल्लाह तआला ने पर्दापोशी की, तो वह अल्लाह तआला के सुपुर्द है। चाहे उसे अज़ाब दे, चाहे तो उसे माफ़ फ़रमा दे।'

(4183) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4166, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7801.

फ़ायदा : इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता असल बाब (बैअत) से ताल्लुक़ है। ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 4167)

بَاب(١٨): بَيْعَةِ النِّسَاءِ

बाब : (18) औरतों से बैअत लेना

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ

(4184) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत करने का इरादा किया तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!

عَطِيَّةَ، قَالَتْ لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْهَبُ فَأُسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيئُكَ فَأُبَايِعُكَ . قَالَ " اذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا " . قَالَتْ فَذَهَبْتُ فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

एक औरत ने दौरे जाहिलियत में नौहा करने में मेरी मदद की थी। मैं जाकर उसकी मदद कर के आती हूँ, फिर आकर आपकी बैअत करूँगी। आपने फ़रमाया: 'जा, उसकी मदद कर आ।' मैं गई और मैंने उसकी मदद का उसे बदला दिया, फिर मैं आई और रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की।

(4184) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7802.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि औरतों से बैअत लेना मशरूअ है जैसा कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों से बैअत ली थी। **(2)** हदीस से मालूम हुआ कि नौहा करना हराम और नाजायज़ है, लिहाज़ा इससे बचना ज़रूरी है। शरअन ये बहुत क़बीह काम है, इसलिये इससे रोकने का ख़ुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। अगर इस सिलसिले में डाँट डपट से काम लेना पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं जैसा कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) की बाबत मन्क़ूल है कि वह किसी की वफ़ात पर अगर किसी को ग़लत अन्दाज़ में और ग़ैर शरई रोना रोते देखते तो उसे पत्थर वग़ैरह मारते और उस रोने वाले शख़्स के मुँह में मिट्टी ठूँसते। देखिये: (औनुल बारी: 2/315) हुर्मते नौहा की कई एक वजूहात हो सकती हैं, जैसे: ये जाहिलियत के कामों में से है, ग़म ज़्यादा और सब्र न करने का सबब बनता है, और नौहा करने से अल्लाह तआला की क़ज़ा व क़द्र की मुख़ालिफ़त और उस पर अदमे रिज़ा लाज़िम आती है। वल्लाहु आलम **(3)** हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि शारेअ (ﷺ) को ये हक़ हासिल था कि वह जब चाहें और जिसके लिये चाहें आम क़ानून में तख़्सीस फ़रमा दें जिस तरह कि उम्मे अतिया (رضي الله عنها) के लिये तख़्सीस की गई। **(4)** 'एक औरत ने नौहा करने में मेरी मदद की थी' जाहिलियत में ये रिवाज था कि अगर किसी घर कोई मय्यत होती तो दूसरी औरतें बारी बारी उसके घर की औरतों से मिलकर झूठ मूठ नौहा करतीं और ज़बानी रोना रोतीं। हज़रत उम्मे अतिया (رضي الله عنها) जब बैअत करने लगीं तो आपने बैअत के वक़्त नौहा न करने का भी ज़िक्र फ़रमाया। उनको ख़्याल आया कि फ़ुलां औरत ने तो नौहा में मेरी मदद की थी। और जाहिलियत में इस मदद को भी लेन देन की तरह समझा जाता था और उसका बाक़ायदा मुतालबा होता था। हज़रत उम्मे अतिया (رضي الله عنها) को ख़तरा हुआ कि कल कलां वह औरत आकर मुझसे बदले का मुतालबा करेगी, इसलिये मुझे बैअत से पहले ही बदला चुका देना चाहिए।

(4185) हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे बैअत ली कि हम नौहा नहीं करेंगे।

(4185) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 936, बुख़ारी, हदीस: 1306, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7803.

(4186) हज़रत उमैमा बिन्ते रुक़ैक़ा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं कुछ अन्सारी औरतों की मईयत में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। हम आपसे बैअत होना चाहती थीं। हमने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपसे आपसे बैअत करती हैं कि हम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक नहीं बनायेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी, अपनी तरफ़ से झूठ घड़ कर किसी पर बोहतान तराज़ी नहीं करेंगी और किसी नेक काम में आपकी नाफ़रमानी नहीं करेंगी। आपने फ़रमाया: 'अपनी ताक़त और वुस्अ़त के मुताबिक़ (तुम पाबन्द होगी)' हमने कहा: अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) हम पर (हमसे भी) ज़्यादा मेहरबान और रहम फ़रमाने वाले हैं। ऐ अल्लाह के रसूल! इजाज़त दीजिये कि हम आपके दस्ते मुबारक पर बैअत करें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। मेरा ज़बानी तौर पर सौ औरतों से (बैअत की) बात चीत करना ऐसे ही है जैसे हर हर औरत से अलग तौर पर बात चीत करूँ।'

(4186) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1597, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7804, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 14, मौता: 2/982.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لاَ نَنُوحَ ‏.‏

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ‏"‏ ‏.‏

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से साबित हुआ है कि औरतों और मर्दों से बैअत लेने में फ़र्क़ है। दोनों की बैअत एक जैसी नहीं है, यानी बैअत के वक़्त औरतों से हाथ मिलाना हराम और नाजायज़ है जबकि मर्दों से हलाल और जायज़ है। सुलह हुदैबिया के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ैर महरम औरतों से मुसाफ़ा नहीं करते थे अगरचे ज़रूरत का तक़ाज़ा भी होता जैसा कि आपने औरतों से बैअत लेते वक़्त सिर्फ़ ज़बान से बैअत लेने पर इक्तेफ़ा फ़रमाया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (ﷺ) फ़रमाती हैं: अल्लाह की क़सम! बैअत लेते हुये भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का हाथ मुबारक कभी किसी ग़ैर महरम औरत के हाथ को नहीं लगा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4891) याद रहे किसी भी नेक व पारसा और बिरादरी वग़ैरह के मुअज़्ज़ज़ और बड़े शख़्स के लिये जायज़ नहीं कि वह किसी ग़ैर महरम औरत के सर पर हाथ फेरे या किसी से मुसाफ़ा वग़ैरह करे। **(2)** नबी (ﷺ) का जो हुक्म उम्मत के किसी एक मर्द या एक औरत के लिये होता है वह उम्मत के तमाम मर्दों और औरतों को शामिल होता है मगर ये कि नबी (ﷺ) किसी के लिये ख़ुद तख़्सीस फ़रमा दें। **(3)** 'औरतों से हाथ नहीं मिलाता' नबी (ﷺ) के इस तर्ज़े अमल में उन नाम निहाद पीरों के लिये दर्से इबरत है जो मर्दों औरतों से बिला इम्तियाज़ दस्ती बैअत लेते हैं। अगर ये जायज़ होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इससे परहेज़ न फ़रमाते। इसी तरह मजालिसे वाज़ व सिमाअ में औरतों का मर्दों के सामने बिला हिजाब बैठना भी शरई मज़ाज से मुतसादिम है। **(4)** 'अलग अलग बातचीत करूँ' मक़सूद ये है कि ज़बानी बैअत भी अलग अलग औरत से नहीं होगी बल्कि तमाम औरतों से एक साथ ज़बानी अहद लिया जायेगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (19) आफ़तज़दा शख़्स की बैअत

باب(۱۹): بَيْعَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ

(4187) आले शरीद के एक शख़्स अम्र के वालिद से रिवायत है कि बनू सक़ीफ़ के वफ़्द में एक कोढ़ी शख़्स भी आया था। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने उसे पैग़ाम भेजा: 'वापस चले जाओ (मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं) मैंने तेरी बैअत क़बूल कर ली है।'

(4187) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2231, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7805.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि मज्ज़ूम शख़्स से बैअत लेना मशरूअ है, ताहम ऐसे शख़्स से सिर्फ़ ज़बानी कलामी बैअत भी हो सकती है। **(2)** इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला शख़्स से दूरी इख़्तियार करना जायज़

है, ताहम ऐसे शख़्स को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ करना और कुल्ली तौर पर इसे हालात के रहम व करम पर छोड़ देना दुरुस्त नहीं। उसका इलाज कराना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक़ उससे मेल जोल और उसकी मुआवनत (मदद) हो सकती है। (3) आफ़तज़दा शख़्स से मुराद वह शख़्स है जो इन्तेहाई क़बीह मर्ज़ में गिरफ़्तार हो। लोग उससे बहुत नफ़रत करते हों। दूसरे लोगों के मुतास्सिर होने का ख़दशा हो, जैसे: जुज़ाम (कोढ़) ये इन्तेहाई क़बीह और ख़ौफ़नाक मर्ज़ है। तबअन हर आदमी उससे दूर भागता है। इस मर्ज़ का मवाद मरीज़ के जिस्म पर हर वक़्त मौजूद रहता है। क़रीब आने से दूसरे शख़्स को लग सकता है जिससे उसके मुतास्सिर होने का ख़दशा है, इसलिये नबी (ﷺ) ने इसे मज्लिस में आने से मना फ़रमा दिया। ऐसे मरीज़ को ख़ुद भी जहाँ तक हो सके मजालिस में आने से बचना चाहिए। अल्लाह तआला इस मर्ज़ से बचाये। आमीन! (4) 'बैअत क़बूल कर ली है' क्योंकि असल ऐतबार तो दिली अहद का है। ज़बान व हाथ तो सिर्फ़ ताकीद के लिये हैं, ज़रूरी नहीं।

बाब : (20) बच्चे की बैअत

باب(٢٠): بَيْعَةِ الْغُلاَمِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا غُلاَمٌ لِيُبَايِعَنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي .

(4188) हज़रत हिर्मास बिन ज़ियाद (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने (बैअत के लिये) अपना हाथ नबी-ए-अकरम (ﷺ) की तरफ़ बढ़ाया जबकि मैं उस वक़्त (नाबालिग़) बच्चा था। आप (ﷺ) ने मुझसे बैअत नहीं ली।

(4188) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 806.

फ़ायदा : बैअत दरअसल अज़ीमुश्शान अहद होता है जो पूरी अक़्ल व हवास और बसीरत से किया जाता है। ये बच्चों का खेल नहीं और न कोई बेफ़ायदा रस्म है जो सिर्फ़ तबर्रुक के लिये हर कस व नाकस से पूरी करवाई जाये। आज कल कुछ हज़रात बैअत को तबर्रुक समझ कर करते हैं कि हम फ़ुलां बुज़ुर्ग से बैअत हैं और वह उसे आख़िरत में कोई मुफ़ीद शै समझते हैं जबकि हक़ीक़त में ये ग़ैर इस्लामी अमल है। बैअत इमाम की हो सकती है या उसके मुक़र्ररकर्दा नाइब की। इस्लामी बैअत तो अहद का नाम है जो एक ज़िम्मेदारी है जिसकी फ़िक्र करना पड़ती है न कि बैअत इन्सान को ज़िम्मेदारियों से आज़ाद करती है जैसा कि ख़्याल किया जाता है कि 'फ़ुलां बुज़ुर्ग से बैअत हो जाओ, पस निजात हो जायेगी। शरई फ़राइज़ की अदायगी कोई ज़रूरी नहीं' गोया हर क़िस्म की ज़िम्मेदारी बैअत लेने वाले पर डाल दी जाती है। इस्लाम ऐसी ख़ुराफ़ात का क़ाइल नहीं।

बाब : (21) गुलाम की बैअत

باب(٢١): بَيْعَةِ الْمَمَالِيكِ

(4189) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि एक गुलाम आया और उसने हिजरत पर नबी-ए अकरम (ﷺ) की बैअत कर ली। नबी-ए अकरम(ﷺ) को इल्म नहीं था कि वह गुलाम है। कुछ देर बाद उसका मालिक आ गया, वह उसे ले जाना चाहता था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये गुलाम, मुझे बेच दे।' फिर आपने दो काले गुलाम देकर उसको ख़रीदा। उसके बाद आप किसी से बैअत न लेते यहाँ तक कि पूछ लेते: 'वह गुलाम तो नहीं?'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِعْنِيهِ " . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

(4189) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1602, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7807.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि मालिक की इजाज़त के बग़ैर गुलाम की बैअत नाजायज़ है। **(2)** ये हदीस रसूलुल्लाह (ﷺ) के अज़ीम मकारिमे अख़्लाक़ और आम लोगों के साथ एहसान करने पर भी दलालत करती है कि आपने गुलाम को वापस करना पसन्द नहीं फ़रमाया ताकि वह आज़ुर्द-ए-ख़ातिर न हो, और जिस ग़र्ज़ के लिये वह आया था उसमें भी ख़लल वाक़ेअ न हो, चुनांचे आपने एहसाने अज़ीम फ़रमाते हुये उसे ख़रीद लिया ताकि उसका मक़सद पूरा हो जाये। **(3)** इस हदीसे मुबारक से ये मसला भी अख़्ज़ होता है कि दो गुलामों के बदले एक गुलाम की बैअ जायज़ है, ख़्वाह क़ीमत एक जैसी हो या क़ीमत का फ़र्क़ हो। तमाम जानवरों और हैवानात का हुक्म भी यही है। जुम्हूर अहले इल्म इस बैअ के जवाज़ के क़ाइल हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा और अहले कूफ़ा इसको नाजायज़ क़रार देते हैं। **(4)** इस हदीस से ये मसला भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) न आलिमुल ग़ैब थे और न आपको अताई इल्मे ग़ैब हासिल था। यही वजह है कि आपने उस गुलाम की बैअत क़बूल फ़रमा ली जो अपने आक़ा की इजाज़त के बग़ैर आ गया था। इस तरह इस वाक़िये के बाद आप बैअत की ख़ातिर आने वाले हर शख़्स से पूछा करते थे कि वह गुलाम तो नहीं है? **(5)** रसूलुल्लाह (ﷺ) एहतियात पसन्द थे, इसलिये आप बैअत के लिये आने वालों से पूछते थे। **(6)** गुलाम अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं होता। वह मालिक के हुक्म का पाबन्द होता है, लिहाज़ा गुलाम का इस्लाम तो मोतबर और मक़बूल है मगर हिजरत और जिहाद वग़ैरह की बैअत मोतबर नहीं। मुमकिन है

मालिक उसे इजाज़त न दे जैसा कि ऊपर दिये गये वाक़िये में हुआ। ये अलग बात है कि आपने उसकी बैअते हिजरत की लाज रखते हुये उसे ख़रीद लिया मगर हर गुलाम के साथ ऐसे मुमकिन न था।

बाब : (22) बैअत की वापसी का मुतालबा करना

باب(٢٢): اسْتِقَالَةِ الْبَيْعَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي ‏.‏ فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي ‏.‏ فَأَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا ‏"‏ ‏.‏

(4190) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर क़बूले इस्लाम की बैअत की, फिर उस आराबी को मदीना मुनव्वरा में तप चढ़ गया। वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मेरी बैअत वापस फ़रमा दीजिये। आपने इन्कार कर दिया। वह दोबारा आया और फिर कहने लगा: मेरी बैअत वापस फ़रमा दीजिये। आपने फिर इन्कार फ़रमाया। आख़िर वह आराबी (बिला इजाज़त) चला गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मदीना मुनव्वरा भट्टी की तरह है। मैल कुचैल को निकालता रहता है और ख़ालिस चीज़ को बाक़ी रखता है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 7209, मुस्लिम: 1383, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7808, मौता: 2/886.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत वाज़ेह है। बाब का मतलब है कि बैअत तोड़ने का क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल से साबित हुआ कि ये काम नाजायज़ और हराम है। किसी शख़्स ने इस्लाम पर बैअत की हो या हिजरत पर दोनों सूरतों में बैअत तोड़ना दुरुस्त नहीं। **(2)** इस हदीसे मुबारका से मदीना तय्यबा की फ़ज़ीलत भी मालूम होती है कि इसे अल्लाह तआला ने एक ऐसी भट्टी की तरह बनाया है जो शर पसन्द लोगों को निकाल बाहर फेंकता है जबकि अब्रार व अख़्यार लोग इसमें सुकून व क़रार हासिल करते हैं। **(3)** ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि मदीना तय्यबा से निकल जाने वाले लोग मज़मूम (बुरे) हैं। लेकिन कुल्ली तौर पर ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि सहाब-ए-किराम (ﷺ) की बहुत बड़ी तादाद ने मदीना को ख़ैर बाद कह कर दूसरे

मक़ामात पर बसेरा कर लिया था। बाद में भी कई अस्हाबुल इल्म फ़ुज़ला ने मदीना छोड़ा। अस़ल बात ये है कि उन लोगों का मदीना से निकलना मज़मूम व मकरूह है जिन्हें मदीना में रहना पसन्द नहीं, यानी मदीना से कराहत और बेरग़बती करते हुये इससे निकल जायें जैसा कि उस ़आराबी ने किया था, ताहम जिन लोगों ने स़ही और दुरुस्त मक़ास़िद की ख़ातिर मदीने को ख़ैरबाद कहा, जैसे तब्लीग़े दीन और इल्म की नश्र व इशाअ़त के लिये, कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन के इलाक़े फ़तह करने, सरहदों की हिफ़ाज़त करने और दुश्मनाने दीन व इस्लाम के साथ जिहाद करने के लिये तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और न ये ़आमाल हदीस़ में वारिद मज़म्मत के मिस्दाक़ ही हैं। (4) जब इस्लाम फैल गया तो कुछ लोग माली मफ़ादात के हुसूल के लिये भी इस्लाम क़बूल करने लगे। इस्लाम लाने के बाद अगर माल हास़िल होता रहता तो इस्लाम पर क़ाइम रहते और अगर कोई तकलीफ़ आ जाती या माल न मिलता तो दीन से बरगश्ता हो जाते। शायद ये ़आराबी भी इसी क़िस्म का था। मुमकिन है उसने हिजरत की भी बैअत की हो, फिर बुख़ार से घबरा कर मदीना छोड़ना चाहता हो न कि इस्लाम। (5) 'भट्टी की तरह' मदीना मुनव्वरा में रह कर बहुत सी जिस्मानी तकलीफ़ें बरदाश्त करना पड़ती थीं। आब व हवा की नामुवाफ़िक़त, फ़क़्र व फ़ाक़ा, अजनबियत, हर वक़्त हमले और लड़ाई का ख़तरा और वक़्तन फ़ वक़्तन जंगों में शिर्कत जबकि अस्लहा और हिफ़ाज़ती सामान भी न होने के बराबर था। ये ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें नाक़िस़ और कमज़ोर ईमान वाला शख़्स़ बरदाश्त नहीं कर सकता था। उलुल अ़ज़्म और पुख़्ता ईमान वाले ही इन आज़माइशों पर पूरा उतरते थे। (6) मैल कुचेल से मुराद नाक़िसुल ईमान और मुनाफ़िक़ लोग हैं। ऐसे लोग मदीना में नहीं रह सकते मदीना उन्हें बाहर निकाल देता है।

बाब : (23) जो शख़्स़ हिजरत करने के बाद दोबारा ़आराबी बन जाये

الْمُرْتَدِّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ

(4191) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) हज्जाज के पास तशरीफ़ ले गये। उसने कहा: ऐ इब्ने अक्वा! तुम मुर्तद हो गये हो और एक कलिमा कहा जिसके मआनी थे कि (मदीना छोड़ कर) बादिया में रहने लगे हो? उन्होंने फ़रमाया: नहीं बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे (अपने बाद) बादिया में रहने की इजाज़त दी थी।

(4191) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 7087, मुस्लिम, हदीस़: 1862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7809.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبَدَوْتَ . قَالَ لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِي فِي الْبُدُوِّ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत इस तरह बनती है कि हिजरत करने के बाद बादिया नशीनी नबी (ﷺ) की इजाज़त के बग़ैर जायज़ नहीं है। **(2)** ये हदीसे मुबारका हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) के स़ब्र और उनकी जुर्अत पर भी दलालत करती है कि उन्होंने हज्जाज की बे'अदबी पर स़ब्र किया, और फिर उसे जवाब भी दिया। हज्जाज बनू उमैया के दौर का एक ज़ालिम और गुस्ताख़ गवर्नर था। हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) जैसे जलीलुल क़द्र स़हाबी से इसका अन्दाज़े तख़ातुब उसके तकब्बुर और गुस्ताख़ी की वाज़ेह दलील है। उसे इक़्तेदार के नशे ने छोटे-बड़े की तमीज़ भुला दी थी। नतीजा ये है कि कोई भी उसे अच्छे लफ़्ज़ों से याद नहीं करता बल्कि लानत तक नौबत पहुँच जाती है। बे अदबी इन्सान की ख़ूबियों को छुपा देती है। **(3)** 'बादिया' मुराद स़हराई इलाक़ा है, यानी आबादियों से बाहर खुले और आज़ाद इलाक़े। उनमें रहने वाले को बदवी या आराबी कहते हैं। **(4)** हज्जाज का ऐतराज़ फ़ुज़ूल था। कोई शख़्स किसी भी जगह रिहाइश इख़्तियार रख सकता है। हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) कोई मुहाजिर नहीं थे कि मदीना छोड़ कर अपने साबिक़ा घर चले गये हों और उन पर ऐतराज़ हो सके। बहुत से मुहाजिर स़हाबा भी मदीना छोड़ कर दूसरे इलाक़ों में आबाद हो गये थे। ख़ैर उन्होंने तो नबी (ﷺ) से इजाज़त भी ले रखी थी और फिर वह फ़ौत भी मदीना मुनव्वरा ही में हुये।

बाब : (24) बैअत उन उमूर में है जो इन्सान की इस्तेताअत में हों

الْبَيْعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ

(4192) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत किया करते थे कि आपकी बात सुनेंगे और इताअत करेंगे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) फ़रमाते कि अपनी ताक़त के मुताबिक़।

(4192) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1867, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7810.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ " فِيمَا اسْتَطَعْتَ". وَقَالَ عَلِيٌّ " فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ".

फ़ायदा : बाब का मक़सद ये है कि बैअत करते वक़्त ताक़त की क़ैद भी ज़िक्र करनी चाहिए। ये मक़सद भी हो सकता है कि बैअत में ताक़त व वुस्अत की क़ैद मल्हूज़ होती है, ख़्वाह लफ़्ज़न ज़िक्र न की जाये। ताक़त से बढ़ कर कोई इताअत का मुकल्लफ़ नहीं बन सकता।

(4193) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि जब हम समअ व ताअत पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत करते तो आप हमें फ़रमाते थे कि तुम्हारी ताक़त के मुताबिक़।

(4193) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7202, मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7811.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا " فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ " .

(4194) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने समअ और इताअत पर रसूलुल्लाह(ﷺ) की बैअत की तो आपने मुझे (ये कहने की) तल्क़ीन फ़रमाई: 'अपनी ताक़त के मुताबिक़ और हर मुसलमान से ख़ैरख़्वाही करूँगा।'

(4194) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4179, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7812.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي "فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " .

(4195) हज़रत उमैमा बिन्ते रक़ैक़ा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम चन्द औरतों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की बैअत की। आपने हमें फ़रमाया: 'तुम्हारी इस्तेताअत और ताक़त के मुताबिक़ (ये बैअत तुम पर लागू होगी)'

(4195) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4186, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7813.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ " .

बाब : (25) जो शख़्स इमाम की बैअत करे, उसके हाथ में हाथ दे और उसे ख़ुलूस का यक़ीन दिलाये तो (उस पर क्या ज़िम्मेदारी आइद होती है)?

باب: (٢٥) ذِكْرِ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الإِمَامَ وَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ

(4196) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुर्रब अल काबा से रिवायत है कि मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) के पास पहुँचा। वह काबा के साये में बैठे थे और लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। मैंने उन्हें फ़रमाते सुना कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में थे। हम एक मन्ज़िल में उतरे। हममें से कोई शख़्स अभी ख़ैमा लगा रहा था, कोई (बतौर मश्क़) तीरअन्दाज़ी कर रहा था और कोई अपने जानवरों को चराने के लिये निकाल रहा था कि इतने में नबी (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान किया: नमाज़ के लिये इकट्ठे हो जाओ, चुनांचे हम सब इकट्ठे हो गये। नबी-ए अकरम (ﷺ) खड़े हुये और हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया। आपने (ख़ुत्बा के दौरान में) फ़रमाया: 'जो भी नबी मुझसे पहले गुज़रे हैं, उन पर ज़रूरी था कि अपनी उम्मत की इन बातों की तरफ़ रहनुमाई फ़रमायें जिंन्हें वह उनके लिये बेहतर समझते थे। और उन्हें उन चीज़ों से डरायें जिन्हें वह उनके लिये बुरा समझते थे। और तुम्हारी इस उम्मत की ख़ैर व भलाई उसके इब्तेदाई लोगों में रख दी गई है। बाद में आने वालों पर बड़ी आज़माइशें आयेंगी और ऐसे हालात तारी होंगे जिन्हें वह नापसन्द करेंगे। बेशुमार फ़ित्ने आयेंगे जो एक दूसरे के मुक़ाबले में हल्के मालूम होंगे। (एक

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرَتِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَنَا فَقَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا

سَيُصِيبُهُمْ بَلاَءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا تَجِيءُ فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ " . فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

से बढ़ कर एक होगा) एक फ़ित्ना आयेगा, मोमिन समझेगा कि ये मुझे हलाक कर डालेगा, फिर वह फ़ित्ना टल जायेगा और उसकी जगह और बड़ा फ़ित्ना आयेगा। मोमिन कहेगा: ये हलाक कुन है (इससे तो मैं बच ही नहीं सकता), फिर वह भी टल जायेगा, चुनांचे तुममें से जो शख़्स चाहता है कि उसे आग से बचा कर जन्नत में दाख़िल कर दिया जाये तो उसको मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वह अल्लाह तआला और यौमे आख़िरत पर यक़ीन रखता हो और लोगों के साथ वही सुलूक करे जो वह ख़ुद पसन्द करता है कि मेरे साथ किया जाये। जो शख़्स किसी इमाम (अमीर) की बैअत करे, उसके हाथ में अपना हाथ दे और उससे दिली तौर पर (ख़ुलूस का) अहद करे तो जहाँ तक हो सके, वह उसकी इताअत करे, फिर अगर कोई दूसरा शख़्स (मुसल्लमा) अमीर से हुकूमत छीनने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन मार दो।' (रावी ने कहा:) मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से क़रीब होकर पूछा: आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये सब बातें फ़रमाते सुना है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (यक़ीनन)

(4196) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7814.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत यूँ बनती है कि जो शख़्स किसी अमीर और इमामे बरहक़ की बैअत कर लेता है और उसे अपना तमाम तर ख़ुलूस व मोहब्बत पेश कर देता है तो उस पर लाज़िम है कि वह शख़्स हस्बे इस्तेताअत वफ़ा के तक़ाज़े पूरे करे और उस पर जो इताअते अमीर लाज़िम है उसे पूरा करे। अगर कोई दूसरा शख़्स आकर पहले अमीर की ख़िलाफ़त छीनना चाहे तो वह पहले अमीर के साथ मिल कर दूसरे से लड़ाई करे। (2) इस हदीसे मुबारका से अम्बिया के ज़िम्मे उन

फ़राइज़ की वज़ाहत भी होती है जो अल्लाह तआला ने उन पर आइद किये थे, यानी इख़्लास के साथ उन्हें ख़ैर व शर के मुताल्लिक़ ख़बरदार करना, उन्हें उनकी दुनियावी व उख़रवी भलाइयों की रहनुमाई करना और उन्हें उनके दीनी व दुनियावी शर और नुक़सान से डराना और उस पर मुतनब्बा करना। (3) मौत तक ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आख़िरत पर पक्का रहना, और लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, आग से निजात और जन्नत में दाख़िले का सबब है। (4) इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि हर इन्सान पर लाज़िम है कि वह लोगों के साथ वैसा सुलूक और बर्ताव करे जैसा वह अपने लिये लोगों से चाहता है। ये हदीस इस बात पर सरीह नस्स है। नबी (ﷺ) के इन कलिमात को आपके जवामिउल कलिम में से शुमार किया गया है। ये शरीयते मुतह्हरा का अहम क़ायदा है। हर मुसलमान मर्द और औरत को इसका ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। (5) 'इब्तेदाई लोगों में' मालूम हुआ सहाब-ए किराम (رضي الله عنهم) अफ़ज़ल उम्मत थे। उनका दीन महफ़ूज़ था। दुनियावी फ़ित्नों का बहुत कम शिकार हुये। (6) 'हल्के मालूम होंगे' यानी बाद वाला फ़ित्ना पहले फ़ित्ने से बड़ा होगा, लिहाज़ा पहला फ़ित्ना दूसरे के मुक़ाबले में हल्का महसूस होगा, हालांकि वह हक़ीक़तन बहुत बड़ा होगा जैसा कि हदीस ही में तफ़्सील मज़्कूर है। (7) 'गर्दन मार दो' इस्लाम में बग़ावत बहुत बड़ा जुर्म है। लोग एक अमीर पर मुत्तफ़िक़ और मुत्मइन हों तो उसके ख़िलाफ़ अफ़रा तफ़री पैदा करने वाला अमन व अमान को दरहम बरहम करने वाला बड़ा मुजरिम है। उसकी सज़ा क़त्ल है। गोया बग़ावत इर्तिदाद के जुर्म के बराबर है। गुज़िश्ता सफ़हात (हदीस: 4026) में इसकी तफ़्सील बयान हो चुकी है।

बाब : (26) इमाम (अमीर) की इताअत का शौक़ दिलाना और उस पर उभारना

باب(٢٦): الْحَضِّ عَلَى طَاعَةِ الإِمَامِ

(4197) हज़रत यहया बिन हुसैन से रिवायत है कि मैंने अपनी दादी से सुना, वह फ़रमाती थीं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज्जतुल विदा में फ़रमाते सुना: 'अगर तुम पर एक हब्शी ग़ुलाम अमीर बना दिया जाये जो तुम्हें अल्लाह तआला की किताब (शरीयते इस्लामिया) के मुताबिक़ चलाये तो तुम उसकी बात सुनो और इताअत करो।'

(4197) **तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:** 1838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7815.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي، تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि आम तौर पर मुआशरे में गुलाम को कमतर ख़्याल किया जाता है, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुबालिग़े की हद तक ताकीदी हुक्म फ़रमाया कि अगर ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन किसी गुलाम और वह भी हब्शी गुलाम जो कि उमूमन पुर कशिश और जाज़िबे नज़र नहीं होता तो मा तहत अमीर व इमाम मुकर्रर कर दे तो उसकी इताअत व फ़र्माबरदारी भी उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह कि एक आज़ाद मर्द की। इस इताअत में हुर्रियत व अब्दियत की वजह से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि इमाम व अमीर बनने के लिये हरीत और आज़ादी शर्त नहीं है कि सिर्फ़ आज़ाद शख़्स ही इमाम और अमीर बन सके। आक़ा व मौला की इजाज़त से गुलाम भी इमाम व अमीर बन सकता है। इस सूरत में गुलाम, सिर्फ़ गुलाम ही नहीं बल्कि इमामे बरहक़ भी होगा, लिहाज़ा उसकी इताअत भी वाजिब होगी। (3) ये मसला भी मालूम हुआ कि कोई भी इमाम व अमीर या ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन सिर्फ़ इस सूरत में वाजिबुल इताअत है जब तक वह किताब व सुन्नत के मुताबिक़ अहकाम दे, लोगों को शरीयते इस्लामिया के मुताबिक़ चलाये और ख़ुद भी पाबन्दे शरीयत बन कर रहे, हाँ! अगर कोई अमीर किताब व सुन्नत के मुख़ालिफ़, महज़ अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स की इताअत कराना चाहे तो इस सूरत में वह क़तअन इताअत का हक़दार नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: (ला ताअता फ़ी मअसियतिल्लाहि इन्नमत्ताअतु फ़िल मअरूफ़) (मुसनद अहमद: 1/94) (4) और इस हदीसे मुबारका से तक़लीदे शख़्सी का मुकम्मल तौर पर रद्द होता है। ग़ैर मशरूत इताअत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) का हक़ है जो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता।

बाब : (27)
इताअते इमाम की तर्ग़ीब देना

باب(٢٧): التَّرْغِيبِ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ

(4198) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने मेरी इताअत की, दर हक़ीक़त उसने अल्लाह तआला की इताअत की। और जिस शख़्स ने मेरी नाफ़रमानी की, उसने दर हक़ीक़त अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की। (इसी तरह) जिस शख़्स ने मेरे मुक़र्ररकर्दा अमीर की इताअत की, उसने दर हक़ीक़त मेरी इताअत की और जिसने मेरे मुक़र्ररकर्दा अमीर की नाफ़रमानी की, उसने दर

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي " .

हक़ीक़त मेरी नाफ़रमानी की।'

(4198) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम: 1835, बुख़ारी, हदीस: 7137, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7816.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुताबिक़त वाज़ेह है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अमीर की इताअत की तर्ग़ीब इस तरह दी है कि उसकी इताअत को अपनी और अल्लाह (ﷻ) की इताअत ही क़रार दिया है। आप (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से कई सहाबा को अमीर मुक़र्रर फ़रमाया जैसा कि अहले यमन की तरफ़ हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अली और हज़रत अबू मूसा अशअरी(رضی اللہ عنہ) को मुक़र्रर फ़रमाया। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस इताअत की तर्ग़ीब दिलाई है वह मशरूत व मुक़य्यद इताअत है, यानी सिर्फ़ मारूफ़ में इताअत, अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: (ला ताअता लिमख़्लूक़िन फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़) यानी ख़ालिक़ की नाफ़रमानी की सूरत में मख़्लूक़ की इताअत जायज़ नहीं।

बाब : (28)
अल्लाह तआला के फ़रमान (व उलिल अम्रि मिन्कुम) की वज़ाहत

باب : (٢٨)
قَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ }

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ .

(4199) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि ये आयत: (या अय्युहल्लज़ीन .) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो' हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन क़ैस बिन अदी(رضی اللہ عنہ) के बारे में उतरी। उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक लश्कर में (अमीर बनाकर) भेजा था।

(4199) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 4584, मुस्लिम, हदीस: 1834, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7817.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आयत में (उलिल अम्र) से मुराद उमरा और हुक्काम हैं। कुछ अइम्मा के नज़दीक इससे मुराद उलमा भी हैं, ख़्वाह उलमा हों या उमरा व हुक्काम सबकी इताअत क़ुर्आन व सुन्नत के साथ मशरूत है। अगर उनका कोई हुक्म शरीयत के मुख़ालिफ़ हो इसमें उनकी इताअत बजा लाना

नाजायज़ और हराम है। (2) इस आयत से कुछ लोगों ने तक़लीदे शख़्सी का मसला कशीद करने की जसारत की है। हालांकि आयते मुबारका से तो तक़लीदे शख़्सी का रद्द होता है, बिल ख़ुसूस मन्सूस उमूर में तो किसी की क़तअन कोई तक़लीद जायज़ ही नहीं, चाहे कोई शख़्स कितना ही मोहतरम, बुज़ुर्ग, फ़िक़ीया और बड़ा क्यों न हो, नस़ के मुक़ाबले में तो हर शख़्स ही झूठा है। यही हाल उमरा का भी है कि उनकी इताअत भी सिर्फ़ मारूफ़ में है, न कि मुन्कर में जैसा कि मुतअद्दिद (कई) बार साबिक़ा अहादीस़ के फ़वाइद में ज़िक्र हो चुका है। (3) ये हदीस़ मुत्तफ़क़ अलैहि, यानी स़हीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम में है। स़हीह बुख़ारी में इसकी पूरी तफ़्सील मौजूद है जिसका ख़ुलास़ा ये है कि नबी (ﷺ) ने एक दस्ता भेजा और एक शख़्स (हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी (ؓ)) को उस दस्ते का अमीर मुक़र्रर फ़रमाया। अमीर दस्ता ने किसी वजह से नाराज़ होकर अपने मामूरीन को हुक्म दिया कि लकड़ियों का गट्ठर जमा करके उसे आग लगाओ और उस आग में कूद जाओ, चुनांचे कुछ लोग तो आग में कूदने पर तैयार हो गये जबकि कुछ ने कहा कि आग से बचने के लिये तो हम मुसलमान हुये हैं और नबी (ﷺ) की तरफ़ दौड़ कर आये हैं और वह आग के अन्दर जाने पर तैयार न हुये। बिल आख़िर नबी (ﷺ) तक ये बात पहुँची तो आपने उस वक़्त फ़रमाया: 'अगर येलोग आग में दाख़िल हो जाते तो रोज़े क़यामत तक उसी में रहते, उससे निकल न सकते।' और आपने मज़ीद फ़रमाया: 'इताअत तो सिर्फ़ मारूफ़ (शरीयते मुतह्हरा के ऐन मुताबिक़) कामों में है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 4340) तक़लीदे शख़्सी के लिये इस आयत को पेश करने वालों को बहुत बड़ी ठोकर लगी है क्योंकि नुज़ूले क़ुर्आन के वक़्त तो मौजूदा दौर के मुक़ल्लिदीन के मुज्तहिदीन का वजूद तक दुनिया में नहीं था। फिर उनकी तक़लीद कैसी? इन मुज्तहिदीन के ज़माने में भी उनकी तक़लीद का क़तअन कोई रिवाज था और न उसका तस्सवुर ही। बल्कि बिदअते तक़लीद तो हिजरते नबवी के चार सौ साल बाद राइज हूई जैसा कि शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में इसकी तस़रीह फ़रमाई है। दीने इस्लाम में तो इस बात की क़तअन कोई गुंजाइश ही नहीं है कि तमाम दीनी मामलात में किसी एक मुतय्यन उम्मती मुज्तहिद की तक़लीद की जाये चे जाये कि उसको वाजिब क़रार दिया जाये।

बाब : (29) इमाम (शरई हुक्मरान) की नाफ़रमानी पर सख़्त वईद

التَّشْدِيدِ فِي عِصْيَانِ الإِمَامِ

(4200) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जंग दो क़िस्म की होती है। जो शख़्स अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की नियत करे, इमाम की

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ،

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ " .

इताअत करे और क़ीमती माल (जिहाद में) सर्फ़ करे और फ़साद से बचे तो उसका सोना जागना उसके लिये सवाब का ज़रिया है। लेकिन जो शख़्स रियाकारी और शोहरत के लिये लड़ाई करे, इमाम की नाफ़रमानी करे और ज़मीन में फ़साद फैलाये, वह तो पहली हालत में भी वापस नहीं लौटेगा।'

(4200) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7818.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से साबिक़ा नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं। अआज़नल्लाहु मिन्हा! **(2)** इस हदीस से रियाकारी, शोहरत और फ़साद फ़िल्अर्ज़ की मज़म्मत साबित होती है, और उन कामों से न सिर्फ़ नेकियाँ बर्बाद होती हैं बल्कि उसका मुर्तकिब शख़्स गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ भी उठा लेता है। **(3)** वह मुजाहिद जो हदीस में मज़्कूर सिफ़ात का हामिल होगा वही जिहाद के फ़ज़ाइल हासिल कर सकेगा वरना जो अमीर का नाफ़रमान होगा वह जिहाद की फ़ज़ीलत हासिल नहीं कर पायेगा। **(4)** 'फ़साद से बचे' बाहमी फ़साद मुराद है, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा न करे इससे मुसलमानों में आपस में फूट पड़ेगी और काफ़िरों पर उनका रौब ख़त्म हो जायेगा। **(5)** 'पहली हालत में भी वापस नहीं लौटेगा' यानी जिहाद से पहले वाले आमाल भी बरक़रार नहीं रहेंगे बल्कि इस क़िस्म के जिहाद का गुनाह पहले से किये हुये बहुत से आमाल के सवाब को भी ज़ाया कर देगा, चे जाये कि इस जिहाद का सवाब मिले जबकि सही नियत और तरीक़े के साथ जिहाद करने से जिहाद के अलावा आदी उमूर का भी सवाब मिलेगा, जैसे: सोना, चलना, फिरना और खाना, पीना वग़ैरह।

بَاب : ذِكْرِ مَا يَجِبُ لِلإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

बाब : (30) इमाम के हुक़ूक़ व फ़राइज़ किया है?

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(4201) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इमाम ढाल है। उसकी आड़ में लड़ा जाये और उसकी मदद के साथ दुश्मन से बचा जाये। अगर वह अल्लाह

الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا " .

तआला से डरते हुये हुक्म दे और इन्साफ़ करे तो उसको उसका सवाब मिलेगा और अगर वह इस तरह हुक्म न दे तो उसे गुनाह होगा।'

(4201)तख़रीजः (सनद सही) बुख़ारी: 2957, मुस्लिम, हदीस: 1835/32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7819.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अमीर व इमाम के हुक़ूक़ व फ़राइज़ की तअईन व तबईन के बाद जो भी इससे अदूल और तजावुज़ करेगा, गुनाहगार होगा। इमाम अपने फ़राइज़ अदल व इन्साफ़ से अदा करेगा तो वह अज्रे अज़ीम का मुस्तहिक़ होगा और अगर जुल्म व बे इन्साफ़ी करेगा तो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार ठहरेगा। **(2)** हदीसे मुबारका से वाज़ेह होता है कि इमाम को ढाल बनाया जाये, शर और फ़ित्ना व फ़साद से इमाम के ज़रिये से बचा जाये। तमाम मामलात में उसके मबनी बर इन्साफ़ फ़ैसले तस्लीम किये जायें, और उसकी इताअत की जाये, उसे किसी भी सूरत में अपने तआवुन से महरूम न किया जाये और न उसे किसी हालत में बेयारो मददगार छोड़ा जाये। अपनी हलाकत के डर से उसे तन्हा न छोड़ा जाये वग़ैरह। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि शरई अमीर व हाकिम लोगों के लिये इस तरह ढाल होता है कि उसके होते हुये कोई शख़्स दूसरे पर जुल्म नहीं करता, और दुश्मन भी उससे ख़ौफ़ज़दा रहता है, लिहाज़ा उस ढाल की हिफ़ाज़त करना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। कुछ ने कहा है कि 'उसकी आड़ में लड़ा जाये' के मआनी हैं कि इमाम को महफ़ूज़ जगह रखा जाये, यानी फ़ौज की अगली सफ़ों में इमाम को न रखा जाये, उसकी राय और मन्सूबा बन्दी के साथ दुश्मन से मुक़ाबला किया जाये, दूसरे मआनी ये हैं कि इमाम ख़ुद मुजाहिदीन की अगली सफ़ों में हो और बहादुरी से दुश्मन के साथ क़िताल करे। दोनों मआनी दुरुस्त हैं क्योंकि कुछ मक़ामात पर नबी (ﷺ) के लिये महफ़ूज़ जगह बनाई गई। जहाँ से आप मैदाने जंग का मुशाहिदा करते और उसके मुताबिक़ अवामिर जारी फ़रमाते और कुछ मक़ामात में नबी (ﷺ) का अगली सफ़ों में रह कर क़िताल करना भी साबित है, जब जंग की शिद्दत होती तो सहाबा आपको अपने लिये ढाल बनाते।

باب(٣١): النَّصِيحَةِ لِلإِمَامِ

बाब : (31) इमाम के साथ ख़ुलूस का बर्ताव किया जाये

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ

(4202) हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीन तो बस ख़ुलूस व ख़ैरख़्वाही का नाम है।' सहाबा ने अर्ज़

قُلْتُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ، قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي، حَدَّثَ أَبِي، حَدَّثَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ " . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " .

की: ऐ अल्लाह के रसूल! किस से? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला से, उसकी किताब से, उसके रसूल से, मुसलमानों के हुक्काम से और अवामुन्नास से।'

(4202) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7820.

फ़ायदा : दीन इख़्लास का नाम है। इख़्लास न हो तो शिर्क, निफ़ाक़, रियाकारी, दग़ाबाज़ी और धोखादेही जैसे क़बीह औसाफ़ पैदा हो जाते हैं। और अल्लाह तआला से इख़्लास ये है सिर्फ़ उसी की इबादत करे, उसी को पुकारे, उसी पर भरोसा करे और उसी से डरे। किताब से इख़्लास ये है कि उस पर अमल करे और उसका एहतिराम करे। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इख़्लास ये है कि आपकी इताअत करे, हर चीज़ से बढ़ कर मोहब्बत रखे, आपके फ़रमान पर मर मिटे। आपके मुक़ाबले में किसी की परवाह ना करे। हुक्काम से इख़्लास ये है कि उनकी बैअत करके उनसे वफ़ादार रहे और जहाँ तक हो सके शरई हुदूद के अन्दर उनकी इताअत करे। उनके ख़िलाफ़ बग़ावत न करे। और आम मुसलमान से इख़्लास ये है कि उनका ख़ैरख़्वाह रहे, उनको धोखा न दे, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये और दूसरों को अपने शर से महफ़ूज़ रखे।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ " . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(4203) हज़रत तमीम दारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीन तो है ही इख़्लास का नाम।' सहाबा ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! किसके साथ इख़्लास? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के साथ, उसकी किताब के साथ, उसके रसूल के साथ और मुसलमानों के हुक्काम के साथ और आम मुसलमानों के साथ।'

قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".

(4203) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7821.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ " . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".

(4204) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन दीन ख़ैरख़्वाही को कहते हैं। बिलाशुब्हा दीन ख़ैरख़्वाही का नाम है। बेशक दीन ख़ैरख़्वाही से इबारत है।' सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! किसकी (ख़ैरख़्वाही) आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला की, उसकी किताब की, उसके रसूल की, मुसलमान हाकिमों की और आम मुसलमानों की।'

(4204) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, 1926, अस्सलात, हदीस: 750, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7822, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، وَعَنْ سُمَىٍّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينُ النَّصِيحَةُ " . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " .

(4205) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीन ख़ुलूस का नाम है।' सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! किस से (ख़ुलूस) आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला से, उसकी किताब से, उसके रसूल से, मुसलमानों के हुक्काम और रिआया से।'

(4205) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7823, मुश्किलुल आसार: 2/188.

बाब : (32) इमाम के मुशीर और राज़दान (अच्छे होने चाहिए)

باب(٣٢): بِطَانَةِ الإِمَامِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ وَالٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا " .

(4206) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर हाकिम के मुशीर दो क़िस्म के होते हैं। एक मुशीर वह जो उसे नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है और दूसरा मुशीर वह जो उसको ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जो हाकिम बुरे मुशीरों से बच गया, वह हक़ीक़तन बच गया। और उसका शुमार उनमें से होगा जो उस पर ग़ालिब आते रहे।'

(4206) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7198, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7824.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि अमीर या हाकिम की कामयाबी और नाकामी उसके मुशीरों पर मौक़ूफ़ है। अगर मुशीर अच्छे होंगे तो हाकिम अच्छा रहेगा। और अगर मुशीर बुरे होंगे तो हाकिम भी बुरा होगा, ख़्वाह बज़ाते ख़ुद अच्छा हो। यही मतलब है आख़री जुम्ले का कि हाकिम पर जिस क़िस्म के मुशीरों का ग़ल्बा हो, हाकिम को उसी क़िस्म में शुमार किया जायेगा। उसकी अपनी ज़ात का लिहाज़ नहीं रखा जायेगा। तजुर्बा भी इस बात का शाहिद है कि कुछ बुरे हाकिमों को अच्छे मुशीरों की वजह से नेक नामी हासिल हो गई, जैसे सुलैमान बिन अ़ब्दुल मलिक के हाथों हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (رحمه الله) की नामज़दगी एक अच्छे मुशीर का कारनामा है।

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ

(4207) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने जो भी नबी भेजा और जिसे भी ख़लीफ़ा मुक़र्रर फ़रमाया, उसके दो क़िस्म के मुशीर होते हैं। एक मुशीर उसे नेकी का हुक्म देते थे और दूसरे मुशीर उसे बुराई का मश्वरा देते थे

وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

और बुराई की तर्ग़ीब दिलाते थे। और महफ़ूज़ वही रहता है जिसे अल्लाह तआला महफ़ूज़ रखे।'

(4207) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6611, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7825.

फ़ायदा : ये बात सिर्फ़ नबी व ख़लीफ़ा ही से ख़ास नहीं, हर शख़्स को इसी सूरते हाल से वास्ता पड़ता है। उसको अच्छे साथी भी मिलते हैं और बुरे भी। ख़ूश क़िस्मत है वह शख़्स जिस पर ग़ल्बा अच्छे साथियों और मुशीरों का होता है और ये अल्लाह की रहमत के बग़ैर मुमकिन नहीं। और बदनसीब है वह शख़्स जो बुरे साथियों और मुशीरों के ज़ेरे असर रहा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ " .

(4208) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो भी नबी मबऊस हुये या जो उनके बाद ख़लीफ़ा बने, उनके मुशीर दो क़िस्म के होते थे। एक मुशीर तो उनको नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे और दूसरे उनको ख़राब करने की पूरी कोशिश करते थे। जो शख़्स बुरे मुशीर से बच गया, वह हक़ीक़तन बच गया।'

(4208) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7198, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7826.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुशीर' अरबी में लफ़्ज़ बिताना इस्तेमाल हुआ है। इसके लफ़्ज़ी मआनी राज़दान और मुशीर के हैं। गहरे दोस्त को भी बिताना कह लिया जाता है क्योंकि ये भी राज़दान होता है। **(2)** 'हक़ीक़तन बच गया' दुनिया में ख़राबी, ज़िल्लत और रुस्वाई से और आख़िरत में अल्लाह तआला की नाराज़ी और अज़ाब से। ख़ल्क़ भी राज़ी, ख़ालिक़ भी राज़ी।

बाब : (33)
इमाम का वज़ीर (भी नेक और मुख़्लिस़ होना चाहिए)

باب : (٣٣)
وَزِيرِ الإِمَامِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ "

(4209) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत है कि मैंने अपनी फूफी (हज़रत आ़यशा(﵄)) को फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स किसी काम का ज़िम्मेदार बने, फिर अल्लाह तआ़ला उसके लिये बेहतरी का इरादा फ़रमाये तो उसके लिये अच्छा वज़ीर मुहैया फ़रमा देता है। जो उसको भूल जाने की सूरत में उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाता है और अगर उसे याद हो तो उसकी (ज़िम्मेदारी की अदायगी में) मदद करता है।'

(4209) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 10/111, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7198.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत इस तरह है कि इमाम और हाकिम के लिये अच्छा, लाइक़ व मुख़्लिस़ वज़ीर बनाना मशरूअ़ है ताकि इमारत के अहम मामलात में वह अमीर का मुआ़विन व मददगार बने और अमीर से इमारत का कुछ बोझ हल्का करे। **(2)** कुछ उमरा व हुक्काम पर अल्लाह तआ़ला का ख़ास़ फ़ज़्ल व करम और उसकी ख़ुसूसी इनायत व रहमत होती है कि वह उनको सच्चे, सच्चे, ख़ालिस़ और खरे वज़ीर अ़ता फ़रमाता है जो उसके मुख़्लिस़ मुआ़विन और हमदर्द ख़ैरख़्वाह होते हैं। अमीर व इमाम अगर कोई अहम बात भूल जाये तो वह उसे याद कराते हैं, और अगर उसे याद हो तो इस सिलसिले में उसका तआ़वुन करते हैं। **(3)** अमीर व हाकिम को मुत्लक़ुल अ़नान क़तअ़न नहीं होना चाहिए कि बग़ैर किसी के स़लाह व मश्वरे के मन माने फ़ैसले करे, महज़ अपनी राय और पसन्द को तर्जीह दे, अपने आपको अ़क़्ले कुल समझे और अपनी मर्ज़ी की सियासत व सियादत और हुक्मरानी करे। ऐसा करने से रिआ़या के बहुत से हुक़ूक़ ज़ाया और पामाल होते हैं, बल्कि अमीर व हाकिम को चाहिए कि अमीन व दयानतदार, दीन पर कारबन्द, पुख़्ता फ़िक्र और बाअ़मल स़ाहिबे बस़ीरत व स़ाहिबे किरदार वज़ीर व मुशीर अपनाये जो अच्छे मश्वरों और मुस्बत

सलाहियतों से उसकी रहनुमाई करें। ये मामला इस क़द्र अहम और संजीदा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जो तमाम तर आला व अफ़ज़ल इन्सानी कमालात के हामिल, ज़हानत व फ़तानत और शराफ़त व नजाबत के बादशाह थे, और आपको वह्ये इलाही की ताईद भी हासिल थी, उसके बावजूद आप (ﷺ) को (व शाविरहुम फ़िल अम्र) के अम्र से हुक्मन मुशावरत का पाबन्द कर दिया गया। उसके बाद तो इस मसले की अहमियत की बाबत किसी मज़ीद बात की गुंजइश ही बाक़ी नहीं रही। **(4)** 'वज़ीर' अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है जिसके लफ़्ज़ी मआनी बोझ उठाने वाले के हैं। मुराद इससे साथी और मुआविन है। अच्छा साथी और मुआविन भी अल्लाह तआला की नेमत है। सिर्फ़ हाकिम के लिये ही नहीं बल्कि हर ज़िम्मेदार के लिये यहाँ तक कि ख़ाविन्द के लिये अच्छी बीवी भी।

बाब : (34)
अगर किसी को गुनाह का हुक्म दिया जाये और वह इताअत करे तो ......?

باب : (٣٤)
جَزَاءِ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ

(4210) हज़रत अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक लश्कर भेजा और उन पर एक आदमी को अमीर मुक़र्रर फ़रमाया। उसने आग जलाई और कहने लगा: इसमें छलाँगें लगा दो। कुछ लोगों ने छलाँगें लगाने का इरादा कर लिया। दूसरे कहने लगे: हम आग से बचने के लिये तो मुसलमान हुये हैं (लिहाज़ा हम आग में छलाँग नहीं लगायेंगे) फिर (वापसी पर) उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बात का ज़िक्र किया तो आपने उन लोगों को, जिन्होंने छलाँग लगाने का इरादा किया था, (मुख़ातब कर के) फ़रमाया: 'अगर तुम आग में छलाँग लगा देते तो क़यामत तक आग ही में रहते।' और दूसरों के लिये ख़ैर का कलिमा कहा। (उस्ताद) अबू मूसा (मुहम्मद बिन मुसन्ना) ने अपनी हदीस में कहा: और आपने दूसरे लोगों के बारे में अच्छी बात फ़रमाई। और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला की नाफ़रमानी होती

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا . فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا " لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . وَقَالَ لِلآخَرِينَ خَيْرًا

. وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَوْلاً حَسَنًا . وَقَالَ " لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " .

हो तो किसी की इताअत जायज़ नहीं। सिर्फ़ इताअत अच्छे कामों में है।'

(4210) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 7257, मुस्लिम, हदीस: 1840, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7828.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई इमाम व अमीर ऐसा हुक्म दे जो अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़रमानी पर मबनी हो तो ऐसा हुक्म और अमीर क़तअन वाजिबुल इताअत नहीं। और अगर कोई शख़्स ऐसे किसी हुक्म को मानेगा तो उसका वबाल उसी पर होगा। (2) हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि गुस्सा बड़े बड़े अक़ील व फ़हीम और जलीलुल क़द्र ओज़मा की अक़्ल को भी माऊफ़ कर देता है जैसा कि उस सहाबी-ए रसूल का मामला है कि जिसे ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अमीरे सरिय्या मुक़र्रर फ़रमाया और किसी बात पर नाराज़ होकर वह गुस्से में आ गये और अपने साथियों को आग जलाकर उसमें कूद जाने का हुक्म दे दिया। (3) इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सारी उम्मत, ज़लालत व गुमराही पर जमा नहीं हो सकती जैसा कि सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) की एक जमाअत ने अपने अमीर के ग़ैर शरई हुक्म की इताअत नहीं की। (4) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सरिय्या में जाने वाले तमाम सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) को हुक्म दिया था कि अपने अमीर की इताअत करना। यही वजह है कि जब हालत नाराज़ी में भी उन्हें अमीर ने आग में कूदने का हुक्म दिया तो कुछ लोग उस पर तैयार हो गये क्योंकि उन्होंने इताअते अमीर वाले मुत्लक़ हुक्म को आम, यानी हर क़िस्म के हालात को शामिल समझा, लेकिन इस हदीस से ये साबित होता है कि हुक्मे मुत्लक़ का इत्लाक़ आम और हर क़िस्म के हालात पर ज़रूरी नहीं बल्कि वहाँ इत्लाक़ होगा जहाँ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़रमानी न होती हो, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) के लिये उसकी वज़ाहत फ़रमा दी। (5) 'आग ही में रहते' यानी उनको क़ब्र में अज़ाब होता। बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी में जहन्नम से ताल्लुक़ ही को अज़ाबे क़ब्र कहा जाता है और जन्नत से ताल्लुक़ को सवाबे क़ब्र। और जहन्नम में ग़ालिब आग ही है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ

(4211) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान शख़्स पर ज़रूरी है कि वह अमीर की बात सुने और उसकी इताअत करे, ख़्वाह पसन्द करता हो या न। मगर ये कि उसे (अल्लाह और उसके रसूल की) नाफ़रमानी और गुनाह वाला हुक्म दिया

يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .

जाये। ऐसी सूरत में न वह अमीर की बात सुने, न उसकी इताअत करे।'

(4211) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7829, मुस्लिम, हदीस: 1839/38.

باب(٣٥): ذِكْرِ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ

बाब : (35) ज़ुल्म पर अमीर की मदद करने वाले शख़्स के लिये वईद

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ " إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ " .

(4212) हज़रत कअब बिन उज्रा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये। हम नौ साथी थे। आपने फ़रमाया: 'मेरे बाद कुछ ऐसे अमीर होंगे कि जो शख़्स उनके झूठ में उनकी तस्दीक़ करेगा और उनके ज़ुल्म में उनकी मदद करेगा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं और न उससे मेरा कोई ताल्लुक़ है। और उसे मेरे पास हौज़े कौसर पर आना नसीब नहीं होगा। और जो शख़्स उनके झूठ में उनकी तस्दीक़ न करे और उनके ज़ुल्म में उनका साथ न दे, वह मुझसे ताल्लुक़ रखता है और मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ और वह लाज़िमन मेरे पास हौज़े कौसर पर आयेगा।'

(4212) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7830.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत वाज़ेह है कि जो शख़्स, किसी भी तरीक़े से, हाकिम व अमीर के ज़ुल्म पर उसकी हिमायत व एआनत करेगा, उसके लिये ये ख़तरनाक वईद है कि वह हौज़े कौसर पर आने और जामे कौसर नोश करने की अज़ीम सआदत से महरूम हो जायेगा, लिहाज़ा इस वईदे शदीद को मद्दे नज़र रखते हुये ज़ालिम हुक्मरानों के हुज़ूर अपनी बुज़ुर्गाना व मुशफ़िक़ाना, और आलिमाना व फ़ाज़िलाना ख़िदमात पेश करने के ऐवज़ ऐसम्बली की मेम्बरी, व प्लाट और दीगर आरज़ी व फ़ानी और ज़वाल पज़ीर मुराआत हासिल करने और 'कामयाबियों' को

अपना कमाल हुनर समझने वाले, मुतलाशयाने क़ुर्बे शाही, दरबारी और अस्हाबे जुब्बा व दस्तार को भी अपनी 'सुनहरी ख़िदमात' का अज़ सरे नौ जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। ज़ुल्म व ना इन्साफ़ी वाले मामले में हाकिम व अमीर की मदद करना कबीरा गुनाह है। (2) ज़ालिम हुक्मरानों और बे इन्साफ़ उमरा से फ़ासला रखना चाहिए ताकि उनके शर से अपने दीन व ईमान को सलामत रखा जा सके। उनसे क़ुर्ब की सूरत में या तो उनके ज़ुल्म व ज़्यादती पर, किसी भी अन्दाज़ से, उन्हें तआवुन मिलेगा या उनकी ताईद होगी या फिर ज़ुल्म व ज़्यादती पर ख़ामोशी और सुकूत करना पड़ेगा, और इस्लाह की सूरत में अपने दीन व ईमान के फ़साद या अपनी जान व माल के अत्लाफ़ का ख़तरा है, इसलिये आफ़ियत, और सलामती उन लोगों से दूर रहने ही में है। यही वजह है कि अक्सर सलफ़े सालेह हुक्मरानों से दूर ही रहा करते ताकि उनके शर से अपने आपको और अपने दीन को महफ़ूज़ रख सकें। (3) 'तस्दीक़ न करे' यानी उनके पास जाये तो सही मगर हक़ पर क़ाइम रहे और उन्हें भी हक़ की तरफ़ दावत देता रहे। वाक़ेअतन ये बलन्द मर्तबा है।

बाब : (36) जो शख़्स ज़ुल्म के मामले में अमीर का साथ न दे?

مَنْ لَمْ يُعِنْ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ

(4213) हज़रत कअब बिन उज्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये। हम नौ आदमी थे। पाँच अरबी, चार अजमी या चार अरबी और पाँच अजमी। आपने फ़रमायाः 'सुनो! क्या तुम सुन रहे हो? यक़ीनन मेरे (फ़ौत होने के) बाद कुछ ऐसे अमीर होंगे कि जो शख़्स उनके पास जायेगा, फिर उनके झूठ में उनकी तस्दीक़ करेगा, और उनके ज़ुल्म में उनका साथ देगा, न उसका मुझसे ताल्लुक़ है और न मेरा उससे। और वह मेरे पास हौज़े कौसर पर नहीं आ सकेगा। और जो शख़्स उनके पास न गया (या गया लेकिन) उनके झूठ की तस्दीक़ न की और ज़ुल्म में उनका साथ न दिया, वह मेरा है। मैं उसका हूँ और वह ज़रूर मेरे पास हौज़े कौसर पर हाज़िरी की सआदत हासिल करेगा।'

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ - قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ " اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَىَّ

الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ "

(4213) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7831.

باب(٣٧): فَضْلِ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ

बाब : (37) जो शख़्स ज़ालिम अमीर (हुक्मरान) के सामने कलिम-ए-हक़ कहे, उसकी फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ " كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " .

(4214) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम(ﷺ) से पूछा, जबकि आप (ﷺ) अपना पाँव मुबारक रिकाब में रख चुके थे: कौन सा जिहाद अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'ज़ालिम बादशाह के सामने हक़ बात कहना।'

(4214) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/315, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7834, इब्ने माजा, हदीस: 4012, अबी दाऊद, हदीस: 4344 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये इसलिये अफ़ज़ल जिहाद है कि इसमें जान का जाना यक़ीनी होता है, फिर मैदाने जंग में तो आदमी अपना दिफ़ा भी कर सकता है जबकि यहाँ वह भी मुमकिन नहीं। हर लिहाज़ से हाथ बँधे होते हैं। और फिर बुरे तरीक़े से मारा जाता है। ऐसे शख़्स की हौसला अफ़ज़ाई करने वाला भी कोई नहीं होता। मलामत करने वाले ज़्यादा होते हैं। **(2)** 'रिकाब में पाँव रख चुके थे' यानी ऊँट पर सवार हो रहे थे। **(3)** 'ज़ालिम बादशाह' जो कलिम-ए-हक़ कहने वाले को बरदाश्त न करता हो।

باب : (٣٨) ثَوَابِ مَنْ وَفَّى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ

बाब : (38) जो शख़्स अपनी बैअत का वफ़ादार रहे उसका सवाब

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ

(4215) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से मरवी है कि हम एक मज्लिस में नबी-ए

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا " . وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ " فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " .

अकरम(ﷺ) के साथ थे। आपने फ़रमाया: 'मुझसे इस पर बैअत करो कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे। ज़िना नहीं करोगे।' (आप ने पूरी आयत तिलावत फ़रमाई।) 'तुममें से जो शख़्स इस अहद को पूरा करेगा, उसका अज्र व सवाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है लेकिन जिस शख़्स ने उनमें से कोई काम कर लिया और अल्लाह तआला ने उस पर पर्दा डाल दिया तो वह अल्लाह तआला के इख़्तियार में है। चाहे उसको अज़ाब दे, चाहे माफ़ फ़रमाये।'

(4215) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4166, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7835.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पूरी आयत' इससे मुराद सूर-ए-मुम्तहिना की आयत है जिसमें औरतों से ऊपर दी गई दीगर उमूर पर बैअत लेने का हुक्म दिया गया है। ये आयत औरतों के बारे में है और अल्फ़ाज़ भी औरतों वाले हैं। ज़ाहिर तो यही है कि आपने मर्दों वाले अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ी होगी। लेकिन अगर असल अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ी हो, तब भी कोई बुअद नहीं क्योंकि मक़सद तो उमूरे बैअत की निशानदेही है। **(2)** 'पर्दा डाल दिया' उसके गुनाह का किसी को पता न चलने दिया। गवाह ऐसा मुहैया न हो सके जिनसे सज़ा नाफ़िज़ हो सकती। या सज़ा न मिली।

باب : (٣٩)
مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

बाब : (39)
इमारत (और ओहदे) की हिर्स व ख़्वाहिश नापसन्दीदा है

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "

(4216) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अन्क़रीब तुम लोग इमारत (इक़्तेदार व सरदारी) की हिर्स करोगे और बिला शुब्हा ये (क़यामत के दिन) नदामत व शर्मिन्दगी और हसरत व अफ़सोस (का

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ " .

सबब) होगी। ये दूध पिलाते अच्छी लगती है मगर दूध छुड़ाते हुये बुरी महसूस होती है।' (इसकी इब्तेदा अच्छी मालूम होती है लेकिन अंजाम बुरा होगा)

(4216) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7148, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7836.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि इमारत, यानी इक़्तेदार व सरदारी की हिर्स व हवस शरअन नापसन्दीदा और मज़मूम है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ऊपर दिये गये फ़रमान से उम्मत को ये समझाना चाहते हैं कि जिस काम के अंजाम में दुख, तकलीफ़ और रंज व अलम हो, उसे मामूली और ज़वाल पज़ीर लज़्ज़त व राहत की ख़ातिर हरगिज़ इख़्तियार नहीं करना चाहिए। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि दुनियावी लज़्ज़ात के बजाये उख़रवी सआदत के हुसूल और आख़िरत के अज़ाब से ख़ुलासी की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि असल मक़सदे हयात और कामयाबी दुनिया की लज़्ज़तों का हुसूल नहीं बल्कि अज़ाबे आख़िरत से बचाव और जन्नत में दाख़िला है। **(4)** 'नदामत व शर्मिन्दगी और हसरत व अफ़सोस' आख़िरत में या दुनिया ही में क्योंकि जब इक़्तेदार छीन जाता है तो उमूमन अज़ाब सहना पड़ता है। तख़्त या तख़्ता। **(5)** 'दूध पिलाते हुये' हदीस में मज़्कूर इस मिसाल में इमारत को माल से तश्बीह दी गई है और हरीसे इमारत को बच्चे से। माँ जब तक दूध पिलाती है, बच्चा माँ से ख़ूब ख़ुश रहता है और जब वह दूध छुड़ा देती है तो काट खाने को दौड़ता है। इक़्तेदार का भी यही हाल है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

अक़ीक़ा उस जानवर को कहा जाता है जो बच्चे की पैदाइश के सातवें दिन बच्चे की तरफ़ से बतौर शुक्राना ज़बह किया जाये। ये मसनून अमल है। जो साहिबे इस्तेताअत हो, उसे ज़रूर अक़ीक़ा करना चाहिए वरना बच्चे पर बोझ रहता है। इस्तेताअत न हो तो अलग बात है। इसके मसनून होने पर उम्मत मुत्तफ़िक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) अक़ीक़े को अच्छा नहीं समझते थे। बल्कि वह अक़ीक़े को अम्रे जाहिलियत, यानी इस्लाम से पहले की एक रस्म क़रार देते थे। इसकी वजह शायद ये हो कि अक़ीक़े की बाबत वारिद फ़रामीने रसूल (ﷺ) उनके इल्म में न आ सके हों। वल्लाहु आलम!

كتاب العقيقة

अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ (ज़बह करने का बयान)

(عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ـ ـ)

(4217) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से अक़ीक़े के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः 'अल्लाह तआला अक़ूक़ को नापसन्द फ़रमाता है।' (मालूम होता है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लफ़्ज़ अक़ीक़ा को अच्छा नहीं समझा) उस साइल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहाः जब हममें से किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो वह जानवर ज़बह करता है। (हम तो इसके मुताल्लिक़ पूछ रहे हैं) आपने फ़रमायाः 'जो शख़्स अपने बच्चे की तरफ़ से जानवर ज़बह करना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ " لاَ يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ " . وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ . قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " . قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا .

चाहे तो वह लड़के की तरफ़ से दो पूरी बकरियाँ ज़बह करे और लड़की की तरफ़ से एक बकरी।'

(रावि-ए-हदीस़) दाऊद ने कहा कि मैंने ज़ैद बिन असलम से अलमुकाफ़ातानि की बाबत पूछा तो उन्होंने कहा: इससे मुराद दो एक जैसी बकरियाँ हैं जो एक साथ ज़बह की जायें।

(4217) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 4537, मौता: 2/500.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से अक़ीक़े की मशरूईयत स़ाबित होती है। शरीयते मुतह्हरा ने लड़के और लड़की के अक़ीक़े में ये फ़र्क़ किया है कि लड़के की तरफ़ से एक जैसी दो बकरियाँ जबकि लड़की की तरफ़ से एक बकरी बतौर अक़ीक़ा ज़बह की जायेगी, ताहम अगर इस्तेताअ़त न हो तो लड़के की तरफ़ से भी एक बकरी किफ़ायत कर जायेगी। लड़के की तरफ़ से दो और लड़की की तरफ़ से अक़ीक़ा में एक जानवर ज़बह करना मुत्तफ़क़ा मसला है और इसमें कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं। विरास़त में भी तो लड़के और लड़की के हिस़्सों में फ़र्क़ है। वैसे भी उमूमन लोग लड़के की पैदाइश पर ज़्यादा ख़ुशी मनाते हैं, लिहाज़ा उसका शुक्राना भी ज़्यादा ही होना चाहिए। **(2)** 'नापसन्द फ़रमाता है' यानी लफ़्ज़ अक़ूक़ को जैसा कि रावी ने वज़ाहत की है। अक़ूक़ के मआनी नाफ़रमानी के हैं। ये लफ़्ज़ अच्छा नहीं, लिहाज़ा बेहतर है कि बजाये अक़ीक़ा के नसीका (अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ज़बह होने वाला जानवर) कहा जाये लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ अहादीस़ में स़राहतन लफ़्ज़ अक़ीक़ा इस्तेमाल किया गया है। इसका ये मतलब नहीं ले सकते कि अल्लाह तआ़ला फ़ेअल अक़ीक़ा को नापसन्द फ़रमाता है क्योंकि आइन्दा अल्फ़ाज़ में तो आप ख़ुद अक़ीक़े की सुन्नियत ज़िक्र फ़रमा रहे हैं। ये मआनी भी हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला अक़ीक़ा न करने को नापसन्द फ़रमाता है क्योंकि अक़ूक़ के मआनी क़तअ़ रहम के भी हैं, जैसा कि नाफ़रमान औलाद को आक़ कहा जाता है। जो वालिद अपने बच्चे का अक़ीक़ा न करे, गोया उसने इस रिश्ते का हक़ अदा नहीं किया, लिहाज़ा उसे भी आक़ कहा जायेगा क्योंकि उसने अक़ूक़ किया। लेकिन ये मआनी ज़रा पेचीदा हैं। **(3)** 'ज़बह करना चाहे' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि ज़बह करना ज़रूरी नहीं लेकिन दूसरी रिवायात को साथ मिलाने से स़ाबित होता है कि अक़ीक़ा सुन्नत है और सुन्नत को बिला वजह छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। **(4)** 'दो पूरी बकरियाँ' यानी उम्र में भी पूरी हों और औस़ाफ़ में भी। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि अक़ीक़े का जानवर कम अज़ कम क़ुर्बानी के जानवर की तरह हो और उसमें कोई उयूब नहीं होना चाहिए वरना वह पूरा नहीं होगा। इस लफ़्ज़ का दूसरा तर्जुमा

ये भी हो सकता है: 'दो बकरियाँ जो क़ुर्बानी के जानवर के बराबर हों।' तीसरा तर्जुमा ये किया गया है कि एक जैसी दो बकरियाँ। तीनों तर्जुमे सही हैं। (5) अक़ीक़ा में बकरा, बकरी, मैण्ढा, भेड़ बराबर हैं। इनमें कोई फ़र्क़ नहीं।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ .

(4218) हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सय्यदना हसन और हुसैन(رضي الله عنه) की तरफ़ से अक़ीक़ा किया।

(4218) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/355, 361, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4539.

باب(٢): الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلاَمِ

बाब : (2) लड़के का अक़ीक़ा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَحَبِيبٌ، وَيُونُسُ، وَقَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى "

(4219) हज़रत सलमान बिन आमिर ज़ब्बी(رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बच्चे की तरफ़ से अक़ीक़ा होना चाहिए, लिहाज़ा जानवर ज़बह करो और बच्चे से मैल कुचेल दूर करो।'

(4219) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4540, बुख़ारी, हदीस: 5471.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़बह करो' हुक्म है, और अक़ीक़ा आपका फ़ेअल है, लिहाज़ा कम अज़ कम सुन्नत तो है अगरचे कुछ अहले इल्म ने अम्र की वजह से वाजिब कहा है। **(2)** 'मैल कुचेल दूर करो' मुराद सर के बाल हैं। गोया अक़ीक़ा के साथ बच्चे का सर भी मुण्डा जायेगा बल्कि एक रिवायत के मुताबिक़ उसके बालों के बराबर चाँदी सदक़ा की जाये। कुछ ने इससे ख़त्ना मुराद लिया है। या इससे मुराद ये है कि जानवर ज़बह करने के बाद उसका ख़ून बच्चे के सर पर न मला जाये जैसा कि जाहिलियत में रिवाज था।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ

(4220) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़के की तरफ़ से दो कामिल बकरे ज़बह किये जायें और लड़की की तरफ़ से एक।'

أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةٌ

(4220) **तख़रीज : (सनद सही)** तहावी फ़ी मुश्किलुल आसार: 1/458, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4541, देखें, हदीस: 4222.

फ़ायदा : अक़ीक़ा या क़ुर्बानी के जानवर में नर या मादा की तख़सीस की शर्त नहीं।

باب(٣): الْعَقِيقَةِ عَنِ الْجَارِيَةِ

बाब : (3) लड़की का अक़ीक़ा

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

(4221) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़के की तरफ़ से दो कामिल बकरे ज़बह किये जायें और लड़की की तरफ़ से एक।'

(4221) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस: 2834, अल हुमैदी, हदीस: 347, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4542, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1060.

باب(٤): كَمْ يَعِقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

बाब : (4) लड़की की तरफ़ से कितने जानवर ज़बह किये जायें?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ - عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْىِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا " .

(4222) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास (हुदैबिया में) हाज़िर हुई ताकि आपसे क़ुर्बानी के गोश्त के बारे में पूछूँ। मैंने आपको फ़रमाते सुना: 'लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी ज़बह करना लाज़िम है। कोई हर्ज नहीं, वह मुज़क्कर हों या मुअन्नस।'

(4222) **तख़रीज : (सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस: 2835, अल हुमैदी, हदीस: 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4543, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1059.

फ़ायदा : 'फ़रमाते सुना' यानी अपने सवाल के जवाब के अलावा अक़ीक़े का मसला फ़रमाते हुये सुना। 'मुज़क्कर हों या मुअन्नस' लड़के की तरफ़ से मुअन्नस और लड़की की तरफ़ से मुज़क्कर या मिले जुले जानवर ज़बह किये जा सकते हैं। सवाब में कोई फ़र्क़ नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا " .

(4223) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी (अक़ीक़ा में) ज़बह की जाये। वह (अक़ीक़े के जानवर) नर हों या मादा (बकरे हों या बकरियाँ) कोई हर्ज नहीं।'

(4223) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4544, तिर्मिज़ी, हदीस: 1516.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ .

(4224) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन (ﷺ) की तरफ़ से दो दो मैण्ढे अक़ीक़े में ज़बह फ़रमाये।

(4224) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 11/311: 11838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4545, अबी दाऊद, हदीस: 2841, व सहीह इब्ने अलजारूद, हदीस: 912.

फ़ायदा : रिवायात में बकरी, भेड़ और मैण्डे का ज़िक्र आया है, लिहाज़ा अक़ीक़े में यही जानवर ज़बह करने चाहिए। गाय और ऊँट को अक़ीक़ा में ज़बह करना किसी सही हदीस से साबित नहीं है, और अक़ीक़े को कुर्बानी पर क़यास करने की भी कोई वजह नहीं क्योंकि कुर्बानी सब लोग मुअय्यन दिनों में करते हैं जबकि अक़ीक़ा हर घराना अपने बच्चे की पैदाइश से सातवें दिन करता है। अक़ीक़ा की वज़अ ही कुर्बानी से मुख़्तलिफ़ है। लड़के के अक़ीक़े में सराहतन दो बकरियाँ ज़बह करने का ज़िक्र है, इसलिये अक़ीक़े में बकरा, बकरी, भेड़ और मेंढे वग़ैरह ज़बह किये जायें और गाय, ऊँट ज़बह न किये जायें।

बाब : (5) अक़ीक़ा कब किया जाये?

باب(٥): مَتَى يَعِقُّ

(4225) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर बच्चा अपने अक़ीक़े के ऐवज़ गिरवी होता है। सातवें दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाये, सर मुण्डवाया जाये और उसका नाम रखा जाये।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى " .

(4225) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4546, तिर्मिज़ी, 1522.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'गिरवी होता है' जिस तरह गिरवी शुदा चीज़ को मुआवज़ा देकर छुड़ाना ज़रूरी होता है, उसी तरह बच्चे की आज़ादी के लिये अक़ीक़ा करना ज़रूरी है, अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि 'आज़ादी' का क्या मतलब है। इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) से मन्क़ूल है कि गिरवी शुदा बच्चा अगर फ़ौत हो गया तो वह माँ बाप की सिफ़ारिश नहीं करेगा क्योंकि गिरवी शुदा चीज़ से मालिक फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसे छुड़ाने के बाद ही फ़ायदा हासिल कर सकता है जबकि हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ने शैतान के चंगुल से छुड़ाना मुराद लिया है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'सातवें दिन' गोया इससे पहले अक़ीक़ा नहीं हो सकता। बिलफ़र्ज़ अगर सातवें दिन अक़ीक़ा न हो सके तो इमाम मालिक का ख़्याल है कि बाद में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका वक़्त गुज़र गया, जैसे क़ुर्बानी का वक़्त गुज़र जाये तो बाद में क़ुर्बानी नहीं की जा सकती। दीगर अइम्मा का ख़्याल है कि अगर सातवें दिन अक़ीक़ा न हो सके तो अगले सातवें दिन, यानी चौदहवें दिन अक़ीक़ा किया जाये। अगर उस दिन भी अक़ीक़ा न हो सके तो इक्कीसवें दिन अक़ीक़ा किया जाये। इस मफ़हूम की एक मरफ़ूअ हदीस बैहक़ी में आती है मगर उसका रावी ज़ईफ़ है। इसी तरह हज़रत आयशा (ﷺ) का क़ौल भी इसी मफ़हूम के साथ मुस्तदरक हाकिम (4/238, 239) में आता है, लेकिन वह भी इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ है तफ़्सील के लिये देखिये: (अल इर्वा, हदीस: 1170) इसलिये सुन्नत सातवें दिन ही है, ताहम अगर इस रोज़ मुमकिन न हो तो बाद में किसी रोज़ भी किया जा सकता है। इसका हुक्म भी क़ुर्बानी वाला होगा, यानी इससे सब खा सकते हैं। घर वाले भी और दूसरे भी। अमीर भी और फ़क़ीर भी। वल्लाहु आलम! **(3)** 'नाम रखा जाये' सातवें दिन नाम रखना मुस्तहब है, अलबत्ता सातवें दिन से पहले और बाद में भी रखा जा सकता है। **(4)** अगर बच्चा सातवें दिन से पहले ही फ़ौत हो जाये तो ज़ाहिर बात यही है कि उसका अक़ीक़ा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वह अक़ीक़े के वक़्त तक ज़िन्दा नहीं रहा।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ، فِي الْعَقِيقَةِ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ، سَمُرَةَ .

(4226) हज़रत हबीब बिन शहीद बयान करते हैं कि मुझे मुहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि हज़रत हसन बसरी से पूछो, उन्होंने अक़ीक़े के बारे में ये हदीस किसी से सुनी है? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने ये रिवायत हज़रत समुरा (बिन जुन्दुब) (ﷺ) से सुनी है।

(4226) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5472, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4547.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) ने ये सराहत इसलिये फ़रमाई है कि हज़रत हसन बसरी के हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से सिमाअ में इख़्तिलाफ़ है कि उन्होंने हज़रत समुरा से बराहे रास्त अहादीस सुनी हैं या किसी वास्ते से। कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक उनका सिमाअ हज़रत समुरा से दुरुस्त नहीं, कुछ दुरुस्त समझते हैं। ये इमाम बुख़ारी और इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) का ख़्याल है। कुछ मुहद्दिसीन सिर्फ़ इस रिवायत में उनका सिमाअ दुरूस्त समझते हैं, बाक़ी में नहीं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الفرع والعتيرة

फ़रअ और अतीरा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल

باب(۱): لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

बाब : (1) (इसका बयान कि) फ़रअ और अतीरा दुरुस्त नहीं

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ" .

(4227) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रअ और अतीरा दुरुस्त नहीं।'

(4227) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5474, मुस्लिम, हदीस: 1976, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4548.

फ़ायदा : ये दो क़िस्म की क़ुर्बानियाँ थीं जो जाहिलियत में राइज थीं। ऊँटनी से पैदा होने वाला पहला बच्चा बुतों के नाम पर बतौर तशक्कुर ज़बह कर दिया जाता था। इसे फ़रअ कहते थे। या जिसके पास सौ ऊँट पूरे हो जाते तो वह हर साल एक जवान ऊँट बुतों के नाम पर ज़बह कर देता था। उसे भी फ़रअ कहते थे। माहे रजब के शुरू में मुश्रिकीन एक बकरी ज़बह करते थे, उसे अतीरा कहा जाता था। इस्लाम ने जहाँ जाहिलियत की दूसरी रस्में ख़त्म कर दीं, उनको भी ख़त्म कर दिया, अलबत्ता अगर कोई शख़्स अल्लाह तआला के नाम पर जानवर का पहला बच्चा या सौवां जानवर बतौर तशक्कुर ज़बह कर के मसाकीन को सदक़ा कर दे तो उसे सदक़ा का सवाब मिल जायेगा जबकि क़ुर्बानी की बजाये मुसलमानों के लिये ज़ुल हिज्जा में क़ुर्बानी मशरूअ की गई है, लिहाज़ा वही करनी चाहिए। हाँ, कोई वैसे ही सदक़ा करना चाहे तो जब मर्ज़ी हो, गोश्त बनाकर सदक़ा कर दे। कोई पाबन्दी नहीं। हदीस में फ़रअ और अतीरा की नफ़ी बुतों के नाम पर क़ुर्बानी देने में है वरना अल्लाह के नाम पर किसी भी वक़्त क़ुर्बानी देना मुस्तहब अमल है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي

(4228) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रअ और अतीरा से मना फ़रमाया है।

(4228) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5473, मुस्लिम, हदीस: 1976, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4549.

هُرَيْرَةَ، قَالَ أَحَدُهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُ ‏"‏ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ‏"‏ ‏.‏

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَقَالَ ‏"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبٍ ‏.‏

(4229) हज़रत मिख़्नफ़ बिन सुलैम (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ अरफ़ा में वक़ूफ़ कर रहे थे कि आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! हर घर वालों पर एक साल बाद क़ुर्बानी भी है और अतीरा भी।'

(रावी-ए-हदीस) मुआज़ कहते हैं कि मेरी आँखों ने देखा कि (अब्दुल्लाह) इब्ने औन रजब में अतीरा (जानवर) ज़बह करते थे।

(4229) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3125, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4550, तिर्मिज़ी: 1518.

फ़ायदा : क़ुर्बानी से मुराद तो ज़ुल हिज्जा वाली क़ुर्बानी है जो सुन्नते मुअक्कदा है, अलबत्ता अतीरा सदक़े के तौर पर दीगर दलाइल की रू से मुस्तहब है लेकिन अल्लाह तआला के नाम पर।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، { عَنْ أَبِيهِ، } وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ حَقٌّ فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ

(4230) हज़रत ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रअ के बारे में क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया: '(अल्लाह के नाम पर) ठीक है लेकिन अगर तू इसे (ज़बह करने की बजाये) छोड़ दे (बड़ा होने दे) यहाँ तक कि वह जवान ऊँट हो जाये, फिर तू इसे अल्लाह तआला के रास्ते में किसी को सवारी के लिये दे या किसी बेवा को दे दे तो ये बेहतर है इससे कि तू इसे (पैदा होते ही) ज़बह कर डाले जबकि इसका गोश्त इसके बालों ही से लगा हो, और तू अपने (दूध के) बर्तन को औंधा कर दे और अपनी ऊँटनी

(उसकी माँ) को बिला वजह परेशान करे।' लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! अतीरा? आपने फ़रमाया: 'अतीरा भी हक़ है। (वह भी ठीक है)'

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْعَتِيرَةُ قَالَ " الْعَتِيرَةُ حَقٌّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيكٌ وَآخَرُ .

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: (रावी-ए-हदीस़) अबू अली हनफ़ी (और इसके भाई) वह चार हैं। इनमें से एक अबू बक्र है, एक बिश्र है और एक शरीक है, और एक और है (उसका नाम उमैर है)

(4230) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4551.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आपका मक़सूद ये है कि अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह करना तो ठीक है मगर वह काम करना चाहिए जिसके करने से ज़्यादा फ़ायदा हो। लोग बच्चा पैदा होते ही उसे ज़बह कर देते लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। गोश्त सिर्फ़ छिछड़ों की सूरत में होता था जो खाने के क़ाबिल भी नहीं होता था। और इस क़द्र क़लील कि गोश्त पोस्त में इम्तियाज़ मुश्किल से होता था। ऊँटनी ग़म की वजह से दूध से भी जवाब दे देती थी। गोया किसी को भी फ़ायदा न हुआ। उल्टा घर का नुक़सान हो गया, लिहाज़ा बेहतर ये है कि इसे बड़ा होने दिया जाये यहाँ तक कि जब वह सवारी के क़ाबिल हो जाये तो फिर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में सवारी के लिये दिया जाये, या किसी बेवा को दे दिया जाये, या वह जानवर किसी मोहताज व मिस्कीन को दे दिया जाये ताकि वह उससे फ़ायदा उठाये। **(2)** फ़रअ, यानी जानवर का पहला बच्चा पैदा होने या सौ जानवर पूरे होने पर जानवर ज़बह करना, दुरुस्त है। इस्लाम से पहले इस क़िस्म का जानवर बुतों और माबूदाने बातिला की ख़ूशनूदी हासिल करने का ज़रिया समझा जाता था और उन्हीं की ख़ातिर ज़बह किया जाता। लेकिन इस्लाम में इस तसव्वुर को जड़ से उखेड़ दिया गया। ग़ैरुल्लाह के लिये जानवर ज़बह करना हराम क़रार दिया गया जबकि अल्लाह तआला की रिज़ा के हुसूल के लिये बतौर सदक़ा जानवर ज़बह करना मुस्तहब ठहराया गया। ये अब भी मुस्तहब और हुसूले सवाब व दफ़-ए-मुसीबत का बेहतरीन ज़रिया है। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि सदक़ा करना सिर्फ़ ये नहीं कि जानवर ज़बह करके उसका गोश्त लोगों को खिला दिया जाये बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह का मफ़हूम बहुत वसीअ है और इसमें बहुत सी बेहतर सूरतें मौजूद हैं जो सदक़ा करने वाले के लिये कहीं ज़्यादा अज्र व सवाब का सबब हैं। **(4)** जानवरों के नौ ज़ाइदा बच्चों को ज़बह करना या उन्हें उनकी माओं से जुदा करना क़तअन पसन्दीदा नहीं। एक तो इसलिये कि इससे माँ को तकलीफ़ पहुँचती है और वह बेचैन व बेक़रार होती है और दूसरा इसलिये भी कि ऐसा करने से उस बच्चे की माँ का दूध भी कम हो जाता है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اسْتَغْفِرْ لِي . فَقَالَ " غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ " . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي . فَقَالَ بِيَدِهِ " غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ . قَالَ " مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا " . وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلاَّ وَاحِدَةً .

(4231) हज़रत हारिस़ बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज्जतुल विदा में मिला। आप अपनी अ़ज़्बा ऊँटनी पर सवार थे। मैं एक जानिब से आपके पास हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! मेरे लिये बख़्शिश की दुआ फ़रमाइये। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम सब को माफ़ फ़रमाये।' फिर मैं दूसरी जानिब से आपके पास इस उम्मीद के साथ आया कि आप मेरे लिये ख़ुसूसी दुआ फ़रमायेंगे। मैंने अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये बख़्शिश की दुआ फ़रमाइये। आपने अपने दोनों हाथ उठाये और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम सब को माफ़ फ़रमाये।' लोगों में से एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अतीरा और फ़रअ का हुक्म क्या है? आपने फ़रमाया: 'जो चाहे अतीरा ज़बह करे जो चाहे न करे। जो शख़्स चाहे फ़रअ ज़बह करे, जो चाहे न करे, अलबत्ता बकरियों में कुर्बानी ज़रूरी है।' आपने इशारा फ़रमाते वक़्त अपनी सब उँगलियाँ बन्द कर लीं मगर एक खुली रखी।

(4231) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फिल्कबीर: 3/261, हदीस़: 3350, अबी दाऊद, हदीस़: 1742, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4552.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، ح وَأَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ

(4232) हज़रत हारिस़ बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है कि मैं हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह(ﷺ) को मिला और अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! मेरे लिये बख़्शिश की दुआ कीजिये। आपने

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي اسْتَغْفِرْ لِي . فَقَالَ " غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ " . وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तुम सब को माफ़ फ़रमाये।' उस वक़्त आप अपनी ऊँटनी अज़्बा पर सवार थे, फिर मैं दूसरी जानिब से घूम कर आया। फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की।

(4232) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4553.

بَاب(٢): تَفْسِيرِ الْعَتِيرَةِ

बाब : (2) अतीरा की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيلٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ " اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا " .

(4233) हज़रत नुबैशा (﵁) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास ज़िक्र किया गया कि हम ज़मान-ए-जाहिलियत में (माहे रजब में) जानवर ज़बह किया करते थे। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह करो जिस महीने में भी हो। अल्लाह तआला के लिये नेकी करो। और (ग़रीबों को) खाना खिलाया करो।'

(4233) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 2830, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4554.

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि नेकी के लिये किसी महीने की क़ैद नहीं, किसी भी वक़्त ग़रीबों को खिलाया जा सकता है। रजब की क़ैद मुनासिब नहीं। अपनी तरफ़ से किसी महीने, दिन या वक़्त को मुतय्यन कर लेना और फिर उसको वाजिब या अफ़ज़ल ख़याल करना सही नहीं। इसकी वजह ये है कि किसी भी नेकी के लिये ख़ास़ औक़ात व अय्याम और माह व साल मुक़र्रर करना किसी इन्सान का हक़ है न उसकी ज़िम्मेदारी, बल्कि नेकी के लिये वक़्त की तअय्युन सिर्फ़ अल्लाह तआला का हक़ है। इसमें तसर्रुफ़ का इख़्तियार किसी और को नहीं। मज़ीद बरां ये भी ज़रूरी है कि नेकी की कैफ़ियत और मिक़्दार वही मोतबर होगी जो शरीयत ने मुक़र्रर कर दी है। इससे तजावुज़ बिदआत और ईजादे बन्दा क़रार पायेंगी।

(4234) हज़रत नुबैशा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने मिना में बा'आवाज़े बलन्द कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम जाहिलियत में माहे रजब में जानवर ज़बह किया करते थे तो ऐ अल्लाह के रसूल! आप अब हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया: 'जो भी महीना हो (अल्लाह तआला के लिये) ज़बह करो। और अल्लाह तआला की रिज़ामन्दी के लिये नेकी करो। और (ग़रीबों को) खाना खिलाओ।' उस आदमी ने कहा: हम फ़रअ भी ज़बह किया करते थे। अब आपका क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया: 'हर क़िस्म के चरने वाले जानवरों में से कोई जानवर ज़बह करना चाहिए (मगर इस तरह कि) बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाये यहाँ तक कि जब वह सवारी के क़ाबिल हो जाये (पूरा ऊँट बन जाये) तो फिर उसको ज़बह कर और उसका गोश्त सदक़ा कर।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - عَنْ خَالِدٍ، وَرُبَّمَا، قَالَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَرُبَّمَا، ذَكَرَ أَبَا قِلاَبَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " اذْبَحُوا فِي أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا " . قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ " .

(4234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4555.

(4235) हज़रत नुबैशा हुज़ली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुमको तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने से रोका था ताकि सब लोग खा सकें लेकिन अब अल्लाह तआला ने सूरते हाल बेहतर फ़रमा दी है। अब खाओ, सदक़ा करो और ज़ख़ीरा करके भी रख लो। ये (ईद के) दिन खाने पीने और अल्लाह तआला के ज़िक्र के हैं।' एक आदमी ने कहा: हम ज़मान-ए-जाहिलियत में रजब के दौरान में जानवर ज़बह किया करते थे। अब आपका क्या हुक्म है?

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَأَحْسَبُنِي، قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، - رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ " .

आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के लिये ज़बह करो, जिस महीने में भी मुमकिन हो। और ख़ालिस़ अल्लाह तआला के लिये नेकी करो और (ग़रीबों को) खाना खिलाओ।' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम जाहिलियत में फ़रअ भी ज़बह किया करते थे। अब आप क्या फ़रमाते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चरने वाली बकरियों में से कोई भी बकरी ज़बह करनी चाहिए लेकिन (इस तरह कि) तू उसे अपनी बकरियों में रख कर पाले पोसे यहाँ तक कि जब वह जवान हो जाये तो तू उसे ज़बह करे, फिर उसका गोश्त मुसाफ़िरों वग़ैरह पर स़दक़ा कर दे। ये तरीक़ा (जाहिलियत की रस्म से) बदर्जा बेहतर है।'

(4235) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा: 3160, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4556, मुस्लिम, हदीस़: 1141.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से ये मसला स़ाबित होता है कि क़ुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा किया जा सकता है। (2) अय्यामे तशरीक़ की बाबत भी मसला वाज़ेह हो रहा है कि ये खाने, पीने और अल्लाह तआला का ज़िक्र करने के दिन हैं, इसलिये इन दिनों में अय्यामे ईद की तरह रोज़े रखना हराम और नाजायज़ है। (3) मज़्कूरा अहादीस़ में इस मसले की मुकम्मल तौर पर वज़ाहत मौजूद है कि मुमानिअत इस सूरत में है कि जब ऐसा करने से माबूदाने बातिला और ग़ैरुल्लाह की रिज़ा और ख़ुशनूदी मतलूब हो, या ख़ास़ वक़्त के साथ इसकी तख़स़ीस़ हो जैसा कि वह लोग माहे रजब के इब्तेदाई अय्याम में जानवर ज़बह किया करते थे। हाँ, जब जानवर ज़बह करने से अल्लाह तआला की रिज़ा मतलूब हो और किसी ख़ास़ दिन, महीने और वक़्त का तअय्युन भी न हो तो ऐसा करना सिर्फ़ जायज़ नहीं मुस्तहब भी है। (4) इस हदीस़े मुबारका से ये भी मालूम होता है कि जानवरों के छोटे और नौ ज़ाइदा बच्चे ज़बह न किये जायें बल्कि उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाये, जब उनका गोश्त पुख़्ता और खाने के क़ाबिल हो जाये तब ज़बह किये जायें और उनका गोश्त स़दक़ा किया जाये। वल्लाहु आलम!

बाब : (3) फ़रअ की तफ़्सीर

باب(٣): تَفْسِيرِ الْفَرَعِ

(4236) हज़रत नुबैशा (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने बा'आवाज़े बलन्द नबी-ए अकरम (ﷺ) को पुकार कर कहा: हम दौरे जाहिलियत में माहे रजब के दौरान में अतीरा ज़बह किया करते थे। अब आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया: 'ज़बह करो जिस महीने में भी हो। अल्लाह तआला के लिए नेकी करो और लोगों को खिलाओ।' उसने कहा: हम जाहिलियत में फ़रअ भी ज़बह किया करते थे। आपने फ़रमाया: 'हर चरने वाले जानवरों में से जानवर ज़बह करना चाहिए लेकिन उस वक़्त जब वह जवान हो जाये, फिर तू उसे ज़बह करे और उसका गोश्त सदक़ा कर दे। यक़ीनन ये बेहतर है।'

(4236) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस: 4233, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4557.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " اذْبَحُوهَا فِي أَىِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا " . قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ".

(4237) हज़रत नुबैशा हुज़ली (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम जाहिलियत में अतीरा ज़बह किया करते थे। अब आप का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के लिये ज़बह करो। जो भी महीना हो। अल्लाह तआला (की रिज़ामन्दी के हुसूल) के लिये नेकी करो और लोगों को खाना खिलाओ।'

(4237) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 4233, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4558.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا

(4238) हज़रत अबू रज़ीन लक़ीत बिन आमिर उक़ैली (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने अर्ज़ की: ऐ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ

يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ بَأْسَ بِهِ " . قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ فَلاَ أَدَعُهُ .

अल्लाह के रसूल! हम दौरे जाहिलियत में माहे रजब के दौरान में कुछ जानवर ज़बह किया करते थे। हम ख़ुद भी खाते थे, अपने पास आने वालों (और मिलने मिलाने वालों) को भी खिलाते थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसमें कोई हर्ज नहीं।' (रावि-ए-हदीस़) वकीअ बिन उदुस ने कहा: मैं तो ये नेकी नहीं छोड़ूँगा।

(4238) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/12, 13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4559, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1067, नैलुल मक़सूद, हदीस़: 4731.

फ़ायदा : अल्लाह तआला की रिज़ामन्दी के लिये या अपने पकाने खाने के लिये किसी वक़्त भी जानवर ज़बह किया जा सकता है, औरों को भी खिलाया जा सकता है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 4227)

باب(٤): جُلُودِ الْمَيْتَةِ

बाब : (4) मुर्दार का चमड़ा

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ " لِمَنْ هَذِهِ " . فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ . فَقَالَ " مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا".

(4239) हज़रत मैमूना (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) एक मुर्दा बकरी के पास से गुज़रे जिसे बाहर फेंक दिया गया था। आपने फ़रमाया: 'ये किस की है?' लोगों ने कहा: (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत मैमूना (ﷺ) की। आपने फ़रमाया: 'अगर वह इसके चमड़े से फ़ायदा उठा लेती तो क्या हर्ज होता?' लोगों ने कहा: ये तो मुर्दा है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने सिर्फ़ इसका (गोश्त वग़ैरह) खाना हराम किया है।'

(4239) तख़रीज : (सनद सही) मुसिलम, हदीस़: 363, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4560.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस़ की मुताबिक़त इस तरह है कि मुर्दा जानवर के चमड़े का हुक्म ये है कि उससे फ़ायदा उठाना जायज़ है बशर्ते कि उसे रंग दिया जाये जैसा कि दीगर अहादीस़ में इसकी वज़ाहत मौजूद है। (2) हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि अगर किसी इमाम

या ज़िम्मेदार शख़्स की बात का मफ़हूम समझ में न आये तो उससे पूछा जा सकता है, ये उसके एहतिराम के मुनाफ़ी नहीं जिस तरह सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ लिया था कि मुर्दार जानवर के चमड़े से किस तरह नफ़ा उठाया जा सकता है? (3) क़ाबिले एहतिराम और ज़ी वक़ार शख़्सियत को भी सवाल, बहस व तहक़ीक़ के वक़्त बरहम नहीं होना चाहिए और न वह उसको अपनी अना का मसला बनाये जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का बेहतरीन उस्वा है कि आपने लोगों के पूछने पर बिला ताम्मुल बता दिया। (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित होता कि किताबुल्लाह के उमूम की तख़्सीस हदीस शरीफ़ से हो सकती है। क़ुर्आन मजीद में मुत्लक़ तौर पर फ़रमाया गया है: (हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु) मुर्दार की हुर्मत का हुक्म उसके हर हर जुज़ को शामिल है और हर हाल में शामिल है। हदीस और सुन्नत ने इस आम हुक्म में ये तख़्सीस कर दी है कि मुर्दार जानवर का चमड़ा रंग लिया जाये तो उसका इस्तेमाल हलाल हो जाता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " .

(4240) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गुज़र एक मुर्दार बकरी के पास से हुआ जो आपने अपनी अहलिया मोहतरमा मैमूना (ﷺ) की आज़ाद कर्दा लौण्डी को दी थी, तो (उसे देख कर) आपने फ़रमाया: 'तुमने उसकी खाल से फ़ायदा क्यों नहीं उठा लिया?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो मुर्दार है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुर्दार (बकरी) का सिर्फ़ खाना हराम किया गया है।'

(4240) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1492, मुस्लिम, हदीस: 363, मौता: 2/498, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4561.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، - يَعْنِي يَزِيدَ - عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ

(4241) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (अपनी अहलिया) मैमूना (ﷺ) की लौण्डी की मुर्दार बकरी को देखा जो सदक़े के माल से उसको दी गई थी। आपने फ़रमाया: 'अगर वह इसकी खाल उतार लेते और फिर उससे फ़ायदा उठाते तो (बेहतर होता)' उन्होंने

ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ " لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . قَالَ " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " .

कहा: वह तो मुर्दार है। आपने फ़रमाया: 'इसका सिर्फ़ खाना हराम किया गया है।'

(4241) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4562.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ شَاةً، مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَّ دَفَعْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ " .

(4242) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: मुझे हज़रत मैमूना (ﷺ) ने बतलाया कि एक बकरी मर गई तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने इसकी खाल को रंग क्यों नहीं लिया कि उससे फ़ायदा उठाते?'

(4242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4563.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ " أَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ " .

(4243) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी (ﷺ) का गुज़र हज़रत मैमूना(ﷺ) की मुर्दार बकरी के पास से हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तुमने इसकी खाल लेकर उसे रंग क्यों नहीं लिया कि इससे फ़ायदा उठाते?'

(4243) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 363/102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4564.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ " أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا " .

(4244) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) का गुज़र एक मुर्दार बकरी के पास से हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तुमने इसकी खाल से फ़ायदा क्यों नहीं उठा लिया?'

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4565.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا .

(4245) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत सौदा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि हमारी एक बकरी मर गई तो हमने उसकी खाल को रंग लिया, फिर हम उसमें नबीज़ बनाते रहे यहाँ तक कि वह मश्क बन गई।

(4245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6886, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4566.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "

(4246) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस कच्ची खाल को भी रंग लिया जाये तो वह पाक हो जाती है।'

(4246) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4567.

أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدِّبَاغُ طَهُورٌ . قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأْيِكَ أَوْ شَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

(4247) हज़रत इब्ने वअला से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से पूछा कि हम उन मग़रिबी लोगों से जंग करने जाते हैं जो कि बुत परस्त हैं। उनके पास मशकीज़े होते हैं जिनमें दूध या पानी होता है। (तो क्या हम वह इस्तेमाल कर सकते हैं?) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: दबाग़त चमड़े को पाक कर देती है। मैंने कहा: ये आपकी राय है या आपने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने फ़रमाया: बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है।

(4247) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4568.

फ़ायदा : मालूम हुआ अगरचे बुतपरस्त का ज़बीहा तो हलाल नहीं मगर वह चमड़े को दबाग़त दे तो चमड़ा पाक हो जाता है।

(4248) हज़रत सलमा बिन मुहब्बिक़ (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-तबूक (के सफ़र) में एक औरत के पास से पानी मंगवाया। वह कहने लगी: मेरे पास पानी तो है मगर मुर्दार के चमड़े से बने हुये मशकीज़े में है। आपने फ़रमाया: 'तूने उसे दबाग़त नहीं दी थी?' उसने कहा: जी! दबाग़त तो दी थी। आपने फ़रमाया: 'तो दबाग़त (रंगने) से चमड़ा पाक हो जाता है।'

(4248) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4125, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4569.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ . قَالَ " أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا " .

(4249) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से मुर्दार के कच्चे चमड़े के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'दबाग़त (रंगने) से पाक हो जाता है।'

(4249) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/155, 156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4570.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ " دِبَاغُهَا طَهُورُهَا" .

फ़ायदा : दबाग़त किसी भी ऐसी चीज़ से दी जा सकती है जो चमड़े की रुतूबत को ख़त्म कर दे और बदबू को ज़ाइल कर दे।

(4250) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुर्दार के चमड़े के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'दबाग़त चमड़े को

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ " دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا " .

पाक कर देती है।'

(4250) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4571, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " .

(4251) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दबाग़त से मुर्दार का चमड़ा पाक हो जाता है।'

(4251) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/154, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4572, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا " .

(4252) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुर्दार का चमड़ा दबाग़त से पाक हो जाता है।'

(4252) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4573.

باب(٥): مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ

बाब : (5) मुर्दार के चमड़े को किस चीज़ से दबाग़त दी जाये?

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ، حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ

(4253) हज़रत आलिया बिन्ते सुबैअ से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत मैमूना (ﷺ) ने मुझे बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से कुछ क़ुरैशी गुज़रे। वह अपनी एक मरी हुई बकरी को गधे की तरह घिसट कर ले जा रहे थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'अगर तुम इसका चमड़ा उतार लेते (तो अच्छा होता)' उन्होंने कहा: ये तो मरी हुई है। रसूलुल्लाह (ﷺ)

ने उन्हें फ़रमाया: 'इसे पानी और कैकर का छिल्का पाक कर देता है।'

(4253) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4126, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4574, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम, व इब्ने अस्सकन अत्तल्खीसुल हबीर: 1/49)

يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ "

फ़ायदा : ये हदीस़ इस बात पर दलालत करती है कि मुर्दार जानवर के कच्चे चमड़े को रंगने के लिये पानी और कैकर की छाल ज़रूरी है या इसी क़िस्म की सलाहियत रखने वाला ऐसा कैमिकल जो चमड़े की बू और रुतूबत को ख़त्म कर दे, इसका इस्तेमाल भी जायज़ है। मक़सूद दबाग़त है।

(4254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से मरवी है कि मैं उस वक़्त जवान लड़का था जब हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़त पढ़ कर सुनाया गया कि 'तुम मुर्दार के चमड़े और पट्ठे से फ़ायदा न उठाओ।'

(4254) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4127, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4575, तिर्मिज़ी: 1729, वल बैहक़ी: 1/18, व सहीह इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद: 4/311

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ " أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम सहाबी नहीं लेकिन आपके दौर में मौजूद थे और मुसलमान थे मगर आपकी ज़ियारत नसीब न हो सकी। ऐसे शख़्स को मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में मुख़्ज़रम कहते हैं। मुख़्ज़रम के मआनी हैं: 'सहाबा से अलग किया गया बावजूद उस ज़माने में होने के।' **(2)** ये रिवायत साबिक़ा रिवायात के ख़िलाफ़ है मगर वह इससे सहीतर हैं, और तत्बीक़ भी मुमकिन है कि दबाग़त के बग़ैर चमड़े से फ़ायदा न उठाओ। दबाग़त के बाद फ़ायदा उठा सकते हो। ये इशारा अहादीस़ में मौजूद है, लिहाज़ा जिन हज़रात ने इस हदीस़ के साथ जवाज़ की अहादीस़ को मन्सूख़ क़रार दिया है, वह दुरुस्त नहीं। उनकी दलील ये है कि 'ये हदीस़ मुताख़्ख़िर है क्योंकि ये आपकी वफ़ात से सिर्फ़ एक माह पहले की है।' मगर नस्ख़ तो आख़री हरबा है। अगर तत्बीक़ मुमकिन है तो नस्ख़ की क्या ज़रूरत है? जुम्हूर तत्बीक़ ही के क़ाइल हैं।

(4255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ये तहरीर लिख कर भेजी: 'तुम मुर्दार के चमड़े और पट्ठे से

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ " .

फ़ायदा न उठाओ।'

(4255) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4576.

फ़ायदा : 'लिख कर' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद ये तहरीर लिखी लेकिन ये सही नहीं। आप लिखना या लिखा हुआ पढ़ना नहीं जानते थे। ये बात क़तई दलाइल से साबित है, लिहाज़ा इस हदीस में मजाज़ है, यानी तहरीर लिखवाई।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جُهَيْنَةَ " أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(4256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहैना क़बीले की तरफ़ ये तहरीर लिख कर भेजी: 'तुम मुर्दार के (ग़ैर मदबूग़) चमड़े और पट्ठे को इस्तेमाल न करो।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: इस मसले में सही तरीन रिवायत वह है जिसमें दबाग़त से चमड़े के पाक होने का ज़िक्र है, यानी ज़ोहरी अन उबैदुल्लाह, अन इब्ने अब्बास, अन मैमूना वाली रिवायत। वल्लाहु आलम!

(4256) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4577.

फ़ायदा : गोया इमाम साहिब इस रिवायत को तर्जीह दे रहे हैं। दोनों रिवायात में तत्बीक़ पीछे गुज़र चुकी है।

الرُّخْصَةِ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

बाब : (6) जब मुर्दार जानवर के चमड़े को रंग दिया जाये तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ

(4257) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जब मुर्दार के चमड़े को रंग दिया जाये तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है।

ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .

(4257) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4124, मौता: 2/498, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4578.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि ये रिवायत दीगर शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर क़ाबिले हुज्जत और क़ाबिले अमल है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 40/504, ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 33/44, 46) **(2)** 'हुक्म दिया' यानी इजाज़त और रुख़सत दी। मुमकिन है हुक्म ही मुराद हो क्योंकि माल ज़ाया करने की इजाज़त नहीं।

النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ

बाब : (7) दरिन्दों के चमड़े से फ़ायदा उठाने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ .

(4258) हज़रत अबुल मलीह के वालिद मोहतरम (हज़रत उसामा (ﷺ)) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दरिन्दों के चमड़े इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया।

(4258) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4579, व सहीह इब्ने अल जारूद: 785, वल हाकिम: 1/148, अल बैहक़ी: 1/21.

फ़ायदा : दरिन्दों के चमड़े उमूमन मुतकब्बिर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिये उनके इस्तेमाल से मना फ़रमाया जिस तरह मुसलमान मर्दों को सोने और रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया गया है। शेर और चीते वग़ैरह का चमड़ा आम इस्तेमाल में था। मुमकिन है दबाग़त के बग़ैर इस्तेमाल किया गया हो लेकिन ये मरजूह एहतिमाल है। सही बात पहली ही है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ نَهَى

(4259) हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मर्दों को) रेशम, सोने और चीतों के चमड़े से बने

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ .

हुये गदीलों के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है।

(4259) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4131, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4580.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ .

(4260) हज़रत ख़ालिद से रिवायत है कि हज़रत मिक़्दाम बिन मअ्दी करिब (ﷺ) हज़रत मुआविया (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: मैं आपसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दरिन्दों के चमड़े पहनने और उन पर सवार होने से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: जी हाँ।

(4260) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4581.

النَّهْيُ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ

बाब : (8) मुर्दार की चर्बी से फ़ायदा उठाने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ " لاَ هُوَ حَرَامٌ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(4261) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में फ़रमाते सुना: 'बिला शुब्हा अल्लाह (عزوجل) और उसके रसूल (ﷺ) ने शराब, मुर्दार, ख़िन्ज़ीर और बुतों की ख़रीद व फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है।' अर्ज़ की गई: ऐ अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी के बारे में क्या हुक्म है? ये कश्तियों को मली जाती है और चमड़ों को लगाई जाती है और लोग इससे चराग़ जलाते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, ये हराम है।' उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूदियों पर लानत फ़रमाये कि जब अल्लाह तआला ने उन पर चर्बी का इस्तेमाल

عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " .

हराम फ़रमाया तो उन्होंने चर्बी को पिघला कर बेच दिया और उसकी क़ीमत खाने लगे।'

(4261) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2236, मुस्लिम, हदीस: 1581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4582.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुर्दार जानवर की चर्बी अन्वाअ़े इस्तेमाल में से किसी भी नोअ़ में इस्तेमाल नहीं हो सकती। **(2)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि हर वह हीला जो किसी हराम चीज़ को हलाल करने की ख़ातिर इख़्तियार किया जाये, बातिल है। ऐसा हीला भी बातिल है जो हराम चीज़ की हिल्लत तक ले जाये और इसी तरह इसके बरअ़क्स भी। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि किसी चीज़ की हैयत और उसके नाम की तब्दीली से उस चीज़ का हुक्म नहीं बदलता, जैसे: यहूदियों ने जामिद चर्बी को पिघला कर उसे मानेअ़ में तब्दील करके इस्तेमाल किया, उसके बावजूद उन पर लानत की गई। यही हुक्म दीगर चीज़ों का है। और इस मसले की तरफ़ भी इशारा मिलता है कि जो कोई हराम चीज़ों को हलाल करने की ख़ातिर किसी क़िस्म का हीला तराशता है, वह मलऊन है क्योंकि वह भी इस सिलसिले में यक़ीनन उन यहूदियों की राह पर चला है जिन्होंने अल्लाह तआला की हुर्मतों को पामाल करने के लिये हीले बहाने घड़ लिये थे। **(4)** मज़्कूरा तफ़्सील से मक़सूद ये है कि जो चीज़ फ़ी नफ़्सिही हराम है, उससे किसी क़िस्म का फ़ायदा उठाना हराम है और उसका कारोबार भी हराम है। उसको किसी हीले से हलाल नहीं किया जा सकता, जैसे: शराब को सिरका बनाकर बेचा नहीं जा सकता। हराम चीज़ की क़ीमत भी हराम है।

باب(٩): النَّهْيِ عَنِ الانْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (9) अल्लाह तआला की हराम कर्दा चीज़ से (किसी भी तरह) फ़ायदा उठाने की मुमानिअ़त

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُبْلِغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ، بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ

(4262) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) को ये बात पहुँची कि हज़रत समुरा (رضي الله عنه) ने शराब बेची है। आपने फ़रमाया: अल्लाह तआला समुरा को हलाक करे, उसे इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआला यहूदियों पर लानत फ़रमाये कि उन पर चर्बी हराम हुई तो उन्होंने उसे पिघलाया (और बेच दिया)

الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا " . قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي أَذَابُوهَا .

(4262) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1582, बुख़ारी: 2223, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4583.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह तआला की हराम कर्दा चीज़ से फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं। **(2)** ये हदीस नाजायज़ हीले के बुतलान पर भी वाज़ेह तौर पर दलालत करती है और ये भी कि शरीयत की हराम कर्दा चीज़ को किसी भी हीले बहाने से या किसी चीज़ की आड़ लेकर हलाल नहीं किया जा सकता। ऐसी क़बीह हरकत के मुर्तकिब लानत के मुस्तहिक़ क़रार पा सकते हैं। **(3)** इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि शराब की ख़रीद व फ़रोख़्त नाजायज़ और हराम है, और ये भी मालूम हुआ कि जब कोई चीज़ फ़ी नफ़्सिही हराम हो तो उसकी क़ीमत भी हराम ही होती है। **(4)** ये हदीसे मुबारका सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, नस्वार और दीगर मस्कुरात व मुफ़्तरात की तिजारत की मुमानिअत पर भी दलालत करती है। वल्लाहु आलम!

بَاب(١٠): الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

बाब : (10) चूहा घी में गिर जाये तो ......?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً، وَقَعَتْ، فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ " .

(4263) हज़रत मैमूना (ؓ) से रिवायत है कि एक चूहिया घी में गिरी और मर गई। नबी-ए अकरम (ﷺ) से (इसके मुताल्लिक़) सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया: 'चूहिया और उसके इर्द गिर्द के घी को फेंक दो और बाक़ी खा लो।'

(4263) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4584.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ

(4264) हज़रत मैमूना (ؓ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से पूछा गया कि जमे हुये घी में चूहा गिर गया है। (उसे क्या किया जाये?) आपने फ़रमाया: 'चूहे और उसके इर्द गिर्द के घी को निकाल फेंको।'

(4264) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मौता: 2/971, 972.

عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ فَقَالَ "
خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ " .

أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذُويَةَ، أَنَّ مَعْمَرًا، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ " إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ " .

(4265) हज़रत मैमूना (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से पूछा गया: चूहा घी में गिर जाये तो (क्या किया जाये?) आपने फ़रमाया: 'अगर (घी) जमा हुआ हो तो चूहा और उसके इर्द गिर्द वाला घी बाहर फेंक दो। (और बाक़ी को इस्तेमाल कर लो) लेकिन अगर वह पिघला हुआ है तो उसके क़रीब भी न जाओ।'

(4265) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 3843, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4586.

फ़ायदा : चूहा मरने से पलीद हो जाता है। वैसे भी वह हराम जानवर है लेकिन अगर घी जमा हुआ हो तो उसकी नजासत सारे घी में सरायत नहीं करेगी, लिहाज़ा चूहे के क़रीब वाला घी जो उससे मुतास्सिर हुआ है, जैसे: उसमें आलूदगी वग़ैरह है तो चूहे समेत बाहर फेंक दिया जाये, बाक़ी घी पाक साफ़ है। इस हद तक तो इत्तेफ़ाक़ है लेकिन अगर घी माये (पिघला हुआ) हालत में है तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक इस हदीस के मुताबिक़ उसे ज़ाया कर दिया जायेगा क्योंकि वह पलीद हो चुका है मगर कुछ अहले इल्म ने इसमें भी पहले तरीक़े पर अमल किया है कि चूहा और उसके इर्द गिर्द वाला घी फेंक दिया जाये और बाक़ी घी इस्तेमाल कर लिया जाये। उनके नज़दीक माये (पिघला हुआ) चीज़ उस वक़्त तक पलीद नहीं होती जब तक उसका रंग या बू या ज़ाइक़ा नजासत के साथ बदल नहीं जाता, लिहाज़ा अगर चूहे के मरने से घी माये (पिघला हुआ)) में कोई तब्दीली नहीं आई तो वह पलीद नहीं, इस्तेमाल हो सकता है। इस हदीस को वह ज़ईफ़ कहते हैं (शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसे शाज़ क़रार दिया है। देखिये: ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 4271) लेकिन इमाम इब्ने हिब्बान (رحمه الله) ने इस हदीस को सही कहा है। बहर सूरत माये (पिघला हुआ) में इम्कान है कि चूहा मरने के बाद इसमें तैरता रहा हो। इस सूरत में पूरा घी उसका माहौल (आस पास का) क़रार दिया जायेगा, इसलिये सारा घी ही ज़ाया करना होगा। वैसे भी माये (पिघला हुआ) में चूहे के क़रीबी घी का तअय्युन मुश्किल है, इसलिये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक ही एहतियात के क़रीब है, इसे ही इख़्तियार करना चाहिए। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي الْخَطَّابُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ " مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا "

(4266) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुर्दा बकरी के पास से गुज़रे। आपने फ़रमाया: 'अगर इस बकरी के मालिक इसके चमड़े से फ़ायदा उठा लेते तो क्या हर्ज था?'

(4266) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4587.

फ़ायदा : इस हदीस का मुताल्लिक़ा बाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता गुज़िश्ता अबवाब से ताल्लुक़ है। मुमकिन है क़रीबी बाब ज़िम्नी हो। असल बाब साबिक़ा ही हो। क़रीबी बाब जुम्ला मोतरिज़ा की तरह होगा। वल्लाहु आलम!

باب(١١): الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ

बाब : (11) मक्खी बर्तन में गिर जाये (तो क्या किया जाये?)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ " .

(4267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब किसी के (खाने पीने के) बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसे डूबो कर निकाल दिया जाये।'

(4267) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4588.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** खाने पीने वाली किसी चीज़ या बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसका हुक्म ये है कि वह चीज़ और बर्तन पलीद नहीं होता क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्खी की बाबत हुक्म फ़रमाया है कि उसको डूबो दिया जाये और फिर डूबो कर निकाल फेंका जाये। **(2)** इस हदीस से ये बात भी मालूम हूई कि मक्खी ज़िन्दा हो या मुर्दा, वह पाक होती है। **(3)** 'डूबो कर' डूबोने से उसके मरने का इम्कान है। मालूम हुआ मक्खी वग़ैरह (जिनमें ख़ून कसीर मिक़्दार में नहीं होता) के मरने से मशरूब पलीद नहीं होगा। **(4)** रसूले सादिक व मस्दूक़ (ﷺ) से दीगर रिवायात में ये अल्फ़ाज़ भी

आते हैं कि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा है। और मक्खी किसी चीज़ में गिरते वक़्त वह पर पहले लगाती है जिसमें बीमारी है, लिहाज़ा तुम दूसरा पर भी डूबो दो ताकि बीमारी का इलाज साथ ही हो जाये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3320, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3844) **(5)** कुछ हज़रात ने इस हदीस पर ऐतराज़ किया है कि मक्खी तो गन्दी चीज़ों पर बैठती है। फिर खाने पीने वाली चीज़ों को ख़राब करती है, लिहाज़ा मक्खी को डूबोने से तो मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। उन मोतरिज़ हज़रात को मालूम होना चाहिए कि वह अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मक्खी से नहीं बच सकते और न उसकी ख़राबी से महफ़ूज़ रह सकते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कमाल मेहरबानी फ़रमाते हुये इसका इलाज तजवीज़ फ़रमाया है तो क्या बुरा किया है? बाक़ी रही ये चीज़ कि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। शहद की मक्खी में शहद भी है और ज़हर भी। जानवरों में दूध भी है और गोबर भी, और ये इल्मी तजुर्बा है कि भिड़ वग़ैरह काट ले तो उसको वहीं जिस्म पर मसल देने से ज़हर ख़त्म हो जाता है। क्यों न एक सच्चे नबी की बात को सिद्क़ दिल से मान लिया जाये? फ़िदाहु नफ़्सी व रूही.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الصيد والذبائح

शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) शिकार करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म

الأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ

(4268) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता (शिकार के पीछे) छोड़े तो अल्लाह तआला का नाम लेकर छोड़, फिर अगर तू शिकार को इस हाल में पा ले कि कुत्ते ने उसे क़त्ल नहीं किया तो अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़बह कर ले। और अगर शिकार को इस हाल में पाये कि कुत्ता उसे क़त्ल कर चुका है लेकिन उसने कुछ नहीं खाया तो वह शिकार तू खा सकता है क्योंकि उसने इसे तेरे लिये पकड़ा है और अगर तू देखे कि कुत्ते ने उसमें से कुछ खा लिया है तो तू उसमें से कुछ भी न खा क्योंकि कुत्ते ने तो उसे अपने लिये पकड़ा है। और अगर तेरे कुत्ते के साथ और कुत्ते भी मिल जायें, फिर वह मिलकर किसी जानवर को क़त्ल कर दें, फिर ख़्वाह वह उसे न भी खायें तो भी तू उससे कुछ न खा क्योंकि तुझे इल्म नहीं कि उनमें से किस कुत्ते ने उसे क़त्ल किया है।'

أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَ كَلْبَكَ كِلاَبًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ " .

(4268) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1929/7, बुख़ारी: 5484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4774.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब शिकारी कुत्ता शिकार के लिये छोड़ा जाये तो उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ा जाये क्योंकि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का हुक्म है। यही हुक्म तीर और दूसरे आलाते शिकार का है कि उनके ज़रिये से भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही शिकार किया जाये। **(2)** हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि इस तरीक़े से शिकार करना जिसका हदीस शरीफ़ में ज़िक्र है, मुबाह और जायज़ काम है। ये उस लहो लइब की क़िस्म से नहीं जिससे मना किया गया है। अगर शिकार करना ममनूअ होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इसकी क़तअन इजाज़त न देते। **(3)** शौक़िया तौर पर कुत्ते पालना जायज़ नहीं, ताहम बग़र्ज़े शिकार इसकी इजाज़त है। इसी तरह कुत्तों की ख़रीद व फ़रोख़्त वैसे तो ममनूअ है अलबत्ता ऐसे 'सधाये हुये' कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़्त की कुछ फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं। **(4)** सिखलाया हुआ कुत्ता अगर बिस्मिल्लाह पढ़ कर शिकार पर छोड़ा जाये और वह मालिक की ख़ातिर ही शिकार करे और इस बीच में शिकार ज़बह करने से पहले मर जाये तो भी उसको खाना दुरूस्त है। हाँ अलबत्ता शिकार अगर ज़िन्दा हालत में मिल जाये तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़बह करना ज़रूरी है। याद रहे कि शिकारी और तर्बीयत याफ़्ता कुत्ते के झूठे का भी वही हुक्म है जो ग़ैर तर्बीयत याफ़्ता कुत्ते के झूठे का हुक्म है कि वह हराम है। यही वजह है कि शरीयते मुतह्हरा ने उस शिकार के खाने की इजाज़त नहीं दी जिसे कुत्ते ने खाया हो, ख़्वाह थोड़ा सा हिस्सा ही सही। हिकमत इसकी यही मालूम होती है कि उम्मत और मख़्लूक़ के हक़ीक़ी ख़ैरख़्वाह उन्हीं कुत्ते के ज़हरीले जरासीम के ख़तरनाक नताइज से महफ़ूज़ रखना चाहते हैं ..... (ﷺ)..... मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई उर्दू, जिल्द: 1, सफ़ा, 318, 323 तबअ दारुस्सलाम) **(5)** इस हदीस से ज़िम्नन ये मसला भी मालूम हुआ कि अगर एक जानवर को शिकार करने के लिये कुत्ता छोड़ा जाये लेकिन कुत्ता उसके अलावा कोई दूसरा जानवर मालिक की ख़ातिर शिकार कर ले तो उसको खाना भी जायज़ है क्योंकि कुत्ते ने उसे अपने मालिक के लिये शिकार किया है। **(6)** कुत्ते का शिकार जायज़ है मगर उसके लिये दो शर्तें हैं: बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुत्ता छोड़ा जाये और उसके साथ कोई ऐसा कुत्ता शरीक न हो जिसको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो, कुत्ता शिकार के लिये सधाया गया हो, यानी वह शिकार को मालिक के लिये पकड़े न कि अपने लिये, और उसकी निशानी ये है कि वह शिकार को सिर्फ़ पकड़े, खाये न। अगर खा ले तो वह सधाया हुआ शुमार न होगा। कुछ उलमा ने ये भी ज़रूरी क़रार दिया है कि वह कुत्ता शिकार को भंभोड़े कर न मार दे बल्कि दाँत लगाये और जानवर ख़ून निकलने से ख़त्म हो वरना भंभोड़े हुये कुत्ते का शिकार हलाल है, जैसे: मुसलमान, यहूदी, ईसाई। और जिस शख़्स का ज़बीहा हलाल नहीं, उसके छोड़े हुये कुत्ते का शिकार भी हलाल नहीं, जैसे: बुतपरस्त, मजूसी, आतिश परस्त वग़ैरह वल्लाहू आलम!

باب(٢): النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ، مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

बाब : (2) वह जानवर खाना हराम है जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ " . وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " .

(4269) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअराज़ तीर के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जो जानवर तू तीर की नोक से शिकार करे, वह तू खा ले और जो जानवर उसके पहलू से शिकार करे (वह न खा क्योंकि) वह चोट से मरा है।' मैंने आपसे कुत्ते (के शिकार) के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता छोड़े और वह जानवर को जा पकड़े लेकिन ख़ुद न खाये तो तू उसे खा सकता है क्योंकि कुत्ते का पकड़ना भी ज़बह ही है। और अगर तेरे कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता मिल जाये और तुझे ख़तरा हो कि शायद उसके साथ उसने भी पकड़ा और मार दिया है तो तू न खा क्योंकि तूने अपने कुत्ते को छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी है, दूसरे कुत्ते पर नहीं।

(4269) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5475, मुस्लिम, हदीस: 1929/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4775.

फ़ायदा : मिअराज़ एक ख़ास क़िस्म का तीर होता था जिसके न तो पर होते थे न नोक। बस एक छड़ी समझ लीजिये। उसकी चोट से शिकार मर जाता था जबकि तीर के शिकार में ज़रूरी है कि तीर की नोक लगे ताकि जानवर ख़ून निकल कर ख़त्म हो। अगर तीर बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ा गया हो तो ख़ून निकल कर ख़त्म होने की वजह से ये ज़बह के क़ाइम मक़ाम है, लिहाज़ा उसका खाना जायज़ है, अलबत्ता चोट लगे तो फिर ज़बह शर्त है वरना वह जानवर हराम होगा। बन्दूक़ से किये गये शिकार का भी यही हुक्म है।

बाब : (3) सधाये हुये कुत्ते का शिकार

باب(٣): صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

(4270) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं अपना सधाया हुआ कुत्ता शिकार पर छोड़ता हूँ, वह उसे पकड़ ले तो? आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना सधाया हुआ कुत्ता छोड़े और बिस्मिल्लाह भी पढ़े, फिर वह पकड़ ले तो तू खा सकता है।' मैंने कहा: अगरचे वह क़त्ल कर दे? आपने फ़रमाया: 'अगरचे क़त्ल कर दें' मैंने कहा: मैं मिअ़राज़ तीर चलाता हूँ तो फिर? आपने फ़रमाया: 'अगर वह नोक के बल लगे तो तू खा सकता है और अगर वह किसी और जानिब से लगे तो फिर न खा।'

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ . فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَكُلْ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلَ " . قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ . قَالَ " إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ".

(4270) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 5477, मुस्लिम, हदीस: 1929, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4776.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सधाये हुये और तर्बीयत याफ़्ता कुत्ते से शिकार करना जायज़ है, और सधाये और ग़ैर सधाये कुत्तों के शिकार का फ़र्क़ है। इस हदीस से ये मसला भी मालूम हुआ कि तीर और इस क़िस्म की दीगर चीज़ों, जैसे: बन्दूक़ वग़ैरह के ज़रिये से शिकार करना भी जायज़ है, ताहम इसके लिये शर्त ये है कि तीर या बन्दूक़ की गोली शिकार किये जाने वाले परिन्दे या जानवर का ख़ून निकाल दे, उसे महज़ चोट के अन्दाज़ पे न मार डाले, यानी उनके ज़रिये से भी इस तरह से शिकार किया जाये जिस तरह धारदार चीज़ से किया जाता है। अगर तीर या बन्दूक़ वग़ैरह बिस्मिल्लाह पढ़ कर चलाई जाये और शिकार मर जाये तो वह शिकार हलाल है बसूरते दीगर नाजायज़ होगा, ताहम अगर बन्दूक़ चलाते वक़्त शिकारी अल्लाह का नाम लेना भूल जाये तो ऐसी सूरत में उस शिकार को खाना जायज़ होगा क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने इस उम्मत को भूल चूक माफ़ फ़रमा दी है। वल्लाहु आ़लम!

بَابُ: صَيْدِ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

बाब : (4)
उस कुत्ते का शिकार जिसे सधाया न गया हो

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِدْرِيسَ، عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ . فَقَالَ " مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ " .

(4271) हज़रत अबू सअ़लबा खुशनी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम शिकार वाले इलाक़े में रहते हैं। मैं तीर से भी शिकार करता हूँ अपने सधाये हुये और अन सधाये कुत्तो के साथ भी। आपने फ़रमाया: 'जो तू अपने तीर से शिकार करे, उसे खा सकता है बशर्ते कि तूने (छोड़ते वक़्त) बिस्मिल्लाह पढ़ी हो। इसी तरह जो शिकार सधाये हुये कुत्ते से करे, वह भी खा सकता है बशर्ते कि तूने कुत्ता छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी हो, अलबत्ता जो शिकार तू अन सधाये (ग़ैर तर्बीयत याफ़्ता) कुत्ते से करे, अगर उसको अपने हाथ से ज़बह करे, तब खा सकता है।'

(4271) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5488, मुस्लिम, 1930, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4777.

फ़ायदा : ये बाब अन सधाये और ग़ैर तर्बीयत याफ्ता कुत्ते के ज़रिये से किये हुये शिकार के मुताल्लिक़ है, यानी ऐसे शिकार को खाने की बाबत शरीयत का हुक्म क्या है? अन सधाये, कुत्ते के ज़रिये से किया हुआ शिकार मुत्लक़न हराम है न मुत्लक़न हलाल, बल्कि उसमें तफ्सील है कि अगर ऐसे कुत्ते के ज़रिये से किया हुआ शिकार ज़िन्दा हालत में मिल जाये और उसे ज़बह कर लिया जाये तो उसको खाना जायज़ होगा। और अगर शिकार मर चुका हो, ख़्वाह कुत्ते ने उसमें से कुछ भी न खाया हो तो भी उसको खाना हराम है अगरचे कुत्ते को छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम भी लिया गया हो।

باب(٥): إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ

बाब : (5)
अगर कुत्ता शिकार को क़त्ल कर दे तो?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ،

(4272) हज़रत अदी बिन हातिम (ताई) (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كِلاَبِي الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَىَّ فَآكُلُ قَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلْنَ " . قَالَ " مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ " . قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ . قَالَ " إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ " .

रसूल! मैं अपने सधाये हुये कुत्ते शिकार पर छोड़ता हूँ। वह शिकार को मेरे लिये पकड़ कर रखते हैं तो क्या मैं खा सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'जब तू सधाये हुये कुत्ते छोड़े और वह तेरे लिये शिकार पकड़े रखें (ख़ुद न खायें) तू खा ले।' मैंने कहा: अगर वह क़त्ल कर दें तो? आपने फ़रमाया: 'ख़्वाह क़त्ल कर दें, अलबत्ता उनके साथ कोई और कुत्ता शरीक न हो।' मैंने कहा कि मैं मिअ़राज़ तीर फेंकता हूँ जो शिकार को फाड़ देता है? आपने फ़रमाया: 'अगर तीर फाड़ दे तो खा ले लेकिन अगर वह जानवर को नोक की बजाये किसी और जगह से लगे तो न खा।'

(4272) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4778.

بَاب : (٦) إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ

बाब : (6) अगर अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाये जिसको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई तो?

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " .

(4273) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तू अपने (सधाये हुये) कुत्ते को छोड़े, फिर उसके साथ और कुत्ते मिल जायें जिन पर अल्लाह तआ़ला का नाम न लिया गया हो तो उसे न खा क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से किस कुत्ते ने क़त्ल किया है।'

(4273) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4268, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4779.

फ़ायदा : मालूम हुआ अगर उनको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढी गई हो, ख़्वाह किसी दूसरे ने पढ़ी हो तो शिकार हलाल है।

बाब : (7) जब कोई शख़्स अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाये तो?

باب : (٧) إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " .

(4274) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुत्ते के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता छोड़े, बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसका शिकार खा ले। और अगर तू अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाये तो फिर न खा क्योंकि तूने अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी न कि दूसरे पर।'

(4274) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4269, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4780

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، - وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلاً وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ " لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " .

(4275) हज़रत शअबी ने कहा कि हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) जो कि नहरैन शहर में हमारे पड़ौसी थे, मिलने जुलने वाले और अल्लाह लोग (ज़ाहिद) आदमी थे, ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए अकरम (ﷺ) से पूछा कि मैं अपना कुत्ता शिकार पर छोड़ता हूँ, फिर अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाता हूँ। मैं नहीं जानता कि उनमें से किस ने शिकार पकड़ा है? आपने फ़रमाया: 'तो न खा क्योंकि तूने सिर्फ़ अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी न कि दूसरे पर।'

(4275) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1929/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4781.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

(4276) हज़रत शअ़बी बयान करते हैं कि हज़रत अ़दी (ﷻ) से इस क़िस्म की रिवायत आती है।

(4276) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4772, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلاَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي . قَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ " .

(4277) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷻ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं शिकार के लिये अपना कुत्ता छोड़ता हूँ। आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता छोड़े और बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसका शिकार खा सकता है। अगर कुत्ता उसमें से कुछ खा ले तो फिर तू न खा क्योंकि उसने वह शिकार अपने लिये पकड़ा है। और जब तू अपना कुत्ता छोड़े, फिर उसके साथ कोई और कुत्ता पाये तो उसका शिकार न खा क्योंकि तूने सिर्फ़ अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़ी है न कि दूसरे पर।'

(4277) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 175, मुस्लिम: 1929/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4783.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ " لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ "

(4278) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷻ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ, फिर अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता भी पाता हूँ। मैं नहीं जानता कि उनमें से किसने शिकार पकड़ा है? आपने फ़रमाया: ' खा क्योंकि तूने सिर्फ़ अपने कुत्ते पर अल्लाह का नाम लिया है दूसरे पर नहीं।'

(4278) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4784.

बाब : (8)
कुत्ता शिकार से खाना शुरू कर दे तो?

باب(٨): الْكَلْبُ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا، وَعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ " . قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ " .

(4279) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअ़राज़ के तीर के शिकार के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जिसे तीर नोक के बल लगा हो, उसे खा ले और जिसे अ़र्ज़ के बल (या किसी और तरफ़ से) लगा हो, वह चोट से मरने वाला जानवर है।' मैंने आपसे शिकारी कुत्ते के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तू कुत्ता छोड़े और अल्लाह का नाम ले तो उसका शिकार खा ले।' मैंने कहा: अगर वह क़त्ल कर दे? आपने फ़रमाया: 'ख़्वाह वह क़त्ल कर दे। लेकिन अगर वह उसमें से खाने लगे तो फिर न खा। और अगर तू उसके साथ कोई और कुत्ता पाये जबकि जानवर ख़त्म हो चुका हो तो उसे न खा क्योंकि तूने अल्लाह का नाम सिर्फ़ अपने कुत्ते पर लिया है न कि दूसरे कुत्ते पर।'

(4279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4269, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4785.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قَالَ " إِذَا

(4280) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता छोड़े और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर वह क़त्ल भी कर दे लेकिन ख़ुद न खाये तो वह शिकार तू खा ले। और अगर वह खाना शुरू कर दे तो फिर न खा क्योंकि (इससे मालूम होता है कि) उसने शिकार अपने लिये पकड़ा है न कि तेरे लिये।'

أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ " .

(4280) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4268, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4786.

फ़ायदा : 'न कि तेरे लिये' मक़सद ये है कि वह कुत्ता सधाया हुआ नहीं, लिहाज़ा उसका शिकार जायज़ नहीं। हदीस का इस क़द्र तकरार तमाम तफ़्सीलात बताने के लिये है, और ये बताना भी मक़सूद है कि ये हदीस ग़रीब (एक आध सनद वाली) नहीं।

باب(٩): الأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

बाब : (9) कुत्ते क़त्ल करने का हुक्म

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ .

(4281) हज़रत मैमूना (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज़रत जिब्राईल (ﷺ) ने बताया .... लेकिन हम किसी ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। उस दिन आपने सुबह के वक़्त कुत्ते मारने का हुक्म दिया यहाँ तक कि आप छोटे छोटे कुत्ते मारने का भी हुक्म देते थे।

(4281) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4787.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़रूरत पड़ने पर कुत्तों को क़त्ल करना जायज़ है। **(2)** 'दाख़िल नहीं होते' यानी रहमत के फ़रिश्ते वरना कातिब, मुहाफ़िज़ और मौत के फ़रिश्ते तो हर घर में जाते हैं। **(3)** 'तस्वीर' मुराद ज़ी रूह की तस्वीर है, ख़्वाह वह आदमी की हो या हैवान की, मुजस्सम हो या नक़्श व निगार की सूरत में हो या कपड़े पर बनाई गई हो या वह शम्सी तस्वीर हो, ये सब अक़्साम हराम हैं। सही अहादीस की रोशनी में फ़रिश्ते उन घरों में दाख़िल नहीं होते जिनमें तस्वीरें हों। हाँ! सिर्फ़ उन तस्वीरों की रुख़्सत है जो नागुज़ीर मक़ासिद के लिये हों और उनके बग़ैर कोई चारा न हो, जैसे पासपोर्ट, शनाख़ती कार्ड या लाईसेन्स वग़ैरह के लिये उन्हें भी महफ़ूज़ या बन्द मक़ाम में रखा जाये, आवेज़ां न किया जाये। इसी तरह किसी कपड़े पर बनी तसावीर को फाड़ कर बिस्तर या तकिये बना लिये जायें और इस्तेमाल में लाया जाये तो जायज़ है। ब लफ़्ज़े दीगर अगर इस क़िस्म की सूरत में उनकी पामाली होती है तो जायज़ हैं।

(4) 'कुत्ते मारने का हुक्म' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नासन्दीदगी का इज़्हार करते हुये आग़ाज़ में कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया। ये हुक्म आम था जो हर क़िस्म के कुत्ते के क़त्ल को शामिल था, इसलिये किसी क़िस्म के कुत्ते को पालना जायज़ न था, फिर आपने काले कुत्ते के अलावा बाक़ी कुत्तों को क़त्ल से मना फ़रमा दिया और शिकारी, खेती बाड़ी और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ते पालने की इजाज़त दे दी। इन अक़्साम के अलावा तमाम कुत्तों को ज़रूरत के तहत ख़ुसूसन उस वक़्त क़त्ल करना जायज़ है जब वह ज़रर रसां (नुक़्सान देह) भी हों। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا .

(4282) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुस्तस्ना शुदा कुत्तों के अलावा कुत्तों को मारने का हुक्म दिया।

(4282) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3323, मुस्लिम, हदीस: 1570/43, मौता: 2/969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4788.

फ़ायदा : मुस्तस्ना कुत्तों का ज़िक्र आइन्दा हदीस में आ रहा है।

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .

(4283) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बलन्द आवाज़ के साथ कुत्तों के क़त्ल का हुक्म देते सुना, फिर कुत्ते मारे जाते थे मगर शिकारी या जानवरों (और खेतों) की हिफ़ाज़त की ख़ातिर रखे हुये कुत्तों को क़त्ल नहीं किया जाता था।

(4283) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4789.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ .

(4284) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शिकारी और जानवरों (या खेतों) की हिफ़ाज़त के लिये रखे गये कुत्तों के अलावा दूसरे कुत्ते मारने का हुक्म दिया।

(4284) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4790.

बाब : (10) किस क़िस्म के कुत्ते मारने का हुक्म दिया गया था?

باب: (١٠) صِفَةِ الْكِلاَبِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".

(4285) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फ़ल (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये बात न होती कि कुत्ते भी एक मख़्लूक़ हैं तो मैं उन सब के क़त्ल का हुक्म देता। अब तुम ख़ालिस़ स्याह कुत्ते को क़त्ल करो। जो लोग भी ऐसा कुत्ता रखें जो न तो खेती या जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये हो और न शिकार के लिये तो उनकी नेकियों से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी होती रहेगी।'

(4285) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 2845, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4791, तिर्मिज़ी: 1486, 1489.

फ़वाइद व मसाइल : (1) खेती और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये और शिकार करने की ख़ातिर कुत्ता रखा जा सकता है। इस सूरत में इन्सान गुनाहगार नहीं होगा। इसी तरह अशद्द (सख़्त) ज़रूरत की बिना पर घर की रखवाली के लिये भी इसकी इजाज़त हो सकती है। जिसने मज़्कूरा ज़रूरतों के अ़लावा कुत्ता रखा तो वह शख़्स़ बहुत गुनाहगार और निहायत ख़सारे में है, इसलिये कि बिला ज़रूरत कुत्ता रखने वाले शख़्स़ के नेक आ़माल में से रोज़ाना एक क़ीरात वज़न कम कर दिया जाता है। ज़रा सोचिये कि ये किस क़द्र अ़ज़ीम नुक़सान है। (2) इन्सान को नेक आ़माल करके उनकी हिफ़ाज़त करते रहना चाहिए, और ऐसे बुरे आ़माल से गुरेज़ करना चाहिए जिनकी वजह से आ़माले स़ालेहा की बर्बादी लाज़िम आती हो। दूसरे लफ़्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक आ़माल करने और बुरे आ़माल से बचने की तर्ग़ीब भी इस हदीस़ से मालूम होती है। (3) इस हदीस़ में अल्लाह तआ़ला के उस अ़ज़ीम लुत्फ़ व करम की तरफ़ भी इशारा है जो वह अपनी मुअ़ज़्ज़ज़ मख़्लूक़ इन्सान पर फ़रमाता है, यानी जिस चीज़ से लोगों को किसी क़िस्म का फ़ायदा हो सकता है उसे उनके लिये मुबाह और जायज़ फ़रमा देना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अ़ज़ीम (4) इससे ये भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी उम्मत के लिये उनकी मआ़श व मआ़द के तमाम उमूर, जिनके वह मोहताज और ज़रूरतमन्द थे, बयान फ़रमा दिये। (5) इस हदीसे मुबारका से ये उसूल और क़ायदा

मालूम हुआ कि नफ़ा व नुक़सान दोनों की हामिल चीज़ में अगर मसलिहत राजेह हो तो उसे तर्जीह हासिल होगी, यानी मसलिहते राजेह का लिहाज़ रखा जायेगा। तफ़्सील इस इज्माल की ये है कि कुत्ते में नफ़ा व नुक़सान की दोनों सिफ़ात पाई जाती हैं। आम तौर पर इसमें नुक़सान व फ़साद वाली सिफ़त का ग़ल्बा होता है, इसलिये कुत्ता रखने से एहतिराज़ का हुक्म दिया गया है, ताहम जहाँ इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचना राजेह था, वहाँ आम हुक्म से इस्तेसना फ़रमा दिया गया। वल्लाहु आलम **(6)** 'एक मख़्लूक़' अरबी में उम्मतुम मिनल उमम, यानी उम्मतों में से एक उम्मत, के अल्फ़ाज हैं अल्लाह तआला ने किसी मख़्लूक़ को बे फ़ायदा नहीं बनाया, ख़्वाह वह वक़्ती तौर पर किसी के लिये नुक़सानदेह साबित हो मगर मजमूई तौर पर हर मख़्लूक़ इन्सान के लिये बिला वास्ता या बिलवास्ता मुफ़ीद है, जैसे: कुत्ते हिफ़ाज़त का काम देते हैं। शिकार भी करते हैं। कुछ ऐसे मक़ामात होते हैं जहाँ कुत्तों के अलावा शिकार किया ही नहीं जा सकता। और भी बहुत से फ़वाइद हैं जिनको अल्लाह तआला ही जानता है जो ख़ालिक़ व राज़िक़ है, इसलिये किसी भी मख़्लूक़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना हिकमते इलाहिया के मुनाफ़ी है, और ये इन्सानी बक़ा के भी ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा सिर्फ़ मूज़ी को ख़त्म किया जाये, जैसे: बावला कुत्ता, बहुत काटने वाला कुत्ता या आवारा और फ़ालतू कुत्ता वग़ैरह। **(7)** 'ख़ालिस स्याह कुत्ता' ये बहुत डरावना होता है। एक हदीस में यूँ बयान किया गया है कि 'काला कुत्ता शैतान है' जिस तरह बुरे और शरारती इन्सान को शैतान कह दिया जाता है, इसी तरह डरावने और मूज़ी कुत्ते को भी शैतान कहा जा सकता है। शैतान किसी का नाम नहीं बल्कि ये वस्फ़ है जिसमें भी पाया जाये, वह शैतान है। **(8)** 'एक क़ीरात' एक क़ीरात से मुराद किया है? उसमें तफ़्सील है और वह इस तरह कि क़ीरात का इत्लाक़ दो तरह के वज़न पर होता था। एक इन्तेहाई मामूली वज़न पर और दूसरे इन्तेहाई ग़ैर मामूली वज़न पर। मामूली वज़न पर इस तरह कि एक दीनार बीस क़ीरात का होता है, और दीनार साढ़े चार माशे, यानी 4.374 ग्राम का होता है। गोया एक क़ीरात का वजन तक़रीबन 220 मिलीग्राम बनता है। दूसरी क़िस्म का क़ीरात वह है जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उहुद पहाड़ के बराबर क़रार दिया है। इसकी मिक़्दार को अल्लाह तआला ही जानता है। यहाँ इस हदीस में क़ीरात से मुराद कौन सा क़ीरात है? तो उसकी बाबत अहले इल्म की रायें मुख़्तलिफ़ हैं। कुछ अहले इल्म ने इससे मामूली वजन मुराद लिया है जबकि कुछ ने ग़ैर मामूली वज़न। हमारा रुझान पहली राय की तरफ़ है। इसकी एक वजह तो ये है कि शरीयते मुतह्हरा का मिज़ाज़ नर्मी करना है, सख़्ती और शिद्दत नहीं और नर्मी पहली सूरत में है न कि दूसरी में। दूसरी वजह ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुत्लक़न क़ीरात फ़रमाया है, किसी क़िस्म का तअय्युन नहीं किया, ये तो मालूम बात है कि अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व करम और उसकी रहमत, उसके ग़ुस्से और सज़ा से कहीं ज़्यादा वसीअ है, इसलिये सज़ा में तख़्फ़ीफ़ और फ़ज़्ल में तक्सीर वाले ज़ाब्ते की बुनियाद पर भी यही बात राजेह मालूम

होती है कि क़ीरात से मुराद पहली सूरत होगी और यही अर्हमुर्राहिमीन के फ़ज़्ल व करम और उसकी रहमत व मेहरबानी का तक़ाज़ा है। (व रहमी वसिअत कुल्ला शैईन) (अल आराफ़ 7/156) इस सब कुछ के बावजूद हतमी और यक़ीनी तौर पर सिर्फ़ एक बात कही जा सकती है कि अल्लाह ही के इल्म में है कि इस हदीस में क़ीरात से मुराद कौनसा क़ीरात है? बहरहाल एक मोमिन शख़्स को इससे भी बचना चाहिए कि वह किसी ऐसे काम का मुर्तकिब हो कि जिसकी वजह से उसके नेक आमाल में से ज़र्रा भर कमी कर दी जाये। **(9)** 'कमी होती रहेगी' यानी हर रोज़ की हूई नेकियों में से इतनी मिक़्दार ज़ाया होती रहेगी क्योंकि ज़रूरत के बग़ैर कुत्ता घर वालों के लिये भी नुक़सानदेह है और गुज़रने वालों के लिये भी। मज़ीद बरां ये कि कुत्ते में बावला होने के इम्कानात भी होते हैं। ऐसी सूरत में वह लोगों के लिये ख़ौफ़नाक अज़ियत और मौत का सबब भी बनेगा। बहरहाल बे फ़ायदा कुत्ता रखने वाले के लिये ये हदीस बहुत बड़ी वईद है।

बाब : (11) फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिस में (नाजायज़) कुत्ता हो

باب(۱۱): امْتِنَاعِ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَلاَئِكَةُ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ " .

(4286) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर या कुत्ता या जुनबी हो।'

(4286) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4792.

फ़ायदा : बिला ज़रूरत जुनबी रहना भी क़बीह बात है। जब जनाबत तारी हो जाये तो फ़ौरन नहाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर हो तो आइन्दा फ़र्ज़ नमाज़ तक लाज़िमी नहा लेना चाहिए। इससे ज़्यादा ताख़ीर करना गुनाह का मोजिब है। असल यही है कि फ़ौरन नहाये शरई और तबई ऐतबार से यही बेहतर है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي

(4287) हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो।'

طَلْحَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ".

(4287) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3322, मुस्लिम, हदीस: 2106/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4793.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمَ . فَقَالَ " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي " . قَالَ فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ " . قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ قَالَ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .

(4288) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत मैमूना (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) बड़े अफ़्सुर्दा से थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आज सुबह से आपकी हालत अजीब सी महसूस हो रही है। आपने फ़रमाया: 'जिब्राईल (عليه السلام) ने मुझसे आज रात मिलने का वादा किया था लेकिन वह मिले नहीं। अल्लाह की क़सम! उन्होंने कभी मुझसे वादा ख़िलाफ़ी नहीं की।' आप सारा दिन इसी तरह रहे, फिर आपको ख़याल आया कि हमारी बिस्तरों वाली चारपाई के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला बैठा है। आपने हुक्म दिया और उसे निकाल दिया गया, फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से वहाँ कुछ पानी छिड़क दिया। जब शाम हुई तो जिब्राईल (عليه السلام) आपसे मिले। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'आपने तो मुझसे वादा किया था कि गुज़िश्ता रात मुझसे मिलेंगे?' वह कहने लगे: हाँ लेकिन हम किसी ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। उस दिन से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों के क़त्ल का हुक्म दे दिया।

(4288) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2105, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4794.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मसला वाज़ेह है कि रहमत के फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो। लेकिन ये बात ज़रूर याद रहनी चाहिए कि जिस घर में ज़रूरत के हिसाब से कुत्ता रखा जाये

वह इससे मुस्तस्ना है क्योंकि इसकी इजाज़त शारेअ (ﷺ) ने ख़ुद दी है। और आप (ﷺ) का हर काम मन्शा-ए-इलाही के मुताबिक़ ही होता है। 'वमा यन्तिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युय यूहा' (अन नज़्म 53/2,3) (2) इस हदीसे मुबारका से वादा वफ़ा करने की अहमियत भी मालूम होती हैं वादा वफ़ाई ज़रूरी है। जिससे वादा किया जाता है वह, वादे का मुन्तज़िर रहता है। अन्दाज़ा लगाइये एक बार जिब्रईल अमीन (ﷺ) वादे के मुताबिक़ नहीं आये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) सारा दिन परेशान रहे। (3) मालूम हुआ फ़रिश्ते भी क़वानीने इलाही के पाबन्द हैं, और अम्बिया के लिये भी क़ानून बदला नहीं जाता वरना रसूले अकरम (ﷺ) के लिये क़ानून बदल दिया जाता। वल्लाहु आलम!

बाब : (12) जानवरों (की हिफ़ाज़त) के लिये कुत्ता रखने की रुख़सत

الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ إِلاَّ ضَارِيًا أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ" .

(4289) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कुत्ता रखे, उसके सवाब से हर रोज़ दो क़ीरात कम किये जायेंगे, मगर ये कि वह शिकारी हो या जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये रखा गया हो।'

(4289) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5481, मुस्लिम, हदीस: 1574/54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4795.

फ़ायदा : ये तफ़्सीली बहस हदीस: 4485 में गुज़र चुकी है, अलबत्ता वहाँ एक क़ीरात का ज़िक्र था यहाँ दो क़ीरात का ज़िक्र है मुमकिन है कुत्ते, कुत्ते का फ़र्क़ हो, यानी जो ज़्यादा नुक़सानदेह हो, वहाँ दो क़ीरात की कमी होती है और कम नुक़सानदेह पर एक क़ीरात की। या ये भी हो सकता है कि इसका सबब जगह का फ़र्क़ हो, यानी शहरी आबादी में दो क़ीरात और बादिया और खुली जगह में एक क़ीरात वग़ैरह। कुछ लोगों ने इस फ़र्क़ का सबब मदीना और ग़ैर मदीना में कुत्ता रखने को क़रार दिया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ - قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ

(4290) हज़रत साइब बिन यज़ीद बयान करते हैं कि हमारे पास सुफ़ियान बिन अबू ज़ुहैर शनाई(ﷺ) आये और फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ऐसा कुत्ता रखा जो न खेती की हिफ़ाज़त करता हो और न जानवरों की

يَزِيدَ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَائِيُّ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " . قُلْتُ يَا سُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ .

(और न वह शिकारी हो) तो उसके अमल से हर रोज़ एक क़ीरात सवाब कम किया जायेगा।' मैंने कहा: ऐ सुफ़ियान! क्या आपने ये फ़रमान रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, इस मस्जिद के रब की क़सम!

(4290) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1576, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4796.

باب : (١٣)
الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ

बाब : (13)
शिकार के लिये कुत्ता रखने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "

(4291) हज़रत इब्ने उमर (رضی الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स शिकार या जानवरों के लिये कुत्ते के अलावा कुत्ता रखे तो उसके सवाब से हर रोज़ दो क़ीरात कम किये जायेंगे।'

(4291) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5482, मुस्लिम, हदीस: 1574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4797.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " .

(4292) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत इब्ने उमर (رضی الله عنه)) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने शिकार या जानवरों (और खेती) के कुत्ते के अलावा कुत्ता रखा, उसके सवाब से हर रोज़ दो क़ीरात कम किये जायेंगे।'

(4292) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4798.

बाब : (14) खेती की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता रखने की रुख़्सत

باب : (۱۴) الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " .

(4293) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने कुत्ता रखा जो न शिकारी हो और न जानवरों या खेती की हिफ़ाज़त के लिये हो तो उसके स़वाब से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी होती रहेगी।'

(4293) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 4285, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 479.

फ़ायदा : मुमकिन है नेकियों में कमी या तो लोगों की तकलीफ़ की बिना पर हो या फ़रिश्तों के घर में दाख़िल न होने की वजह से क्योंकि फ़रिश्तों की आमद से अहले ख़ाना में नेकियों का रुझान पैदा होता है। या शरई हुक्म की नाफ़रमानी की वजह से, या इसलिये कि वह कुत्ता घर के बर्तनों में मुँह मारता रहे और स़ाहिबे ख़ाना को पता न चले वग़ैरह। अल मुख़्तस़र इसकी वजह अल्लाह ही बेहतर जानता है कोई क़तई बात नहीं कही जा सकती।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " .

(4294) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने शिकार या खेती या जानवरों के कुत्ते के अलावा कोई कुत्ता रखा, उसके आमाले स़ालेहा से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी होती रहेगी।'

(4294) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1575, देखें, हदीस़: 4292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4800.

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ أَنْبَأَنَا

(4295) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ऐसा

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ "

कुत्ता रखे जो न शिकारी हो और न जानवरों या खेती की हिफ़ाज़त के लिये हो, उसके सवाब से हर रोज़ दो क़ीरात कम होते रहेंगे।'

(4295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4801.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ " .

(4296) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने जानवरों की हिफ़ाज़त या शिकार करने वाले कुत्ते के अलावा कुत्ता रखा, उसके नेक आमाल से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी की जायेगी।' हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने ये अल्फ़ाज़ भी बयान फ़रमाये कि खेती की हिफ़ाज़त वाला कुत्ता भी रख सकता है।

(4296) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1574/53, देखें, हदीस: 4252, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4802.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शिकार के कुत्ते से मुराद वह कुत्ता है जो अमलन शिकार के लिये इस्तेमाल हो, यानी उसके साथ शिकार किया जाये न कि वह सिर्फ़ शिकारी नस्ल से हो जैसा कि आज कल समझा जाता है। शरअन हर वह कुत्ता शिकारी हो सकता है जिसे शिकार की तर्बीयत व तालीम दी जाये। ये बात बहरसूरत याद रहनी चाहिए कि जिस शिकार की तर्बीयत दे कर कुत्ते को सधाना है, वह शौक़िया ख़िंज़ीर वग़ैरह का शिकार नहीं बल्कि हलाल जानवरों का शिकार है। **(2)** दौड़ के लिये कुत्ता रखना भी गुनाह है क्योंकि अल्लाह तआला ने कुत्ते को दौड़ने के लिये पैदा नहीं किया। कुत्ते के दौड़ने से बनी नोअ इन्सान को कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होता। **(3)** खेती की हिफ़ाज़त करने वाला कुत्ता खेत में ही रहना चाहिए। इसी तरह जानवरों की हिफ़ाज़त करने वाला कुत्ता भी जानवरों ही में रहे घर में उनका कोई काम नहीं। शिकार वाला कुत्ता भी मुमकिन हद तक घर से बाहर ही रखा जाये तो बेहतर है। वल्लाहु आलम!

बाब : (15)
कुत्ते की क़ीमत (लेने देने) की मुमानिअत

باب(١٥): النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

(4297) हज़रत अबू मसऊद उक़्बा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की उजरत और काहिन की शीरीनी (नज़्रो न्याज़) से मना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

(4297) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2237, मुस्लिम, हदीस: 1567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4803.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़्त मना है, ख़्वाह उसका रखना जायज़ हो या नाजायज़, और यही बात सही है क्योंकि कुत्ता ख़रीदने या बेचने वाली चीज़ नहीं कि उसको कमाई का ज़रिया बनाया जाये, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़्त को जायज़ समझते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा उठाना जायज़ है। चूंकि हर कुत्ते से शिकार और हिफ़ाज़त का काम लिया जा सकता है, लिहाज़ा हर कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है, ख़्वाह वह सधाया हुआ हो या न जबकि कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक शिकार करने वाले कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है, आम की नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) की बात सरीह हदीस के मुक़ाबले में क़ाबिले तस्लीम नहीं। वह इस हदीस को उस दौर से मुताल्लिक़ बताते हैं जब आपने कुत्ते मारने का हुक्म दिया था। गोया ये वक़्ती पाबन्दी थी। लेकिन ये सिर्फ़ एक एहतिमाल है जिसकी कोई दलील नहीं। **(2)** 'ज़ानिया की उजरत' चूंकि ज़िना जुर्म है, लिहाज़ा उसकी उजरत भी हराम है और ये मुत्तफ़क़ा बात है। **(3)** 'काहिन की नज़्रो न्याज़' काहिन से मुराद ग़ैब की ख़बरें बतलाने वाला है। इन लोगों के जिन्नात व शयातीन से रवाबित होते हैं, लिहाज़ा ये लोगों को गुमराह करते हैं। चूंकि ये काम मना है, इसलिये इस पर मिलने वाली चीज़ भी मना है। शरीयते इस्लामिया में न किसी से ग़ैब की ख़बरें पूछना जायज़ है और न बताना क्योंकि जिन्नात व शयातीन एक सच के साथ कई झूठ भी बोलते हैं, लिहाज़ा उनकी बात का यक़ीन नहीं किया जा सकता।

(4298) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कुत्ते की क़ीमत, काहिन की नज़्रो न्याज़ और ज़ानिया की

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ

اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ " .

उजरत हलाल नहीं।'

(4298) **तख़रीज : (सनद हसन)** अबू दाऊद, हदीस: 3484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4804.

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " .

(4299) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ानिया की उजरत, कुत्ते की क़ीमत और हज्जाम की कमाई बहुत बुरी कमाई है।'

(4299) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1568, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4805.

फ़ायदा : 'हजाम' उस दौर में सींगी लगाने वाले को हज्जाम कहते थे। चूंकि सींगी लगाने वाले को गंदा ख़ून चूसना पड़ता है, इसलिये आपने इस पेशे को कमाई के लिये मुनासिब ख़्याल नहीं फ़रमाया। कमाई के लिये कोई अच्छा पेशा इख़्तियार किया जाये। हाँ, हमदर्दी के तौर पर सींगी लगाये तो मुफ़्त लगाये ताकि सवाब हासिल हो। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हज्जाम की उजरत मकरूहे तन्ज़ीही है, हराम नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद सींगी लगाने वाले को उजरत दी है। अगर हराम होती तो आप न देते। किसी मसले का फ़ैसला करते वक़्त मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात को देखना ज़रूरी है न कि किसी एक को देख कर हुक्म लगाना दुरूस्त है।

باب(١٦): الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

बाब : (16) शिकारी कुत्ते की क़ीमत (लेने देने) की रुख़सत

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ

(4300) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिल्ली और कुत्ते की क़ीमत से मना फ़रमाया है मगर शिकारी कुत्ते की क़ीमत ली जा सकती है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हज्जाज की हम्माद बिन सलमा से मरवी

صَيْدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ .

(बयानकर्दा) रिवायत सही नहीं।

(4300) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बैहक़ी: 6/6, 7, दारक़ुतनी: 3/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4806, देखें, हदीस: 594, मुस्लिम, हदीस: 1569/42.

फ़ायदा : इमाम साहिब की बात की ताईद दूसरे मुहद्दिसीन ने भी की है क्योंकि ये रिवायत शिकारी कुत्ते के इस्तिस्ना के बग़ैर सही सनदों के साथ आती है। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है मगर शिकारी कुत्ते का इस्तिस्ना मज़्कूर नहीं। इस रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'बिला शुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की उजरत और काहिन की शीरीनी (नज़्र व न्याज़) से मना किया है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1567)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا . قَالَ " مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلاَبُكَ فَكُلْ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلْنَ " . قَالَ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي . قَالَ " مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ " . قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَىَّ قَالَ " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ " . يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ . قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4301) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ)) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास सधाये हुये कुत्ते हैं। मुझे उनके बारे में बताइये? आपने फ़रमाया: 'जो जानवर वह तेरे लिये पकड़ रखें, तू खा सकता है।' मैंने कहा: अगरचे वह उसे क़त्ल कर दें? आपने फ़रमाया: 'ख़्वाह वह उसे क़त्ल कर दें।' उस आदमी ने कहा: मुझे मेरे तीर कमान के बारे में बताइये? आपने फ़रमाया: 'तेरा तीर जो कुछ शिकार करे, वह तू खा सकता है।' उसने फ़रमाया: 'अगरचे वह तुझसे ग़ाइब हो जाये? आपने फ़रमाया: 'अगरचे वह तुझसे ग़ाइब हो जाये। जब तक तू उसमें अपने तीर के अलावा किसी और तीर का निशान न पाये या वह बदबूदार न हो जाये।'

इब्ने सवाअ ने कहा: मैंने ये हदीस (जिस तरह सईद के वास्ते से सुनी है, उसी तरह वास्ते के बग़ैर, बराहे रास्त भी) अबू मालिक उबैदुल्लाह बिन अख़नस से सुनी है।

(4301) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4807.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सिखाये और सधाये हुये कुत्ते से शिकार करना दुरुस्त है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि जो शिकार कुत्ते ने मालिक के लिये पकड़ा हो और उसे मार डाला हो लेकिन ख़ुद उसमें से न खाया हो तो शिकारी कुत्ते का मारा हुआ जानवर खाया जा सकता है अगरचे उसे ज़बह न किया जा सका हो बल्कि वह ज़बह किये जाने से पहले ही मर गया हो, अलबत्ता इसमें ये शर्त ज़रूरी है कि कुत्ता छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो। (3) ये हदीस़ तीर के साथ किये हुये शिकार और उसके अलावा आलाते शिकार के ज़रिये से किये हुये शिकार की हिल्लत पर दलालत करती है बशर्ते कि शिकार उस आल-ए-शिकार की धार से क़त्ल हुआ हो न कि उसकी चोट से। मज़ीद बरां ये भी ज़रूरी है कि तीर वग़ैरह चलाते वक़्त अल्लाह का नाम भी लिया गया हो जैसा कि पहले भी इसका ज़िक्र किया जा चुका है। (4) अगर शिकारी शख़्स अपने ज़ख़्मी शिकार को चन्द दिन बाद मुर्दा हालत में पाता है जबकि उसमें अभी बू पैदा न हुई हो तो वह उसे खा सकता है, अलबत्ता उसके लिये ये ज़रूरी है कि उस शिकार को किसी और शिकारी ने ज़ख़्मी न किया हो। ये इसलिये कि इस सूरत में ये बात मालूम ही नहीं हो सकती कि दूसरे शिकारी ने तीर वग़ैरह छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम लिया था या नहीं, लिहाज़ा ऐसे शिकार को खाना, जो मशकूक हो, किस तरह जायज़ हो सकता है? (5) 'ग़ाइब हो जाये' यानी तीर खाने के बाद वह जानवर भाग जाये और फिर किसी और जगह बेजान मिले तो क्या उसे खाया जा सकता है? (6) 'बदबूदार न हो जाये' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि बदबूदार हो जाये तो उसे नहीं खाया जा सकता, हालांकि बदबू किसी जानवर या गोश्त को हराम नहीं करती लेकिन चूंकि बदबूदार चीज़ में तबई तौर पर मफ़ासिद पैदा हो जाते हैं, लिहाज़ा उसे खाना मुनासिब नहीं, सिवाए अशद्द ज़रूरत के ऐसी चीज़ इस्तेमाल न की जाये। (7) इस हदीस़ का मुताल्लिक़ा बाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता अस़ल किताब से ताल्लुक़ है। मुमकिन है ये बात ज़िम्नन हो। वल्लाहु आलम!

बाब : (17)
घरेलू जानवर वहशी बन जाये (जंगली जानवर की तरह भाग जाये) तो?

باب : (١٧)
الإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ

(4302) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने फ़रमाया कि हम एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तिहामा के ज़ुल्हुलैफ़ा में थे। लोगों को कुछ ऊँट और बकरियाँ मिलीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों के आख़िर में थे। लश्कर के इब्तेदाई लोगों ने जल्दी करते हुये उन जानवरों को ज़बह किया और

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا".

हाण्डियाँ (या देगें) चढ़ा दीं। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास पहुँचे तो आपने हुक्म दिया कि देगें उलट दी जायें, फिर आपने ग़नीमत उनमें तक़्सीम फ़रमाई और दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर क़रार दिया। इस दौरान में एक ऊँट भाग खड़ा हुआ। लोगों के पास ख़ाल ख़ाल घोड़े थे। लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह क़ाबू न आ सका। एक आदमी ने उसको तीर मारा तो वह रुक गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उन घरेलू जानवरों में भी कुछ कभी कभी वहशी बन जाते (जंगी जानवरों की तरह इन्सानों से भागने लगते) हैं, लिहाज़ा अगर कोई जानवर क़ाबू न आये तो तुम उससे यही सुलूक करो।'

(4302) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1968/22, बुख़ारी, हदीस: 2488, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4809.

फ़वाइद व मसाइल : (1) घरेलू जानवर जब वहशी बन जाये और इन्सानों से मुतनफ़्फ़िर होकर भाग खड़ा हो तो उस पर वहशी (जंगली) जानवर वाला हुक्म लगेगा। ऐसी सूरत में जब इस क़िस्म के जानवर पर क़ाबू पाना और उसे ज़बह करना मुमकिन न हो तो उसे ख़ुश्की के शिकार की तरह ज़ख़्मी किया जा सकत है। फिर ज़बह करने से पहले मर जाने की सूरत में उस पर जंगली शिकारी जानवरों वाला हुक्म ही लागू होगा, यानी ज़ख़्मी होने के बाद ज़िन्दा क़ाबू आने की सूरत में उसे ज़बह करना ज़रूरी होगा जबकि उससे पहले मर जाने की सूरत में, अगर उसे अल्लाह का नाम लेकर तीर या गोली वग़ैरह मारी गई हो तो वह हलाल समझा जायेगा और उसका गोश्त खाना दुरुस्त होगा। जुम्हूर अहले इल्म का यही क़ौल है। वल्लाहु आलम! **(2)** मुश्तरका माल में, इजाज़त के बग़ैर इन्फ़िरादी और शख़्सी तसर्रुफ़ नाजायज़ है अगरचे वह माल थोड़ा ही हो, ख़्वाह ज़रूरत का तक़ाज़ा यही क्यों न हो। **(3)** ये हदीस सहाब-ए-किराम (ﷺ) के कमाल दर्जे की इताअत रसूलुल्लाह (ﷺ) की वाज़ेह दलील है कि सख़्त भूखे होने के बावजूद उन्होंने उबलती हाण्डियाँ उलटा दीं लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के हुक्म से सरमू इन्हिराफ़ नहीं किया। **(4)** शरई मसलिहत का तक़ाज़ा हो तो हाकिमे वक़्त रिआया को सज़ा दे

सकता है, ख़्वाह इस सूरत में माल ज़ाया ही क्यों न होता हो लेकिन शर्त ये है कि शरई मसलिहत ही ग़ालिब हो। महज़ अपनी अना की तस्कीन के लिये सज़ा देना मक़सूद न हो। **(5)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि मख़्लूत और मिले जुले माले ग़नीमत में हर चीज़ की अलग अलग तक़्सीम ज़रूरी नहीं बल्कि तादील व तक़वीम (मुख़्तलिफ़ चीज़ों में कमी बेशी करके उन्हें क़ीमतन एक दूसरे के बराबर क़रार देना) भी जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर क़रार दिया था। **(6)** उसूल ये है कि घरेलू जानवरों को क़ाबू करके हल्क़ से ज़बह किया जाये। छोटे जानवरों को लिटा कर ज़बह किया जाये और ऊँट को खड़ा करके उसका बायाँ घुटना बाँध कर उसके हल्क़ में छुरी की नोक या नेज़ा वग़ैरह मार कर उसे नहर किया जाये। घरेलू जानवरों को शिकार की तरह तीर मार कर ज़बह नहीं करना चाहिए, अलबत्ता जंगली जानवर चूंकि इन्सानों के क़ाबू में नहीं आते, लिहाज़ा उनके लिये यही तरीक़ा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीर फेंका जाये, जहाँ भी जा लगे। जब वह ख़ून निकलने से कमज़ोर हो जाये तो उसको पकड़ ले और ज़बह कर ले लेकिन अगर वह उसी तीर से बेजान हो जाये तब भी कोई हर्ज नहीं। **(7)** 'तिहामा का ज़ुल्हुलैफ़ा' इशारा है कि यहाँ वह ज़ुल्हुलैफ़ा मुराद नहीं जो मदीना का मीक़ात है और जहाँ एहराम बाँधा जाता है। बल्कि ये और ज़ुल्हुलैफ़ा है। **(8)** 'ज़बह किया' नबी (ﷺ) की इजाज़त के बग़ैर, हालांकि माले ग़नीमत अमीर की मारफ़त तक़्सीम होना चाहिए। **(9)** 'दस बकरियाँ' मालूम हुआ दस बकरियाँ एक ऊँट के बराबर हैं, लिहाज़ा ऊँट की क़ुर्बानी में दस अफ़राद शरीक हो सकते हैं। **(10)** 'ख़ाल ख़ाल घोड़े थे' यानी ऊँट का तआक़ुब करने और उसे पकड़ने के लिये घोड़े मुहैया न हो सके। और घोड़ों के बग़ैर उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। **(11)** 'भागने लगते हैं' यानी वहशत महसूस करते हैं। अरबी में लफ़्ज़ अवाबिद इस्तेमाल हुआ है जो आबिदा की जमा है। इसके मआनी ग़ैर मानूस, वहशी, बिदकने और भागने वाले जानवर के हैं। चूंकि जंगली जानवर इन्सान से ग़ैर मानूस होते हैं और देखते ही भागते हैं, इसलिये उन्हें अवाबिद कहा जाता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (18)
कोई शख़्स शिकार पर तीर चलाये और वह पानी में गिर जाये तो?

باب : (١٨)
فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ

(4303) हज़रत अदी बिन हातिम (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा तो आपने इरशाद फ़रमाया: 'जब तू तीर चलाये तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अगर वह तीर

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ " إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ وَلاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ " .

जानवर को क़त्ल भी कर दे तो भी खा ले मगर ये कि तू उसे पानी में गिरा हुआ पाये। तुझे क्या इल्म कि उसे पानी ने मारा है या तेरे तीर ने?'

(4303) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1929/7, बुख़ारी, हदीस: 5484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4810

फ़ायदा : किसी ज़ख़्मी जानवर या परिन्दे के महज़ पानी में गिरने से वह शिकार हराम नहीं हो जाता बल्कि हराम उस सूरत में होगा जब पानी में गिरने ही से उसकी मौत वाक़ेअ हुई हो। अगर पानी में इस अन्दाज़ में गिरे कि उसे ज़िन्दा हालत में पा लिया जाये तो उसे ज़बह करके खाना दुरुस्त है। मतलब ये है कि पानी के अन्दर डूब कर न मरा हो।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ " . قَالَ فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَىْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ " .

(4304) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तू बिस्मिल्लाह पढ़ कर अपना तीर चलाये या कुत्ता छोड़े और तेरा तीर (शिकार को) क़त्ल कर दे तो तू शिकार खा सकता है।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर वह शिकार मुझसे एक रात तक ग़ाइब रहा तो? आपने फ़रमाया: 'अगर तू उस जानवर में अपना तीर पा ले और उसके अलावा किसी और ज़ख़्म का निशान न हो तो उसे खा सकता है, अलबत्ता अगर वह पानी में गिर गया (और मर गया) हो तो उसे मत खा।'

(4304) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4811.

बाब : (19) जो शख़्स जानवर को तीर मारे, फिर वह उससे ग़ाइब हो जाये तो?

باب : (١٩) فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ فَيَبْتَغِي الأَثَرَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ . قَالَ " إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ " .

(4305) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हम शिकारी लोग हैं। कभी हममें से कोई शख़्स शिकार पर तीर चलाता है और वह (शिकार) उससे एक दो रातें ग़ाइब रहता है। शिकारी उसकी खोज लगाता हुआ पहुँचता है तो उसे बेजान पाता है जबकि उसका तीर उसमें पेवस्त होता है? आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना तीर उसमें लगा हुआ पहचान ले और जानवर में किसी दरिन्दे के ज़ख़्म लगाने का कोई निशान न हो और तुझे यक़ीन हो कि तेरे तीर ही ने उसे क़त्ल किया है तो तू उसे खा सकता है।'

(4305) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1468, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4812.

फ़ायदा : अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वह बदबूदार न हो चुका हो और न किसी दरिन्दे ने उसे खाया हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ" .

(4306) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू अपना तीर उसमें लगा हुआ पहचान ले और कोई दूसरा निशान उसमें न हो और तुझे यक़ीन हो कि तेरे तीर ही ने उसे क़त्ल किया है तो तू उसे खा सकता है।'

(4306) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4813.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ

(4307) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ . قَالَ " إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ ".

शिकार को तीर मारता हूँ, फिर उसका खोज लगाते हुये एक रात के बाद उसे पाता हूँ (तो क्या करूँ?) आपने फ़रमाया: 'जब तू उसमें अपना तीर पहचान ले। तो उसे खा सकता है बशर्ते कि किसी दरिन्दे ने उसमें से कुछ न खाया हो।'

(4307) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4814.

باب(٢٠): الصَّيْدِ إِذَا أَنْتَنَ

बाब : (20) शिकार बदबूदार हो जाये तो?

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَّلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ .

(4308) हज़रत अबू सअ्लबा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने शिकार को तीन दिन बाद भी पा ले तो उसे खा सकता है मगर ये कि वह बदबूदार हो जाये।'

(4308) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1931/10, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4815.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلاَ أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأُذَكِّيهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا . قَالَ " أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4309) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ, वह किसी शिकार को पकड़ लेता है लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिसके साथ उसे ज़बह कर सकूँ तो मैं किसी तेज़ धार पत्थर या लकड़ी से उसे ज़बह कर लेता हूँ (तो क्या ये दुरुस्त है)? आपने फ़रमाया: 'ख़ून बहा जिस चीज़ से भी सके। (और ज़बह करते वक़्त) अल्लाह तआला का नाम ले।'

(4309) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4816, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 4/240.

फ़ायदा : 'ख़ून बहा' जानवर के ज़बह होने के लिये ख़ून का मुकम्मल बह जाना ज़रूरी है, चाहे किसी चीज़ से बहाया जाये, यानी लोहा, पत्थर, लकड़ी वग़ैरह। मगर उसका तेज़धार होना लाज़िमी है ताकि जानवर को नाजायज़ तकलीफ़ न हो, और जानवर को चोट न लगे, दबाव न पड़े वरना जानवर चोट या दबाव से भी ख़त्म हो सकता है या मुकम्मल ख़ून बहने से रुक सकता है। इस तरह जानवर हराम हो जायेगा। इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता किताबुस्सैद से ताल्लुक़ है। सुनन नसाई में ऐसे बहुत है। क्यों? वल्लाहु आलम! मुमकिन है किसी नासिख़ की ग़लती हो या लफ़्ज़े बाब छूट गया हो। कोई और वजह भी हो सकती है।

बाब : (21) मिअ़राज़ तीर का शिकार

باب(٢١): صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

(4310) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सधाये हुये कुत्ते शिकार पर छोड़ता हूँ और वह उसे मेरे लिये पकड़ रखते हैं तो क्या मैं उसे खा लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'जब तू सधाये हुये कुत्ते अल्लाह का नाम लेकर छोड़े और वह शिकार को तेरे लिये पकड़ रखें (ख़ुद न खायें) तो तू उसे खा सकता है।' मैंने कहा: ख़्वाह उसे क़त्ल कर दें? आपने फ़रमाया: 'ख़्वाह क़त्ल कर दें बशर्ते कि उनके साथ कोई और कुत्ता शरीक न हो।' मैंने कहा: मैं मिअ़राज़ तीर फ़ेंकता हूँ और कोई जानवर शिकार करता हूँ तो क्या उसे खा सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'जब तू मिअ़राज़ तीर फेंके और बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर वह तीर शिकार को नोक के साथ फाड़े तो उसे खा सकता है। और अगर वह तीर चौड़ाई के बल जाकर लगे तो फिर उसे न खा।'

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَىَّ فَآكُلُ مِنْهُ قَالَ " إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ - يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ - وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ " . قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ " وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا " . قُلْتُ وَإِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ فَآكُلُ قَالَ " إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ " .

(4310) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 4270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4817.

مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

बाब : (22) जिस जानवर को मिअ़राज़ तीर अ़र्ज़ के बल लगे?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ " .

(4311) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ؓ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअ़राज़ तीर के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब वह जानवर को नोक के बल लगे तो उसे खा सकता है और जब वह अ़र्ज़ के बल लगे और जानवर को क़त्ल कर दे तो वह चोट से मरा है। उसे मत खा।'

(4311) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1929/3, बुख़ारी, हदीस: 2054, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4818.

مَا أَصَابَ بِحَدٍّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

बाब : (23) जिस जानवर को मिअ़राज़ की नोक लगे?

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ " .

(4312) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ؓ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअ़राज़ के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब वह नोक के बल लगे तो तू शिकार खा ले और जब अ़र्ज़ के बल लगे तो मत खा।'

(4312) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4819.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ

(4313) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ؓ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिअ़राज़ के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जिस जानवर को तू उसकी नोक से शिकार करे, उसे तो खा ले और जिस जानवर को वह अ़र्ज़ के बल लगे, वह चोट से मरने वाला जानवर है।'

فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ " .

(4313) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4269, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8420.

بَاب (٢٤): اتِّبَاعُ الصَّيْدِ

बाब : (24) शिकार के पीछे चलते जाना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ " . وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى .

(4314) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सहरा में रहेगा, सख़्त तबीयत हो जायेगा। और जो शख़्स शिकार के पीछे लग गया, वह (हर चीज़ से) ग़ाफ़िल हो गया। और जो शख़्स बादशाह का दुम दल्ला बना, वह आज़माइश में पड़ गया।' अल्फ़ाज़ इब्ने मुसन्ना के हैं।

(4314) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2256, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4821, अबी दाऊद: 2859.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से बादिया नशीनी और सहरा नशीनी की मज़म्मत का पहलू निकलता है, और इस तरह कि ऐसा शख़्स ज़्यादा तर अहले इल्म की मज्लिस से दूर ही रहता है, इसी तरह वह अख़्लाक़े फ़ाज़िला से भी दूर होता है। मज़ीद बरां ये भी कि सहरा नशीन शख़्स जुमा व जमाअत और इस क़िस्म की दीगर ख़ैरो बरकात और फ़हमे दीन की मजालिस व महाफ़िल से भी अक्सर व बेश्तर अलग थलग रहता है। **(2)** शरअन एक हद तक शिकार करने की इजाज़त है, ताहम ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले की वज़ाहत भी करती है कि किसी इन्सान का महज़ शिकार का होकर रह जाना इन्तेहाई मज़मूम है, इसलिये कि ऐसा शख़्स अपने दीनी और दुनियावी वाजिबात व फ़राइज़ से ग़ाफ़िल हो जाता है। शिकार के लिये जाना बिल्कुल ममनूअ नहीं। अगर शिकार ममनूअ होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत अदी बिन हातिम और अबू सअ्लबा ख़ुशनी (ﷺ) को इसकी इजाज़त न देते। अल मुख़्तसर ऐतदाल में रहते हुये शिकार करना दुरुस्त है, इफ़रात व तफ़रीत का शिकार नहीं होना चाहिए। **(3)** हदीसे मज़्कूर से हुक्मरानों और साहिबे इख़्तियार व इक़्तेदार लोगों की कासा लैसी करने और उनके दरवाज़ों पर हाज़िरी देने की मज़म्मत ज़ाहिर होती है। ये हक़ीक़त बिलकुल वाज़ेह है कि मुलूक व सलातीन का क़ुर्ब अच्छे भले इन्सान को फ़ित्नों में मुब्तला कर देता है। ये फ़ित्ने कई

तरह के हो सकते हैं जिस्मानी भी और रूहानी भी। जिस्मानी फ़ित्ने तो इस तरह हो सकते हैं कि हुक्मरानों की हाँ में हाँ न मिलाने की वजह से और उनके इख़्तियार कर्दा मुन्करात व फ़वाहिश का इन्कार करने से जिस्मानी सज़ायें भुगतना पड़ सकती हैं जैसा कि दुनियादार, नफ़्स परस्त बादशाहों और अस्हाबे इक़्तेदार की तारीख़ इस हक़ीक़त की गवाही है। जबकि इसके बरअक्स उनके दीन को ख़तरा होता है, यानी हुक्मरानों की मुवाफ़िक़त करने से या उनके बेराह रवी और मुन्करात पर ख़ामोश रहने से दीन से हाथ धोने पड़ते हैं। **(4)** 'वह ग़ाफ़िल हो गया' क्योंकि शिकार पता नहीं कहाँ कहाँ भागता फिरे। एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे से तीसरे में और इसी तरह, लिहाज़ा उसके पीछे पीछे फिरने वाला शख़्स अपने घर बार से दूर हो जायेगा। घरेलू काम पड़े रह जायेंगे। ऐसा शख़्स नमाज़ रोज़े का पाबन्द भी नहीं रह सकता। फिर शिकार मिले या न मिले। गोया वह दुनिया से भी गया और आख़िरत से भी।

बाब : (25)
ख़रगोश (की हिल्लत) का बयान

باب(٢٥): الأَرْنَبِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، - وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ " . قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ " .

(4315) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आराबी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास ख़रगोश भून कर लाया और आपके आगे रख दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाथ न बढ़ाया और न खाया लेकिन आपने लोगों से फ़रमाया कि खायें। आराबी ने भी न खाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तू क्यों नहीं खाता?' उसने कहा: मैं हर महीने से तीन दिन रोज़ा रखता हूँ (आज मेरा रोज़ा है) आपने फ़रमाया: 'अगर तूने नफ़ल रोज़े रखने हों तो चाँदनी रातों के रोज़े रखा कर।'

(4315) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2423.

(4316) हज़रत उमर (ﷺ) ने एक दफ़ा फ़रमाया: क़ाहा के दिन हमारे साथ कौन हाज़िर था? हज़रत अबू ज़र कहने लगे: मैं, वहाँ नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास एक ख़रगोश लाया गया। लाने वाले शख़्स ने ये भी कहा कि मैंने उसे हैज़ आते देखा है। मेरा ख़याल है कि नबी-ए अकरम (ﷺ) ने उसे न खाया, फिर आपने (हाज़िरीन से) कहा: तुम खाओ। वह आदमी कहने लगा: मेरा रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'कैसा रोज़ा?' उसने कहा: हर महीने से तीन रोज़े। आपने फ़रमाया: 'फिर तू चाँदनी रातों तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ के क्यों नहीं रखता?'

(4316) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2428, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4823.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ أَنَا أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى . فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ " كُلُوا " . فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " وَمَا صَوْمُكَ " . قَالَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ . قَالَ " فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'क़ाहा' ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान एक जगह का नाम है। **(2)** 'न खाया' रसूलुल्लाह (ﷺ) बहुत लतीफ़ और हस्सास मिज़ाज वाले थे। हैज़ के ख़ून का नाम सुन कर आपकी लतीफ़ तबअ ने खाना गवारा न फ़रमाया अगरचे हैज़ के ख़ून का जानवर की हिल्लत और हुर्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर जानवर से नजासत ख़ारिज होती है, हलाल हो या हराम। अगर किसी से हैज़ का ख़ून ख़ारिज हो गया तो क्या क़बाहत है? तभी तो आपने दीगर हाज़िरीन को खाने का हुक्म दिया। मालूम हुआ ख़रगोश न हराम है न मकरूह बल्कि मुस्तहब कहा जा सकता है क्योंकि आपने खाने का हुक्म दिया है, बल्कि जब एक शख़्स ने न खाया तो आपने उससे वज़ाहत तलब फ़रमाई। **(3)** 'चाँदनी रातें' गोया इन दिनों का रोज़ा अफ़ज़ल है। क्यों? वल्लाहु आलम! मुमकिन है इन रातों और दिनों में चाँद के कामिल होने की बिना पर तबअे इन्सानी में चुस्ती और निशात कामिल होते हों, जैसे समन्दर। यहाँ ज़िक्र तो रातें हैं मगर मुराद दिन हैं क्योंकि रोज़ा तो दिन का होता है न कि रात का। हाँ इब्तेदा अंधेरे में होती है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامٍ، -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ .

(4317) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि मक़ामे मर्रुज ज़हरान में हम एक ख़रगोश के पीछे भागे। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर अबू तल्हा (ﷺ) के पास आया। उन्होंने उसे ज़बह किया, फिर उसकी चारों टाँगें मुझे देकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। आपने उन्हें क़बूल फ़रमा लिया।

(4317) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2572, मुस्लिम, हदीस: 1953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4824.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़रगोश हलाल है। इमाम इब्ने कुदामा फ़रमाते हैं: 'ख़रगोश मुबाह है। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) ने भी ख़रगोश का गोश्त खाया है। अबू सईद, अता, सईद बिन मुसय्यब, लैस, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, अबू सौर और इब्ने मुन्ज़िर (ﷺ) से ख़रगोश का गोश्त खाने की रुख़्सत मन्क़ूल है। हमें ख़रगोश को हराम क़रार देने वाला एक शख़्स भी मालूम नहीं, हाँ! अम्र बिन आस (ﷺ) से कुछ इख़्तिलाफ़ मन्क़ूल है, लेकिन दीगर ने उनकी मुख़ालिफ़त भी की है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 33/174, 175) **(2)** हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित हुआ कि अगर कई लोग एक शिकार को पकड़ने के लिये इसका पीछा करें तो पकड़े जाने की सूरत में इसको पकड़ने वाला शख़्स ही उसका मालिक होगा, दूसरा शख़्स उसका मालिक नहीं होगा। हाँ, अगर वह सारे लोग ही मुश्तरका तौर पर शिकार कर रहे हों तो वह तमाम उसमें शरीक होंगे और बाहमी रज़ामन्दी से अपना अपना हिस्सा लेंगे। **(3)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि शिकार का हदिया देना और लेना दोनों जायज़ हैं जैसा कि हज़रत अनस (ﷺ) ने शिकार किया हुआ ख़रगोश हदिया किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह हदिया क़बूल फ़रमाया। **(4)** छोटे बच्चे का सर परस्त उसकी मम्लूका चीज़ में, किसी मसलिहत के तहत जायज़ तसर्रुफ़ कर सकता है। सरपरस्त को शरअन ऐसा करने का इख़्तियार हासिल है। हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) ने इसी शरई इख़्तियार के तहत ही हज़रत अनस (ﷺ) के किये हुये शिकार में से कुछ गोश्त रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हदियतन पेश किया और आपने बिला तरद्दुद वह हदिया क़बूल फ़रमा लिया। **(5)** 'मर्रुज ज़हरान' मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन सोलह मील के फ़ासले पर एक मक़ाम है। **(6)** 'अबू तल्हा' ये हज़रत अनस (ﷺ) की वालिदा के दूसरे ख़ाविन्द थे। **(7)** 'चारों टाँगें' हदीस में फ़ख़िज़ैन और वरिकैन का लफ़्ज़ है। फ़ख़िज़ैन रानों को कहते हैं मगर जानवर के फ़ख़िज़ैन अगली टाँगों को कहते हैं। इसी तरह वरिकैन चूतड़ों को कहते हैं मगर जानवर के वरिकैन उसकी पिछली टाँगें होती हैं। **(8)** 'क़बूल फ़रमाया' ये ख़रगोश के हलाल होने की वाज़ेह दलील है।

(4318) हज़रत इब्ने सफ़वान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने दो ख़रगोश शिकार किये लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ न मिल सकी जिससे मैं उन्हें ज़बह कर सकता तो मैंने उन्हें एक तेज़ धार पत्थर से ज़बह कर दिया, फिर मैंने नबी-ए-अकरम(ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आपने मुझे उनके खाने का हुक्म दिया (खाने की इजाज़त दी)

(4318) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1822, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4825, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1069, वल हाकिम.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ، قَالَ أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا .

बाब : (26) साण्डे का बयान

باب(٢٦): الضَّبِّ

वज़ाहत : 'ज़ब्ब' जंगली चूहे के मुशाबेह एक जानवर है लेकिन उससे बड़ा होता है। उसकी मादा को 'ज़ब्बा' कहा जाता है। इसी मुनासिबत से एक क़बीले का नाम भी ज़ब्बा है। मिना के क़रीब वादि-ए ख़ैफ़ में एक पहाड़ को भी 'ज़ब्ब' कहा जाता है। ऊँट के पाँव में एक बीमारी होती है उसका नाम भी 'जब्ब' है। माहिरीने हैवानात ने ज़ब, यानी साण्डे के मुताल्लिक़ बड़ी अजीब व ग़रीब बातें भी की हैं, जैसे: कहा जाता है कि ज़ब्ब (साण्डे) सात सौ बरस ज़िन्दा रहता है, वह पानी नहीं पीता और चालीस दिनों में एक क़तरा पेशाब करता है और इसका कोई दाँत नहीं गिरता। और ये भी कहा जाता है कि साण्डे के दाँत (अलग अलग नहीं होते बल्कि) एक ही क़तअ होते हैं। साण्डे का गोश्त खाने से प्यास ख़त्म हो जाती है। अहले अ़रब के यहाँ ये ज़र्बुल मसल भी मारूफ़ है कि जब किसी शख़्स ने कोई काम न करना हो तो वह कहता है (ला अफ़अ़लु कज़ा हत्ता यरिद अज़्ज़ब्बु) 'मैं ये काम नहीं करूँगा यहाँ तक कि ज़ब्ब पानी (पीने के लिये घाट) पर आये।' ये ज़र्बुल मसल इसलिये बोली जाती है कि साण्डा पानी पीने के लिये घाट, तालाब या चश्मे वग़ैरह पर नहीं आता बल्कि उसे बादे नसीम, ज़मीन की नमी और ठण्डी हवा काफ़ी हो जाती है और उसको पानी पीने की चन्दां ज़रूरत नहीं रहती। सर्दियों में तो साण्डा अपनी बिल से निकलता ही नहीं। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/820)

(4319) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे कि आपसे साण्डे के बारे में पूछा गया। आपने फ़रमाया: 'मैं न तो उसे खाता हूँ न हराम कहता हूँ।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ

عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ " لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " .

(4319) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1790, मौता: 2/968, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4826.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साण्डा हलाल है। हदीस में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ (वला उहर्रिमुहू) इसकी सरीह दलील है। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में मरवी हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) की हदीस इससे भी सरीह है कि उन्होंने ज़ब्ब, यानी साण्डे के मुताल्लिक़ ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! क्या साण्डा हराम है?' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं (साण्डा हराम नहीं) लेकिन ये मेरी क़ौम के इलाक़े में नहीं था, इसलिये मैं इससे (तबई तौर पर) कराहत महसूस करता हूँ।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5391, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1945) **(2)** मालूम हुआ हलाल व तय्यब चीज़ जो तबअन नापसन्द हो उसे खाना ज़रूरी नहीं। इससे इसकी हिल्लत पर कोई असर नहीं पड़ता। तबई लिहाज़ से देखा जाये तो नापसन्द चीज़ खाने से नाख़ूश गवार और मनफ़ी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। **(3)** हदीस में लफ़्ज़ 'ज़ब्ब' इस्तेमाल हुआ है। हमारे यहाँ उमूमन इसके मआनी 'गोह' किये जाते हैं लेकिन जो औसाफ़ ज़ब्ब के बयान किये गये हैं, वह तमाम के तमाम साण्डे में भी पाये जाते हैं, इसलिये दुरुस्त बात यही है कि इससे मुराद साण्डा है, गोह नहीं। वल्लाहु आलम! **(4)** मालूम हुआ जब्ब हराम नहीं वरना आप खाने से मना फ़रमा देते, बल्कि आपके दस्तरख़्वान पर आपके सामने उसे खाया गया। बाक़ी रहा आपका उसे न खाना तो ये आपकी तबअ लतीफ़ का तक़ाज़ा था। आप बहुत सी ऐसी चीज़ों से परहेज़ फ़रमाते थे जो क़तअन हलाल है, जैसे: लहसुन, प्याज़ वग़ैरह। हिल्लत और हुर्मत अलग चीज़ है और तबई कराहत व नापसन्दीदगी अलग चीज़ है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ قَالَ " لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ "

(4320) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! साण्डे के बारे में आपका क्या ख़याल है? आपने फ़रमाया: 'न मैं उसे खाता हूँ न हराम करता हूँ।'

(4320) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4827.

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ

(4321) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक भुना हुआ ज़ब्ब लाया गया और आपको पेश किया गया। आपने उसे खाने के लिये हाथ बढ़ाया कि हाज़िरीन में से किसी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ . فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ قَالَ " لاَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ .

ये ज़ब्ब का गोश्त है। आपने अपना हाथ रोक लिया। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ज़ब्ब हराम है? आपने फ़रमाया: 'नहीं। लेकिन ये मेरी क़ौम के इलाक़े (मेरे वतन) में नहीं पाया जाता, इसलिये मुझे इससे कुछ कराहत सी महसूस होती है।' हज़रत ख़ालिद (ﷺ) ज़ब्ब की तरफ़ बढ़े और उससे खाया जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) देख रहे थे।

(4321) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5391, मुस्लिम, हदीस: 1946/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4828.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी हलाल चीज़ से मुत्लक़न नफ़रत करना या तबीयत को उसका अच्छा न लगना उसकी हुर्मत को लाज़िम नहीं, तफ्सील गुज़िश्ता हदीस के फ़वाइद में देखी जा सकती है। **(2)** किसी चीज़ को हलाल या हराम क़रार देना सिर्फ़ अल्लाह तआला का इख़्तियार है। उसके सिवा कोई शख़्स तबई कराहत या किसी और वजह से किसी हलाल चीज़ को हराम क़रार नहीं दे सकता। **(3)** हदीस में मज़्कूर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी खाने पर ऐब नहीं लगाते थे जबकि इस हदीस में है कि आप (ﷺ) ने नापसन्दीदगी का इज़्हार फ़रमाया है। बज़ाहिर तआरुज़ है, दोनों में क्या तत्बीक़ है? तआरुज़ वाली कोई बात नहीं क्योंकि किसी चीज़ की नापसन्दीदगी और चीज़ है और इस पर ऐब लगाना और है। ऐब लगाना तो ये है कि कोई शख़्स या अहले ख़ाना आपके लिये चीज़ पकायें और आप उस पकी पकाई चीज़ में कीड़े निकालना शुरू कर दें। वग़ैरह **(4)** हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अच्छे लोगों की तबीयतें भी एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ होती हैं जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने साण्डे का गोश्त खाने से कराहत महसूस फ़रमाई जबकि हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) ने उसे खा लिया।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ -

(4322) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा) हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस के यहाँ गया वह मेरी खाला थी रसूल (ﷺ) की ख़िदमत में साण्डे का गोश्त पेश किया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त तक कोई चीज़ नहीं खाते थे जब तक पता न चल जाता कि ये क्या है?

وَهِيَ خَالَتُهُ - فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ - فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ أَلاَ تُخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَأْكُلُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَتَرَكَهُ قَالَ خَالِدٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ " لاَ وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَىَّ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ . وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا

इसलिये एक औरत ने कहा: तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को बता क्यूँ नहीं देते कि ये साण्डे का गोश्त है। आपने आपको बता दिया कि ये साण्डे का गोश्त है। आपने उसे छोड़ दिया। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: क्या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'नहीं। लेकिन ये मेरी क़ौम के इलाक़े (मेरे वतन) में नहीं पाया जाता, इसलिये मुझे इससे कुछ कराहत सी महसूस होती है।' हज़रत ख़ालिद (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया: मैंने बर्तन अपनी तरफ़ खींच लिया और उसे खा लिया जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे (खाते हुये) देख रहे थे।

और (यज़ीद) इब्ने अल असम ने (ये रिवायत अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन) हज़रत मैमूना (رضی اللہ عنہا) को बयान की। और वह (इब्ने असम्म) हज़रत मैमूना की परवरिश में थे।

(4322) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4829.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि किसी शख़्स की बीवी के रिश्तेदार उसके ख़ाविन्द की इजाज़त और रज़ामन्दी से उसके घर आ जा सकते हैं जैसा कि हज़रत ख़ालिद (رضی اللہ عنہ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की रज़ामन्दी और इजाज़त से अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन के घर तशरीफ़ ले गये थे। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई काम होता देख कर ख़ामोश रहें तो वह काम शरअन जायज़ और हुज्जत होता है और ये सिर्फ़ नबी (ﷺ) का मक़ाम व मर्तबा है। उसे मुहद्दिसीने किराम की इस्तेलाह में हदीसे तक़रीरी कहा जाता है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

(4323) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया: मेरी ख़ाला मोहतरमा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पनीर, घी और साण्डे पेश किये। आपने पनीर और घी तो खा लिया लेकिन साण्डे नापसन्द करते हुये

أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

छोड़ दिये (न खाये), अलबत्ता वह आपके दस्तरख़्वान पर खाये गये। अगर ये हराम होते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर न खाये जाते और न आप उनके खाने का हुक्म देते।

(4323) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2575, मुस्लिम, हदीस: 1947, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4830.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ، فَقَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ وَتَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ .

(4324) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से साण्डे (का गोश्त) खाने के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि उम्मे हुफ़ैद (رضي الله عنها) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में घी, पनीर और साण्डे भेजे। आपने घी और पनीर तो खा लिये लेकिन साण्डे नापसन्द करते हुये छोड़ दिये। अगर ये हराम होते तो न आपके दस्तरख़्वान पर खाये जाते और न आप उनके खाने की इजाज़त देते।

(4324) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4831.

फ़ायदा : ये उम्मे हुफ़ैद हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) की हमशीरा थीं। और ये दोनों हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) की ख़ाला थीं। इन रिवायात से साफ़ मालूम होता है कि ज़ब्ब हराम नहीं, अलबत्ता आप इसमें रग़बत नहीं रखते थे।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ

(4325) हज़रत साबित बिन यज़ीद अन्सारी(رضي الله عنه) ने फ़रमाया: हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। लोग एक मन्ज़िल में उतरे तो उन्हें बहुत से साण्डे मिल गये। मैंने एक साण्डा पकड़ा, उसे भूना और नबी-ए-अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में ले आया। आपने एक लकड़ी पकड़ी और उसके साथ

فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَأَخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ عُودًا يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي أَىُّ الدَّوَابِّ هِيَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا - قَالَ - فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا وَلاَ نَهَى .

उसकी उँगलियाँ गिनने लगे, फिर फ़रमाया: 'बनी इस्राईल की एक क़ौम को ज़मीन के जानवरों की शक्ल में मस्ख़ कर दिया गया था। मैं नहीं जानता कि वह कौन से जानवर थे?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों ने तो इसे खा भी लिया है। लेकिन आपने न तो उसके खाने का हुक्म दिया और न (उसके खाने से) रोका।

(4325) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद,: 3795,

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ " إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا " .

(4326) हज़रत साबित बिन वदीआ (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक साण्डा लेकर आया। आप उसे उलट पलट कर देखने लगे, फिर फ़रमाया: 'एक क़ौम की शक्लें बिगाड़ दी गई थीं। मालूम नहीं इसका क्या बना? मुझे मालूम नहीं, शायद ये भी उन्हीं में से हो।'

(4326) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4833.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَقَالَ " إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .

(4327) हज़रत साबित बिन वदीआ (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पासे ज़ब्ब लेकर आया। आपने फ़रमाया: 'एक उम्मत को मस्ख़ कर दिया गया था, (ये उनमें से न हो) वल्लाहु आलम!

(4327) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4834.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब के तहत आने वाली रिवायात से साफ़ साबित हो रहा है कि ज़ब्ब हलाल है। इसे बिला शक व शुब्हा खाया जा सकता है, अलबत्ता आप उससे मालूफ़ नहीं थे, लिहाज़ा आपको तबअ़न अच्छा नहीं लगता था वरना आपके सामने खाया गया, अगर हराम या मकरूह होता तो आप खाने न देते, अलबत्ता आख़री तीन रिवायात से मालूम होता है कि आपको उसके बारे में शक था कि कहीं ये मस्ख़ शुदा नस्ल न हो। लेकिन एक सही रिवायत में आपने फ़रमाया है कि मस्ख़ शुदा नस्ल तीन दिन से ज़्यादा ज़िन्दा नहीं रहती। मालूम होता है, पहले आपको शक था, फिर आपको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बता दिया गया कि ये मस्ख़ शुदा नस्ल नहीं क्योंकि मस्ख़ शुदा नस्ल तीन दिन से ज़्यादा ज़िन्दा नहीं रहती, इसलिये इन रिवायात में ज़िक्रकर्दा शक का ज़ब्ब की हिल्लत (हलाल होने) पर कोई असर नहीं पड़ता, अलबत्ता सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत, जिसकी सनद को हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने हसन क़रार दिया है और शैख़ नासिरूद्दीन अलबानी (رحمه الله) इसे सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा-2390 में लाये हैं। इस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ब्ब खाने से मना फ़रमाया। बिला शुब्हा हिल्लत की रिवायात आला दर्जे की सही और सरीह हैं, इसलिये इस रिवायत को उस दौर पर महमूल किया जायेगा जब आपको उसके बारे में मस्ख़ शुदा नस्ल होने का शक था। इस बिना पर आप (ﷺ) इससे किनाराकश रहे। सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) को इसे खाने का हुक्म दिया न इससे रोका। बाद में जब आपको इसकी हिल्लत से आगाह कर दिया गया तो आपने सराहतन इसे हलाल क़रार दिया, अलबत्ता ख़ुद तबअ़न इसे पसन्द नहीं फ़रमाते थे, इसलिये नहीं खाया। लिहाज़ा मुमानिअ़त और एबाहत व हिल्लत की रिवायात के माबैन तत्बीक़ ही बेहतर है कि मुमानिअ़त व कराहत का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के अव्वल दौर से है जबकि एबाहत व इजाज़त का ताल्लुक़ बाद के दौर से है। हाँ! जो तबअ़न इसे नापसन्द करता हो उसके हक़ में ये कराहत तन्ज़ीह पर महमूल होगी। वल्लाहु आलम! तफ़सील के लिये हवाला-ए-मज़्कूर देखिये। **(2)** आम मुतरजिमीन 'ज़ब्ब' के मआनी 'गोह' करते हैं लेकिन ये क़तअ़न सही नहीं 'ज़ब्ब' साण्डा ही है, गोह या सूस्मार नहीं। अगरचे उनकी शक्ल व सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है। उनमे एक बुनियादी फ़र्क़ ये भी है कि गोह, मेण्डक और छिपकली वग़ैरह खाती है जबकि साण्डा घास खाता है। मज़ीद बरां ये कि गोह जसामत में साण्डे से बड़ी होती है। हदीस़ में साण्डे का गोश्त खाने का ज़िक्र है लेकिन गोह का कोई ज़िक्र नहीं।

बाब : (27) लकड़ बगड़ का बयान | باب(٢٧): الضَّبُعِ

वज़ाहत : अज़्ज़बुअ़ लगड़ बगड़, लगड़बघा, लगड़ भगड़ और लगड़ बग्घा वग़ैरह, ये सारे नाम इसी के हैं। ये ज़ूनाब कुचलियों वाला जानवर है। ये जानवर इन्सानी गोश्त खाने का शौक़ीन होता है, इसलिये ये क़ब्रें उखेड़ कर मदफ़ून लाशों का गोश्त खा जाता है। कुचली वाला जानवर होने के बावजूद उमूमन दरिन्दगी का

मुज़ाहिरा कम ही करता है, अलबत्ता कभी कभार चूहे, ख़रगोश और इसी क़िस्म के छोटे मोटे जानवरों पर हमलावर होकर उन्हें खा जाता है लेकिन ये आदी, यानी चीरफाड़ करने वाला दरिन्दा नहीं है। यही वजह है कि इसकी हिल्लत व हुर्मत के मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। कुछ अहले इल्म इसे हलाल कहते हैं, इसलिये वह इसका गोश्त खाना जायज़ क़रार देते हैं जबकि कुछ लोग इसकी हुर्मत के क़ायल हैं।

सहाब-ए-किराम (ﷺ) में से लगड़ बगड़ को हलाल कहने वालों में हज़रत सअ़द, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के अस्मा-ए-गिरामी मारूफ़ हैं जबकि ताबेईने एज़ाम में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर, इक्रिमा वग़ैरह वह नुमायाँ अस्हाबुल इल्म हैं जो लगड़ बगड़ का गोश्त हलाल क़रार देते हैं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अहले अ़रब हमेशा से लगड़ बगड़ खाते चले आ रहे हैं और वह इसका गोश्त खाने में कोई हर्ज नहीं समझते। इमाम शाफ़ेई और अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) का मौक़िफ़ भी यही है। लगड़ बगड़ को हराम क़रार देने वालों में सरे फ़ेहरिस्त इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी और इमाम मालिक (رحمه الله) हैं, और जलीलुल क़द्र ताबेई जनाब सईद बिन मुसय्यब भी इसे हराम ही कहते हैं। उनका कहना है कि लगड़ बगड़ कुचली वाला जानवर है और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुचली वाले जानवर का गोश्त खाना हराम क़रार दिया है, लिहाज़ा इसका गोश्त खाना भी हराम है। जो सहाब-ए-किराम (ﷺ) और दीगर अहले इल्म हज़रात इसे हलाल कहते हैं उनकी दलील इसी बाब के तहत मरवी हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस़ है। इस हदीस़ में वाज़ेह तौर पर लगड़ बगड़ को शिकार क़रार दिया गया है और उसका गोश्त खाने की इजाज़त ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई है। बज़ाहिर हिल्लत व हुर्मत वाली दोनों हदीसें एक दूसरी के मुख़ालिफ़ हैं लेकिन दरहक़ीक़त इन दोनों हदीस़ों में तत्बीक़ मुमकिन है जिसकी वजह से उनका तज़ाद ख़त्म हो जाता है और अपनी अपनी जगह सही और क़ाबिले अ़मल ठहरती हैं।

तत्बीक़ ये है कि असल क़ानून इसी तरह है कि कुचली वाले दरिन्दे हराम हैं लेकिन शारेअ़ (ﷺ) ने इस आम क़ानून में से लगड़ बगड़ को मुस्तस्ना क़रार दे दिया है, और उसूल भी है कि आम पर ख़ास़ को तक़दीम हासिल होती है लिहाज़ा इसका गोश्त खाना अज़ रू-ए-हदीस़ हलाल है।

दलाइल के ऐतबार से लगड़ बगड़ को हलाल समझने वाले अहले इल्म का मौक़िफ़ ही मज़बूत है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/20-203, व सुनन अबू दाऊद, मुतरजिम, मतबूअ़ दारुस्सलाम: 3/943, 944)

(4328) हज़रत इब्ने अबी अ़म्मार से रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से लगड़ बगड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे इसके

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي

عَمَّارٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا فَقُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ .

खाने को कहा। मैंने कहा: क्या वह शिकार में दाख़िल है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। मैंने कहा: क्या आपने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है। कहने लगे: हाँ?

(4328) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4835.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा (पिछली) हदीस से मालूम हुआ कि लगड़ बगड़ शिकार है, इसलिये मुहरिम शख़्स इसका शिकार करेगा तो उसे इसकी मिस्ल, यानी मेन्ढा बतौर फ़िदया देना पड़ेगा। **(2)** अस्लाफ़ में ये सोच शऊरी तौर पर कारफ़रमा थी कि वह अपने सवाल का मुदल्लल व मुहकम जवाब हासिल करने के लिये दलील ज़रूर तलब किया करते थे जैसाकि इब्ने अबू अम्मार ने हज़रत जाबिर(ﷺ) से पूछा कि आपने ये रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? और उन्होंने फ़रमाया: हा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। **(3)** दलील तलब करना उस आलिम की तौहीन नहीं और न उसे अपनी तौहीन ही समझना चाहिए बल्कि उसे बख़ूशी दलील बयान कर देनी चाहिए।

باب(٢٨): تَحْرِيمِ أَكْلِ السِّبَاعِ

बाब : (28) दरिन्दों को खाना हराम है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ".

(4329) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर कुचली वाला दरिन्दा हराम है।'

(4329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1933, मौता: 2/496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4836.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लगड़ बगड़ के अलावा बाक़ी तमाम दरिन्दों का यही हुक्म है। लगड़ बगड़ को ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस आम हुक्म से मुस्तस्ना फ़रमाया है। हर दरिन्दे को कुचली (नूकीला दाँत) लाज़िम है। और शिकार में इसका बहुत दख़ल है। ये ऊपर नीचे दोनों तरफ़ कुल चार होती हैं। दरम्यान वाले चार दाँतों से आगे और कुचलियों के बाद दाढ़ें होती हैं। **(2)** दरिन्दे को हराम क़रार देने की वजह शायद ये हो कि दरिन्दे का गोश्त खाने से इन्सान में भी दरिन्दगी पैदा होने का इम्कान है, फिर ये दरिन्दे जानवर को मार कर उसका ख़ून भी पी लेते हैं जो कि हराम है। गोया उनकी अस़ल ग़िज़ा हराम है। वल्लाहु आलम!

(4330) हज़रत अबू स़अलबा ख़ुशनी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे को खाने से मना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏

(4330) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5780, मुस्लिम, हदीस़: 1932, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4837.

(4331) हज़रत अबू स़अलबा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'डाका डालना हलाल नहीं और कोई कुचली वाला दरिन्दा भी हलाल नहीं। और बाँध कर निशानों से मारा हुआ जानवर भी हलाल नहीं।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَحِلُّ النُّهْبَى وَلاَ يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ ‏"‏ ‏.‏

(4331) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/194, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4836, हदीस़: 4348, 4443, देखें, हदीस़: 4453.

फ़ायदा : 'बाँध कर निशानों से मारा हुआ जानवर' इससे मुराद वह जानवर है जिसको पकड़ कर इस तरह बाँध दिया जाये कि वह भाग न सके बल्कि हरकत भी न कर सके और फिर तीरों वग़ैरह के साथ निशाने बाँध बाँध कर उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाये। ये तरीक़ा ज़ालिमाना होने के साथ साथ ज़बह और शिकार के उस़ूलों के भी ख़िलाफ़ है। उस़ूल ये है कि जो जानवर पकड़ा हुआ है, ख़्वाह वह घरेलू हो या जंगली, उसे लेटा कर ज़बह किया जाये या खड़ा करके नहर किया जाये। और अगर वह जानवर क़ाबू में न रहे, जैसे जंगली जानवर होते हैं तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीर या कुत्ते के साथ शिकार किया जाये। इन दो तरीक़ों के अलावा मारा गया जानवर हराम होगा। उसका हुक्म मुर्दार का होगा।

बाब : (29) घोड़े का गोश्त खाना हलाल है

باب(٢٩): الإِذْنِ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

(4332) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन गधों के गोश्त से मना फ़रमाया और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त दी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، -وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى - وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(4332) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़:

عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ .

1941, बुख़ारी, हदीस: 4219, हदीस: 5520, 5524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4839.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ाइल हैं कि घोड़ा हलाल जानवर है क्योंकि इसकी हिल्लत की रिवायात स़रीह हैं और आला दर्जे की स़ही हैं। अइम्मा में से सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) घोड़े की हुर्मत के क़ाइल हैं लेकिन उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद इस मसले में उनके साथ नहीं, मानेईन की तरफ़ से ये मअ़ज़रत पेश की गई है कि वह घोड़े को पलीद नहीं समझते, बल्कि क़ाबिले एहतिराम होने की वजह से हराम समझते हैं क्योंकि वह जिहाद में इस्तेमाल होता है। अगर घोड़े ज़बह करके खाये जायें तो जिहाद के लिये घोड़ों की क़िल्लत हो जायेगी। उनकी तरफ़ से एक वजह ये भी बयान की गई है कि घोड़ा जिन्सी लिहाज़ से गधे और ख़च्चर का साथी है। कुर्आन मजीद में भी इन तीनों का इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। (अन्नहल: 16/8) इनका मक़स़द ज़ीनत और सवारी बयान किया गया है न कि खाना, लिहाज़ा घोड़े को खाना नहीं चाहिए लेकिन ये बात महल्ले नज़र है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने ऊँट को खाये जाने वाले जानवरों में ज़िक्र किया है जबकि उसे ख़ूराक की बजाये सवारी और बार बरदारी में भी यक्सां इस्तेमाल किया जाता है, इसलिये स़ही बात यही है कि घोड़ा हलाल है। अगर ज़रूरत पड़ जाये तो इसे खाया जा सकता है। हाँ, जिहाद के लिये क़िल्लत का ख़तरा हो तो फिर घोड़े न खाये जायें लेकिन आज कल तो जिहाद में घोड़ों का इस्तेमाल न होने के बराबर है, लिहाज़ा वह वजह भी ख़त्म हो गई जिसकी बिना पर इमाम स़ाहिब इसके न खाने के क़ाइल थे। गोया अब तो इसकी हिल्लत पर इज्मा' हो गया है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ .

(4333) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें घोड़े का गोश्त खाने दिया और गधे के गोश्त से रोक दिया।

(4333) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1793, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4840, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ، -وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي

(4334) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर की जंग के दिन हमें घोड़े का गोश्त खाने दिया और गधे के गोश्त से रोक दिया।

(4334) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4841, पिछली हदीस देखें.

نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ .

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4335) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में घोड़े का गोश्त खाया करते थे।

(4335) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3197, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4842.

باب(٣٠): تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

बाब : (30) घोड़े का गोश्त खाना हराम है?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ " .

(4336) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'घोड़े, ख़च्चर और गधे का गोश्त खाना जायज़ नहीं।'

(4336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3790, इब्ने माजा, हदीस: 3198, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4843.

फ़ायदा : अल्लामा सिन्धी फ़रमाते हैं कि इमाम नववी (رحمه الله) ने फ़रमाया है: इस बात पर उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। इमाम नसाई (رحمه الله) ने सुनन कुब्रा में फ़रमाया है: इससे पहले आने वाली हदीस ज़्यादा सही है। अगर ये सही भी हो तो ये मन्सूख़ है क्योंकि जवाज़ की रिवायत में इजाज़त देने के अल्फ़ाज़ इसके मन्सूख़ होने की ताईद करते हैं। देखिये: (अत्तअलीक़ातुस्सलफ़िया अला सुनन नसाई: 4/603) ये हदीस किसी भी लिहाज़ से जवाज़ की रिवायात का मुक़ाबला नहीं कर सकती।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

(4337) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने घोड़े, ख़च्चर, गधे और कुचली वाले दरिन्दे का गोश्त खाने से मना फ़रमा दिया।

(4337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4844.

फ़ायदा : ये रिवायत इमाम अबू हनीफ़ा (رحمہ اللہ) के क़ौल से मुताबिक़त नहीं रखती क्योंकि उनके नज़दीक घोड़ा जिहाद में इस्तेमाल होने की वजह से हराम है, इसलिये इसका गोश्त नहीं खाया जायेगा मगर इस हदीस में घोड़े को ख़च्चर, गधे और दरिन्दों के मुशाबेह क़रार दिया गया है। गोया ये पलीद है। दोनों बातों में बहुत फ़र्क़ है। हदीस की हैसियत पर साबिक़ा हदीस में भी बहस हो चुकी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ . قُلْتُ الْبِغَالَ قَالَ لاَ .

(4338) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया: हम घोड़े का गोश्त खाते थे। अता (शागिर्द) ने कहा: ख़च्चर का भी? फ़रमाया नहीं।

(4338) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4845.

تَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

बाब : (31) घरेलू गधों का गोश्त खाना हराम है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما إِنَّ النَّبِيَّ صلى

(4339) हज़रत अली (ﷺ) ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से फ़रमाया: नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के दिन निकाहे मुत्आ और घरेलू गधों के गोश्त से मना फ़रमा दिया था।

(4339) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4846.

الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، وَأُسَامَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

(4340) हज़रत अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन औरतों के साथ निकाहे मुत्आ करने और घरेलू गधों का गोश्त खाने से रोक दिया था।

(4340) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4847.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

(4341) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन घरेलू गधों से मना फ़रमा दिया था।

(4341) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4848.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ .

(4342) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने नबी-ए अकरम (ﷺ) से ऐसी ही हदीस ज़िक्र फ़रमाई है मगर इसमें ख़ैबर का ज़िक्र नहीं किया।

(4342) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4218, मुस्लिम, हदीस: 561/24, बाद हदीस: 1936, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4849.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا .

(4343) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन घरेलू गधों के गोश्त से रोक दिया था। भुना हुआ हो या कच्चा।

(4343) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4226, मुस्लिम, हदीस: 1938/31, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4850.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا . فَأَكْفَأْنَاهَا .

(4344) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) ने फ़रमाया: हमने ख़ैबर के दिन बस्ती से बाहर कुछ गधे पकड़ लिये और उनका सालन पकाया, फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) की तरफ़ से एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गधे के गोश्त को हराम क़रार दे दिया है, लिहाज़ा गधे के गोश्त वाली हाण्डियाँ उलट दो। हमने उलटा दीं।

(4344) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3155, मुस्लिम, हदीस: 1937, हदीस: 4851.

फ़वाइद व मसाइल : (1) घरेलू गधे हराम हैं, और मा़लूम हुआ कि जिस जानवर या परिन्दे का गोश्त खाना हराम है, उस जानवर या परिन्दे पर अल्लाह का नाम लेकर भी ज़बह किया जाये तब भी वह हराम ही रहता है क्योंकि सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने जो गधों का गोश्त पकाना शुरू किया हुआ था उन्हें अल्लाह के नाम पर ही ज़बह किया गया था। **(2)** अगर कोई पलीद चीज़, किसी पाक चीज़ के साथ लग जाये तो उसकी नजासत सिर्फ़ एक बार धोने से ज़ाइल हो जाती है। हाँ, अगर शरीयत एक से ज़्यादा बार धोने का मुतालबा करे तो, फिर शरीयते मुतह्हरा का तक़ाज़ा पूरा करना ज़रूरी होगा। **(3)** चीज़ों में असल एबाहत (हलाल और जायज़ होना) है। यही वजह है कि सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने बिला ताम्मुल गधे ज़बह करके उनका गोश्त पकाना शुरू कर दिया, हालंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उनमें मौजूद थे लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में आपसे कोई बात की न मश्वरा ही लिया क्योंकि उनके ज़हनों में यही बात रासिख़ थी कि चीज़ें दरअसल हलाल ही होती हैं, अलबत्ता हुर्मत की दलील हुवा करती है।

(4) अमीर, मस्ऊल और ज़िम्मेदार शख़्स की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने मातहत और मामूरीन के हालात मालूम करे, उनके मसाइल और उनकी मुश्किलात हल करे। मज़ीद बरां ये कि अगर उनमें कोई ग़ैर शरई मामला देखे तो ख़ुद उसकी इस्लाह करे या अपने किसी नुमाइन्दे के ज़रिये उसकी इस्लाह कराये ताकि ऐसा न हो कि ग़ैर शरई मामले पर ख़मोशी को लोग जायज़ समझना शुरू कर दें और इस तरह एक नाजायज़ काम महज़ ग़फ़लत से जायज़ क़रार पाये। (5) 'हमने उलटा दीं' यानी हमने वह गोश्त बाहर फेंक दिया और ज़ाया कर दिया। इससे उन लोगों की तर्दीद होती है जिनका ख़्याल है कि गधे बज़ाते ख़ुद हराम नहीं मगर चूंकि लोगों ने आपकी इजाज़त और तक़्सीम के बग़ैर गधे ज़बह कर लिये थे जबकि उनमें से ख़ुम्स भी नहीं दिया गया था, इसलिये आपने बतौर सज़ा हाण्डियाँ उलटाने का हुक्म दिया था, हालांकि अगर ये बात होती तो गोश्त ज़ाया न किया जाता बल्कि उसे बहक़्क़े सरकार ज़ब्त कर लिया जाता। हलाल चीज़ को ज़ाया करना हराम है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ . وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " . فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ .

(4345) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह के वक़्त ख़ैबर पर हमला किया जबकि वह अपनी कुदालें लेकर (काम काज के लिये) हमारी तरफ़ आ रहे थे। जूँ ही उन्होंने हमें देखा, शोर मचा दिया: मुहम्मद(ﷺ) और उसका लश्कर आ गया। और वह मुड़ कर क़िले की तरफ़ भागे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (अज़ राहे तशक्कुर व दुआ) अपने मुबारक हाथ उठाये और फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ख़ैबर तबाह हो गया। हम जब किसी क़ौम के इलाक़े में आ धमकते हैं तो उन डराये हुये लोगों का बहुत बुरा हाल होता है।' हमने वहाँ गधे पकड़ लिये और उनको पका लिया तो नबी-ए-अकरम(ﷺ) के मुनादी ने ऐलान करते हुये कहा: अल्लाह तआला और उसके रसूल मुकर्रम (ﷺ) तुम्हें गधों के गोश्त से रोकते हैं क्योंकि वह पलीद (हराम) हैं।

(4345) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4852.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शोर मचा दिया' क्योंकि उन्होंने मदीना मुनव्वरा में नबी (ﷺ) और आपके साथियों को देखा हुआ था। (2) 'हाथ उठाये' मुमकिन है नार-ए-तकबीर (अल्लाहु अकबर) लगाने के लिये हाथ उठाये हों, जैसे नमाज़ के शुरू में उठाये जाते हैं या उससे ऊपर। (3) 'ख़ैबर तबाह हो गया' या 'ख़ैबर तबाह हो जाये' दोनों मानी हो सकते हैं बतौर फ़ाल फ़रमा दिया या बतौर पेशगोई या ये दुआ है कि ख़ैबर तबाह हो जाये। (4) 'वह पलीद हैं' मतलब ये कि गधों का गोश्त हराम है। वैसे उन पर सवारी करना जायज़ है, अलबत्ता गधे के पसीने, लुआब और झूठे वग़ैरह की बाबत हदीस़ में किसी क़िस्म की कोई स़राहत नहीं मिलती। ज़न्ने ग़ालिब यही है कि ये चीज़ें पलीद नहीं मज़ीद बरां ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ने बकस़रत गधे और ख़च्चर पर सवारी की है। अगर उनका पसीना, लुआब और झूठा वग़ैरह पलीद होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़रूर इसकी वज़ाहत फ़रमाते। वल्लाहु आलम! इस मसले की मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, मुतर्जम: 1/319, 320, मतबूआ दारुस्सलाम)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ، غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ " أَلاَ إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِ لاَ تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " .

(4346) हज़रत अबू सअ़लबा ख़ुशनी (ﷺ) ने बयान फ़रमाया: लोग जिहाद करने की ख़ातिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ैबर की तरफ़ गये। लोगों को उस वक़्त बहुत भूख लगी थी। वहाँ लोगों ने घरेलू गधे पाये तो उन्होंने उनको ज़बह कर लिया। ये बात नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ज़िक्र की गई तो आपने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ को हुक्म दिया और उन्होंने लोगों में ऐ़लान किया: ख़बरदार! घरेलू गधों का गोश्त किसी ऐसे शख़्स के लिये हलाल नहीं जो मेरी रिसालत की गवाही देता है।

(4346) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4331, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4853.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

(4347) हज़रत अबू स़अलबा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया है।

الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

(4347) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 4330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4854.

फ़ायदा : घरेलू गधों से मुराद वह गधे हैं जिन्हें लोग घरों में रखते हैं। घरेलू की सराहत इसलिए कि जंगली गधा हराम नहीं जैसा कि आइन्दा बाब में आ रहा है।

باب : (٣٢)
إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ

बाब : (32)
जंगली गधों का गोश्त खाना जायज़ है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ .

(4348) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया: हमने ख़ैबर के दिन घोड़ों और जंगली गधों का गोश्त खाया, अलबत्ता नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हमें गधे का गोश्त खाने से मना फ़रमा दिया।

(4348) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1941/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4855.

फ़ायदा : जंगली गधा सिर्फ़ नाम का गधा होता है। उसके सिर्फ़ खुर गधे की तरह होते हैं। वरना हक़ीक़तन वह जंगली गाय है। शक्ल व सूरत के लिहाज़ से भी गाय होती है। सिर्फ़ खुरों की वजह से उसे जंगली गधा कह दिया जाता है। जंगली गाय एक ख़ुबसूरत जानवर है बल्कि ख़ुबसूरती में ज़र्बुल मसल है। ये क़तअन हलाल है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - هُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(4349) हज़रत उमैर बिन सलमा ज़मरी (ﷺ) से रिवायत है कि एक दफ़ा हम नबी-ए-अकरम(ﷺ) के साथ रौहा के किसी मक़ाम पर थे। सब लोग मुहरिम थे। उन्होंने एक ज़ख़्मी जंगली गधा देखा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे कुछ न कहो यहाँ तक कि उसको शिकार करने वाला आ जाये।' थोड़ी देर बाद बहज़ क़बीले का वह आदमी भी आ गया जिसने उसे ज़ख़्मी किया था। वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस गधे को

عليه وسلم " دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ " . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ هَذَا الْحِمَارُ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ يَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ .

जो चाहें कीजिये! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को हुक्म दिया कि इसे लोगों में तक़्सीम कर दें।

(4349) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 982, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4856.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शिकारी शख़्स ही अपने मारे या ज़ख़्मी किये हुये शिकार का मालिक होता है। हदीस में मज़्कूर, रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़: (दऊहु फयूशिक) इस बात पर दलालत करते हैं। **(2)** एहराम वाले शख़्स के लिये शिकार की तरफ़ इशारा करना, शिकार को दौड़ाना या शिकार करना वग़ैरह सब कुछ नाजायज़ है। हाँ, अगर ग़ैर मुहरिम शख़्स ने अपने लिये शिकार किया हो, जबकि उस शिकार करने कराने में उस (मुहरिम) का कोई अमल दख़ल न हो तो वह उसे खा सकता है। और अगर कोई अमल दख़ल हो तो फिर खा भी नहीं सकता। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि कई लोगों को मुश्तरका तौर पर एक चीज़ हिबा की जा सकती है जैसे कि इस 'बहज़ी' शख़्स ने एक जंगली गधा, रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाब-ए-किराम को मुश्तरका तौर पर हिबा किया था। बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) को इसे लोगों में तक़्सीम करने का हुक्म दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلاَلٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ . فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ " قَدْ

(4350) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने एक जंगली गधा शिकार किया। मैं इसे लेकर अपने साथियों के पास आया। वह सब मुहरिम थे। सिर्फ़ मैं मुहरिम नहीं था। हम सबने इसमें से कुछ गोश्त खा लिया, फिर हम एक दूसरे से कहने लगे: अगर हम उसके बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछ लें (तो बेहतर है) हमने आपसे पूछा। आपने फ़रमाया: 'तुमने अच्छा किया।' फिर फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास इसका कुछ गोश्त बाक़ी है?' हमने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'कुछ हमें भी भेजो।' हमने आपको भेजा। आपने उसे खाया, हालांकि आप मुहरिम थे।

أَحْسَنْتُمْ " . فَقَالَ لَنَا " هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ " . قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ " فَاهْدُوا لَنَا " . فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(4350) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2570, मुस्लिम, हदीस: 1196/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4857.

फ़ायदा : ग़ैर मुहरिम का अपने लिये क्या हुआ शिकार मुहरिम के लिये खाना जायज़ है बशर्ते कि उसने कोई तआउन न किया हो यहाँ तक कि इशारा तक न किया हो, और शिकार करते वक़्त ग़ैर मुहरिम की नियत मुहरिमीन के लिये शिकार की न हो। बल्कि वह शिकार अपने लिये करे, फिर बेशक वह उसमें से कुछ गोश्त किसी मुहरिम को दे दे।

باب(٣٣): إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ

बाब : (33) मुर्ग़ का गोश्त खाना भी जायज़ है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُهُ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ .

(4351) हज़रत जहदम से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसा (ﷺ) के पास एक मुर्ग़ लाया गया। एक शख़्स एक तरफ़ को हट गया (बाक़ी लोग खाने लगे) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) कहने लगे: तुझे क्या हुआ? उसने कहा: मैंने उसे गंदगी खाते देखा है, इसलिये मुझे इससे नफ़रत हो गई है। तो मैंने क़सम खा ली थी कि मुर्ग़ का गोश्त नहीं खाऊँगा। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) फ़रमाने लगे: क़रीब आकर खा क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुर्ग़ खाते देखा है, फिर आ ने उसे अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करने को कहा।

(4351) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3133, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4858.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद मुर्ग़ का गोश्त खाया है, इसलिये इसका गोश्त खाने में क़तअन कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग, अल्लाह तआला की ऐसी नेमतों के इस्तेमाल से अपने आपको दूर रखते हैं क्योंकि वह उसको तक़्वा के मुनाफ़ी ख़्याल करते हैं। याद रहे अल्लाह तआला को ऐसा 'अंधा' तक़्वा क़तअन मतलूब नहीं जो उस्व-ए-रसूल (ﷺ) से टकराता हो, बल्कि असल तक़्वा तो ये है कि अल्लाह तआला की नेमतों से फ़ैज़याब और मुस्तफ़ीद होकर, कमा हक़्क़हू उसका शुक्र अदा

किया जाये। (2) अगर कोई जानवर या परिन्दा इस क़द्र ज़्यादा गंदगी खाता हो कि उसका असर उस जानवर के दूध और गोश्त में महसूस हो तो ऐसा जानवर उस वक़्त इस्तेमाल में न लाया जाये जब तक उससे गंदगी का असर (बू वग़ैरह) ज़ाइल (ख़त्म) न हो जाये। जब गंदगी का असर ज़ाइल हो जाये तो ऐसे जानवर या परिन्दे का गोश्त और दूध, बिला तरद्दुद, इस्तेमाल करना मुबाह और जायज़ है। हाँ, अलबत्ता जो जानवर थोड़ी बहुत गंदगी खाते रहते हों और उसका असर उनमें न हो तो उसको खा लेने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। (3) साहिबे तआम को चाहिए कि आने वाले शख़्स को खाना खाने की दावत दे, उसे अपने क़रीब बैठाये और खाना पेश करे, ख़्वाह खाना थोड़ा ही क्यों न हो। जब ज़्यादा लोग खाना खायेंगे तो उसमें ज़्यादा बरकत होगी, इसलिये कि इज्तेमाई तौर पर खाना खाने में बरकत ही होती है। (4) 'मैंने इसे' मुराद वह ख़ास मुर्ग़ नहीं जो भून कर लाया गया था बल्कि आम मुराद है, यानी मुर्ग़ गंदगी खाते हैं, लिहाज़ा मैं इसका गोश्त नहीं खाऊँगा। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) का मक़सद ये था कि ये कोई नई बात नहीं। मुर्ग़ कुछ न कुछ गंदगी खाते ही हैं। इसके बावजूद मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुर्ग़ खाते हुये देखा है। मालूम हुआ, इतनी गंदगी से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, अलबत्ता अगर कोई जानवर इस क़द्र गंदगी खाता हो कि उसके गोश्त या दूध में गंदगी का रंग, बू या ज़ाइक़ा महसूस हो तो फिर उस जानवर का गोश्त खाना या उसका दूध पीना हराम है। इससे कम में कोई हर्ज नहीं वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ .

(4352) हज़रत ज़हदम जरमी से रिवायत है कि हम हज़रत अबू मूसा (ﷺ) के पास बैठे थे कि उनका खाना पेश किया गया और उनके खाने में मुर्ग़ का गोश्त था। हाज़िरीन में बनू तैमुल्लाह के क़बीले में से एक सुर्ख़ रंग का शख़्स था। ऐसे लगता था जैसे वह ग़ुलाम हो। वह खाने के क़रीब न आया। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने फ़रमाया: (खाने के) क़रीब हो। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुर्ग़ का गोश्त खाते देखा है।

(4352) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4859.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ بِشْرٍ، - هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ

(4353) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन पन्जे के

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

साथ शिकार करने वाले परिन्दे और कुचली वाले दरिन्दे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया।

(4353) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 3805, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4861.

फ़ायदा : ज़ाहिरन तो इस हदीस का बाब से ताल्लुक़ नहीं बनता बल्कि उसके लिये अलग बाब होना चाहिए था, ताहम ये कहा जा सकता है कि मुर्ग़ पंजे के साथ शिकार करने वाला परिन्दा नहीं, लिहाज़ा हलाल है।

باب(٣٤): إِبَاحَةِ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ

बाब : (34) चिड़िया का गोश्त खाना भी हलाल है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ " يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا " .

(4354) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स चिड़िया या उससे भी छोटे जानवर को नाहक़ क़त्ल करे, अल्लाह तआला (क़यामत के दिन) उससे उसके बारे में पूछेगा।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! उसका हक़ क्या है? आपने फ़रमाया: 'उसे ज़बह करके खाये। उसका सर काट कर न फेंक दे।'

(4354) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/166, अल हुमैदी: 587, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4860, व सहीह अल हाकिम: 4/233, वज़्ज़हबी,: 4451.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इससे भी छोटा जानवर' जैसे टिड्डी। ये मानी भी हो सकता है 'चिड़िया या उससे बड़ा जानवर' जैसे: मुर्ग़ी, कबूतर वग़ैरह। फ़मा फ़ौकहा में ये दोनों मफ़हूम पाये जाते हैं और दोनों ही सही हैं। **(2)** कुछ लोग शुग़लन (शौकिया) शिकार करते हैं। खाना मक़सद नहीं होता बल्कि या तो कुत्ते भगाने का शौक़ होता है या निशाना बाज़ी का और वह अपने शौक़ को शिकार की सूरत में पूरा करते हैं, ये शरअन गुनाह है। किसी भी जानदार चीज़ को बिला वजह क़त्ल नहीं किया जा कसता।

अगर वह हलाल जानवर है तो उसे सिर्फ़ खाने के लिये शिकार या ज़बह किया जा सकता है और अगर वह हराम जानवर है तो उसके नुक़सान से बचने के लिये ही उसे मारा जा सकता है। या दूसरी मआशी ज़रूरियात के लिये, जैसे: कारोबार जैसे हाथी के दाँत। सिर्फ़ शौक़ पूरा करने के लिये किसी जानदार को ज़ाया नहीं किया जा सकता।

बाब : (35)
समन्दरी मुर्दा जानवरों का हुक्म

باب(٣٥): مَيْتَةِ الْبَحْرِ

(4355) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने समन्दर के पानी के बारे में फ़रमाया: 'समन्दर का पानी ताहिर व मुतह्हिर है और उसका जानवर बिला ज़बह हलाल है'

(4355) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4862.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَاءِ الْبَحْرِ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) समन्दर का पानी ज़ायक़े के लिहाज़ से आम पानी से मुख़्तलिफ़ होता है। इसमें रहने वाले जानवरों और सफ़र करने वाले इन्सानों की गंदगी पानी ही में रहती है। अगर उनमें से कोई मर जाये तो वह भी पानी में ही गलता सड़ता है। इससे ये शुब्हा पड़ सकता है कि शायद वह पाक न हो, इसलिये आपने ये इरशाद फ़रमाया क्योंकि अव्वलन तो वह इन्तेहाई कसीर पानी है। सानियन अल्लाह तआला ने अपनी क़ुदरते कामिला से ऐसा इन्तेज़ाम कर रखा है कि न तो पानी मुतअफ़्फ़िन होता है और न कोई आलूदगी अपना असर छोड़ती है। वल्लाहु अज़ीज़ हकीम **(2)** 'ताहिर व मुतह्हिर' अरबी में लफ़्ज़ तहूर इस्तेमाल हुआ है। इसके मानी हैं, ख़ुद भी पाक, दूसरी चीज़ों को भी पाक करने वाला। **(3)** 'बिला ज़बह हलाल है' अरबी में लफ़्ज़ 'मैता' इस्तेमाल हुआ है, यानी जो बग़ैर ज़बह किये मर जाये, जैसे: जिसे शिकार किया जाये या जो तबई मौत पानी में मर जाये। अहनाफ़ तबई मौत वाले आबी जानवर की हिल्लत के क़ाइल नहीं लेकिन हदीस के अल्फ़ाज़ आम हैं। इसी तरह ये हदीस हर आबी जानवर को शामिल है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) इसी के क़ाइल हैं जबकि इमाम मालिक सिर्फ़ उन आबी जानवरों को हलाल समझते हैं जिनके नाम के जानवर ख़ुश्की में हलाल हैं। और अहनाफ़ सिर्फ़ मछली को हलाल समझते हैं, क्योंकि कुछ रिवायात में मछली का लफ़्ज़ मज़्कूर है लेकिन क़ुर्आन व हदीस के अल्फ़ाज़ आम हैं। क़ुर्आने मजीद के अल्फ़ाज़ इस मफ़हूम को वाज़ेह तौर पर

बयान करते हैं। इरशादे बारी है: (उहिल्ला लकुम सैदुल बहर) (अल माइदा: 96) (4) आबी जानवर को ज़बह करने की ज़रूरत इसलिये नहीं कि उसमें ख़ून नहीं होता। और ज़बह ख़ून निकालने के लिये होता है। बाक़ी रहा वह सुर्ख़ महलूल जो मछली वग़ैरह से ज़ख़्म के वक़्त निकलता है तो उसमें ख़ून की ख़ुसूसियात नहीं पाई जाती, जैसे: इसे धूप में रहने दिया जाये तो वह सफ़ेद हो जायेगा जबकि ख़ून तो स्याह होकर जम जाता है। और हराम ख़ून ही है, लिहाज़ा उसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं।

(4356) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हमें (साहिले समन्दर पर) भेजा। हम तीन सौ आदमी थे। हमने अपना ज़ादे राह अपनी गर्दनों पर उठाया हुआ था। वह भी ख़त्म हो गया यहाँ तक कि हममें से हर आदमी को एक दिन में एक खजूर मिलती थी। उनसे पूछा गया: ऐ अबू अब्दुल्लाह! एक खजूर आदमी का क्या गुज़ारा करती होगी? उन्होंने फ़रमाया: जब खजूरें बिलकुल ख़त्म हो गईं तो हमें उस एक खजूर की भी क़द्र मालूम होती थी। हम साहिले समन्दर पर पहुँचे तो हमने नागहां वहाँ एक बड़ी मछली देखी जिसे समन्दर ने बाहर फेंक दिया था। हमने उसमें से अठारह दिन खाया।

(4356) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2983, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4863.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ . فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

फ़ायदा : इस हदीस की मज़ीद तफ़्सील आइन्दा हदीस में आ रही है। इससे ये साबित होता है कि मछली हलाल है, ख़्वाह वह शिकार की गई हो या उसे समन्दर की लहरों ने बाहर फेंक दिया हो। या वह समन्दर पर बेजान तैर रही हो। क्योंकि समन्दर उमूमन बेजान मछली को बाहर ही फेंक देता है। जिन्दा मछलियाँ तो पानी के साथ वापस चली जाती हैं, फिर इतनी बड़ी मछली कि जिसे तीन सौ आदमी अठारह दिन तक खाते रहे हों और वह फिर भी ख़त्म न हुई हो, ज़िन्दा हालत में साहिल के क़रीब नहीं आती बल्कि गहरे समन्दर में रहती है। लाज़िमन उसकी लाश पानी पर तैरती हुई किनारे पर आई होगी।

(4357) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम तीन सौ ऊँट सवारों को

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ - قَالَ - فَأَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ فَثَابَتْ أَجْسَامُنَا وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ " . قَالَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ وَنَزَلَ فِي حِجَاجِ عَيْنِهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ إِلَى التَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا .

(साहिल की तरफ़) भेजा। हमारे अमीर हज़रत अबू उ़बैदा बिन जर्राह थे। हम क़ुरैश के एक क़ाफ़िले की घात में थे। हम साहिल पर जा ठहरे। हमें सख़्त भूख का सामना था यहाँ तक कि हम पत्ते खाने लगे, फिर समन्दर (की लहरों) ने एक आबी जानवर (साहिल पर) फेंक दिया। उसको अ़म्बर कहा जाता था। हम उससे तक़रीबन निस्फ़ माह खाते रहे। हमने उसकी चर्बी को भी ख़ूब इस्तेमाल किया तो हमारे जिस्म पहले की तरह मोटे ताज़े हो गये। हज़रत अबू उ़बैदा (ﷺ) ने उसकी एक पस्ली को खड़ा किया, फिर लश्कर में से सबसे ऊँचा उँट और सबसे लम्बा आदमी तलाश किया। वह आदमी उस ऊँट पर सवार होकर पस्ली के नीचे से साफ़ गुज़र गया। (इसी सफ़र का वाक़िया है कि) फिर लोग भूख में मुब्तला हुये तो एक आदमी ने तीन ऊँट नहर किये, फिर उन्हें भूख लगी तो मज़ीद तीन ऊँट नहर कर दिये, वह फिर भूख का शिकार हुये तो उसने मज़ीद तीन ऊँट नहर किये, फिर हज़रत अबू उ़बैदा (ﷺ) ने (बहैसियत अमीर) उसे रोक दिया। (रावि-ए-हदीस़) सुफ़ियान ने अबू ज़ुबैर से, उन्होंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से बयान किया (उन्होंने फ़रमाया कि जब हम नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास वापस पहुँचे और) हमने नबी (ﷺ) से (उसके मुताल्लिक़) पूछा। आपने फ़रमायाः 'क्या तुम्हारे पास उस जानवर का कुछ गोश्त बाक़ी है?' (हज़रत जाबिर ने फ़रमायाः) हमने उस आबी जानवर की आँखों से बहुत से मटके चर्बी के निकाले। और उसकी आँख के गढ़े में चार आदमी बा आसानी उतर गये। और (इसी सफ़र का वाक़िया है कि) हज़रत अबू

उबैदा(ﷺ) के पास एक खजूरों की थैली थी जिसमें से वह हमें मुट्ठी मुट्ठी दिया करते थे, फिर नौबत एक एक खजूर तक आ गई। जब खजूरें बिल्कुल ख़त्म हो गईं तो (उस वक़्त) हमें एक खजूर की क़द्रो क़ीमत मालूम होती थी।

(4357) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4361, मुस्लिम, 1935/18, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4863.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मैततुल बहर' (दरयाई और समन्दरी मुर्दार) के मुताल्लिक़ शरीयत का हुक्म ये है कि वह हलाल है। साबिक़ा और इस हदीस में इस बात की तस्रीह मौजूद है कि वह मछली समन्दरी लहरों ने बाहर फेंकी थी, यानी सहाब-ए-किराम (ﷺ) में से किसी ने उसे शिकार नहीं किया था। मज़ीद बरां ये भी कि उसे ज़बह भी नहीं किया गया था बल्कि वैसे ही इस्तेमाल किया था। तीन सौ सहाब-ए-किराम (ﷺ) अठारह दिन तक मुसल्सल उसे खाते रहे, बाद अज़ां रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसमें से खाया। **(2)** हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि हर छोटे बड़े लश्कर पर अमीर मुक़र्रर करना चाहिए जो इस लश्कर के लिये दुरुस्त इन्तेज़ाम करे, उनकी ज़रूरियात वग़ैरह का ख़्याल रखे और उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करे। अमीर के लिये ये भी मुस्तहब है कि अपने साथियों के साथ नर्मी बरते। **(3)** अमीरे लश्कर, उनमें से अफ़ज़ल और बेहतर शख़्स को बनाना चाहिए। अगर ऐसा करना मुमकिन न हो तो फिर उनके बेहतरीन और अच्छे लोगों में से किसी को अमीर बनाया जाये। लोगों के लिये ज़रूरी है कि वह अपने अमीर के अहकाम की तामील करें। हाँ, अगर वह उन्हें ग़ैर शरई हुक्म दे तो फिर उसकी इताअत क़तअन जायज़ नहीं जैसा कि मारूफ़ हदीस है: 'अल्लाह तबारक व तआला की नाफ़रमानी करके किसी की इताअत जायज़ नहीं।' (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 179-181) **(4)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) के नज़दीक दुनियावी माल व मताअ और उसकी आसाइशों की कोई हैसियत नहीं थी। उन्होंने अल्लाह तआला की रिज़ा जोई और हुसूले जन्नत के लिये हर क़िस्म के मसाइब को बरदाश्त किया .... (ﷺ) **(5)** भूख, गुर्बत, इफ़्लास और तंगदस्ती के वक़्त हमदर्दी और ईसार से बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। इस हदीस से इसकी मशरूईयत मालूम होती है। **(6)** इन्सान अपने क़रीबी अहबाब और दोस्तों से उनका माल व मताअ माँग सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाब-ए-किराम (ﷺ) से फ़रमाया था: 'अगर तुम्हारे पास अम्बर मछली में से कुछ बाक़ी हो तो मुझे भी दो।' **(7)** ये हदीसे मुबारका दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पाकीज़ा दौर में भी इज्तेहाद जायज़ था जैसा कि आज के दौर में जायज़ है। अगली हदीस: 2359 में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह(ﷺ) के ये अल्फ़ाज़: (ला ताकुलूहु, ...) अहकाम में इज्तेहाद की बहुत वाज़ेह और खुली

दलील हैं। (8) 'अपनी गर्दनों पर उठाया हुआ था' इसमें इशारा है कि हमारे पास ज़ादे राह बहुत कम मिक़्दार में था। इसे उठाने के लिये जानवर की ज़रूरत नहीं थी। (9) इस रिवायत में वाक़ेआत की तर्तीब आगे पीछे है, जैसे: लश्कर के साहिल पर पहुँचने से पहले वह आबी जानवर मौजूद था। इस तरह ऊँटों को नहर करने का वाक़िया आबी जानवर के मिलने से पहले का है। खजूरें बाँटने का वाक़िया भी आबी जानवर मिलने से पहले का है अगरचे ज़िक्र आख़िर में है। आबी जानवर से चर्बी वग़ैरह निकालने के वाक़ेआत भी साहिले समन्दर से ताल्लुक़ रखते हैं न कि मदीना मुनव्वरा से जैसा कि ज़ाहिर मालूम होता है। (10) ऊँट नहर करने वाले शख़्स बनू ख़ज़रज के सरदार हज़रत सअ़द बिन उबादा (ﷺ) के बेटे हज़रत क़ैस बिन सअ़द (ﷺ) थे। जो बहुत सख़ी थे और सख़ी बाप के बेटे थे। मज़्कूर है जब हज़रत सअ़द (ﷺ) को इस वाक़िया का पता चला तो बेटे से कहा: तुमने और जानवर क्यों न ज़बह किये? उन्होंने बताया कि अमीर साहिब ने रोक दिया था, मबादा तेरे वालिद मोहतरम नाराज़ हों। हज़रत सअ़द (ﷺ) ये सुन कर ग़ुस्से में आ गये और फ़ौरन एक बहुत बड़ा बाग़ बेटे के नाम मुन्तक़िल कर दिया ताकि कल को कोई शख़्स सख़ावत से न रोक सके। (ﷺ). (11) 'नहर किये' नहर करना इस तरह होता है कि ऊँट का बायाँ घुटना रस्सी वग़ैरह के साथ बाँध दिया जाता है और फिर छुरी की नोक उसके लिये (गर्दन की निचली तरफ़ इन्तेहाई नर्म गढ़े) में चूभो दी जाती है। ऊँट को दूसरे जानवरों की तरह ज़बह नहीं किया जाता।

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا . فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ " إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَىْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا" .

(4358) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हज़रत अबू उ़बैदा (ﷺ) के मातहत एक लश्कर में भेजा। हमारे ज़ाद (खाने पीने/सफर का सामान) ख़त्म हो गये। हम एक मछली के पास से गुज़रे जिसे समन्दर ने (साहिल पर) फेंक दिया था। हमने इसमें से खाने का इरादा किया तो हज़रत अबू उ़बैदा (ﷺ) ने हमें रोक दिया, फिर ख़ुद ही कहने लगे: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के भेजे हुये हैं और अल्लाह तआ़ला के रास्ते में आये हैं, इसलिये खा लो। हम कई दिन तक उसमें से खाते रहे। जब हम वापस रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये तो हमने आपको इस बात से मुत्तलअ़ (बाख़बर) किया। आपने फ़रमाया: 'अगर तुम्हारे पास कुछ गोश्त बाक़ी है तो हमारे पास भी भेजो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1935/17, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4865.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ بِقِسِيِّنَا وَنَسَفُّهُ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّينَا جَيْشَ الْخَبَطِ ثُمَّ أَجَزْنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ لاَ تَأْكُلُوهُ . ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْنُ مُضْطَرُّونَ كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ . فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيقَةً وَلَقَدْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً -قَالَ- فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِرِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ

(4359) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हज़रत अबू उबैदा (ﷺ) के साथ भेजा। हम तीन सौ दस से ज़्यादा थे। आपने हमें खजूरों की एक बोरी बतौर ज़ादे राह दी थी। हज़रत अबू उबैदा हमें रोज़ाना एक एक मुट्ठी खजूरें देते थे। जब हमने उन्हें तक़रीबन ख़त्म कर दिया तो वह हमें एक एक खजूर देने लगे यहाँ तक कि हम उसे बच्चों की तरह चूसते रहते। ऊपर से पानी पी लेते। जब खजूरें बिल्कुल ख़त्म हो गईं तो एक खजूर का न मिलना भी हमको महसूस होता था यहाँ तक कि हम अपनी लाठियों से दरख़्तों के पत्ते झाड़ लेते और उन्हें फाँक लेते, फिर ऊपर से पानी पी लेते यहाँ तक कि हमारे इस लश्कर का नाम ही पत्तों वाला लश्कर रख दिया गया, फिर हम साहिल पर पहुँचे तो वहाँ टीले जैसा एक आबी जानवर पड़ा था जिसे अम्बर कहा जाता था। हज़रत अबू उबैदा ने फ़रमाया: ये मरा हुआ है, लिहाज़ा इसे न खाओ, फिर ख़ुद ही कहने लगे: हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) की फ़ौज हैं और अल्लाह तआला के रास्ते में जा रहे हैं, फिर हम लाचार भी हैं, इसलिये अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हमने कुछ तो खाया, कुछ सुखा लिया। उस जानवर की आँख के गढ़े में तैरह आदमी (आराम से) बैठ गये, फिर हज़रत अबू उबैदा ने उसकी पस्ली ली, फिर एक मोटे ऊँट पर पालान कस कर (एक लम्बा तगड़ा आदमी बैठा कर) उसे पस्ली के नीचे से गुज़ारा तो वह साफ़ गुज़र गया। जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो आपने फ़रमाया: 'तुम इतने दिन कहाँ रुके रहे?' हमने अर्ज़ की: हम क़ुरैश के तिजारती

فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَبَسَكُمْ " . قُلْنَا كُنَّا نَتَّبِعُ عِيرَاتِ قُرَيْشٍ وَذَكَرْنَا لَهُ مِنْ أَمْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ " ذَاكَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ " . قَالَ قُلْنَا نَعَمْ .

क़ाफ़िलों को तलाश करते रहे, फिर हमने आपके सामने उस आबी जानवर का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'वह रिज़्क़ था जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये मुहैया फ़रमाया। क्या तुम्हारे पास उसका कुछ गोश्त है?' हमने कहा: जी हाँ।

(4359) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4866.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तीन सौ दस से ज़्यादा, यानी तीन सौ बीस से कम। मालूम हुआ साबिक़ा रिवायात में कस्र गिरा कर तीन सौ कहा गया है। **(2)** 'तैरह आदमी' पिछली रिवायत में 'चार' का ज़िक्र है लेकिन चार में तैरह की नफ़ी नहीं। चार चलते फिरते होंगे और तेरह चढ़ कर बैठे होंगे। वल्लाहु आलम! **(3)** 'अम्बर' ये अज़ीमुश्शान मछली होती है जो जहाज़ को टक्कर मार दे तो उसे भी तोड़ देती है। अल्लाह तआला ही जानता है कि समन्दर में कैसी कैसी अज़ीमुश्शान मख़्लूक़ात पोशीदा हैं। व्हैल मछली भी ऐसी ही होती है। सुब्हानल्लाह!

باب(٣٦): الضِّفْدَعِ

बाब : (36) मेण्डक का हुक्म

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِ .

(4360) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि तबीब ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने किसी दवाई में मेण्डक डालने का ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेंण्डक के क़त्ल से मना फ़रमा दिया।

(4360) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3871, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4867, व सहीह अलहाकिम: 4/411.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मेण्डक के मुताल्लिक़ हुक्मे शरीयत ये है कि वह हराम है। बवक़्ते ज़रूरत भी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। आपका इजाज़त न देना ही उसकी हुर्मत की दलील है। **(2)** मेण्डक अगरचे आबी जानवर है लेकिन ये पानी से बाहर भी ज़िन्दा रह सकता है बल्कि अर्से-ए-दराज़ तक बाहर फिरता रहता है, लिहाज़ा इसे आबी जानवरों वाला हुक्म नहीं दिया जा सकता,

यानी इसे हलाल नहीं कहा जायेगा। (3) 'मना फ़रमा दिया' मक़सद ये है कि मेण्डक को दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि क़त्ल किये बग़ैर तो इसे दवा में डालने से रहे। जब क़त्ल हराम है तो इसको बतौर दवा इस्तेमाल करना भी हराम है क्योंकि ये पलीद जानवर है या कम अज़ कम क़ाबिले नफ़रत तो ज़रूर है। तभी आपने इसके क़त्ल से मना फ़रमाया। क़त्ल से नह्य भी हुर्मत की अलामत है।

बाब : (37) टिड्डी का बयान

باب (٣٧): الْجَرَادِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

(4361) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) ने फ़रमाया: हम सात जंगों में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ गये। हम (आपके साथ रहते हुये) टिड्डीयाँ खाया करते थे।

(4361) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5495, मुस्लिम, हदीस: 1952, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4868.

फ़ायदा : इस टिड्डी से मुराद वह टिड्डी नहीं जो आम घरों में होती है बल्कि इससे मुराद वह टिड्डी है जिसे मकड़ी भी कहा जाता है, वह जो फ़सलों को भी चट कर जाती है। ये हलाल जानवर है। इसको ज़बह करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारे लिये दो मुर्दार और दो ख़ून हलाल किये गये हैं। दो मुर्दार (जिन्हें ज़बह न किया गया हो) टिड्डी (मकड़ी) और मछली हैं। और दो ख़ून जिगर और तिल्ली हैं।' (मुसनद अहमद: 2/97, व सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/254) इसमें भी मछली की तरह दमे मसफ़ूह (बहने वाला ख़ून) नहीं होता।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ، فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

(4362) हज़रत अबू यअफ़ूर ने कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) से टिड्डी को क़त्ल करने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मैं छः जंगों में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हाज़िर हुआ। हम टिड्डियाँ खाया करते थे।

(4362) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4865.

फ़ायदा : 'छः जंगों में' साबिक़ा रिवायत में सात जंगों का ज़िक्र है। छः, सात के मुनाफ़ी नहीं है।

बाब : (38)
चीटीं को क़त्ल करने का बयान

باب (٣٨): قَتْلِ النَّمْلِ

(4363) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक चींटी ने एक नबी को काट लिया तो उन्होंने चींटी की उस पूरी आबादी को आग लगाने का हुक्म दिया। उन्हें जला दिया गया। अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ वह्य फ़रमाई कि तुझे एक चींटी ने काट लिया, तूने अल्लाह तआला की तस्बीह करने वाली मख़्लूक़ को हलाक कर दिया।

(4363) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2241, बुख़ारी, हदीस: 3019, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4870.

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) चींटी के मुताल्लिक़ हुक्मे शरीयत ये है कि अगर वह तकलीफ़ पहुँचाये तो उसे मारा जा सकता है। हर तकलीफ़ देने वाली मख़्लूक़ को क़त्ल किया जा सकता है, अलबत्ता इस बात का ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ उसे क़त्ल किया जाये जिसने तकलीफ़ पहुँचाई हो। मज़्कूरा हदीस में एक नबी का क़िस्सा इसी बात पर दलालत करता है। उसूल ये है कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) साबिक़ा शरीयतों में से किसी शरीयत की कोई बात बतायें तो वह हमारे लिये भी शरीयत ही होती है। हाँ, अगर हमारी शरीयत में उसके मुनाफ़ी हुक्म आ जाये तो फिर साबिक़ा शरीयत की बात हमारे लिये हुज्जत नहीं होगी। (2) मालूम हुआ हैवान भी अल्लाह तआला की तस्बीह करते हैं। क़ुर्आन करीम ने तो इस हद तक तस्रीह फ़रमाई है कि सातों आसमान व ज़मीन और जो मख़्लूक़ इन (आसमानों और ज़मीन) में है, वह अल्लाह की तस्बीह करती हैं। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि हर चीज़ अल्लाह तआला की हम्द समेत उसकी तस्बीह करती है। इरशादे बारी है: (बनी इस्राईल 17/44) और ये हक़ीक़त है कि हर मख़्लूक़ ही अल्लाह तआला की तस्बीह करती है। कुछ लोगों ने हैवानात वग़ैरह की तस्बीह को मजाज़ी मानी पर महमूल करने की कोशिश की है, ये क़तअन दुरुस्त नहीं। (3) हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि अम्बिया-ए-किराम (ﷺ) को भी आम इन्सानों की तरह दर्द और मूज़ी चीज़ों के काटने से तकलीफ़ महसूस होती थी। (4) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि सिर्फ़ ज़विल उक़ूल, यानी साहिबे शऊर मख़्लूक़ ही से

ज़ुल्म का बदला नहीं लिया जायेगा बल्कि ग़ैर ज़विल उक़ूल, से भी उसके ज़ुल्म व ज़्यादती का बदला लिया जा सकता है। वल्लाहु आलम! (5) शायद आग से जलाना उनकी शरीयत में जायज़ होगा, हमारी शरीयत में मना है। (6) चींटी के क़त्ल से नह्य उसके हराम होने की दलील है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، - وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِيهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً . وَقَالَ الأَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَزَادَ فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ .

(4364) हज़रत हसन बसरी से मन्क़ूल है कि (साबिक़ा) अम्बिया (عليهم السلام) में से एक नबी एक दरख़्त के नीचे फ़रोकश हुये। एक चींटी ने उन्हें काट लिया। उन्होंने हुक्म दिया तो उनके पूरे बिल को तमाम चींटियों समेत जला दिया गया। अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ वह्य फ़रमाई। क्यों न आपने सिर्फ़ एक चींटी को मारा? (आख़िर ये भी तो अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करती हैं।)

और असअस ने इब्ने सीरीन से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से इसी (साबिक़ा) हदीस की मिस्ल बयान किया। और इसमें ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं: 'बिला शुब्हा ये (चीटियाँ अल्लाह तआला की) तस्बीह बयान करती हैं।'

(4364) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4871, 4872.

फ़ायदा : इसका मफ़हूम ये है कि असअस ने ये रिवायत दो शुयूख़ से बयान की है: एक हसन बसरी से और दूसरे मुहम्मद बिन सीरीन से। हसन बसरी से जो रिवायत है, वह मौक़ूफ़ है जबकि दूसरी, यानी मुहम्मद बिन सीरीन (رحمه الله) से बयानकर्दा रिवायत मरफ़ूअ है। दोनों रिवायतें, यानी मौक़ूफ़ और मरफ़ूअ सही हैं, अलबत्ता दूसरी मरफ़ूअ रिवायत में फ़इन्नहुन्ना युसब्बिहना के अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं। मौक़ूफ़, यानी हसन बसरी (رحمه الله) वाली रिवायत में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

(4365) इसी क़िस्म की रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है मगर वह मरफ़ूअ नहीं (बल्कि उनका अपना क़ौल है)

(4365) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4873.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

क़ुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इमाम नसाई (رحمه الله) ने अपनी किताब सुनन नसाई की तर्तीब इस तरह फ़रमाई है कि किताबुस्सैद वज़्ज़बाइह (शिकार और ज़बीहों के मसाइल बयान करने) के बाद किताबुज़्ज़हाया यानी क़ुर्बानी के अहकाम व मसाइल बयान फ़रमाये हैं। इन दोनों किताबों (अस्सैद वज़्ज़बाइह और अज़्ज़हाया) में मुनासिबत इस तरह बनती है कि इनमें माकूलुल लहम हैवानात, यानी जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, उनका ख़ून बहाने और उन्हें ज़बह करने के मसाइल बयान किये गये हैं। ऐसे तमाम हलाल जानवर और परिन्दे वग़ैरह जिनका शिकार शरीयत ने मुबाह और जायज़ क़रार दिया है, जब वह ज़िन्दा हालत में पकड़े जायें तो उनका गोश्त खाने के लिये ज़रूरी है कि उनहें ज़बह किया जाये, बसूरते दीगर उनका गोश्त खाना हराम और नाजायज़ है। यही हुक्म दूसरे जानवरों और परिन्दों का है, इन्सान उन्हें ज़बह करे और उनका गोश्त खा ले, वरना ज़बह न करने की सूरत में उन्हें खाना हलाल नहीं। अलबत्ता शिकार किये जाने वाले जानवर को अगर तकबीर पढ़ कर शिकार किया जाये और वह मर भी जाये तब भी हलाल होगा। अल मुख़्तसर ख़ुश्की का जो भी हलाल जानवर, बग़ैर ज़बह किये, अपनी मौत आप मर जाये, उसका गोश्त खाना हराम है, सिवाए मकड़ी के। यही वजह है कि जिस जानवर को ज़बह किया जाये उसे 'मुर्दार' नहीं कहा जाता जबकि ज़बह के बग़ैर मरने वाला जानवर मुर्दार ही कहलाता है और मुर्दार जानवर का गोश्त खाना शरअन नाजायज़ और हराम है। क़ुर्आन व हदीस़ में इस मसले की पूरी वज़ाहत मौजूद है। बवक़्ते ज़रूरत हलाल जानवर ज़बह किये जाते हैं और उनका गोश्त खाया जाता है। इमाम नसाई (رحمه الله) ने अस्सैद वज़्ज़बाइह के मुताल्लिक़ मसाइल को इसी लिये पहले बयान फ़रमाया है क्योंकि शिकार के लिये कोई वक़्त मख़सूस नहीं। शिकार करना सारा साल जायज़ और मुबाह है लेकिन क़ुर्बानी का जानवर चूंकि आम दिनों में ज़बह नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ़ ख़ास़ दिनों, यानी दस ज़ुलहिज्जा और अय्यामे तशरीक़ (ग्यारह, बारह और तेरह ज़ुलहिज्जा) में ज़बह किया जा सकता है, इसलिये ये ज़बह, आम ज़बह नहीं बल्कि ख़ास़ है, इसलिये आम ज़बीहों के मसाइल बयान करने के बाद उस ख़ास़ ज़बीहा के मसाइल ज़िक्र किये गये हैं जिसे क़ुर्बानी कहा जाता है, नीज़ ये जानवर महज़ गोश्त खाने के लिये नहीं बल्कि क़ुर्बे इलाही के हुसूल की ख़ातिर ज़बह किया जाता है।

★ **लुग़वी मानी :** (अल्अज़्हिया: इस्मुन लिमा युज़्बहु अय्यामल अज़्हा) अज़्हा लुग़त में उस जानवर को कहते हैं जिसे यौमुल अज़्हा में ज़बह किया जाता है।

क़ाज़ी अयाज़ कहते हैं कि यौमुल अज़्हा के मुताल्लिक़ कहा गया है कि उसे यौमुल अज़्हा कहने की वजह ये है कि क़ुर्बानी चाश्त, यानी ज़ुहा के वक़्त की जाती है, इसलिये इसी मुनासिबत से क़ुर्बानी के दिन को भी यौमुल अज़्हा कहा जाता है।

★ **इस्तेलाही मानी:** (हिया ज़ब्हु ....) (अल्फ़िक्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 3/594) (इस्तेलाहे शरीयत में) क़ुर्बानी से मुराद, वह मख़्सूस जानवर है जिसे एक ख़ास वक़्त पर, क़ुर्बे इलाही के हुसूल के लिये ज़बह किया जाये या क़ुर्बानी से मुराद वह मख़्सूस चौपाए हैं जो क़ुर्बानी के दिनों में अल्लाह तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लिये ज़बह किये जायें।

ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि क़ुर्बानी से मुराद शरीयत की मुतय्यनकर्दा ख़ास सिफ़ात का हामिल वह जानवर है जिसे अल्लाह तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लिये, क़ुर्बानी के दिनों में ज़बह किया जाये।

★ **क़ुर्बानी की मशरूइयत:** ज़कात और नमाज़े ईदैन की तरह क़ुर्बानी का हुक्म भी सन 2 हिजरी में नाज़िल हुआ। देखें: (अल्फ़िक्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 3/594) क़ुर्बानी की मशरूइयत क़ुर्आने करीम, हदीसे रसूल और इज्मा-ए-उम्मत से साबित है। इमाम इब्ने क़ुदामा (رحمه الله) 'अल मुग़नी' में फ़रमाते हैं: 'क़ुर्बानी की मशरूइयत किताब व सुन्नत और इज्मा से साबित है।' (अल मुग़नी लिइब्ने क़ुदामा: 13/360)

क़ुर्आने करीम से क़ुर्बानी की मशरूइयत बड़ी वाज़ेह है, अल्लाह तआला का इरशाद है: '(ऐ पैग़म्बर!) आप अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ें और क़ुर्बानी करें।' (अल कौसर 2/108)

हदीसे रसूल (ﷺ) से भी क़ुर्बानी की मशरूइयत वाज़ेह तौर पर साबित है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ादिमे ख़ास हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं: 'बिला शुब्हा नबी (ﷺ) चित्कबरे, सींगों वाले दो मेण्ढे क़ुर्बानी किया करते थे और आप उनके पहलूओं पर अपना पाँव मुबारक रखते और अपने हाथ मुबारक से उन्हें ज़बह करते थे।' (सहीह अल बुख़ारी, अल अज़ाही, हदीस: 5564, व सहीह मुस्लिम, अल अज़ाही, हदीस: 1966)

क़ुर्आन व सुन्नत के साथ साथ क़ुर्बानी इज्माए उम्मत से भी साबित है। नबी (ﷺ) के अहदे मुबारक से लेकर आज तक सारी उम्मते मुस्लिमा क़ुर्बानी करती चली आ रही है और इन्शा अल्लाह ये ज़र्री सिलसिला ता क़यामत जारी व सारी रहेगा।

★ **क़ुर्बानी की हिक्मतें:** यूँ तो क़ुर्बानी की बहुत सी हिक्मतें हैं लेकिन ज़ेल (नीचे) में हम चन्द एक अहम हिक्मतों का ज़िक्र करते हैं। क़ुर्बानी की सबसे बड़ी हिक्मत तो अल्लाह तआला का क़ुर्ब हासिल करना है। एक मोमिन की शान ही ये है कि वह हर वक़्त हर हाल में अपने ख़ालिक़ व मालिक की ख़ुशनूदी का ख़्वाहाँ और मुतलाशी हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुक्म देते हुये अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: '(ऐ पैग़म्बर!) कह दीजिये, बेशक मेरी नमाज़ और मेरी क़ुर्बानी और मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत (सब) अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिये है।' (अल्अनआम: 6/162)

क़ुर्बानी से मुआशरे के नादारों, फ़ुक़रा व मसाकीन, बेवाओं और यतीमों, और ज़रूरतमन्दों और मोहताज अफ़राद की मदद होती है। उनके दुख दर्द का कुछ न कुछ इज़ाला होता है और उससे कुछ वक़्त के लिये उनके राहत व सुकून का सामान पैदा हो जाता है। क़ुर्बानी से जद्दुल अम्बिया हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) की अज़ीम, अनोखी और बे लौस सुन्नत की याद ताज़ा होती है। अल्लाह तआला इसकी वजह से आने वाले बहुत से मसाइब व मुश्किलात को हमसे टाल देता है, और हमें सुकून और क़रार की दौलत अता फ़रमाता है। क़ुर्बानी करने से इन्सान के अन्दर क़नाअत और ईसार का जज़्बा भी पैदा होता है। अल्लाह तआला के अताकर्दा वसाइल को उसकी रज़ा के हुसूल की ख़ातिर ख़र्च करने से उसका शुक्र अदा होता है। ऊँट, गाय, भेड़, बकरी और दुम्बा छतरा वग़ैरह चौपाये अल्लाह तआला का बहुत बड़ा एहसान और ईनाम हैं, लिहाज़ा शरीयत के मुतय्यनकर्दा चौपायों में साल बाद कम अज़ कम एक मख़्सूस सिफ़ात व ख़ुसूसियात का हामिल चौपाया, अल्लाह को ख़ुश करने के लिये ज़बह करने से जानवरों की शक्ल में अता की हुई नेमत का शुक्र अदा हो जाता है, इसलिये उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिये क़ुर्बानी करनी चाहिए।

★ **क़ुर्बानी के चन्द अहम अहकाम व मसाइल:**

(1) क़ुर्बानी के लिये मुसन्ना (दो दाँता) जानवर ज़रूरी है, यानी जिसके दूध के दाँत गिर कर दो नये दाँत आ गये हों, ताहम अगर दो दाँता जानवर न मिल सके तो सिर्फ़ भेड़ का 'खीरा' भी क़ुर्बानी में ज़बह किया जा सकता है, अलबत्ता दो दाँता अफ़ज़ल ज़रूर है।

(2) रसूलुल्लाह (ﷺ) चित्कबरे, सींगों वाले और ख़सी किये हुये दो मैण्ढे ज़बह फ़रमाया करते थे, इसलिये इत्तिब-ए-सुन्नत के कमा हक़्क़ू तक़ाज़े पूरे करने के लिये इसी क़िस्म के मैण्ढे तलाश करना मुस्तहब है।

(3) ख़सी जानवर की क़ुर्बानी दुरुस्त है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद ऐसे जानवर की क़ुर्बानी की है। मज़ीद बरां ये कि ख़सी जानवर, ग़ैर ख़सी जानवर की निस्बत ज़्यादा मोटा ताज़ा और सेहतमन्द होता है।

(4) ऐसा जानवर जो लंगड़ा लूला, अंधा काना, बीमार व लाग़र, कान कटा या चिरा हो, और कान में सूराख़ वाला और इसी तरह जिस जानवर का थन ज़ाया हो चुका हो या उसका सींग टूट गया हो या किसी भी क़िस्म का वाज़ेह ऐब ज़दा जानवर क़ुर्बानी का अहल नहीं होगा।

(5) दस ज़ुलहिज्जा के दिन क़ुर्बानी करने से अफ़ज़ल और कोई भी अमल नहीं, ताहम अय्यामे तशरीक़, यानी ग्यारह, बारह और तेरह को भी क़ुर्बानी हो सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि ईद के रोज़ ही क़ुर्बानी की जाये अगरचे बाक़ी तीन दिनों में भी जायज़ है।

(6) क़ुर्बानी का जानवर, नमाज़े ईद के बाद ज़बह किया जाना ज़रूरी है। ईद की नमाज़ से पहले ज़बह किये हुये जानवर की क़ुर्बानी, अल्लाह तआला के यहाँ क़तअन क़ाबिले क़बूल नहीं, इसलिये जो लोग सुबह सवेरे, नमाज़े ईद से क़ब्ल ही जानवर ज़बह कर लेते हैं वह सिर्फ़ गोश्त वाला जानवर ही ज़बह करते हैं। इससे फ़रीज़-ए-क़ुर्बानी अदा नहीं होता।

(7) तमाम अहले ख़ाना (सारे घर वालों) की तरफ़ से एक ही जानवर, यानी बकरा, बकरी, दुम्बा, मैण्ढा, छितरा या छितरी काफ़ी होता है। ज़्यादा जानवर क़ुर्बान करना या एक बड़ा चौपाया ज़बह करना अफ़ज़ल और ज़्यादा अज्र व सवाब, यानी सात क़ुर्बानियाँ करने के बराबर है।

(8) क़ुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करना मसनून और अफ़ज़ल अमल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने हाथ मुबारक ही से क़ुर्बानी के जानवर ज़बह फ़रमाया करते थे, यहाँ तक कि हज्जतुल विदा के मौक़े पर नबी (ﷺ) ने ख़ुद तेरेसठ ऊँट नहर किये थे।

(9) क़ुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा और हस्बे इस्तेताअत क़ीमती होना चाहिए और उसे ज़बह करते वक़्त क़िब्ला रूख़ करना चाहिए, और क़ुर्बानी का जानवर तेज़ छुरी ही से ज़बह करना चाहिए।

(10) क़ुर्बानी करने वाले शख़्स के लिये ज़रूरी है कि ज़ुलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद अपने नाख़ुन और बाल वग़ैरह न उतारे। तमाम अहले ख़ाना को इस हुक्म की पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि क़ुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ़ से होती है।

(11) क़ुर्बानी का गोश्त ख़ुद खाना, ग़ुरबा, फ़ुक़रा व मसाकीन और मोहताजों को खिलाना, और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को हदिया करना मुस्तहब और पसन्दीदा है, ताहम क़ुर्बानी का गोश्त और उसकी खाल या चमड़ा क़स्साब को बतौर उजरत देना नाजायज़ है। क़स्साब अगर मुस्तहिक़ हो तो उसे भी क़ुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है, इसी तरह चमड़ा और खाल भी उसे दी जा सकती है बशर्ते कि उसका मुस्तहिक़ हो।

(12) ऊँट और गाय की क़ुर्बानी में सात घराने शरीक हो सकते हैं जबकि ऊँट में दस अफ़राद भी शामिल हो सकते हैं।

(13) हामिला (गाभिन) जानवर की क़ुर्बानी भी जायज़ है। ऐसे जानवर को ज़बह करने के बाद अगर उसके पेट से ज़िन्दा बच्चा निकले तो क़ुर्बानी करने वाला शख़्स अगर चाहे तो उसे ज़बह कर ले और अगर चाहे तो ज़बह न करे बल्कि उसे ज़िन्दा रहने दे। इसको 'क़ुर्बान करना' ज़रूरी नहीं क्योंकि क़ुर्बानी करने वाले शख़्स ने उस बच्चे की माँ को क़ुर्बानी के लिये मुतय्यन किया था उस बच्चे को नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर ज़बह करने के बाद हामिला के पेट से मुर्दा बच्चा बरामद हो तो ज़बह किये बग़ैर ही उसका गोश्त खाया जा सकता है। उसकी माँ को ज़बह करना ही उस बच्चे को किफ़ायत कर जायेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'बच्चे का ज़बह करना उसकी माँ के ज़बह करने में है।' (मुसनद अहमद: 3/39, व सुनन अबी दाऊद, अज़्ज़हाया, हदीस: 2828) और अगर तबई कराहत वग़ैरह की वजह से कोई शख़्स उसका गोश्त न खाना चाहे तो भी कोई हर्ज नहीं होगा।

(14) क़ुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त दर्ज ज़ेल दुआ पढ़नी चाहिए:

(इन्नी वज्जह्तु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ ....) (मुसनद अहमद: 3/375, व सुनन अबी दाऊद, अलज़हाया, हदीस: 2798, वल लिफ़्ज़लह)

दुआ में मज़्कूर अल्फ़ाज़ में अन मुहम्मदिंव व उम्मतिहि के बजाये अपना और अपने अहल व अयाल का नाम ले, यानी यूँ कहे: अन्नी व अहलि बैती या जिसकी तरफ़ से ज़बह कर रहा है उसका नाम ले। दुआ का मफ़हूम दर्ज ज़ेल है: 'मैंने अपना रुख़ उस ज़ात की तरफ़ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया है। मैं यक्सू होकर मिल्लते इब्राहीम (عليه السلام) पर हूँ, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं इताअत गुज़ारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! (ये क़ुर्बानी) तेरी तरफ़ से है और तेरे ही लिये है। इसे मुहम्मद (ﷺ) और उसकी उम्मत की तरफ़ से क़बूल फ़रमा। अल्लाह के नाम से (ज़बह करता हूँ) और अल्लाह सबसे बड़ा है।' (अन्नी व अहलि बैती) का मफ़हूम होगा: (ये क़ुर्बानी) मेरी और मेरे घर वालों की तरफ़ से है।

इस्लाम में ज़ुलहिज्जा की दस तारीख़ को क़ुर्बानी करना आम मुसलमानों पर वाजिब या कम अज़ कम सुन्नते मुअक्कदा है। लेकिन सहूलत के लिये एक घर वालों की तरफ़ से एक क़ुर्बानी किफ़ायत कर जाती है। हज को जाने वाले हज़रात के लिये भी क़ुर्बानी सुन्नत है मगर जो शख़्स हज के साथ उम्रा भी हज के दिनों में ही करे, उसके लिये क़ुर्बानी वाजिब है। क़ुर्बानी के दिनों के अलावा भी अगर किसी

दिन कोई शख़्स नफ़ली कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है। उसे सदक़ा कहा जाता है, अलबत्ता इसमें पाबन्दी है कि उसे सिर्फ़ मुस्तहिक़ीने सदक़ा खा सकते हैं जबकि दस ज़ुलहिज्जा वाली कुर्बानी अमीर व ग़रीब सब लोग बिला इम्तियाज़ खा सकते हैं। कुआर्ने करीम में इरशादे बारी है: 'तुम (ख़ुद) उनमें से खाओ और फ़ाक़ा कश व तंग दस्त फ़क़ीर को (भी खिलाओ)' (अल हज: 22/28) और ये अल्लाह तआला की ख़ुसूसी करम नवाज़ी है। पहली उम्मतों में ख़ुद खाने की इजाज़त नहीं थी।

कुर्बानी हर उम्मत में रही है। इसका राज़ ये है कि इन्सान अल्लाह तआला के लिये अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिये तैयार रहे। उसका अमली इज़्हार हर साल कुर्बानी की सूरत में होता है। उसकी सुन्नियत पर सहाबा से लेकर हर दौर के उलमा और अवाम का इज्मा रहा है। अलबत्ता माज़ी क़रीब के कुछ मुल्हिदीन ने कुर्बानी पर ऐतराज़ात किये हैं कि हर साल एक दिन में इतने जानवर ज़ाया कर दिये जाते हैं। इसकी बजाये यही रक़म इकट्ठी करके मुस्तहिक़ीन पर ख़र्च करनी चाहिए। हालांकि कुर्बानी में सिर्फ़ रक़म ही ख़र्च नहीं होती बल्कि कुर्बानी का जज़्बा भी पैदा होता है जिसे अल्लाह के नाम पर छुरी चलाने वाला ही महसूस कर सकता है, फिर ये मुमकिन ही नहीं कि कुर्बानी पर ख़र्च होने वाली रक़म हर शख़्स किसी इदारे को जमा करवा दे यहाँ तक कि ये लोग भी ख़ुद कोई ऐसा इदारा क़ाइम न कर सके। ये ख़तीर रक़म इबादत और कुर्बानी के तसव्वुर ही से ख़र्च हो सकती है और फिर ये लोग नहीं जानते कि कुर्बानी के साथ कितने लोगों का मआश वाबस्ता है जो सब ग़रीब हैं। हर आदमी अपने अपने घर बैठ कर इस ज़रिये से अपना मआश हासिल कर रहा है, जैसे: ग़रीब देहाती लोग और बेवा औरतें जो कुर्बानी के लिये जानवर पालते हैं और लोग उनसे महंगे दामों में ले जाते हैं। जानवरों का कारोबार करने वाले लोग, चर्म का कारोबार करने वाले लोग, ग़रीब लोग जो जानवर ज़बह करते हैं, ग़रीब लोग जिन पर चरम की रक़म तक़्सीम होती है, दीनी, तालीमी इदारे वग़ैरह। और फिर कुर्बानी के दिन साल में इस लिहाज़ से यादगार हैं कि इन दिनों हर ग़रीब और अमीर ख़ूब सैर होकर गोश्त खाता है। वह लोग भी जिन्हें शायद आम दिनों में अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक़ गोश्त मिल ही नहीं सकता बल्कि कई लोग कई कई दिनों के लिये गोश्त महफ़ूज़ कर लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक़ खाते रहते हैं। ये सब कुर्बानी ही की बरकतें हैं, फिर कुर्बानी की कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती यहाँ तक कि आंतें तक भी काम में लाई जाती हैं, लिहाज़ा ज़ाया वाला ऐतराज़ फ़ुज़ूल है, फिर इन मोतरिज़ीन को हिन्दूओं की रस्म 'बलि दान' नज़र नहीं आती जिसमें इन्तेहाई सफ़्फ़ाकी का सबूत दिया जाता है। हर साल लाखों जानवरों को बड़ी संग दिली और बेरहमी से तेज़धार आले से क़त्ल किया जाता है। ज़ोरदार वारों से उनकी गर्दनें तन से जुदा की जाती हैं। वह ये सब कुछ गहीमाई (Gahhimai) देवी के तक़र्रुब की ख़ातिर करते हैं। क्या इसमें ज़ियाए माल नहीं? ये लाखों जानवर ज़ाया हो जाते हैं। उनका गोश्त खाया जाता है न उनकी चर्बी

और खाल काम में आती है, न आंतें और न दीगर आज़ा-ए-जिस्म ही, मक़सूद सिर्फ़ नज़राना होता है। इसके बाद सब कुछ बेकार लेकिन सुब्हानल्लाह इसके बरअक्स ईदे कुर्बान मं एक हिक्मत है। एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील और हर साल एक अज़ीम अहद की तज्दीद होती है, और इस्लाम ने ज़बीहा के साथ हुस्ने सुलूक और इन्तेहाई रहम दिली का दर्स दिया है। फ़हल् मिम् मुद्दकिर! लिहाज़ा अगर हर चीज़ में माद्दी नुक़्ता नज़र अपनाया जाये तो कल कलां हज को भी मौक़ूफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी अरबों खरबों रूपये सर्फ़ होते हैं। रोज़ा भी छोड़ना होगा क्योंकि इसमें ख़्वाहमख़्वाह जिस्मानी कमज़ोरी बर्दाश्त करना पड़ती है और कुव्वतकार में कमी वाक़ेअ होती है। नमाज़ को भी तलाक़ देना होगी कि इसमें भी चौबीस में से दो तीन घण्टे सर्फ़ हो जाते हैं जिनका कोई मुआवज़ा नहीं मिलता। ज़कात देने की भी ज़रूरत न होगी क्योंकि कमाई हूई दौलत में से किसी को बिला वजह क्यूँ दिया जाये? गोया दमड़ी न जाये, चमड़ी बेशक चली जाये, यानी दीन, अख़्लाक़ और इन्सानियत का शमा भी बाक़ी न रहेगा। तो बताइये इस सौदे में क्या मुनाफ़ा हुआ? क्या पैसा ही कुल कायनात है?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الضحايا

कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب(۱): مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ ...

बाब : (1) जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहता हो, वह अपने बाल न काटे

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، -وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ " .

(4366) हज़रत उम्मे सलमा (﵂) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ज़ुलहिज्जा का चाँद देख ले और वह क़ुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वह अपने बाल और नाख़ुन न काटे यहाँ तक कि क़ुर्बानी कर ले।'

(4366) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 41/1977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4451.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से क़ुर्बानी की मशरूइयत साबित होती है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि जो आदमी क़ुर्बानी करना चाहता हो, वह ज़ुलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाख़ुन वग़ैरह काटे न तराशे। **(3)** 'चाँद देख ले' मक़सद ये है कि ज़ुलहिज्जा का चाँद तुलूअ हो जाये वरना ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इसे देखे। **(4)** 'इरादा रखता हो' गोया जो शख़्स क़ुर्बानी का इरादा न रखता हो, उस पर ये पाबन्दी नहीं मगर उसके लिये बेहतर है कि वह क़ुर्बानी के दिन ही हजामत बनवाये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ

(4367) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (﵂) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स क़ुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वह न अपने

عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ " .

नाख़ुन कटवाये और न बाल। ये हुक्म ज़ुलहिज्जा के पहले दस दिन के लिये है।'

(4367) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4452.

फ़ायदा : 'दस दिन' यानी दसवें दिन क़ुर्बानी ज़बह करने तक। क़ुर्बानी ज़बह करने के बाद हजामत बनवा लेनी चाहिए।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الأَحْلاَفِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ أَظْفَارِهِ . فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ أَلاَ يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ .

(4368) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) से मरवी है कि जो आदमी क़ुर्बानी ज़बह करने का इरादा रखता हो और ज़ुलहिज्जा शुरू हो जाये तो वह अपने बाल और नाख़ुन न काटे। मैंने इक्रिमा से इसका ज़िक्र किया तो वह कहने लगे: क्या वह औरत और ख़ूशबू से भी अलग न रहे?

(4368) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4453.

फ़ायदा : हज़रत इक्रिमा का मतलब ये है कि अगर हजामत नहीं बनवानी तो फिर औरत और ख़ुशबू का इस्तेमाल भी मना होना चाहिए क्योंकि मुहरिम से मुशाबिहत तो तब ही मुकम्मल होगी। शायद उन्होंने इसे हज़रत सईद बिन मुसय्यब का अपना क़ौल समझा होगा। और उनको मरफ़ूअ रिवायत नहीं पहुँची होगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान पर तो ऐतराज़ हो ही नहीं सकता। शरीयत ने जितनी पाबन्दी मुनासिब समझी, लगा दी, जैसे वुज़ू और ग़ुस्ल का फ़र्क़ है। जुन्बी के लिये ग़ुस्ल मशरूअ फ़रमा दिया और मुहदिस (बेवुज़ू) के लिये वुज़ू। इसी तरह मुहरिम के लिये ज़्यादा पाबन्दियाँ लगा दीं और सिर्फ़ क़ुर्बानी करने वाले के लिये कम। ये कौन सी क़ाबिले ऐतराज़ बात है?

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ

(4369) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ज़ुलहिज्जा शुरू हो जाये तो जो शख़्स क़ुर्बानी का

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا " .

इरादा रखता हो, तो वह अपने बाल या जिस्म का कोई और हिस्सा (जैसे नाख़ुन वग़ैरह) न काटे।'

(4369) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4454.

باب(٢): مَنْ لَمْ يَجِدِ الأُضْحِيَةَ

बाब : (2) जो शख़्स क़ुर्बानी की ताक़त न रखता हो

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَذَكَرَ، آخَرِينَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ " لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4370) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी से फ़रमाया: 'मुझे क़ुर्बानियों वाले दिन को ईद बनाने का हुक्म दिया गया है जिसे अल्लाह तआला ने इस उम्मत के लिये मुक़र्रर फ़रमाया है।' उस शख़्स ने अर्ज़ की: अगर मेरे पास दूध वाली बकरी के अलावा कोई और जानवर क़ुर्बानी के लिये न हो तो फ़रमाइये क्या मैं उसे ही ज़बह कर दूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं, लेकिन तू (क़ुर्बानी वाले दिन) अपने बाल काट ले, नाख़ुन और मूँछें तराश ले और ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ कर ले। अल्लाह तआला के यहाँ तेरी तरफ़ से यही मुकम्मल क़ुर्बानी शुमार होगी।'

(4370) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4455, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1043, वल हाकिम: 4/223.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत वाज़ेह है कि जो शख़्स क़ुर्बानी करने की ताक़त नहीं रखता, उसके लिये शरीयत का हुक्म ये है कि वह अपनी जिस्मानी सफ़ाई सुथराई का ख़ास एहतिमाम करे। ईद वाले दिन अपने बाल और नाख़ुन तराशे। अपने मूँछें काटे और ज़ेरे नाफ़ बालों की सफ़ाई करे। ये एहतिमाम उसके लिये क़ुर्बानी करने के क़ाइम मक़ाम होगा। इन्शाअल्लाह! **(2)** ईद

के दिन बनना संवरना और सफ़ाई सुथराई का एहतिमाम करना मुस्तहब है चूंकि ये लोगों के इज्तेमा का दिन है, इसलिये इस दिन की ख़ातिर ख़ास तौर पर नहाना धोना, अच्छा लिबास पहनना, ख़ुशबू लगाना और शरीयत के बतलाये हुये दीगर उमूर बजा लाना मतलूब और शरीयते मुतह्हरा की नज़र में पसन्दीदा अमल है। यही वजह है कि क़ुर्बानी न कर सकने के बावजूद मज़्कूरा उमूर को कमा हक़्क़हू बजा लाना, अज्र व सवाब में मुकम्मल क़ुर्बानी करने के मुतरादिफ़ क़रार दिया गया है। (3) ये हदीसे मुबारका क़ुर्बानी करने की ख़ुसूसी अहमियत भी उजागर करती है क्योंकि क़ुर्बानी करने का इस क़द्र ताकीदी और पुख़्ता हुक्म है कि इस्तेताअते क़ुर्बानी न रखने के बावजूद जिस्मानी और बदनी हैयत क़ुर्बानी करने वालों जैसी बनाना मुस्तहब क़रार दिया गया है ताकि क़ुर्बानी करने वाले लोगों के साथ बदनी मुशाबित हो जाये। (4) मालूम हुआ क़ुर्बानी की ताक़त न रखने वाले शख़्स को क़ुर्बानी माफ़ है। (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा)

बाब : (3)
इमाम अपनी क़ुर्बानी ईदगाह में ज़बह करे

ذَبْحِ الإِمَامِ أُضْحِيَتَهُ بِالْمُصَلَّى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى .

(4371) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदगाह में क़ुर्बानी ज़बह या नहर फ़रमाते थे।

(4371) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4456.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये था कि लोगों में शौक़ पैदा हो। आपको क़ुर्बानी ज़बह करते देखने के बाद कोई शख़्स सुस्ती नहीं कर सकता था बशर्ते कि वह ताक़त रखता हो। अब भी इमाम के लिये ये तरीक़ा मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं। इमाम मालिक ने इसे ज़रूरी ख़याल किया है मगर वजूब की कोई दलील नहीं। **(2)** 'ज़बह या नहर' गाय, बकरी और दुम्बा, चित्थरा वग़ैरह को ज़बह किया जाता है जबकि ऊँट को नहर।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

(4372) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईदुल अज़्हा के दिन मदीना मुनव्वरा में ऊँट नहर फ़रमाया। और अगर (किसी साल) ऊँट नहर न फ़रमाते तो

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ يَوْمَ الأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى .

क़ुर्बानी को ईदगाह में ज़बह फ़रमाते।

(4372) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4457, बुख़ारी, हदीस: 982, 1710, 5552.

फ़ायदा : गोया ऊँट को ईदगाह में न ले जाते बल्कि उसे शहर ही में ज़बह कर देते। छोटा जानवर होता तो साथ ले जाते क्योंकि बड़े जानवर को ज़बह करने में देर भी लगती है और मुआविन भी ज़्यादा चाहिए, इसलिये घर ही बेहतर है।

باب(٤): ذَبْحِ النَّاسِ بِالْمُصَلَّى

बाब : (4) दूसरे लोग भी क़ुर्बानी ईदगाह में ज़बह कर सकते हैं

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4373) हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईदुल अज़्हा में हाज़िर हुआ। आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब आपने नमाज़ अदा कर ली तो आपने देखा कि कुछ बकरियाँ ज़बह हो चुकी हैं। आपने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी ज़बह कर दी है, वह उसकी जगह और बकरी ज़बह करे और जो ज़बह नहीं कर चुका तो वह अल्लाह (ﷻ) का नाम लेकर ज़बह करे।'

(4373) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1960, बुख़ारी, हदीस: 985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4458.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने इस हदीस पर जो बाब बाँधा है, वह आम लोगों के ईदगाह में क़ुर्बानी के जानवर ज़बह करने के मुताल्लिक़ है। तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह है कि आप (ﷺ) ने नमाज़े ईद अदा करने के बाद देखा तो कुछ बकरियाँ ज़बह की जा चुकी थीं, ज़ाहिर है कि आपने नमाज़े ईद, ईदगाह ही में पढ़ाई थी, लिहाज़ा ज़बह की हुई बकरियाँ भी आपने वहाँ ही देखी होंगी। **(2)** मस्जिद से अलग, बाहर खुले मैदान में नमाज़े ईद अदा करना सुन्नत है। आम हालात में बाहर, ईदगाह ही में ईद अदा की जायेगी, ताहम बवक़्ते ज़रूरत, यानी बारिश, आँधी और सख़्त सर्दी वग़ैरह की सूरत में नमाज़े ईद, मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। **(3)** नमाज़े ईद की अदायगी से पहले क़ुर्बानी का जानवर ज़बह नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख़्स नमाज़े ईद पढ़ने से

पहले कुर्बानी ज़बह करेगा तो उसकी कुर्बानी हरगिज़ हरगिज़ नहीं होगी, लिहाज़ा उस पर कुर्बानी के लिये दूसरा जानवर ज़बह करना ज़रूरी होगा, बशर्ते कि दूसरे जानवर की इस्तेताअ़त हो। ये इसलिये कि कुर्बानी का वक़्त मुक़र्रर है। इससे पहले कुर्बानी ग़ैर मोतबर है, जैसे नमाज़ का वक़्त मुक़र्रर है। वक़्त से पहले पढ़ी हुई नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह ईद की नमाज़ के इख़्तिताम से पहले कुर्बानी का वक़्त नहीं होता, लिहाज़ा कुर्बानी दोबारा करना होगी।

बाब : (5)
जिन जानवरों की कुर्बानी मना है, उनका बयान: काने जानवर की (कुर्बानी मना है)

باب : (٥)
مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَضَاحِي الْعَوْرَاءِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ، عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي عَمَّا، نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَضَاحِي . قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ " أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي " . قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ . قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ .

(4374) हज़रत अबू ज़ह्हाक उबैद बिन फ़ैरूज़ मौला बनी शैबान से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत बराअ (ﷺ) से अर्ज़ की: मुझे बताइये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किन जानवरों की कुर्बानी से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये उठे और (अपने हाथ मुबारक के साथ इशारा करते हुये) फ़रमाया: वैसे मेरा हाथ हर लिहाज़ से आप (ﷺ) के हाथ से कोताह है। 'चार जानवर कुर्बानी में किफ़ायत नहीं करते: काना जानवर जिसका काना पन वाज़ेह हो, बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ा पन वाज़ेह हो और वह जानवर जो हड्डी टूटने से इतना कमज़ोर हो चुका हो कि उसमें गूदा न रहा हो।' मैंने कहा: मैं तो ये भी नापसन्द करता हूँ कि सींग में कोई नुक़्स हो या दाँत में कोई नुक़्स हो। वह फ़रमाने लगे: जिसे तू नापसन्द करता है, उसकी कुर्बानी न कर लेकिन किसी पर हराम न कर।

(4374) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2802, तिर्मिज़ी: 1497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4459, व

सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 2912, व इब्ने हिब्बान: 1046, 1047,
व इब्ने अल्जारूद: 1907, वल हाकिम: 1/467, 478,
वज़्ज़हबी वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस जानवर का काना पन वाज़ेह हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। यही हुक्म दूसरे उयूब व नक़ाइस़, यानी बीमार, लंगड़े और इन्तेहाई लाग़र व कमज़ोर जानवर का है कि अगर उनके ये ऐब वाज़ेह हों तो उनकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम बात भी मालूम होती है कि स़हाब-ए-किराम (ﷺ) कमाल दर्जे रसूलुल्लाह (ﷺ) का अदब व एहतिराम किया करते थे। यही वजह है कि हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) ने रसूलुलल्लाह (ﷺ) के फ़ेअल की नक़ल करते हुये जब अपने हाथ की चार उंगलियों से कुर्बानी के ममनूआ (मनाकर्दा)जानवरों की बाबत इशारा किया तो ये भी फ़रमा दिया कि मेरे हाथ (और उंगलियों) का रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक हाथ से कोई मुवाज़ना ही नहीं। मेरा हाथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ मुबारक से, हर लिहाज़ से छोटा है (3) तक़र्रुब अल्लाह के हुसूल के लिये स़हाब-ए-किराम तन्दुरुस्त और फ़रबे जानवर और दूसरी क़ीमती और पसन्दीदा चीज़ें ही ख़र्च करने को तर्जीह दिया करते थे, ख़्वाह इसके मुताल्लिक़ हुक्मे शरीयत न भी हो। (4) हदीसे मज़्कूर इस बात पर भी दलालत करती है कि किसी की ज़ाती पसन्द और नापसन्द का दीन व शरीयत में कोई अ़मल दख़ल नहीं बल्कि शरीयत ख़ालिसतन मन्सूस (किताब व सुन्नत) से स़ाबित उमूर का नाम है। इसी लिए हज़रत बराअ (ﷺ) ने उ़बैद बिन फ़ैरूज़ से फ़रमाया कि तुझे जो जानवर नापसन्द है तो उसकी कुर्बानी न कर लेकिन किसी और को मत रोक। ये तेरा नहीं, शरीयते मुतह्हरा का काम है, इसलिये जिस ऐब के मुताल्लिक़ शरीयत की नस़ (अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ से मुमानिअ़त) नहीं, उस ऐब के होते हुये भी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और इस पर उम्मत का इज्मा है। वल्लाहु आ़लम! (5) 'किसी पर हराम न कर' यानी किसी को हुर्मत का फ़त्वा न दे। मामूली नुक़्स जो महसूस न होता हो, क़ाबिले दरगुज़र है, अलबत्ता कुर्बानी करने वाला अपनी तरफ़ से बेहतरीन जानवर ज़बह करे। सींग और कान के बारे में रिवायात आगे आ रही हैं इसलिये बहस भी वहाँ होगी। इन्शाअल्लाह!

बाब : (6) लंगड़े जानवर का बयान

باب(٦): الْعَرْجَاءِ

(4375) हज़रत उ़बैद बिन फ़ैरूज़ से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से कहा: मुझे बयान फ़रमाइये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किन जानवरों की कुर्बानी से मना फ़रमाया है या

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا أَنْبَأَنَا

شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي مَا، كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَضَاحِي . قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي " . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ . قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ .

नापसन्द फ़रमाया है? वह फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से यूँ इशारा फ़रमाया: ..... और मेरा हाथ रसूलुल्लाह(ﷺ) के हाथ से छोटा है ..... 'चार जानवर क़ुर्बानी में किफ़ायत नहीं करते: काना जिसका काना पन वाज़ेह हो, बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, लंगड़ा जिसका लंगड़ा पन वाज़ेह हो और वह जानवर जिसकी हड्डी टूट चुकी हो और वह इतना कमज़ोर हो चुका हो कि उसमें गूदा बाक़ी न रहा हो।' मैंने कहा: मैं तो कान और सींग के नुक़्स को भी नापसन्द करता हूँ। वह फ़रमाने लगे: जिसको तू नापसन्द करता है उसे क़ुर्बान न कर लेकिन उसे दूसरों के लिए हराम क़रार न दे।

(4375) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4460.

फ़ायदा : मालूम हुआ थोड़ा बहुत लंगड़ा पन जो ग़ौर किये बग़ैर महसूस न होता हो या सिर्फ़ भागते हुये महसूस होता हो, क़ुर्बानी में ऐब नहीं है। इसी तरह दूसरे ऐब ग़ैर महसूस हद तक माफ़ हैं। वल्लाहु आलम!

بَاب(٧): الْعَجْفَاءِ

बाब : (7) इन्तेहाई कमज़ोर जानवर की क़ुर्बानी (भी दुरुस्त नहीं)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَذَكَرَ، آخَرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

(4376) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना और आप अपनी मुबारक उंगलियों के साथ इशारा भी फ़रमा रहे थे: .... और मेरी उंगलियाँ रसूलुल्लाह(ﷺ) की मुक़द्दस उंगलियों से कोताह हैं .... ' चार क़िस्म के जानवर क़ुर्बानी में जायज़ नहीं: काना

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ يَقُولُ " لاَ يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي" .

जिसका काना पन ज़ाहिर हो, लंगड़ा जिसका लंगड़ा पन वाज़ेह हो, मरीज़ जिसका मर्ज़ वाज़ेह हो और इतना कमज़ोर जानवर कि उसमें गूदा तक न हो।'

(4376) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4461.

باب : (٨)
الْمُقَابَلَةِ وَهِيَ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا

बाब : (8)
जिस जानवर के कान का अगला किनारा कटा हो (उसकी क़ुर्बानी जायज़ नहीं)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ .

(4377) हज़रत अली (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम (क़ुर्बानी वाले जानवर के) आँख और कान को ग़ौर से देखें और हम कोई ऐसा जानवर ज़बह न करें जिसका कान आगे से कटा हो या पीछे से कटा हुआ हो या दुम कटी हुई हो या कान में सूराख़ हो।

(4377) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2804, 4381, तिर्मिज़ी, हदीस: 1498, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4462, व सहीह अल हाकिम: 4/224.

फ़ायदा : जानवर की ख़ूबसूरती उसके कान आँख ही से होती है, इसलिये आपने उनमें हल्का सा ऐब भी क़बूल नहीं फ़रमाया, ख़ुसूसन इसलिये भी कि मुश्रिकीन बुतों के नाम पर जानवरों के कान कुछ हद तक काट देते थे। चूंकि कन कटे जानवर के बारे में ये शुब्हा क़ाइम है कि शायद वह किसी बुत के लिये नामज़द हो, लिहाज़ा इस क़िस्म के हर जानवर को क़ुर्बानी में ममनूअ क़रार दिया गया है। दुम भी जानवर की ख़ूबसूरती में असल है, लिहाज़ा दुम कटा जानवर भी ममनूअ है।

باب: (٩)
الْمُدَابَرَةِ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ .

बाब : (9) जिस जानवर के कान का पिछला किनारा कटा हो

(4378) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम (क़ुर्बानी वाले जानवर के) आँख और कान को अच्छी तरह देखें। और हम कोई ऐसा जानवर ज़बह न करें जो काना हो या उसका कान आगे या पीछे से कटा हुआ हो, या वह दरम्यान से चिरा हुआ हो या उसमें सूराख़ हो।

(4378) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4463.

باب: (١٠)
الْخَرْقَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُخْرَقُ أُذُنُهَا

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ .

बाब : (10) जिस जानवर के कान में सूराख़ हो

(4379) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि ऐसा जानवर क़ुर्बानी में ज़बह किया जाये जिसका कान आगे या पीछे से कटा या चिरा हुआ हो या उसमें सूराख़ हो। या उसका कोई अज़्व कटा हुआ हो।

(4379) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4464.

फ़ायदा : 'कोई अज़्व कटा हुआ हो' जैसे नाक, कान या होंट वग़ैरह। अरबी में इसे जदआ कहते हैं।

बाब : (11)
जिस जानवर का कान चिरा हुआ हो

باب : (١١)
الشَّرْقَاءِ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الأُذُنِ

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ عَوْرَاءَ " .

(4380) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसा जानवर क़ुर्बानी में ज़बह न किया जाये जिसका कान आगे या पीछे से कटा हुआ या चिरा हुआ हो, या उसमें सूराख़ हो, या वह आँख से काना हो।'

(4380) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 4377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4465.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ سَلَمَةَ، - وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ - أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ .

(4381) हज़रत अ़ली (ﷺ) फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम क़ुर्बानी के जानवर के कान और आँख ग़ौर से देखें (कि उनमें किसी क़िस्म की कोई ख़राबी न हो)

(4381) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4466, व स़हीह अल हाकिम.

फ़ायदा : 'ग़ौर से देखें' कुछ हज़रात ने मानी किये हैं कि हम बेहतरीन कानों और आँखों वाला जानवर पसन्द करें। मफ़हूम इसका भी यही है कि आँखों और कानों में किसी क़िस्म का, मामूली सा भी कोई ऐ़ब गवारा नहीं। मज़ीद बरां ये भी कि आँख और कान वही ख़ूबसूरत और बेहतरीन होंगे जो नुक़्स और ऐ़ब से पाक हों, ऐ़ब वाली आँख कान तो बेहतरीन नहीं हो सकते। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (12) टूटे हुये सींग वाले जानवर (की क़ुर्बानी) का बयान

باب(١٢): الْعَضْبَاءِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَعَمْ إِلاَّ عَضَبَ النِّصْفِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

(4382) हज़रत अली (﵁) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने टूटे हुये सींग वाले जानवर की क़ुर्बानी से मना फ़रमाया है। ये बात हज़रत सईद बिन मुसय्यब से ज़िक्र की गई तो उन्होंने फ़रमाया: इससे मुराद वह जानवर है जिसका निस्फ़ या निस्फ़ से ज़्यादा सींग टूटा हुआ हो।

(4382) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2805, तिर्मिज़ी, हदीस: 1504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4467.

फ़ायदा : अरबी में लफ़्ज़ आज़ब इस्तेमाल हुआ है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने इसी लफ़्ज़ की तशरीह फ़रमाई है कि मामूली टूटे हुये सींग की वजह से जानवर को अज़ब नहीं कहा जाता, बल्कि निस्फ़ या उससे ज़्यादा टूटा हो तब उसकी क़ुर्बानी मना होगी। गोया सींग की हैसियत कान की सी नहीं। इसमें थोड़ा बहुत नुक़्स माफ़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (13) मुसन्ना और ज़ज़आ जानवर (की क़ुर्बानी) का बयान

باب(١٣): الْمُسِنَّةِ وَالْجَذَعَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، -وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ - وَأَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي النُّفَيْلِيَّ - قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ " .

(4383) हज़रत जाबिर (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम क़ुर्बानी में सिर्फ़ मुसन्ना जानवर ही ज़बह करो मगर ये कि तुम्हें मुसन्ना मिलना मुश्किल हो तो फिर तुम भेड़ का ज़ज़आ ज़बह कर सकते हो।'

(4383) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1963, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4468.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दो दाँता जानवर क़ुर्बान करना मुस्तहब है। मुसन्ना न मिलने या अदमे

इस्तेताअत की सूरत में भेड़ का ज़ज़आ भी जायज़ है इसकी उम्र के मुताल्लिक़ अहले इल्म के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं कि कितनी उम्र का ज़ज़आ क़ुर्बानी के क़ाबिल होगा। जुम्हूर अहले इल्म और मुहद्दिसीन का नुक़्त-ए-नज़र ये है कि इसकी उम्र साल या उसके क़रीब क़रीब होनी चाहिए। और मालूम हुआ कि ज़ज़आ, यानी पका खीरा सिर्फ़ भेड़ का क़ुर्बान हो सकता है। बकरी, गाय या ऊँट वग़ैरह का नहीं। हदीस के अल्फ़ाज़ (फ़तज़्बहू ज़ज़्अतम् मिनज़्ज़ान) इसकी सरीह और ठोस दलील हैं। अहले इल्म मुहद्दिसीन वग़ैरह का यही क़ौल है। **(2)** जिस जानवर के दाँत गिर जायें, उसे अ़रबी ज़बान में मुसन्ना या सन्नी कहा जाता है। उर्दू में इसे 'दो दाँता' और पंजाबी में 'दोंदा' कहते हैं। कुछ हज़रात ने मुसन्ना के मानी 'एक साल' का किया है, हालांकि ये मानी लुग़त के लिहाज़ से सही हैं न उर्फ़ के लिहाज़ से क्योंकि मुसन्ना लफ़्ज़ सिन्न से बना है जिसके मानी दाँत होते हैं, न कि सना से, जिसके मानी साल के होते हैं। उर्फ़न भी बकरा एक साल में दो दाँता नहीं होता, अक्सर बाद में होता है। शाज़ व नादिर तौर पर एक साल का भी हो सकता है मगर उमूमन नहीं। हुक्म उमूम के लिहाज़ से होता है। जबकि असल मक़सद दाँत का गिरना है न कि उम्र, इसलिये कि दाँत गिरने के लिये कोई उमर मुअय्यन नहीं, और उमर का तअय्युन भी मुश्किल है। इसमें इख़्तिलाफ़ हो सकता है। कोई शख़्स बेचने के लिये झूठ भी बोल सकता है, मगर दाँत गिरना और उसकी जगह नया दाँत आना एक वाज़ेह और यक़ीनी अलामत है जिसमें फ़्रॉड मुमकिन नहीं, लिहाज़ा सही बात यही है कि क़ुर्बानी का जानवर दो दाँता (दोंदा) हो, बकरा हो या गाय या ऊँट और ये सब जानवर मुख़्तलिफ़ उम्रों में दो दाँते होते हैं, अलबत्ता अगर ये न मिल सके या इसकी इस्तेताअत न हो तो भेड़ के ज़ज़आ की भी इजाज़त है मगर ज़रूरी है कि वह मोटा ताज़ा और दो दाँते से क़रीब हो। कुछ लोगों ने तहदीद की कोशिश की है। छ: माह से लेकर एक साल तक के अक़्वाल हैं। शक व शुब्हा से बचने के लिये एक साल से कम भेड़ या दुम्बा नहीं करना चाहिए। लुग़त में एक साल का क़ौल ही ज़्यादा मशहूर है, जुम्हूर अहले इल्म ने इसे ही इख़्तियार किया है। अक़्लन भी यही बात दुरुस्त है क्योंकि दो दाँता न होने की सूरत में कोशिश यही होनी चाहिए कि इससे मिलता जुलता जानवर ही ज़बह किया जाये न कि छ: माह का जो दो दाँते से बहुत कम होता है।

(4384) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे कुछ बकरियाँ दीं कि सहाबा में तक़्सीम कर दे। आख़िर में एक ज़ज़आ (बकरी का एक साला बच्चा, यानी मैमना) बच गया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'चलो! तुम

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ

इसकी कुर्बानी कर दो'

فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ضَحِّ بِهِ أَنْتَ " .

(4384) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2500, मुस्लिम, हदीस: 1965, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4469.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम और हाकिमे वक़्त को चाहिए कि जब रिआया के पास कुर्बानी करने के लिये जानवर न हों तो वह कुर्बानी के जानवर उनमें तक़्सीम करे जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाब-ए-किराम (ﷺ) में बकरियाँ तक़्सीम फ़रमाईं **(2)** हदीसे मुबारका से मसल-ए तौकील (किसी को अपना वकील बनाना) भी साबित होता है जिस तरह कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाब-ए-किराम (ﷺ) में बकरियाँ तक़्सीम करने के लिये हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) को वकीले तक़्सीम बनाया। **(3)** एक बकरी भी कुर्बानी के लिये काफ़ी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस मक़सद की ख़ातिर सहाब-ए-किराम (ﷺ) में एक एक बकरी ही तक़्सीम कराई थी। **(4)** ज़ज़आ, हदीस में लफ़्ज़ अतूद आया है और इससे मुराद बकरी का नौजवान बच्चा है जो माँ के बग़ैर चरता फिरता है और एक साल का हो जाये। ज़ज़आ भी इसी तरह का होता है, लिहाज़ा मारूफ़ लफ़्ज़ के साथ तर्जुमा किया गया है। मज़ीद बरां ये भी है कि दीगर सही अहादीस में भी यही लफ़्ज़ 'ज़ज़आ' मज़्कूर है जैसा कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने ख़ुद भी वह अहादीस बयान की हैं। साबिक़ा और आने वाली अहादीस मुलाहिज़ा फ़रमाये। **(5)** 'इसकी कुर्बानी कर दो' कुछ रिवायात में ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि तेरे अलावा किसी से किफ़ायत नहीं करेगा। मालूम हुआ उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से ख़ास इजाज़त मिली, इसलिये अब किसी फ़र्द के लिये इसका जवाज़ नहीं, ख़्वाह तंग दस्त ही क्यों न हो।

(4385) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा में कुर्बानी के जानवर तक़्सीम फ़रमाये मेरे लिये एक ज़ज़आ रह गया। मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये ज़ज़आ बचा है। आपने फ़रमाया: 'तू वही कुर्बान कर दे।'

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ الْقَنَّادُ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ . فَقَالَ " ضَحِّ بِهَا" .

(4385) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5547, मुस्लिम, हदीस: 16/1965, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4470.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ فَأَصَابَنِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ . فَقَالَ " ضَحِّ بِهَا".

(4386) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा में क़ुर्बानी के जानवर तक़्सीम फ़रमाये। मुझे एक ज़ज़आ मिला। मैंने अर्ज़ की: अल्लाह के रसूल! मुझे ज़ज़आ मिला है। आपने फ़रमाया: 'तू यही ज़बह कर दे।'

(4386) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4471.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ .

(4387) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ क़ुर्बानी में भेड़ के ज़ज़आ ज़बह किये।

(4387) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 17/346, हदीस: 953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4472.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ " .

(4388) हज़रत आसिम बिन कुलैब के वालिद मोहतरम ने फ़रमाया: हम एक सफ़र में थे कुर्बानियों का वक़्त आ गया तो हममें से कोई शख़्स दो दो, तीन तीन ज़ज़आ देकर मुसन्ना ख़रीदता था। मुज़ैना क़बीले का एक शख़्स हमें कहने लगा: हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि ये दिन (ईदुल अज़्हा) आ गया तो लोग दो दो, तीन तीन ज़ज़आ देकर मुसन्ना ख़रीदने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ज़आ किफ़ायत कर सकता है जहाँ दो दाँता किफ़ायत करता है।'

(4388) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2799, व इब्ने माजा, हदीस: 140, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4473.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसन्ना और बवक़्ते ज़रूरत भेड़ के ज़ज़आ की क़ुर्बानी जायज़ है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि सफ़र में भी क़ुर्बानी करना मशरूअ है। (3) जानवरों की, जानवरों के बदले ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है, और इसमें कमी बेशी भी जायज़ है, यानी एक जानवर के बदले में दो या ज़्यादा जानवर लिये और दिये जा सकते हैं। (4) इस और दीगर रिवायात का जायज़ा लेने से मालूम होता है कि मुसन्ना की क़ुर्बानी अफ़ज़ल है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ " .

(4389) एक सहाबी (ﷺ) से रिवायत है कि हम ईदुल अज़्हा से दो दिन पहले नबी-ए अकरम(ﷺ) के साथ थे। हम दो दाँते के ऐवज़ दो दो ज़ज़ओ देते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो दाँते की जगह ज़ज़आ भी किफ़ायत कर सकता है।'

(4389) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4474.

باب(۱۴): الْكَبْش

बाब : (14) मैण्ढे की क़ुर्बानी का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، -وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ . قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ .

(4390) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दो मैण्ढे क़ुर्बान किया करते थे और मैं भी दो मैण्ढे ही क़ुर्बान करता हूँ।

(4390) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/101, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 475, बुख़ारी, हदीस: 5553.

फ़ायदा : दीगर रिवायात में है कि एक मैण्ढा अपनी तरफ़ से और दूसरा मैण्ढा अपनी उम्मत के उन ग़रीब लोगों की तरफ़ से क़ुर्बान करते थे जो ख़ुद क़ुर्बानी नहीं कर सकते थे। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ास्सा है क्योंकि आम उम्मती की क़ुर्बानी सिर्फ़ अपने अहले ख़ाना की तरफ़ से किफ़ायत करती है, इस लिये इस हदीस से सिर्फ़ फ़ौत शुदा के लिये क़ुर्बानी करने का जवाज़ कशीद करना, जबकि क़ुर्बानी करने वाला ख़ुद इस क़ुर्बानी में शरीक न हो, महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम!

(4391) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो चित्कबरे मैण्ढे क़ुर्बान किये।

(4391) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 3/178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4476, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ .

(4392) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दो चित्कबरे, सींगों वाले मैण्ढे क़ुर्बान किये। आपने उनको अपने हाथ से ज़बह फ़रमाया। बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाहु अकबर कहा और अपना पाँव उनकी गर्दन के पहलू पर रखा।

(4392) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस़: 5565, मुस्लिम, हदीस़: 1966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4477.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

फ़ायदा : तर्तीब उलट है। आपने जानवर को लिटाया। अपना पाँव उसकी गर्दन के पहलू पर रखा। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ा और अपने दस्ते मुबारक से उसे ज़बह फ़रमाया। गर्दन के पहलू पर पाँव रखने की वजह उसे क़ाबू करना था ताकि छुरी चलने के दौरान में वह उठ खड़ा न हो, और छुरी तेज़ी और क़ुव्वत से चल सके। सर इधर उधर न हरकत करे। और ज़्यादा तकलीफ़ न हो।

(4393) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईदुल अज़्हा के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, फिर दो स्याह व सफ़ेद मैण्ढों की तरफ़ बढ़े और उनको ज़बह फ़रमाया। (ये रिवायत) मुख़्तसर है।

(4393) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस़: 1589, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4478.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا . مُخْتَصَرٌ .

(4394) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) बयान करते हैं कि फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) क़ुर्बानी वाले दिन दो स्याह व सफ़ेद मैण्ढों की तरफ़ मुतवज्जा हुये

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا .

और उन्हें ज़बह फ़रमाया, और आपने कुछ बकरियाँ सहाबा में तक़्सीम फ़रमाईं (ताकि वह भी कुर्बानी कर सकें)

(4394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 30/1679, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4479.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ .

(4395) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक नर, सींगों वाला मैण्ढा कुर्बान फ़रमाया जिसकी टाँगें स्याह थीं, मुँह और पेट भी स्याह था और आँखें भी स्याह थीं। (बाक़ी सफ़ेद था)

(4395) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4480, मुस्लिम, हदीस: 1967.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मैण्ढे, दुम्बे और छितरे वग़ैरह की कुर्बानी जायज़ है। (2) सींगों वाले मैण्ढे की कुर्बानी करना मुस्तहब है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) बज़ाते ख़ुद सींगों वाले मैण्ढे कुर्बान फ़रमाया करते थे। (3) हदीसे मुबारका से सींगों वाले, चित्कबरे और नर मैण्ढों की कुर्बानी का इस्तेहबाब मालूम होता है, और ख़सी जानवर को कुर्बान करना भी जायज़ है जैसा कि दूसरी हदीस में आता है।

بَاب : (١٥) مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا

बाब : (15) कुर्बानी में ऊँट कितने अफ़राद की तरफ़ से किफ़ायत कर सकता है?

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ

(4396) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़नीमत तक़्सीम फ़रमाते वक़्त दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर रखा करते थे।

أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ . قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(रावि-ए-हदीस़ इमाम) शोबा ने ये हदीस़ हद्दसना सुफ़ियान अस्सौरी, अ़न अबीह की सनद से बयान की है, यानी शोबा ये हदीस़ सुफ़ियान सौरी से और वह अपने बाप (सईद बिन मस्रूक़) से बयान करते हैं, ताहम इमाम शोबा फ़रमाते हैं कि मेरा ख़याल है कि मैंने ये हदीस़ (सुफ़ियान सौरी के वास्ते के बग़ैर) इस (सुफ़ियान) के वालिद मोहतरम सईद बिन मस्रूक़ से भी सुनी है।

(4396) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4481.

फ़ायदा : कुर्बानी, ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ की हो सकती है। चूंकि हर आदमी बड़े जानवर की इस्तेताअ़त नहीं रखता, लिहाज़ा छोटे जानवर, यानी भेड़ बकरी की कुर्बानी करना भी दुरुस्त है जबकि गाय और ऊँट की कुर्बानी मुस्तहब। जिस तरह एक कुर्बानी वाजिब है, ज़्यादा मुस्तहब। गाय, बकरी से बहुत बड़ी होती है और ऊँट गाय से काफ़ी बड़ा, इसलिये गाय को सात अफ़राद की तरफ़ से काफ़ी समझा गया है और ऊँट को दस की तरफ़ से। जुम्हूर अहले इल्म ऊँट और गाय को बराबर समझते हैं जैसा कि आइन्दा हदीस़ में आ रहा है मगर ऊँट और गाय का फ़र्क़ वाज़ेह है जिसे बच्चा भी महसूस कर सकता है। दोनों को बराबर समझना अ़जीब बात है। बाब वाली हदीस़ ऊँट को दस बकरियों के बराबर क़रार दे रही है। बाक़ी रही सात वाली हदीस़ तो उसमें सात से ज़्यादा की नफ़ी नहीं जबकि आइन्दा हदीस़ दस के बारे में स़रीह है, लिहाज़ा उसको तर्जीह होनी चाहिए। कुछ उ़लमा ने यूँ तत्बीक़ देने की कोशिश की है कि दस वाली रिवायत आ़म कुर्बानियों के बारे में है जबकि सात वाली रिवायत हरम में ज़बह होने वाली कुर्बानियों के बारे में है। कुछ अहले इल्म ने सफ़र में ऊँट को दस कुर्बानियों के बराबर क़रार दिया है जबकि हज़र में सात के बराबर लेकिन ये सारे के सारे अपने अपने अन्दाज़ और तख़्मीने ही हैं। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ، - يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ .

(4397) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। क़ुर्बानियों का वक़्त आ गया तो हम ऊँट में दस और गाय में सात अफ़राद शरीक हुये।

(4397) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 905, 1501, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4482.

फ़ायदा : मालूम हुआ सफ़र में भी कुर्बानी की जायेगी जिस तरह घर में। याद रहना चाहिए कि पूरे एक घर पर एक कुर्बानी ही वाजिब है, न कि हर हर फ़र्द पर। गाय सात घरों की तरफ़ से और ऊँट दस घरों की तरफ़ से काफ़ी है। घर से मुराद ख़ानदान, बीवी बच्चे हैं या वह अफ़राद जो एक सरबराह (बाप) की किफ़ालत में रहते हों जबकि शादी शुदा मर्द अलग घराना होगा, बशर्ते कि वह ख़ुद कफ़ील हों। अगर ख़ुद कफ़ील नहीं बल्कि बाप ही के ज़ेरे दस्त हों तो फिर वह सब एक ही फ़ेमेली शुमार होंगे।

बाब : (16)
कुर्बानी में गाय कितने अफ़राद की तरफ़ से क़िफ़ायत कर सकती है?

باب : (۱۶)
مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا .

(4398) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तमत्तोअ किया तो हम गाय सात अफ़राद की तरफ़ से ज़बह करते थे और उसमें शरीक होते थे।

(4398) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 355/1318, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4486.

फ़ायदा : ये शिर्कत कुर्बानी ही में हो सकती है अक़ीक़े में नहीं क्योंकि कुर्बानी का एक ही दिन मुअय्यन है जबकि अक़ीक़ा हर बच्चे की पैदाइश के हिसाब से किया जाता है।

बाब : (17)
इमाम से पहले कुर्बानी ज़बह करना

باب : (۱۷)
ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الإِمَامِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، ح وَأَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، - فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَذْكُرِ الآخَرُ - قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(4399) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़्हा के दिन (ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाने के लिये) खड़े हुये और फ़रमाया: 'जो शख़्स हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह करता है, हमारी तरह नमाज़ पढ़ता है और हमारी तरह कुर्बानी करता है तो वह अपनी कुर्बानी ज़बह न करे यहाँ तक कि नमाज़े ईद पढ़ ले।' मेरे मामूं खड़े हुये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल!

وسلم يَوْمَ الأَضْحَى فَقَالَ " مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ " . فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ " . قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ . قَالَ " اذْبَحْهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلاَ تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

मैंने तो अपनी क़ुर्बानी जल्दी ज़बह कर ली ताकि मैं अपने घर वालों और मुहल्लेदार पड़ौसियों को (जल्दी) गोश्त खिलाऊँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'और क़ुर्बानी ज़बह कर।' उन्होंने कहा: मेरे पास बकरी का एक मादा बच्चा है जो मुझे गोश्त के लिहाज़ से दो बकरियों से भी अच्छा लगता है। आपने फ़रमाया: 'उसे ही ज़बह कर दें वह तेरी दो क़ुर्बानियों में से अच्छी क़ुर्बानी होगी। लेकिन तेरे अलावा किसी की तरफ़ से ज़ज़अा क़ुर्बानी में किफ़ायत नहीं करेगा।'

(4399) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4486.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि जिस शख़्स ने क़ुर्बानी का इल्तेज़ाम किया हो अगर वह क़ुर्बानी उससे ज़ाया हो जाये इस तौर पर कि वह नमाज़े ईद से पहले क़ुर्बानी कर दे, या क़ुर्बानी का जानवर मर जाये, या इसी तरह का कोई मसला बन जाये तो इसके बदले उस पर दूसरी क़ुर्बानी वाजिब और ज़रूरी होगी। बशर्ते कि वह क़ुर्बानी करने की ताक़त रखता हो। अगर वह शख़्स दूसरी क़ुर्बानी की इस्तेताअत ही नहीं रखता तो उस पर क़ुर्बानी करना वाजिब नहीं है क्योंकि इरशादे बारी है: 'अल्लाह किसी नफ़्स को नहीं तकलीफ़ देता मगर उसकी वुस्अत के मुताबिक़ ही।' (अल बक़र: 2/286) इसी तरह ये भी इरशादे रब्बानी है: 'अल्लाह से डरो जितनी ताक़त रखते हो।' (अत्तग़ाबुन: 64/16) याद रहे ताक़त और वुस्अत के बावजूद अगर कोई क़ुर्बानी नहीं करता तो वह गुनाहगार है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित हुआ कि अहकाम व मसाइल में मरजअ सिर्फ़ नबी (ﷺ) की ज़ाते मुबारक है। ये हैसियत आप ही की है कि अफ़रादे उम्मत में से किसी को, किसी हुक्म के ज़रिये से ख़ास कर दें और दूसरे लोगों को रोक दें जैसा कि आपने हज़रत बराअ बिन आज़िब के मामूं हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार के साथ किया। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि नमाज़े ईद की अदायगी से पहले क़ुर्बानी करना क़तई तौर पर नाजायज़ है, ख़्वाह नियत नेकी और सवाब कमाने ही की हो जैसा कि हज़रत अबू बुर्दा (رضی اللہ عنہ) की नियत अपने अहल व अयाल और मुहल्लेदार (ग़रीब) हमसायों को गोश्त खिलाने की थी। **(4)** हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि इमाम को चाहिए ख़ुत्ब-ए-ईद में क़ुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान

करे। (5) ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि शारेअ (ﷺ) का एक शख़्स को ख़िताब तमाम लोगों के लिये ख़िताब होता है, लिहाज़ा दीगर लोग भी इस हुक्म के मुकल्लफ़ और पाबन्द होते हैं हज़रत अबू बुर्दा (رضي الله عنه) को बकरी का बच्चा ज़बह करने की इजाज़त दी तो साथ ही ये भी बयान फ़रमा दिया कि तेरे बाद और किसी के लिये, कुर्बानी में, इस उम्र का बकरी का बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा। अगर नबी (ﷺ) ये अल्फ़ाज़ न फ़रमाते तो फिर हर शख़्स के लिये ये इजाज़त होती। (6) ये भी मालूम होता है कि नेक नियती से किया जाने वाला सालेह अमल भी उस वक़्त तक अल्लाह के यहाँ सही और क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकता जब तक वह शरीयते मुतह्हरा के मुताबिक़ सरअंजाम न दिया जाये। (7) इस हदीस में ये ज़िक्र तो नहीं कि इमाम से पहले कुर्बानी नहीं करनी चाहिए लेकिन चूंकि उस दौर में नबी (ﷺ) नमाज़े ईद के बाद सब लोगों के सामने वहीं कुर्बानी कर देते थे। बाक़ी लोग बाद में करते थे, लिहाज़ा कहा जा सकता है कि इमाम के बाद कुर्बानी करनी चाहिए लेकिन अगर इमाम कुर्बानी न करे या वह ईदगाह में ख़ुत्बा के फ़ौरन बाद न करे तो लोगों पर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं कि वह लाज़िमन इमाम साहिब से बाद ही करें, अलबत्ता नमाज़े ईद से पहले क़तअन नहीं होनी चाहिए। इमाम मालिक (رحمه الله) तो ऐसे इमाम की इमामते ईद ही दुरुस्त नहीं समझते जो कुर्बानी न करे, और उनके नज़दीक इमाम को कुर्बानी ईदगाह में सबसे पहले करनी चाहिए। ख़ैर ये इमाम मालिक (رحمه الله) की राय और इज्तेहाद है जिससे इत्तेफ़ाक़ ज़रूरी नहीं। (8) 'अच्छी कुर्बानी होगी' क्योंकि वह बरवक़्त हुई और क़बूल हुई, बख़िलाफ़ पहले कुर्बानी के कि वह वक़्त पहले ज़बह होने की वजह से क़बूलियत से महरूम रही। (9) 'किफ़ायत नहीं करेगा' रसूलुल्लाह (ﷺ) के मज़्कूरा अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि आपका मक़सूद ये था कि तेरे जैसा लाचार शख़्स भी, जैसे: जो ग़लती से कुर्बानी बेवक़्त ज़बह कर चुका हो या उसकी कुर्बानी का जानवर मर गया हो, या गुम हो गया हो और वह मज़ीद ख़रीदने की इस्तेताअत न रखता हो, तो वह बकरी का ज़ज़आ ज़बह नहीं कर सकता। यही वजह है कि मुहद्दिसीन ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का ख़्याल रखते हुये अब किसी को भी, ख़्वाह वह माज़ूर व मजबूर ही हो, ज़ज़आ (बकरा) कुर्बान करने की इजाज़त नहीं दी। वल्लाहु आलम!

(4400) हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुर्बानी वाले दिन नमाज़े ईद के बाद हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 'जो शख़्स हम जैसी नमाज़ पढ़ता है और हम जैसी कुर्बानी करता है, उसने तो सही कुर्बानी की और जिसने नमाज़ पढ़ने से पहले

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ

نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ " . قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ " نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

ही क़ुर्बानी कर दी तो वह गोश्त वाली बकरी है (वह सिर्फ़ गोश्त के लिये ज़बह किया गया जानवर मुतसव्विर होगा। क़ुर्बानी नहीं होगी)' हज़रत अबू बुर्दा (ﷺ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैंने तो नमाज़ के लिये आने से पहले क़ुर्बानी ज़बह कर दी थी। मैंने समझा कि ये सारा दिन ही खाने पीने के लिये है, इसलिये मैंने जल्दबाज़ी की। ख़ुद भी गोश्त खाया और घर वालों और पड़ौसियों को भी खिलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो गोश्त वाली बकरी होगी (क़ुर्बानी नहीं हूई)' उन्होंने अर्ज़ की: मेरे पास एक ज़ज़आ बकरी है जो गोश्त के लिहाज़ से दो बकरियों से भी बेहतर है तो क्या वह मुझसे किफ़ायत कर जायेगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन वह तेरे अलावा किसी और से किफ़ायत नहीं करेगी।'

(4400) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4487.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ " مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4401) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानियों के दिन फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने नमाज़े ईद से पहले क़ुर्बानी ज़बह कर ली है वह दोबारा ज़बह करे।' एक आदमी उठ कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दिन ऐसा है कि इसमें गोश्त की ख़्वाहिश होती है, फिर उसने अपने पड़ौसियों की हालते शाक़्क़ा (मोहताजी और फ़क़्र व फ़ाक़े) का ज़िक्र किया। ऐसे लगता था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उसकी तस्दीक़ फ़रमा रहे हैं। उसने कहा: मेरे पास एक ज़ज़आ (बकरी

صَدَّقَهُ . قَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ . فَرَخَّصَ لَهُ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

का छोटी उम्र का बच्चा) है जो गोश्त की दो बकरियों से भी मुझे ज़्यादा पसन्द है। आपने उसे वही ज़ज़आ ज़बह करने की रुख़सत दी। मैं नहीं जानता कि ये रुख़सत उसके अलावा दूसरे लोगों को भी पहुँची या नहीं, फिर आप दो मैण्ढों की तरफ़ मुतवज्जा हुये और उन्हें ज़बह किया।

(4401) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 954, मुस्लिम, हदीस: 6962, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4488.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उन्वान के साथ हदीस की मुनासिबत बज़ाहिर तो मालूम नहीं होती। इमाम नसाई (ﷺ) ने ग़ालिबन रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान 'जिसने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर ली, वह दोबारा कुर्बानी ज़बह करे।' को इमाम के ज़बह करने पर महमूल किया है। इमाम मालिक (ﷺ) और कुछ दीगर अहले इल्म का यही क़ौल है। लेकिन राजेह बात यही है कि इमाम के ज़बह करने से पहले भी कुर्बानी ज़बह की जा सकती है बशर्ते कि नमाज़े ईद के बाद हो। ज़ाहिरन तो हदीसे मुबारका से यही मालूम होता है। वल्लाहु आलम **(2)** अफ़ज़ल ये है कि इन्सान अपनी कुर्बानी का जानवर ख़ुद, अपने हाथों ही से ज़बह करे जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों मैण्ढे ख़ूद ही ज़बह किये थे। इस पर इज्मा है, ताहम अगर कोई दूसरा शख़्स भी ज़बह कर दे तो कुर्बानी जायज़ होगी। **(3)** पूरे घराने की तरफ़ से एक जानवर (भेड़, बकरी, बकरा, छित्रा, छित्री और मैण्ढे वग़ैरह) की कुर्बानी किफ़ायत कर जाती है, ताहम दो या ज़्यादा जानवर ज़बह करना अफ़ज़ल और पसन्दीदा अमल है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ . قَالَ عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ . قَالَ

(4402) हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने अपनी कुर्बानी नबी-ए अकरम (ﷺ) से पहले ज़बह कर दी थी तो नबी ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें दोबारा कुर्बानी करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा: मेरे पास एक ज़ज़आ बकरी है जो मेरे नज़दीक (गोश्त के लिहाज़ से) दो मुसन्नों से भी बेहतर है। इसके अलावा और कोई नहीं। आपने फ़रमाया: 'इसे ज़बह कर दो।'

(4402) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4484.

" اذْبَحْهَا " . فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعَةً . فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ .

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4403) हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ क़ुर्बानियाँ ज़बह कीं तो देखा कि कुछ लोग नमाज़ से पहले ही अपनी क़ुर्बानियाँ ज़बह कर चुके थे। जब आप फ़ारिग़ हुये तो आपको पता चला कि वह नमाज़ से पहले ही ज़बह कर चुके हैं तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने क़ुर्बानी नमाज़ से पहले ज़बह की है, वह उसकी जगह और क़ुर्बानी ज़बह करे और जिस शख़्स ने नमाज़ से पहले ज़बह नहीं की, वह अब अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करे।'

(4403) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 4373, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4485.

फ़ायदा : किसी एक हदीस में पूरी तफ़्सीलात ज़िक्र नहीं होतीं, इसलिये उसे मुख़्तलिफ़ सनदों से ज़िक्र किया जाता है ताकि तमाम तफ़्सीलात मालूम हो जायें। फ़ैसला करते वक़्त तमाम तफ़्सीलात को मद्दे नज़र रखा जाता है।

باب : (١٨) إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

बाब : (18) तेज़ धार पत्थर के साथ ज़बह करना भी जायज़ है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى

(4404) हज़रत मुहम्मद बिन सफ़वान (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने दो ख़रगोश पकड़े लेकिन उनको ज़बह करने के लिये उन्हें कोई छुरी वग़ैरह न मिली तो उन्होंने उनको एक तेज़ धार पत्थर से ज़बह कर दिया, फिर वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के

الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ قَالَ " كُلْ " .

रसूल! मैंने दो ख़रगोश शिकार किये थे लेकिन मुझे कोई छुरी वग़ैरह नहीं मिली जिससे ज़बह करता। तो मैंने एक तेज़ धार पत्थर से उनको ज़बह कर दिया। क्या मैं उनको खा सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' खा ले।

(4404) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4318, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4489.

फ़ायदा : ज़बह करने का मक़सद ख़ून बहाना है जिस चीज़ के साथ भी बहा दिया जाये जायज़ है, बशर्ते कि वह तेज़ धार हो और यकबारगी ज़बह करे। गले पर दबाव न डाले बल्कि तेज़ी से काट दे ताकि मज़्बूह को कम से कम तकलीफ़ हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِئْبًا، نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِالْمَرْوَةِ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا .

(4405) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक भेड़िये ने एक बकरी में दाँत गाड़ दिये। लोगों ने (उसको छुड़ाने के बाद) उसे एक तेज़ धार पत्थर से ज़बह कर दिया। तो नबी ए-अकरम (ﷺ) ने उसके खाने की इजाज़त दी।

(4405) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 3176, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4490, व स़हीह इब्ने हिब्बान: 1076, वल हाकिम: 4/113, 114, वल बैहक़ी: 9/250.

फ़ायदा : अगर किसी जानवर को दरिन्दा काट खाये और उसमें रूह बाक़ी हो तो उसे ज़बह कर दिया जाये, वह हलाल होगा। हाँ, अगर वह ज़बह होने से पहले बेजान हो तो ख़्वाह सारा ख़ून निकल चुका हो, वह जानवर हराम होगा।

باب(١٩): إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْعُودِ

बाब : (19) (तेज़ धार) लकड़ी से भी ज़बह किया जा सकता है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا

(4406) हज़रत अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ और शिकार को पकड़ लेता हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَآخُذُ الصَّيْدَ فَلاَ أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْعَصَا . قَالَ " أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

जिससे ज़बह कर सकूँ तो क्या मैं उसे तेज़ धार पत्थर या लकड़ी से ज़बह कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'जिस चीज़ से भी हो सके, ख़ून बहा दे, अलबत्ता अल्लाह (عزوجل) का नाम ज़रूर लें'

(4406) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 4309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4491.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ . فَقُلْتُ لِزَيْدٍ وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ قَالَ لاَ بَلْ خَشَبٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا .

(4407) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक अन्सारी की ऊँटनी उहुद की तरफ़ चर रही थी कि वह क़रीबुल मर्ग हो गई। उस अन्सारी ने उसे एक नोकदार खूंटे के साथ नहर (ज़बह) कर दिया। (रावि-ए-हदीस अय्यूब या जरीर ने कहा) मैंने पूछा कि वह खूंटा लकड़ी का था या लोहे का? उस्ताद ने कहा: नहीं, वह लकड़ी का था, फिर वह अन्सारी नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे मसला पूछा। आपने उसे खाने का हुक्म दिया।

(4407) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अल जारूद फ़िल्मुन्तक़ा, हदीस़: 896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4492, अबी दाऊद, हदीस़: 2823 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'हुक्म दिया' यानी इजाज़त दी या हक़ीक़तन हुक्म मुराद है क्योंकि शरीयत की रू से हलाल चीज़ को ज़ाया करना जायज़ नहीं।

باب(٢٠): النَّهْيِ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ

बाब : (20) नाख़ुन के साथ ज़बह करने की मुमानिअत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(4408) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो चीज़ ख़ून बहा दे और अल्लाह का नाम लिया गया हो तो (वह ज़बीहा) खा ले मगर दाँत और नाख़ुन का ज़बह नहीं।'

وسلم قَالَ " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ إِلاَّ بِسِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ " .

(4408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1968, बुख़ारी, हदीस: 2488, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4492.

फ़ायदा : दाँत और नाख़ुन ज़बह करने के लिये नहीं बल्कि और मक़ासिद के लिये हैं, इसलिये दाँतों और नाख़ूनों से ज़बह करना वहशियाना फ़ेअल है जैसा कि आपने एक इरशाद फ़रमाया कि नाख़ुन हबशियों की छुरी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2488, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1968) यानी ये ग़ैर मुहज़्ज़ब क़ौमों का शेवा है। वह लोग छोटे मोटे जानवरों को गर्दन मुँह में दाख़िल करके दाँतों से काट देते थे। इसी तरह बड़े बड़े नाख़ुन रखते थे। ज़बह करने के लिये उनको इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर है शरीयत इस ज़ालिमाना तरीक़े को जायज़ क़रार नहीं दे सकती, अलबत्ता दाँत और नाख़ुन जिस्म से अलग हो चुके हों तो अहनाफ़ के नज़दीक उनसे ज़बह किया जा सकता है। कुछ अहादीस में भी ये ज़िक्र है कि जो चीज़ भी ख़ून बहा दे, उससे ज़बह करना जायज़ है, इसलिए बज़ाहिर उनकी ये बात माक़ूल लगती है मगर अहादीसे रसूल का तक़ाज़ा यही है कि नाख़ुन और दाँत से किसी भी सूरत ज़बह न किया जाये क्योंकि एक दूसरी रिवायत में दाँत से ज़बह न करने की वजह आपने ये बयान फ़रमाई है कि वह हड्डी है। ज़ाहिर है दाँत अलग भी हो तो वह हड्डी ही रहता है। नाख़ुन भी हड्डी ही है। वल्लाहु आलम!

باب(٢١): فِي الذَّبْحِ بِالسِّنِّ

बाब : (21)
दाँत के साथ ज़बह करना (मना है)

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ " .

(4409) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कल दुश्मन से मिलेंगे (और वहाँ जानवर भी बतौर ग़नीमत मिलेंगे) और हमारे पास छुरियाँ वग़ैरह न हों तो (हम जानवर कैसे ज़बह करें)? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो चीज़ भी ख़ून बहा दे और अल्लाह तआला का नाम लिया जाये तो (ज़बीहा हलाल है) खा सकते हो बशर्ते कि वह चीज़ नाख़ुन या दाँत न हो। और मैं तुम्हें इसकी वजह भी बयान करता हूँ कि दाँत तो एक हड्डी है और नाख़ुन हबशियों की छुरी है।'

(4409) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4493, बुख़ारी, हदीस: 5543.

फ़ायदा : हबशी लोग नाख़ुनों से छुरी का काम लेते हैं। एक तो वह काफ़िर हैं, इसलिए उनकी मुशाबिहत से बचना चाहिए और दूसरा ये कि ये ज़बह करने का ग़ैर मुहज़्ज़ब तरीक़ा है।

बाब : (22)
(ज़बह के लिये) छुरी तेज़ करने का हुक्म

باب(٢٢): الأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " .

(4410) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से मरवी है कि दो बातें मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ूब याद रखी हैं। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने ज़रूरी क़रार दिया है कि हर चीज़ पर एहसान किया जाये, लिहाज़ा जब तुम (किसी इन्सान को क़िसास में या किसी मूज़ी जानवर और दरिन्दे वग़ैरह को) क़त्ल करने लगो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो। और जब तुम ज़बह करने लगो (किसी परिन्दे या हलाल जानवर को) तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। और ज़बह करते वक़्त छुरी तेज़ कर लिया करो और अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाओ।'

(4410) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 195, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4494.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवर को ज़बह करने के लिये छुरी को तेज़ करना चाहिए ताकि ज़बह होने वाले जानवर को तक्लीफ़ कम हो। **(2)** इमाम नववी (ﷺ) ने फ़रमाया है कि ये हदीस क़वाइदे इस्लाम की जामेअ़ है। देखिये: (सहीह मुस्लिम बशरह अन्नववी: 13/157) **(3)** ये हदीसे मुबारका अल्लाह तआला के, अपनी तमाम मख़्लूक़ के साथ, बेपनाह लुत्फ़ व करम पर दलालत करती है। ये अल्लाह तआला की रहमत व शफ़क़त ही है कि उसने ज़रूरी क़रार दिया है कि हर चीज़ के साथ एहसान किया जाये बल्कि उसने जानवरों तक के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। इसी तरह गुलामों और मुजरिमों के साथ भी, जैसे: अगर किसी मुजरिम को क़िसासन क़त्ल भी करना हो तो उसे अच्छे तरीक़े से क़त्ल करने का हुक्म है, न कि उसे ईज़ायें दे दे कर क़त्ल किया जाये। मज़ीद बरां ये भी कि क़त्ल के मुजरिम को भी खाने, पीने, पहनने और ज़िन्दगी की दीगर लज़्ज़तों से जो जायज़ और मुनासिब हों, महरूम नहीं करना। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान 'जब तुम ज़बह करो तो अच्छे तरीक़े से

ज़बह करो।' की बाबत इमाम क़ुर्तुबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़बह करने में जानवर के साथ एहसान करने का मतलब ये है कि जानवर के साथ नर्मी का बर्ताव करे। ज़बह करने की ख़ातिर उसे सख़्ती, और बेदर्दी से न गिराये और न उसे घसीटते हुये एक जगह से दूसरी जगह ले जाये, तेज़ छुरी के साथ उसे ज़बह करे। (और जानवर के सामने छुरी तेज़ न करे) जानवर को ज़बह करते हुये उसे हलाल करने और उससे तक़र्रुबे इलाही हासिल करने की नियत करे। उसे क़िब्ला रुख़ लिटाये। अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करे। जल्दी जल्दी ज़बह करे। जानवर का गला और उसकी गर्दन की रगें काटे। उसे आराम पहुँचाये और (ज़बह करने के फ़ौरन बाद उसका चमड़ा और खाल उतारना शुरू न करे बल्कि) ठण्डा होने दे (उसका तड़पना ख़त्म हो तो तब उसकी खाल और चमड़ा उतारे) और (उसके साथ साथ) अल्लाह तआला का एहसानमन्द होकर उसके एहसान और फ़ज़्ल व करम का एतिराफ़ व इक़रार करे, और अल्लाह तआला के इस अज़ीम इनाम व एहसान पर कि उसने ये जानवर (जिसे उसने ज़बह किया है) उसके लिये मुसख़्ख़र कर दिया था, अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे। अगर अल्लाह चाहता तो (उसे मुसख़्ख़र न फ़रमाता बल्कि) हम पर मुसल्लत कर देता। इसी तरह अगर वह चाहता तो उस जानवर को हमारे लिये हलाल करने की बजाये हम पर हराम कर देता (फिर हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे?) और रबीआ कहते हैं कि ज़बह में एहसान ये है कि उसे दूसरे जानवर के सामने ज़बह न करे (ताकि देखने वाले को तक्लीफ़ महसूस न हो) इमाम क़ुर्तुबी (رحمه الله) मज़ीद फ़रमाते हैं कि आप (ﷺ) के फ़रमान 'जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो' को हर चीज़ की बाबत उमूम पर महमूल किया जायेगा, ख़्वाह किसी जानवर को ज़बह करना हो या किसी इन्सान को हुदूद व क़िसास में क़त्ल करना और मारना हो। (किसी जानवर को ज़बह करना हो या किसी इन्सान को क़िसास में क़त्ल करना, हर सूरत में) जल्दी जल्दी ज़बह या क़त्ल कर दिया जाये और उन्हें तक्लीफ़ और अज़ाब देकर न मारा जाये। देखिये: (अल मफ़्हम: 5/240, 241) **(5)** अगर किसी शख़्स ने मक़्तूल को बुरे तरीक़े से क़त्ल किया हो तो उसे भी बुरे तरीक़े से क़त्ल किया जायेगा क्योंकि क़िसास का तक़ाज़ा यही है। ये बहस, अल मुहारबा में तफ़्सील से गुज़र चुकी है।

बाब : (23)
ज़बह वाले जानवर को नहर और नहर वाले को ज़बह करने की रुख़सत का बयान

باب(٢٣): الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحِ مَا يُنْحَرُ

(4411) हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (رضي الله عنها) से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में घोड़ा नहर किया, फिर उसे खाया।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، - عَسْقَلَانُ بَلْخٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ

حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ

(4411) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5510, मुस्लिम, हदीस: 1942, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4495.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो जानवर ज़बह किये जाते हैं उन्हें नहर और जो नहर किये जाते हैं उन्हें ज़बह किया जा सकता है। **(2)** इस हदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि घोड़ा हलाल जानवर है। जिन लोगों ने मकरूह कहा है उन्हें ठोकर लगी है, इसकी कराहत पर कोई मुस्तनद सही दलील मौजूद नहीं। सहाब-ए-किराम (ﷻ) के ये अल्फ़ाज़ कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में इस तरह किया, मरफ़ूअ हदीस के हुक्म में होता है। इसी तरह 'इस तरह करना सुन्नत से है।' और 'हमें इस तरह करने का हुक्म दिया गया' और 'हमें इससे रोका गया' या इनसे मिलते जुलते मफ़हूम वाले दूसरे अल्फ़ाज़, उनके मुताल्लिक़, मुहद्दिसीने किराम (رحمهم الله) का फ़ैसला यही है कि उनका हुक्म मरफ़ूअ हदीस ही का हुक्म है। **(3)** ऊँट को नहर किया जाता है और बाक़ी जानवरों को ज़बह। ज़बह का तरीक़ा मारूफ़ है, नहर, खड़े जानवर को गले में छुरा वग़ैरह घोंप कर किया जाता हैं जब ख़ून काफ़ी हद तक बह जाता है तो जानवर गिर पड़ता है, फिर उसे ज़बह कर दिया जाता है। ऊँट में मसनून अमल नहर ही है, ताहम बवक़्ते ज़रूरत ज़बह में भी कोई हर्ज नहीं। मज़्कूरा हदीस में या तो नहर ज़बह के मानी में है और अरब लोग अक्सर एक लफ़्ज़ उससे मिलते जुलते लफ़्ज़ की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। या वह घोड़ा क़वी होगा और क़ाबू न आता होगा, इसलिये उसके साथ ऊँट वाला सुलूक किया गया। वल्लाहु आलम!

ذَكَاةُ الَّتِي قَدْ نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ

बाब : (24) जिस जानवर में दरिन्दे ने दाँत गाड़ दिये हों, उसे ज़बह करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِئْبًا، نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَكْلِهَا .

(4412) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷻ) से मरवी कि एक भेड़िये ने एक बकरी में दाँत गाड़ दिये। लोगों ने (उससे छुड़ा कर) उसको एक तेज़ धार पत्थर से ज़बह कर दिया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसको खाने की इजाज़त दे दी।

(4412) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4405, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4496.

फायदा : देखिये हदीस: 2405

बाब : (25) जानवर कुएँ में गिर जाये और उसके हलक़ तक न पहुँचा जाये तो कैसे ज़बह किया जाये?

باب(٢٥): ذِكْرِ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي لاَ يُوصَلُ إِلَى حَلْقِهَا

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " .

(4413) हज़रत अबुल उशरा के वालिद मोहतरम बयान करते हैं कि मैंने अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ज़बह सिर्फ़ हलक़ और सीने के गढ़े ही में हो सकता है? आपने फ़रमाया: 'अगर तू उसके रान में नेज़ा या बरछी वग़ैरह मार दे तो भी किफ़ायत कर जायेगा।'

(4413) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2825, इब्ने माजा, हदीस़: 3184, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1481, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4497.

फ़ायदा : अस़ल तो यही है कि हलक़ में ज़बह किया जाये और सीने के गढ़े में नहर किया जाये क्योंकि इस तरीक़े से ख़ून तेज़ी से निकल जायेगा। यहाँ बड़ी रगें होती हैं। मगर कभी मजबूरी बन जाती है जैसा कि बाब में बयान की गई है तो जहाँ भी ज़ख़्म लगाया जा सके, लगा दिया जाये ताकि ख़ून निकल जाये। ये जायज़ है मगर ये मजबूरी के वक़्त ही है।

बाब : (26) कोई जानवर छूट जाये और क़ाबू में न आ सके तो?

ذِكْرِ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لاَ يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى . قَالَ " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَا خَلاَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ " . قَالَ فَأَصَابَ

(4414) हज़रत राफ़ेअ़ (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! कल हमारा दुश्मन से मुक़ाबला होगा। हमारे पास छुरी क़िस्म की चीज़ नहीं (तो ज़बह कैसे करें?) आपने फ़रमाया: 'जो चीज़ भी ख़ून बहा दे और अल्लाह तआ़ला का नाम ज़िक्र कर दिया जाये तो (ऐसा ज़बीहा) खाया जा सकता है। अलावा दाँत और नाख़ुन के।' रसूलुल्लाह (ﷺ) को ग़नीमत में ऊँट हासिल हुये। उनमें से एक ऊँट भाग गया। एक

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهْبًا فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ " إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ - أَوْ قَالَ الإِبِلِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا " .

आदमी ने उसको (पीछे से) तीर मारा जिससे वह रुक गया। आपने फ़रमाया: 'ये घरेलू जानवर या ऊँट भी कभी जंगली जानवरों की तरह बेक़ाबू हो जाते हैं, लिहाज़ा जो जानवर तुमसे बेक़ाबू हो जाये, उससे यही सुलूक करो।'

(4414) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4498.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4302.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى . قَالَ " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ " . وَأَصَبْنَا نَهْبَةَ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا " .

(4415) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! कल दुश्मन से हमारी मुलाक़ात होगी और हमारे पास छुरी (वग़ैरह कुछ) नहीं। आपने फ़रमाया: 'जो चीज़ भी ख़ून बहा दे बशर्ते कि अल्लाह का नाम लिया गया हो, उसे खा सकते हो। अलावा दाँत और नाख़ुन के। और उसकी वजह भी मैं तुम्हें बयान करता हूँ: दाँत तो हड्डी है और नाख़ुन हबशियों की छुरी है।' हमें इस जंग में ऊँट और बकरियाँ माले ग़नीमत में हासिल हुईं। उनमें से एक ऊँट भाग गया तो एक आदमी ने तीर मार कर उसे रोक दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये ऊँट भी कभी जंगली जानवरों की तरह भाग उठते हैं। जब वह तुमसे बे क़ाबू हो जायें तो तुम उनसे यही सुलूक करो।'

(4415) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4499.

फ़ायदा : इब्तेदाई हिस्से की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4408.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " .

(4416) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला ने हर चीज़ के साथ हुस्ने सुलूक फ़र्ज़ क़रार दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को (क़िसास वग़ैरह में) क़त्ल करने लगो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो और जब तुम किसी जानवर को ज़बह करने लगो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो और ज़बह करते वक़्त अपनी छुरी को तेज़ करो और अपने ज़बीहा को जल्दी निजात दो।'

(4416) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4500.

फ़ायदा : इस हदीस का ताल्लुक़ मुताल्लिक़ा बाब की बजाये आइन्दा बाब से है और सुनन नसाई में बहुत जगह ऐसे ही है।

باب(۲۷): حُسْنِ الذَّبْحِ

बाब : (27) ज़बह अच्छी तरह करना चाहिए

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " .

(4417) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर चीज़ से हुस्ने सुलूक करना अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ क़रार दिया है, इसलिये जब तुम किसी को क़त्ल करने लगे तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो और जब तुम किसी जानवर को ज़बह करने लगो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। ज़बह करने वाला शख़्स अपनी छुरी को तेज़ करे और अपने मज़्बूह जानवर को राहत पहुँचाये।'

(4417) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4501.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " .

(4418) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से दो बातें सुनीं। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने हर चीज़ से हुस्ने सुलूक ज़रूरी क़रार दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से करो और जब किसी जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। ज़बह करने वाला शख़्स अपनी छुरी को तेज़ करे और अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाये।'

(4418) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4502.

फ़ायदा : 'दो बातें सुनीं' इनसे मुराद आइन्दा बातें ही हैं, यानी अच्छे तरीक़े से क़त्ल करना और अच्छे तरीक़े से ज़बह करना।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " .

(4419) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि दो बातें मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद रखीं: (आपने फ़रमाया:) 'यक़ीनन अल्लाह तआला ने हर चीज़ से हुस्ने सुलूक ज़रूरी क़रार दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करने लगो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो और जब तुम किसी जानवर को ज़बह करने लगो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। ज़बह करने वाला अपनी छुरी को तेज़ कर ले और अपने ज़बह होने वाले जानवर को कम से कम तक्लीफ़ पहुँचाये। (मतलब ये है कि यक बारगी ज़बह करे, देर न लगाये)

(4419) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4503.

फ़ायदा : इन मज़्कूरा अहादीस़ के तफ़्सीली अहकाम जानने के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस़: 4410 के फ़वाइद व मसाइल

बाब : (28) क़ुर्बानी के जानवर के एक पहलू पर पाँव रखना

باب : (۲۸) وَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ . قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ .

(4420) हज़रत क़तादा (رحمه الله) ने कहा कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से सुना, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो चित्कबरे (स्याह सफ़ेद), सींगों वाले मैण्ढे क़ुर्बानी फ़रमाये। ज़बह फ़रमाते वक़्त आप बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ते थे। मैंने आपको अपने दस्ते मुबारक से उन्हें ज़बह फ़रमाते देखा जबकि आपने अपना क़दम मुबारक उनके पहलू पर रखा हुआ था।

(शोबा ने कहा) मैंने (क़तादा से) कहा: क्या आपने उन (हज़रत अनस (ﷺ)) से सुना? उन्होंने फ़रमाया: हाँ।

(4420) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 18/1966, बुख़ारी, हदीस़: 5558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4504.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त जानवर के पहलू पर अपना पाँव रखना जायज़ है। अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि जानवर को बायें पहलू के बल लिटाया जाये। और इस सूरत में पाँव उसके दायें पहलू पर रखा जाये। **(2)** क़ुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त तस्मिया (बिस्मिल्लाह) पढ़ना मशरूअ है। इसी तरह तमाम जानवर ज़बह करते वक़्त तस्मिया पढ़नी चाहिए। इस पर इज्मा है। तस्मिया के साथ साथ तकबीर (अल्लाहु अकबर) पढ़ना भी मशरूअ है जैसा कि दीगर रिवायात में इसकी तस्रीह मौजूद है। **(3)** क़ुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बह करने की मशरूइयत भी मालूम होती है, ताहम बवक़्ते ज़रूरत किसी और को भी वकील बनाया जा सकता है। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो मैण्ढे ज़बह फ़रमाये, इससे एक से ज़्यादा जानवर क़ुर्बान करने की मशरूइयत स़ाबित होती है। **(5)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि सींगों वाले ख़ूबसूरत जानवर की क़ुर्बानी करना अफ़ज़ल है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया, ताहम बग़ैर सींगों वाले

जानवर की क़ुर्बानी भी दुरुस्त है। (6) जानवर को लिटाने के बाद उसके पहलू पर पाँव रख लेना चाहिए ताकि वह क़ाबू में रहे। छुरी कुव्वत से चल सके और वह सर को हरकत दे कि ज़बह में रुकावट न बने, और उसे ज़्यादा तक्लीफ़ न हो। ये हुक्म क़ुर्बानी से ख़ास नहीं।

बाब : (29) क़ुर्बानी ज़बह करते वक़्त अल्लाह तआला का नाम लेना

باب : (٢٩) تَسْمِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الضَّحِيَّةِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

(4421) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) दो स्याह व सफ़ेद, सींगों वाले मैण्ढे ज़बह करते थे। आप बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ते थे। मैंने आपको अपने दस्ते मुबारक से उन्हें ज़बह करते देखा। आपने अपना पाँव मुबारक उनके पहलू पर रखा हुआ था।

(4421) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4505.

फ़ायदा : वैसे तो हर ज़बीहा पर बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए मगर क़ुर्बानी पर पढ़ना इन्तेहाई ज़रूरी है क्योंकि उसे ज़बह करने से पहले तो बा क़ायदा नियत की जाती है। दिली तौर पर भी और लफ़्ज़ी तौर पर भी। ज़बीहा पर अगर अल्लाह का नाम लेना भूल जाये तो वह ज़बीहा हलाल होगा, अलबत्ता जान बूझ कर नहीं छोड़ना चाहिए।

बाब : (30) क़ुर्बानी ज़बह करते वक़्त तकबीर पढ़ना

باب(٣٠): التَّكْبِيرِ عَلَيْهَا

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَذْبَحُهُمَا

(4422) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को देखा कि आप दो स्याह व सफ़ेद, सींगों वाले मैण्ढों को बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ते हुये अपने दस्ते मुबारक से ज़बह फ़रमा रहे थे और अपना क़दम मुबारक उनके पहलू पर रखा हुआ था।

بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ .

(4422) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4506.

بَاب : (٣١) ذَبْحِ الرَّجُلِ أُضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ

बाब : (31) क़ुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बह करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَطَؤُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ.

(4423) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने सींगों वाले स्याह व सफ़ेद दो मैण्ढे बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ते हुये क़ुर्बान फ़रमाये जबकि आपने उनके पहलू पर पाँव मुबारक रखा हुआ था।

(4423) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 18/1966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4507.

بَاب : (٣٢) ذَبْحِ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَتِهِ

बाब : (32) कोई शख़्स किसी दूसरे की क़ुर्बानी भी ज़बह कर सकता है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ .

(4424) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी क़ुर्बानी के कुछ ऊँट ख़ुद नहर फ़रमाये और कुछ ऊँट किसी और ने नहर किये।

(4424) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4508, मौता: 1/394, मुस्लिम, हदीस: 1218.

फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा की बात है। आपने सो ऊँट क़ुर्बानी किये थे। उनमें से तेरेसठ (63) आपने अपने दस्ते मुबारक से नहर किये और बाक़ी सैंतीस (37) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने आपका नाइब बन कर नहर किये।

बाब : (33)
ज़बह वाला जानवर नहर करना

باب(٣٣): نَحْرِ مَا يُذْبَحُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ . وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ . خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

(4425) हज़रत अस्मा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में घोड़ा नहर किया और फिर उसका गोश्त खाया।

कुतैबा (उस्ताद) ने कहा: फ़अकल्ना लहमहु फिर हमने उसका गोश्त खाया। अ़ब्दा बिन सुलैमान ने इसकी मुख़ालिफ़त की है।

(4425) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4411, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4509.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अ़ब्दा बिन सुलैमान ने इस रिवायत में सुफ़ियान बिन उयय्ना की मुख़ालिफ़त की है। अगली रिवायत में इस मुख़ालिफ़त की पूरी वज़ाहत मौजूद है। वह इस तरह कि सुफ़ियान ने हिशाम बिन उर्वा से रिवायत करते हुये ज़बह्ना के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं जबकि अ़ब्दा बिन सुलैमान ने नहर्ना के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। मज़ीद बरां ये भी कि अ़ब्दा बिन सुलैमान ने व नह्नु बिल मदीना के अल्फ़ाज़ भी ज़्यादा बयान किये हैं।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ .

(4426) हज़रत अस्मा (ﷺ) से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में मदीना में रहते हुये घोड़ा ज़बह (नहर) किया और फिर उसे खाया।

(4426) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4411, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4510.

बाब : (34)
जो शख़्स ग़ैरुल्लाह की ख़ातिर ज़बह करे?

باب : (٣٤)
مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ - عَنِ ابْنِ

(4427) हज़रत आ़मिर बिन वास़िला से रिवायत है कि एक शख़्स ने हज़रत अ़ली (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) आपको लोगों से अलग

حَيَّانَ، - يَعْنِي مَنْصُورًا - عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَىْءٍ دُونَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ " .

कोई पोशीदा बातें बतलाया करते थे? हज़रत अली (ﷺ) ग़ज़ब नाक हो गये यहाँ तक कि उनका चेहरा सुर्ख़ हो गया। और आपने फ़रमाया: आप मुझे लोगों से अलग कोई पोशीदा बात नहीं बतलाते थे, अलबत्ता एक दफ़ा आपने मुझे ये चार बातें इरशाद फ़रमाई जबकि उस वक़्त घर में, मैं और आप ही थे। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उस शख़्स पर लानत करे जो अपने बाप को लानत करता है। अल्लाह तआला उस शख़्स पर लानत करे जो ग़ैरुललाह के लिये ज़बह करता है। अल्लाह तआला उस शख़्स पर लानत करे जो किसी बिदअती या बाग़ी को ठिकाना मुहैया करता है और अल्लाह तआला उस शख़्स पर भी लानत करे जो ज़मीन की अलामत को तब्दील करता है।'

(4427) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1978, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4511.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअल्लिफ़ (ﷺ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद ज़बह लिग़ैरुल्लाह की मज़म्मत है, लिहाज़ा जो शख़्स अल्लाह तआला के सिवा किसी और हस्ती (पीर, पैग़म्बर, नबी, कुतुब, अब्दाल, नेक सालेह और बुज़ुर्ग वग़ैरह) के लिये उनकी ख़ूशनूदी और रज़ा हासिल करने की ख़ातिर जानवर ज़बह करता है, वह मलऊन है और ये बात यक़ीनी है कि लानती शख़्स, अल्लाह (ﷻ) की रहमत से दूर और महरूम होता है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि मज़्कूरा आमाल कबीरा गुनाह हैं क्योंकि लानत, मुर्तकिबे कबीरा पर ही की जाती है, मुर्तकिब सग़ीरा पर नहीं, और उनके मुर्तकिब को लानती भी क़रार नहीं दिया गया। **(3)** इस हदीसे मुबारका से शीया, रवाफ़िज़ और इमामिया वग़ैरह के अक़ीदे की खुली तर्दीद होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (ﷺ) के लिये ख़ास कोई वसीयत फ़रमाई थी। इसके साथ साथ ये मुब्तदिईन जिन दीगर मनघड़ंत बातों और ख़ुराफ़ात पर अपने अक़ाइद व अफ़्कार की बुनियाद रखते हैं उसकी इमारत भी, हज़रत अली (ﷺ) के मज़्कूरा फ़रमान की वजह से धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाती है। आह उस घर को आग लग गई घर के चराग़ से। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक! कुछ बेदीन लोगों ने अजीब अजीब बातें मशहूर कर रखी थीं जिनमें एक ये भी थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असल वह्य की

तालीम सिर्फ़ हज़रत अली (ﷺ) को दी है जो कि इस क़ुर्आन से बहुत ज़्यादा है। ये बात ख़ालिस़ अहमक़ाना है, इसलिये हज़रत अली (ﷺ) को ग़ुस्सा आ गया। (ﷺ). फिर आपने बताया कि ख़ुस़ूसी तालीम तो कोई नहीं दी, अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी फ़रमान के मौक़े पर मैं इत्तेफ़ाक़न आपके पास अकेला था। मगर वह फ़रमान भी सब उम्मत के लिये है न कि सिर्फ़ मेरे लिये। **(4)** ग़ैरुल्लाह के लिये ज़बह करने का एक मफ़हूम तो ये है कि ज़बह के वक़्त ग़ैरुल्लाह का नाम लिया जाये, इसी तरह जो शख़्स़ ग़ैरुल्लाह की रिज़ा की ख़ातिर जानवर ज़बह करता है, ख़्वाह ज़बह के वक़्त अल्लाह का नाम ले, वह भी ज़बह लिग़ैरिल्लाह ही है और ऐसा शख़्स़ मलऊन है। **(5)** 'ज़मीन की अलामात' उन अलामात से मुराद या तो स़हराई रास्तों की अलामात हैं जिनकी मदद से मुसाफ़िर भटकने से महफ़ूज़ रहते हैं। उन अलामात को मिटाने से उनकी मौत का ख़तरा है, लिहाज़ा ये सख़्त गुनाह है। या वह अलामात मुराद हैं जिनके साथ लोगों की मिल्कियत की हदबन्दी होती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (35)
तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों का गोश्त खाने या रखने की मुमानिअत

النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ .

(4428) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया।

(4428) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 27/197, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4512.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़क़्र व फ़ाक़ा के मारे हुये लोगों की ज़रूरत का ख़्याल रखते हुये वक़्ती तौर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़हाब-ए-किराम (ﷺ) को तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने और ज़ख़ीरा करने से मना फ़रमा दिया था, बाद में जब हालात बेहतर हो गये तो आप (ﷺ) ने ये पाबन्दी ख़त्म कर दी। आगे आने वाली अहादीस़ में इसकी तस़रीह मौजूद है। मज़्कूरा पसे मन्ज़र को सामने रखते हुये मालूम होता है कि शारेअ (ﷺ) ने इन्सान की मस़लिहत का ख़ूब ख़ूब लिहाज़ रखा है, लिहाज़ा अब भी अगर हालात की तंगी की वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना हो तो मज़्कूरा लाइहा अमल इख़्तियार किया जा सकता है। **(2)** अगले बाब में इमाम नसाई (رحمه الله) जो अहादीस़ लाये हैं उनमें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों के गोश्त खाने और ज़ख़ीरा करने की रुख़्स़त है, इसलिये अब तीन दिन से ज़्यादा गोश्त खाया भी जा सकता है, और ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है, अलबत्ता फ़ुक़रा को देना लाज़िम है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

(4429) हज़रत अबू उबैद से रिवायत है कि मैंने ईद के दिन हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) के साथ ईद पढ़ी। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़े ईद पढ़ाई। अज़ान हुई न इक़ामत, फिर फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त रखने से मना फ़रमाते थे।

(4429) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5573, मुस्लिम, हदीस: 1969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4513.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका ख़ुत्ब-ए-ईद की मशरूइयत पर वाज़ेह दलील है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्ब-ए-ईद पर मुदावमत और हमेशगी फ़रमाई है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि ख़ुत्ब-ए-ईद और ख़ुत्ब-ए-जुम्अतुल मुबारक एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं। ख़ुत्ब-ए-ईद, नमाज़े ईद के बाद होता है जबकि ख़ुत्ब-ए-जुमा, नमाज़े जुमा से पहले होता है, अलबत्ता ईद और जुमा दोनों के ख़ुत्बे खड़े होकर देना मशरूअ है मगर ये कि कोई माकूल शरई उज़्र हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईद और जुम्अतुल मुबारक का ख़ुत्बा हमेशा खड़े होकर दिया है। **(3)** नमाज़े ईद के लिये अज़ान है न इक़ामत।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ .

(4430) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा अपनी क़ुर्बानियों के गोश्त खाने से मना फ़रमा दिया है।

(4430) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4514, मुस्लिम, हदीस: 1969.

باب(٣٦): الإِذْنِ فِي ذَلِكَ

बाब : (36) इसकी इजाज़त का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ،

(4431) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने से मना फ़रमाया

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " .

था, फिर आपने फ़रमाया: 'अब खाओ। सफ़र में भी साथ ले जाओ और ज़ख़ीरा भी करो।'

(4431) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4515, मौता: 2/484.

फ़ायदा : हदीसे मुबारका के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि अब कुर्बानी का गोश्त खाने, व ज़ख़ीरा करने का हुक्म है, यानी ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि हदीस के अल्फ़ाज़ हैं: यानी खाओ, ज़ादे राह बनाओ और ज़ख़ीरा करो। ये तीनों सेग़े अम्र के हैं लेकिन जब कोई क़रीना सारिफ़ा मौजूद हो तो फिर अम्र इस्तेहबाब, रुख़सत और जवाज़ वग़ैरह पर भी दलालत करता है। इस जगह अम्र इस्तेहबाब और रुख़सत के मानी में है क्योंकि सहाब-ए-किराम (ﷻ) ने इससे रुख़सत ही समझी है। कुछ रिवायात में अल्फ़ाज़ ये हैं: 'बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना किया था, फिर आपने हमें उसके खाने और ज़ख़ीरा करने की रुख़सत दे दी।' (देखिये हदीस: 4433)

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ - أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ . فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

(4432) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब से रिवायत है कि अबू सईद ख़ुदरी (ﷻ) एक सफ़र से वापस तशरीफ़ लाये तो उनके घर वालों ने उनको कुर्बानी का गोश्त पेश किया। वह फ़रमाने लगे: मैं तो नहीं खाऊँगा यहाँ तक कि मैं ये मसला पूछूँ, फिर वह अपने अख़्याफ़ी (मादरी) भाई हज़रत क़तादा बिन नौमान (ﷻ) जो बदरी सहाबी थे, के पास गये और उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने बताया: आपके बाद एक नया हुक्म जारी हो चुका है, इस हुक्म को ख़त्म करने के लिये जिसमें उन्हें (सहाब-ए किराम को) तीन दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने से मना कर दिया गया था। (मतलब ये है कि तुम्हारे बाद एक नया हुक्म जारी हो चुका है जिससे तीन दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त न खाने का हुक्म मन्सूख़ हो गया है।)

(4432) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4516.

(4433) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने से मना फ़रमाया है। हज़रत क़तादा बिन नौमान (ﷺ) आये जो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) के अख़्याफ़ी (मादरी) भाई और बदरी सहाबी थे। घर वालों ने उन्हें गोश्त पेश किया तो वह फ़रमाने लगे: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना नहीं फ़रमाया? हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया: इसकी बाबत नया फ़रमान जारी हो चुका है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पहले तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने से मना फ़रमाया था, फिर इजाज़त फ़रमा दी कि हम खा भी सकते हैं और ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं।

(4433) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4517, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ

फ़ायदा : ये रिवायत ऊपर वाली रिवायत के मुख़ालिफ़ है कि उसमें रुख़्सत वाली रिवायत हज़रत अबू क़तादा बयान फ़रमा रहे हैं और हज़रत अबू सईद खाने से इन्कारी हैं और इस रिवायत में हज़रत अबू क़तादा खाने से इन्कारी हैं और रुख़्सत की रिवायत के रावी हज़रत अबू सईद हैं। पहली रिवायत सही है क्योंकि वह सहीह बुख़ारी के मुवाफ़िक़ है इस रिवायत में 'क़ल्ब' हो गया है, यानी ये रिवायत मक़्लूब है।

(4434) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन बातों से रोका था: (एक तो मैंने तुम्हें) क़ब्रों पर जाने से (रोका था) अब जाया करो लेकिन क़ब्रों पर जाना तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़े का ज़रिया बनना चाहिए। (दूसरा) मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया था, अब खाओ जब तक चाहो। और रखो जब तक

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، -وَهُوَ النُّفَيْلِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " . وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ " وَأَمْسِكُوا " .

चाहो। (तीसरा) मैंने तुम्हें चन्द बर्तनों में (पानी या नबीज़) पीने से रोका था, अब तुम जिस बर्तन में चाहो पी सकते हो लेकिन कोई नशे वाली चीज़ न पीना।'

मुहम्मद (इब्ने मअ़दान) ने व अम्सिकू के अल्फ़ाज़ बयान किये। (मतलब ये कि ये अल्फ़ाज़ उस्ताद अ़म्र बिन मन्सूर ने बयान किये हैं)

(4434) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4518.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ " .

(4435) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त खाने से रोका था, और मशकीज़े के अ़लावा किसी बर्तन में नबीज़ बनाने से भी रोका था। इसी तरह क़ब्रों पर जाने से भी मना किया था। अब तुम जब तक चाहो, क़ुर्बानी का गोश्त खा सकते हो। सफ़र में साथ भी ले जा सकते हो और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। और जो शख़्स चाहे, क़ब्रों पर जा सकता है क्योंकि वह आख़िरत याद दिलाती हैं। इसी तरह अब तुम हर बर्तन में नबीज़ बनाकर पी सकते हो लेकिन हर नशे वाली चीज़ से बचो।'

(4435) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4519, देखें, हदीस: 4434, 2034.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई अहादीस इस बात पर सरीह तौर पर दलालत करती हैं कि पहले क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जाना ममनूअ़ था, बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई। अब औरतें और मर्द, सब जा सकते हैं। जिन अहादीस में औरतों पर, क़ब्रिस्तान जाने की सूरत में, लानत की गई है उनका मफ़हूम ये है कि जो औरतें शरई तक़ाज़े पामाल करें और उनका लिहाज़ न रखते हुये क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जायें उन पर लानत है, जैसे: कसरत से क़ब्रिस्तान जायें, बे पर्दा जायें, ख़ुशबू लगा कर

जायें, और इसी तरह ख़ाविन्दों के हुक़ूक़ का ख़्याल किये बग़ैर उनका क़ब्रिस्तान आना जाना लगा रहे तो वह लानत की हक़दार ठहरेंगी। हदीस़ में इजाज़त के अल्फ़ाज़ अगरचे मुज़क्कर के स़ेग़े से मरवी हैं, ताहम आम अहकाम में औरतें भी मर्दों के ताबेअ होती हैं जैसा कि कुर्आन व हदीस़ के दीगर बहुत से अहकाम में ऐसे है। (2) ये हदीस़े मुबारका इस अहम मसले की तरफ़ भी वाज़ेह रहनुमाई करती है कि अहकाम में नस्ख़ होता है जैसा कि ज़्यारते क़ुबूर की मुमानिअत का हुक्म मन्सूख़ कर दिया गया और क़ब्रिस्तान जाने की रुख़्स़त दे दी गई, इसी तरह पहले चन्द मख़्सूस क़िस्म के बर्तनों में मशरूबात पीने से रोका गया था, फिर बाद में इस मुमानिअत वाले हुक्म को मुकम्मल तौर पर मन्सूख़ करके इन बर्तनों में मशरूबात पीने की इजाज़त दे दी गई और वह इजाज़त ता'हाल बाक़ी है। हाँ, अलबत्ता नशावर मशरूब, ख़्वाह थोड़ी मिक़्दार में इस्तेमाल किया जाये या ज़्यादा मिक़्दार में, हर दो सूरत में इसका पीना हराम और नाजायज़ है। और ये हुर्मत हमेशा हमेशा के लिये है।

बाब : (37)
कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने का बयान

باب(٣٧): الادِّخَارِ مِنَ الأَضَاحِي

(4436) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि आराबियों का एक क़ाफ़िला मदीना मुनव्वरा आया। इधर कुर्बानियों का वक़्त आ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(कुर्बानियों का गोश्त) तीन दिन रख कर खा सकते हो (ज़्यादा नहीं) इसके बाद (आइन्दा साल) लोगों ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग अपनी कुर्बानियों से फ़ायदा उठाया करते थे। उनकी चर्बी पिघला लिया करते थे और चमड़ों से मशकीज़े बना लिया करते थे। आपने फ़रमाया: 'क्या मतलब?' लोगों ने कहा: आपने जो कुर्बानी का गोश्त वग़ैरह रखने से रोक दिया है। आपने फ़रमाया: 'मैंने तो उस क़ाफ़िले की वजह से रोका था जो (देहात से) आया था। अब तुम खाओ, जमा भी रखो और स़दक़ा भी करो।'

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلاَثًا " . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِي . قَالَ " إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا " .

(4436) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 1971, मौता: 2/484, 485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4520.

फ़ायदा : गोया पहले साल आपका रोकना मख़्सूस हालात की वजह से था जो उस क़ाफ़िले की आमद से पैदा हुये थे वरना उसूली तौर पर कुर्बानी की हर चीज़, जैसे: गोश्त, चर्बी और चमड़े वग़ैरह से देर तक फ़ायदा उठाया जा सकता है, अलबत्ता फुक़रा और साइलीन को देना भी ज़रूरी है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(4437) हज़रत आबिस से रिवायत है कि मैं हज़रत आयशा (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हुआ और पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा खाने से रोकते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, लोग बहुत तंग थे, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेहतर समझा कि मालदार लोग फ़क़ीरों को खिलायें, फिर फ़रमाने लगीं: मैंने देखा है कि आले मुहम्मद (ﷺ) पन्द्रह पन्द्रह दिन के बाद कुर्बानी के जानवरों के पाये खाते थे। मैंने कहा ऐसे क्यूँ? हँस कर फ़रमाने लगीं: हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के घर वालों ने तीन दिन मुसल्सल सालन वाली रोटी सैर होकर नहीं खाई। यहाँ तक कि आप अल्लाह (عزوجل) के पास तशरीफ़ ले गये।

(4437) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5423, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4521.

फ़ायदा : आग़ाज़ में तंगदस्ती थी, बाद में बे इन्तेहा सख़ावत की वजह से आपके घरेलू हालात इसी तरह सादा रहते थे।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ

(4438) हज़रत आबिस ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से कुर्बानी के गोश्त के बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया: हम एक एक माह तक कुर्बानी के पाये रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये रख छोड़ते थे। और आप खा लिया करते थे।

عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي، قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ .

(4438) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 452.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِمْسَاكِ الأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ " كُلُوا وَأَطْعِمُوا " .

(4439) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहले तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी का गोश्त रखने से मना फ़रमा दिया था, फिर आपने फ़रमाया '(जब तक चाहो) खाओ और (फ़ुक़रा व मसाकीन को भी) खिलाओ।'

(4439) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4523, अल हाकिम: 4/232.

باب(٣٨): ذَبَائِحِ الْيَهُودِ

बाब : (38) यहूदियों का ज़बह शुदा जानवर

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، قَالَ دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لاَ أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ .

(4440) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) बयान करते हैं कि ख़ैबर के दिन चर्बी का एक थैला (क़िला से) बाहर फेंका गया। मैं उससे चिमट गया। मैंने (अपने आपसे) कहा: मैं उससे किसी को कुछ नहीं दूँ। अचानक मैं मुड़ा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) (मुझे देख सुन कर) मुस्कुरा रहे थे।

(4440) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1772, बुख़ारी, हदीस़: 3153, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4524.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले किताब, यानी यहूदी और ईसाई लोगों के ज़बीहे के मुताल्लिक़ हुक्मे शरीयत ये है कि उसे खाया जा सकता है। क़ुर्आन मजीद में इरशादे बारी तआला है: 'अहले किताब (यहूद व नस़ारा) का तआम तुम्हारे लिये हलाल है।' (अल माइदा: 5/5) मुफ़स्सिरे क़ुर्आन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं (तआमुहुम, ज़बाइहुहुम) यानी अहले किताब (यहूद व नस़ारा) के तआम से मुराद उनके ज़बह शुदा जानवर हैं। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 5508) **(2)** तर्जुमतुल बाब

(उनवान) के साथ हदीस़ की मुनासिबत इस तरह बनती है कि फेंके गये थैले में जो चर्बी थी वह यक़ीनन किसी ज़बह शुदा जानवर ही की थी और ज़ाहिर है उसे किसी यहूदी ही ने ज़बह किया था। अगर उनका ज़बह शुदा जानवर हलाल न होता तो उस जानवर की चर्बी भी हलाल न होती, और स़हाबी-ए-रसूल भी उसे न उठाते, रसूलुल्लाह (ﷺ) भी मौजूद थे, वह भी मना फ़रमा देते, लेकिन बजाये रोकने के आप (ﷺ) उसे देख कर मुस्कुरा दिये जिससे इस चर्बी के हलाल होने का पता चलता है, और मालूम हुआ कि अहले किताब के साथ जंग हो रही हो तब भी उनका ज़बीहा और उसके, तमाम अजजा हलाल हैं। **(3)** यहूदियों की बद किरदारी की वजह से गाय और बकरी की कुछ चर्बी उनके लिए हराम कर दी गई थी, इसके बावजूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फ़ल(رضي الله عنه) ने उसे उठा लिया क्योंकि वह यहूदियों के लिये हराम थी, न कि मुसलमानों के लिये, और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुस्कुरा कर उनके इस अमल की तौसीक़ फ़रमा दी। स़हीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम में ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि जब मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को देखा तो मुझे हया आ गई, यानी मैं शर्मिन्दा सा हो गया। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 3153, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1772) **(4)** 'मुस्कुरा रहे थे' मेरी हिर्स देख कर। इसे तक़रीरी हदीस़ कहा जाता है। और ये बिल इत्तेफ़ाक़ हुज्जते शरई है। ये क़तई तौर पर नामुमकिन है कि शरअन एक काम नाजायज़ और हराम हो और नबी (ﷺ) उसे देख कर मुस्कुरायें या ख़ामोश रहें।

बाब : (39)
ग़ैर मारूफ़ शख़्स़ का ज़बह शुदा जानवर?

باب(۳۹): ذَبِيحَةِ مَنْ لَمْ يُعْرَفُ

(4441) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि कुछ आराबी लोग हमारे पास गोश्त लाते थे और हमें मालूम नहीं होता था उन्होंने (ज़बह करते वक़्त) अल्लाह तआला का नाम लिया है या नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अल्लाह तआला का नाम लेकर खा लिया करो'

(4441) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2057, 5507, 7398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4525.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُلُوا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमानों और अहले किताब में से किसी भी शख़्स़ का ज़बह किया हुआ जानवर हलाल समझा जायेगा और शक व शुब्हा होने की सूरत में गोश्त खाते हुये अल्लाह का नाम ले लेने से शक व शुब्हा भी ज़ाइल हो जायेगा। लेकिन सीख, मजूसी और मुश्रिक वग़ैरह का

ज़बीहा खाना क़तअन जायज़ नहीं। (2) मुसलमानों के शहरों और बाज़ारों वग़ैरह में पाई जाने वाली चीज़ें हलाल समझी जायेंगी मगर ये कि उनकी हुर्मत की कोई स़रीह दलील मौजूद हो, महज़ शक की बिना पर किसी चीज़ की हुर्मत स़ाबित नहीं होती। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत सऊदी अ़रब के मुफ़्ती-ए-आज़म शैख़ अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन बाज़ (رحمہ اللہ) के कलाम से मुलाहिज़ा फ़रमाइये। वह फ़रमाते हैं: 'ग़ैर इस्लामी मुल्कों के बाज़ारों में जो गोश्त बिक रहा होता है, अगर उसकी बाबत ये मालूम हो जाये कि वह अहले किताब (यहूदियों या इसाइयों) के ज़बह किये हुये जानवरों का गोश्त है तो वह मुसलमानों के लिये (उस वक़्त तक) हलाल है जब तक ये मालूम न हो कि (जिस जानवर का वह गोश्त है) उसको ग़ैर शरई तरीक़े से ज़बह किया गया था। ये इसलिये कि क़ुर्आनी नस्स़ की रू से तो उसकी अस़ल ये है कि वह हलाल है, लिहाज़ा इस सूरत में, क़ुर्आने करीम की बयानकर्दा अस़ल (हिल्लत) से उस वक़्त तक अ़दूल नहीं किया जायेगा जब तक कोई ऐसी पुख़्ता दलील न मिल जाये जो इस (गोश्त) के हराम होने का तक़ाज़ा करती हो। और अगर वह गोश्त (यहूद व नस़ारा के अ़लावा) दीगर काफ़िरों के ज़बह किये हुये जानवरों का मुसलमानों पर हराम है और बवजहे नस्स़ और इज्मा-ए-उम्मत उस गोश्त को खाना नाजायज़ है। ऐसा गोश्त महज़ खाते वक़्त अल्लाह का नाम ले लेने से हलाल नहीं होगा।' वल्लाहु आ़लम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 34/51)

बाब : (40)
अल्लाह तआ़ला के फ़रमान 'जिस ज़बीहे पर अल्लाह तआ़ला का नाम न लिया गया हो, उसे मत खाओ' की तफ़्सीर

بَابٌ : (۴۰)
تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ }

(4442) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) ने अल्लाह तआ़ला के फ़रमान 'वला ....' 'वह जानवर न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो।' के बारे में फ़रमाया: मुश्रिकीन ने मुसलमानों से हुज्जतबाज़ी की थी कि जिस जानवर को अल्लाह तआ़ला ज़बह करे, उसे तुम नहीं खाते और जिसे तुम ख़ुद ज़बह करते हो, उसे खा लेते हो?

(4442) तख़रीज : (सनद हसन) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 8/13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4526.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ، - وَهُوَ هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } قَالَ خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلاَ تَأْكُلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ .

फ़ायदा : मालूम हुआ आयते करीमा में वह जानवर मुराद है जो ख़ुद ब ख़ुद मर गया हो और उसे ज़बह करने का मौक़ा न मिला हो। इसी तरह जिस जानवर को अल्लाह तआला की बजाये किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वह भी हराम है। इसी तरह जिस जानवर को मुश्रिक ने ज़बह किया हो, वह भी हराम है, ख़्वाह अल्लाह या ग़ैरुल्लाह का नाम ले या न क्योंकि इसका अल्लाह तआला पर ईमान नहीं, अलबत्ता मुवह्हिद शख़्स ज़बह करते वक़्त अल्लाह तआला का नाम लेना भूल जाये तो मुत्तफ़क़ा तौर पर उसका ज़बीहा हलाल है क्योंकि निस्यान उज़्र है। हाँ, अगर मुवह्हिद जान बूझ कर ज़बह करते वक़्त अल्लाह का नाम न ले तो अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ज़बीहा हराम है क्योंकि इस आयत में वह जानवर खाने से मना किया गया है जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो मगर इमाम शाफ़ेई और कुछ दूसरे उलमा ने ऐसे ज़बीहे को हलाल कहा है क्योंकि अल्लाह का नाम मोमिन के दिल में क़ाइम रहता है। ज़बान से ज़िक्र करे या न करे। सुनन अबू दाऊद की एक मुर्सल रिवायत भी इस मफ़हूम में आती है। उनके नज़दीक ऊपर दी गई आयतः (मालम् युज़्करिस्मल्लाहि अलैहि) से मुराद जानवर मुराद है या वह जानवर जिसे ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो। वल्लाहु आलम! लेकिन जुम्हूर अहले इल्म की बात राजेह है।

बाब : (41)
मुजस्समा की मुमानिअत का बयान

باب : (٤١)
النَّهْيِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ " .

(4443) हज़रत अबू सअ्लबा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मुजस्समा हलाल नहीं।'

(4443) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 4331, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 4527.

फ़ायदा : मुजस्समा से मुराद वह जानवर है जिसे बाँध कर दूर से तीरों वग़ैरह का निशाना बनाया जाये और वह मर जाये। ये हराम है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीसः 4331)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ - يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ - فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي

(4444) हज़रत हिशाम बिन ज़ैद से मन्क़ूल है कि मैं हज़रत अनस (ﷺ) के साथ हकम बिन अय्यूब के पास गया तो कुछ लोग अमीर के घर में एक मुर्ग़ी को निशाना बनाकर तीर मार रहे थे। हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह(ﷺ)

دَارِ الأَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

ने मना फ़रमाया है कि जानवरों को बाँध कर निशाना बनाया जाये।

(4444) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1956, बुख़ारी, हदीस: 5513, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4528.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ किसी भी जानदार को (जैसा कि हदीस: 4446 वग़ैरह में आ रहा है) ख़्वाह वह इन्सान हो, या हैवान और परिन्दा या दरिन्दा वग़ैरह उसको बिला वजह अज़ाब और तक्लीफ़ देना हराम है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर ज़रूरी है। इसमें किसी मलामत गर की मलामत या किसी साहिबे इक़्तेदार व इख़्तियार शख़्स का ख़ौफ़ नहीं होना चाहिए जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने किया। उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ़ के चचेरे भाई, उसके नाइब और हाकिमे बसरा हकम बिन अय्यूब जैसे ज़ालिम और सफ्फ़ाक हुक्मरान के सामने ये फ़रीज़ा, कमा हक़्क़हू अदा फ़रमाया। हकम बिन अय्यूब के मुताल्लिक़ मारूफ़ है कि वह भी ज़ुल्म व जोर में अपने चचाज़ाद हज्जाज बिन यूसुफ़ की तरह था। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ " لاَ تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ " .

(4445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ लोगों के पास से गुज़रे जो एक मैण्ढे को निशाना बनाकर तीर मार रहे थे। आपने उसको सख़्त नापसन्द किया और फ़रमाया: 'जानवरों का मुस्ला न करो।'

(4445) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यअ़ला: 12/162: 6790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4529.

फ़ायदा : मुस्ला से मुराद है किसी की शक्ल बिगाड़ना या ज़िन्दा से कुछ गोश्त अलग करना। ज़ाहिर है किसी जानदार (हैवान या परिन्दे) को बाँध कर तीरों के साथ निशाना बनाने से शक्ल भी बिगड़ेगी क्योंकि तीर चेहरे पर भी लग सकता है और तीर लगने से गोश्त भी अलग हो सकता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ

(4446) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स पर लानत फ़रमाई जो किसी जानदार को निशाना बनाये।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .

(4446) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1958, बुख़ारी, हदीस: 5515, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4530.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ".

(4447) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला उस शख़्स पर लानत फ़रमाये जो किसी जानदार का मुस्ला करे।'

(4447) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4531, बुख़ारी, हदीस: 5515.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " .

(4448) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसी चीज़ जिसमें रूह हो उसे निशाना न बनाओ।'

(4448) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5515, मुस्लिम, हदीस: 1957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4532.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

(4449) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी जानदार चीज़ को निशाना बनाने से मना फ़रमाया है।

(4449) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4533.

फ़ायदा : जानदार चीज़ को निशाना बनाना ज़ुल्म है और ज़ुल्म हराम है। इन्सान पर हो या हैवान पर। यहाँ तक कि बेजान चीज़ों पर भी। हर चीज़ के साथ हुस्ने सुलूक फ़र्ज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4331)

बाब : (42)
जो शख़्स चिड़िया (या किसी और हलाल जानवर) को नाहक़ मारे

باب : (۴۲)
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْفَعُهُ قَالَ " مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ " حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلاَ تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا " .

(4450) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मरफ़ूअन रिवायत है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने चिड़िया या उससे बड़े किसी जानवर को नाहक़ क़त्ल किया, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उससे उसके मुताल्लिक़ पूछेगा।' पूछा गया: अल्लाह के रसूल! उसका हक़ क्या है? आपने फ़रमाया: 'उसका हक़ ये है कि उसे ज़बह करके खाये। उसका सर काट कर फेंक न दे।'

(4450) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4354, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4534.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4354 के फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ خَلَفٍ، - يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ".

(4451) हज़रत शरीद (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस शख़्स ने एक चिड़िया को भी बेफ़ायदा क़त्ल किया, क़यामत के दिन चिड़िया उस शख़्स के ख़िलाफ़ बा'आवाज़ बलन्द अल्लाह तआला से फ़रियाद करते हुये कहेगी: ऐ मेरे परवरदिगार! फ़ुलां शख़्स ने मुझे बेफ़ायदा क़त्ल किया। किसी फ़ायदे के लिये ज़बह नहीं किया।'

(4451) तख़रीज : (सनद हसन लिग़ैरह) तबरानी फ़िल्कबीर: 7/317, हदीस: 7245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4535, वलमुसनद लिअहमद: 4/389, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1071, मुश्किलुल आसार: 1/372.

फ़ायदा : 'बे फ़ायदा' न खाने के लिये, न किसी दवाई में डालने के लिये बल्कि शग़ल और खेल के

तौर पर। ये फ़रियाद ख़ाली फ़रियाद नहीं होगी बल्कि उस पर दादरसी भी होगी। और उस शख़्स को सज़ा भी मिलेगी।

बाब : (43) गन्दगी खाने वाले जानवर का गोश्त खाने की मुमानिअत का बयान

باب : (۴۳) النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ

(4452) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर (की जंग) के दिन घरेलू (पालतू) गधों के गोश्त से, और गन्दगी खाने वाले जानवरों के गोश्त और सवारी से मना फ़रमाया था।

(4452) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3811, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4536.

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ، مَرَّةً عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस जानवर की अक्सर ख़ूराक गन्दगी हो उस जानवर (हैवान या परिन्दे) का गोश्त खाना ममनूअ है। **(2)** इस हदीस से ये मसला भी मालूम हुआ कि जल्लाला, यानी गन्दगी खाने पर गुज़ारा करने वाले जानवर पर सवारी करना ममनूअ है। **(3)** घरेलू, यानी पालतू गधे का गोश्त तो मुत्लक़न हराम है, ख़्वाह वह गन्दगी खाये या न, अलबत्ता उस पर सवारी करना जायज़ है क्योंकि उसे पैदा ही सवारी और बार बरदारी के लिये किया गया है। उसका पसीना वग़ैरह पाक है लेकिन गन्दगी खाने वाला जानवर, ख़्वाह कोई भी हो, अगर गन्दगी इस क़द्र खाये कि उसके असरात उसके गोश्त में महसूस हों, जैसे: गोश्त से गन्दगी की बदबू आये या ज़ाइक़ा ख़राब हो या रंग बदल जाये तो उसे न सिर्फ़ खाना हराम है बल्कि ऐसे जानवर पर सवारी भी मना है क्योंकि उसके पसीने में भी गन्दगी के असरात होंगे, लिहाज़ा पसीना पलीद होगा। सवार के कपड़े लाज़िमन जानवर के पसीने से आलूदा हो जायेंगे। वह भी पलीद हो जायेंगे। कपड़े जिस्म को लगते हैं, लिहाज़ा सवार का जिस्म भी पलीद हो जायेगा, इसलिये सवारी भी मना है। पसीना तो गोश्त ही से पैदा होता है। गोश्त पलीद तो पसीना भी

पलीद। अलबत्ता मामूली गन्दगी खाने वाले जानवर का ये हुक्म नहीं क्योंकि जानवरों को ख़ालिस और पाक ख़ूराक का पाबन्द नहीं किया जा सकता। मामूली गन्दगी के असरात गोश्त वग़ैरह तक नहीं पहुँचते।

बाब : (44)
जल्लाला का दूध पीने की मुमानिअत का बयान

باب : (۴۴)
النَّهْيِ عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

(4453) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुजस्समा, गन्दगी खाने वाले जानवर के दूध और मशकीज़े के मुँह से (उसके मुँह से, मुँह लगा कर) पानी पीने से मना फ़रमाया है।

(4453) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4537, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1363, बुख़ारी: 2/34, तिर्मिज़ी, हदीस: 1795 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उन्वान का मक़सद बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस जानवर की सारी या अक्सर ख़ूराक गन्दगी खाना ही है, उस जानवर का दूध पीना ममनूअ है। **(2)** मुमानिअत की वजह वही है जो साबिक़ा हदीस के फ़वाइद व मसाइल में बयान हो चुकी है कि गन्दगी के असरात, गन्दगी खाने वाले जानवर के दूध में सरायत कर जाते हैं। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि मशकीज़े के मुँह से, मुँह लगा कर पानी पीना ममनूअ है। इस मुमानिअत की वजह ये है कि इस सूरत में अगर मशकीज़े के अन्दर कोई कीड़ा वग़ैरह या कोई और मुज़िर चीज़ होगी तो वह पीने वाले के मुँह में चली जायेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसा करने से रोक दिया है। हाँ मजबूरी की सूरत में पिया जा सकता है। आम इजाज़त नहीं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बैअ़ का लुग़वी और इस्तेलाही मफ़हूम

अल बुयूअ़, जमा है अल बैअ़ की। इसके मानी हैं: ख़रीद, फ़रोख़्त, फ़रोख़्तगी। (देखिये: अल्कामूसुल वहीद, माद्दा (बैअ़) अल बैअ़, दरअसल मस्दर है: बाआ यबीउ बैअ़न, व मबीअ़न, फ़हूवा बाइउन व बैअ़। अल बुयूअ़ को जमा लाया गया है जबकि मस्दर से तस्निया और जमा नहीं लाये जाते? तो इसकी वजह ये है कि इसकी अन्वाअ़ व अक़्साम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिये इसे जमा लाया गया है।

अल बैअ़ अज़्दाद में से है जैसा कि अश्शिराअ अज़्दाद में से है। यही वजह है कि ये दोनों, यानी अल बैअ़ और अश्शिराअ एक दूसरे के मानी में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी लिये मुतआक़िदीन, यानी ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले दोनों अश्ख़ास पर लफ़्ज़ बायअ़ का इत्लाक़ होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब अल बाइअ़ का लफ़्ज़ बोला जाये तो मुतबादिर अलज़्ज़हन (फ़ौरी तौर पर ज़हन में आने वाला) फ़रोख़्त कुनिन्दा ही होता है, ताहम बेचने और ख़रीदने वाले, दोनों पर इस लफ़्ज़ का इत्लाक़ दुरुस्त है। अ़रबी में लफ़्ज़ अल बैअ़ का इत्लाक़ अल मबीअ पर भी किया जाता है, जैसे: कहा जाता है: बैअ़ुन जय्यदुन, बमआनी मबीअ़न जय्यदुन ये मबीउन (फ़रोख़्त शुदा चीज़) बेहतरीन और उम्दा है। इमाम अबू अलअब्बास कुर्तुबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अल बैअ़ लुग़तन बाअ़ का मस्दर है। कहा जाता है: बाअ़ कज़ा बिकज़ा, यानी उसने फ़ुलां चीज़ फ़ुलां के ऐवज़ बेची। मतलब ये कि उसने मुअव्वज़ दिया और उसका ऐवज़ लिया। जब कोई शख़्स एक चीज़ देकर उसके बदले में कोई चीज़ लेता है तो उसका तक़ाज़ा है कि कोई बाइअ़ हो जो उस चीज़ का असल मालिक होता है या मालिक का क़ाइम मक़ाम। इसी तरह उसका ये भी तक़ाज़ा है कि कोई मुब्ताअ़ (ख़रीदार) भी हो। मुब्ताअ़ वह शख़्स होता है जो समन ख़र्च करके मबीअ़ हासिल करता है और ये मबीअ़ चूंकि समन के ऐवज़ ली जाती है, इसलिये ये मस्मून होती है। इस तरह अरकाने बैअ़ चार हुये हैं: अल बाइअ़ (बेचने वाला) अलमुब्ताअ़ (ख़रीदार) अस्समन (क़ीमत), और अल्मस्मून (क़ीमत के ऐवज़ में ली हूई चीज़), देखिये (अल मफ़हम: 4/360)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अल बुयूअ जमा है बैअ़ की। और जमा लाने की वजह ये है कि इसकी मुख़्तलिफ़ अन्वाअ़ हैं। अल बैअ़ के मानी हैं: नक़्लु मिल्किन इललग़ैरि बिसमनिन समन, यानी क़ीमत के बदले में किसी चीज़ की मिल्कियत दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल करना और इस क़बूलियत मिल्क को शिराअ कहते हैं, ताहम अल बैअ़ और अश्शिरा दोनों का इत्लाक़ एक दूसरे पर भी होता है। मज़ीद फ़रमाते हैं कि तमाम मुसलमानों का ख़रीद व फ़रोख़्त के जवाज़ पर इज्मा है। हिक्मत का

तक़ाज़ा भी यही है क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि एक चीज़ किसी इन्सान के पास होती है और कोई दूसरा शख़्स उसका ज़रूरतमन्द होता है जबकि पहला शख़्स, यानी मालिक अपनी चीज़ (बिला मुआवज़ा) दूसरे पर ख़र्च करने (या देने) के लिये तैयार नहीं होता, लिहाज़ा शरीयत ने बज़रीया बैअ उस चीज़ तक पहुँचने का ऐसा जायज़ ज़रिया मुहैया कर दिया है जिसमें क़तअन कोई हर्ज नहीं। इस (बैअ) का जवाज़ कुर्आनि करीम से साबित है। इरशादे रब्बानी है: 'व अहल्लल्लाहलु बैअ व हर्रमर्रिबा) 'अल्लाह ने बैअ (ख़रीद व फ़रोख़्त) को हलाल फ़रमा दिया है और सूद को हराम ठहरा दिया।' (अल बक़र: 2/275) (फ़तहुल बारी: 4/364, तबअ दारुस्सलाम, अर्रियाज़)

इमाम इब्ने कुदामा (رحمه الله) फ़रमाते हैं: किसी चीज़ का मालिक बनने या किसी और को मालिक बनाने के लिये माल के बदले माल का तबादला बैअ कहलाता है। बैअ, किताब व सुन्नत और इज्मा की रू से जायज़ है। कुर्आनि करीम की रू से तो इस तरह कि अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: 'अल्लाह ने बैअ को हलाल किया है' सुन्नत, यानी हदीस की रू से भी बैअ जायज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशाद है: 'अलबयआनि बिलख़ियारिमा लम यतफ़र्रक़ा' 'दोनों सौदा करने वाले जब तक एक दूसरे से अलग और जुदा न हों (उस वक़्त तक) उन्हें (सौदा ख़त्म करने का) इख़्तियार है।' (सहीह अल बुख़ारी, हदीस: 2109, 2110, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1532) और तमाम मुसलमानों का इसके जायज़ होने पर इज्मा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 34/72–75)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب البيوع

ख़रीद व फ़रोख़्त से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب(۱): الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ " .

बाब : (1) कमाने (मेहनत करने) की तर्ग़ीब

(4454) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी की बेहतरीन ख़ूराक वह है जो वह अपनी मेहनत से कमा कर खाये। और औलाद भी आदमी की अपनी कमाई है।'

(4454) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6043, तिर्मिज़ी, हदीस: 1358.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मेहनत से कमा कर खाने को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेहतरीन और पाकीज़ा कमाई क़रार दिया है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि औलाद की कमाई में वालिद को, औलाद की इजाज़त के बग़ैर भी, तसर्रुफ़ करने का हक़ और इख़्तियार है। इमाम ख़त्ताबी(رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अगर औलाद साहिबे इस्तेताअत हो तो उन पर वालिदैन का नान व नफ़्क़ा वाजिब है। तमाम फ़ुक़हा ने औलाद पर वालिदैन का ख़र्चा वाजिब और ज़रूरी क़रार दिया है। (3) 'औलाद भी आदमी की अपनी कमाई है' गोया इन्सान को या तो अपनी मेहनत से कमा कर खाना चाहिए या अपनी औलाद की कमाई से क्योंकि वह भी ग़ैर नहीं। और अपनी औलाद का माल खाना आर भी नहीं जबकि और किसी से लेकर खाना आर है। ख़्वाह वह सगा भाई ही हो। इस्लाम का मन्शा ये है कि कोई शख़्स मुफ़्तख़ोर या मंगता नहीं होना चाहिए मगर ये कि कोई माज़ूर हो। कमाई के क़ाबिल न हो वरना किसी पर बोझ बनना सदक़ा लेने के मुतरादिफ़ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ، لَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " قَالَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ " .

(4455) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारी औलाद तुमहारी बेहतरीन कमाई है, लिहाज़ा तुम अपनी औलाद की कमाई खा सकते हो।'

(4455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6044.

फ़ायदा : 'खा सकते हो' लेकिन ज़रूरत के मुताबिक़। ये नहीं कि औलाद के माल को ज़ाया करता फिरे या उन्हें बिला वजह तंग करे। अहादीस़ में 'खाने' का लफ़्ज़ है। मुराद तमाम ज़रूरियात हैं, ख़्वाह वह ख़ूराक से मुताल्लिक़ हों या लिबास से। इलाज से मुताल्लिक़ हों या रहन सहन से लेकिन ज़रूरत और एहतियाज के वक़्त और मुताबिक़। चूंकि ख़ूराक इन्सान का सबसे बड़ा मसला है, इसलिए उसका ख़ुसूसन ज़िक्र फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ " .

(4456) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी की बेहतरीन ख़ूराक वह है जो वह अपनी मेहनत से कमा कर खाये। और उसकी औलाद भी उसकी कमाई ही है।'

(4456) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 2137, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6040, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1092, 1093.

फ़ायदा : बेहतरीन मेहनत और कमाई क्या है? उ़लमा ने अपने अपने नुक़्त-ए-नज़र से इसका तअ़य्युन किया है। कुछ ने तिजारत को अफ़ज़ल पेशा क़रार दिया है क्योंकि ये साफ़ सुथरा और मुअज्जज पेशा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे इख़्तियार फ़रमाया था। कुछ उ़लमा ने हाथ की मेहनत को अफ़ज़ल कहा है क्योंकि अम्बिया (ﷺ) उ़मूमन हाथ की कोई न कोई मेहनत फ़रमाते थे। कुछ ने ज़राअ़त को बेहतरीन कमाई कहा है क्योंकि ज़राअ़त से तमाम मख़्लूक़ात अपनी अपनी ख़ूराक हासिल करती हैं। ज़ाहिर है उनकी ख़ूराक का सवाब ज़राअ़त करने वाले को मिलता है और उसकी कमाई से परिन्दे, जानवर, कीड़े मकोड़े और ग़रीब इन्सान मुफ़्त ख़ूराक हासिल करते हैं। कुछ ने माले ग़नीमत को अफ़ज़ल कमाई समझा है मगर ये तो सिर्फ़ फ़ौज को हासिल हो सकती है। आज कल के दौर में फ़ौज के लिये भी

मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ये क़ौल कमज़ोर है। न हर वक़्त लड़ाई हो सकती है, न हर शख़्स लड़ सकता है और न हर लड़ाई से ग़नीमत हासिल हो सकती है। अस़ल बात ये है कि हर शख़्स अपनी ज़हनी इस्तेदाद और रुझान के साथ कोई भी पेशा इख़्तियार कर सकता है। उससे हलाल कमाये तो वही उसके लिये अफ़ज़ल है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ " .

(4457) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्सान की पाकीज़ा तरीन ख़ूराक वह है जो वह अपनी कमाई से खाये। और उसकी औलाद भी उसकी कमाई ही है।'

(4457) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6046.

फ़ायदा : 'उसकी कमाई है' क्योंकि उसने बड़ी मेहनत और मशक़्क़त से उनको पाल पोस कर जवान किया है।

اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ

बाब : (2)
कमाई के दौरान मुश्तबह चीज़ों से बचना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَوَاللَّهِ لاَ أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ

(4458) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना, और अल्लाह की क़सम! मैं आपके बाद किसी से न सुनूँगा, आप फ़रमा रहे थे: 'हलाल वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है लेकिन इनके दरम्यान कुछ मुश्तबह चीज़ें भी हैं। इस सिलसिले में, मैं तुम्हें एक मिस़ाल बयान करता हूँ। यक़ीनन अल्लाह तआला ने कुछ इलाक़ा ममनूअ क़रार दिया है और वह इलाक़ा अल्लाह तआला की हरामकर्दा चीज़ें हैं। जो शख़्स इस ममनूअ इलाक़े के क़रीब क़रीब (जानवर) चरायेगा, बहुत

أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ " وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً " . قَالَ " وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى " . وَرُبَّمَا قَالَ " إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ " .

मुमकिन है कि वह इस ममनूअ इलाक़े में चरने लगे। इसी तरह जो शख़्स मुश्तबह काम करता है, बहुत मुमकिन है कि वह हराम काम पर भी जुर्अत कर बैठे।'

(4458) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2051, मुस्लिम, हदीस: 1599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6040.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कस्बे मआश में शुब्हात से बचना चाहिए, यानी इन्सान की कमाई बिल्कुल साफ़ सुथरी और हलाल तय्यब होनी चाहिए न कि मश्कूक व मुश्तबह **(2)** हलाल और हराम, दोनों वाज़ेह हैं लेकिन उस शख़्स के लिये जिसे शरई नुसूस का इल्म हो। हर किसी को ये फ़ज़ीलत हासिल नहीं। ये मर्तबा और बसीरत रासिख़ फ़िल इल्म अहले इल्म को हासिल हो सकता। **(3)** ये हदीस बहुत ज़्यादा क़द्रो मन्ज़िलत वाली है। अक्सर मुहद्दिसीने किराम ने इसे 'किताबुल बुयूअ' में बयान फ़रमाया है क्योंकि ज़्यादा तर शुकूक व शुब्हात मामलात ही में होते हैं। मज़ीद बरां ये कि इस हदीस का ताल्लुक़ निकाह व तलाक़, मत्ऊमात व मशरूबात और शिकार वग़ैरह के साथ भी है। जो शख़्स ग़ौर व फ़िक्र करेगा, उसे ये सब कुछ बख़ूबी मालूम हो जायेगा। **(4)** हलाल व हराम के दरम्यान एक ऐसा दर्जा है जिसकी मारफ़त और पहचान ज़रूरी है और उससे बचना भी। और वह ऐसे शुब्हात और ऐसी मश्कूक व मुश्तबह चीज़ों का दर्जा है जिनकी हिल्लत व हुरमत दोनों ग़ैर वाज़ेह हैं, इसलिये एक अक़्लमन्द शख़्स के लिये इस दर्जे की मारफ़त बहुत ज़रूरी है। **(5)** किसी मसले और शरई हुक्म की वज़ाहत के लिये मिसाल बयान की जा सकती है ताकि वह मसला अच्छी तरह समझ मं आ जाये जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिसाल बयान फ़रमाई। **(6)** जो शख़्स शुब्हात का शिकार होता है, उसका दीन और उसकी इज़्ज़त दाग़दार हो जाते हैं। **(7)** अहकाम की तीन क़िस्में हैं: एक क़िस्म ऐसे अहकाम की है कि क़ुर्आन व हदीस में उन्हें बजा लाने का तक़ाज़ा है और न करने पर वईद है। दूसरी क़िस्म ऐसे अहकाम की है कि उनके न करने की नस्स हो और करने पर वईद हो। और तीसरी क़िस्म ऐसे अहकाम की है जिनके करने या न करने के मुताल्लिक़ कोई नस्स न हो। पहली क़िस्म के अहकाम वाज़ेह तौर पर हलाल हैं और दूसरी क़िस्म के अहकाम वाज़ेह तौर पर हराम जबकि तीसरी क़िस्म के अहकाम वाज़ेह तौर पर हलाल हैं न वाज़ेह तौर पर हराम बल्कि वह मुश्तबह हैं। जिन अहकाम

की सूरते हाल इस तरह हो उनसे इज्तेनाब करना चाहिए ताकि इन्सान हराम का मुर्तकिब न हो। (8) 'ममनूअ इलाक़ा' अरब में आम रिवाज था कि बादशाह और सरदार कुछ इलाक़े अपने जानवरों के चरने के लिये मख़्सूस क़रार दे देते थे। आम लोग वहाँ जानवर नहीं चरा सकते थे बल्कि लोग डरते हुये उस इलाक़े के क़रीब भी नहीं फटकते थे कि कहीं ग़लती ही से जानवर उस इलाक़े में दाख़िल न हो जायें और बादशाह के कारिन्दों के ज़ुल्म व सितम का निशाना बन जायें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यही मिसाल हराम, हलाल और मुश्तबह चीज़ों के लिये बयान फ़रमाई। मख़्सूस इलाक़े 'हराम है' क़रीबी इलाक़ा 'मुश्तबह' है। और दूर का इलाक़ा 'हलाल' है। महफ़ूज़ वही शख़्स है जो सिर्फ़ हलाल इलाक़े में रहे। मुश्तबह इलाक़े में जाने वाले के लिये ख़तरा है कि वह किसी वक़्त भी हराम के इलाक़े में दाख़िल हो सकता है। उमूमन मुश्तबह काम करने वाला हराम से नहीं बच सकता।

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ " .

(4459) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों पर एक ऐसा वक़्त आयेगा कि आदमी परवाह नहीं करेगा कि माल कहाँ से आ रहा है? हलाल (तरीक़े) से या हराम से?'

(4459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6041.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब के क़ाइम करने से इमाम साहिब (رحمه الله) का मक़सद, कमाई में शुब्हात से बचने का शौक़ दिलाना है क्योंकि जब इन्सान शुब्हात से नहीं बचता बल्कि उनका शिकार हो जाता है तो फिर मुश्तबह चीज़ों में पड़ना उसे मुहर्रमात (अल्लाह तआला की हरामकर्दा चीज़ों) की तरफ़ घसीट ले जाता है। (2) ये हदीसे मुबारका रसूलुलाह (ﷺ) की नबूवत व रिसालत का खुला मोजिज़ा है कि आप (ﷺ) ने जिस बात की पेशीनगोई अपने अहदे मुबारक में फ़रमाई थी वह आज मिन व अन पूरी हो रही है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि किसी भी ज़माने में हलाल, सारी दुनिया से मुकम्मल तौर पर, ख़त्म नहीं होगा बल्कि किसी न किसी जगह ये मौजूद रहेगा, लिहाज़ा ज़रूरी है कि हर मुसलमान शख़्स कस्बे हलाल की कोशिश करे। जब वह तलबे हलाल में मुख़्लिस होगा तो अल्लाह तआला ज़रूर उसकी मदद फ़रमायेगा। (4) इन तमाम बातों का लब्बे लुबाब ये है कि लोगों का मक़सूद सिर्फ़ माल होगा। माल मिले जहाँ से भी मिले। हलाल व हराम की तमीज़ नहीं रहेगी। आज हमारे मुल्क में उमूमन यही फ़िज़ा है। हर शख़्स, हर इदारा, हर जमाअत, हर तन्ज़ीम हुसूले

माल को अव्वलीन मक़सद क़रार दे रहे हैं। हलाल व हराम बाद की बात है, यहाँ तक कि मज़हबी इदारे और तन्ज़ीमें भी कोई ख़ास एहतियात का सबूत नहीं दे रहे। इल्ला माशाअल्लाह!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ " .

(4460) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों पर ऐसा वक़्त आयेगा कि उमूमन लोग सूद ख़ोर होंगे। जो शख़्स बराहे रास्त सूद ख़ोर न होगा, उसे सूद का गुबार तो ज़रूर पहुँचेगा।'

(4460) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3331, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6042.

بَاب(٣): التِّجَارَةِ

बाब : (3) तिजारत का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ لاَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلاَنٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلاَ يُوجَدُ " .

(4461) हज़रत अम्र बिन तग़्लिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक ये भी क़यामत की निशानियाँ हैं कि माल आम और बहुत ज़्यादा हो जायेगा। तिजारत फैल जायेगी। इल्म (देखने में) आम होगा (मगर) आदमी कोई सौदा करेगा तो कहेगा: मैं सौदा पक्का नहीं करता यहाँ तक कि मैं फ़ुलां क़बीले के ताजिर से मश्वरा कर लूँ। और एक बहुत बड़े क़बीले में कातिब तलाश किया जायेगा तो नहीं मिलेगा।'

(4461) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आसिम फ़िल आहाद वल मसानी: 3/284, हदीस: 1664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6042.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब का मक़सद तिजारत और सौदा गरी की बाबत फ़रामीने रसूल बयान करना है और बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि इसमें तिजारत के आम होने और अलामाते क़यामत में से होने का ज़िक्र है। **(2)** कस्रते माल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। माल, इन्सान के लिये ख़ैर भी हो सकता है और शर भी, ताहम दूसरा इम्कान बहुत ज़्यादा है। और ये इसलिये कि आम इन्सानों के अन्दाज़े तिजारत और माल कमाने से बख़ूबी ये मालूम होता है कि

उन्हें सिर्फ़ माल कमाने की फ़िक्र है, और वह आख़िरत की फ़िक्र से बिलकुल आरी और ग़ाफ़िल हो चुके हैं। हाँ, अलबत्ता जिसे अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाये तो वह अपने माल के ज़रिये से जन्नत ही ख़रीदता है। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि दुनियावी इल्म का ज़हूर और उम्मते मुस्लिमा में इसका फैलाव अलामाते क़यामत में से है। और इसमें भी उम्मत के लिये कोई ज़्यादा ख़ैर और भलाई नहीं है मगर ये कि अफ़रादे उम्मत इसके साथ साथ शरई इल्म हासिल करें और वह अहकामे शरीयत से, कमा हक़्क़हू, आगाह हों। लेकिन आम मुशाहिदा इसके बरअक्स ही है, ताहम जो शख़्स इल्मे दीन हासिल करने के साथ साथ अस्री तालीम भी, सही तौर पर हासिल करता है तो ये सोने पे सुहागा है और ये बहुत ज़्यादा ख़ैर व भलाई वाला अमल है। **(4)** ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) की नबूवत का खुल्लम खुल्ला और सरीह मोजिजा है कि आपने बहुत अर्सा पहले जिन उमूर की ख़बर दी थी, वह बिल्कुल उसी तरह वक़ूअ पज़ीर हुये जिस तरह आपने बयान फ़रमाया था। **(5)** 'इल्म होगा' कुछ नुस्ख़ों में इल्म की बजाये जहालत का लफ़्ज़ है और वह आइन्दा कलाम से ज़्यादा मुनासिबत रखता है कि इस क़द्र जहालत होगी कि सूझ बूझ रखने वाला और दस्तावेज़ लिखने वाला ख़ाल ख़ाल ही मिलेगा। अगर यहाँ लफ़्ज़ इल्म ही हो तो फिर मुनासिबत यूँ होगी कि देखने में तो इल्म बहुत होगा मगर लियाक़त नहीं होगी यहाँ तक कि न तिजारत की सूझ बूझ होगी न दस्तावेज़ लिखनी आयेगी। आज कल भी कुछ ऐसी ही सूरते हाल पैदा हो चुकी है कि स्कूल आम हैं, उस्ताद भी बहुत हैं मगर न उस्ताद ख़ुलूस से पढ़ाते हैं न तलबा मेहनत से पढ़ते हैं। नतीजा ये है कि पढ़े लिखे जाहिल बढ़ रहे हैं।

باب(۴): مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " .

बाब : (4) ताजिरों को ख़रीद व फ़रोख़्त में किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए?

(4462) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले जब तक एक दूसरे से जुदा न हों, उन्हें सौदा ख़त्म करने का इख़्तियार रहता है। अगर वह दोनों सच बोलें और हर बात वज़ाहत से बयान कर दें तो उनके सौदे में बरकत होगी। और अगर वह झूठ बोलें और सूरते हाल छिपा लें तो उनके सौदे से बरकत उठ जायेगी।'

(4462) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1532, बुख़ारी, हदीस: 2079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6049.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद ये है कि ताजिरों के लिये ज़रूरी है कि वह ख़ीरद व फ़रोख़्त करते वक़्त शरई तक़ाज़ों का लिहाज़ रखते हुये अपने मामलात तै करें। एक दूसरे से न तो झूठ बोलें और न एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें बल्कि सच का दामन थामे रखें हर सूरत में सच्ची बात करें और सच पर पहरा देते रहें। बाइअ़ और मुशतरी दोनों की ये शरई और अख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वह एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही करें। बाइअ़ पर वाजिब है कि वह अपनी मबीअ़ (जो चीज़ वह बेच रहा है) के मुताल्लिक़ दुरुस्त मालूमात दे। अगर इसमें कोई नुक़्स और ऐब वग़ैरह हो तो ख़रीदार को उससे मुत्तलअ़ करे। दाव न लगाये। एक मुसलमान ताजिर के लिये क़तअ़न जायज़ नहीं कि वह ऐब और नुक़्स वाली या दो नम्बर चीज़, बताये बग़ैर फ़रोख़्त करे। ये हराम है। (2) हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि बरकत तब होगी जब तिजारत सच पर मबनी होगी, इसलिये ज़रूरी है कि हुसूले बरकत के लिये ताजिर लोग सच बोल कर ही अपनी तिजारत को फ़रोग़ दें। तिजारत में झूठ बोलने और सौदे का ऐब छुपाने से न सिर्फ़ बरकत हासिल नहीं होती बल्कि उलटा नुक़सान होता है। और उसके अलावा ज़मीर की ख़लिश अलग बेचैन करती रहती है। (3) इस हदीस से ये मसला भी साबित होता है कि दुनियावी फ़वाइद का हक़ीक़ी और भरपूर हुसूल भी अमले सालेह से होता जबकि गुनाहों की नहूसत से दुनिया व आख़िरत, दोनों की ख़ैर व बरकत तबाह व बर्बाद हो जाती है, इसलिये इस ज़र्री क़ानूने फ़ितरत को हमेशा मद्दे नज़र रख कर अपने तमाम मामलात तर्तीब देने चाहिए। (4) 'इख़्तियार रहता है' इसे ख़्यारे मज्लिस कहा जाता है, यानी जब तक फ़रीक़ैन सौदे वाली जगह में बैठे हैं, वह चाहें तो उनमें से कोई भी सौदा वापस करने का मुतालबा कर सकता है। फ़रीक़े सानी के लिये इसे मानना लाज़िम होगा, अलबत्ता अगर मज्लिस बदल जाये तो फिर दोनों की रज़ामन्दी ही से सौदा वापस हो सकता है। अहनाफ़ व मवालिक ख़्यारे मज्लिस के क़ाइल नहीं कि ख़्यारे मज्लिस की कोई हद नहीं, और ये इख़्तियार उसूल के ख़िलाफ़ है क्योंकि तै शुदा सौदे को एक फ़रीक़ ख़त्म नहीं कर सकता। इस हदीस की वह तावील करते हैं कि यहाँ 'जुदा होने' से मुराद सौदे की बातचीत का तै होना है, हालांकि ये बात बयान करने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये तो बदीही बात है, और इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबा ने इसे ज़ाहिरी मानी पर ही महमूल किया है। कुछ दीगर अहादीस में सराहत है कि वापस के डर से कोई जगह न बदले। गोया ये मानी क़तई है कि जब तक मज्लिस न बदले, इख़्तियार क़ाइम रहता है। बाक़ी रही उसूल की बात तो उसूल भी अहादीस ही से साबित होते हैं, और हदीस भी तो उसूले शरअ़ में से एक बुनियादी उसूल है, लिहाज़ा उसूल का नाम लेकर किसी सही और सरीह हदीस को रद्द नहीं किया जा सकता। (5) 'वज़ाहत से बयान करें' यानी अपनी अपनी चीज़ के उयूब व नक़ाइस वग़ैरह। (6) 'बरकत उठ जायेगी' यानी माल हराम हो जायेगा और कसीर होने के बावजूद ज़रूरियात पूरी नहीं करेगा और ज़ाया होता रहेगा। परेशानी अलग होगी।

बाब : (5) जो शख़्स अपने सामान को झूठी क़सम खा कर बेचे?

باب: (٥) الْمُنْفِقِ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " . فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا . قَالَ " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " .

(4463) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन न कलाम करेगा, न उन्हें देखेगा और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये (मज़्कूरा) जुम्ले इरशाद फ़रमाये तो हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने कहा: वह तो नाकाम हो गये और ख़सारे में रहे। आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपना तहबन्द (ज़मीन पर या अपने टख़नों से नीचे) लटकाता है, जो शख़्स अपना सामान झूठी क़सम खा कर बेचता है और जो शख़्स अपने अ़तिये का एहसान जतलाता है।'

(4463) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6050.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअल्लिफ़ (رحمہ اللہ) ने जो उ़न्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद झूठ बोल कर सौदा बेचने की क़बाहत व सनाअ़त बयान करने के साथ साथ उसके ख़तरनाक नताइज से आगाह करना भी है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से अल्लाह तआला की कई एक सिफ़ात मालूम होती हैं, जैसे: कलाम करना, देखना और तज़्किया करना वग़ैरह। लेकिन ये बात हमेशा याद रहे कि अल्लाह तआला की तमाम सिफ़ात, उसकी ज़ात ही के शायाने शान हैं। मख़्लूक़ में पाई जाने वाली सिफ़ात के मुशाबेह हरगिज़ हरगिज़ नहीं। जैसा कि एक गुमराह फ़िर्क़ा मुशब्बिहा का अ़क़ीदा है, और इससे दीगर गुमराह फ़िर्क़ों मोतजिला और मुमस्सिला वग़ैरह का भी मुकम्मल तौर पर रद्द होता है जो अल्लाह तआला की सिफ़ात के मुन्किर (इन्कार करने वाले) हैं या वह इसकी सिफ़ात तो मानते हैं लेकिन उन्हें मख़्लूक़ की सिफ़ात जैसा क़रार देते हैं। **(3)** ये हदीस़ दलालत करती है कि अल्लाह तआला, क़यामत के दिन अपने मोमिन बन्दों पर नज़रे करम फ़रमायेगा। वह उन्हें मोहब्बत भरी नज़र से देखेगा, उनका तज़्किया करेगा और उन्हें अ़ज़ाब से भी निजात अता फ़रमायेगा। **(4)** शलवार, तहबन्द, पेंट और पायजामा

वग़ैरह टख़नों से नीचे लटकाना, मर्दों के लिये बिल्कुल हराम है। और ये संगीन जुर्म है। कुछ लोग जब नमाज़ के लिये मस्जिदों में आते हैं तो उस वक़्त टख़ने नंगे कर लेते हैं और नमाज़ के बाद फिर उसी पहली हालत में आ जाते हैं। ये दोरंगी है। (5) झूठी क़सम खा कर सौदा बेचना, तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना और किसी के साथ नेकी और एहसान करके जतलाना कबीरा गुनाह हैं। इसी लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों के लिये हदीस़ में मज़्कूर शदीद वईद बयान फ़रमाई है। (6) 'न कलाम करेगा' यानी मोहब्बत और प्यार से बातें नहीं करेगा। रहमत व शफ़कत की नज़र से नहीं देखेगा और उन्हें गुनाहों की माफ़ी देकर पाक नहीं करेगा। मक़सूद इन बातों का ये है कि अल्लाह तआला उससे नाराज़ और ग़ज़बनाक रहेगा। गुस्से की झिड़क और डाँट को उर्फ़े आम में कलाम करना नहीं कहते। इसी तरह गुस्से और ग़ज़ब की नज़र से देखने को देखना नहीं कहते। (7) 'तहबन्द लटकाता है' एक दूसरी रिवायत में है जो शख़्स तकब्बुर से अपना इज़ार ज़मीन पर घसीटता फिरता है। एक हदीस़ में टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाने को तकब्बुर कहा गया है। हाँ अगर बावजूद एहतिमाम और ख़्याल रखने के भी कभी कभार कपड़ा टख़नों से नीचे चला जाता है तो ऊपर दी गई वईद, इन्शाअल्लाह, उस पर स़ादिक़ नहीं आती।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ " .

(4464) हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उनको (नज़रे रहमत व मोहब्बत से) नहीं देखेगा, और न उनको पाक करेगा और उनके लिये तकलीफ़देह अज़ाब होगा। वह शख़्स जो अपने अतिये पर एहसान जतलाता है। जो शख़्स अपना तहबन्द लटकाता है और जो शख़्स झूठ बोल कर अपना सामान बेचता है।'

(4464) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6051.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ

(4465) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (رضي الله عنه) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सौदा करते वक़्त ज़्यादा क़समें न खाया करो क्योंकि (झूठी) क़सम से सामान तो बिक

مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ " .

जाता है मगर बरकत उठ जाती है।'

(4465) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1607, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6053.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " .

(4466) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उठाने से सामान तो फ़रोख़्त हो जाता है मगर कमाई (की बरकत) ख़त्म हो जाती है।'

(4466) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1606, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 2087, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6052.

फ़ायदा : सामान बेचने के लिये झूठी क़सम तो एक तरफ़ रही, सच्ची क़समें भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि जब क़सम खाने की आदत बन जाये तो सच झूठ का इम्तियाज़ नहीं रहता, और इस तरह अल्लाह तआला के नाम की हुर्मत ख़त्म हो जाती है। क़सम उसी वक़्त खाई जाये जब उसके बग़ैर चारा न रहे। बरकत उठ जाने का मफ़हूम देखिये हदीस नम्बर: 4462 में।

الْحَلِفِ الْوَاجِبِ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ

बाब : (6)
सौदे में धोखा देने के लिये क़सम खाना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا إِنْ

(4467) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनको देखेगा और न उनको पाक ही करेगा। और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वह आदमी जिसके यहाँ गुज़रगाह के पास (उसकी ज़रूरत से) फ़ालतू पानी है लेकिन वह मुसाफ़िर को पानी लेने से रोक दे। दूसरा वह आदमी जो सिर्फ़ दुनियावी मफ़ाद की ख़ातिर किसी इमाम से बैअत करता है। अगर इमाम उसको

أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ " .

उसकी मन्शा के मुताबिक़ देता रहे तो वह बैअत पर क़ाइम रहता है और अगर न दे तो तोड़ देता है। तीसरा वह शख़्स जो किसी आदमी से अ़स्र के बाद सामान का भाव करता है और अल्लाह की क़सम खा कर कहता है कि इस सामान के बदले उसे इस क़द्र रक़म मिलती थी (हालांकि उसे इतनी रक़म नहीं मिलती थी) दूसरा उसकी तस्दीक़ कर देता है (और सामान ख़रीद लेता है)'

(4467) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2672, मुस्लिम, हदीस: 108, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6051.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका में उस शख़्स की बाबत सख़्त तरीन वईद है जो महज़ ज़ाती मफ़ाद की ख़ातिर हाकिमे वक़्त की मुख़ालिफ़त करता है, उसके साथ की हुई बैअत तोड़ता और उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज वग़ैरह करता है। इस जुर्म के मुर्तकिब के लिये इस क़द्र शदीद वईद क्यों है? ये इसलिये है कि इमामे वक़्त की मुख़ालिफ़त करने की वजह से मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ पारा पारा हो जायेगा और उम्मत में शर, फ़साद और ज़ुल्म फैलेगा। ये याद रहे कि वफ़ा-ए-अ़हद में इ़ज़्ज़त व इफ़्फ़त, माल और ख़ून, सब चीज़ों की हिफ़ाज़त शामिल है। **(2)** हर वह अ़मल जिससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है अगर उससे मक़सूद अल्लाह तआ़ला की रिज़ा का हुसूल न हो बल्कि उससे सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदे का हुसूल मतलूब हो, तो वह इन्सान के लिये वबाल और उसकी आख़िरत की तबाही व बर्बादी का सबब होता है। **(3)** 'तीन शख़्स 'हदीस में जिन तीन अश्ख़ास का ज़िक्र है, हदीस नम्बर: 4463 में उनमें से सिर्फ़ एक शख़्स का ज़िक्र है इस तरह मजमूई तौर पर पाँच शख़्स बन गये। गोया तीन का लफ़्ज़ हस्र के लिये नहीं बल्कि याददाश्त के लिये है। वैसे भी तीन में ज़्यादा की नफ़ी नहीं। अहादीस में कई मक़ामात पर ऐसे हैं। उसे इख़्तिलाफ़ पर महमूल नहीं करना चाहिए बल्कि जो आपके ज़हन में थे या जिनको आपने मौक़े महल के मुनासिब समझा, ज़िक्र फ़रमा दिया। उससे बाक़ी की नफ़ी नहीं होगी। **(4)** 'पानी से रोक दे' पानी ज़िन्दगी की बक़ा के लिये अशद ज़रूरी चीज़ है। उसके न मिलने से मौत भी वाक़ेअ़ हो सकती है, और ये अल्लाह तआ़ला ने मुफ़्त मुहैया किया है, लिहाज़ा ज़्यादा पानी रोकने का कोई जवाज़ नहीं, अलबत्ता अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न हो तो रोका जा सकता है लेकिन पीने से नहीं रोका जा सकता मगर ये कि अपने पीने के लिये रखा गया हो। **(5)** 'अ़स्र के बाद' मुमकिन है ये क़ैद इत्तेफ़ाक़ी हो क्योंकि अ़स्र के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त ज़्यादा होती है और हो सकता है, ये क़ैद क़सदन ज़िक्र की गई हो क्योंकि अ़स्र दिन का आख़िर वक़्त है जो इन्सान

को मौत और क़यामत की याद दिलाता है। इस लिहाज़ से ये तौबा व इस्तेग़फ़ार का वक़्त है। ऐसे वक़्त में झूठी क़समें खाना इन्तेहाई क़बीह काम है।

बाब : (7) उस शख़्स को सदक़ा करने का हुक्म जो ख़रीद व फ़रोख़्त के वक़्त क़सदन क़सम नहीं खाता (इत्तेफ़ाक़न क़सम निकल जाती है)

باب : (٧) الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ

(4468) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (﵁) से रिवायत है कि हम मदीना मुनव्वरा में ग़ल्ले वग़ैरह की ख़रीद व फ़रोख़्त किया करते थे और हम अपने आपको सिमसार कहा करते थे लोग भी हमें उसी लफ़्ज़ से मौसूम करते थे यहाँ तक कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ (बाज़ार में) तशरीफ़ लाये और हमें ऐसे नाम से पुकारा जो हमारे रखे हुये नाम से बदर्जा बेहतर था: आपने फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत! तुम्हारे सौदों में बिला क़सद क़समें और फ़ुज़ूल बातें वाक़ेअ होती रहती हैं, लिहाज़ा तुम सदक़ा किया करो।'

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّينَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ " .

(4468) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6055.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3828.

बाब : (8) ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों को जुदा होने से पहले बैअ की वापसी का इख़्तियार है

باب(٨): وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

(4469) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले दो शख़्स जुदा होने

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " .

से पहले बैअ की वापसी का इख़्तियार रखते हैं। अगर वह हर बात वाज़ेह बयान कर दें और सच बोलें तो उनकी बैअ में बरकत होगी। और अगर वह झूठ बोलें और सूरते हाल को छुपायें तो उनकी बैअ से बरकत उठ जायेगी।'

(4469) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6056.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4462.

بَاب(٩): ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ

बाब : (9) नाफ़ेअ की हदीस के अल्फ़ाज़ में (रावियों के) इख़्तिलाफ़ का बयान

वज़ाहत : इसकी तफ़्सील ये है कि हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) से ये रिवायत बयान करने वाले उनके सात शागिर्द हैं और इन सातों के बयानकर्दा अल्फ़ाज़ में कुछ न कुछ फ़र्क़ है। इमाम नाफ़ेअ(رحمه الله) से मज़्कूरा रिवायत बयान करने वाले, उनके दर्ज ज़ेल सात शागिर्द हैं: (1) पहली सनद में (इमाम) मालिक अन नाफ़ेअ (2) दूसरी में अब्दुल्लाह अन नाफ़ेअ (3) तीसरी में इस्माईल (इब्ने उमैया) अन नाफ़ेअ (4) चौथी में इब्ने जुरैज क़ाल: अम्ला अलय्या नाफ़ओ (5) पाँचवीं में अय्यूब अन नाफ़ेअ, (6) फिर लैस अन नाफ़ेअ और (7) सातवीं सनद में यहया बिन सईद अन नाफ़ेअ। इन सात शागिर्दों की बयानकर्दा रिवायात को सरसरी तौर पर देखने से ही, उनके बयानकर्दा अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ मालूम हो जाता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .

(4470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले दो अश्ख़ास में से हर एक को इख़्तियार होता है कि वह जुदा होने से पहले सौदा वापस करे, अलबत्ता बैअे ख़्यार में ऐसे नहीं होता।'

(4470) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2111, मुस्लिम, हदीस: 1531, मौता: 2/671, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6057.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों के इख़्तियार का मसला साबित होता है कि बाइअ़ और मुश्तरी, दोनों को उस वक़्त तक सौदा करने या न करने का इख़्तियार हासिल है जब तक कि वह उस मज्लिस से अलग न हो जायें। जब वह एक दूसरे से अलग हो जायें तो इख़्तियार ख़त्म हो जायेगा, ताहम अगर वह कुछ वक़्त तक एक दूसरे को सोचने समझने और सौदा करने या न करने का इख़्तियार दे दें तो फिर मुक़र्ररा वक़्त तक इख़्तियार बाक़ी रहेगा। वह वक़्त गुज़र जाने के बाद सौदा पक्का हो जायेगा और इख़्तियार भी ख़त्म हो जायेगा। **(2)** इस हदीस से बैअ़े ख़्यार का, यानी एक दूसरे को या किसी एक का दूसरे को इख़्तियार देने का जवाज़ साबित होता है। **(3)** बैअ़े ख़्यार से मुराद वह बैअ़ है जिसमें दोनों में से हर एक ने बैअ़ करते वक़्त वापसी का इख़्तियार ख़त्म कर दिया हो और कह दिया हो कि अगर वापस करना है तो अभी कर लो वरना वापसी नहीं होगी। ऐसी सूरत में मज्लिस बैअ़ क़ाइम रहने के बावजूद इख़्तियार नहीं रहेगा। बैअ़ ख़्यार के एक दूसरे मानी भी हैं: वह बैअ़ जिसमें ज़्यादा मुद्दत (जैसे: तीन दिन वग़ैरह) तक वापसी का इख़्तियार रख लिया गया हो तो ऐसी बैअ़ में मज्लिस बरख़ास्त होने के बावजूद मुक़र्ररा वक़्त तक वापसी का इख़्तियार रहेगा। दोनों मफ़हूम सही हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا".

(4471) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷻ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले दो अश्ख़ास जब तक जुदा न हों, वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि बैअ़ ख़्यार हों'

(4471) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1531, बुख़ारी, हदीस: 2107, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6058.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .

(4472) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो सौदा करने वाले जब तक जुदा न हों, वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि वह सौदा ख़्यार वाला हो। अगर सौदे में इख़्तियार ख़त्म कर दिया गया हो तो बैअ़ पक्की हो गई। (अब वापसी का इख़्तियार नहीं रहेगा, ख़्वाह मज्लिस क़ाइम भी हो)'

(4472) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6059.

(4473) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो शख़्स सौदा करें तो उनमें से हर एक को अपनी बैअ़ की वापसी के बारे में एक दूसरे के जुदा होने तक इख़्तियार हासिल है। या उनकी बैअ़ में इख़्तियार ख़त्म कर दिया गया हो। अगर ऐसी बात है तो बैअ़ पक्की हो गई (अब वापसी नहीं होगी)'

(4473) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 45/1531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6060.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .

(4474) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले दो शख़्स वापसी का इख़्तियार रखते हैं जब तक वह एक दूसरे से जुदा न हों, या फिर उनमें से एक दूसरे को बैअ़ के दौरान ही में कह दे कि अब पसन्द कर लो। (बाद में वापसी नहीं होगी। ऐसी स़ूरत में इख़्तियार नहीं रहेगा)'

(4474) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2109, मुस्लिम, हदीस़: 1531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6061.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ " .

(4475) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बैअ़ करने वाले दो अफ़राद एक दूसरे से जुदा होने तक बैअ़ की वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि वह बैअ़े ख़्यार हो' और कभी नाफ़ेअ़ ने कहा (आपने फ़रमाया था): 'या उनमें से एक दूसरे को (बैअ़ करते वक़्त) कह दे: अब पसन्द कर ले (बाद में वापसी नहीं होगी)'

(4475) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6062, मुस्लिम, हदीस़: 1531.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ " .

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ " .

(4476) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सौदा करने वाले दो शख़्स एक दूसरे से जुदा होने तक सौदे की वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि वह इख़्तियार वाला सौदा हो।' और कभी नाफ़ेअ ने कहा (आपने फ़रमाया था): 'या (सौदा करते वक़्त एक ने दूसरे से कह दिया होः अभी पसन्द कर ले।'

(4476) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 2112, मुस्लिम, हदीसः 44/1531, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6063.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا " . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ".

(4477) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब दो शख़्स सौदा करें तो उनमें से हर एक को वापसी का इख़्तियार रहता है यहाँ तक कि वह एक दूसरे से जुदा हों।' एक और मर्तबा (नाफ़ेअ ने इन अल्फ़ाज़ से) बयान किया कि (आपने फ़रमायाः 'इन दोनों को इख़्तियार है) जब तक वह दोनों जुदा न हों और इकट्ठे रहें मगर ये कि उनमें से कोई एक दूसरे को (बैअ के वक़्त ही) इख़्तियार दे। अगर बैअ के वक़्त ही इन दोनों में से एक, दूसरे को इख़्तियार दे दे और वह दोनों इस पर सौदा कर लें तो बैअ पक्की हो गई। और अगर सौदा करने के बाद वह एक दूसरे से जुदा हो जायें और उस वक़्त तक किसी ने बैअ वापस नहीं की तो बैअ पक्की हो गई (अब वापस नहीं होगी)'

(4477) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6064.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا " . قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ .

(4478) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो सौदा करने वाले एक दूसरे से जुदाई तक अपनी बैअ की वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि वह बैअ ख़्यार वाली हो।' नाफ़ेअ ने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) जब कोई चीज़ ख़रीदते और वह चीज़ उनको अच्छी लगती तो (सौदा करते ही) अपने साथी से जुदा हो जाते (ताकि वह वापस न कर सके)

(4478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6065.

फ़ायदा : 'जुदा हो जाते' वैसे एक दूसरी रिवायत में इससे रोका गया है, देखिये: (सुनन अबी दाऊद, अल बुयूअ, हदीस: 3456, व सुनन नसाई, अल बुयूअ, हदीस: 4488) शायद हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) को उस हदीस का इल्म नहीं होगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُتَبَايِعَانِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .

(4479) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो सौदा करने वाले जब तक एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते, उनका सौदा पक्का नहीं होता मगर ये कि वह सौदा करते वक़्त इख़्तियार ख़त्म कर लें।'

(4479) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6066.

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هٰذَا الْحَدِيثِ

बाब : (10) इस हदीस के अल्फ़ाज़ में अब्दुल्लाह बिन दीनार पर (रावियों का) इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : मज़्कूरा उन्वान का मतलब वाज़ेह है कि अब्दुल्लाह बिन दीनार के शागिर्द इससे मरवी रिवायत के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ करते हैं। याद रहे ये इख़्तिलाफ़े रुवात, साबिक़ा हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर के रावियों के इख़्तिलाफ़ जैसा हरगिज़ नहीं बल्कि उससे मुख़्तलिफ़ है। पहली सनद में

इस्माईल (इब्ने जाफ़र) दूसरी में इब्ने अल हाद, तीसरी में सुफ़ियान सौरी, चौथी में यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह, पाँचवीं में शोबा और छठी सनद में सुफ़ियान बिन उ़यय्ना, अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार से बयान करते हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार के तमाम शागिर्द (कुल्लु बैइन फ़ला बैअ़ बैनहुमा हत्ता यतफ़र्रक़ा इल्ला बैअ़लख़ियार) के अल्फ़ाज़ के साथ हदीस़ बयान करते हैं, सिवाए सुफ़ियान बिन उ़यय्ना के, कि वह (अल बैआ़न बिलख़्यार मालम यतफ़र्रक़ा, अव यकून बयउ़हुमा अ़न ख़्यार) के अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं। इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ वाज़ेह है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ".

(4480) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले दो अश्ख़ास़ में से हर एक के लिये सौदा पक्का नहीं होता यहाँ तक कि वह जुदा हो जायें मगर इख़्तियार वाला सौदा।'

(4480) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 46/1531, देखें: 4476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6067.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .

(4481) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सौदा करने वाले दो अश्ख़ास़ के दरम्यान बैअ़ मुस्तक़िल नहीं होती यहाँ तक कि वह अलग अलग हो जायें अ़लावा इख़्तियार वाली बैअ़ के।'

(4481) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6068, देखें, हदीस़: 4483.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .

(4482) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का फ़रमान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बैअ़ करने वाले दो अफ़राद के दरम्यान बैअ़ पक्की नहीं होती यहाँ तक कि वह अलग अलग हो जायें अ़लावा बैअ़े ख़्यार के।'

(4482) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2113, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6069.

(4483) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सौदा करने वाले दो अफ़राद के दरम्यान सौदा मुस्तक़िल नहीं होता यहाँ तक कि एक दूसरे से अलग हो जायें मगर ख़्यार वाली बैअ़ (का हुक्म अलग है)'

(4483) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4481, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6071.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ".

(4484) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर दो सौदा करने वालों के दरम्यान सौदा पक्का नहीं होता यहाँ तक कि एक दूसरे से अलग हो जायें मगर ख़्यार वाली बैअ़ (का हुक्म अलग है)'

(4484) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/51, 52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6070, देखें, हदीस़: 4480, 4482.

خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .

(4485) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले दो शख़्स़ जब तक जुदा न हों, सौदे की वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि वह बैअ़ ख़्यार वाली हो।'

(4485) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/9, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6072.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ " .

(4486) हज़रत समुरा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले दो शख़्स़ एक दूसरे से जुदा होने तक सौदे की वापसी का इख़्तियार रखते हैं, या फिर उनमें

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى

से हर एक अपनी पसन्द की बैअ करे। और वह दोनों तीन दफ़ा एक दूसरे को इख़्तियार दे दें।'

(4486) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2183, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6073.

الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " .

फ़ायदा : 'या फिर उनमें से हर एक' इससे मुराद ये है कि हर एक दूसरे को कह दे, कि अभी पसन्द कर लो, तुम्हें इख़्तियार है। बाद में वापस नहीं हो सकेगी। दोनों तीन दफ़ा इस बात की स़राहत कर लें, फिर बावजूद मज्लिस क़ाइम होने के वापसी का इख़्तियार नहीं रहेगा। इसी मफ़हूम को साबिक़ा रिवायात में बैअे ख़्यार कहा गया है। बैअे ख़्यार का दूसरा मफ़हूम हदीस़ नम्बर: 4470 में बयान हो चुका है।

(4487) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले दो शख़्स़ एक दूसरे से जुदा होने तक बैअ की वापसी का इख़्तियार रखते हैं। या उनमें से कोई अपने साथी से उसकी हतमी रज़ामन्दी मालूम कर ले।'

(4487) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6074.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ " .

फ़ायदा : 'हतमी रज़ामन्दी' यानी वापसी का इख़्तियार ख़त्म कर ले जैसा कि बैअे ख़्यार के मफ़हूम में गुज़रा।

बाब : (11) सौदा करने वाले दो अश़्ख़ास़ जब तक जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनको वापसी का इख़्तियार बाक़ी रहता है

باب : (١١)
وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا

(4488) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ)) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले दोनों शख़्स़ (बाइअ और मुश्तरी) जुदा होने तक सौदे की वापसी का इख़्तियार रखते हैं मगर ये कि वह सौदे के दौरान में

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُتَبَايِعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " .

इख़्तियार ख़त्म कर चुके हों। और किसी एक फ़रीक़ को इजाज़त नहीं कि वह सौदे की वापसी के डर से अपने साथी से जुदा हो जाये।'

(4488) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद हदीस: 3456, तिर्मिज़ी, हदीस: 1247, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6075, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 620, दारकुतनी: 3/50 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस तफ़्रीक़ बिल अब्दान, यानी एक दूसरे से जिस्मानी और बदनी तौर पर अलग होने की सरीह दलील है। कुछ लोगों का मस्लक है कि किसी मज्लिस में सौदा तै हो जाने के बाद मज्लिस के अन्दर दूसरी बातें शुरू हो जायें तो इख़्तियार ख़त्म हो जाता है, यानी ये हज़रात तफ़्रीक़ बिल अक़्वाल के क़ाइल हैं। ऊपर दी गई हदीस से वाज़ेह तौर पर उनके इस मस्लक का, जो ख़ालिसतन राय पर मबनी है, रद्द हो रहा है। हक़ ये है कि तफ़्रीक़ बिल अक़्वाल वाला मस्लक अज़ रूए दलाइल मर्जूह है और सरीह हदीस के ख़िलाफ़ भी। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि अगर इसी मज्लिस में एक फ़रीक़ ने दूसरे को ये इख़्तियार दिया है कि जो फ़ैसला करना है अभी और इसी वक़्त कर लो, फिर सौदा हो जाता है तो अब उनका इख़्तियार ख़त्म हो जायेगा, ख़्वाह वह मज्लिस कितनी देर ही बरक़रार रहे। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि बाइअ और मुशतरी दोनों के लिये ज़रूरी है कि वह एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही करें, लिहाज़ा दोनों में से किसी के लिये भी जायज़ नहीं कि वह सौदा पक्का करने के लिये जल्दी करे और तै होते ही दोनों में से कोई एक उस मज्लिस से फ़ौरन चला जाये और दूसरे फ़रीक़ को सोचने समझने का मौक़ा ही न दे। इसका नतीजा ये होगा कि वह शख़्स अपने फ़ैसले पर नादिम होगा और पछतायेगा, इसलिये ये ज़रूरी है कि उनमें से हर एक अपने दूसरे साथी को ग़ौर व फ़िक्र की मोहलत दे। **(4)** 'वापसी के डर से' किसी को धोखे में रखना जायज़ नहीं चूंकि मज्लिस बरक़रार रखने तक वापसी का हक़ है। इस हक़ को ज़ाइल करने की कोशिश भी हक़ तल्फ़ी में आती है। फ़रीक़े सानी से ख़ैरख़्वाही और ख़ुलूस का तक़ाज़ा ये है कि उसे उसका हक़ इस्तेमाल करने का पूरा मौक़ा दिया जाये। हदीस के आख़री अल्फ़ाज़ इस बात की सरीह दलील हैं कि यहाँ ख़्यारे मज्लिस साबित किया जा रहा है और जब तक वह जिस्मानी तौर पर इकट्ठे हैं, ये हक़ बाक़ी रहता है वरना जुदा होने से रोकने के क्या मानी?

बाब : (12) सौदे में धोखा लगता हो तो?

باب(١٢): الْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " . فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ .

(4489) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र किया कि (अक्सर व बेश्तर) उसके साथ सौदे में धोखा और फ़रेब किया जाता है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू सौदा करने लगे तो कह दिया कर: धोखा नहीं चलेगा।' फिर वह आदमी जब भी सौदा करता तो कह दिया करता था कि धोखा नहीं चलेगा।

(4489) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2117, मुस्लिम, हदीस: 1533, मौता: 2/685, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6076.

फ़ायदा : सुनन बैहक़ी (5/273) की रिवायत में है: 'फिर तुझे तीन दिन तक सौदे की वापसी का इख़्तियार होगा।' गोया जब सौदे में तम्बीह कर दी जाये कि धोखा नहीं चलेगा, यानी धोखा न करना, मैं सादा आदमी हूँ। इसके बावजूद फ़रीक़े सानी चालाकी दिखा जाये तो उस सादा शख़्स को तीन दिन तक वापसी का इख़्तियार रहेगा। कुछ फ़ुक़हा ने ये रिआयत सिर्फ़ उसी शख़्स से ख़ास की है जिससे ये मसला सादिर हुआ था, हालांकि इस तख़्सीस की कोई वजह नहीं। क्या सादा लोगों को इस दुनिया में रहने का हक़ नहीं? या उनको धोखा देना शरअन जायज़ है? इस्लाम तो ऐसी ख़ुद ग़र्ज़ी की इजाज़त नहीं देता, लिहाज़ा चालाक लोगों की बजाये सादा मोमिनों की हिमायत करनी चाहिए और धोखा देने वालों की हौसला शिकनी करनी चाहिए और वह ऊपर दी गई सूरत ही में है।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ

(4490) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी की सूझ बूझ में कुछ कमी थी। वह सौदे किया करता था (और नुक़सान उठाता था) उसके घर वालों ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर होकर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के नबी! उस पर सौदे करने की पाबन्दी लगा दें। अल्लाह के नबी (ﷺ) ने उस शख़्स को बुलाया और उसे सौदे

عَلَيْهِ . فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ . قَالَ " إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " .

करने से मना फ़रमाया। उस शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैं सौदा करने से नहीं रुक सकूँगा। आपने फ़रमाया: 'जब तू सौदा करे तो कह दिया कर, धोखा नहीं होना चाहिए। (वरना सौदा वापस हो जायेगा)'

(4490) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6077, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 568, वल हाकिम: 4/101.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तिजारत और सौदागरी में धोखा देना, शरअन नाजायज़ और हराम है। ऐसा ताजिर जो लोगों को ख़रीद व फ़रोख़्त में धोखा देता है, वह उनका माल बातिल तरीक़े से खाता है और ये हराम है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि अगर एक फ़रीक़ की तरफ़ से भी कोई ऐसी शर्त हो जो शरअन जायज़ हो तो वह मोतबर होगी। न सिर्फ़ शर्त मोतबर होगी बल्कि उसकी वजह से सौदा फ़स्ख़ और ख़त्म करने का इख़्तियार भी उसे हासिल होगा। **(3)** ये हदीस इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि खबरे वाहिद क़तई तौर पर हुज्जत है। **(4)** माक़ूल उज़्र की वजह से बालिग़ शख़्स पर तिजारत न करने की पाबन्दी आइद की जा सकती है। **(5)** 'धोखा नहीं होना चाहिए' गोया कहा जा रहा है: अगर धोखा होगा तो सौदा वापस होगा। अगर सराहतन वापसी की शर्त लगाने से वापसी हो सकती है तो किनायतन वापसी की शर्त से वापसी में क्या हर्ज है?

باب : (١٣)
الْمُحَفَّلَةِ

बाब : (13)
वह जानवर जिसका दूध दूहना (धोखा देने के लिये) रोक दिया जाये)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا".

(4491) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स बकरी या दूध वाली ऊँटनी बेचने का इरादा रखता हो तो वह उसका दूध दूहना बन्द न करे।'

(4491) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/273, अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 8/198, हदीस: 1464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6078.

फ़ायदा : 'बेचने का इरादा रखता हो' ताकि ख़रीदने वाले को धोखा न लगे, अलबत्ता अगर बेचने का प्रोग्राम न हो और दूध थोड़ा हो तो नाग़ा करके दूध दूहा जा सकता है क्योंकि इससे किसी को धोखा देना मक़सूद नहीं। कुछ का ख़्याल है दूध पिस्तानों में जमा रखने से जानवर को तकलीफ़ होती है, लिहाज़ा दूध दूहते रहना चाहिए लेकिन ये शरई की बजाये तिब्बी मसला है।

باب : (١٤)

النَّهْيِ عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ، أَخْلاَفَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا.

बाब : (14)

तसरिया मना है, वह ये है कि ऊँटनी या बकरी के थन बाँध दिये जायें और दो तीन दिन दूध दूहना छोड़ दिया जाये ताकि दूध जमा हो जाये और ख़रीदने वाला दूध ज़्यादा समझ कर जानवर की ज़्यादा क़ीमत लगाये

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ " .

(4492) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ग़ल्ले वाले क़ाफ़िलों को (मण्डी से बाहर जाकर) ख़रीद व फ़रोख़्त के लिये न मिलो और ऊँटनी या बकरी का दूध न रोको। जो शख़्स ऐसा जानवर ख़रीद ले तो उसे (दूध दूहने के बाद) दो चीज़ों में से बेहतर का इख़्तियार है। अगर चाहे तो जानवर रख ले और अगर वापस करना चाहे तो वापस कर दे और उसके साथ खजूरों का एक साअ भी दे।'

(4492) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/242, 243, सुनन अल-कुब्रा लिन्नसाई: 6079, बुख़ारी, हदीस: 2150, मुस्लिम, हदीस: 11/1515.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैअ़े मुसर्रात, नाजायज़ और हराम है क्योंकि इसमें धोखा और फ़रेब है जो शरअ़न नाजायज़ है। **(2)** इस हदीस की बाबत इमाम इब्ने अ़ब्दुल बर्र (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये हदीस धोखादेही से मुमानिअ़त, ऐब का पता चलने के बाद ख़रीदार को चीज़ वापस करने के इख़्तियार

और मुद्दते इख़्तियार के तअय्युन में अस़ल है, और इससे मालूम हुआ कि अस़ल बैअ हराम नहीं (मगर ये कि ख़रीदार उससे राज़ी न हो, मतलब ये कि पोशीदा ऐब का इल्म हो जाने के बाद भी अगर ख़रीदार सौदा वापस न करना चाहे, यानी सौदा फ़स्ख़ न करना चाहे तो इसे, उसका इख़्तियार हासिल है कि वह सौदा फ़स्ख़ न करे।) **(3)** जानवर के थनों में दूध, इसलिये रोका जाता है ताकि ख़रीदार को ये मालूम हो कि जानवर दूधेल (बहुत दूध देने वाला) है। इस तरह के फ़रेब की वजह से ख़रीदार ज़्यादा क़ीमत देने पर तैयार हो जाता है। **(4)** तस़रिया की तफ़्सीर बाब में बयान हो चुकी है। चूंकि इसका मक़सद ख़रीदार को धोखा देना है और ऐसा धोखा लगना बहुत मुमकिन है, लिहाज़ा शरीयत ने ख़रीदार को सौदे की मन्सूख़ी का इख़्तियार दिया है। और इसमें कोई इश्काल नहीं। जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं, अलबत्ता अहनाफ़ को ये बात उसूल के ख़िलाफ़ मालूम होती है कि तै शुदा सौदे को एक फ़रीक़ कैसे मन्सूख़ कर सकता है? हालांकि धोखा एक बहुत बड़ा सबब है जो किसी भी अ़क़्द को फ़स्ख़ कर सकता है। ख़ुद अहनाफ़ ऐब की बिना पर सौदे के फ़स्ख़ के क़ाइल हैं। अगर ऐब मालूम होने से सौदा फ़स्ख़ हो सकता है तो धोखा मालूम होने से सौदा फ़स्ख़ क्यूँ नहीं हो सकता? **(5)** 'खजूरों का एक स़ाअ़' उस दूध का मुआवज़ा जो पहले मालिक के पास होते हुये जानवर के थनों में जमा हो चुका था और ख़रीदार ने वह दूध इस्तेमाल किया। बाक़ी रही ये बात कि वह दूध तो कम व बेश हो सकता है, मुआवज़ा मुतय्यन क्यूँ कर दिया गया? तो ये दरअस़ल क़तअ़ नज़ाअ़ के लिये है वरना क़ीमत के तअय्युन में बाहमी इख़्तिलाफ़ हो सकता है। शरीयत इस मसले में हमसे ज़्यादा समझदार है। तभी पेट का बच्चा ज़ाया कर देने की सूरत में शरीयत ने एक ग़ुलाम या घोड़ा मुआवज़ा मुक़र्रर किया है। वह बच्चा पाँच माह का भी हो सकता है, नौ माह का भी। और ये ज़रूरी नहीं कि ग़ुलाम और घोड़े की क़ीमत बराबर हो। बल्कि ग़ुलाम और ग़ुलाम, और घोड़े और घोड़े की क़ीमत भी बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह शरीयत ने हाथों और पाँव की हर हर उंगली की दियत दस दस ऊँट मुक़र्रर कर रखी है, ख़्वाह वह छंगली हो या अंगूठा, ख़्वाह हाथ से हो या पाँव से, हालांकि सबकी जसामत और मफ़ाद बराबर नहीं। और ऊँटों की क़ीमत भी एक जैसी नहीं। स़ाअ़ क्यों मुक़र्रर किया गया? यहाँ तक कि उन्होंने अपना ग़ुस़्सा रावी-ए-हदीस़ हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) पर भी झाड़ा है कि वह फ़क़ीह नहीं थे। पूछा जा सकता है कि अगर चार साल तक सुबह व शाम रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़ैज़याब होने वाले वह स़हाबी फक़ीह नहीं बने तो आप हज़रात की फ़ुक़ाहत की सनद क्या है? चाँद पर नहीं थूकना चाहिए वरना अपना मुँह भी दिखाने के क़ाबिल नहीं रहता। चाँद का कुछ नहीं बिगड़ता, और ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का अपना फ़तवा नहीं कि उन पर ऐतराज़ किया जाये बल्कि ये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है जिसे उन्होंने नक़ल फ़रमाया है, और ये रिवायत तो अहनाफ़ के मुसल्लमा फक़ीह स़हाबी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से भी आती है। अब अपने घर को तो ढाने से रहे। बेहतरी इसी में

है कि सही सनद से साबित फ़रमाने रसूल को बिला चूं व चरा तस्लीम कर लिया जाये और शरीयत की बारीकियों को शारेअ (ﷺ) की बसीरत के हवाले कर दिया जाये कि रुमूज़े मम्लकत ख़्वैश ख़ुस्रवां दानन्द। मुख़्तसरन ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे जानवर के साथ एक साअ खजूरें देने का हुक्म इसलिये दिया है कि उस जानवर से हासिल होने वाले दूध का मुआवज़ा हो जाये और इसकी असल वजह ये है कि जब ख़रीदार ने वह जानवर ख़रीदा था तो कुछ दूध उसकी मिल्कियत में आने से पहले पैदा हो चुका था और कुछ दूध मिल्कियत में आने के बाद पैदा हुआ है लेकिन ये क़तअन मालूम नहीं हो सकता कि कितने दूध की क़ीमत ख़रीदार ने अदा की है और कितना दूध नया है, इसलिये दूध या उसकी क़ीमत वापस करना मुमकिन ही नहीं था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस दूध के मुक़ाबले में एक साअ खजूरें मुक़र्रर फ़रमा दीं ताकि मुशतरी और बाइअ के दरम्यान इख़्तिलाफ़ पैदा न हो। ख़ीरदने वाले शख़्स को जो दूध हासिल हुआ है ये साअ इसका मुआवज़ा बन जायेगा। इस मामले में ये नहीं देखा गया कि दूध, मुआवज़े से ज़्यादा था या थोड़ा। हक़ीक़त ये है कि दूध कम था या ज़्यादा, उसको मालूम करने का कोई आला और पैमाना वजूद में आया है न आ ही सकता है, जैसे: हमारे इलाक़े में गन्दुम दी जा सकती है। यहाँ तो खजूरों का साअ बहुत महंगा होगा। खजूर का तअय्युन अरब इलाक़े की मुनासिबत से है कि वहाँ खजूर आम ख़ूराक थी और बा आसानी और बा इफ़्रात मिलती थी, जैसे हमारे यहाँ गन्दूम है। लेकिन इसमें भी मुस्तहब यही है कि पूरा साअ गन्दूम दी जाये। और इसी तरह जिस इलाक़े की ख़ूराक चावल हो, वहाँ एक साअ चावल दिये जा सकते हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ".

(4493) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध रोका गया था तो (इस धोखे का पता चल जाने पर) वह (ख़रीदार) चाहे तो उसे रख ले, चाहे वापस कर दे (लेकिन वापसी की सूरत में) उसके साथ खजूरों का एक साअ भी देना होगा।'

(4493) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1524, बुख़ारी, हदीस: 2148, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6080.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

(4494) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध थनों में जमा

صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ " .

किया गया था, उसे तीन दिन तक इख़्तियार रहता है, चाहे तो रख ले, चाहे वापस कर दे और साथ खजूरों का एक स़ाअ दे दे। गन्दुम का नहीं।'

(4494) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 26/1524, पिछली हदीस़ देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अबुल क़ासिम' ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की कुनियत थी, या तो आपके बड़े बेटे क़ासिम की निस्बत से या इसलिये कि आप अल्लाह के हुक्म से इल्म और माल तक़्सीम फ़रमाते थे। तक़्सीम करने वाले को भी क़ासिम कहा जाता है। अरबों में कुनियत का आम रिवाज था। जब किसी का एहतिराम मक़सूद होता था तो उसे कुनियत से पुकारा जाता था। **(2)** 'तीन दिन तक' क्योंकि इतने दिनों में अस़ल दूध का पता चल जाता है और धोखा वाज़ेह हो जाता है। **(3)** 'गन्दुम का नहीं' क्योंकि उस वक़्त अरब में गन्दुम बहुत महंगी थी। ख़ाल ख़ाल किसी के पास थोड़ी बहुत होती थी जैसे आज कल हमारे यहाँ खजूरें हैं, लिहाज़ा गन्दुम की नफ़ी उस इलाक़े के लिहाज़ से है न कि हमारे इलाक़े के लिहाज़ से जहाँ की आम ख़ूराक गन्दुम है बल्कि यहाँ गन्दुम दी जायेगी। वल्लाहु आलम!

باب : (١٥)
الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

बाब : (15)
नफ़ा उसको मिलेगा जो चीज़ का ज़ामिन हो

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .

(4495) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैस़ला फ़रमाया कि किसी चीज़ का नफ़ा उसको मिलेगा जो उस चीज़ का ज़ामिन होगा।

(4495) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6081, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1285, व स़हीह इब्ने अल जारूद, हदीस़: 627, व इब्ने हिब्बान: 1125 वग़ैरहुमा (नैलुल मक़सूद, हदीस़: 3508)

फ़ायदा : जैसे: किसी शख़्स ने कोई जानवर ख़रीदा, चन्द दिन के बाद उसमें ऐब या धोखे का इन्किशाफ़ हुआ तो बैअ वापस हो गई मगर जितने दिन वह जानवर ख़रीदार के पास रहा, उससे अस़ल होने वाला दूध वग़ैरह उसका होगा क्योंकि इन दोनों अगर उस जानवर का नुक़स़ान हो जाता तो ख़रीदार के ज़िम्मे पड़ता। उसी तरह इन दोनों के दौरान में ख़ूराक वग़ैरह भी उसी की ज़िम्मेदारी थी।

बाब : (16)
शहरी आदमी का आराबी की चीज़ बेचना

باب : (١٦)
بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِيِّ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا .

(4496) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई ताजिर तिजारती क़ाफ़िले को मण्डी से बाहर जा कर मिले, या कोई शहरी किसी आराबी (देहाती) की कोई चीज़ बेचे, या कोई अपने जानवर का दूध रोके, या कोई शख़्स नाजायज़ भाव बढ़ाये या कोई शख़्स किसी दूसरे भाई के भाव पर भाव करे। या कोई औरत अपनी सौकन की तलाक़ का मुतालबा करे।

(4496) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2727, मुस्लिम: 12/1515, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6082.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बाहर जाकर मिले' ये एक तरीक़ा था तिजारती क़ाफ़िले को धोखे में रखने का कि मण्डी में दाख़िल होने से पहले आगे जाकर तिजारती क़ाफ़िला के साथ सौदे कर लिये जायें ताकि क़ाफ़िले वालों को मण्डी के भाव का इल्म न हो सके और उनसे सस्ता माल ख़रीद लिया जाये। दरअसल उसमें धोखा मक़सूद है, लिहाज़ा शरीयत ने उससे मना फ़रमा दिया बल्कि क़ाफ़िले को मण्डी में आने दिया जाये, फिर उनसे सौदे किये जायें। **(2)** 'कोई शहरी किसी आराबी' हदीस में लफ़्ज़ मुहाजिर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उस वक़्त अक्सर मुहाजिर ही तिजारत करते थे, अन्सार तो ज़मीनदार थे। फ़रमान का मक़सद ये है कि शहरी आदमी देहाती का सामान न बेचे क्योंकि इससे महंगाई पैदा होगी। आख़िर शहरी को अपना कमीशन भी तो निकालना है। अगर देहाती ख़ुद अपना सामान बेचेगा तो ज़ाहिर है, वह सस्ता बेचेगा क्योंकि उसने उसी दिन बेच कर घर वापस जाना होता है जबकि शहरी उसे कहता है कि सामान मेरे पास रख छोड़ो, जब भाव तेज़ होगा तो मैं बेच दूँगा। इस तरीक़े से महंगाई बढ़ती है, इसलिये मना फ़रमाया। हाँ, अगर शहरी देहाती के लिये कोई चीज़ ख़रीदे तो इजाज़त है क्योंकि उससे महंगाई नहीं होगी बल्कि वह सस्ती चीज़ ख़रीदेगा ताकि कुछ अपने लिये भी बचा सके। **(3)** 'भाव बढ़ाये' किसी आदमी की नियत चीज़ ख़रीदने की नहीं लेकिन वह जानबूझ कर एक चीज़ का भाव ज़्यादा लगाता है ताकि असल ख़रीदार को धोखा दिया जा सके और वह महंगी ख़रीदे। आम

तौर पर ऐसे लोग दुकानदार के एजेण्ट होते हैं जो कमीशन लेते हैं। हक़ीक़त ये है कि ये भी धोखा है, इसलिये मना किया गया है। (4) 'तलाक़ का मुतालबा करे' कोई औरत निकाह के मौक़े पर या बाद में ये शर्त लगाये कि अपनी पहली बीवी को तलाक़ दे। या पहली बीवी दूसरी बीवी की तलाक़ का मुतालबा करे ये नाजायज़ है क्योंकि इसमें भी ख़ुदग़र्ज़ी और हसद कारफ़रमा है। हर औरत का अपना अपना नसीब है जिस पर उसे क़नाअत करनी चाहिए।

बाब : (17) शहरी के लिये देहाती का माल बेचना जायज़ नहीं

باب(١٧): بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ.

(4497) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल बेचे अगरचे वह उसका बाप या भाई हो।

(4497) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 34440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6083.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 4496 का फ़ायदा नम्बर: 2

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ، حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ .

(4498) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें मना फ़रमाया गया कि कोई शहरी किसी देहाती के लिये सामान बेचे अगरचे वह उसका बाप या भाई हो।

(4498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 21/1523, बुख़ारी, हदीस: 2161, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6084.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ، حَاضِرٌ لِبَادٍ .

(4499) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: हमें रोका गया है कि कोई शहरी किसी देहाती का सामान बेचे।

(4499) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, साबिक़, व मुस्लिम, हदीस: 2/1523, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6085.

(4500) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'कोई शहरी किसी देहाती का सामान न बेचे बल्कि लोगों को ख़ुद बेचने दो ताकि अल्लाह तआला उनको एक दूसरे से रिज़्क़ अता फ़रमाये।'

(4500) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6086.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " .

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि मामलात फ़ितरी तरीक़े से जारी रहने चाहिए। मसनूई तरीक़े से क़िल्लत पैदा करके या ज़ख़ीरा अन्दोज़ी के ज़रिये से महंगाई पैदा नहीं करनी चाहिए बल्कि जूँ जूँ पैदावार आती जाये, बाज़ार में फ़रोख़्त होती जाये और ज़रूरतमन्द लोगों तक पहुँचती रहे। ज़ाहिर है अगर शहरी देहाती का माल बेचेगा तो ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करेगा और मसनूई क़िल्लत पैदा करेगा ताकि पैदावार महंगी फ़रोख़्त हो और उसका अपना फ़ायदा हो।

(4501) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'तुम सौदे करने के लिये तिजारती क़ाफ़िलों को मण्डी से बाहर जाकर न मिलो। और कोई शख़्स दूसरे के सौदे पर सौदा न करे। और नाजायज़ भाव न बढ़ाओ। और शहरी देहाती का माल न बेचे।'

(4501) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2150, मुस्लिम, हदीस: 11/1515, मौता: 2/683, 684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6087.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - وَلاَ تَنَاجَشُوا - وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " .

(4502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भाव बढ़ाने, तिजारती क़ाफ़िलों को आगे जाकर मिलने और शहरी को देहाती का माल बेचने से मना फ़रमाया है।

(4502) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6088, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

फ़ायदा : तफ़्सीलात हदीस़: 4496 में बयान हो चुकी हैं।

बाब : (18) तिजारती क़ाफ़िले को मण्डी से बाहर जाकर मिलना

باب(١٨): التَّلَقِّي

(4503) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई ताजिर मण्डी से बाहर जाकर तिजारती क़ाफ़िले को मिले।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .

(4503) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2167, मुस्लिम, हदीस़: 1517, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6089, बुख़ारी, हदीस़: 2166.

(4503) (ब) इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने अबू उसामा से पूछा: क्या आपको (नीचे दी गई हदीस़) अब्दुल्लाह ने बवास्ता नाफ़ेअ इब्ने उमर से बयान की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तिजारती क़ाफ़िलों को आगे जाकर मिलने से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह बाज़ार में (ग़ल्ला लेकर) पहुँच जायें? तो अबू उसामा ने इसका इक़रार किया और फ़रमाया: जी हाँ।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ نَعَمْ .

(4503) (ब) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6090.

(4504) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई ताजिर मण्डी और बाज़ार से बाहर ही तिजारती क़ाफ़िले को मिले या कोई शहरी किसी देहाती का माल बेचे। (रावि-ए-हदीस़ जनाबे ताऊस ने कहा कि) मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा: शहरी को देहाती का माल बेचने से रोकने का

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया: वह उसका दलाल न बने।

قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .

(4504) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1521, बुख़ारी, हदीस: 2158, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6091.

फ़ायदा : 'दलाल न बने' यानी कमीशन लेकर उसकी चीज़ न बेचे क्योंकि इस तरह महंगाई होगी। कमीशन की रक़म भी तो उस चीज़ की क़ीमत में शामिल होगी। हाँ, अगर वह अज़ राहे हमदर्दी देहाती का सामान बेचे ताकि उसे अपनी सादगी की बिना पर कोई नुक़सान न हो और उससे कमीशन वसूल न करे तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि इस तरह महंगाई का ख़तरा नहीं। कमीशन ही महंगाई का सबब है। दलाल को आज कल कमीशन एजेण्ट कहा जाता है।

(4505) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'तिजारती क़ाफ़िलों को मण्डी से बाहर जाकर न मिलो। अगर कोई ताजिर मण्डी से बाहर जाकर मिलेगा और क़ाफ़िले से कोई चीज़ ख़रीदेगा तो जब क़ाफ़िला बाज़ार में पहुँचेगा, मालिक को इख़्तियार होगा कि वह सौदा वापस कर ले।'

(4505) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 17/1519, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6092.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ " .

फ़ायदा : 'वापस कर ले' क्योंकि ताजिर ने उससे धोखा किया है और धोखा शरीयत में जायज़ नहीं, लिहाज़ा वह बैअ फ़स्ख़ हो सकती है बशर्ते कि मालिक को महसूस हो कि मुझे धोखा देकर माल बाज़ार से कम क़ीमत पर ख़रीदा गया है।

बाब : (19) अपने मुसलमान भाई के भाव पर भाव करना

باب : (۱۹) سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(4506) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शहरी किसी देहाती का माल फ़रोख़्त न करे, धोखे से

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا " .

भाव न बढ़ाओ, कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के भाव पर भाव न करे और न उसके पैग़ामे निकाह पर पैग़ाम भेजे और न कोई औरत अपनी (सौकन) बहन की तलाक़ का मुतालबा करे ताकि उसके बर्तन को उण्डेल दे बल्कि उसे चाहिए कि वह भी निकाह करे जो उसकी क़िस्मत में अल्लाह तआला ने लिखा है, उसे मिल जायेगा।'

(4506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2723, मुस्लिम, हदीस: 53/1413, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6093, देखें, हदीस: 3243.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मतलब ये है कि किसी भी मुसलमान को ये हक़ नहीं पंहुँचता कि वह दूसरे मुसलमान भाई के सौदे पर सौदा करे। ये बात याद रहनी चाहिए कि सौदे में ख़रीद व फ़रोख़्त, दोनों चीज़ें ही आती हैं। तफ़सील इस तरह है कि कोई शख़्स ख़रीदार से ये कहे कि उससे ये चीज़ न ख़रीद। मैं तुझे इससे सस्ती देता हूँ और न कोई बेचने वाले से ये कहे कि उसे न बेच, मैं ये चीज़ इससे ज़्यादा क़ीमत में तुझसे ख़रीद लूँगा। ये दोनों काम हराम हैं। **(2)** ये हदीसे मुबारका इससे भी रोकती है कि किसी देहाती शख़्स की चीज़ कोई शहरी बेचे, इसलिये कि शहरी के लिये हराम है कि वह दैताही से कहे कि तू अपना माल मेरे पास रख दे जब क़ीमत ज़्यादा हो जायेगी, मैं तेरी चीज़ महंगे दामों में बेच दूँगा। हाँ, अगर देहाती शख़्स को मण्डी वग़ैरह के भाव का कोई इल्म नहीं या ये ख़तरा है कि ख़रीदार उसे 'पेण्डू' समझते हुये धोखा देकर उसकी चीज़ सस्ती दामों में उससे ख़रीद लेगा और उसे ला'इल्मी की वजह से अपनी चीज़ की असल और मुनासिब क़ीमत भी नहीं मिलेगी और कोई शहरी अज़ राहे हमदर्दी उसका सौदा, कमा हक़्क़हू, मुनासिब क़ीमत के ऐवज़ बेच दे तो ये अमल क़ाबिले तारीफ़ है और ऐसा शख़्स इन्दल्लाह अज्र व सवाब का हक़दार है। मुमानिअत वहाँ है जहाँ शहरी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हो, देहाती की ख़ैरख़्वाही सिरे से मतलूब ही न हो। **(3)** ये हदीसे मुबारका बैअे नजश की हुर्मत की भी दलील है। बैअे नजश की सूरत ये होती है कि एक शख़्स का मक़सद चीज़ ख़रीदना बिल्कुल नहीं होता लेकिन दो सौदा करने वालों के पास आकर वह बिकने वाली चीज़ की ज़्यादा क़ीमत लगा देता है ताकि ख़रीदार धोखा खा जाये और एक कम क़ीमत चीज़, ज़्यादा क़ीमत में ख़रीद ले। ऐसे उमूमन दुकानदारों के 'पालतू' एजेण्ट ही होते हैं, वह अपनी इस नाजायज़ हरकत और ग़ैर शरई काम के बाक़ायदा पैसे लेते हैं। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि

हर वह सूरत नाजायज़ और हराम है जिससे दूसरे मुसलमान को नुक़सान पहुँचाना मक़सूद हो और वह सूरत जायज़ और मम्दूह है जिसमें दूसरे मुसलमान की ख़ैरख़्वाही मतलूब हो और उससे शरीयत का कोई तक़ाज़ा भी मजरूह न होता हो। वल्लाहु आलम! (4) ये हदीसे मुबारका इस अहम उसूल की भी सरीह दलील है कि शरीयत ने हर उस सबब और ज़रिये को क़तई तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका है जो बाहमती बुग़्ज़ व इनाद की तरफ़ ले जाने वाला हो या बख़ीली, हसद और कीने वग़ैरह तक पहुँचा देने वाला हो। अलग़र्ज़! शरीयते मुतह्हरा ने हर वह दरवाज़ा मस्दूद (बन्द) कर दिया है जो मज़्कूरा या इन जैसी दीगर चीज़ों की तरफ़ खुलता हो। (5) 'बर्तन उण्डेल दे' यानी उसको निकाह के फ़वाइद से महरूम कर दे। बाक़ी देखिये रिवायत: 4496.

बाब : (20) अपने (मुसलमान) भाई के सौदे पर सौदा करना

باب : (٢٠) بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " .

(4507) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स अपने (मुसलमान) भाई के सौदे पर सौदा न करे।'

(4507) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2139, मुस्लिम, हदीस: 1412, बाद हदीस: 1514, मौता: 2/683, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6094.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ " .

(4508) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स अपने भाई की बैअ पर बैअ न करे यहाँ तक कि वह ख़रीद ले या छोड़ दे।'

(4508) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6095, मुस्लिम, हदीस: 50/1412.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4496, फ़ायदा: 4

बाब : (21)
नजश, यानी भाव बढ़ाने का हीला करना

باب(٢١): النَّجْشِ

(4509) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हीले के साथ भाव बढ़ाने से मना फ़रमाया है।

(4509) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 6963, मुस्लिम, हदीस: 1516, मौता: 2/684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6091.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 4496 फ़ायदा: 3

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

(4510) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'कोई आदमी अपने (मुसलमान) भाई के सौदे पर सौदा न करे। कोई शहरी किसी देहाती का माल न बेचे। भाव बढ़ाने का हीला न करो। कोई शख़्स अपने भाई के तै शुदा सौदे से ज़्यादा का लालच न दे और कोई औरत अपनी सौकन की तलाक़ का मुतालबा न करे ताकि उसके बर्तन को उण्डेल दे।'

(4510) **तख़रीज : (सनद सही)** तबरानी: 4/171, हदीस: 2028, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6096, 6097, देखें, हदीस: 4506.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .

(4511) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शहरी किसी देहाती का माल न बेचे। भाव न बढ़ाओ। कोई शख़्स अपने भाई के तै शुदा सौदे पर इज़ाफ़े का लालच न दे और कोई औरत अपनी सौकन की तलाक़ का मुतालबा न करे ताकि उसके बर्तन को उण्डेल दे।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

(4511) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4506, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6098.

وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا".

फ़ायदा : 'इज़ाफ़े का लालच न दे' यानी एक शख़्स सौदा तै कर चुका है। अब कोई और शख़्स दुकानदार को ज़्यादा क़ीमत का लालच देकर साबिक़ा सौदा मन्सूख़ करने और अपने साथ नया सौदा करने की तर्ग़ीब दे, ये मना है क्योंकि इसमें पहले शख़्स की हक़तल्फ़ी है जो सौदा कर चुका है। ऐसी सूरत में दूसरा सौदा मोतबर नहीं होगा बल्कि कल्अदम (नहीं के बराबर) होगा।

बाब : (22) नीलामी वाली बैअ़

باب : (٢٢) اَلْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ

(4512) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक प्याला और एक टाट नीलामी के ज़रिये से बेचा था।

(4512) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1641, व इब्ने माजा, हदीस: 2198, तिर्मिज़ी, हदीस: 1218.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इसकी तफ़्सील ये है कि एक अन्सारी आदमी आपके पास कुछ माँगने आया। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ (मौजूद) है?' उसने कहा: हाँ, एक कम्बल है। हम आधा ओढ़ लेते हैं और आधा नीचे बिछाते हैं। और एक प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। आपने फ़रमाया: 'दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ।' वह शख़्स दोनों चीज़ें ले आया तो नबी (ﷺ) ने दो दिरहम में बेच कर रक़म उस अन्सारी को दे दी और फ़रमाया: एक दिरहम का खाने पीने का सामान ख़रीद कर घर वालों को दे दो और दूसरे दिरहम का कुल्हाड़ा ख़रीद कर मेरे पास ले आओ।' उस शख़्स ने इसी तरह किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस (कुल्हाड़े) में अपने हाथ मुबारक से दस्ता ठोक दिया और फ़रमाया: 'जाओ' लकड़ियाँ काटो और बेचो। पन्द्रह दिन तक मैं तुम्हें न देखूँ।' वह शख़्स चला गया, लकड़ियाँ काटता और फ़रोख़्त करता रहा। उसके बाद फिर वह आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उसके पास दस दिरहम (जमा हो चुके) थे। आपने फ़रमाया: 'कुछ रक़म से खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लो और कुछ रक़म का कपड़ा ख़रीद लो।' फिर आपने फ़रमाया: 'ये (मेहनत मज़दूरी करके कमाना) तेरे

लिये इससे बहुत बेहतर है कि तू क़यामत के दिन आये और (लोगों से) माँगने की वजह से तेरा चेहरा दाग़दार हो ...... अलख़ (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1641, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2198) **(2)** 'नीलामी के ज़रिये बेचा' इसी मज़्कूरा हदीस़ में ये भी है कि आपने फ़रमाया: 'इन्हें कौन ख़रीदेगा?' एक शख़्स़ ने कहा: मैं एक दिरहम में ख़रीदता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इससे ज़्यादा कौन देगा?' एक दूसरे शख़्स़ ने कहा: मैं दो दिरहम में ख़रीदता हूँ। आपने उसे बेच दिया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1641, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2198) ऐसी बैअ को नीलामी की बैअ कहा जाता है जिसमें बेचने वाला पहली पेशकश पर राज़ी नहीं होता, लिहाज़ा वह नये शख़्स़ से नये भाव का मुतालबा करता है, ख़्वाह उसे दस मर्तबा ऐसा करना पड़े। जिस शख़्स़ के भाव को वह पसन्द करेगा, उसे बेच देगा। इस बैअ में उसूली तौर पर कोई ख़राबी नहीं क्योंकि बेचने वाले ने पहले ख़रीदार का भाव रद्द कर दिया, लिहाज़ा नये ख़रीदार के लिये नया भाव लगाना जायज़ है। भाव पर भाव उस वक़्त मना है जब ख़रीदार और बेचने वाला आपस में भाव की बहस़ कर रहे हों और रद्दो क़बूल का फ़ैसला न हुआ हो, या भाव तै हो गया हो और दोनों ने क़बूल कर लिया हो। नीलामी में ये ख़राबी नहीं, लिहाज़ा ये बैअ जायज़ है, अलबत्ता इससे महंगाई पैदा होने का इम्कान है क्योंकि बसा औक़ात ख़रीदार हज़रात ज़िद्द में भाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसलिये बिला ज़रूरत ये तरीक़ा इख़्तियार नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो उस फ़क़ीर के मफ़ाद की ख़ातिर ये तरीक़ा इख़्तियार फ़रमाया था। ये बैअ उस वक़्त ही होनी चाहिए जब चीज़ फ़रोख़्त करना मक़सूद हो। अगर मक़सद चीज़ फ़रोख़्त करना न हो बल्कि नीलामी सिर्फ़ क़ीमत बढ़ाने के लिये हो तो फिर नीलामी की बैअ नाजायज़ है। हाँ, अगर नीलामी से महंगाई न बढ़ती हो तो इस बैअ में कोई हर्ज नहीं।

बाब : (23) बैअे मुलामसा का बयान

باب(۲۳): بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ

(4513) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फ़रमाया है।

(4513) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2146, मुस्लिम, हदीस़: 1511, मौता: 2/666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6100.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैअ़े मुलामसा हराम है क्योंकि इसमें निरा धोखा है, जबकि शरअ़न और अख़्लाक़न किसी को धोखा देना क़तई तौर पर नाजायज़ है। (2) हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि बैअ़े मुनाबज़ा भी हराम है। इसकी वजह भी वही है जो ऊपर बयान हो चुकी है। (3) इस हदीस़े मुबारका से ये लतीफ़ सा इशारा भी निकलता है कि अय्यामे जाहिलियत में लोगों के माबैन जो नाजायज़ मामलात रिवाज पज़ीर थे और उनकी वजह से उनमें बाहमी कशमकश और क़तअ ताल्लुक़ी की फ़िज़ा बनी रहती थी, शारेअ (ﷺ) इस बात के बेहद हरीस़ थे कि अपनी उम्मत को ऐसे तमाम मामलात से दूर कर दें जो उनके बाहमी ताल्लुक़ात के बिगाड़ का सबब बन सकते थे और जिसकी वजह से उनके माबैन मुनाफ़रत और बुग़्ज़ व इनाद पैदा हो सकते थे। बैअ़े मुलामसा व मुनाबज़ा और दीगर ममनूअ बुयूअ भी इसी क़बील से हैं। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के , रूपये पैसे और माल व दौलत की हिर्सो हवस ने लोगों की अक्सरियत को अंधा कर दिया है, दौलत इकट्ठी करने ही को अस़ल मक़स़दे हयात समझ लिया गया है और इसमें हलाल व हराम की भी तमीज़ नहीं की जाती।

बाब : (24)
इस (मुलामसा) की तफ़्सीर

باب : (٢٤)
تَفْسِيرِ ذَلِكَ

(4514) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फ़रमाया। मुलामसा ये है कि कपड़े को छुआ जाये, खोल कर न देखा जाये। और मुनाबज़ा ये हे कि बेचने वाला कपड़े को ख़रीदार की तरफ़ फेंक दे और सौदा हो जाये बग़ैर इसके कि वह उस कपड़े को उलट पलट कर देखे।

(4514) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2144, मुस्लिम, हदीस़: 1512, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6101.

خْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में अहले जाहिलियत धोखे वाले सौदे करते थे। आपने उन सबको ममनूअ क़रार दे दिया। ये मुलामसा और मुनाबज़ा भी इसी क़िस्म के जाहिली सौदे थे जिनमें

साफ़ धोखा होता था, जैसे: बेचने वाला ख़रीदने वाले को कहता कि जिस कपड़े को तुम्हारा हाथ लग गया, वह इतने में तुझे फ़रोख़्त, ख़्वाह किसी कपड़े को हाथ लग जाता, ख़्वाह वह अंदर से बिल्कुल फटा होता। सिर्फ़ हाथ लगने से बैअ़ पक्की हो जाती थी। खोल कर देखने की इजाज़त नहीं होती थी और बाद में वह वापस भी नहीं हो सकता था। उसे मुलामसा कहते थे। इसी तरह बेचने वाला ख़रीदने वाले की तरफ़ कोई चीज़ (कपड़ा या कुछ और) फेंकता, इतने से वह सौदा पक्का हो जाता। उस चीज़ को परखने और जाँचने की इजाज़त नहीं होती थी। बाद में वह चीज़ भी वापस नहीं हो सकती थी, ख़्वाह वह कितनी ही ऐबदार क्यों न होती। उसे मुनाबज़ा कहते थे। ज़ाहिर है शरीयत इस क़िस्म के मुब्हम सौदे और धोखे बाज़ी को कैसे जायज़ क़रार दे सकती थी, लिहाज़ा सख़्ती के साथ उनसे रोक दिया गया। मुनाबज़ा की एक और तफ़्सीर भी की गई है कि ख़रीदार कंकरी फेंकता, कंकरी जिस चीज़ पर जा गिरती, उसका सौदा हो जाता था बग़ैर तहक़ीक़ किये कि वह चीज़ कैसी है।

बाब : (25)
बैअ़े मुनाबज़ा का बयान

باب : (٢٥)
بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ .

(4515) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुलामसा और मुनाबज़ा क़िस्म की बुयूअ़ से मना फ़रमाया।

(4515) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6102.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

(4516) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो क़िस्म के सौदों मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फ़रमाया।

(4516) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6103.

باب(٢٦): تَفْسِيرِ ذَٰلِكَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ .

बाब : (26) इस (मुनाबज़ा) की तफ़्सीर

(4517) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुनाबज़ा और मुलामसा से मना फ़रमाया। मुलामसा ये है कि दो आदमी रात के अंधेरे में दो कपड़ों का इस तरह सौदा करें कि उनमें से हर एक दूसरे के कपड़े को हाथ से छूए। और मुनाबज़ा ये है कि एक आदमी दूसरे की तरफ़ कपड़ा फेंके और दूसरा उसकी तरफ़ कपड़ा फेंके। पस इतने में सौदा हो जाये।

(4517) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़ी मुसनदिश्शामिय्यीन: 3/21, हदीस: 1721, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6104.

फ़ायदा : कपड़ा तो बतौर मिसाल ज़िक्र किया गया है वरना कोई भी चीज़ इस तरीक़े से बेची जाये या ख़रीदी जाये, उसे मुलामसा और मुनाबज़ा कहा जायेगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ़ एक ही जिन्स की चीज़ें हों जैसा कि तफ़्सीर में ज़िक्र किया गया है बल्कि नक़दी के साथ सौदा हो, तब भी यही हुक्म है। मक़सूद ये है कि जिस सौदे में भी इब्हाम हो या धोखादेही का इम्कान हो, वह मना है क्योंकि इस क़िस्म का सौदा बाद में लड़ाई झगड़े का सबब बनता है, और इसकी बुनियाद ख़ुदग़र्ज़ी और धोखादेही पर है और ये दोनों इन्सानियत और इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ .

(4518) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फ़रमाया। मुलामसा ये है कि कपड़े को सिर्फ़ छुआ जाये। (अच्छी तरह खोल कर) देखा न जाये। और मुनाबज़ा ये है कि एक शख़्स दूसरे की तरफ़ कपड़ा वग़ैरह फेंके लेकिन उलट पलट करने की इजाज़त न हो।

(4518) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4514, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6105.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

(4519) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो क़िस्म के लिबास और दो क़िस्म के सौदों से मना फ़रमाया है। सौदे तो मुलामसा और मुनाबज़ा हैं। मुनाबज़ा ये है कि बेचने वाला कहे कि जब मैं ये कपड़ा फेंक दूँगा, बैअ पक्की हो जायेगी। और मुलामसा ये है कि ख़रीदने वाला कपड़े को सिर्फ़ हाथ से छूए और उसे खोल कर उलट पलट कर न देखे। जब छू लिया तो सौदा पक्का हो गया।

(4519) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2147, 6284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6106, अबू दाऊद, हदीस: 3378.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

(4520) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो क़िस्म के लिबास से मना फ़रमाया। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो क़िस्म के सौदों से मना फ़रमाया: मुलामसा और मुनाबज़ा। और ये चन्द सौदे थे जो दौरे जाहिलियत में लोग किया करते थे।

(4520) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6107.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ

(4521) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दो क़िस्म की बुयूअ से मना फ़रमाया। और वह मुलामसा और मुनाबज़ा हैं। उन्होंने फ़रमाया कि मुलामसा ये है

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلاَ يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبُذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ .

कि एक आदमी दूसरे आदमी से कहे: मैं तुझे अपना कपड़ा तेरे कपड़े के ऐवज़ बेचता हूँ और उनमें से कोई भी दूसरे के कपड़े को न देखे बल्कि स़िर्फ़ छूए। और मुनाबज़ा ये है कि एक शख़्स दूसरे से कहे: मैं अपनी चीज़ फेंकता हूँ, तू अपनी चीज़ फेंक ताकि उनमें से हर एक दूसरे से उसकी चीज़ ख़रीदे और उनमें से किसी को मालूम न हो कि दूसरे के पास क्या है और कितना है।

(4521) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5819, मुस्लिम, हदीस़: 1511, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6108.

फ़ायदा : मुलामसा और मुनाबज़ा की तफ़्सीरें मुख़्तलिफ़ हो सकती हैं मगर इनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि छूने और फेंकने के अलावा मज़ीद तसल्ली व तशफ़्फ़ी की गुंजाइश नहीं होती। ये इब्हाम ही दरअस़ल इस क़िस्म की बुयूअ के मना होने की वजह है जबकि इसके साथ साथ उन तमाम सूरतों में धोखादेही का जज़्बा भी पाया जाता है।

باب : (٢٧) بَيْعِ الْحَصَاةِ

बाब : (27) कंकरियों वाली बैअ का बयान

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

(4522) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कंकरियों वाली बैअ और हर धोखे वाली बैअ से मना फ़रमाया है।

(4522) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1513, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6109.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैउल हस़ात, लफ़्ज़ बैअ, बाअ यबीउ का मस्दर है और अल्हस़ात जमा है अल्हसा की। ये मस्दर की इज़ाफ़ियत अपने मफ़ऊल की तरफ़ हरगिज़ नहीं बल्कि मस्दर की

इज़ाफ़ियत नोअ की तरफ़ है, इसलिये बाब के मानी हैं: 'कंकरियों वाली बैअ' इसकी कई सूरतें हुआ करती थीं, जैसे: बाइअ मुशतरी से कहता कि तू कंकरी मार, वह जिस कपड़े को या दूसरी चीज़, जो वह बेचना चाहता, को कंकरी जा लगेगी तो इतनी रक़म में वह चीज़ तेरी। इसमें न तो वापसी का कोई इख़्तियार होता और न ख़्यारे मज्लिस ही होता और न कपड़े वग़ैरह के किसी नुक़्स और ऐब की बाबत कुछ मालूम होता, इसलिये ये बैअ दरअसल ग़रर और धोखे ही की बैअ थी जिसे शरीयत ने हराम क़रार दिया है।

एक सूरत ये होती कि बाइअ मुश्तरी से कहता कि कंकरी फेंको जहाँ तक वह पहुँचेगी वहाँ तक अपनी ज़मीन तुझे इतनी रक़म के ऐवज़ बेचूँगा। ये मजहूल चीज़ की बैअ है, इसलिये नाजायज़ है।

ये सूरत भी होती थी कि बेचने वाला शख़्स मुट्ठी में कंकरियाँ बन्द कर लेता और कहता कि जितनी कंकरियाँ मेरी मुट्ठी से निकलेंगी, इतनी चीज़ें मबीअ से मेरी होंगी। या वह कोई सौदा फ़रोख़्त करता और कंकरियाँ मुट्ठी में बन्द करके कहता कि मेरी मुट्ठी में जितनी कंकरियाँ होंगी उतने ही दिरहम या दीनार लूँगा, यानी जो भी तै होता। कभी वह लोग इस तरह भी किया करते कि ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों में से कोई एक अपने हाथ में कंकरियाँ लेता और कहता कि जब भी कंकरियाँ गिरेंगी, बैअ वाजिब हो जायेगी।

कभी वह लोग सौदा करते और कंकरी फेंकने ही को बैअ का वाजिब होना क़रार देते। ये तमाम अक़्वाल इमाम नववी और इमाम अबुल अब्बास कुर्तुबी (رحمهما الله) ने (शरह सहीह मुस्लिम, बाब बुत्लानु बैठल हसाति वल बैइल्लज़ी फीहिल गरर: 10/220 में) बयान फ़रमाये हैं।

(2) हदीस के आख़िर में हर धोखे वाली बैअ से मना कर दिया गया है, जैसे: पानी के अन्दर मौजूद मछली या फ़िज़ा के अन्दर उड़ते परिन्दे की बैअ जिसे अभी तक शिकार नहीं किया गया। अल्लाह जाने वह शिकार हो सके या न, इसी तरह भागे हुये गुलाम की बैअ न मालूम वह मिल सके या न। जो चीज़ अभी पैदा ही नहीं हुई, उसकी बैअ भी उसके तहत आती है वग़ैरह वग़ैरह, अलबत्ता अगर थोड़ा बहुत इब्हाम हो जिससे बचना मुमकिन नहीं तो उसकी गुंजाइश है, जैसे: माहाना या यौमिया किराये पर कोई चीज़ लेना, हालांकि सब महीने, इसी तरह सब दिन बराबर नहीं होते। इनमें कमी बेशी होती रहती है लेकिन ये मजबूरी है, लिहाज़ा बिला तकल्लुफ़ जायज़ है, और इनमें धोखादेही का तसव्वुर नहीं जो कि मना की असल बुनियाद है।

बाब : (28)
फल पकने से पहले उसकी बैअ का बयान

باب : (٢٨)
بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

(4523) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फलों का सौदा न करो यहाँ तक कि उनकी सलाहियत मालूम हो जाये। आपने बेचने वाले को भी रोका और ख़रीदने वाले को भी।'

(4523) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2214, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6110.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फल से मक़सूद तो उसे पकने के बाद खाना है न कि कच्चे को। गर कच्चा फल ख़रीदा जायेगा तो पकने तक उस पर कई आफ़तें आ सकती हैं। वह सूख सकता है, उसे कीड़ा लग सकता है वग़ैरह वग़ैरह, लिहाज़ा कल कलां को तनाज़अ (विवाद) पैदा हो सकता है कि जनाब फल तो ज़ाया हो गया। रक़म किस चीज़ की दूँ? इस क़िस्म के सौदे में रक़म उमूमन फ़ल की कटाई के वक़्त ही दी जाती है, लिहाज़ा इन तनाज़आत (विवादों) के पेशे नज़र इस क़िस्म की बैअ से मना फ़रमा दिया गया जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने ये बात सराहतन फ़रमाई है, अलबत्ता अगर तनाज़अ का ख़तरा न हो, जैसे: कच्चा फल ही तोड़ कर इस्तेमाल करना हो, जैसे कच्चे आम अचार के लिये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये कच्चा भी पक्के के क़ाइम मक़ाम है। इसके नुक़सान का भी कोई ख़तरा नहीं। इसी तरह ग़ल्ले वाली फ़सल को पकने से पहले नहीं बेचा जा सकता मगर चारे वाली फ़सल को कच्चा ही बेचा जा सकता है क्योंकि उसे कच्चा ही काटना होता है। **(2)** यहाँ फल पकने से मुराद उसकी वह कैफ़ियत है जिसके बाद उस पर आफ़त का एहतिमाल नहीं रहता, न ये कि वह बिल्कुल खाने वाली हालत में हो, जैसे: आम जब जसामत में पूरा हो जाता है तो उसे तोड़ कर कुछ मसाला लगाया जाता है जिससे वह पक जाता है और खाने के क़ाबिल हो जाता है। तो ऐसी कैफ़ियत में आमों की ख़रीद फ़रोख़्त दुरुस्त है अगरचे वह खाने के क़ाबिल तो मसाला लगाने से होंगे। यही मतलब है कि उनकी सलाहियत ज़ाहिर होने का। गोया फसल आफ़त से महफ़ूज़ हो तो पकने से पहले भी फ़रोख़्त हो सकता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

(4524) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल की फ़रोख़्त से

أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

रोका यहाँ तक कि उसकी स़लाहियत ज़ाहिर हो जाये।

(4524) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 57/1524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6111.

أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً .

(4525) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फल का सौदा न करो यहाँ तक कि उसकी स़लाहियत ज़ाहिर हो जाये और ताज़ा फल (ताज़ा खजूरें) ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ न ख़रीदो।'

इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) ने कहा कि मुझे हदीस़ बयान की सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया .... फिर इसी (हदीसे अबू हुरैरह) की मिस्ल पूरी हदीस़ बयान फ़रमाई।

(4525) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 58/1538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6112, बुख़ारी, हदीस़: 2199.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब ज़ोहरी (رحمه الله) ये हदीस़ तीन उस्ताद, यानी हज़रत सईद बिन मुसय्यब, अबू सलमा और हज़रत सालिम (رحمه الله) से बयान फ़रमाते हैं लेकिन पहले दोनों उस्ताद (सईद बिन मुसय्यब और अबू सलमा) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से बयान करते हैं और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से जबकि उस्ताद सालिम (رحمه الله) ये हदीस़ अपने वालिद मोहतरम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से और वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं। मतलब ये है कि इब्ने शिहाब दोनों सनदों से ये रिवायत मौसूलन बयान फ़रमाते हैं। पहली सूरत में हदीस़ मुसनद अबू हुरैरह है और दूसरी सूरत में मुसनद अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर **(2)** 'ताज़ा खजूरें ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ न ख़रीदो' क्योंकि जब दोनों तरफ़ एक जिन्स हो तो कमी बेशी दुरुस्त नहीं होती बल्कि इस सूरत में बराबरी ज़रूरी है मगर ख़ुश्क और ताज़ा खजूरों में बराबरी मुमकिन नहीं क्योंकि ताज़ा खजूरें ख़ुश्क होकर वज़न में कम हो जाती हैं, लिहाज़ा उन्हें अलग अलग ख़रीदा और बेचा जाये।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .

(4526) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुये और फ़रमाया: 'फल न बेचो यहाँ तक कि उसकी सलाहियत ज़ाहिर हो जाये।'

(4526) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/61, 80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6113.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

(4527) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना फ़रमाया। और इस बात से कि फलों को उनकी सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख़्त किया जाये या ताज़ा फल को ख़ुश्क फल के ऐवज़ बेचा जाये बल्कि उनको दीनार व दिरहम (रूपये पैसे) के ऐवज़ बेचा जाये, अलबत्ता आपने अतिया के दरख़्तों में इस बैअ की इजाज़त अता फ़रमाई है।

(4527) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3910, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6114.

फ़ायदा : इन बुयूअ की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3910.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا .

(4528) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना, मुहाक़ला और पकने से पहले फल बेचने से मना फ़रमाया है, अलबत्ता अतिया के दरख़्तों में मुज़ाबना की इजाज़त अता फ़रमाई है।

(4528) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3910, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6115.

फ़ायदा : मुख़ाबरा: ज़मीन बटाई पर देना, मुज़ाबना: ताज़ा दरख़्त पर लगे हुये फल की बैअ ख़ुश्क

फल के बदले, मुहाक़ला ग़ल्ले वाली खेती की ख़ुश्क ग़ल्ले के ऐवज़ ख़रीद व फ़रोख़्त, तफ़्सील, हदीस़ नम्बर: 3910 वग़ैरह में देखिये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ .

(4529) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूरों की बैअ से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह खाने के क़ाबिल हो जायें।

(4529) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/357, 372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6116, बुख़ारी, हदीस़: 1487, 2189, मुस्लिम, हदीस़: 53/1536 वग़ैरहुम.

باب : (٢٩)
شِرَاءِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلاَ يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا

बाब : (29)
स़लाहियत ज़ाहिर होने से पहले इस शर्त पर फल ख़रीदना कि ख़रीदार उन्हें (दरख़्तों से) काट और तोड़ लेगा, पकने तक (दरख़्तों पर) बाक़ी नहीं रख छोड़ेगा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ " حَتَّى تَحْمَرَّ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ " .

(4530) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल पकने से पहले उनको बेचने से मना फ़रमाया। पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! पकने का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया: 'वह सुर्ख़ हो जायें (पकने के क़रीब हो जायें और किसी क़िस्म की आफ़त का एहतिमाल न रहे)' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बताओ अगर अल्लाह तआला फल रोक ले तो तुममें से कोई किस बिना पर अपने भाई से रक़म लेगा?'

(4530) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2198, मुस्लिम, हदीस़: 1555, मौता: 2/618, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6117.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब से मुअल्लिफ़ (رحمه الله) का मक़्सद ये मसला बयान करना है कि फ़ौरन काट लेने की शर्त पर पकने से पहले फलों की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है लेकिन इस सूरत में जब उससे इन्तेफ़ाअ (नफा हासिल) मुमकिन हो। इमाम शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर उ़लमा का यही मौक़िफ़ है। हमारे यहाँ उ़मूमन अचार के लिये आम पकने से पहले ही काट लिये जाते हैं। **(2)** हमारे यहाँ जो ये रिवाज है कि लोग अपने बाग़ का फल कई साल के लिये बेच देते हैं तो ये अ़मल इस हदीस़ की रू से नाजायज़ और हराम है। जब मौजूदा फल, जो अभी तक खाने के क़ाबिल नहीं हुआ, उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त ममनूअ है तो आइन्दा साल या कई सालों का ठेका, जो कि बिल्कुल मादूम फलों का होता है, कैसे जायज़ हो सकता है। इस मुमानिअ़त की वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें निरा धोखा ही धोखा है, और ये मज्हूल चीज़ की बैअ है जो कि शरअन नाजायज़ है। मज़ीद बरां ये भी कि ये एक ऐसी चीज़ की बैअ़ है जो बेचने वाले के पास नहीं है जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (ला तबिअ़ मा लैस इन्दका) 'जो चीज़ तेरे पास नहीं वह मत बेच।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 1232, व सुनन नसाई, हदीस़: 4617) **(3)** 'सुर्ख़ हो जायें' यानी फल रंग बदलना शुरू कर दें, ख़्वाह वह सुर्ख़ होने लगें या ज़र्द। इससे मालूम हुआ कि पकने से मुराद मुकम्मल पकना नहीं बल्कि आफ़त से महफ़ूज़ होना है वरना सिर्फ़ रंग बदलने से तो फल मुकम्मल पक नहीं जाता। हाँ, पकना शुरू हो जाता है। गोया पकने का आग़ाज़ काफ़ी है। **(4)** 'किस बिना पर रक़म लेगा?' गोया अगर उसने फ़ौरन फल काट लेना हो तो रक़म ले सकता है क्योंकि आपने फल पकने से रुक जाने की सूरत में रक़म लेने से रोका है। अगर फ़ौरन काट लिये जायें तो पकने का मसला ही नहीं बनता। बाब पर इसी से इस्तेदलाल है और यही सही है। वल्लाहु आलम!

बाब : (30) नागहानी आफ़ात से पहुँचने वाले नुक़सान की तलाफ़ी

باب(٣٠): وَضْعِ الْجَوَائِحِ

(4531) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तू अपने (मुसलमान) भाई को फल बेचे, बाद में फल पर कोई नागहानी आफ़त आ जाये तो तेरे लिये उसकी क़ीमत लेना हलाल नहीं। तू किस बिना पर अपने भाई का माल नाहक़ लेगा?'

(4531) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1554, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6118.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सूद ये है कि अगर फल किसी नागहानी आसमानी या ज़मीनी आफ़त वग़ैरह का शिकार हो जाये तो बेचने वाले को चाहिए कि वह इस आफ़त की तलाफ़ी करे। बेहतर तो ये है कि सारी रक़म ही वापस कर दे वरना ताक़त के मुताबिक भरपूर तआवुन करे, बसूरते दीगर वह अपने मुसलमान भाई का माल बातिल तरीक़े से खाने का मिस्दाक़ क़रार पायेगा। **(2)** इस हदीस़ से हर क़िस्म के फलों की ख़रीद व फ़रोख़्त का जवाज़ स़ाबित हो रहा है, ख़्वाह वह जिस मरहले में भी हों, हालांकि गुज़िश्ता अहादीस़ से कच्चे, यानी ऐसे फलों की ख़रीद व फ़रोख़्त ममनूअ क़रार पाई है जो खाने के क़ाबिल न हों, तो उसका जवाब ये है कि मज़्कूरा हदीस़ से भी वही फल मुराद हैं जो खाने के क़ाबिल हों, उन्हीं की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ होगी, हाँ ज़रूरत के तहत अगर कच्चे फलों की ज़रूरत हो तो फिर उसी वक़्त काटने की शर्त लाज़िमी है, वरना इसकी इजाज़त नहीं, जुम्हूर अहले इल्म की राय यही है। **(3)** किसी भी मुसलमान के लिये दूसरे मुसलमान भाई का माल नाहक़ और बातिल तरीक़े से खाना मना है। कुर्आन व हदीस़ के दीगर दलाइल के अलावा ये हदीस़ भी इसकी स़रीह दलील है। **(4)** इन्सानियत और इस्लाम का तक़ाज़ा भी यही है कि जो फल आसमानी आफ़त से ज़ाया हो गया, उसकी क़ीमत वसूल न की जाये क्योंकि अगर ये फल मालिक के यहाँ आसमानी आफ़त से ज़ाया हो जाता तो फिर भी तो उसे बरदाश्त करना ही पड़ता। अब भी बरदाश्त करना चाहिए। अगर वह ख़रीदार से उस फल की क़ीमत वसूल कर लेगा तो ये नाहक़ और नाजायज़ होगा। इमाम अहमद और मुहद्दिस़ीन (رحمہم اللہ) इसी के क़ाइल हैं कि नागहानी आफ़ात का नुक़सान माफ़ करना ज़रूरी है। दीगर हज़रात ने इसे मुस्तहब क़रार दिया है क्योंकि तै शुदा सौदे से दस्तबरदार होने पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर हदीस़ इसके ख़िलाफ़ है क्योंकि इन्सानियत और इस्लामी उख़ुव्वत का तक़ाज़ा हर उस़ूल से मुक़द्दम है। इन उसूली हज़रात ने अपने उस़ूल को क़ाइम रखने के लिये इस हदीस़ की दो राज़कार तावीलात की हैं जो उनकी मजबूरी है लेकिन इन्सानियत और उख़ुव्वत इस हदीस़ पर अमल करने ही में है।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ " .

(4532) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स फल बेचे, फिर उसको कोई आफ़त पहुँच जाये और वह ज़ाया हो जाये तो वह अपने भाई से उसकी क़ीमत न ले।' और आपने लफ़्ज़ शैअन फ़रमाया, वह किस बिना पर अपने मुसलमान भाई का माल खायेगा?

(4532) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6119.

फ़ायदा : आपने लफ़्ज़ शैअन फ़रमाया। मतलब ये है कि आपने फ़रमाया: 'वह अपने (मुसलमान) भाई से कोई चीज़ न ले।' (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 34/268)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، - وَهُوَ الأَعْرَجُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الْجَوَائِحَ .

(4533) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने नागहानी आफ़ात से पहुँचने वाले नुक़्सानात की तलाफ़ी का हुक्म फ़रमाया है।

(4533) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 17/1554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6120.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ " .

(4534) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में एक आदमी का फल ज़ाया हो गया जो उसने ख़रीदा था। इस तरह वह बहुत मक़रूज़ हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस पर सदक़ा करो।' लोगों ने उस पर सदक़ा किया लेकिन उससे उसका पूरा क़र्ज़ अदा नहीं हो सकता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (उसके क़र्ज़ ख़्वाहों से) फ़रमाया: 'जो तुम्हें मिले वह ले लो। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।'

(4534) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 18/1556, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6121.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस शख़्स का ख़रीदा हुआ फल बवजह आफ़त ज़ाया हो गया था, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस पर न सिर्फ़ सदक़ा करने का हुक्म दिया बल्कि मौजूद माल के अलावा उससे मज़ीद कुछ लेने से भी रोक दिया। हदीस की रू से ऐसा करना जायज़ है। **(2)** रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने सहाबा बल्कि पूरी उम्मत पर इन्तेहाई मेहरबान थे। यही वजह हे कि आप उनके मामलात की इस्लाह और उनकी तदबीर फ़रमाते रहते, फ़ुक़रा और मोहताजों की भरपूर मदद करते। आपके यहाँ अगर कुछ माल वग़ैरह होता तो वह ज़रूरतमन्दों को देते और कुछ पास न होता तो ख़ुश हाल सहाब-ए-किराम (ﷺ) से तआवुन और सदक़ा ख़ैरात करने का हुक्म फ़रमाते। **(3)** इस हदीस से ये मसला भी मालूम

हुआ कि जिस शख़्स का माल या फल वग़ैरह किसी अर्ज़ी (जमीनी) या समावी (आसमानी) आफ़त से तबाह हो जाये, उसके लिये बक़द्रे ज़रूरत सवाल करना दुरुस्त है। इससे ज़्यादा का सवाल करना जायज़ नहीं, और कंगाल और आफ़ज़दा शख़्स से उसके ज़िम्मा क़र्ज़ का मुतालबा किया जाये न उसे क़ैद में डाला जाये और न हमा वक़्त उसके तआक़ुब ही में रहा जाये। इमाम मालिक, शाफ़ेई और जुम्हूर अहले इल्म का यही क़ौल है लेकिन ज़रूरी है कि तंगदस्त शख़्स लोगों से क़र्ज़ लेकर ज़ाया करने वाला न हो। **(4)** ज़ाहिर ये है कि ये फल कच्चा ख़रीदा गया होगा। पकने से पहले आफ़त आ गई। उस वक़्त तक आपने अभी कच्चे फल के सौदे से मना नहीं फ़रमाया होगा। या मुमकिन है फल तो वक़्त ही पर ख़रीदा गया हो मगर आफ़त आते देर नहीं लगती। बारिश और आँधी वग़ैरह भी तो फल को ज़ाया कर देती है। नुक़सान की माफ़ी का हुक्म भी तो ऐसे ही फल के बारे में होगा जो वक़्त पर ख़रीदा गया मगर फिर भी नुक़सान हो गया।

बाब : (31)
कई साल के लिये फल बेचना

باب : (٣١)
بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ

(4535) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कई साल के लिये फल बेचने से मना फ़रमाया है।

(4535) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 101/1543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6122.

خْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ عَتِيكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيقٌ - عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .

फ़ायदा : किसी बाग़ या मख़्सूस दरख़्तों के फल कई साल के लिये पेशगी फ़रोख़्त करना शरअन नाजायज़ और हराम है। उसकी वजह ये है कि इसमें सरासर धोखा है, और ये एक मज्हूल चीज़ की बैअ है। मज़ीद बरां ये कि बाइअ एक ऐसी चीज़ का सौदा कर रहा है जिसका कोई वजूद नहीं और ख़रीदार भी एक ऐसी चीज़ ख़रीद रहा है जो मादूम है, फिर उसकी कोई ज़मानत भी नहीं होती कि वाक़ेई पैदावार होगी, लिहाज़ा फ़रोख़्त किसी चीज़ की? लेकिन इस हदीस़ से बैअे सिफ़ात मुस्तस्ना है। इसमें चीज़ की जिन्स और मुद्दत का तअय्युन होता है। वज़न या मिक़्दार भी मालूम होती है। और यक्मुश्त रक़म की अदायगी कर दी जाती है। इसे बैअे सलम या सल्फ़ भी कहते हैं। अहादीस़ की रोशनी में ये जायज़ है। इस तरीक़े से इख़्तिलाफ़ और धोखे की नोबत नहीं आती।

बाब : (32) खजूर के (दरख़्त पर लगे हुये) ताज़ा फल का ख़ुश्क खजूरों से सौदा करना

باب(٣٢): بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

(4536) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ)) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ख़ुश्क खजूरों के बदले दरख़्त पर लगी हुई खजूरों के सौदे से मना फ़रमाया है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़तिये के दरख़्तों में इस सौदे की रुख़्सत दी है।

(4536) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1534, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6123, बुख़ारी, हदीस: 2173, मुस्लिम, हदीस: 60/159.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ताज़ा और ख़ुश्क खजूर की आपस में ख़रीद व फ़रोख़्त ममनूअ़ है क्योंकि ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने के बाद कम हो जायेगी और हम जिन्स चीज़ में कमी बेशी जायज़ नहीं। हाँ बैअ़े अ़राया में ताज़ा खजूर का ख़ुश्क खजूर के साथ सौदा करना दुरुस्त है, इसलिये कि इसमें फ़रीक़ैन, यानी अ़तिया देने और क़बूल करने वालों के लिये सहूलत और आसानी है। अगर अ़राया में इस सौदे का जवाज़ ख़त्म हो जाये तो फिर ग़रीब और ज़रूरतमन्द लोगों के लिये मुश्किलात पैदा हो जायेंगी क्योंकि अ़तिया करने वाले, अ़तिया न करने पर मजबूर हो जायेंगे। **(2)** ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि जब एक ही जिन्स का ताज़ा फल ख़ुश्क होकर वज़न में कम हो जाता हो तो उस जिन्स के ख़ुश्क और तर (ताज़ा) फल की बाहमी बैअ़ हराम है अगरचे सौदा करते वक़्त दोनों (फल) वज़न और कैल (माप) में बराबर ही हों। इसकी वजह ये है कि तसावी, यानी बाहमी बराबरी का ऐतबार उस वक़्त मोतबर और सही होता है जब वह चीज़ हालते कमाल को पहुँच कर भी बराबर ही रहें और उधर ये बात नहीं क्योंकि खजूर जब ख़ुश्क हो जाती है तो उसका वज़न बहरसूरत ताज़ा हालत की निस्बत कम हो जाता है और फिर उसका तअ़य्युन भी नामुमकिन है कि वज़न कितना कम होता है, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) वज़न और माप बराबर बराबर होने की सूरत में ख़ुश्क और ताज़ा खजूर के बाहमी सौदे को जायज़ क़रार देते हैं जबकि साहिबैन (इमाम साहिब के शागिर्द उन इमाम मुहम्मद बिन हसन और इमाम अबू यूसुफ़

(رحمه الله)) इस मसले में अपने उस्ताद मोहतरम की मुख़ालिफ़त करते हैं और इस मसले में मुमानिअत की बाबत वारिद सही अहादीस़ की बुनियाद पर उन्होंने हदीसे रसूल को क़बूल और अपने उस्ताद साहिब की बात को रद्द कर दिया है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 34/275) इस क़िस्म की बैअ को मुज़ाबना कहा जाता है। ये उमूमन तो मना है मगर अरिया (अतिया में दिये गये दरख़्त) में गुरबा की सहूलत के लिये रुख़्सत दी गई है जैसा कि तफ़्सील फ़ायदा नम्बर 1 में बयान हो चुकी है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 3910)

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ .

(4537) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया। और मुज़ाबना ये है कि दरख़्त पर लगा हुआ फल (खजूर) मुअय्यन वज़न (या माप) की ख़ुश्क खजूरों के बदले बेचा जाये कि अगर खजूर का फल ज़्यादा हुआ तो उसका फ़ायदा भी मुझे है और अगर फल कम हुआ तो उसका नुक़सान भी मुझे होगा।

(4537) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2172, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6124.

फ़ायदा : 'कि अगर खजूर का फल' ये जुम्ला फल के ख़रीदार की ज़बानी है क्योंकि इसका फ़ायदा नुक़सान उसी को है।

باب(٣٣): بَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ

बाब : (33) ताज़ा अंगूर मुनक्क़ा के बदले बेचना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .

(4538) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। और मुज़ाबना ये है कि ताज़ा खजूरें (दरख़्त पर लगी हुई) तोली मापी हुई ख़ुश्क खजूरों के बदले और दरख़्त पर लगे हुये अंगूर मापे हुये मुनक्क़ा के बदले बेचे जायें।

(4538) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2171, पिछली हदीस़ देखें, मुस्लिम, हदीस़: 1542, मौता: 2/624, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6125.

फ़ायदा : मुज़ाबना के मना होने की वजह ये है कि किसी एक फ़रीक़ को नुक़सान का एहतिमाल (सम्भावना) है। मुमकिन है दरख़्त से कम खजूरें उतरें। वैसे भी खजूरें ख़ुश्क होकर कम हो जाती हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

(4539) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खेत में उगी हुई फ़सल की बैअ ख़ुश्क ग़ल्ले से और दरख़्त पर लगे हुये फल की बैअ ख़ुश्क फल के साथ करने से मना फ़रमाया है।

(4539) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3921, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6126.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

(4540) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अतिया के दरख़्तों में मुज़ाबना की इजाज़त दी है।

(4540) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6127.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ .

(4541) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अतिया के दरख़्तों में रुख़सत अता फ़रमाई कि उन पर लगा हुआ फल ख़ुश्क या ताज़ा खजूरों के ऐवज़ बेचा या ख़रीदा जा सकता है।

(4541) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6128.

फ़ायदा : तफ़सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल हदीस: 3910.

باب : (٣٤)
بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

बाब : (34)
अराया (अतिया के दरख़्तों) का फल अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बेचना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا .

(4542) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुख़्स़त अ़ता फ़रमाई कि अ़तिया के दरख़्तों का फल अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज बेचा या ख़रीदा जा सकता है।

(4542) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6129.

फ़ायदा : अ़राया अ़रिया की जमा है। अ़रिया उस दरख़्त को कहते हैं जिसे बाग़ वाला किसी ग़रीब शख़्स़ को फल खाने के लिये दे दे। दरख़्त अस्ल मालिक ही का रहता है। उस एक दरख़्त की देख भाल वग़ैरह के लिये ग़रीब शख़्स़ को बार बार बाग़ में जाना पड़ेगा। उससे उस ग़रीब शख़्स़ या बाग़ वाले के लिये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लिहाज़ा शरीयत ने इजाज़त दी कि वह बाग़ वाला उस दरख़्त पर लगे हुये फल के ऐवज़ उस ग़रीब शख़्स़ को अन्दाजन इतनी ख़ुश्क या ताज़ा खजूरें दे दे और दरख़्त वापस ले ले। ये है तो मुज़ाबना की सूरत जो उ़मूमन ममनूअ़ है मगर शरीयत लोगों की मजबूरियों का भी लिहाज़ रखती है, इसलिये ग़रीब के मफ़ाद की ख़ातिर थोड़ी मिक़्दार (पाँच वस्क़, यानी पन्द्रह बीस मन) में इस बैअ़ की इजाज़त दी लेकिन इससे ज़यादा तिजारती मक़ासिद के लिये बैअ़ जायज़ नहीं। (मज़ीद तफ़्सीलात के लिये देखिये,फ़वाइद व मसाइल हदीस़: 3910)

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

(4543) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़तिया के दरख़्त के फल के बारे में रुख़्स़त अ़ता फ़रमाई कि उसे अन्दाज़न फल के बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ बेचा जा सकता है।

(4543) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6130.

बाब : (35)
अतिया के दरख़्तों का फल ताज़ा खजूरों के ऐवज़ भी फ़रोख़्त करना

باب : (٣٥)
بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

(4544) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इजाज़त अता फ़रमाई कि अतिया के दरख़्तों का फल ख़ुश्क या ताज़ा खजूरों के ऐवज़ बेचा जा सकता है, अलबत्ता आपने उसके अलावा (उसकी आम) इजाज़त नहीं दी।

(4544) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6131.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

(4545) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अतिया के दरख़्तों के बारे में रुख़्सत अता फ़रमाई कि उनका फल अन्दाज़न उसके बराबर खजूरों पाँच वस्क़ या पाँच वस्क़ से कम तक पहुँचा जा सकता है।

(4545) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2190, हदीस: 2382, मुस्लिम, हदीस: 1541, मौता: 2/620, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6132.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वस्क़ साठ साअ का होता है। और साअ एक पैमाना होता था जो तक़रीबन सवा दो या अढ़ाई किलो का होता था। इस लिहाज़ से वस्क़ पन्द्रह या अठारह मन का होगा। गोया पन्द्रह बीस मन तक (पुराने सेर के हिसाब से) इस बैअ की इजाज़त है क्योंकि इतनी खजूरें खाने के लिये होती हैं जबकि ज़्यादा तिजारत के लिये रखी जाती हैं ये रुख़्सत चूंकि गुरबा की मजबूरी के पेशे नज़र है, इस लिये ज़्यादा मिक़्दार में उसकी इजाज़त नहीं। **(2)** 'पाँच वस्क़ या पाँच वस्क़ से कम' मक़सद ये है कि पाँच वस्क़ से ज़्यादा में इस रुख़्सत से फ़ायदा न उठाया जाये।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .

(4546) हज़रत सहल बिन अबी हसमा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने पकने से पहले फल की फ़रोख़्त से रोका है। और अ़तिया के दरख़्तों के बारे में इजाज़त अ़ता फ़रमाई है कि उनका फल अन्दाज़न उसके बराबर ख़ुश्क फल के ऐवज़ फ़रोख़्त कर दिया जाये ताकि उन दरख़्तों वाले ग़रीब लोग (जल्दी) ताज़ा खजूरें खा सकें।

(4546) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2191, मुस्लिम, हदीस़: 1540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6133.

फ़ायदा : 'ताज़ा खजूरें खा सकें' क्योंकि दरख़्त वाली खजूरें तो देर से हासिल होना शुरू होंगी। ग़रीब के लिये इन्तेज़ार मुश्किल है।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ .

(4547) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज और हज़रत सहल बिन अबी हसमा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया, यानी दरख़्त पर लगी हुई खजूरों का सौदा ख़ुश्क खजूरों से किया जाये, अलबत्ता आपने अ़तिया वाले दरख़्तों के मालिकों को (पाँच वस्क़ तक) इस बैअ़ की इजाज़त दी।

(4547) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6134.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

(4548) हज़रत बुशैर बिन यसार ने बहुत से स़हाब-ए-किराम (ﷺ) से बयान किया कि उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़तिया के दरख़्तों के फल को अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ फ़रोख़्त करने की इजाज़त दी है।

(4548) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6135.

बाब : (36)
ख़ुश्क खजूरों को ताज़ा खजूरों के ऐवज़ ख़रीदना

باب : (٣٦)
اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ .

(4549) हज़रत सअ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ताज़ा खजूरों के ऐवज़ ख़ुश्क खजूरें ख़रीदने या बेचने के बारे में पूछा गया तो आपने अपने इर्द गिर्द बैठे हूये हाज़िरीन से फ़रमाया: 'क्या ताज़ा खजूर ख़ुश्क होकर वज़न में कम हो जाती है?' उन्होंने कहा: हाँ, फिर आपने ऐसे सौदे से मना फ़रमा दिया।

(4549) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3359, तिर्मिज़ी, हदीस: 1225, व इब्ने माजा, हदीस: 2264, मौता: 2/624, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6136, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 657, वल हाकिम: 2/38, 39.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने के बाद कम हो जाती है, इसलिये एक फ़रीक़ को नुक़सान उठाना पड़ता है। ये सूद ही की एक सूरत है, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमा दिया। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये अहम बात भी मालूम होती है कि शारेअ (ﷺ) महज़ चीज़ों की हुर्मत बयान नहीं फ़रमाते थे बल्कि बसा औक़ात हुर्मत की वजह भी बयान फ़रमा देते थे ताकि लोग अ़ला वज्हिल बसीरा ममनूआ चीज़ से रुक जायें, और उन्हें ममनूआ चीज़ की बाबत मुकम्मल तौर पर इन्शिराहे सुदूर हो जैसा कि मज़्कूरा मसले में आपने हाज़िरीन ही से पूछा: 'क्या ख़ुश्क होकर ताज़ा खजूर का वज़न कम हो जाता है?' उन्होंने जवाब दिया: जी हाँ। यक़ीनन! इस हक़ीक़त का इल्म रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी था लेकिन आपने उनसे पूछा ताकि उनके सामने हुर्मत की वजह बिल्कुल वाज़ेह हो जाये। **(3)** लोगों के माल किसी भी बातिल तरीक़े से खाना हराम है, इरशादे बारी तआला 'ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! अपने माल आपस में बातिल और नाहक़ तरीक़े से न खाओ।' (अन्निसा: 4/29)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،

(4550) हज़रत सअ़द बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ ताज़ा खजूरें ख़रीदने बेचने के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'क्या ताज़ा खजूरें

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ " أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ .

ख़ुश्क होकर कम हो जाती हैं?' लोगों ने कहा: जी हाँ, फिर आपने उस सौदे से मना फ़रमा दिया।

(4550) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6137.

باب : (٣٧) بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

बाब : (37) खजूरों के एक ढेर का सौदा, जिसका माप मालूम नहीं, मुक़र्रर माप की खजूरों के साथ करना

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

(4551) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि खजूरों के उस ढेर का सौदा, जिसका वज़न मालूम न हो, मुक़र्ररा वज़न की खजूरों के साथ किया जाये।

(4551) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6138.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद ये मसला बयान करना है कि खजूरों वग़ैरह का ऐसा ढेर जिसकी मिक़्दार, यानी उसका वज़न या माप मालूम न हो तो उसे मालूम मिक़्दार वाले ढेर के ऐवज़ नहीं बेचा जा सकता क्योंकि इस तरह एक फ़रीक़ की हक़तल्फ़ी होगी और शरअ़न ये हराम है, और मालूम हुआ कि एक ही जिन्स की दो चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़्त कमी बेशी के साथ नहीं हो सकती बल्कि उसमें तसावी और हाथों हाथ लेने देने की शर्त ज़रूरी है। **(2)** इस हदीसे मुबारका के मफ़हूम से ये इशारा भी निकलता है कि अगर दोनों ढेरों की जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो नामालूम माप या वज़न वाली ढेरी का सौदा, मालूम व मुअय्यन माप या वज़न वाली ढेरी से कर दिया जाये तो ये दुरुस्त बैअ होगी। इशारतन नस्स से इसकी ताईद हो रही है। **(3)** अ़रब लोग उस दौर में खजूरों को तोलने के बजाये माप करते थे जबकि आज कल लोग वज़न करते हैं। यही वजह है कि अ़रबी में अस़ल लफ़्ज़ 'कैल' इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी मापने के हैं।

बाब : (38) ग़ल्ले के ढेर का सौदा ग़ल्ले के ढेर से करना

بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ ".

(4552) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ग़ल्ले का एक ढेर दूसरे ढेर के ऐ़वज या मुअ़य्यन वज़न के ग़ल्ले के ऐ़वज ख़रीदा बेचा न जाये।'

(4552) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6139.

फ़ायदा : ये मुमानिअ़त तब है जब दोनों तरफ़ एक ही जिन्स का ग़ल्ला हो क्योंकि इस सूरत में कमी बेशी से लेना देना मना है। अगर जिन्स बदल जाये, जेसे: एक तरफ़ गन्दुम और दूसरी तरफ़ खजूर वग़ैरह हो तो कमी बेशी जायज़ है, और उस वक़्त अपनी तुली और ग़ैर मुअ़य्यन ग़ल्ले की ख़रीद व फ़रोख़्त में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन शर्त ये है कि ये सौदा हाथों हाथ हो। उधार दुरुस्त नहीं।

बाब : (39) खेती की ख़ुश्क ग़ल्ले (अनाज) के ऐ़वज़ बैअ़

باب(٣٩): بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

(4553) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। वह ये है कि (कोई शख़्स़) अपने बाग़ का फल (जैसे) ताज़ा खजूरें ख़ुश्क तौली हुई खजूरों के ऐ़वज़ बेचे। इसी तरह अंगूरों को तौले हुये मुनक़्क़ा के ऐ़वज़ बेचे और अगर खेती हो तो उसे मुअ़य्यन ग़ल्ले के ऐ़वज़ बेचे। आपने इन तमाम स़ूरतों से मना फ़रमा दिया।

(4553) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 2205, मुस्लिम हदीस़: 76/1542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6140.

फ़ायदा : इन बुयूअ को मुज़ाबना और मुहाक़ला कहा जाता है। हुर्मत की वजह हदीस़ नम्बर: 4538 में गुज़र चुकी है। (मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये फ़वाइद व मसाइल, हदीस़: 3910)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .

(4554) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना फ़रमाया। और फल खाने के क़ाबिल होने से पहले उसकी बैअ से भी रोका। मुज़ाबना और मुहाक़ला की बजाये उनको अलग अलग दीनार और दिरहम (रुपये पैसे) से ख़रीदा बेचा जाये।

(4554) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3910, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6141.

باب : (٤٠)
بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ

बाब : (40)
सफ़ेद होने से पहले सट्टे और बाली की बैअ (की मुमानिअ़त का बयान)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

(4555) हज़रत इब्ने इ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि दरख़्त के फल की बैअ की जाये यहाँ तक कि वह रंग बदल जाये। और सट्टे की बैअ की जाये यहाँ तक कि वह सफ़ेद हो जाये और आफ़त से महफ़ूज़ हो जाये। आपने बेचने वाले को भी रोका और ख़रीदने वाले को भी।

(4555) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6143.

फ़ायदा : मना की वजह पीछे बयान हो चुकी है कि इसमें ख़रीदार को नुक़सान का एहतिमाल है क्योंकि रंग बदलने से पहले फल और फ़सल के बारे में कोई यक़ीनी पेशगोई नहीं की जा सकती। नागहानी आफ़त का भी एहतिमाल रहता है। फल और फ़सल की अस़ल सूरते हाल रंग बदलने के बाद ही वाज़ेह होती है, इसलिये इससे पहले ख़रीदना मना है, और नुक़सान की सूरत में तनाज़आत

(विवाद) पैदा होंगे। बेचने वाला रक़म का तक़ाज़ा करेगा। ख़रीदार अपना उज़्र पेश करेगा, लिहाज़ा इस बखेड़े में पड़ने का क्या फ़ायदा? (तफ़्सीलात मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस़: 4523, 4530 में)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلاَ الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ " .

(4556) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी से मन्क़ूल है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें स़ैहानी और इज़्क़ खजूरें रद्दी और मिली जुली खजूरों के बराबर नहीं मिल सकतीं जब तक कि हम ज़्यादा न दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी रद्दी खजूरें चाँदी (रक़म) के ऐवज़ बेच और फिर उस (रक़म) के साथ (उम्दा खजूरें) ख़रीद।'

(4556) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6144, बुख़ारी, हदीस़: 2201, 2202, मुस्लिम वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत का ऊपर दिये गये बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि इसका ताल्लुक़ आइन्दा बाब से है। सुनन नसाई में कई मक़ामात पर ऐसे हुआ है, क्यों? अल्लाह तआला बेहतर जानता है। मुमकिन है इमाम स़ाहिब आइन्दा बाब की तरफ़ इशारा फ़रमा रहे हों या किसी कातिब के तसर्रुफ़ से इस तरह हो गया हो। **(2)** मसला ये है कि क्या रद्दी खजूरें ज़्यादा मिक़्दार में देकर आला खजूरें थोड़ी मिक़्दार में लेना जायज़ है? जायज़ नहीं क्योंकि जब दोनों तरफ़ जिन्स एक हो तो कमी बेशी सूद का सबब है, लिहाज़ा दोनों को अलग अलग रक़म के ऐवज़ ख़रीदा बेचा जाये। ये नहीं कहा जा सकता कि फ़र्क़ क्या पड़ा? सिर्फ़ रक़म का वास्ता आ गया। खजूरें तो फिर भी दो किलो के बदले एक किलो ही मिलीं। (जैसे) क्योंकि ज़ेरे बहस़ मसले में तो वाक़ेअतन कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा मगर बहुत से दीगर मसाइल में हम जिन्स चीज़ों की कमी बेशी के साथ बैअ में बहुत से मफ़ासिद पैदा होते हैं। उसूल उसूल होता है। जब मसले का आसान हल मौजूद है तो उसूल तोड़ने का क्या फ़ायदा? **(3)** स़ैहानी और इज़्क़ बेहतरीन क़िस्म की खजूरें थीं।

बाब : (41)
खजूर की बैअ खजूर के बदले में कमी बेशी के साथ (जायज़ नहीं)

باب : (٤١)
بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " .

(4557) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ैबर में (खजूरों की वसूली के सिलसिले में) एक आदमी मुक़र्रर फ़रमाया। वह जनीब (उम्दा) खजूरें लेकर आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या ख़ैबर की तमाम खजूरें ऐसी (आला) होती हैं?' उसने कहा: नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! हम मिली जुली और रद्दी खजूरों के दो स़ाअ देकर उसका एक स़ाअ और तीन स़ाअ देकर इस क़िस्म के दो स़ाअ ख़रीदते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे न करो। रद्दी और मिली जुली खजूरों को रक़म के साथ अलग बेचो और फिर रक़म के साथ जनीब खजूरें ख़रीदो।'

(4557) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2201, 2202, मुस्लिम, हदीस़: 1593, मौता: 2/623, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6145.

फ़वाइद व मसाइल : (1) खजूर के ऐवज़ खजूर का कमी बेशी के साथ सौदा करना, हराम है ख़्वाह खजूर की एक क़िस्म कितनी ही उम्दा व आला और दूसरी कितनी ही रद्दी हो। **(2)** ये हदीस़ सराहतन दलालत करती है कि सूदी कारोबार करना क़तअन हराम है। ऐसा किया हुआ सौदा सही नहीं होगा। **(3)** कुछ मामलात में हराम काम का मुर्तकिब उस वक़्त तक माज़ूर समझा जायेगा जब तक उसे उस काम की हुर्मत का इल्म न हो। ये याद रहे कि उज़्र बिल जहल मुत्लक़न क़ाबिले क़बूल नहीं, ताहम कुछ मामलात, जिनका शरीयते मुतह्हरा और उर्फ़े आम लिहाज़ रखें, उनमें ऐसा उज़्र क़ाबिले क़बूल होगा। **(4)** इस

हदीसे मुबारका से ख़ुद साख़्ता सूफ़ियों के उस ख़ुश्क ज़ोहद का रद्द होता है जो अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज़ करते और अपने बातिल ज़ौम में उसे तक़्वा समझते हैं, अपने आपको मशक़्क़त में मुब्तला करके उसे नफ़्स कशी का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ؓ) से बड़ा आबिद व ज़ाहिद भला कौन हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिये, रद्दी खजूर के ऐवज़ अच्छी और उम्दा खजूर पसन्द की है और उसे ख़रीदा है। **(5)** इमाम और दीनी व मज़हबी ज़िम्मेदार शख़्स को ख़ुसूसी तौर पर दीन के मामलात को अहमियत देनी चाहिए। जिन लोगों को उनका इल्म न हो उन्हें तालीम देनी चाहिए और उन्हें नाजायज़ व हराम उमूर से मुतनब्बा करके जायज़ व मुबाह और हलाल उमूर की तरफ़ उनकी रहनुमाई करनी चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबी की रहनुमाई फ़रमाते हुये उसे हराम काम से हटा कर हलाल की तरफ़ रास्ता दिखाया। **(6)** ये हदीस रिबा बिल फज्ल की हुर्मत की सरीह दलील है। **(7)** शुकूक व शुब्हात में मुब्तला शख़्स की तलाशे हक़ में उस वक़्त तक मदद करनी चाहिए जब तक कि उसके लिये हक़ वाज़ेह न हो जाये। **(8)** जनीब, आला क़िस्म की खजूर थी और 'जमा' रद्दी खजूर जिसमें गुठली नहीं होती थी। या जमा से मुराद मिली जुली खजूरें हैं। कोई किसी क़िस्म की कोई किसी क़िस्म की जैसा कि सदक़ा व उश्र में आम होता है। चूंकि ख़ैबर में भी हर क़िस्म की खजूरों से हिस्सा वसूल किया गया था, लिहाज़ा वह मिली जुली थीं।

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ - وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْلاً فِيهِ يُبْسٌ - فَقَالَ " أَنَّى لَكُمْ هَذَا " . قَالُوا ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ " لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَصِحُّ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ " .

(4558) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मोटी ताज़ी खजूरें लाई गई जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की खजूरें ख़ुदरू क़िस्म की थीं जिनमें कुछ ख़ुश्की होती है। आपने फ़रमाया: 'ये तुम्हें कहाँ से मिल गईं?' लोगों ने कहा: हमने अपनी खजूरों के दो साअ देकर ये एक साअ के हिसाब से ख़रीदी हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐसे न करो। ये दुरुस्त नहीं बल्कि अपनी खजूरें अलग रक़म के ऐवज़ फ़रोख़्त करो और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ उनको अलग रक़म के साथ ख़रीदो।'

(4558) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6146.

फ़ायदा : 'मोटी ताज़ी खजूरें' मुराद उन दरख़्तों की खजूरें हैं जिनको पानी वाफ़िर मिलता था। ज़ाहिर है

वह ऐसी ही होंगी और जिन दरख़्तों को पानी नहीं मिलता, वह ज़मीन के पानी ही से अपनी ख़ूराक हासिल करते हैं। ज़ाहिर है उनकी खजूरें ख़ुश्क ही होंगी।

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ " .

(4559) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में मिली जुली खजूरें दी जाती थीं। हम उनके दो साअ देकर उम्दा खजूर का एक साअ ले लेते थे। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) तक पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'खजूर के एक साअ के बदले दो साअ नहीं लिये जा सकते और न गन्दुम के एक साअ के बदले दो साअ लिये जा सकते हैं। और न एक दिरहम का सौदा दो दिरहम से हो सकता है।'

(4559) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2080, मुस्लिम, हदीस: 1595, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6147.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَاعَىْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ " .

(4560) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रद्दी खजूरों के दो साअ देकर एक साअ उम्दा खजूर ले लिया करते थे। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो साअ खजूर का सौदा एक साअ के बदले नहीं हो सकता। न दो साअ गन्दुम का सौदा एक साअ से हो सकता है और न दो दिरहम को एक दिरहम के बदले फ़रोख़्त किया जा सकता है।'

(4560) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6148.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ

(4561) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत बिलाल (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बरनी खजूरें लेकर आये। आपने फ़रमाया: 'ये

عَبْدِ الْغَافِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ أَتَى بِلاَلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالَ اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْهْ عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَقْرَبْهُ " .

कैसे?' वह कहने लगे: मैंने आम खजूरों के दो स़ाअ देकर ये एक स़ाअ ली हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ओ हो! ओ हो! ये तो ऐन सूद है। इसके क़रीब मत जाना।'

(4561) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2312, मुस्लिम, हदीस़: 96/1594, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6149.

फ़वाइद व मसाइल : (1) खजूर को खजूर के बदले में, कमी बेशी के साथ बेचना हराम है, और इस हदीस़ से मालूम हुआ कि हाकिमे वक़्त को अपनी रिआया और मुताल्लिक़ा लोगों के हालात से बाख़बर रहना चाहिए, उसे उनके मफ़ादात का ख़्याल रखना चाहिए और उनकी तरफ़ ख़ास़ तवज्जोह देनी चाहिए। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि इमाम और ज़िम्मेदार शख़्स़ जब कोई ऐसी बात सुने जो शरअन नाजायज़ हो या ऐसी चीज़ और मामला देखे जो शरअन हराम हो तो उसे हराम काम करने वालों को न स़िर्फ़ रोकना चाहिए बल्कि हक़ की तरफ़ उनकी रहनुमाई भी करनी चाहिए। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले की स़रीह दलील है कि ख़बरे वाहिद शरई हुज्जत है। **(4)** 'ऐन सूद' यानी ख़ालिस़ सूद क्योंकि दोनों तरफ़ एक ही जिन्स हो तो सौदे में कमी बेशी सूद है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ".

(4562) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोने का सौदा चाँदी के साथ सूद है मगर ये कि नक़द हो। खजूरों का सौदा खजूरों के साथ सूद है मगर नक़द सूद नहीं। गन्दुम का सौदा गन्दुम के साथ सूद है मगर ये कि नक़द हो। और जौ का सौदा जौ के साथ सूद है मगर ये कि सौदा नक़द हो।'

(4562) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2134, मुस्लिम, हदीस़: 1586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6150.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ में वह सूद बयान किया गया है जिसका ताल्लुक़ ख़रीद व फ़रोख़्त से होता है। सूद की दूसरी क़िस्म वह है जिसका ताल्लुक़ लेन देन, यानी थोड़ी चीज़ क़र्ज़ देकर ज़्यादा चीज़ लेने की शर्त लगाना। उसे क़र्ज़ का सूद कहते हैं। ख़रीद व फ़रोख़्त में सूद ये है कि दोनों

तरफ़ एक ही जिन्स हो मगर उनमें कमी बेशी की जाये या उधार हो, सौदा नक़द न हो, जैसे ऊपर दी गई रिवायत में मिसालें देकर वाज़ेह कर दिया गया है, या फिर जिन्स तो मुख़्तलिफ़ हो मगर सौदा उधार हो, जैसे कि पहली मिसाल में सराहत है कि सोना चाँदी के ऐवज़ भी सूद है जबकि सौदा नक़द न हो क्योंकि चीज़ों और जिन्सों के भाव बदलते रहते हैं, लिहाज़ा जब दोनों तरफ़ एक ही जिन्स हो या मुख़्तलिफ़ जिन्सें हों, उधार क़तअन नहीं होना चाहिए, अलबत्ता अगर अज्नास मुख़्तलिफ़ हों तो कमी बेशी जायज़ है। अगर सौदा रूपये पैसे के साथ किसी जिन्स का हो, जैसे: खजूर, गन्दूम, जौ वग़ैरह का तो इसमें उधार भी जायज़ है। **(2)** 'मगर नक़द' अरबी में लफ़्ज़ हैं: इल्ला हाअ वहाआ, यानी दोनों एक दूसरे से कहें, ले भई अपना माल। जब दोनों ये कहें तो लाज़िमन सौदा नक़द होगा, इसलिये लाज़िम मानी किया गया है।

बाब : (42)
खजूरों की खजूरों के साथ बैअ (कैसे होनी चाहिए?)

باب : (٤٢)
بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

(4563) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खजूर का सौदा खजूर के साथ, गन्दूम का गन्दूम के साथ, जौ का जौ के साथ और नमक का नमक के साथ सौदा नक़द (और बराबर) होना चाहिए। जो ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूद का लेन देन किया। मगर ये कि जिन्सें बदल जायें।'

(4563) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1588, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 615.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद ये है कि खजूर का खजूर के ऐवज़ सौदा जायज़ है बशर्ते कि दोनों तरफ़ से नक़द ब नक़द और बराबरी हो। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि हदीस में मज़्कूरा चीज़ की एक दूसरे के ऐवज़ बैअ जायज़ है बशर्ते कि वह चीज़ बराबर मिक़्दार में हों, सौदा नक़द हो और उसी मज्लिस में दोनों फ़रीक़ चीज़ को अपने अपने क़ब्ज़े में ले लें। **(3)** सूद लेने से, सिर्फ़ लेने वाला ही गुनाहगार नहीं होता बल्कि देने वाला भी मुजरिम होता है, लिहाज़ा सूद लेने वाले और देने वाले दोनों को इससे बचना चाहिए। **(4)** हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि जिन्स बदल जाये तो कमी बेशी जायज़ है। इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते

हैं कि जिन्स के मुख़्तलिफ़ होने की सूरत में भी तक़ाबुज़ (दोनों फ़रीक़ों का चीज़ क़ब्ज़े में लेना) ज़रूरी और वाजिब है। इस पर तक़रीबन तमाम अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है। (5) 'जिन्सें बदल जायें' जैसे: खजूर का सौदा गन्दूम के साथ, गन्दूम का जौ के साथ, जौ का नमक के साथ। ऐसी सूरत में कमी बेशी जायज़ है, जैसे: दो किलो गन्दूम देकर निस्फ़ किलो खजूर ले तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता सौदा नक़द होना चाहिए।

باب(۴۳): بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ

बाब : (43) गन्दूम की गन्दूम के साथ बैअ (कैसे होनी चाहिए?)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى .

(4564) हज़रत मुस्लिम बिन यसार और अब्दुल्लाह बिन अतीक से रिवायत है कि एक मन्ज़िल में हज़रत उबादा बिन सामित और हज़रत मुआविया (ﷺ) जमा हुये तो हज़रत उबादा (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें सोने के बदले सोने, चाँदी के बदले चाँदी, गन्दूम के बदले गन्दूम, जौ के बदले जौ, खजूरों के बदले खजूरें .... इन दोनों उस्तादों (मुस्लिम बिन यसार और अब्दुल्लाह बिन अतीक) में से एक ने (ये भी) कहा, जबकि दूसरे ने ये अल्फ़ाज़ नहीं कहे ... और नमक के बदले नमक के सौदे से मना फ़रमाया मगर ये कि वह दोनों बराबर और नक़द हों, अलबत्ता हमें इजाज़त अता फ़रमाई कि हम सोने को चाँदी के बदले, चाँदी को सोने के बदले, गन्दूम को जौ के बदले और जौ को गन्दूम के बदले जैसे चाहें कम व बेश ख़रीद व फ़रोख़्त कर सकते हैं बशर्ते कि सौदा नक़द हो। (जिन्स एक होने की सूरत में) जो शख़्स ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूदी लेन देन किया।

(4564) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6152.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गन्दूम के बदले गन्दूम बेचनी शरअन जायज़ है बशर्ते कि दोनों तरफ़ से गन्दूम बराबर हो, और फ़रीक़ैन उसे उसी मज्लिस में अपने अपने क़ब्ज़े में भी ले लें। **(2)** इस हदीसे मुबारका के मुख़्तलिफ़ तुरुक़ (सनदें) देखने से बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि सहाब-ए किराम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो अहदे वफ़ा बाँधा था उसे न सिर्फ़ निभाया बल्कि वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ पर जो बैअत की थी उसके तक़ाज़े पूरे किये, ख़्वाह इस इफ़ा-ए-अहद से उनके किसी अमीर को तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा हो या नागवारी महसूस होती हो। हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) भी उन्ही जलीलुल क़द्र उजमा में से थे जिन्होंने नबी (ﷺ) से इस बात पर बैअत की थी कि वह अल्लाह तआला के दीन के मामले में किसी मलामत गर की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। सय्यदना उबादा बिन सामित (ﷺ) के इस हदीस बयान करने की असल वजह ये है कि एक ग़ज़्वे में लोगों को बहुत सी ग़नीमतें हासिल हूईं। ग़नीमतों में चाँदी के बर्तन भी थे। उस वक़्त उन लोगों के अमीर हज़रत मुआविया (ﷺ) थे और उन्होंने एक शख़्स को हुक्म दिया कि उन लोगों को, वह चाँदी के बर्तन जो बतौर ग़नीमत मिले थे, वह बर्तन बेच दे और लोगों को बैतुलमाल से जो अतिया मिलते थे जब वह मिलेंगे तो उस वक़्त उन चाँदी के बर्तनों की क़ीमत उनसे वसूल कर ली जायेगी। लोगों ने धड़ा धड़ ये सौदा करना शुरू कर दिया। सय्यदना उबादा बिन सामित तक ये बात पहुँची तो वह उठ खड़े हुये और लोगों को रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज़्कूरा हदीस सुना दी कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने सोने और चाँदी की बैअ उधार पर करने से मना फ़रमाया है। उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त नक़्द की सूरत में हो सकती है वरना नहीं। ये सुन कर लोगों ने चाँदी के जो बर्तन उनसे ख़रीद लिये थे वापस कर दिये और सौदा ख़त्म कर दिया। सय्यदना मुआविया (ﷺ) को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने लोगों को ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया लोगों को क्या हो गया है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसी अहादीस बयान करते हैं जो हमने आपसे नहीं सुनी होती हालांकि हम भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की सोहबत में रहे हैं। सय्यदना उबादा बिन सामित (ﷺ) ये बात सुन कर फिर खड़े हो गये और वही हदीसे मुबारका दोबारा सुना दी जो उन्होंने पहले सुनाई थी और उसके साथ साथ ये भी फ़रमा दिया कि हम ने जो कुछ रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है वह ज़रूर बयान करेंगे, ख़्वाह वह मुआविया (ﷺ) को कितना ही नागवार गुज़रे फरमाया कि उससे मुआविया (ﷺ) अपनी जिल्लत महसूस करें और साथ ही हज़रत उबादा ने ये भी फर्माया कि ये मस्अला बयान करने की वजह से अगर मैं हजरत मुआविया के लश्कर में एक रात भी न रह सकूँ तो मुझे उसकी क़तअन कोई परवाह नहीं। मैंने जो कुछ रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुन रखा है, वह ज़रूर बयान करूँगा, ख़्वाह आज का कोई हुक्मरान उसे पसन्द करे या न करे। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1587) इस तफ़्सील से ये भी वाज़ेह होता है कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) ला यख़ाफ़ून लौमता लाइमिन की जीती जागती तस्वीर थे। क़ाज़ी अयाज़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अल्लाह

तआला ने उलमा-ए-हक़ पर जो भारी ज़िम्मेदारी आइद की है उसका तक़ाज़ा है कि वह लोगों के सामने हक़ खुल कर बयान करें, हक़ को क़तअन न छुपायें, और अदल व इन्साफ़ के तक़ाज़े पूरे करने वाले बन जायें और दुनिया में शुहदा-ए-अल्लाह बन कर रहें। **(3)** इस हदीस़ से मालूम हुआ कि सुनन की तब्लीग़ का ख़ुसूसी एहतिमाम किया जाये, इल्मे रसूल फ़ैलाया जाये, चाहे कोई बड़े से बड़ा शख़्स उसको नापसन्द ही करता हो। हक़ बात बर्मला और सबके सामने कहनी चाहिए। **(4)** हदीसे मुबारका से मज़्कूरा चीज़ों की बाहमी ख़रीद व फ़रोख़्त का जवाज़ भी निकलता है। हम जिन्स चीज़ों में बराबरी और तक़ाबुज़ की शर्त है। लेकिन अगर जिन्स मुख़्तलिफ़ हो जाये तो उनमें कमी बेशी तो जायज़ है लेकिन सौदे का हाथों हाथ होना शर्त है। **(5)** इस हदीसे मुबारका से उन लोगों का रद्द होता है जो गन्दूम और जौ, को एक ही जिन्स शुमार करते हैं। ये दोनों एक जिन्स नहीं बल्कि दो मुख़्तलिफ़ जिन्सें हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) के मज़्कूरा अल्फ़ाज़ इसकी स़रीह दलील हैं, आपने फ़रमायाः 'गन्दूम के ऐवज़ जौ और जौ के ऐवज़ गन्दूम बेच सकते हो जिस तरह चाहो बशर्ते कि सौदा नक़द ब नक़द हो, यानी उधार किसी तरफ़ से न हो।' **(6)** मज़्कूरा छः चीज़ों में कमी बेशी तो वाक़ेई सूद है, अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि इन छः के अलावा दूसरी कौन सी चीज़ में कमी बेशी सूद में शुमार होगी। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) ने तमाम मकीलात व मौज़ूनात (जिन चीज़ों को मापा तौला जा सके) को इस हुक्म में दाख़िल किया है। इमाम मालिक (رحمه الله) के नज़दीक उनके अलावा तमाम मकीलात (जो चीज़ें खाने और ख़ूराक के काम आती हैं) इस हुक्म के तहत दाख़िल हैं बशर्ते कि उनको ज़ख़ीरा किया जा सके। इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) ने दोनों क़ूयूद को मल्हूज़ रखा है, यानी वह मकील व मौज़ून भी हों और ख़ूराक भी हों। अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ है कि सूद सिर्फ़ उन मज़्कूरा छः चीज़ों में मुन्हसिर है। उनके अलावा किसी भी चीज़ में कमी बेशी सूद शुमार नहीं होगी, मगर ये बात अक़्ली तौर पर क़ाबिले क़बूल नहीं क्योंकि शरीयत के अहकाम किसी न किसी मक़सद की ख़ातिर लागू होते हैं। मज़्कूरा चीज़ों की बैअ कमी बेशी के साथ रोकने में एक मक़सद सादगी और क़नाअत पसन्दी भी है। ज़ाहिर है अच्छी गन्दूम नाक़िस गन्दूम के मुक़ाबले में मिलने से तो रही। कोई शख़्स भी रद्दी खजूरों के मुक़ाबले में आला क़िस्म की खजूरें नहीं देगा। मज़्कूरा क़िस्म की बैअ से रोकने का ये फ़ायदा होगा कि लोग अपने पास मौजूद गन्दूम, जौ, खजूरों पर ही क़नाअत करेंगे और ज़ाइक़े की तलाश में सरगरदां नहीं होंगे। इससे महंगाई ख़त्म होगी। उमूमन लोगों के पास जिन्स ही होती है। पैसे कम ही होते हैं, लिहाज़ा वह आला से आला के हुसूल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सादगी और क़नाअत का दौर दोरा होगा। मुआशरा अफ़रा तफ़री से महफ़ूज़ रहेगा। इस मक़सद को पेशे नज़र रखा जाये तो इमाम मालिक (رحمه الله) की बात ज़्यादा क़रीने क़यास है कि ये हुक्म उन तमाम चीज़ों के बारे में है जो बतौर ख़ूराक इस्तेमाल होती हों और उनको ज़ख़ीरा भी किया जा सके। जबकि अहले ज़ाहिर का मस्लक इस हदीस़ से भी रद्द होता है जिसमें

बेल पर लगे अंगूरों की बैअ़ मुअय्यन मुनक़्क़ा से करना ममनूअ क़रार दिया गया है। ऐसी बैअ़ में भी कमी बेशी का ख़तरा हो सकता है, हालांकि मुनक़्क़ा या अंगूर इस हदीस़ में मज़्कूर छः चीज़ों में दाख़िल नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के मस्लक की रू से लोहा, पीतल वग़ैरह भी इस हुक्म में आ जायेंगे, हालांकि ये चीज़ें बज़ाते ख़ुद फ़रोख़्त होने की बजाये उ़मूमन उनकी मस़नूआत ही फ़रोख़्त होती हैं और मस़नूआत में ये हुक्म जारी करना तक़रीबन नामुमकिन है क्योंकि वहाँ सौदा सिर्फ़ माद्दे का नहीं बल्कि कारीगरी और महारत का भी होता है। वल्लाहु आलम! **(7)** 'एक मन्ज़िल में' इन अल्फ़ाज़ से ज़ाहिरन घर भी मुराद हो सकता है और सफ़र की मन्ज़िल भी, ये दूसरा मानी ही ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है जैसा कि स़हीह मुस्लिम की ऊपर दी गई तफ़्सीली हदीस़: 1587 से मालूम होता है कि ये वाक़िया दुश्मनों के साथ एक लड़ाई के मौक़े पर पेश आया और वह यक़ीनन सफ़र में थे।

أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، - وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ - قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ

(4565) हज़रत मुस्लिम बिन यसार और हज़रत उबादा बिन स़ामित और हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) एक जगह इकट्ठे थे तो हज़रत उबादा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सोना सोने के बदले, चाँदी चाँदी के बदले, खजूरें खजूरों के बदले, गन्दुम गन्दुम के बदले, जौ जौ के बदले बेचने से मना फ़रमाया। एक उस्ताद ने, नमक नमक के बदले, के अल्फ़ाज़ बयान किये, जबकि दूसरे ने ये अल्फ़ाज़ नहीं बयान किये मगर ये कि वह (दोनों तरफ़ से मिक़्दार में) बराबर हों (और नक़द सौदा हो) जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया, उसने सूदी लेन देन किया। ये अल्फ़ाज़ (ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया) भी एक ही उस्ताद ने बयान किये थे, दूसरे ने नहीं किये, अलबत्ता आपने हमें इजाज़त दी कि हम सोने को चाँदी के बदले या चाँदी को सोने के बदले और गन्दुम को जौ के बदले और जौ को गन्दुम के बदले जैसे चाहें कम व बेश बेच ख़रीद सकते हैं बशर्ते कि सौदा नक़द हो।

(4565) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6153, इब्ने माजा, हदीस: 2254.

وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا .

फ़ायदा : सोने और चाँदी को अल्लाह तआला ने तिजारत के लिये पैदा फ़रमाया है। और ये क़ीमत बनते हैं। जब सोने के मुक़ाबले में सोना या चाँदी के मुक़ाबले में चाँदी हो तो उनमें कमी बेशी मना है, लिहाज़ा जो चीज़ें क़ीमत बनती हों, उनमें भी कमी बेशी मना होगी, जैसे: करेन्सी नोट, बॉण्ड और सर्टिफ़िकेट वग़ैरह सौ रूपये का बॉण्ड या सर्टिफ़िकेट सौ रूपये से ज़्यादा में ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता वरना सूद बन जायेगा। अगर लोहे या ताँबे के सिक्के बनाये जायें या लोहे ताँबे को बतौर क़ीमत इस्तेमाल किया जाये तो उनकी बैअ या तबादले में भी कमी बेशी मना होगी, जैसे: सौ रूपये का करेन्सी नोट तबादले में सौ रूपयों के सिक्कों के बराबर तसव्वुर किया जायेगा। कमी बेशी मना होगी। आज कल मुरव्वजा शेयर्स (हिसस) भी अपनी असल मालियत से कम व बेश फ़रोख़्त नहीं किये जा सकते।

बाब : (44) जौ की जौ से बैअ (कम व बेश नहीं होनी चाहिए)

باب(۴۴): بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

(4566) हज़रत उबादा बिन सामित और हज़रत मुआविया (ﷺ) एक मन्ज़िल में इकट्ठे हुये तो हज़रत उबादा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना फ़रमाया कि हम सोना सोने के बदले, चाँदी चाँदी के बदले, गन्दूम गन्दूम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूरें खजूरों के बदले .... दोनों में से एक उस्ताद ने ये अल्फ़ाज़ (जिनमें नमक का ज़िक्र है) बयान किये थे जबकि दूसरे ने बयान नहीं किये .... और नमक नमक के बदले बेचें मगर जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर हों (और बैअ नक़द हो) जो शख़्स ज़्यादा देगा या लेगा, उसने सूदी कारोबार किया .... ये अल्फ़ाज़ (जो शख़्स ज़्यादा देगा या लेगा उसने सूदी कारोबार किया) भी दोनों में से एक उस्ताद ने बयान किये थे, दूसरे ने बयान नहीं किये, अलबत्ता आपने हमें

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ . خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ .

इजाज़त दी कि हम सोने को चाँदी के बदले, चाँदी को सोने के बदले, गन्दूम को जौ के बदले और जौ को गन्दूम के बदले जैसे चाहें बेचें बशर्ते कि सौदा नक़द हो। ये हदीस़ हज़रत मुआ़विया (ﷺ) को पहुँची तो वह कहने लगे: अजीब बात है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसी अहादीस़ बयान करते हैं जो हमने तो नहीं सुनीं अगरचे हम भी आपके साथ रहे हैं। ये बात हज़रत उबादा बिन स़ामित(ﷺ) को पहुँची तो खड़े होकर दोबारा हदीस़ पढ़ी और फ़रमाने लगे: हमने जो बात रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से सुनी है, ज़रूर बयान करेंगे अगरचे मुआ़विया (ﷺ) उसे नापसन्द ही करे।

(इमाम नसाई (ﷺ) फ़रमाते हैं कि) क़तादा ने इस (मुहम्मद बिन सीरीन) की मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने ये रिवायत मुस्लिम बिन यसार से बवास्त-ए-अबू अल अशअ़स़ उबादा से बयान की है।

(4566) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6154.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत में सलमा बिन अ़ल्क़मा के दो उस्ताद हैं: एक मुहम्मद बिन सीरीन और दूसरे क़तादा। मुहम्मद बिन सीरीन ने जब ये रिवायत बयान की तो फ़रमाया: (अ़न मुस्लिम बिन यसार अ़न उबादा बिन स़ामित) और जब क़तादा ने ये रिवायत बयान की तो फ़रमाया: (अ़न मुस्लिम बिन यसार अ़न अबी अल अशअ़स़ अस्सनआ़नी अ़न उबादा बिन अस्स़ामित) मतलब ये है कि क़तादा ने मुस्लिम बिन यसार और हज़रत उबादा (ﷺ) के दरम्यान अबू अल अशअ़स़ स़नआ़नी का वास्ता भी बयान किया है जैसा कि अगली रिवायत: 4567 की सनद से व़ाज़ेह होता है। **(2)** हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) बैअते उ़क़्बा के नक़ीबों में से हैं। अन्स़ार के अव्वलीन मुसलमानों में शामिल हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़ेरे साया उनका दौरे तालीम व तर्बीयत हज़रत मुआ़विया (ﷺ) से बहुत ज़्यादा है। हज़रत मुआ़विया (ﷺ) तो सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल 7

हिजरी में मुसलमान हुये। उन्हें उनकी निस्बत आपसे फ़ैज़ हासिल करने का मौक़ा कम मिला है, लिहाज़ा कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने ये फ़रमान रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से न सुना हो। ये फ़रमान हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत उमर और दीगर सहाबा (ﷺ) से भी मरवी है। और बिला शक व शुब्हा सही है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، - وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ - أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لاَ أَدْرِي مَا هِيَ أَلاَ إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلاَ إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلاَ وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى .

(4567) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है, वह बदरी सहाबी थे और उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बैअत की थी कि हम अल्लाह तआला (की शरीयत) के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत का ख़ौफ़ नहीं रखेंगे। तो हज़रत उबादा (ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुये और फ़रमाया: ऐ लोगो! तुमने कुछ ऐसी ख़रीद व फ़रोख़्त की सूरतें शुरू कर ली हैं कि मैं नहीं जानता वह क्या हैं? ख़बरदार! सोना सोने के बदले तौल कर बराबर दिया जाये डली हो या सिक्का, चाँदी चाँदी के बदले तौल कर बराबर दी जाये डली हो या सिक्का, अलबत्ता चाँदी सोने के बदले हो तो कोई हर्ज नहीं कि चाँदी ज़्यादा हो जबकि सौदा नक़द हो। उधार दुरुस्त नहीं। ख़बरदार! गन्दुम गन्दुम के बदले और जौ जौ के बदले माप कर बराबर दिये जायें, अलबत्ता जौ को गन्दुम के बदले नक़द फ़रोख़्त किया जाये तो कोई हर्ज नहीं कि जौ ज़्यादा हों लेकिन उधार दुरुस्त नहीं। ख़बरदार! खजूर खजूर के ऐवज़ माप कर बराबर दी जाये यहाँ तक कि आपने नमक का भी ज़िक्र फ़रमाया कि वह भी माप कर बराबर दिया जाये। जो शख़्स ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूदी लेन देन किया।

(4567) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1587, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6155.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ " وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ " .

(4568) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना सोने के बदले तौल कर ऐन बराबर दिया जाये, डली हो या सिक्का। इसी तरह नमक नमक के बराबर, खजूर खजूर के बराबर, गन्दूम गन्दूम के बराबर और जौ जौ के बराबर ख़रीदे बेचे जायें। जो शख़्स ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूदी कारोबार किया। मज़्कूरा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन मुसन्ना के हैं, याक़ूब ने 'जौ जौ के बराबर' वाले अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये।

(4568) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6156.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये रिवायत दो उस्तादों से बयान की: एक मुहम्मद बिन मुसन्ना और दूसरे याक़ूब बिन इब्राहीम। दोनों उस्ताद, सारी रिवायत एक जैसी बयान करते हैं लेकिन ये जुम्ला वश्शअीरु बिश शअीरि सिर्फ़ उस्ताद मुहम्मद बिन मुसन्ना बयान करते हैं, दूसरे उस्ताद ने ये जुम्ला बयान नहीं किया। **(2)** मज़्कूरा रिवायत बयान करने वाले एक उस्ताद का नाम सुनन नसाई में याक़ूब बिन इब्राहीम बयान किया गया है। सुनन नसाई (अल मुज्तबा) के तमाम नुस्ख़ों में यही नाम मज़्कूर है लेकिन ये ग़लत है। दुरुस्त नाम 'इब्राहीम बिन याक़ूब अल्जूज़जानी' है लेकिन ये बात याद रहे कि इमाम नसाई (رحمه الله) के एक उस्ताद याक़ूब बिन इब्राहीम अद्दौरक़ी भी हैं लेकिन मज़्कूरा रिवायत उनकी बयानकर्दा नहीं बल्कि ये इब्राहीम बिन याक़ूब अल्जूज़जानी की बयानकर्दा है। ये तमाम तर वज़ाहत हाफ़िज़ मिज़्ज़ी (رحمه الله) ने तोहफ़तुल अशराफ़ में बयान की है। देखिये: (तोहफ़तुल अशराफ़: 4/450) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 34/362)

(4569) हज़रत सुलैमान बिन अली से रिवायत है कि हज़रत अबुल मुतवक्किल हमारे पास से बाज़ार में गुज़रे। बहुत से लोग उनकी तरफ़ उठे। उनमें मैं भी शामिल था। हम ने कहा कि हम आपसे सोने चाँदी के तबादले के बारे में पूछने आये हैं। वह फ़रमाने लगे: मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से सुना। इतने में एक आदमी ने कहा: क्या आपके और रसूलुल्लाह (ﷺ) के दरम्यान हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) के अलावा और कोई वास्ता नहीं? तो अबुल मुतवक्किल ने कहा: नहीं, मेरे और आपके दरम्यान उनके अलावा और कोई नहीं। उन्होंने फ़रमाया: सोना सोने के बदले, चाँदी चाँदी के बदले, गन्दुम गन्दुम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले ऐन बराबर सौदा किया जाये। जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया, उसने सूदी कारोबार किया। लेने देने वाला बराबर के गुनाहगार हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ، مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ . قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ . قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ - قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ - وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ .

(4569) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1584, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6158.

(4570) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सोना सोने के बदले बिल्कुल बराबर वज़न के साथ बेचा जाये।'

(रावि-ए-हदीस) याक़ूब ने अल्किफ़ा बिल्किफ़ा के अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये (बल्कि उसके बदले कोई और अल्फ़ाज़ कहे जैसा कि तफ़्सीली रिवायात से मालूम होता है) हज़रत मुआविया (ﷺ) कहने लगे: ये

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم يَقُولُ " الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ " الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ " . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ شَيْئًا . قَالَ عُبَادَةُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ .

कोई मोतबर बात नहीं कह रहे। हज़रत उबादा (ﷺ) फ़रमाने लगे: अल्लाह की क़सम! मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं इस इलाक़े में न रहूँ जिसमें मुआविया रहते हों। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने (ख़ुद) रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है।

(4570) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/319, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6159.

फ़ायदा : 'मोतबर बात नहीं कह रहे' हज़रत मुआविया (ﷺ) ने ये बात अपने इल्म के मुताबिक़ कही लेकिन चूंकि अन्दाज़ मुनासिब नहीं था, इसलिये हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) ने इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया। और ये उनका हक़ भी बनता है। (ﷺ).

باب(٤٥): بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ

बाब : (45) दीनार को दीनार के बदले फ़रोख़्त करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .

(4571) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीनार का सोदा दीनार से करना हो और दिरहम का दिरहम से तो कमी बेशी जायज़ नहीं।'

(4571) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 85/1588, मौता: 2/632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6160.

फ़ायदा : पुराने ज़माने में दीनार सोने से बनाया जाता था और दिरहम चाँदी से। जो हुक्म सोने का वही दीनार का और जो हुक्म चाँदी का, वही दिरहम का।

باب(٤٦): بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ

बाब : (46) दिरहम का सौदा दिरहम से करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ

(4572) हज़रत इमर (ﷺ) ने फ़रमाया: दीनार का सौदा दीनार से हो या दिरहम का दिरहम से तो कमी बेशी जायज़ नहीं हो सकती। हमारे प्यारे नबी-ए-अकरम (ﷺ) की तरफ़ से हमें ये ताकीद है।

وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا .

(4572) तख़रीज : (सनद सही) शाफ़ेई फ़िर्रिसाला, सफ़ा: 277, फ़िक़रा: 760, मौता: 2/633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6161.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى " .

(4573) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना सोने के बदले में तौल कर बराबर दिया जाये और चाँदी चाँदी के बदले तौल कर बराबर दी जाये। जो शख़्स ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूद का लेन देन किया।'

(4573) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 84/1588, देखें, हदीस: 4571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6161.

باب : (٤٧)
بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

बाब : (47)
सोने की बैअ़ सोने के साथ करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ " .

(4574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना सोने के बदले न बेचो मगर बराबर। किसी एक को दूसरे से ज़्यादा न करो। और चाँदी चाँदी के बदले न बेचो मगर बराबर और उनमें से किसी ग़ाइब का नक़द से सौदा न करो।'

(4574) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2177, मुस्लिम, हदीस: 75/1584, मौता: 2/632, 633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6162.

फ़ायदा : 'सौदा न करो' यानी उधार सोदा जायज़ नहीं क्योंकि सोने चाँदी का भाव और बाहमी तनासुब बदलता रहता है। ऐसी सूरत में झगड़े का इम्कान है। शरीयत तनाज़अ (विवाद) को पसन्द नहीं करती।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ النَّهْىَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلاَ تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ " .

(4575) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया: मेरी आँखों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा और मेरे कानों ने आपके मुँह मुबारक से सुना: 'आपने सोने की सोने के बदले और चाँदी की चाँदी के बदले ख़रीद व फ़रोख़्त से मना फ़रमाया मगर जब (दोनों तरफ़ से) बराबर हों। और फ़रमाया कि तुम उनमें से मौजूद का ग़ैर मौजूद से सौदा न करो और किसी एक को दूसरे से ज़्यादा न करो।'

(4575) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6163.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ .

(4576) हज़रत अता बिन यसार से मन्क़ूल है कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने सोने या चाँदी का एक बर्तन उसके वज़न से ज़्यादा सोने या चाँदी के ऐवज़ ख़रीदा। हज़रत अबू अद्दर्दा (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस जैसे सौदे से मना फ़रमाते सुना मगर ये कि दोनों का वज़न बराबर हो।

(4576) तख़रीज : (सनद सही) शाफ़ेई फ़िर्रिसाला, सफ़ा: 446, फ़िक़रा: 1228, मौता: 2/634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6164.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सोने की ख़रीद व फ़रोख़्त सोने या चाँदी की चाँदी के ऐवज़ दुरुस्त है बशर्ते कि दोनों तरफ़ से बराबरी हो और सौदा नक़द ब नक़द हो। अगर ऐसा नहीं तो वह बैअ फ़ासिद और हराम है। **(2)** 'बर्तन' अरबी में लफ़्ज़ सिक़ाया इस्तेमाल किया गया है, यानी पानी वग़ैरह पीने का बर्तन। वैसे शरीयते इस्लामिया में सोने या चाँदी के बर्तन में खाने पीने से रोका गया है। मुमकिन है उन्होंने ज़ीनत और आराइश के लिये ख़रीदा हो, या कोई और मक़सद भी हो सकता है, अल मुख़्तसर वह पीने के लिये नहीं ख़रीद सकते। **(3)** 'वज़न से ज़्यादा' क्योंकि बर्तन में सोने के अलावा उसके बनाने की उजरत भी तो शामिल है लेकिन शरीयत में सोने के बदले सोने की बैअ में कमी बेशी मना है, लिहाज़ा इस मसले का

हल ये है कि अगर सोने का बर्तन सोने के साथ ही ख़रीदना है तो बर्तन के बराबर सोना दिया जाये और उजरत अलग चाँदी वग़ैरह की सूरत में दी जाये, या ऐसे बर्तन का सौदा चाँदी के साथ किया जाये और चाँदी के बर्तन का सोने से ताकि उजरत भी वसूल हो जाये और शरई ज़ाब्ता भी बरक़रार रहे। सोने और चाँदी की बाहम बैअ में कमी बेशी की कोई हद मुक़र्रर नहीं, इसलिये उजरत को भी क़ीमत में आसानी से शामिल किया जा सकता है। आज कल करेन्सी नोटों ने ऐसे मसाइल हल कर दिये हैं।

बाब : (48) ऐसे हार को सोने के ऐवज़ ख़रीदना जिसमें सोने के अलावा मोती और मुंगे भी हों

باب(٤٨): بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

(4577) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने ख़ैबर के दिन एक हार बारह दीनार का ख़रीदा जिसमें सोने के अलावा मोती और मुंगे भी थे। जब मैंने सोने और मोती मुंगों को अलग अलग किया तो उससे बारह दीनार से ज़्यादा सोना निकल आया। ये बात रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र की गई तो आपने फ़रमाया: 'इस क़िस्म की चीज़ को न बेचा जाये यहाँ तक कि सोने वग़ैरह को अलग अलग कर लिया जाये।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ " .

(4577) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 90/1591, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6165.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअल्लिफ़ (ﷺ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद सोने के ऐसे हार की सोने के ऐवज़ ख़रीद व फ़रोख़्त का मसला बयान करना है जिसमें सोने के अलावा मोती, नगीने और मुंगे वग़ैरह भी हों। इसका हुक्म ये है कि सोने के ऐसे हार की सोने के ऐवज़ ख़रीद व फ़रोख़्त उस वक़्त तक हराम है जब तक उसे अलग अलग कर के सोने का वज़न मालूम न कर लिया जाये। जब सोने का वज़न मालूम हो जाये तो फिर उस सोने के बराबर सोना दिया जाये और मोती नगीने और मुँगें वग़ैरह अलग करके उनकी क़ीमत दी जाये, या जो भी मामला तै हो, उसके मुताबिक़ किया जाये। **(2)** अगर हार वग़ैरह इस क़िस्म का हो कि उसे ख़राब किये बग़ैर सोने को मोतियों से अलग किया जा सकता हो तो अलग करने के बाद हर चीज़ का अलग अलग सौदा किया जाये ताकि सूद के शुब्हा से

जहाँ तक हो सके बचाव हो सके। और अगर अलग अलग करने से हार ख़राब होता हो तो फिर सोने के हार को चाँदी, यानी दिरहम के ऐवज़ ख़रीदा जाये और चाँदी के हार को सोने, यानी दीनार के ऐवज़ ख़रीदा जाये जैसा कि हदीस़ नम्बर 4576 में गुज़र चुका है। आज कल क़ीमत करेन्सी नोटों की सूरत में दी जाती है, लिहाज़ा कोई मसला पैदा ही नहीं होना चाहिए, और न अलग करने की ज़रूरत है। कुछ हज़रात ने ऐसे हार को अलग अलग किये बग़ैर किसी भी सूरत में बेचने की नफ़ी की है और ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को पेश किया है मगर ये तकलीफ़ माला युताक़ है। इस तरह तो ज़ेवरात का बेचना एक ला यन्हल मसला होगा। अल्फ़ाज़ के साथ साथ शरीयत के मक़ासिद को भी निगाह में रखना चाहिए वरना कभी कभी मज़्हका ख़ेज़ नताइज हासिल हो जाते हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا " .

(4578) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) से मरवी है कि जंगे ख़ैबर के दिन मुझे एक ऐसा हार मिला जिसमें सोने के अलावा मोती और मुंगे भी थे। मैंने उसे बेचने का इरादा किया। ये बात नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ज़िक्र की गई तो आपने फ़रमाया: 'इसके अज्ज़ा अलग अलग करके बेच।'

(4578) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6166.

باب(٤٩): بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

बाब : (49) चाँदी को सोने के ऐवज़ उधार फ़रोख़्त करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ، هَذَا لاَ يَصْلُحُ . فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ

(4579) हज़रत अबू मिन्हाल से रिवायत है कि मेरे एक शरीक ने चाँदी का सौदा उधार कर लिया, फिर वह मेरे पास आया और मुझे बताया। मैंने ये सौदा बाज़ार में किया है और किसी ने भी इस पर ऐतराज़ नहीं किया। मैं हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) के पास आया और उनसे पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) हमारे यहाँ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो हम इस क़िस्म

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا " . ثُمَّ قَالَ لِي ائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

की बैअ किया करते थे। आपने फ़रमाया: 'जो (ख़रीद व फ़रोख़्त) नक़द हो, उसमें कोई हर्ज नहीं और जो उधार हो, वह सूद है।' फिर उन्होंने मुझे कहा: हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से जाकर पूछो। मैं उनके पास गया और पूछा तो उन्होंने भी इसी तरह फ़रमाया।

(4579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1589, बुख़ारी, हदीस: 2061, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6167.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ " .

(4580) हज़रत अबू मिन्हाल से रिवायत है कि मैंने हज़रत बराअ बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से ये मसला पूछा तो उन्होंने कहा: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में तिजारत किया करते थे। हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सोने चाँदी के तबादले के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'अगर ये तबादला नक़द हो तो कोई हर्ज नहीं और अगर उधार हो तो फिर ये जायज़ नहीं।'

(4580) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 6168, बुख़ारी, हदीस: 2060, 2061.

फ़ायदा : सोने चाँदी के तबादले से मुराद सोना देकर चाँदी लेना और चाँदी देकर सोना लेना है। दूसरे लफ़्ज़ों में दीनार के बदले दिरहम लेना या दिरहम के बदले दीनार लेना है। असल बात ये है कि सोने चाँदी के बाहमी तनासुब में कमी बेशी होती रहती है और भाव बदलते रहते हैं, इसलिये नक़द तबादला तो जायज़ है मगर उधार जायज़ नहीं क्योंकि मुमकिन है अदायगी तक भाव में फ़र्क़ पड़ जाये, फिर तनाज़अ का इम्कान पैदा हो जायेगा।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ

(4581) हज़रत अबू मिन्हाल ने फ़रमाया: मैंने हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से सोने और चाँदी के तबादले के बारे में पूछा तो वह फ़रमाने लगे: हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से पूछो। वह

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ . فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالاَ جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا .

मुझसे बेहतर और ज़्यादा इल्म वाले हैं। मैंने हज़रत ज़ैद (ﷺ) से पूछा। वह फ़रमाने लगे: हज़रत बराअ से पूछो। वह मुझसे बेहतर और ज़्यादा इल्म वाले हैं। फिर इन दोनों ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने चाँदी के उधार तबादले से मना फ़रमाया है।

(4581) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6169, मुस्लिम, हदीस: 87/1589, बुख़ारी, हदीस: 2180, 2181.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि एक साहिबे इल्म को फ़तवा देते वक़्त अपने से बड़े या दीगर अस्हाबुल इल्म से ज़रूर मश्वरा करना चाहिए, और उनसे मदद ले और तआवुन हासिल करे ताकि बाद में किसी क़िस्म की परेशानी लाहिक़ न हो जैसा कि हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) ने मसला बतलाने के बाद साइल को हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से यही मसला पूछने की तल्क़ीन फ़रमाई। अहले इल्म की यही शान हुआ करती है। **(2)** 'वह मुझसे बेहतर हैं' ये सहाब-ए-किराम (ﷺ) की कस्रे नफ़्सी और तवाज़ोअ है कि दूसरे को अपने से बेहतर और बड़ा आलिम ख़्याल करते थे। काश! आज उलमा व फ़ुज़ला और अहले इलम में ये अज़ीम जज़्बा पैदा हो जाये और ख़ुद नुमाई व ख़ुद पसन्दी की बीमारी से 'सेहतयाब हो जायें' आमीन! अहले इल्म को यही रवैया अपनाना चाहिए, इसमें बरकत और एहतिराम है।

باب(٥٠): بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

बाब : (50) चाँदी की सोने के ऐवज़ और सोने की चाँदी के साथ बैअ (सौदा) करना

وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

(4582) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी चाँदी के बदले और सोना सोने के बदले लेने से मना किया है मगर ये कि वह (बाहम) बराबर हों, अलबत्ता हमें इजाज़त दी कि हम चाँदी के बदले सोना या सोने के बदले चाँदी जिस तरह चाहें, कम व बेश ले सकते हैं।

وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

(4582) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2182, मुस्लिम, हदीस: 1590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6171.

फ़ायदा : ऐसी बैअ जिसमें सोना चाँदी के बदले या सोना सोने के बदले ख़रीदा बेचा जाये या उसके बरअक्स, यानी चाँदी सोने के बदले या चाँदी के बदले ख़रीदी बेची जाये, बैअे सरिफ़ कहलाती है। इसमें नक़द अदायगी और बराबरी ज़रूरी है जबकि मुख़्तलिफ़ चीज़ों के बाहमी तबादले में बराबरी की शर्त नहीं, अलबत्ता नक़द अदायगी, इसमें भी ज़रूरी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ " .

(4583) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें चाँदी को चाँदी के ऐवज़ बेचने से मना फ़रमाया मगर जब वह आपस में बराबर और नक़द हो। इसी तरह सोने को सोने के ऐवज़ बेचने से मना फ़रमाया मगर ये कि वह आपस में बराबर और नक़द हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोने को चाँदी के ऐवज़ जैसा चाहो (कम व बेश) ख़रीदो बेचो और चाँदी को सोने के बदले जैसे चाहो (कम व बेश) ख़रीदो बेचो।'

(4583) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6171.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ " .

(4584) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूद सिर्फ़ उधार में है।'

(4584) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 102/1596, बुख़ारी, हदीस: 6172.

फ़ायदा : याद रहे ये तब है जब दोनों तरफ़ जिन्स मुख़्तलिफ़ हो, जैसे: सोना चाँदी के बदले या चाँदी सोने के बदले वरना अगर जिन्स एक हो तो कमी बेशी भी सूद है जैसा कि रिवायात में सराहतन साबित है।

(4585) हज़रत अबू स़ालेह से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से कहा: ये जो आप कह रहे हैं क्या आपने उसे किताबुल्लाह में पाया है या रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? उन्होंने फ़रमाया: न मैंने ये बात अल्लाह(ﷻ) की किताब में पाई है न रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है बल्कि मुझे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने बतलाया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूद स़िर्फ़ उधार में है।'

(4585) **तख़रीज : (सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 101/1596, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 2178, 2179, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6173.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) चाँदी को सोने के ऐ़वज़ या सोने को चाँदी के ऐ़वज़ ख़रीदा बेचा जा सकता है बशर्ते कि फ़रीक़ैन (दोनों) की तरफ़ से नक़द अदायगी हो। **(2)** इस हदीस़े मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि आ़लिमे दीन को दीनी मसले की बाबत दूसरे आ़लिमे दीन से दलील के साथ बात करनी चाहिए और हर शख़्स को ये हक़ हासिल है कि वह आ़लिमे दीन से मालूम करे कि आपने जो मसला बयान फ़रमाया है ये क़ुर्आन मजीद में है या हदीस़े रसूल से स़ाबित है (क्योंकि अहकामे शरीयत का अस़ल मा'ख़ज़ क़ुर्आन व सुन्नत है) मज़ीद बरां मस्ऊल अ़न्हु (जिससे ऐसा सवाल किया जाये) को इस क़िस्म के सवाल, यानी दलील तलब करने को अपनी 'शान में गुस्ताख़ी' नहीं समझना चाहिए बल्कि बिला ताख़ीर जवाब दे देना चाहिए जैसा कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(ﷺ) के पूछने पर सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़ौरन जवाब दिया कि मुझे उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने ये ख़बर दी है। **(3)** ये हदीस़े मुबारका इस बात की तरफ़ रहनुमाई करती है कि आ़लिमे दीन का फ़र्ज़ है कि वह इज्तेमाइयत से हटे हुये शख़्स को इजतेमाइयत की तरफ़ लाये और ये फ़रीज़ा किताब व सुन्नत के दलाइल के ज़रिये से सरअंजाम दिया जाना चाहिए। **(4)** 'ये जो आप कह रहे हैं' दरअस़ल हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) की रिवायत से ये ग़लतफ़हमी हो गई थी कि सोने को सोने के बदले और चाँदी को चाँदी के बदले कम व बेश भी ख़रीदा बेचा जा सकता है बशर्ते कि उधार न हो, हालांकि ये हदीस़ एक मख़सूस़ सूरत के बारे में है, यानी जब तरफ़ैन की जिन्स

मुख़्तलिफ़ हो, जैसे: चाँदी सोने के बदले हो जैसा कि इसकी तरफ़ ऊपर वाली हदीस़ में इशारा हो चुका है। किसी एक रिवायत से ऐसे मानी अख़्ज़ नहीं किये जा सकते जो दीगर स़रीह, मुफ़स्स़ल और कस़ीर रिवायात के ख़िलाफ़ हों। कुछ अहादीस़ मुख़्तस़र होती हैं। उनके मानी समझने के लिये दीगर तफ़्स़ीली रिवायात की तरफ़ रुजूअ करना पड़ता है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ " لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ " .

(4586) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं बक़ीअ में ऊँटों का कारोबार किया करता था। (कभी) सौदा दीनारों से करता तो दिरहम वस़ूल कर लेता था। मैं (अपनी बहन) हफ़्स़ा(ﷺ) के घर में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं बक़ीअ में ऊँटों का सौदा करता हूँ। सौदा दीनारों से करता हूँ और उनकी जगह दिरहम वस़ूल कर लेता हूँ। आपने फ़रमाया: 'उस दिन के भाव के मुताबिक़ हो तो कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि एक दूसरे से जुदा होते वक़्त कोई लेन देन बाक़ी न हो।'

(4586) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 3354, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6180, व स़हीह इब्ने हिब्बान : 1128, व इबने अल जारूद: 655, वल हाकिम: 2/44.

फ़ायदा : दीनार सोने का होता था और दिरहम चाँदी का। जब सोने और चाँदी की बैअ जायज़ है तो दीनार की जगह उसकी क़ीमत के मुताबिक़ दिरहम वस़ूल किये जा सकते हैं और दिरहमों की जगह दीनार वस़ूल किये जा सकते हैं। आज कल मुख़्तलिफ़ ममालिक की करेन्सियों की यही हैस़ियत है। सोदा रूपयों में हो तो उनकी जगह रूपयों की क़ीमत के मुताबिक़ डॉलर या रियाल या पौण्ड वस़ूल किये जा सकते हैं लेकिन उसी वक़्त, बाद में नहीं क्योंकि करेन्सी की क़ीमत में उतार चढ़ाव रहता है। जिस करेन्सी में सौदा तै हुआ है, वह अस़ल होगी बाक़ी करेन्सियाँ अदायगी के वक़्त के लिहाज़ से वस़ूल की जायेंगी।

बाब : (51)
सोने की जगह चाँदी लेना और चाँदी की जगह सोना लेना और हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) की रिवायत के नाक़िलीन के अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب : (٥١)
أَخْذِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

(4587) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं सोने का चाँदी के साथ और चाँदी का सोने के साथ सौदा किया करता था। मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपको ये बात बतलाई तो आपने फ़रमाया: 'जब तू अपने साथी से (इस क़िस्म का) सौदा करे तो उससे ऐसी हालत में जुदा न हो कि तेरे और उसके दरम्यान कोई शुब्हात वाली चीज़ बाक़ी हो।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " .

(4587) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6175.

फ़ायदा : 'शुब्हात वाली चीज़ बाक़ी हो' यानी नक़द अदायगी होनी चाहिए, उधार न हो जैसा कि पीछे तफ़्सील से गुज़रा।

(4588) हज़रत सईद बिन जुबैर के बारे में मरवी है कि वह दराहिम की जगह दीनार और दीनार की जगह दराहिम लेना पसन्द नहीं करते थे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ .

(4588) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6176.

फ़ायदा : उनके नापसन्द करने की कोई माक़ूल वजह नहीं जब कि नबी (ﷺ) से स़राहतन इसका जवाज़ स़ाबित है। हाँ, क़र्ज़ की स़ूरत में उनके क़ौल की माक़ूल वजह हो सकती है जैसा कि आगे आ रहा है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا - يَعْنِي - فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ .

(4589) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि वह दीनार की जगह दिरहम और दिरहम की जगह दीनार लेने में कोई हर्ज नहीं समझते थे।

(4589) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6177, इब्ने इस्माईल, हदीस़: 4586.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ

(4590) हज़रत इब्राहीम नख़ई दराहिम की जगह दीनार लेने में कोई हर्ज नहीं समझते थे मगर जब वह क़र्ज़ के हों।

(4590) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6178.

फ़ायदा : ये इसलिये कि क़र्ज़ की सूरत में इम्कान है कि क़र्ज़ ख़्वाह क़ीमत की सूरत में कुछ मफ़ाद हासिल करेगा और जब क़र्ज़ से कोई मफ़ाद हासिल किया जाये तो वह सूद बन जाता है लेकिन ये सिर्फ़ एक इम्कान है। इसकी वजह से दराहिम की जगह दीनार लेने से मना नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कोई मफ़ाद हासिल न किया जाये जैसा कि आइन्दा हदीस़ में ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى أَبِي شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ .

(4591) हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क़ूल है कि वह (दराहिम की जगह दीनार और दीनार की जगह दराहिम लेने में) कोई हर्ज नहीं समझते थे अगरचे वह क़र्ज़ के ही क्यूँ न हों।

(4591) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6179.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .

(4592) हज़रत सईद बिन जुबैर से इसी क़िस्म का क़ौल मन्क़ूल है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمہ اللہ)) बयान करते हैं कि उस जगह मैंने ऐसा ही पाया है।

(4592) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6179.

फ़ायदा : अत्तालीक़ातुस्सलफ़िया में है कि शायद इमाम नसाई (ﷺ) उस क़ौल का ज़ुअफ़ ज़ाहिर फ़रमा रहे हैं क्योंकि इससे पहले रिवायत नम्बर 4588 में तो गुज़रा है कि वह आम हालात में भी दराहिम की जगह दीनार और दीनार की जगह दराहिम लेना पसन्द नहीं फ़रमाते थे अगरचे वह क़र्ज़ की सूरत में ये जायज़ क़रार दें। वल्लाहु आलम! साहिबे ज़ख़ीरतुल उक्बा फ़रमाते हैं कि ये सनद तीन अहादीस पहले गुज़र चुकी है। इस जगह साबिक़ा और इस रिवायत की बाहमी मुख़ालिफ़त की तरफ़ इशारा है। साबिक़ा रिवायत में था कि सईद बिन जुबैर दराहिम की जगह दीनार और दीनारों की जगह दिरहम लेना नापसन्द करते थे जबकि इस रिवायत में है कि वह इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे अगरचे वह क़र्ज़ ही के क्यूँ न हों। शारेह फ़रमाते हैं कि वह रिवायत जिसमें इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं समझा गया, साबिक़ा रिवायत की निस्बत ज़्यादा राजेह है। इसकी वजह ये है कि ये रिवायत, इमाम सुफ़ियान सौरी (ﷺ) की बयानकर्दा रिवायत के मुवाफ़िक़ है जिसमें अदमे कराहत का बयान है। वल्लाहु आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 35/20)

बाब : (52)
सोने की जगह चाँदी लेना

باب : (٥٢)
أَخْذِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

(4593) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि ज़रा सुनिये! मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं मक़ामे बक़ीअ में दीनारों के साथ ऊँट की क़ीमत तै करता हूँ, फिर मैं दीनारों की बजाये दराहिम ले लेता हूँ। (क्या ये जायज़ है?) आपने फ़रमाया: 'तू उस दिन के भाव के हिसाब से ले ले तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि जुदा होते वक़्त तुम्हारा आपस में कुछ लेन देन बाक़ी न हो।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ . قَالَ " لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ " .

(4593) तख़रीज : **(सनद हसन)** देखें, हदीस: 4586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6181.

फ़ायदा : मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4586 का फ़ायदा।

बाब : (53) तोलते वक़्त ज़्यादा देना (चाहिए)

باب(٥٣): الزِّيَادَةِ فِي الْوَزْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي.

(4594) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपने तराज़ू मंगवाया। मुझे (ऊँट की क़ीमत) तौल कर दी और कुछ ज़्यादा दी।

(4594) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2604, मुस्लिम, हदीस: 715, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6182.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जाबिर (ﷺ) से दौराने सफ़र में एक ऊँट ख़रीदा था। क़ीमत चालीस दिरहम तै पाई थी। अदायगी मदीना मुनव्वरा आकर की गई। **(2)** 'तराज़ू मंगवाया' उस दौर में अरब में दिरहम और दीनार के सिक्के मौजूद थे लेकिन बहुत कम बल्कि आम सोने, चाँदी से सोदे होते थे और तौल कर सोना चाँदी देते थे। **(3)** 'ज़्यादा दी' किसी को उसके हक़ से कुछ ज़्यादा देना अच्छी और मुस्तहब बात है, ख़्वाह वह क़र्ज़ ही हो। सूद तब बनता है जब ज़्यादा की शर्त हो या क़र्ज़ ख़्वाह उसका मुतालबा करे या कम अज़ कम ख़्वाहिश रखे। अगर मक़रूज़ अपनी ख़ुशी से उसके क़र्ज़ के अलावा उससे ज़्यादा भी दे दे तो ये अच्छी बात है क्योंकि पूरा पूरा देने में तौल की कमी भी मुमकिन है, इसलिये ज़्यादा दे ताकि कमी का एहतिमाल न रहे। तोलते वक़्त ज़्यादा देना आला ज़रफ़ी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَادَنِي .

(4595) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे क़ीमत अदा की और ज़्यादा भी दिया।

(4595) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6183.

बाब : (54) तोलते वक़्त झुका कर देना

باب(٥٤): الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ جَلَبْتُ أَنَا

(4596) हज़रत सुवैद बिन क़ैस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं और मख़रफ़ा अब्दी इलाक़-ए हिज्र से (बेचने के लिये) कपड़े लाये। रसूलुल्लाह (ﷺ) मक़ामे मिना में हमारे पास तशरीफ़ लाये और एक

وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ، بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ " زِنْ وَأَرْجِحْ " .

तोलने वाला उजरत पर तोल रहा था। आपने हमसे एक शलवार ख़रीदी, फिर तोलने वाले से फ़रमाया: 'क़ीमत) तोल और झुका कर दे।'

(4596) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3336, तिर्मिज़ी, हदीस: 1305, व इब्ने माजा, हदीस: 2220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6184, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1444, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 559.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सौदा देते वक़्त कुछ न कुछ ज़्यादा देना चाहिए, यानी तोलते वक़्त तराज़ू झुकता होना चाहिए। बाहमी ख़ैरख़्वाही, हमदर्दी और इस्लामी भाई चारे का तक़ाज़ा यही है चे जायेकि डण्डी मारी जाये, ये हराम है। इस तरह बरकत उठ जाती है। **(2)** हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि कपड़े की तिजारत शरअन जायज़ है और ये हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया भी है, और दूसरे ममालिक से माल मंगवाने की मशरूइयत पर भी दलालत करती है, यानी दरआमद बरामद का कारोबार, शरअन दुरुस्त है। **(3)** ये हदीसे मुबारका जिस तरह झुकता तोल कर देने के इस्तेहबाब पर दलालत करती है बिऐनिही इसी तरह कम तोल कर देने की कराहत और उसके ग़ैर मशरूअ होने पर भी दलालत करती है क्योंकि इस तरह इन्सान की हक़ तलफ़ी होती है जो कबीरा गुनाह है। **(4)** 'उजरत पर तोल रहा था' यानी क़ीमत में सोना चाँदी तोल रहा था और वह तोलने के पैसे लेता था। इससे ख़रीदार को अदायगी की सहूलत होती थी क्योंकि क़ीमत का तोल ख़रीदार के ज़िम्मे होता है जबकि सामाने फ़रोख़्त का तोल बेचने वाले के ज़िम्मे। ये मानी भी हो सकते हैं कि तोलने वाला क़ीमत तोल तोल कर ले रहा था। इस सूरत में बेचने वालों ने उसे मुक़र्रर किया होगा। **(5)** 'शलवार ख़रीदी' ज़ाहिर है पहनने के लिये ख़रीदी होगी, ताहम ये भी मुमकिन है कि घर के किसी और फ़र्द के लिये ख़रीदी हो। आपसे शलवार की तारीफ़ साबित है कि ये पर्दे वाला लिबास है। **(6)** 'झुका कर दे' ताकि कमी का एहतिमाल न रहे। और ये हुक्म वज़न के अलावा माप और पैमाइश में भी लागू होता है। देने वाले को चाहिए कि उनमें भी कुछ ज़्यादा ही दे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ، قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي .

(4597) हज़रत अबू सफ़वान (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हिजरत से पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक शलवार बेची। आपने मुझे क़ीमत तोलते वक़्त झुका कर (ज़्यादा) दी।

(4597) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6185.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ " . وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ

(4598) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'माप मदीने वालों के मुताबिक़ होना चाहिए और वज़न मक्के वालों के मुताबिक़।'
ये अल्फ़ाज़ इस्हाक़ के हैं।

(4598) तख़रीज : (सनद सह़ी) देखें, हदीसः 2521, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6186.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं: एक इस्हाक़ बिन इब्राहीम और दूसरे मुहम्मद बिन इस्माईल। रिवायत के मज़्कूरा अल्फ़ाज़ उस्ताद इस्हाक़ (बिन राह्वे) के हैं। दूसरे उस्ताद मुहम्मद बिन इस्माईल (इब्ने उलय्या) के बयानकर्दा अल्फ़ाज़ उनसे क़द्रे मुख़्तलिफ़ हैं। **(2)** अ़रब में बा'क़ायदा हुकूमत नहीं थी कि एक ही वज़न और एक ही माप राइज हो बल्कि मुख़्तलिफ़ वज़न और माप राइज थे। शरीयत में ज़कात, उश्र,कफ्फ़ारात व दीगर ज़रूरियात के अहकाम नाज़िल हुये तो वज़न और माप मुअय्यन करना ज़रूरी था। रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुनज़्ज़म हुकूमत भी वजूद में ला चुके थे, लिहाज़ा इन्तेज़ामी लिहाज़ से भी वज़न और माप के पैमाने मुअय्यन करना ज़रूरी थे, इसलिये आपने वज़न मक्के वालों का और माप मदीने वालों का सरकारी और शरई तौर पर मुअय्यन फ़रमा दिया। उस दौर में वज़न उ़मूमन सोने चाँदी और दीगर धातुओं का होता था। ग़ल्ले में माप राइज था। मदीना मुनव्वरा के लोग ज़मीनदार थे। वहाँ ग़ल्ला वाफ़िर होता था, इसलिये आपने माप, यानी मुद, स़ाअ और वस्क़ वग़ैरह मदीना मुनव्वरा के राइज फ़रमाये। मक्के वालों के यहाँ दस दिरहम सात दीनार के वज़न के बराबर होते थे और दीनार साढ़े चार माशे का होता था। अब ज़कात व दियत वग़ैरह में यही वज़न मोतबर होगा। और उश्र व स़दक़तुल फ़ित्र और कफ़्फ़ारात में मदीने वालों का मुद व स़ाअ मोतबर होगा। मदीने वालों का स़ाअ चार मुद का होता था। वज़न में ये $5\frac{1}{3}$ रतल के बराबर था। मुद और स़ाअ बर्तन थे जिनमें वह ग़ल्ला और खजूरें डाल कर मापा करते थे। आज कल ग़ल्ले और खजूरों का वज़न किया जाता है, इसलिये मुद और स़ाअ के वज़न में इख़्तिलाफ़ हो गया है। वैसे भी एक ही बर्तन में डाली जाने वाली चीज़ों का वज़न एक नहीं हो सकता बल्कि हर एक का वज़न अलग अलग होगा, जैसेः पानी, दूध, पारा, शरबत, खजूर, गन्दुम, चीनी वग़ैरह अपना अलग अलग वज़न रखते हैं। दिरहम, दीनार और मुद व स़ाअ बाद में भी बदलते रहे हैं। मुख़्तलिफ़ हुकूमतों ने अपने अपने हिसाब से कमी बेशी की मगर शरीयत में आपके दौर के दिरहम, दीनार और मुद व स़ाअ ही वज़न

और माप में मोतबर होंगे, जैसे: कूफ़ी साअ मदीने के साअ से बड़ा था लेकिन सदक़तुल फ़ित्र वग़ैरह में मदीने का साअ ही चलेगा।

बाब : (55) ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचना (मना है)

باب : (٥٥) بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

(4599) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ग़ल्ला (ग़िज़ाई जिन्स) ख़रीदे, वह किसी को फ़रोख़्त न करे यहाँ तक कि उसे (पूरा पूरा) अपने क़ब्ज़े में ले ले।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .

(4599)तख़रीज:(सनद सही) बुख़ारी ह; 2126, मुस्लिम: 1526, मौता: 2/640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6187.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब कोई शख़्स ग़िज़ाई अज्नास ख़रीदे तो उसे उस वक़्त तक आगे नहीं बेच सकता जब तक वह उसे मुकम्मल तौर पर अपने क़ब्ज़े में न ले ले। अगर वह मकील चीज़ है तो उसका माप पूरा करे और अगर वह मौज़ून है तो उसका वज़न पूरा कर ले। अगर मापे तौले और क़ब्ज़े में लिये बग़ैर ही बेचेगा तो शरअन ये काम नाजायज़ और हराम होगा। बाब के तहत दर्ज तमाम अहादीस इस मसले की पूरी पूरी वज़ाहत कर रही हैं जबकि हमारे यहाँ आज कल ये वबा आम है कि ताजिर लोग उमूमन सौदे पर सौदा किये जाते हैं जबकि असल चीज़ (मबीअ) एक ही जगह किसी स्टोर वग़ैरह में पड़ी रहती है, कोई ख़रीदार उसे देखता है न उसका वज़न या कैल (माप तौल) ही मालूम करता है बल्कि उसे आगे से आगे फ़रोख़्त किया जाता है, इस तरह वह अपने पैसों ही पर नफ़ा पे नफ़ा लिये जाते हैं, चीज़ को देखने तक की ज़हमत गवारा नहीं करते और न उन्हें ये मालूम होता है कि मबीअ (सौदे की) चीज़ दुरुस्त हालत में है या ख़राब हो चुकी है? ग़र्ज़ किसी को कुछ इल्म नहीं होता लेकिन चीज़ आगे बिक रही होती है बिल आख़िर इसका नतीजा ये निकलता है कि आख़िरी ख़रीदार को नुक़सान होता है और यही चीज़ बाहमी झगड़े फ़साद का बाइस बनती है। शरीयते मुतह्हरा का हुक्म बिलकुल वाज़ेह और दो टूक है कि जब कोई शख़्स ग़िज़ाई जिन्स, यानी ग़ल्ला वग़ैरह ख़रीदे तो उसे चाहिए कि उस चीज़ को वहाँ से उठा कर अपने क़ब्ज़े में कर ले, और किसी दूसरी जगह उसे फ़रोख़्त कर दे। (2) इस हदीस में ये हुक्म सिर्फ़ ग़ल्ले के बारे में है। इमाम नसाई (ﷺ) का ज़हन भी यही मालूम होता है। इमाम मालिक (ﷺ) का मस्लक भी यही है कि फ़रोख़्त के लिये क़ब्ज़े की शर्त सिर्फ़ ग़ल्ले में है।

इमाम शाफ़ेई (ﷺ) हर चीज़ में फ़रोख़्त से पहले क़ब्ज़ा ज़रूरी ख़्याल करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद (ﷺ) ज़मीन व मकान के अलावा तमाम चीज़ों में इस हुक्म को राइज फ़रमाते हैं। गोया उन्होंने मन्कूला व ग़ैर मन्कूला चीज़ों में फ़र्क़ किया है कि मन्कूला में क़ब्ज़ा ज़रूरी है। बाक़ी रही जायदादे ग़ैर मन्कूला तो उसको कौन सा उठाया या मुन्तक़िल किया जा सकता है कि उस पर क़ब्ज़े की क़ैद ज़रूरी हो। **(3)** बेचने से पहले क़ब्ज़े की क़ैद लगाने का एक मक़सद तो ये है कि क़ब्ज़े में लेने से माल की जाँच पड़ताल हो जाये, उसकी असल कैफ़ियत मालूम हो जाये, और ख़रीदार चीज़ के ख़रीदने के बाद कुछ मेहनत भी करे, जैसे: वह ग़ल्ला वहाँ से उठाकर अपनी दुकान में ले जाये। अगर वह ढेर तोला नहीं गया था तो उसको तोले ताकि ये मेहनत उस मुनाफ़े का जवाज़ बन सके जो वह बेच कर हासिल करेगा। अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीद कर उसी जगह पड़ी की पड़ी बेच दी तो गोया उसने पैसा लगाने के अलावा कोई और काम नहीं किया और थोड़ा पैसा लगा कर ज़्यादा पैसा कमाया। ये सूद के मुशाबेह है। किसी को पैसा दिया, फिर कुछ अर्से के बाद ज़्यादा ले लिया। इस्लाम बिला मेहनत कमाई को जुआ और सूद क़रार देता है। हलाल की कमाई वही है जो मेहनत और काम के ऐवज़ हो। रक़म पर सूद लेना, बॉण्ड ख़रीद कर या किसी और तरीक़े से (क़ुरआ अन्दाज़ी के ज़रिये से) इनाम हासिल करना ये सब हराम हैं क्योंकि मेहनत से ख़ाली हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .

(4600) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ग़ल्ला ख़रीदा, वह उसे न बेचे यहाँ तक कि अपने क़ब्ज़े में ले ले।'

(4600) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6188, बुख़ारी, हदीस: 2133, व मुस्लिम, हदीस: 36/1526.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .

(4601) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ग़ल्ला ख़रीद ले, वह उसे आगे न बेचे यहाँ तक कि उसे तोल ले।'

(4601) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 30/1525, बुख़ारी, हदीस: 2132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6189.

फ़ायदा : तोलना भी क़ब्ज़े में लेने की एक सूरत है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(4602) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से सुना। बाक़ी रिवायत इसी तरह है। (इसी में ये है) यहाँ तक कि उसे क़ब्ज़े में ले ले।

(4602) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2135, मुस्लिम, हदीस: 1525, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6190.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ .

(4603) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि जिस चीज़ से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया वह ये है कि ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचा जाये।

(4603) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6191.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

(4604) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ग़ल्ला ख़रीदे, वह उसे फ़रोख़्त न करे यहाँ तक कि उसे क़ब्ज़े में ले।' हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ का हुक्म ग़ल्ले की तरह है।

(4604) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6193.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ये ख़्याल सही है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक रिवायत में उमूम के अल्फ़ाज़ आते हैं कि तू कोई चीज़ भी न बेच यहाँ तक कि उसे क़ब्ज़े में ले। सुनन अबू दाऊद में हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मरवी हदीस में है: 'बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़रीदने की जगह ही पर माल को बेचने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि ताजिर उसे अपनी मन्ज़िल (दूकानों और स्टोरों वग़ैरह) पर ले जायें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3499) ये हदीसे मुबारका हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) के तफ़क़्क़ोह फ़िहीन की बड़ी वाज़ेह और सरीह दलील है।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ " .

(4605) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई ग़ल्ला न बेच यहाँ तक कि तू उसे ख़रीद कर क़ब्ज़े में कर ले।'

(4605) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6196.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(4606) एक और तरीक़ से हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) ही नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ऐसी ही हदीस बयान फ़रमाते हैं।

(4606) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6194.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ " .

(4607) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने सदक़े के ग़ल्ले में से कुछ ग़ल्ला ख़रीदा। क़ब्ज़े में लेने से पहले ही मुझे उसमें मुनाफ़ा मिलने लगा। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपसे ये बात अर्ज़ की। आपने फ़रमाया: 'क़ब्ज़े में लेने से पहले न बेच।'

(4607) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फिल्कबीर: 3/197, हदीस: 3110, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6195.

باب(٥٦): النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى

बाब : (56) माप कर ख़रीदा हुआ ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचने की मुमानिअत का बयान

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

(4608) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स माप कर ख़रीदे हुये ग़ल्ले को क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचे।

(4608) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6197, मुस्लिम, हदीस: 1525.

फ़ायदा : 'माप कर ख़रीदे हुये ग़ल्ले' क्योंकि पहली दफ़ा तो बेचने वाले ने तोला होगा जैसा कि उर्फ़ है। अब ख़रीदार भी उसे माप ले। इस बाब का मक़सद ये है कि बेचने वाले के मापने को काफ़ी नहीं समझना चाहिए बल्कि ख़ुद भी मापना चाहिए ताकि ऐतमाद से आगे बेच सके। हदीस़ में बाब का ये मक़सद नहीं कि अगर ग़ल्ला बग़ैर मापे ख़रीदा गया हो तो उसे क़ब्ज़े में लिये बग़ैर बेचना जायज़ है। ये इसलिये कि दीगर रिवायात में क़ब्ज़े की शर्त आ़म है।

باب : (٥٧) بَيْعِ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ

बाब : (57) अन्दाज़न ख़रीदा हुआ ग़ल्ला (पहली जगह से) मुन्तक़िल किये बग़ैर बेचने की मुमानिअत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ

(4609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक ज़माने में हम ग़ल्ला ख़रीदते थे तो आप हमारे पास उस शख़्स को भेजते थे जो हमें हुक्म देता था कि उसे आगे बेचने से पहले उस जगह से किसी और जगह मुन्तक़िल किया जाये जहाँ पर ख़रीदा गया था।

صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .

(4609) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1527, मौता: 2/641, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6198.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस तरह बैअ करने से मना फ़रमाया है बल्कि इस मक़सद के लिये आपने आदमी भी मुतय्यन किये थे जो लोगों को ख़रीदी हुई चीज़ पहली जगह से मुन्तक़िल किये बग़ैर फ़रोख़्त करने से रोकते थे। **(2)** इस हदीस से ये मसला भी मालूम होता है कि किसी चीज़ के ढेर की अन्दाज़न बैअ जायज़ है, ख़्वाह उसके दुरुस्त वज़न या मिक़्दार का इल्म न भी हो, ताहम ये ज़रूरी है कि इसमें न तो मिलावट हो और न कोई और ख़राबी ही हो। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस मसले पर भी दलालत करती है कि फ़साद और हराम बुयूअ करने वालों की इस्लाह और इस ज़िम्न में उनकी तादीब ज़रूरी है जैसाकि हदीस: 4612 में है कि इस क़िस्म की ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों की पिटाई की जाती थी। और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़र्री (सुनहरा) दौर की बात है। **(4)** 'किसी और जगह मुन्तक़िल किया जाये' ताकि क़ब्ज़ा मुहक़्क़क़ हो जाये, और कुछ मेहनत भी हो जाये ताकि मुनाफ़ा हासिल करने का जवाज़ बन सके। (मज़ीद देखिये हदीस: 4599 फ़ायदा 2)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ .

(4610) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में बाज़ार के आख़िर में ग़ल्ला बग़ैर मापे ख़रीदा करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको उसी जगह बेचने से मना फ़रमा दिया यहाँ तक कि उसे मुन्तक़िल कर लें।

(4610) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6199.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

(4611) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में लोग तिजारती क़ाफ़िलों से ग़ल्ला ख़रीदते थे। आपने उन्हें मना फ़रमाया कि उसी जगह उसे फ़रोख़्त करें जहाँ वह

نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ، كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ .

ख़रीदा गया था यहाँ तक कि वह उसे ग़ल्ला मण्डी में मुन्तक़िल कर लें।

(4611) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6200, देखें, हदीस: 3963.

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

(4612) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक दौर में देखा कि जो लोग मापे बग़ैर ग़ल्ला ख़रीद कर वहीं बेच देते थे, उनको (सरकारी उम्माल की तरफ़ से) सज़ा दी जाती थी यहाँ तक कि वह उसे अपनी दुकानों पर ले जायें।

(4612) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6852, मुस्लिम: 37/1527, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6201.

باب : (٥٨) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا

बाब : (58) कोई शख़्स एक मुद्दत तक ग़ल्ला उधार ख़रीदे और बेचने वाला उसकी क़ीमत की जगह कोई और चीज़ गिरवी रख ले (तो जायज़ है)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

(4613) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक यहूदी से ग़ल्ला उधार ख़रीदा और अपनी ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।

(4613) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2200, मुस्लिम, हदीस: 166/1603, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6202.

फ़ायदा : ज़मानत के तौर पर जो चीज़ हक़दार के पास रखी जाये कि जब क़ीमत अदा करूँगा, मुझे मेरी चीज़ वापस मिल जायेगी, उसे गिरवी रखना कहा जाता है। जायज़ मक़सद के लिये कोई चीज़ गिरवी

रखने में कोई ख़राबी या क़बाहत नहीं, लिहाज़ा शरअन ये जायज़ है। हालते इक़ामत हो या सफ़र। क़ुर्आन मजीद में सफ़र की क़ैद इत्तेफ़ाक़ी है, अलबत्ता गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना नाजायज़ है, वरना ये सूद बन जायेगा। मगर ये कि गिरवी रखी हुई चीज़ पर ख़र्च करना पड़ता हो तो ख़र्च कर के फ़ायदा उठाया जा सकता है, जैसे: जानवर गिरवी रखा गया हो तो उसे घास और चारा वग़ैरह डाल कर उस पर सवारी कर सकता है और बस। ज़्यादा फ़ायदा उठाये तो रक़म में कमी करे, जैसे: ज़मीन गिरवी रखी है तो उसका किराया क़र्ज़ से मिन्हा करना ज़रूरी है, वरना ये सूद बन जायेगा। बेहतर है ऐसी चीज़ गिरवी रखे जिस पर ख़र्च करने की ज़रूरत न हो, जैसे ज़ेवर वग़ैरह ताकि वह फ़ायदा न उठा सके।

बाब : (59) घर (हालते इक़ामत) में होते हुये (कोई चीज़) गिरवी रखना

باب(٥٩): الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ

(4614) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जौ की रोटी और बासी चर्बी लेकर गये। आपकी हालत ये थी कि आपने मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी के पास अपनी ज़िरह गिरवी रखी हुई थी क्योंकि आपने अपने घर वालों के लिये उससे कुछ जौ लिये थे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ . قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ .

(4614) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2069, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा हदीस में मुक़र्ररा मुद्दत तक चीज़ उधार लेने के ऐवज़ गिरवी चीज़ की मशरूइयत का बयान है, यानी कोई चीज़ गिरवी में देना जायज़ है। लेकिन इसमें ये शर्त है कि अगर गिरवी रखी हुई चीज़ पर किसी क़िस्म का ख़र्चा नहीं आ रहा तो उससे फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं बल्कि उसकी हैसियत अमानत की सी होगी जब उधार चुका दिया जायेगा, चीज़ असल मालिक को, असली हालत में वापस हो जायेगी। (2) काफ़िरों के साथ मामलात और ख़रीद व फ़रोख़्त करना (जबकि वह हरबी न हों) जायज़ है बशर्ते कि वह असल चीज़ जिसका मामला किया जा रहा है, शरअन नाजायज़ और हराम न हो, और मामला करने में किसी क़िस्म के शर फ़साद का ख़तरा भी न हो बिलख़ुसूस मेल जोल के नतीजे में इस्लामी अक़ीदे पर क़तअन कोई ज़द न पड़ती हो, वरना हर क़िस्म का मामला करना हराम और नाजायज़ होगा। यही हुक्म ज़िम्मियों के साथ मामलात करने का है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि ज़िम्मियों के माल उनके हाथ और क़ब्ज़े में होने चाहिए,

यानी इस्लामी हुकूमत में उनके हक्क़े मिल्कियत को तस्लीम किया जायेगा। (4) उधार का लेन देन और ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है। शरअ़न इसमें कोई क़बाहत नहीं बशर्ते कि दीनी तक़ाज़े मजरूह न किये जायें। (5) जंगी हथियार अपने पास रखना और उनकी आला पैमाने पर तैयारी बिल्कुल दुरुस्त अ़मल है। ये तवक्कल इलल्लाह के मुनाफ़ी नहीं, जैसे जदीद तरीन मीज़ाइल, ऐटम बम और दीगर आलाते हर्ब की तैयारी। (6) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) की तवाज़ोअ, ज़ुहद और आपकी अज़्वाजे मुतहहरात (رضي الله عنهن) की फ़ज़ीलत पर दलालत करती है कि उन्होंने अ़ज़मत व अ़ज़मत की राह इख़्तियार की और हर क़िस्म की मुश्किलात पर सब्र व शुक्र किया और आप (ﷺ) का साथ ख़ूब ख़ूब निभाया। (7) ये ज़िरह रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र(رضي الله عنه) ने ग़ल्ले की क़ीमत देकर यहूदी से वापस ली। (8) हज़रत अनस (رضي الله عنه) का मक़सद रसूलुल्लाह (ﷺ) की सादगी और तंग हाली बयान करना है मगर ये तंग हाली आपने ख़ुद अपने आप पर तारी कर रखी थी ताकि आप अपने रब के लिये सब्र व शुक्र कर सकें। आप और आपके अहले ख़ाना बावजूद साल भर का ग़ल्ला रखने के उसको फ़ुक़रा व मसाकीन पर सख़ावत कर देते थे और ख़ुद तंगी व तुर्शी से गुज़ारा किया करते थे। (9) 'बासी चर्बी' यानी वह पुरानी थी। इसका ज़ाइक़ा या बू कुछ हद तक बदल चुकी थी। ये नहीं कि इससे बदबू आती थी क्योंकि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना तो शरअ़न भी मना है और तबई तौर पर भी। फ़ितरते सलीमा इससे नफ़रत करती है। और रसूलुल्लाह(ﷺ) तो इन्तेहाई नफ़ीस और पाकीज़ा शख़्सियत थे। (10) बाब का मक़सद एक ग़लतफ़हमी का इज़ाला करना है कि शायद गिरवी के जवाज़ के लिये सफ़र में होना शर्त है लेकिन इस हदीस़ से मालूम हो गया कि गिरवी के लिये सफ़र शर्त नहीं।

बाब : (60) जो चीज़ बेचने वाले के पास न हो, उसकी बैअ

باب(٦٠): بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ

(4615) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(एक दूसरे से मशरूत) क़र्ज़ और बैअ जायज़ नहीं। और बैअ में दो शर्तें जायज़ नहीं और जो चीज़ तेरे पास नहीं, उसकी बैअ भी जायज़ नहीं।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "

(4615) **तख़रीज : (सनद सहीह)** अबू दाऊद, हदीस़: 3502, तिर्मिज़ी: 1334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6204, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस़: 601, वल हाकिम: 2/17.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐसी चीज़ जो फ़रोख़्त करने वाले के पास न हो उसका फ़रोख़्त करना शरअन नाजायज़ और हराम है। हमारे यहाँ अक्सर दुकानदार हज़रात, अपनी 'ग्राहकी' पक्की करने के लिये इस क़िस्म की क़बीह हरकात का इर्तिकाब आम तौर पर करते रहते हैं, हालांकि शरीयते मुतह्हरा ने इस क़िस्म के 'तआवुन' को नाजायज़ क़रार दिया है। कुछ दुकानदार इससे भी एक क़दम आगे चले जाते हैं। वह इस तरह कि जो चीज़ उनके पास नहीं होती आने वाले से उसकी क़ीमत ले लेते हैं और चन्द दिन बाद चीज़ ला देने का वादा कर लेते हैं। ये पहली सूरत से भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत है, इसलिये कि ये मालूम ही नहीं कि मतलूबा चीज़ मिलेगी भी या नहीं? अगर मिलेगी तो ग्राहक को पसन्द आयेगी या नहीं? ये भी मालूम नहीं। पसन्द आ जाने की सूरत में क़ीमत की कमी बेशी का मामला खड़ा हो सकता है। याद रहे शरीयते मुतह्हरा की हिदायात के मुताबिक़ ऐसी हर बैअ से बचना चाहिए जो शर फ़साद का ज़रिया बन सकती हो। (2) ये हदीसे मुबारका ऐसी बैअ से रोकती है जो क़र्ज़ लेने या देने की शर्त पर की जाये, और ये हदीसे मुबारका ऐसी बैअ को भी हराम ठहराती है जिसे दो शर्तों के साथ मुअल्लक़ कर दिया जाये। (3) 'क़र्ज़ और बैअ' इसका मतलब ये है कि क़र्ज़ बैअ की शर्त पर हो। और वह इस तरह कि एक शख़्स दूसरे से कहे कि मैं तुझे तब क़र्ज़ दूँगा कि तू मुझसे फुलाँ चीज़ इतने की ख़रीदे। या बैअ क़र्ज़ की शर्त पर हो, और वह इस तरह कि एक शख़्स दूसरे से कहे कि मैं तुझसे फुलां चीज़ ख़रीदता हूँ इस शर्त पर कि तू मुझे क़र्ज़ दे। इन सूरतों में चूंकि क़र्ज़ से मफ़ाद हासिल किया जा रहा है और ये सूद है, इसलिये इन सूरतों से मना फ़रमा दिया गया। (4) 'बैअ में दो शर्तें' इसकी सूरत ये है कि एक शख़्स दूसरे से कहे: मैं तुझे फुलां चीज़ नक़द दस रुपये में और उधार बारह रूपये में देता हूँ और मामला किसी एक शर्त पर तै न हो तो ये सूद है, अलबत्ता किसी एक शर्त पर मामला तै हो जाये, जैसे: ग्राहक उधार बारह रूपये में ले जाये या नक़द दस रूपये में ले जाये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि अब एक शर्त रह गई, दो न रहीं। नक़द और उधार भाव में फ़र्क़ फ़ितरी है जैसे थोक और परचून भाव में फ़र्क़, लिहाज़ा इसमें कोई हर्ज नहीं, और यक्मुश्त अदायगी और क़िस्तों वाली अदायगी में फ़र्क़ भी इसी तरह है। (5) 'जो चीज़ तेरे पास नहीं' जैसे: ग़ुलाम भाग गया है तो उसको पकड़ने से पहले उसे बेचा नहीं जा सकता। इसी तरह किसी की चीज़ भी नहीं बेची जा सकती। इसी तरह ग़ल्ला वग़ैरह क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचना मना है, अलबत्ता अगर कोई चीज़ बज़ाते ख़ुद मुअय्यन न हो बल्कि उसकी सिफ़ात मुअय्यन कर ली जायें तो चीज़ मौजूद न होने के बावजूद उसकी बैअ हो सकती है, जैसे: किसी से कहा जाये कि मैं गन्दूम की कटाई के मौक़े पर तुझ से फुलां क़िस्म की बीस मन गन्दूम इतने भाव से लूँगा और रक़म भी उसे अदा कर दे, ख़्वाह उसके पास गन्दूम या गन्दूम का खेत मौजूद न हो बल्कि ख़्वाह उसके पास सिरे से ज़मीन ही न हो क्योंकि वह बाज़ार से गन्दूम ख़रीद कर मुहैया कर सकता है, अलबत्ता अगर कहा जाये कि फुलां खेत की गन्दूम ख़रीदता हूँ जबकि उस खेत में गनदूम अभी पकी न

हो या उस खेत में गन्दूम बेची ही न गई हो तो ये बैअ दुरुस्त नहीं क्योंकि यक़ीन से नहीं कहा जा सकता कि उस खेत से गन्दूम पैदा होगी। अगर पैदा होगी तो कैसी पैदा होगी? इब्हाम वाली बैअ दुरुस्त नहीं, जैसे उड़ते मुअय्यन परिन्दे की बैअ या पानी में तेरती मुअय्यन मछली की बैअ दुरुस्त नहीं। इब्हाम के अलावा इनमें 'पास न होने वाली' ख़राबी भी है।

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، - قَالَ عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ " .

(4616) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी जिस चीज़ का मालिक नहीं, उसकी बैअ नहीं कर सकता।'

(4616) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6205, वल हाकिम: 2/204, 205.

फ़ायदा : किसी की चीज़ कोई और शख़्स नहीं बेच सकता। अगर बेचे तो ऐसी बैअ नहीं होगी, चीज़ अस़ल मालिक की रहेगी, लिहाज़ा ख़रीदार को चाहिए कि ख़रीदने से पहले यक़ीन हासिल कर ले कि बेचने वाला शख़्स वाक़िअत न मालिक है, वरना ख़रीदार की रक़म ज़ाया हो सकती है क्योंकि वह चीज़ तो अस़ल मालिक ही को मिलेगी। ख़रीदार को बेचने वाले से रक़म वापस मिल गई तो मिल गई वरना ज़ाया है क्योंकि अस़ल मालिक से रक़म का मुतालबा नहीं किया जा सकेगा।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ . قَالَ " لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " .

(4617) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक आदमी आता है और मुझसे ऐसी चीज़ बेचने का मुतालबा करता है जो मेरे पास नहीं होती। मैं उससे उसका सौदा कर लेता हूँ, फिर मैं उसे बाज़ार से ख़रीद कर ला देता हूँ। आपने फ़रमाया: 'जो चीज़ तेरे पास नहीं, उसका सौदा न कर।'

(4617) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1232, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6206, व स़हीह इब्ने हज़्म, इब्ने अल जारूद, हदीस: 602.

फ़ायदा : 'सोदा न कर' क्योंकि मुमकिन है वह चीज़ तुझे बाज़ार से न मिले या तेरे तै शुदा भाव से महंगी मिले, फिर तनाज़अ (विवाद) पैदा हो सकता है। वैसे अगर किसी मुअय्यन चीज़ का सौदा न हो बल्कि आम चीज़ जो बाज़ार से मिलती है और ख़रीदार को इल्म हो कि ये चीज़ उसके पास नहीं, बाज़ार से ला कर देगा तो इन्शाअल्लाह उसका सौदा करने में कोई हर्ज नहीं जैसा कि साबिक़ा हदीस: 4615 में वज़ाहत हो चुकी है। मज़ीद वज़ाहत बैअ़े सलफ या सलफ़ की बहस में आयेगी।

बाब : (61) ग़ल्ले में बैअ़े सलम करना

باب(٦١): السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ، قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لاَ أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لاَ . وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(4618) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबू मुजालिद से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अबी औफ़ा(ﷺ) से बैअ़े सलफ़ (या सलम) के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उ़मर (ﷺ) के ज़माने में गन्दुम, जौ और खजूर में ऐसे लोगों के साथ बैअ़े सलफ़ किया करते थे जिनके मुताल्लिक़ मुझे इल्म नहीं होता था कि उनके पास (ग़ल्ला या ज़मीन) है या नहीं। हज़रत इब्ने अब्ज़ा (ﷺ) ने भी ऐसे ही फ़रमाया।

(4618) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2242, 2243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6207.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैअ़े सलम जायज़ है। रसूल (ﷺ), सय्यदना अबू बक्र और सय्यदना उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) के ज़र्रीं दौर में बैअ़े सलम हुआ करती थी। दीगर सहाब-ए-किराम (ﷺ) भी ये बैअ़ किया करते थे। **(2)** बैअ़ करते वक़्त जो चीज़ मौजूद ही न हो उसमें बैअ़े सलम हो सकती है, ताहम ये ज़रूरी है कि अदायगी के वक़्त वह चीज़ बहरसूरत मौजूद हो। **(3)** ज़िम्मी और दीगर ग़ैर मुस्लिम लोगों के साथ जिस तरह आम तिजारत और ख़रीद व फ़रोख़्त करना जायज़ है, इसी तरह उनके साथ बैअ़े सलम करना भी दुरुस्त है। **(4)** बैअ़े सलम या सलफ़ एक ही चीज़ है कि ख़रीदार बाइअ़ को रक़म पहले दे दे और उससे ग़ल्ला वग़ैरह (जो कुछ ख़रीदना मक़सूद हो) की मिक़्दार, जिन्स व नोअ़ और भाव तै कर ले और ग़ल्ले की अदायगी का वक़्त भी मुतअय्यन कर ले, ख़्वाह अभी तक वह ग़ल्ला मण्डी में न आया हो या बेचा भी न गया हो। साल दो साल पहले भी रक़म दी जा सकती है। इस क़िस्म की बैअ़ लोगों की मजबूरी है क्योंकि ज़मीनदार काश्तकारों को फ़सल के अख़राजात के लिये रक़म की पेशगी ज़रूरत होती है,

लिहाज़ा इस बैअ को जायज़ रखा गया। वह शख़्स जिससे सौदा हुआ है, काश्तकार भी हो सकता है ग़ैर काश्तकार भी क्योंकि वह ख़रीद कर भी मुहैया कर सकता है इस मसले की कुछ तफ़्सील हदीस़ नम्बर 4615, फ़ायदा नम्बर 5 और हदीस़ नम्बर 4617 में बयान हो चुकी है।

باب(٦٢): السَّلَمِ فِي الزَّبِيبِ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، -وَقَالَ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً مُحَمَّدٌ - قَالَ تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ . وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

बाब : (62) मुनक़्क़ा में बैअ़े सलम करना

(4619) हज़रत इब्ने अबी मुजालिद से रिवायत है कि हज़रत अबू बुर्दा और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद का बैअ़े सलम की बाबत इख़्तिलाफ़ हो गया। उन्होंने मुझे हज़रत इब्ने अबी औफ़ा(ﷺ) के पास भेजा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हज़रत अबू बक्र और हज़रत उ़मर (ﷺ) के ज़माने में गन्दुम, जौ, मुनक़्क़ा और खजूरों में ऐसे लोगों से बैअ़े सलम किया करते थे जिनके पास हमारे ख़्याल के मुताबिक़ ये चीज़ें नहीं होती थीं, फिर मैंने हज़रत इब्ने अब्ज़ा (ﷺ) से पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही फ़रमाया।

(4619) **तख़रीज : (सनद स़ही)** पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6208.

باب(٦٣): السَّلَفِ فِي الثِّمَارِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ " مَنْ

बाब : (63) फलों में बैअ़े सलम करना

(4620) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये और वह (लोग) दो दो, तीन तीन साल के लिये खजूरों में बैअ़े सलफ़ किया करते थे। आपने उनको रोक दिया और फ़रमाया: 'जो शख़्स बैअ़े सलफ़ करे तो वह मुअय्यन माप या मुअय्यन वज़न में मुअय्यन मुद्दत तक के लिये करे।'

أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " .

(4620) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2241, मुस्लिम, हदीस: 1604, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6209.

फ़ायदा : मुअय्यन माप से मुराद ग़ल्ले या फल की मिक़्दार है जिसकी बैअ की जा रही है। और मुअय्यन वज़न से मुराद सोने चाँदी की मिक़्दार है जो बतौर क़ीमत दिया जा रहा है, यानी भाव करके मुक़र्रर कर लिया जाये। मुअय्यन मुद्दत से मुराद वह वक़्त है जब ग़ल्ले या फल की अदायगी तै हुई है। गोया हर चीज़ वाज़ेह कर ली जाये। किसी चीज़ में इब्हाम न रहे ताकि तनाज़अ (विवाद) का इम्कान ख़त्म हो जाये। इस सूरत में बैअ़े सलम या सलफ़ जायज़ है, ख़्वाह एक साल से ज़्यादा मुद्दत के लिये की जाये।

اسْتِسْلاَفِ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضِهِ

बाब : (64) किसी से हैवान क़र्ज़ लेना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ " انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا " . فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ إِلاَّ بَكْرًا رَبَاعِيًا خِيَارًا . فَقَالَ " أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " .

(4621) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी से एक जवान ऊँट क़र्ज़ लिया। वह शख़्स आपसे अपने ऊँट की वापसी का मुतालबा करने आया। आपने एक आदमी से कहा: 'जाओ, उसको एक जवान ऊँट ख़रीद दो।' वह वापस आकर कहने लगा: मुझे तो रुबाई ऊँट मिल रहा है जो उसके ऊँट से बहुत बेहतर है। आपने फ़रमाया: 'यही दे दो। बेहतरीन मुसलमान वह है जो (क़र्ज़ वग़ैरह की) अदायगी में अच्छा हो।'

(4621) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6210, मौता: 2/680.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अक्सर अहले इल्म के नज़दीक जानवर और हैवान बतौर क़र्ज़ लिया जा सकता है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि क़र्ज़ की अदायगी के वक़्त बेहतर और आला चीज़ देना अफ़ज़ल और अहसन अमल है बशर्ते कि क़र्ज़ हासिल करने के मौक़े पर इस क़िस्म की कोई शर्त न लगाई गई हो। अगर क़र्ज़ देने वाला इस क़िस्म की कोई शर्त लगायेगा तो ये बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है। जुम्हूर अहले इल्म का यही क़ौल है। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी सरीह दलालत करती है कि जब क़र्ज़ की अदायगी का वक़्त आ जाये तो क़र्ज़ ख़्वाह वापसी का मुतालबा कर

सकता है, और ये मसला भी साबित होता है कि मक़रूज़ को किसी क़िस्म के लैत व लअ़ल्ल और टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि क़र्ज़ की बरवक़्त अदायगी को यक़ीनी बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। (4) रसूलुल्लाह (ﷺ) आम तौर पर ज़रूरतमन्द मोहताजों और साइलों की ख़ातिर क़र्ज़ लिया करते थे। इससे मालूम होता है कि नेकी और इताअ़त के उमूर में तआवुन की ख़ातिर क़र्ज़ उठाना जायज़ है, और तमाम मुबाह उमूर के लिये क़र्ज़ लेना देना दुरुस्त है। (5) ये हदीसे मुबारका इस मसले के इस्बात पर भी दलालत करती है कि इमामे वक़्त, यानी मुसलमानों का ख़लीफ़ा और हुक्मरान, मोहताज रिआया और ज़रूरतमन्द अवाम की ख़ातिर क़र्ज़ उठा सकता है और इसकी अदायगी बैतुल माल में जमा होने वाली ज़कात व सदक़ात की रक़म से होगी। इस सिलसिले में ज़रूरी और अहम बात ये है कि इस क़िस्म के क़र्ज़ की रक़म सिर्फ़ ज़रूरतमन्द लोगों और जायज़ उमूर पर ख़र्च होनी चाहिए। ऐसी रक़म से आज के हुक्मरान जो अलल्ले तुलल्ले और अय्याशियाँ करते हैं ये सरासर नाजायज़ और हराम है। इस क़िस्म के क़र्ज़ की रक़म से क़र्ज़ अदा करना ज़रूरी होगा। (6) क़र्ज़ की अदायगी में वकालत, यानी किसी को वकील बनाना जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को फ़रमाया था कि तू जाकर उसका क़र्ज़ अदा कर दे। (7) जानवर क़र्ज़ पर लिया जा सकता है। वक़्ते मुक़र्ररा पर इस जैसा जानवर वापस कर दिया जाये जैसे किसी से रक़म उधार या क़र्ज़ लेकर मुक़र्ररा वक़्त पर वापस कर दी जाती है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं मगर इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के नज़दीक ये जायज़ नहीं क्योंकि ये क़र्ज़ नहीं, बैअ़ है। और हैवान की हैवान के बदले उधार बैअ़ दुरुस्त नहीं जैसा कि एक सरीह हदीस: 462 में है। वह इस हदीस को मन्सूख़ समझते हैं। लेकिन ये एक हदीस नहीं, इस क़िस्म की कई अहादीस हैं जिनमें जानवर क़र्ज़ लेने और बाद में अदा करने का ज़िक्र है। दरअसल शरीयत लोगों की मजबूरियों का भी लिहाज़ रखती है। अगर कोई उसूल लोगों के लिये मुश्किल का बाइस बने तो वह उसूल क़ाबिले लिहाज़ नहीं रहता। बिल्ली के झूठे को अहनाफ़ भी पाक कहते हैं, हालांकि वह हराम जानवर है। पलीद चूहे खाती है। इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ जाये तो जानवर क़र्ज़ पर लिया जा सकता है और वक़्ते मुक़र्ररा पर इस जैसा जानवर वापस कर दिया जाये, और ये नहीं वाली रिवायत का मफ़हूम भी क़तई नहीं। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने इस हदीस का मतलब ये बताया कि हैवान की हैवान के बदले बैअ़ उस वक़्त मना है जब उधार दोनों तरफ़ से हो। अगर उधार एक तरफ़ से हो तो कोई हर्ज नहीं। ऊपर दी गई सूरत में भी उधार एक तरफ़ से ही है। वल्लाहु आलम!

(4622) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक शख़्स को नबी-ए-अकरम (ﷺ) से एक ख़ास उम्र का ऊँट वापस लेना था। वह लेने आया तो आपने फ़रमाया: 'उसको दे दो।' लोगों ने

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

तलाश किया तो उसके ऊँट से बड़ी उम्र का ऊँट मिला। आपने फ़रमायाः 'यही दे दो।' उसने (बतौर तशक्कुर) कहाः आपने मुझे ज़्यादा दे दिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'तुममें से बेहतरीन लोग वह हैं जो (दूसरों के हुक़ूक़ की) अदायगी में अच्छे हों।'

(4622) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2305, मुस्लिम, हदीस: 1601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6211.

قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ " أَعْطُوهُ " . فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ " أَعْطُوهُ " . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً " .

फ़ायदा : 'ख़ास उम्र का ऊँट' उसको आपसे दो दाँता ऊँट लेना था। आपने उसे रूबाई ऊँट दिया जिसे हमारी ज़बान में 'चोगा' कहते हैं जिसका रुबाई दाँत नया निकलने लगे। रुबाई छः साल के ऊँट को कहते हैं और दो दाँता (जिसे हमारी ज़बान में 'दूंदा' कहते हैं) चार साल के ऊँट को। गोया आपने काफ़ी बेहतर और क़ीमती ऊँट दिया। मालूम हुआ अगर मक़रूज़ अपनी ख़ुशी से क़र्ज़ ख़्वाह को उसके माल से अच्छा या ज़्यादा माल दे दे तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि कोई ऐसी शर्त न लगाई गई हो। जानवरों में ऐन बराबरी मुमकिन भी नहीं। ये नहीं हो सकता कि जैसा जानवर लिया गया था, बिल्कुल वैसा ही जिसमें बाल बराबर भी फ़र्क़ न हो, दिया जाये, लिहाज़ा देने वाला बेहतर देने की कोशिश करे। ख़ुशी से ज़्यादा या बेहतर देने को सूद नहीं कहेंगे बल्कि ये हुस्ने ख़ुल्क़ है।

(4623) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक जवान ऊँट दिया था। मैं उसकी अदायगी के सिलसिले में आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमायाः 'हाँ। ज़रूर मैं तुझे उसकी जगह एक (बेहतरीन) बुख़्ती ऊँटनी दूँगा।' फिर आपने मुझे वह दी और बहुत अच्छी दी। इसी तरह आपके पास एक आराबी अपना एक ख़ास उम्र का ऊँट लेने आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'उसको कोई ऊँट दे दो।' लोगों ने उसको पूरी उम्र का ऊँट दे दिया। वह आराबी कहने लगाः ये तो मेरे ऊँट से बहुत बेहतर है। आपने फ़रमायाः 'तुममें से बेहतरीन

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ " أَجَلْ لاَ أَقْضِيكَهَا إِلاَّ نَجِيبَةً " . فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوهُ سِنًّا " .

فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً فَقَالَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي . فَقَالَ " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً " .

शख़्स वह है जो अदायगी में बेहतरीन है।'

(4623) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6212, व सहीह अलहाकिम: 2/30, बुख़ारी, हदीस: 2305 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'बुख़्ती' ये एक अच्छी क़िस्म के ऊँट होते थे। मक़सद ये था कि तुझे तेरे ऊँट से बेहतर और उम्दा ऊँटनी दूँगा। ऊँटनी उम्र के लिहाज़ से मुज़क्कर ऊँट के बराबर हो तब भी क़ीमती शुमार होती है।

باب : (٦٥)
بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

बाब : (65)
हैवान की हैवान के बदले उधार बैअ (नाजायज़ है)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .

(4624) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हैवान के बदले हैवान की उधार बैअ से मना फ़रमाया।

(4624) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6212, 6214, तिर्मिज़ी, हदीस: 1237, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 611, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1113 वग़ैरह.

फ़ायदा : पिछले बाब की रिवायात हैवान क़र्ज़ लेने के बारे में थीं और वह जायज़ है। ये बाब और ये हदीस हैवान की बैअ के बारे में है। क़र्ज़ तो होता ही उधार है, अलबत्ता बैअ नक़द भी हो सकती है उधार भी। हैवान की बैअ हैवान के साथ नक़द तो दुरुस्त है, ख़्वाह कमी बेशी ही हो, जैसे: एक तरफ़ एक जानवर है और दूसरी तरफ़ दो या तीन तो कोई हर्ज नहीं जैसा कि आइन्दा बाब में सराहत है लेकिन हैवान की बैअ हैवान के बदले में हो तो उधार दुरुस्त नहीं। जिन लोगों ने पिछले बाब की हदीसों में बयानकर्दा क़र्ज़ की सूरत को बैअ क़रार दिया है उन्हें इस रिवायत की तावील करना पड़ेगी जैसा कि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने फ़रमाया है कि हैवान की बैअ हैवान के बदले उस वक़्त मना है जब दोनों

तरफ़ उधार हो जैसा कि बैउल काली बिल काली में होता है। अगर उधार एक तरफ़ हो तो बैअ जायज़ है। इस तावील से पिछले बाब की रिवायात इस हदीस़ के ख़िलाफ़ नहीं रहेंगी लेकिन स़ही ये है कि उधार बैअ तो हर सूरत में मना है। उधार एक तरफ़ हो या दोनों तरफ़, अलबत्ता हैवान का क़र्ज़ जायज़ है। गोया बैअ और क़र्ज़ के हुक्म में फ़र्क़ है। इस तरीक़े से न तो हदीस़ की तावील करनी पड़ेगी और न साबिक़ा अहादीस़ का इन्कार। और यही तरीक़ा स़ही है। बैअ और क़र्ज़ में फ़र्क़ सिर्फ़ हैवान के मसले ही में नहीं दीगर चीज़ों में भी जारी व सारी है।

बाब : (66) हैवान के बदले हैवान की नक़द, कम व बेश बैअ करना

باب(٦٦): بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً

(4625) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि एक ग़ुलाम आया और उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हिजरत पर बैअत की। नबी-ए-अकरम (ﷺ) को ये इल्म नहीं था कि वह ग़ुलाम है। इतने में उसका मालिक उसे लेने आ गया। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये मुझे बेच दे।' आपने दो काले ग़ुलाम देकर उसे ख़रीद लिया। उसके बाद आपने किसी से बैअत नहीं ली यहाँ तक कि पूछ लेते कि वह ग़ुलाम तो नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِعْنِيهِ ". فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

(4625) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4189, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6215.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** ये हदीस़े मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) के मकारिमे अख़्लाक़ और आपके एहसाने अ़ज़ीम पर वाज़ेह दलालत करती है। यही वजह है कि आपने ग़ुलाम वापस न किया, हालांकि उसका मालिक पहुँच गया। आपने ग़ुलाम का मक़स़द, यानी इराद-ए-हिजरत पूरा फ़रमा दिया। उसे अपनी रफ़ाक़त में रहने से महरूम न किया और दो ग़ुलामों के बदले उसे ख़रीद लिया। **(2)** इस हदीस़ से ये मसला भी मालूम हुआ कि एक ग़ुलाम की दो ग़ुलामों के ऐवज़ बैअ (ख़रीद व फ़रोख़्त) जायज़ है, ख़्वाह उनकी क़ीमत एक जैसी हो या मुख़्तलिफ़। इस बात पर अहले इल्म का इज्मा है लेकिन शर्त ये है कि बैअ नक़द हो। दोनों तरफ़ से उधार न हो। तमाम हैवानात का यही हुक्म है, चाहे एक ग़ुलाम दो ग़ुलामों के ऐवज़ हो या एक ऊँट दो के बदले। **(3)** इस हदीस़े मुबारका से ये भी स़ाबित होता है कि

इन्सानों में असल हुर्रियत और आज़ादी ही है, यही वजह है कि आने वाले गुलाम से रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके आज़ाद या गुलाम होने की बाबत नहीं पूछा बल्कि मज़्कूरा उसूल के मुताबिक़ बैअत फ़रमा ली। **(4)** अगर आपको ग़ैब का इल्म होता तो फ़ौरन मालूम हो जाता कि आने वाला शख़्स गुलाम है, और ये भी ज़रूर मालूम हो जाता कि उसका मालिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। मज़ीद बरां ये भी कि आप आइन्दा भी बैअत के लिये आने वाले किसी शख़्स से न पूछते कि तू आज़ाद है या गुलाम? रसूलुल्लाह (ﷺ) को सिर्फ़ उस बात का इल्म होता जो आपको अल्लाह तआला बता देता था। **(5)** मालूम हुआ हैवानात की बाहमी ख़रीदारी और तबादले में कमी बेशी जायज़ है क्योंकि हैवानात की हैसियत में बसा औक़ात फ़र्क़ होता है, गोया वह अलग अलग जिन्स हैं और जब जिन्सें मुख़्तलिफ़ हों तो कमी बेशी जायज़ होती है। एक ऊँट पन्द्रह हज़ार का मिल सकता है तो एक ऊँट कई लाख का भी मिलता है, लिहाज़ा जानवरों को यूँ समझा गया जैसे वह अलग अलग जिन्स के हों। शरीयत अपने अहकाम में लोगों की मजबूरियों का भी लिहाज़ रखती है, ख़्वाह कोई फ़रई उसूल बदलना पड़े, अदमे हर्ज बुनियादी उसूल है।

बाब : (67)
हमल के हमल की बैअ (नाजायज़ है)

باب(٦٧): بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

(4626) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमल के हमल की बैऐ सलफ़ सूद है।'

(4626) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6216.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا " .

फ़ायदा : इस क़िस्म की बुयूअ जाहिलियत में आम थीं। एक आदमी के पास हामिला ऊँटनी होती। कोई शख़्स उससे सौदा करता कि उस ऊँटनी के पेट में जो हमल है, वह पैदा होने के बाद, फिर जवान होने के बाद वह हामिला होकर बच्चा जनेगी, उस बच्चे की इतनी क़ीमत में तुझे अभी देता हूँ। वह बच्चा मेरा होगा। ये है 'हमल के हमल की बैऐ सलफ़' ये नाजायज़ है क्योंकि ये मालूम नहीं मौजूदा हमल मुअन्नस ही है? वह सही पैदा होगा या ऐबदार? वह अपने हमल तक ज़िन्दा रहेगी? फिर हामिला होगी? और फिर बच्चा जन सकेगी? जब उनमें से कोई बात भी मालूम नहीं तो सौदा किस चीज़ का? उसे धोखे और ग़रर की बैअ भी कहते हैं, और वह बेचने वाले के पास मौजूद भी नहीं। गोया ये कई लिहाज़ से मना है। इस बैअ का एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ फ़रोख़्त की जाये और क़ीमत की

अदायगी के लिये हमल के हमल की पैदाइश को वक़्त मुक़र्रर कर लिया जाये या रक़म पहले दे दी जाये और चीज़ की अदायगी का वक़्त हमल के हमल की पैदाइश को क़रार दिया जाये। ये सब सूरतें मना हैं क्योंकि ये मज्हूल मुद्दत है। पता नहीं आयेगी भी या नहीं? और आयेगी तो कब? अदायगी की मुद्दत वाज़ेह और मालूम होनी चाहिए, जैसे: तारीख़, महीना या साल या गन्दूम की कटाई या सर्दियों का आग़ाज़ वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .

(4627) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हमल के हमल की बैअ से मना फ़रमाया है।

(4627) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2197, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6217.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .

(4628) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हमल के हमल की बैअ से मना फ़रमाया है।

(4628) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5/1514, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6220.

फ़ायदा : हदीस: 4626 के फ़ायदे में उसके मफ़हूम की बाबत तफ़्सीली कलाम हो चुका है, ताहम इस जगह एक अहम मसले की तरफ़ इशारा करना मक़सूद है, वह ये कि किसी मज्हूल या मुब्हम मुद्दत को उधार की अदायगी की मुद्दत हरगिज़ न ठहराया जाये बल्कि उधार की अदायगी की मुद्दत का बिल्कुल वाज़ेह तअय्युन होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर मक़रूज़ शख़्स वक़्ते मुक़र्ररा पर अदायगी न कर सके तो मज़ीद मोहलत माँग ले। और क़र्ज़ ख़्वाह को भी चाहिए कि आसानी तक मोहलत दे दे क्योंकि ये बहुत अफ़ज़ल अमल है। इसकी अफ़ज़लियत का अन्दाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) की इस हदीसे मुबारका से लगायें जिसमें आपने फ़रमाया है: 'जो शख़्स किसी को क़र्ज़ दे उसे रोज़ाना अपने क़र्ज़ के बराबर सदक़ा करने का अज्र व सवाब मिलता है। और फिर जो शख़्स मुक़र्ररा वक़्त पर भी क़र्ज़ की अदायगी न कर सके और क़र्ज़ ख़्वाह, मक़रूज़ को मज़ीद मोहलत दे दे तो उसे रोज़ाना अपने दिये हुये क़र्ज़ की निस्बत दुगना माल सदक़ा करने का अज्र व सवाब मिलता है।' देखिये: (सहीह अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, हदीस: 907) लेकिन इस सूरत में मक़रूज़ को सहूलत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुये अदायगी-ए-क़र्ज़ से बेफ़िक्र और बेन्याज़ नहीं होना चाहिए बल्कि उसे जल्द अज़ जल्द क़र्ज़ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने मुहसिन, यानी क़र्ज़ ख़्वाह के लिये पुर ख़ुलूस दुआएँ करते रहना चाहिए।

बा़ब : (68) इस बैअ़ की तफ़्सीर

باب(٦٨): تَفْسِيرِ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .

(4629) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हबलुल हबला (हमल के हमल) की बैअ़ से मना फ़रमाया और ये एक क़िस्म की बैअ़ थी जो जाहिलियत वाले आपस में करते थे। कोई आदमी ऊँटनी ख़रीदता कि उसकी क़ीमत उस वक़्त दूँगा जब ये ऊँटनी (मादा) बच्चा जने और फिर उसके पेट वाली ऊँटनी (बड़ी होकर) बच्चा जने।

(4629) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2143, मौता: 2/653, 654, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6221.

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) की बयानकर्दा तफ़्सीर से वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा है कि अदायगी की मुद्दत मज्हूल है। मज़ीद बरां ये मालूम ही नहीं कि ऊँटनी मुअन्नस़ (मादा) जनेगी या मुजक्कर? मादा बच्चा जनने की सूरत में फिर ये मालूम नहीं कि वह मुअन्नस़ बड़ी भी होगी या नहीं? अगर बड़ी हो गई तो आगे हामिला होगी या नहीं? फिर न मालूम बच्चा पैदा होगा या न होगा? (तफ़्सीले हदीस़ नम्बर 4626 में गुज़र चुकी है) लिहाज़ा ये बैअ़ मना है।

बाब : (69) (फल वग़ैरह की) कई साल के लिये बैअ़ करना

باب(٦٩): بَيْعِ السِّنِينَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .

(4630) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कई साल के सौदे से मना फ़रमाया।

(4630) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमैदी, हदीस़: 1291, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6222.

फ़ायदा : कई साल का सौदा इसलिये मना है कि वह चीज़ जिसका सौदा किया जा रहा है, मौजूद ही नहीं। जब किसी मुअ़य्यन चीज़ का सौदा किया जा रहा हो, जैसे: उस दरख़्त या उस बाग़ का फल तो फल का मौजूद होना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है ये दरख़्त या ये बाग़ तबाह हो जाये, फिर उसका फल कहाँ से आयेगा? अलबत्ता अगर सौदा ग़ैर मुअ़य्यन चीज़ का हो, जैसे: 20 मन खजूर या गन्दूम

वग़ैरह तो सौदा जायज़ है, ख़्वाह अभी गन्दूम काश्त भी न की गई हो क्योंकि मजमूई तौर पर दुनिया या मण्डी से कोई चीज़ नापैद नहीं हो सकती, लिहाज़ा एक खेत से न हुई तो दूसरे से हो जायेगी।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - وَهُوَ ابْنُ عَتِيقٍ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .

(4631) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कई साल तक के लिये सौदे से मना फ़रमाया है।

(4631) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6223.

باب(٧٠): الْبَيْعِ إِلَى الأَجَلِ الْمَعْلُومِ

बाब : (70)
मुअय्यन मुद्दत तक उधार सौदा (जायज़ है)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلاَ عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ بَزٌّ مِنَ الشَّأْمِ فَقُلْتُ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ " .

(4632) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के जिस्मे मुबारक पर क़ित्र बस्ती की बनी हुई दो मोटी चादरें थीं। जब आप बैठते तो उनमें पसीना आ जाता जिससे वह बोझल हो जातीं। फ़ुलाँ! यहूदी के यहाँ शाम से कपड़े आये तो मैंने कहा: अगर आप उसको पैग़ाम भेज कर दो कपड़े उधार ख़रीद लें कि जब सहूलत होगी तो रक़म दे दूँगा (तो अच्छी बात है) आपने उसे पैग़ाम भेजा तो वह कहने लगा: मैं जानता हूँ (हज़रत) मुहम्मद (ﷺ) का क्या इरादा है? वह मेरी रक़म दबाना चाहते हैं या ये चादरें मुफ़्त में लेना चाहते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह झूठ बोलता है। उसको दिल में यक़ीन है कि मैं सब लोगों से बढ़ कर अल्लाह तआला से डरने वाला और सबसे बढ़ कर अमानत अदा करने वाला हूँ।'

(4632) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1213, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6224.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ मुअय्यन मुद्दत तक उधार सौदा लेना देना जायज़ है। अगर ऐसा करना, जायज़ न होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हरगिज़ ये काम न करते और वह भी ख़बीसुल फ़ितरत यहूदी से। (2) ये हदीसे मुबारका कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की सादगी और आपकी कसम पुर्साना ज़िन्दगी गुज़ारने पर भी दलालत करती है, हालांकि अल्लाह तआ़ला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये इख़्तियार दिया था कि आप चाहें तो आपको बादशाह नबी बना दिया जाये और अगर चाहें तो 'अ़ब्द' नबी बनाया जाये। इस पेशकश के बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़ब्द, यानी अल्लाह के दर का फ़क़ीर नबी बनने ही को तर्जीह दी। ये इसलिये कि आपके लिये अल्लाह तआ़ला के यहाँ, आख़िरत में जो कुछ है वह उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और बाक़ी रहने वाला है। इसी बाइस़ रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दुनियावी माल व मताअ़ और बादशाहत को ज़र्रा बराबर हैसियत नहीं दी। (3) ये हदीस़ इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) तमाम मख़्लूक़ की निस्बत अल्लाह से ज़्यादा डरते थे, इसलिये आपके तरीक़े से हट कर ख़ौफ़े इलाही के ख़ुद साख़्ता तरीक़े मरदूद हैं और ऐसा दावा करने वाला इन्सान झूठा है, और आप तमाम लोगों के मुक़ाबले में ज़्यादा बावफ़ा और ईफ़ा-ए-अ़हद करने वाले और सबसे बढ़ कर अमानतें अदा करने वाले थे। (4) आपका यहूदियों के साथ मामलात और लेन देन करना, जबकि वह वाज़ेह तौर पर रिश्वत और हरामख़ोर लोग थे, इस बात की दलील है कि जिसके पास हराम माल हो उसके साथ मामला करना दुरुस्त है बशर्ते कि जिस माल का मामला हो रहा है वह हराम न हो। वल्लाहु आ़लम! (5) 'जब सहूलत होगी' गोया आपने कोई मुद्दत मुक़र्रर न फ़रमाई थी जबकि बाब में मुअय्यन मुद्दत का ज़िक्र है, लिहाज़ा बाब यूँ होना चाहिए 'ग़ैर मुअय्यना मुद्दत तक बैअ़' और सुनन कुब्रा में ये बाब इसी तरह है ताकि हदीस़ बाब के मुताबिक़ बन सके। (6) 'क़ित्र बस्ती' ये बहरीन के इलाक़े की एक बस्ती थी जहाँ बेहतरीन कपड़े तैयार होते थे। (7) अगर बाब का उ़न्वान यही रहे जो है तो हदीस़ से मुनासिबत इस तरह होगी कि सहूलत का वक़्त उनके यहाँ मुतअय्यन था, जैसे: जब कटाई का वक़्त हो और खजूरें घरों में आयें वग़ैरह। ये भी तअ़य्युन ही है। (8) 'मैं जानता हूँ' यानी उसने सिर्फ़ उधार से बचने के लिये ये झूठ घड़ा है वरना उसके दिल में भी ये बात नहीं थी।

बाब : (71) क़र्ज़ और बैअ़, इससे मुराद ये है कि क़र्ज़ की शर्त पर सामान बेचे

باب(٧١): سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا

(4633) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ؓ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़र्ज़ की शर्त

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

पर बैअ, एक सौदे में दो सौदों और ग़ैर मक़्बूज़ा चीज़ के मुनाफ़ा से मना फ़रमाया।

(4633) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 3563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6225.

फ़ायदा : 'ग़ैर मक़्बूज़ा चीज़ के मुनाफ़ा' यानी ग़ैर मक़्बूज़ा चीज़ को बेच कर उससे नफ़ा हासिल करना। असल मना तो बेचना है। दरअसल नफ़ा कमाने के लिये ही बेचा जाता है, इसलिये मुनाफ़ा का ज़िक्र किया। ये मतलब नहीं कि नुक़सान उठाकर बेचना जायज़ है। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस: 4615)

باب : (٧٢)
شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا

बाब : (72)
एक बैअ में दो शर्तें लगाना और उससे मुराद ये है कि बेचने वाला कहे कि एक माह के उधार पर ये भाव होगा और दो माह के उधार पर भाव दूसरा होगा

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ"

(4634) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़र्ज़ की शर्त पर बैअ, एक बैअ में दो शर्तें और ग़ैर मक़्बूज़ा चीज़ का मुनाफ़ा हलाल नहीं।'

(4634) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4615, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6226.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

(4635) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़र्ज़ की शर्त पर बैअ, एक बैअ में दो शर्तों और ग़ैर मौजूद चीज़ की बैअ और ग़ैर मक़्बूज़ा चीज़ के मुनाफ़ा से मना फ़रमाया है।

(4635) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6227.

फ़ायदा : तमाम तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस़: 4616, 4633.

बाब : (73)

एक सौदे में दो सौदे करना और उससे मुराद ये है कि बेचने वाला कहे कि मैं तुझे ये सामान नक़द सौ दिरहम में और उधार दो सौ दिरहम में बेचता हूँ

باب : (٧٣)

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .

(4636) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक सौदे में दो सौदों से मना फ़रमाया।

(4636) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1231, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6228, अबू दाऊद, हदीस़: 3461.

फ़ायदा : एक सौदे में दो सौदों की एक तफ़्सीर तो मुसन्निफ़ (रहिमहुल्लाह) ने ख़ुद फ़रमाई है। इसकी कुछ बहस़ हदीस़ 4615 में बयान हो चुकी है कि अगर उधार या नक़द एक सौदे पर बात तै हो जाये तो नक़द व उधार क़ीमत के फ़र्क़ में कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये फ़र्क़ फ़ितरी है, अलबत्ता अगर कोई एक सौदा तै न हो, इब्हाम रहे तो ये बैअ़ दुरुस्त नहीं। एक सौदे में दो सौदों की एक सूरत ये है कि कोई शख़्स़ कहे: मैं तुझे फुलां चीज़ बेचता हूँ बशर्ते कि तू मुझे फुलां चीज़ बेचे। ये जायज़ नहीं क्योंकि दूसरी चीज़ की फ़रोख़्त की शर्त लगा कर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम(रहिमहुल्लाह) ने 'एक बैअ़ में दो बैअ़' की तफ़्सीर ये की है कि (बाइअ़ मुश्तरी को कहे:) मैं तुझे फुलां चीज़ उधार सौ रूपये की देता हूँ और तुझसे अभी नक़द उसी रूपये की लेता हूँ। और फिर उसे चीज़ की बजाये 80 रूपये दे दे और साल के बाद सौ रूपये वसूल कर ले। ज़ाहिर है ये एक बैअ़ में दो सौदे हो रहे हैं। और ये स़रीह सूद है। ऐसी बैअ़ फ़ासिद होगी क्योंकि ये दरहक़ीक़त बैअ़ है ही नहीं। न कोई चीज़ बेची या ख़रीदी जा रही है बल्कि उसी रूपये देकर साल के बाद सौ रूपये लिये जा रहे हैं जो स़रीह सूद है। अ़स्रे हाज़िर में भी कुछ लोग इस तरह करते हैं। बैअ़ का लफ़्ज़ तो सिर्फ़ धोखा देने के लिये बोला जा रहा है। ऐसी सूरत में वह अस्सी रूपये ही वापस करेगा। अगर ये सौ रूपये वापस लेगा तो ये सूद होगा। (फ़लहू औकसुहुमा अविर्रिबा) ये आख़री दो सूरतें इस हदीस़ (एक सौदे में दो सौदे) की बेहतरीन तफ़्सीर हैं और ये दोनों मना हैं, अलबत्ता पहली

सूरत नक़द व उधार वाली सही है। अगर सौदा एक सूरत में तै हो जाये तो उधार और नक़द क़ीमत में फ़र्क़ हो सकता है क्योंकि ये एक बैअ़ है, दो नहीं, लिहाज़ा ये सूरत इस हदीस़ की सही तफ़सीर नहीं। इब्हाम बाक़ी रहे, कोई और सूरत तै न हो तो उसे इस हदीस़ के तहत लाया जा सकता है।

النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، حَتَّى تُعْلَمَ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ .

बाब : (74) बैअ़ में इस्तेस़ना करना मना है मगर ये कि वह मालूम हो

(4637) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और सौदे में इस्तिस़्ना से मना फ़रमाया है मगर ये कि वह इस्तिस़्ना मालूम हो। (4637) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 3911, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6229.

फ़ायदा : मुहाक़ला, मुज़ाबना और मुख़ाबरा की तशरीह पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये: हदीस़: 3910) बैअ़ में इस्तिस़्ना का मतलब ये है कि बेचने वाला कहे: मैं तुझे इस बाग़ का फल इतने में बेचता हूँ मगर दस दरख़्तों का फल मेरा होगा। लेकिन वह ये नहीं बताता कि कौन से दस दरख़्तों का फल उसका होगा? इस सूरत में इस्तिस़्ना मज्हूल होगा जो तनाज़अ़ और इख़्तिलाफ़ का सबब बन सकता है, लिहाज़ा ये मना है। हाँ, अगर वह दस दरख़्त मुतय्यन कर लिये जायें तो ये मालूम इस्तिस़्ना है। इसमें किसी तनाज़अ़ (विवाद) का कोई ख़तरा नहीं, इसलिये ये इस्तिस़्ना जायज़ है। इसी तरह अगर बेचने वाला कहे कि मैं इतने मन फल बाग़ में से लूँगा या इतने मालटे तो ये भी मालूम इस्तिस़्ना है और जायज़ है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

(4640) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा, मुआवमा और बैअ़ में इस्तिस़्ना से मना फ़रमाया, अलबत्ता अ़तिये के दरख़्तों में मुज़ाबना (मौजूद फल की बैअ़ ख़ुश्क फल के साथ) की रुख़्सत दी है।

(4640) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 85/1536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6230.

फ़ायदा : मुआ़वमा से मुराद कई साल का सौदा करना है। (तफ़्सील देखिये, हदीस़: 4630) बाक़ी बहस़ के लिये मुलाहिज़ा फ़रमायें हदीस़: 3910, 4542.

बाब : (75) खजूर के दरख़्त बेचे जायें और ख़रीदने वाला उनका फल मुस्तस़्ना करे तो?

باب(۷۵): النَّخْلِ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

(4639) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स खजूर के दरख़्तों को पैवन्द लगाये, फिर वह दरख़्त बेच दे तो उनका फल पैवन्द लगाने वाले को मिलेगा, मगर ये कि ख़रीदने वाला शर्त लगाये।'

(4639) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2206, मुस्लिम: 79/1543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6231.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि अगर खजूरों के दरख़्त ऐसी हालत में बेचे जायें कि उन पर फल लग चुका हो और मौजूद भी हो तो वह फल बाइअ़ का होगा, ताहम अगर ख़रीदार ये शर्त कर ले कि दरख़्तों पर लगा हुआ फल भी मेरा होगा और बेचने वाला ये शर्त मान ले तो इस सूरत में फल मुश्तरी का होगा। और ये बैअ़ बिलकुल दुरुस्त होगी। अगर ख़रीददार फलों की शर्त नहीं लगायेगा तो वह फल बेचने वाले के होंगे। **(2)** इस हदीस़े मुबारका से ये मसला भी स़ाबित होता है कि खजूरों और दीगर दरख़्तों की पैवन्दकारी की जा सकती है। ये दुरुस्त अ़मल है। शरअ़न इसमें कोई क़बाहत और ख़राबी नहीं है। **(3)** ऐसी शर्त जो मुआहिदे के मुनाफ़ी न हो, उसके मुतअ़य्यन कर लेने से बैअ़ फ़ासिद नहीं होगी और न ये चीज़ इस हदीस़े मुबारका के हुक्म में दाख़िल होगी जिसमें बैअ़ और शर्त से मना किया गया है, और मालूम हुआ कि दरख़्तों की बैअ़ फल के बग़ैर भी हो सकती है।

बाब : (76) ग़ुलाम बेचा जाये और ख़रीदार उसके माल की शर्त लगा ले (तो माल ख़रीदार का होगा)

باب : (٧٦) الْعَبْدِ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

(4640) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो

أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

शख़्स पैवन्द लगाने के बाद दरख़्त बेचे तो उसका फल बेचने वाले को मिलेगा मगर ये कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले। इसी तरह जो शख़्स ऐसा गुलाम फ़रोख़्त करे जिसके पास माल हो तो उसका माल बेचने वाले को मिलेगा मगर ये कि ख़रीदने वाला शर्त लगा ले।'

(4640) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 80/1543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6232.

फ़ायदा : 'उसका माल बेचने वाले को मिलेगा' क्योंकि मालिक ने गुलाम बेचा है न कि माल। गुलाम का माल दरअसल मालिक का होता है। गुलाम ख़ुद मालिक नहीं होता, ख़्वाह मालिक ने गुलाम को कारोबार की इजाज़त भी दे रखी हो। बाब में लफ़्ज़ इस्तिस्ना इस्तेमाल किया गया है, मुराद शर्त लगाना है।

باب(٧٧): الْبَيْعِ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

बाब : (77) बैअ में कोई शर्त लगा ली जाये तो बैअ और शर्त दोनों दुरुस्त होंगे

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " بِعْنِيهِ " . فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ

(4641) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ था। मेरा ऊँट चलने से आजिज़ आ गया। मैंने सोचा, उसे (वहीं) छोड़ दूँ। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे पीछे से आ मिले। आपने उसके लिये दुआ भी फ़रमाई और उसे मारा भी। फिर तो वह ऐसे चलने लगा कि (सारी ज़िन्दगी) कभी ऐसा नहीं चला था, फिर आपने फ़रमाया: 'ये ऊँट एक औक़िया (चालीस दिरहम) में मुझे बेच दे।' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'बेच दे' तो मैंने वह ऊँट आपको एक औक़िये में बेच दिया और मैंने मदीना मुनव्वरा तक सवार होकर जाने की शर्त लगा ली। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मैं आपके पास ऊँट लेकर हाज़िर हुआ और

فَقَالَ " أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ " .

आपसे क़ीमत तलब की। मैं क़ीमत लेकर वापस जाने लगा तो आपने मुझे वापस बुला भेजा और फ़रमाया: 'क्या तू समझता है कि मैंने तेरा ऊँट लेने के लिये तुझे कम क़ीमत दी है? अपना ऊँट भी ले जा और क़ीमत भी।'

(4641) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2718, मुस्लिम, हदीस: 109/715, बाद हदीस: 1599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6233.

वज़ाहत : नीचे दिये गये फ़वाइद व मसाइल का मुताला करते हुये ये अहम बात ज़रूर याद रहनी चाहिए कि इस बाब के तहत मज़्कूर हदीस, हदीसे जाबिर के नाम से मारूफ़ है। इसके बहुत से तुरुक़ हैं, लिहाज़ा उन तुरुक़ के लिहाज़ से अल्फ़ाज़ की कमी बेशी और तफ़्सील व इज्माल सबका लिहाज़ रखते हुये ये फ़वाइद व मसाइल तहरीर किये गये हैं।

फ़ायदा : (1) सौदा करते हुये अगर ऐसी शर्त लगाई जाये जो मक़सूदे अक़्द के मुनाफ़ी न हो तो इस सूरत में बैअ़ और शर्त जायज़ होगी, ख़्वाह इस शर्त से ख़रीदने या बेचने वाले को इज़ाफ़ी फ़ायदा हासिल होता हो। **(2)** जिस शख़्स के पास कोई चीज़ हो उससे उस चीज़ का सौदा करना जायज़ है, और ये हदीस सफ़र में सौदा करने के जवाज़ पर भी दलालत करती है और ये कि ख़रीद व फ़रोख़्त के वक़्त, ख़रीदार चीज़ की क़ीमत बता सकता है कि मैं तुम्हारी चीज़ इतनी रक़म में ख़रीदूँगा, या तुम मुझे अपनी फ़ुलां चीज़ इतनी रक़म के ऐवज़ दे दो, इसी तरह सौदा पक्का होने से पहले बैअ़ (सौदे) की क़ीमत कम व बेश करने, कराने की बाबत बहस करना दुरुस्त है, अलबत्ता ये नाजायज़ है कि किसी चीज़ की क़ीमत, जायज़ हुदूद से कम कराने के लिये अपना असर व रसूख़ और मन्सब व इख़्तियार इस्तेमाल किया जाये और मालिक को नुक़सान पहुँचाया जाये। **(3)** इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित होता है कि सेहते बैअ़ (सौदा दुरुस्त होने) के लिये मबीअ़ क़ब्ज़े में लेना शर्त नहीं जैसा कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सौदा करके मबीअ़, यानी ऊँट अपने क़ब्ज़े में नहीं लिया बल्कि वह मदीने तक सवारी के लिये हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) के पास ही रहा, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इस ख़रीदी हुई चीज़ को क़ब्ज़े में लेने से पहले आगे फ़रोख़्त न किया जाये ऐसा करना शरअ़न नाजायज़ और हराम है। **(4)** उम्र और मर्तबे में बड़ी शख़्सियत को जायज़ मामले में 'नहीं' कहा जा सकता है जैसा कि सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बिअ़नीहि बिवुक़िय्यतिन के जवाब में पहले कहा: ला ये बेअदबी या गुस्ताख़ी नहीं। **(5)** ये हदीस इस मसले पर भी दलालत करती है कि नेक और सालेह अमल का इज़्हार करना जबकि वह इफ़रात व तफ़रीत और फ़ख़्र व तकब्बुर वरिया और अपनी बड़ाई

बयान करने की गर्ज़ से न हो और पार्साई का इज़्हार हो या बतौर फख्र तकब्बुर ऐसा किया जाये तो ये नाजायज़ और इन्तेहाई क़बीह अमल है। इससे एहतिराज़ करना ज़रूरी और वाजिब है। (6) इस हदीसे मुबारका से, बवक़्ते ज़रूरत जानवरों को मारने का जवाज़ निकलता हैं अगरचे जानवर ग़ैर मुकल्लफ़ हैं, ताहम उनकी 'इस्लाह' के लिये उन्हें 'सज़ा' दी जा सकती है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद, अपने दस्ते मुबारक से ऊँट को मारा था। ये याद रहे कि ये तरीक़ा उस वक़्त इस्तेमाल किया जाये जब जानवर थकावट की वजह से नहीं बल्कि अपनी ज़िद की वजह से तंग कर रहा हो। (7) हाकिमे वक़्त, या दीगर ज़िम्मेदारान को अपने मातहत अश्ख़ास के हालात का जायज़ा लेते रहना चाहिये। उनकी माली मुआवनत करनी चाहिए, और हर वक़्त एहसान के जज़्बे से मामूर रहना चाहिए जैसा कि रसूले अकरम (ﷺ) ने हज़रत जाबिर के साथ किया (8) क़र्ज़ की अदायगी में किसी दूसरे शख़्स को वकील बनाना दुरुस्त है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) को फ़रमाया था कि जाबिर को अदायगी कर दो। समन का वज़न करना मुश्तरी के ज़िम्मे है। ये भी मालूम होता है कि उधार चीज़ ख़रीदना शरअन दुरुस्त और जायज़ है। (9) ज़रूरत के वक़्त चौपाये मस्जिद के सहन में दाख़िल किये जा सकते हैं। इसी तरह दीगर साज़ो सामान भी मस्जिद के सहन में रखा जा सकता है। (10) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि किसी शख़्स का अतिया क़बूल करने से पहले, उस पर रद्द किया जा सकता है। इसकी दलील ये है कि हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने अपने ऊँट की बाबत कहा: हुवा लक, ऐ अल्लाह के रसूल! ये आपका है लेकिन आपने फ़रमाया: 'ला बल बिअ़नीहि नहीं (मैं बिला क़ीमत क़बूल नहीं करता) बल्कि ये ऊँट मुझे बेच दो।' (11) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित होता है कि सहाब-ए-किराम रसूलुल्लाह (ﷺ) के तबरुकात की हिफ़ाज़त का ख़ास एहतिमाम फ़रमाया करते थे जैसा कि सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) की जानिब से ज़्यादा दिया हुआ क़ीरात मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ, मैंने उसे एक थैली में डाल दिया।' लेकिन इस सिलसिले में ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि तबर्रुकात मुस्तनद ज़रिये से साबित हों, ख़ुद साख़्ता न हों, और तबर्रुकात के नाक़िलीन भी सिक़ा हों, ग़ैर मोतबर लोगों के क़िस्से कहानियों पर बिला तहक़ीक़ ऐतमाद नहीं करना चाहिए। (12) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की फ़ज़ीलत भी इस हदीस से वाज़ेह होती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की फ़रमांबरदारी करते हुये, ज़ाती ज़रूरत के बावजूद ऊँट आप को बेच दिया। (13) इस हदीस से रसूलुल्लाह (ﷺ) के मोजिजे का सबूत भी मिलता है। याद रहे मोजिजे में क़ुदरते इलाही कारफ़रमा होती है। इसमें इन्सानी इख़्तियार नहीं होता। (14) इस हदीस से रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुस्ने अख़्लाक़ का इस्बात भी होता है। आपने सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) को न सिर्फ़ ये कि तै शुदा क़ीमत से क़ीरात ज़्यादा दिया बल्कि वह ऊँट भी वापस कर दिया। (15) 'शर्त लगा ली' गोया ऐसी शर्त बैअ के पक्का होने के मुनाफ़ी नहीं। इमाम अहमद (رحمه الله) इसी के क़ाइल हैं।

अहनाफ़ इस शर्त को मुक़्तज़ा-ए-अक़्द के ख़िलाफ़ समझते हैं। उनके नज़दीक ये शर्त नहीं थी बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से उनके लिये रिआयत थी। किसी रावी ने ग़लती से शर्त कह दिया लेकिन अहनाफ़ की ये तौजीह मुहद्दिसीन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। अक्सर रावी शर्त बयान करते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاضِحٍ لَنَا ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا مَعْنَاهُ فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا جَابِرُ مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلاَّ قَدِ انْتَشَطَ " . قُلْتُ بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ " . فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . قَالَ " أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا " . قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَارًا فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ

(4642) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ अपने पानी वाले ऊँट पर एक जंग में गया, फिर उन्होंने लम्बी हदीस़ बयान की जिसका मफ़हूम ये है कि (वापसी के दौरान में) ऊँट थक कर रुक गया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसको डाँटा तो वह इतना तेज़ हो गया कि सब लश्कर से आगे निकल गया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जाबिर! मैं देख रहा हूँ कि तेरा ऊँट बहुत तेज़ हो गया है।' मैंने कहा: अल्लाह के रसूल! ये आपकी बरकत है। आपने फ़रमाया: 'ये मुझे बेच दे। तुझे (मदीना मुनव्वरा तक) सवार होकर जाने की इजाज़त होगी।' मैंने आपको बेच दिया जबकि मुझे उसकी सख़्त ज़रूरत थी। लेकिन मुझे शर्म महसूस हुई (कि आपको इन्कार करूँ) ग़ज़्वे की तकमील के बाद जब हम मदीना मुनव्वरा के क़रीब पहुँचे तो मैंने आपसे जल्दी जाने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा: अल्लाह के रसूल! मैंने नई नई शादी की है। आपने फ़रमाया: 'कुँवारी से या शोहर दीदा से?' मैंने कहा: अल्लाह के रसूल! शोहर दीदा से। वजह ये है कि (मेरे वालिद) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र(ﷺ) शहीद हो गये और वह छोटी छोटी कुँवारी बेटियाँ छोड़ गये। मैंने नापसन्द किया कि मैं उन जैसी (नोजवान लड़की) ले आऊँ, इसलिये मैंने एक

فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي " ائْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً " . فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِيَ الْجَمَلَ فَلاَمَنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ .

शोहर दीदा (बेवा या मुतल्लक़ा) से शादी की जो उनको इल्म व अदब सिखाये। ख़ैर! आपने मुझे इजाज़त दे दी। आपने फ़रमायाः 'शाम के वक़्त घर पहुँच जाना।' जब मैं आया तो मैंने अपने मामूं को ऊँट के फ़रोख़्त करने का बताया। उन्होंने मुझे मलामत की। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये तो मैं आपके पास सुबह के वक़्त ऊँट लेकर गया। आपने मुझे ऊँट की क़ीमत भी दी, ऊँट भी दिया और लोगों के बराबर हिस्सा भी दिया।

(4642) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6234.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शाम के वक़्त घर पहुँच जाना' यानी रात को घर न जाना क्योंकि लम्बे सफ़र के बाद रात के वक़्त घर वापसी मना है क्योंकि ग़ालिब गुमान ये है कि बीवी सादा हालत में होगी, सफ़ाई वग़ैरह न की होगी, ग़ुस्ल भी न किया होगा। देर के बाद वापसी हो तो जिमाअ की ख़्वाहिश क़ुदरती बात है और ये हालत जिमाअ के लिये मुनासिब नहीं, लिहाज़ा शाम से पहले घर जाये ताकि रात तक बीवी को ग़ुस्ल, सफ़ाई और ज़ीनत का मौक़ा मिल जाये। मर्द ज़्यादा ख़ुश होगा। **(2)** इस हदीस के तफ़्सीली फ़वाइद साबिक़ा हदीस: 4641 के तहत ज़िक्र हो चुके हैं, वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ فَقَالَ " مَا لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ " . قُلْتُ أَعْيَا بَعِيرِي فَأَخَذَ بِذَنَبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ " مَا فَعَلَ

(4643) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। मैं एक ऊँट पर सवार था। आपने फ़रमायाः 'क्या बात है तू सबसे आख़िर में है?' मैंने कहाः मेरा ऊँट चलने से आजिज़ आ चुका है। आपने उसकी दुम पकड़ कर उसे डाँटा। फिर तो वह इतना आगे चला गया कि मुझे उसका सर संभालना मुश्किल हो रहा था। जब हम मदीना मुनव्वरा के क़रीब हुये तो आपने फ़रमायाः 'तेरे ऊँट का क्या हाल है? ये मुझे बेच दे।' मैंने कहाः ये वैसे ही आपका है। (बेचने की क्या ज़रूरत है?) आपने

الْجَمَلَ بِعْنِيهِ " . قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ بَلْ بِعْنِيهِ " . قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ . قَالَ " لاَ بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ ارْكَبْهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا بِهِ " . فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ لِبِلاَلٍ " يَا بِلاَلُ زِنْ لَهُ أُوقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطًا " . قُلْتُ هَذَا شَىْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُفَارِقْنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا مِنَّا مَا أَخَذُوا .

फ़रमाया: 'नहीं मुझे बेच दे।' मैंने कहा: नहीं, बल्कि ये वैसे ही आपका है। आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि मुझे बेच दे। मैंने ये एक औक़िये में ले लिया। हाँ तू सवार रह, फिर जब तू मदीने पहुँच जाये तो इसे मेरे पास ले आना।' फिर जब मैं मदीना मुनव्वरा में आया तो मैं ऊँट लेकर आपके पास गया। आपने हज़रत बिलाल (ﷺ) से फ़रमाया: 'बिलाल! इसको तू एक औक़िया (चालीस दिरहम) तोल दे और एक क़ीरात इसको ज़्यादा दे दे।' मैंने कहा: ये क़ीरात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ज़्यादा दिया है, ये कभी भी मुझसे जुदा नहीं होगा। मैंने उसे एक थैली में डाल लिया। वह हमेशा मेरे पास रहा यहाँ तक कि हर्रा वाले दिन शाम वाले आये तो उन्होंने हमसे जो चाहा, लूट लिया।

(4643) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2718, मुस्लिम, हदीस: 111/715, हदीस: 1599, देखें, हदीस: 4641, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6235.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'क़ीरात' दीनार का बीसवाँ हिस्सा या जदीद उश्री निज़ाम के मुताबिक़ 1.255 मिलीग्राम का होता है। **(2)** 'जुदा नहीं होगा' रसूलुल्लाह (ﷺ) का तबर्रुक था। **(3)** 'हर्रा वाले दिन' ये यज़ीद के दौर की बात है। मदीने वालों ने हज़रत हुसैन (ﷺ) की शहादत के बाद यज़ीद की बैअत तोड़ दी थी। यज़ीद ने सज़ा देने के लिये शाम से लश्कर भेजा। अहले मदीना से हर्रा के पत्थरीले मैदान में लड़ाई हुई। मदीने वालों को शिकस्त हुई। शामी लश्कर ने ख़ूब ख़ून रेज़ी की। और मदीना मुनव्वरा में लूट मार की। सहाबा तक की तौहीन की। इसी ग़दर में हज़रत जाबिर (ﷺ) से भी इन वहशियों ने वह 'तबर्रुक' लूट लिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(4644) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे मिले तो मैं अपने एक पानी भरने वाले बदमिज़ाज ऊँट पर सवार था। मैंने (अफ़सोस करते हुये) कहा: अफ़सोस! पानी का

निकम्मा ऊँट हमेशा हमारे पास रहता है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ जाबिर! क्या तू मुझे ये ऊँट फ़रोख़्त करेगा?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये वैसे ही आपकी ख़िदमत में पेश है। आपने दुआ दी।: 'ऐ अल्लाह! इसको माफ़ फ़रमा। इस पर रहम फ़रमा।' फिर फ़रमाया: 'मैंने ये इतने इतने में ख़रीद लिया। वैसे मैं मदीना मुनव्वरा तक इसकी सवारी की तुझे इजाज़त देता हूँ।' जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो मैंने इस ऊँट को तैयार किया और आपके पास ले गया। आपने फ़रमाया: 'बिलाल! इसको इस ऊँट की क़ीमत दे दो।' जब मैं वापस मुड़ा तो मुझे बुलाया। मुझे ख़तरा हुआ कि आप ऊँट वापस फ़रमा देंगे। आपने फ़रमाया: 'ये ऊँट तेरा ही है।'

وسلم وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا سَوْءٍ فَقُلْتُ لاَ يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَاهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تَبِيعُنِيهِ يَا جَابِرُ " . قُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " . فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ هَيَّأْتُهُ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ " يَا بِلاَلُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ " . فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ " هُوَ لَكَ " .

(4644) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमैदी: 1294, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6236, मुस्लिम, हदीस: 113/715, हदीस: 1599.

(4645) हज़रत जाबिर (ؓ) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चल रहे थे। मैं अपने पानी ढोने वाले ऊँट पर सवार था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तू अपना ये ऊँट मुझे इतने इतने में फ़रोख़्त करेगा? अल्लाह तआला तेरी मग्फ़िरत फ़रमाये।' मैंने कहा: अल्लाह के नबी! वह आप का ही है। फिर फ़रमाया: 'मुझे इतने इतने में फ़रोख़्त करेगा? अल्लाह तआला तेरी मग्फ़िरत फ़रमाये।' मैंने कहा: अल्लाह के नबी! यक़ीनन ये आपका ही है। आप ने फिर फ़रमाया: 'तू ये ऊँट मुझे इतने में

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ " . قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ " .

قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ " أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ " . قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ . قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ .

फ़रोख़्त करेगा? अल्लाह तआला तुझे माफ़ फ़रमाये।' मैंने कहा: जी हाँ। वह आपका ही है। रावी अबू नज़रा ने कहा कि (अल्लाह तुझे माफ़ करे) एक कलिमा है जो मुसलमान उमूमन कहते थे। तू ये काम कर ले, अल्लाह तुझे माफ़ करे।

(4645) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/373, 374, बुख़ारी, हदीस: 2718, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 112/715, हदीस: 1599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6237.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वल्लाहु यग़फ़िरु लक आपका बार बार फ़रमाना दरअसल उसको ज़्यादा दुआ देने के लिये था और शफ़क़त के तौर पर भी। ये जुम्ला दुआइया है। मुसलमानों की ये आदत थी कि जब कोई शख़्स दूसरे को किसी बात का हुक्म देता या उससे कोई मामला करता तो उस वक़्त ये दुआइया जुम्ले बोला करता था। ये हज़रत जाबिर (ﷺ) के लिये फ़ज़ीलत की बात है।(ﷺ). **(2)** एक ही वाक़िया मुख़्तलिफ़ असानीद के साथ बयान करने का मक़सद ये होता है कि तमाम तफ़्सीलात व जुज़्इयात वाज़ेह हो जाती हैं और लफ़्ज़ी फ़र्क़ का पता भी चल जाता है। जब रिवायात में लफ़्ज़ी फ़र्क़ हो तो किसी एक फ़रीक़ का लफ़्ज़ से इस्तेदलाल करना कमज़ोर हो जाता है, जैसे इस हदीस में इख़्तिलाफ़ है कि मदीना मुनव्वरा तक सवारी की शर्त हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बैअ में लगाई थी या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको ये रिआयत फ़रमाई थी, लिहाज़ा शर्त पर इस्तेदलाल कमज़ोर हो जायेगा, अलबत्ता इमाम बुख़ारी जैसे अज़ीम मुहद्दिस ने फ़ैसला फ़रमाया है कि शर्त लगाने के अल्फ़ाज़ ज़्यादा और क़वी हैं, इसलिये तर्जीह उसी को होगी।

باب : (٧٨)
الْبَيْعِ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

बाब : (78)
अगर बैअ में कोई फ़ासिद शर्त लगा ली जाये तो बैअ सही होगी, अलबत्ता वह शर्त ग़ैर मोतबर होगी

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ

(4646) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने बरीरा को (उसके मालिकान से) ख़रीदा तो उसके मालिकान ने उसके वला की अपने लिये शर्त लगा ली। मैंने ये बात नबी-ए-अकरम (ﷺ)

بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " . قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا - قَالَتْ - فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दे। वला उसी की होती है जो पैसे देता (ग़ुलाम को ख़रीदता) है।' हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने उसे आज़ाद कर दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे बुलाया और उसे अपने ख़ाविन्द के (पास रहने या न रहने के) बारे में इख़्तियार दिया। उसने ख़ाविन्द से अपनी जुदाई को पसन्द किया। उसका ख़ाविन्द आज़ाद था।

(4646) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6238.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई शख़्स बैअ करते वक़्त ऐसी शर्त लगाता है जो शरअन दुरुस्त न हो तो इस सूरत में बैअ करना दुरुस्त होगा जबकि वह शर्त जो ख़िलाफ़े शरीयत हो, बातिल होगी, लिहाज़ा इस शर्त को कल्अदम समझा जायेगा और उसका कोई लिहाज़ नहीं होगा जैसा कि सय्यदा बरीरा (ﷺ) के मामले में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूरी वज़ाहत के साथ ये मसला बयान फ़रमाया है। **(2)** इस हदीस के बहुत से तुरुक़ हैं और मुख़्तलिफ़ रिवायात में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मज़्कूर हैं। इसकी वजह ये है कि हदीस बयान करने वाले रावियों ने कहीं तफ़्सीली रिवायत बयान की है और कहीं इख़्तिसार से काम लिया है और ये सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक़ किया गया है। रुवाते हदीस के इस क़िस्म के तसर्रुफ़ को तमाम मुहद्दिसीने एज़ाम ने मिन व अन क़बूल किया है और हक़ भी यही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अहादीस से मुख़्तलिफ़ अहकाम व मसाइल अख़्ज़ करने में आसानी होती है। (लिहाज़ा यहाँ भी मज़्कूरा हदीस से उलमा ने मुतअद्दिद मसाइल इस्तिम्बात किये हैं जो दर्ज ज़ेल हैं) **(3)** मुकातिबत जायज़ है। मुकातिबत उस अहद व पैमान को कहा जाता है जो मालिक और उसके ग़ुलाम या लौण्डी के दरम्यान, मुतय्यन रक़म के ऐवज़ तै होता है, यानी वह लौण्डी या ग़ुलाम जब तै शुदा रक़म अदा कर दे तो वह आज़ाद है। मुकातिबत की सारी रक़म यक मुश्त देना और उसकी क़िस्तें करना, दोनों तरह जायज़ हैं लौण्डी या ग़ुलाम की मुकातिबत की रक़म दूसरा शख़्स दे सकता है। अगर कोई दूसरा शख़्स मुकातिबत की तै शुदा रक़म अदा कर दे और लौण्डी व ग़ुलाम को आज़ाद कर दे तो वह आज़ाद हो जायेंगे, अलबत्ता इस सूरत में उस लौण्डी या ग़ुलाम के वला का हक़दार आज़ाद करने वाला होगा न कि पहला मालिक। **(4)** वला उस रब्त व ताल्लुक़ को कहते हैं जो आज़ाद करने वाले और आज़ादकर्दा के माबैन (दरम्यान), आज़ाद करने की वजह से होता है। ये ताल्लुक़ न तो बेचा जा सकता है और न किसी को हिबा ही किया जा सकता है। ये ताल्लुक़ बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसा कि बाप और

बेटे के दरम्यान अबूत व बुनूत वाला ताल्लुक़ होता है जो न बेचा जा सकता है और न किसी को हिबा ही किया जा सकता है। इस ताल्लुक़े वला का फ़ायदा ये है कि अगर आज़ादकर्दा शख़्स के अ़स्बा और ज़िल फ़ुरूज़ (जिनका हिस्सा मीरास में मुक़र्रर है) न हों तो उसकी तमाम जायदाद का मालिक आज़ाद करने वाला होता है। (5) अगर कोई लौण्डी या ग़ुलाम अपनी मुकातिबत की रक़म की अदायगी के लिये दस्ते सवाल दराज़ करे तो ये सवाल करना दुरुस्त है और इस सिलसिले में उसकी मदद भी करनी चाहिए, और इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि मुस्तहिक़ आदमी का अपनी जायज़ ज़रूरत या ज़रूरियात पूरी करने की ख़ातिर सवाल करना दुरुस्त है। (6) इस हदीसे मुबारका से बाहमी मुशावरत की मशरूइयत साबित होती है ख़ुसूसन मियाँ बीवी की बाहमी मुशावरत का इस्बात होता है, और अगर बीवी ख़ाविन्द से किसी मसले में मश्वरा तलब करे तो ख़ाविन्द के लिये ज़रूरी है कि उसे दुरुस्त मश्वरा दे। (7) अगर लौण्डी या ग़ुलाम अपनी मुकातिबत की तै शुदा रक़म अदा न कर सकते हों तो उन्हें बेचा जा सकता है। इसकी दलील रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़े मुबारक इश्तरीहा व आतिक़ीहा हैं, यानी उसे ख़रीदो और आज़ाद कर दो। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1504) (8) अगर मियाँ बीवी दोनों ग़ुलाम हों तो उनमें से किसी एक को फ़रोख़्त किया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे ही बेचे जायें। (9) इस हदीसे बरीरा से ये भी मालूम होता है कि जिस लौण्डी या ग़ुलाम के पास माल वग़ैरह न हो, उससे मुकातिबत करना, यानी उसे मुकातब बनाना दुरुस्त है, ख़्वाह उसके पास माल कमाने के वसाइल हों या न हों। (10) मुकातब लौण्डी या ग़ुलाम उस वक़्त तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक मुकातिबत की बाबत तै शुदा सारी रक़म अदा न कर दें। जब तक उनके ज़िम्मे एक दिरहम भी बाक़ी है वह ग़ुलाम ही रहेंगे और उसी असल के मुताबिक़ उन पर दीगर अहकाम जारी होंगे, यानी निकाह, तलाक़ और हुदूद वग़ैरह के अहकाम ग़ुलामों वाले ही उन पर लागू होंगे। (11) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि शादी शुदा लौण्डी की फ़रोख़्त और आज़ादी न तलाक़ होगी और न फ़स्ख़े निकाह ही, इसलिये कि सय्यदा बरीरा (رضي الله عنها) को बाद में इख़्तियार दिया गया था कि चाहे तो वह अपने ख़ाविन्द मुग़ीस के निकाह में रहे और चाहे तो उससे अलग हो जाये। इस इख़्तियार के बाद उन्होंने अपने ख़ाविन्द से अलग होने को इख़्तियार किया। (12) लौण्डी से उसका मालिक जिमाअ़ कर सकता है, ताहम अगर वह किसी की बीवी हो तो फिर जायज़ नहीं, और लौण्डी को महज़ बेच देने से, उसके साथ जिमाअ़ करना हलाल न होगा। सय्यदा बरीरा को ख़ाविन्द के पास रहने या न रहने का इख़्तियार देना इस बात की सरीह दलील है कि अभी तक ख़ाविन्द के साथ उनका ताल्लुक़ बाक़ी था। अगर कोई ताल्लुक़ बाक़ी न रहता तो फिर इख़्तियार किस चीज़ का था? (13) अगर बवक़्ते सवाल, साइल मजबूर नहीं है तो भी सवाल कर सकता है, यानी मुस्तक़बिल की मन्सूबा बन्दी करते हुये वक़्ते ज़रूरत के आने से पहले भी उस ज़रूरत

की बाबत सवाल हो सकता है। (14) शादी शुदा औरत से मदद और माली तआवुन माँगा जा सकता है जैसा कि सय्यदा बरीरा (ﷺ) ने सय्यदा आयशा (ﷺ) से अपनी मुकातिबत की बाबत माली तआवुन माँगा था और उन्होंने उसकी दरख़्वास्त क़बूल फ़रमा ली थी और बरीरा को ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दिया था। (15) शादी शुदा ख़ातून, अपने माल में ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ कर सकती है बशर्ते कि वह तसर्रुफ़ किसी जायज़ ज़रूरत की ख़ातिर हो। (16) तलबे अज्र की ख़ातिर माल ख़र्च करना बल्कि ज़ाइद अज़ ज़रूरत ख़र्च करना दुरुस्त है जैसा कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने हज़रत बरीरा (ﷺ) की मुकातिबत की सारी रक़म जो नो क़िस्तों की नो साल में अदायगी की सूरत में तै हुये थे, यक्मुश्त अदा कर दी और उन्हें उसी वक़्त आज़ाद कर दिया। (17) गुलाम और लौण्डी के लिये अपनी आज़ादी की ख़ातिर मेहनत और कोशिश करना जायज़ है, ख़्वाह इस मक़सद के लिये उसे किसी ऐसे शख़्स से सवाल करना पड़े जो उसे ख़रीद कर आज़ाद भी कर दे। ऐसा करने से उसके मालिक का अगरचे नुक़सान भी होता हो तो भी कोई हर्ज नहीं। ये इसलिये कि शारेअ ने गुलाम की आज़ादी को सराहा और इस अज़ीम नेकी का शौक़ भी दिलाया है, इसलिये इसकी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। (18) अगर कोई शख़्स लौण्डी या गुलाम बेचे लेकिन ये शर्त लगा ले कि ये मेरी ख़िदमत करता रहेगा तो ये शर्त बातिल होगी। (19) अगर मुकातिब अपनी किस्त की रक़म उस माल से अदा करे जो उस पर सदक़ा किया गया हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, मालिक को ऐसी रक़म क़बूल करने से ताम्मुल नहीं करना चाहिए अगर चे वक़्ते मुक़र्ररा से पहले ही वह रक़म की अदायगी कर रहा हो। मुकातिब दरअसल गुलाम ही होता है जब तक कि वह तमाम रक़म अदा न कर दे और गुलाम पर सदक़ा करना दुरुस्त है। जब सदक़ा असल महल तक पहुँच जाये तो वह मालदार शख़्स के इस्तेमाल के लिये जायज़ हो जाता है। (20) रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब ये मालूम हुआ कि सय्यदा बरीरा (ﷺ) के मालिक ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो शरअन दुरुस्त नहीं तो आपने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और किसी का नाम लिये बग़ैर मसले की वज़ाहत फ़रमाई और ऐसी हर शर्त को बातिल क़रार दिया जो क़ुर्आन व हदीस़ के मुनाफ़ी हो। इससे मालूम हुआ जब कोई अहम शरई मामला दरपेश हो तो खड़े होकर ख़ुत्बा देना मश्रुह है। (21) जिस शख़्स से कोई ग़ैर शरई और मुन्कर काम सरज़द हो तो उस सूरत में ग़लत काम करने वाले शख़्स का नाम लिये बग़ैर ही उसकी इस्लाह की जाये। इस तरह करना मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है न कि किसी को शर्मिन्दा और रुस्वा करना। (22) इस हदीस़ से ये मसला भी मालूम होता है कि अजनबी औरतें किसी शख़्स के घर में आ सकती हैं, ख़्वाह घर का मालिक मर्द अपने घर में मौजूद हो या न हो। (23) रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये सदक़ा मुत्लक़न हराम है। आप पर न सदक़ा किया जा सकता है और न आप सदक़े का माल खा ही सकते हैं। हाँ, अगर सदक़ा किसी मुस्तहिक़ पर कर दिया जाये और वह नबी (ﷺ) को बतौर हदिया पेश कर दे तो ये दुरुस्त है। (24)

ग़नी और मालदार शख़्स के लिये जायज़ है कि वह मोहताज व फ़क़ीर का दिया हुआ हदिया क़बूल कर ले, और मालूम हुआ कि सदक़े और हदिये का हुक्म अलग अलग है। **(25)** अगर किसी शख़्स को अपने यहाँ किसी शख़्स के खाने से ख़ुशी हो तो वह शख़्स बिला इजाज़त भी उसके घर से खा पी सकता है। **(26)** ऐसा सवाल करना मुस्तहब है जिससे इल्म हासिल होता हो या उससे अदब मिलता हो या किसी क़िस्म का हुक्म वाज़ेह होता हो या उससे कोई शुब्हा रफ़ा होता हो। **(27)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर किसी पर थोड़ी चीज़ सदक़ा की जाये तो उसको क़बूल कर लेना चाहिए। इस पर नाराज़ी का इज़्हार नहीं करना चाहिए। **(28)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि मोमिन को ख़ुश करना मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। सही अहादीस की रोशनी में ऐसा करना अल्लाह तआला के यहाँ महबूब अमल है। **(29)** ये हदीसे मुबारका हज़रत बरीरा (ﷺ) के हुस्ने अदब पर भी दलालत करती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिफ़ारिश वाज़ेह अन्दाज़ में रद्द नहीं की बल्कि ये कहा है कि मुझे अपने ख़ाविन्द मुग़ीस की हाजत नहीं। **(30)** सिफ़ारिश करने वाले को यक़ीनन उसकी जायज़ सिफ़ारिश करने का अज्र व सवाब मिल जाता है, ख़्वाह उसकी सिफ़ारिश क़बूल हो या रद्द कर दी जाये। **(31)** इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि फ़र्ते मोहब्बत इन्सान के लिये बड़ी आज़माइश का सबब बनती है। बसा औक़ात उसे बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जैसा कि हज़रत बरीरा (ﷺ) के ख़ाविन्द हज़रत मुग़ीस(ﷺ) की हालत से अन्दाज़ा होता है कि वह मदीने की गलियों में उनके पीछे पीछे होते थे। **(32)** दो बाहम नफ़रत करने वालों के माबैन सुलह सफ़ाई कराना मुस्तहब है, ख़्वाह वह दोनों मियाँ बीवी ही हों। मियाँ बीवी होने की सूरत में ये ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि बच्चे वालिदैन की बाहमी नफ़रत व इख़्तिलाफ़ के असरात से महफ़ूज़ रहें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत बरीरा को हज़रत मुग़ीस (ﷺ) की बाबत सिफ़ारिश करते हुये ये भी फ़रमाया था: 'वह तेरे बच्चे का बाप है।' **(33)** बच्चे की निस्बत उसकी माँ की तरफ़ करना भी जायज़ है। **(34)** शोहर दीदा ख़ातून को मजबूर नहीं करना चाहिए, ख़्वाह वह आज़ादकर्दा ही क्यों न हो। **(35)** निकाह फ़स्ख़ होने की सूरत में रुजूअ नहीं हो सकता लेकिन नया निकाह हो सकता है। **(36)** अगर कोई औरत अपने ख़ाविन्द से नफ़रत करती हो तो उसके सरपरस्त को चाहिए कि वह उस औरत को ख़ाविन्द के साथ रहने पर मजबूर न करे और अगर मामला उसके बरअक्स हो कि औरत अपने ख़ाविन्द से मोहब्बत करती हो तो सरपरस्त उसके और उसके ख़ाविन्द के दरम्यान जुदाई और तफ़रीक़ न डाले। **(37)** शारेहीने हदीस ने इस हदीसे मुबारका से कम व बेश डेढ़ सौ (150) फ़वाइद व मसाइल का इस्तिम्बात किया है लेकिन हमने बग़र्ज़ इख़्तिसार मज़्कूरा बाला फ़वाइद व मसाइल ही पर इक्तेफ़ा किया है मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 29/9-19) इस रिवायत पर मज़ीद बहस के लिये देखिये, अहादीस 3477 से 3484.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " . وَخُيِّرَتْ .

(4647) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने बरीरा को आज़ाद करने के लिये उसे ख़रीदने का इरादा किया लेकिन उसके मालिकों ने अपने लिये वला की शर्त लगा ली। उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: ' तू उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे। बिलाशुबहा वला उसी की होती हे जो (ग़ुलाम को) आज़ाद करता है।' (ये वाक़िया भी हुआ कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गोश्त लाया गया और बतलाया गया कि ये गोश्त बरीरा पर सदक़ा किया गया है (और उसने हमें भेजा है) आपने फ़रमाया: 'सदक़ा उसके लिये है। हमारे लिये तोहफ़ा ही है।' और उसे (ख़ाविन्द के बारे में) इख़्तियार दिया गया।

(4647) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6239.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

(4648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने एक लौण्डी को ख़रीदने का इरादा किया। उनका इरादा उसे आज़ाद करने का था। उस लौण्डी के मालिकान ने कहा: हम लौण्डी बेच देते हैं मगर वला का हक़ हमें हासिल होगा। हज़रत आयशा(ﷺ) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'ये शर्त बैअ में रुकावट नहीं होनी चाहिए। वला उसी को मिलती है जो (ग़ुलाम को) आज़ाद करता है।'

(4648) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2169, मुस्लिम: 1504, मौता: 2/781, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6240.

बाब : (79) माले ग़नीमत की तक़्सीम से पहले उसे बेचना

باب : (٧٩)
بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

(4649) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने माले ग़नीमत की तक़्सीम से पहले उसका सौदा करने से मना फ़रमाया। और (इसी तरह नई ख़रीदी हुई) हामिला लौण्डियों के साथ जिमाअ करने से मना फ़रमाया यहाँ तक कि वह अपने पेट का बच्चा जन दें, और आपने हर कुचली वाले दरिन्दे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया।

(4649) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'माले ग़नीमत की तक़्सीम' जाहिलियत में रिवाज था कि जंग में हिस्सा लेने वाला शख़्स किसी दूसरे शख़्स से कहता कि मुझे माले ग़नीमत में से जो हिस्सा मिलेगा, मैं तुझे इतने में फ़रोख़्त करता हूँ, हालांकि न वह अभी तक अपने हिस्से का मालिक बना होता था और न ये इल्म ही होता था कि उसके हिस्से में क्या आयेगा। ज़ाहिर है कि शरीयत मज्हूल और ग़ैर मम्लूक चीज़ की फ़रोख़्त की इजाज़त क़तअन नहीं देती। **(2)** 'हामिला लौण्डी' यानी जिस लौण्डी को उसके साबिक़ा ख़ाविन्द या मालिक से हमल ठहर चुका हो। वह जंग में किसी के हाथ लग जाये या कोई शख़्स उसे ख़रीद ले तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, नये मालिक के लिये उससे जिमाअ करना हराम है क्योंकि वह हमल किसी और शख़्स का है। उसको उसमें दख़ल अन्दाज़ी का हक़ नहीं। **(3)** 'कुचली वाले' कुचली नूकीले दाँत को कहते हैं जो दरम्यान वाले चार दाँतों के दोनों अतराफ़ एक एक होता है। यहाँ इससे मुराद शिकारी जानवर है जिसे हम दरिन्दा कहते हैं क्योंकि दरिन्दे में ये दाँत लाज़िमन होते हैं जबकि ग़ैर शिकारी में ये दाँत नहीं होते। शिकारी जानवर की हुर्मत की वजह पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : (80)
मुश्तरका चीज़ की बैअ का बयान

باب: (٨٠)
بَيْعِ الْمَشَاعِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .

(4650) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'शुफ़आ हर मुश्तरका चीज़ में हो सकता है। वह घर हो या बाग़ (और खेत) किसी एक शरीक को जायज़ नहीं कि (मुश्तरका चीज़ में अपना हिस्सा) फ़रोख़्त करे यहाँ तक कि अपने शरीक (साथी या साथियों) को मुत्तलअ करे। अगर वह बिला इत्तिला फ़रोख़्त कर दे तो शरीक उसको लेने का हक़दार होगा मगर ये कि उसे इत्तिला करने के बाद बेचे।'

(4650) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 135/1608, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6242.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद मुश्तरका चीज़ की बैअ का हुक्म बयान करना है। अगर कोई शरीक अपना हिस्सा बेचना चाहे तो उसके लिये ज़रूरी है कि दीगर शुरका से उसकी इजाज़त ले। अगर कोई शख़्स अपने शरीक की इजाज़त के बग़ैर अपना हिस्सा फ़रोख़्त कर दे तो उसके शरीक को ये हक़ हासिल है कि वह उस रक़म के ऐवज़ जो उस हिस्से की लग चुकी हो ये हिस्सा ले ले। उसका हक़ दीगर तमाम लोगों से ज़्यादा और फ़ाइक़ है। **(2)** ये हदीसे मुबारका शरीक के लिये शुफ़्अे के सबूत की सरीह दलील है। अहले इल्म का इस पर इत्तेफ़ाक़ है। **(3)** शरीयते मुतह्हरा के उसूल व ज़वाबित लोगों की ख़ैर ख़्वाही पर मबनी हैं। एक चीज़ में मुख़्तलिफ़ शुरका बाहमी मुशावरत और दूसरे को ऐतमाद में लेने के बाद ही कोई इक़्दाम कर सकते हैं। मुश्तरका चीज़ में बिला मुशावरत तसर्रुफ़ करने वाले का तसर्रुफ़ मोतबर नहीं होगा। **(4)** शुफ़आ से मुराद वह हक़ है जो एक शरीक को दूसरे शरीक के हिस्से पर होता है। वह इस तरह कि उसकी फ़रोख़्त की सूरत में वह उसे ख़रीदने का दूसरों से बढ़ कर हक़दार होगा। लेकिन ये हक़ मुश्तरका चीज़ ही में है। जब कोई चीज़ तक़्सीम हो जाये, हदबन्दी हो जाये, रास्ते तक अलग अलग हो जायें और कुछ भी इश्तेराक बाक़ी न रहे तो ये हक़ भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि वह अब शरीक नहीं रहे, सिर्फ़ पड़ौसी की बिना पर किसी को ये हक़ नहीं मिल सकता। ये मसला तफ़्सीलन पीछे बयान हो चुका है। **(5)** 'हर

मुश्तरका चीज़' कुछ फ़ुक़हा ने अश्या-ए-मन्क़ूला को शुफ़आ से ख़ारिज किया है मगर इसकी कोई अक़्ली तौजीह समझ में नहीं आती। जिन वुजूह की बिना पर शुफ़आ मशरूअ किया गया है वह मन्क़ूला या ग़ैर मन्क़ूला जायदाद में बराबर पाई जाती हैं। (6) इस रिवायत से साबित हुआ कि मुश्तरका चीज़ सारी की सारी भी बेची जा सकती है और उसके कुछ मख़सूस हिस्से भी, यानी कोई शरीक सिर्फ़ अपना हिस्सा भी फ़रोख़्त कर सकता है, ख़्वाह शरीक को बेचे या उसकी इजाज़त से किसी और को। बाब का मक़सद भी यही है।

बाब : (81) बैअ के वक़्त गवाह न बनाये जायें तो उसकी गुंजाइश है

باب : (٨١) التَّسْهِيلِ فِي تَرْكِ الإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ

(4651) हज़रत उमारा बिन ख़ुज़ैमा के चचा मोहतरम से रिवायत है, और वह नबी-ए-अकरम(ﷺ) के सहाबी थे कि नबी अकरम (ﷺ) ने एक आराबी से एक घोड़ा ख़रीदा और आप उसे अपने साथ ले गये ताकि वह अपने घोड़े की क़ीमत वसूल करे। नबी-ए-मुकर्रम(ﷺ) ज़रा तेज़ चल रहे थे जबकि वह आराबी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। लोग उस आराबी को रोक कर उससे घोड़े का सौदा करने लगे। उनको ये इल्म नहीं था कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) उस घोड़े को ख़रीद चुके हैं, यहाँ तक किसी ने उस भाव से ज़्यादा भाव लगा दिया जिस पर आपका सौदा तै हुआ था। आराबी ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को बलन्द आवाज़ से पुकार कर कहा: अगर आपको ये घोड़ा ख़रीदना है तो ख़रीद लें वरना मैं बेचने लगा हूँ। आपने उसकी आवाज़ सुनी तो रुक गये और फ़रमाया: 'मैं तुझसे ख़रीद नहीं चुका?' उसने कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम! मैंने तो आपको ये नहीं बेचा। नबी-ए-अकरम (ﷺ) और आराबी

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ - وَهُوَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلأَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلاَّ بِعْتُهُ . فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ " أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ " . فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِالأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ . قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ . قَالَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ " لِمَ تَشْهَدُ " . قَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ .

के इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे। वह दोनों आपस में तकरार कर रहे थे। आराबी कहने लगा: कोई गवाह पेश करें जो गवाही दे कि मैंने आपको ये घोड़ा बेचा है। हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित(ﷺ) कहने लगे: मैं गवाही देता हूँ कि तूने ये घोड़ा आपको बेचा है। (ख़ैर! वह मामला तै हो गया, बाद में) आप हज़रत ख़ुज़ैमा (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'तुम किस तरह गवाही देते हो?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी तस्दीक़ की बिना पर। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ख़ुज़ैमा (ﷺ) की गवाही दो आदमियों के बराबर क़रार दे दी।

(4651) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3607, मुसनद अहमद: 5/215, 216, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6244, व सहीह अल हाकिम: 2/17, 18.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहिब (ﷺ) का मक़सद ये है कि सौदे पर या सौदा करते वक़्त गवाह न भी बनाये जायें तो उसकी गुंजाइश हैं इस इस्तेदलाल पर एक ऐतराज़ वारिद होता है कि क़ुर्आने करीम में अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया है: 'और जब तुम बाहम ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो गवाह बना लो।' (अल बक़र: 2/282) इस जगह लफ़्ज़ (वश्हिदू) फ़रमाया गया है और ये अम्र का सेग़ा है जबकि अम्र वजूब के लिये होता है। इस सूरत में किस तरह ये गुंजाइश निकलती है कि गवाह न बनाये जायें और सौदा कर लिया जाये? उसका जवाब ये है कि जब क़रीन-ए-सारिफ़ा (अम्र वजूब से इस्तेहबाब वग़ैरह की तरफ़ फेरने वाली दलील) आ जाये तो फिर वजूब ख़त्म हो जाता है जैसा कि मज़्कूरा हदीस में आराबी और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के वाक़िये से ज़ाहिर होता है। गवाह बनाना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं, ताहम उधार सौदा हो या क़र्ज़ हो या सौदे वग़ैरह में निस्यान व तनाज़अ का ख़दशा हो तो गवाह बनाना, तहरीर तैयार करना मुअक्कद चीज़ है। **(2)** सय्यदना ख़ुज़ैमा(ﷺ) की

फ़ज़ीलत व मन्क़बत साबित होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी गवाही को दो मुसलमान मर्दों की गवाही के बराबर क़रार दिया। (3) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) की कस्रे नफ़्सी और इन्तेहाई तवाज़ोअ पर वाज़ेह दलील है कि आप अपने दुनियावी काम काज बज़ाते ख़ूद सरअंजाम देते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) की इस तवाज़ोअ में उम्मत के लिये बहुत बड़ा सबक़ है कि अपने काम ख़ुद करना ही अज़मत और बड़ाई है न कि दूसरों से कराना और उन पर इन्हेसार करना।

बाब : (82)
बेचने और ख़रीदने वाले में क़ीमत का इख़्तिलाफ़ हो जाये तो?

باب : (٨٢)
اخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ

(4652) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद(ﷺ)) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब ख़रीदने और बेचने वाले का (क़ीमत वग़ैरह में) इख़्तिलाफ़ हो जाये और उनमें से किसी के पास सबूत न हो तो मोतबर बात वह होगी जो सामान का मालिक कहे या वह सौदा ख़त्म कर दें।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا " .

(4652) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3511, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6244, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 625, वल हाकिम: 2/45, अल बैहक़ी: 5/332.

फ़ायदा : भाव बताना बेचने वाले का हक़ है। ख़रीदने वाले को मन्ज़ूर हो तो ठीक है वरना बैअ नहीं होगी। अगर इख़्तिलाफ़ हो जाये कि ख़रीदने वाले के नज़दीक कम क़ीमत पर सौदा तै हुआ है और बेचने वाला कहता है कि ज़्यादा क़ीमत पर सौदा तै हुआ था, और कोई गवाह मौजूद हो तो उसकी गवाही पर फ़ैसला होगा वरना इस सूरत में बाइअ ही की बात मोतबर होगी। अब ख़रीदार की मर्ज़ी है कि उसके मुताबिक़ सौदा ले ले या फिर बैअ फ़स्ख़ हो जायेगी। यही क़ौल हदीस के मुताबिक़ है। इख़्तिलाफ़ के वक़्त तरफ़ैन की तरफ़ से हदीस में जो क़समें उठाने वाली बात है तो वह सनदन ज़ईफ़ है, लिहाज़ा इस पर अमल की ज़रूरत नहीं। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 35/198) वैसे भी जब तक ख़रीदने बेचने वाले अपनी मज्लिस में मौजूद हैं, कोई फ़रीक़ भी सौदे की वापसी का मुतालबा कर सकता है जिसे मानना दूसरे फ़रीक़ के लिये लाज़िम होगा जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। (देखिये, हदीस: 4462)

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، - وَاللَّفْظُ لإِبْرَاهِيمَ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلاَنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا . وَقَالَ هَذَا بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا . فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

(4653) हज़रत अ़ब्दुल मलिक बिन उ़बैद से रिवायत है कि हम हज़रत अबू उ़बैदा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द की मज्लिस में हाज़िर थे कि उनके पास दो आदमी आये। उन्होंने आपस में किसी सामान का सौदा किया था। एक कह रहा था: मैंने इतने में लिया। दूसरा कह रहा था: मैंने इतने का बेचा। हज़रत अबू उ़बैदा फ़रमाने लगे: हज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) के पास ऐसा मसला पेश हुआ था तो उन्होंने फ़रमाया था: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर था कि आपके पास इसी क़िस्म का मुक़द्दमा लाया गया। आपने हुक्म दिया कि बेचने वाले से क़सम ली जाये, फिर ख़रीदने वाले को इख़्तियार होगा, चाहे उस भाव में ले ले या फिर सौदा छोड़ दे।

(4653) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6245.

باب : (٨٣) مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

बाब : (83) अहले किताब से लेन देन और सौदे करना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا .

(4654) हज़रत आ़यशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक यहूदी से उधार ग़ल्ला ख़रीदा था और बतौर ज़मानत अपनी जिरह उसको गिरवी में दी थी।

(4654) तख़रीज : (सनद सह़ी) देखें, हदीस़: 4613, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6246.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأَهْلِهِ .

(4655) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह को प्यारे हुये तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी क्योंकि आपने उससे अपने अहल व अ़याल के लिये तीस स़ाअ़ ग़ल्ला (जौ) उधार लिये थे।

(4655) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1214, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6247.

फ़ायदा : इस हदीस़ की तफ़्सीली बहस़ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस़: 4614) इमाम स़ाहिब का मक़सूद ये है कि ग़ैर मुस्लिम लोगों से तिजारती रवाबित रखे जा सकते हैं। उनसे लेन देन और सौदे किये जा सकते हैं। अगरचे बाब में सिर्फ़ अहले किताब का ज़िक्र है मगर मुराद सब मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम हैं। अहले किताब, यहूदियों और इसाईयों को कहा जाता है क्योंकि उन पर आसमानी किताबें तौरात और इंजील उतारी गई थीं।

باب (٨٤): بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

बाब : (84) मुदब्बर ग़ुलाम की बैअ़

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ " . قَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي " . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ

(4656) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि बनू उ़ज़्रा के एक आदमी ने अपना एक ग़ुलाम मुदब्बर किया। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'क्या तेरे पास इसके अ़लावा कोई और माल है?' उसने कहा: नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कौन शख़्स मुझसे ये (ग़ुलाम) ख़रीदता है?' हज़रत नुऐ़म बिन अ़ब्दुल्लाह अ़दवी (ﷺ) ने उसे आठ सौ दिरहम में ख़रीद लिया। वह ये रक़म रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लेकर आये। आपने वह उसके सुपुर्द कर दी और फ़रमाया: 'पहले अपने आप पर ख़र्च कर, फिर अगर कुछ बच जाये तो वह तेरे अहल व अ़याल के लिये है, फिर अगर तेरे अहल व अ़याल से कुछ बच जाये तो तेरे रिश्तेदारों का हक़ है, अलबत्ता अगर तेरे

रिश्तेदारों से भी कुछ बच जाये तो ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी अपने आगे, अपने दायें और अपने बायें (अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर)'

فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

(4656) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6248.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है कि मुदब्बर को बेचा जा सकता है या नहीं? इमाम शाफ़ेई (ﷺ) और अहलुल हदीस (मुहद्दिसीने किराम की जमाअत) उसको जायज़ क़रार देते हैं। मज़्कूरा अहादीस इसकी वाज़ेह दलील हैं। **(2)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि नफ़ली सदक़े में अफ़ज़ल ये है कि उसे ख़ैर व भलाई की मुख़्तलिफ़ अन्वाअ में तक़्सीम किया जाये, यानी जो मसलिहत का तक़ाज़ा हो, उधर ही ख़र्च करना चाहिए। कोई ख़ास जहत मुअय्यन नहीं करनी चाहिए कि सदक़ा करने वाला ये कहे कि मैं सिर्फ़ फ़ुलां मद ही में ख़र्च करूँगा इसके अलावा कहीं भी ख़र्च नहीं करूँगा, ख़्वाह इसकी ज़रूरत ही हो। **(3)** अमीर व हाकिम को ये इख़्तियार हासिल है कि लोगों के ज़िम्मे से क़र्ज़ चुकाने के लिये उनके माल फ़रोख़्त करके उनके क़र्ज़ अदा कर दे और बाक़ी रक़म उनकी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिये उनके सुपुर्द कर दे जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। **(4)** शरई हुक्मरान को ये हक़ हासिल है कि वह कम अक़्ल और नादान शख़्स पर ये पाबन्दी लगा दे कि वह अपना माल फ़रोख़्त नहीं कर सकता, और उसे ये इख़्तियार भी हासिल है कि ऐसे शख़्स के अपने माल में किये हुये तसर्रुफ़ को कल्अदम कर दे।

(4657) हज़रत जाबिर (ؓ) से रिवायत है कि अन्सार में से एक आदमी ने जिसे अबू मज़्कूर कहा जाता था, अपना एक ग़ुलाम मुदब्बर किया। उस ग़ुलाम का नाम याक़ूब था। उस आदमी के पास कोई और माल नहीं था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको बुलाया और फ़रमाया: 'इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा?' हज़रत नुऐम बिन अब्दुल्लाह (ؓ) ने उसे आठ सौ दिरहम में ख़रीद लिया। आपने वह दिरहम उसके सुपुर्द किये और फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आदमी फ़क़ीर हो तो वह पहले अपने आप पर ख़र्च करे। अगर कुछ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِيهِ " . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ " إِذَا كَانَ

أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا " .

बचे तो अपने बाल बच्चों पर ख़र्च करे। मज़ीद अगर कुछ बचे तो अपने क़रीबी और रिश्तेदारों पर ख़र्च करे, फिर अगर बच जाये तो फिर इधर उधर (फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा करे)'

(4657) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6249.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ .

(4658) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक मुदब्बर बेच दिया था।

(4658) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2230, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6250.

باب(٨٥): بَيْعِ الْمُكَاتِبِ

बाब : (85) मुकातिब ग़ुलाम को फ़रोख़्त करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4659) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि बरीरा आयशा के पास आई। वह अपनी किताबत के बारे में उनसे कुछ मदद की तलबगार थी। हज़रत आयशा (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: अपने मालिकों के पास जा, अगर वह राज़ी हों कि मैं तेरी तरफ़ से किताबत की पूरी रक़म यक्मुश्त अदा कर दूँ और तू मेरी तरफ़ से आज़ाद हो जाये तो मैं तैयार हूँ। बरीरा ने ये बात अपने मालिकान से ज़िक्र की तो उन्होंने इन्कार कर दिया। और कहने लगे: अगर वह तुझे आज़ाद करके सवाब हासिल करना चाहती हैं तो बड़ी ख़ुशी से करें लेकिन वला का हक़ हमारा होगा। हज़रत आयशा (ﷺ) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وَشَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ " .

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू ख़रीद कर आज़ाद कर दे।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ख़ुत्बे में) फ़रमाया: 'उन लोगों का क्या हाल है जो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह की रू से जायज़ नहीं। जो शख़्स भी ऐसी शर्त लगाता है, जो किताबुल्लाह की रू से जायज़ नहीं, वह शर्त उसके हक़ में नहीं मानी जायेगी, ख़्वाह सौ दफ़ा शर्त लगा ले। अल्लाह तआला की नाफ़िज़कर्दा शर्त (हुक्म) ज़्यादा मोतबर और मज़बूत है।'

(4659) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2561, मुस्लिम: 6/1504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6251.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत और इस पर बहस तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। (देखिये हदीस: 3481) यहाँ बहस तलब मसला ये है कि क्या मुकातिब गुलाम बेचा जा सकता है? मुकातिब उस गुलाम को कहते हैं जिससे उसका मालिक तै कर ले कि तू इतनी रक़म इतनी क़िस्तों में (या यक्मुश्त) इतने अर्से तक अदा कर दे तो तुझे आज़ादी मिल जायेगी। ज़ाहिर है ये एक मुआहिदा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता मगर ये कि वह गुलाम राज़ी हो जिसे इस मुआहिदे का मफ़ाद है। और वाजेह बात है कि वह तभी राज़ी होगा अगर उसे फ़ौरी आज़ादी का यक़ीन दिला दिया जाये। ऐसी सूरत में जब मुआहिदे से बढ़ कर गुलाम को मफाद हासिल हो रहा हो और दोनों फ़रीक़ राज़ी हों तो उसे फ़ौरी आज़ादी के लिये बेचने में कोई हर्ज नहीं जैसा कि ऊपर दी गई रिवायात में ज़िक्र है। हाँ मालिकान अपने मफ़ाद की ख़ातिर उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसे किसी दूसरे को नहीं बेच सकते क्योंकि ये ग़रर और वादा ख़िलाफ़ी है जिसमें हुकूमत मुदाख़लत कर सकती है। **(2)** इस रिवायत के मुफ़स्सल फ़वाइद व मसाइल के लिये मुलाहिज़ा फ़रमायें फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 4646.

باب(٨٦): الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا

बाब : (86) मुकातिब ने अपनी किताबत से कुछ भी अदा न किया हो तो उसे बेचा जा सकता है

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ، مِنْ

(4660) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि बरीरा मेरे पास आई और कहने लगी: ऐ आयशा! मैंने अपने मालिकान से नौ औक़िये पर आज़ादी

أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي . وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكَ لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ

का मुआहिदा किया है। हर साल एक औक़िया देना होगा, लिहाज़ा मेरी मदद फ़रमाइये। अभी तक उसने अपनी किताबत की रक़म से कुछ भी अदा नहीं किया था। हज़रत आयशा (ﷺ) ने चाहा कि वह उसे आज़ाद कर दें, इसलिये उन्होंने उससे कहा: अपने मालिकों के पास जाओ अगर वह पसन्द करें कि मैं उनको (उनकी रक़म) यक्मुश्त अदा कर दूँ और तेरी वला मैं लूँगी तो ऐसा करने को तैयार हूँ। हज़रत बरीरा (ﷺ) अपने मालिकों के पास गई और ये बात उन्हें पेश की। उन्होंने इन्कार किया और कहने लगे: अगर वह सवाब हासिल करने के लिये तुझे आज़ाद करना चाहें तो कर दें लेकिन वला हमारी होगी। हज़रत बरीरा ने ये बात हज़रत आयशा (ﷺ) से ज़िक्र की और हज़रत आयशा (ﷺ) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'उनकी इस बात की वजह से इन्कार न करना बल्कि ख़रीद कर आज़ाद कर दो। वला उसी की होती है जो आज़ाद करे।' उन्होंने ऐसे ही किया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों में ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुये। आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'अम्माबअद! क्या वजह है कि लोग सौदे करते वक़्त ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह की रू से जायज़ नहीं? जो शख़्स भी ऐसी शर्त लगायेगा जो किताबुल्लाह की रू से जायज़ न हो तो वह बातिल और मरदूद होगी अगरचे सौ दफ़ा लगाई गई हो। अल्लाह तआला का फ़ैसला ही सही है और अल्लाह तआला की जायज़करदा शर्तें ही

مُوتَبَر هيں...

اللّٰهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

मोतबर हैं। याद रखो! वला उसी की होगी जो आज़ाद करेगा।'

(4660) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 1252.

फ़ायदा : इसकी तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस़: 4646.

बाब : (87) वला की बैअ (मना है)

باب(۸۷): بَيْعِ الْوَلَاءِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

(4661) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वला के बेचने और हिबा करने से मना फ़रमाया है।

(4661) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1506, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6253.

फ़ायदा : 'वला' वह ताल्लुक़ और रिश्ता है जो आज़ाद करने वाले और आज़ाद शुदा गुलाम के दरम्यान आज़ादी से क़ाइम होता है। ज़ाहिर है रिश्ते और तालीक़ात न बेचे जा सकते हैं न किसी को अतियतन दिये जा सकते हैं। बसा औक़ात इस ताल्लुक़ की वजह से आज़ाद करने वाले को आज़ाद शुदा गुलाम की विरासत भी हासिल हो जाती है, इसलिये जाहिल लोग ये रिश्ता बेच दिया करते थे कि विरासत तू संभाल लेना, मुझे इतनी रक़म फ़ौरन दे दे। शरीयत ने इस ज़रपरस्ती से मना फ़रमाया कि रिश्ते बेचने या तोहफ़तन देने की चीज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

(4662) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वला को बेचने और हिबा करने से मना फ़रमाया है।

(4662) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/782, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6254, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

(4663) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वला को बेचने और हिबा करने से मना फ़रमाया है।

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

(4663) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1506, बुख़ारी 2535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6255.

بَاب(٨٨): بَيْعُ الْمَاءِ

बाब : (88) पानी की बैअ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ .

(4664) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पानी बेचने से मना फ़रमाया है।

(4664) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6256.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पानी, इन्सानों और जानवरों की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बग़ैर बक़ा मुमकिन नहीं, फिर अल्लाह तआला ने वाफ़िर पानी मुफ़्त मुहैया फ़रमाया है। अगर पानी अपनी प्यास से ज़्यादा हो तो प्यासे को मुफ़्त देना फ़र्ज़ है और अगर अपने वुज़ू और ग़ुस्ल वग़ैरह की ज़रूरियात से ज़्यादा हो तो ग़ुस्ल और वुज़ू वग़ैरह के लिये मुफ़्त देना ज़रूरी है। हाँ, कारोबारी मक़ासिद के लिये पानी मतलूब है तो बेचा जा सकता है, जैसे: ज़रई ज़रूरियात या बर्फ़ वग़ैरह बनाने के लिये। इसी तरह अगर पानी के हुसूल में अख़राजात करने पड़ते हों या मेहनत करना पड़ती हो, जैसे: दूर से उठा कर या लाद कर लाया गया हो वग़ैरह तो भी अपने अख़राजात और मेहनत के मुताबिक़ मुआवज़ा वसूल किया जा सकता है। ये पानी की क़ीमत नहीं होती बल्कि अख़राजात और मेहनत का मुआवज़ा होता है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, अलबत्ता किसी प्यासे इन्सान या हैवान को पानी पीने से नहीं रोका जा सकता।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ، - وَقَالَ مَرَّةً ابْنَ عَبْدٍ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ . قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ .

(4665) हज़रत इयास बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पानी की फ़रोख़्त से मना फ़रमाते सुना।

उस्ताद क़ुतैबा ने कहा कि मैं उस (उस्ताद सुफ़ियान बिन उयय्ना) से अबू मिन्हाल के कुछ हुरूफ़ इस तरह नहीं समझ सका जिस तरह मैं चाहता था।

(4665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6257, तिर्मिज़ी, हदीस: 1271, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 594, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/44, 61.

फ़ायदा : इसका मतलब ये है कि क़ुतैबा को जब सुफ़ियान ने हदीस़ बयान की तो उसे अबू मिन्हाल की हदीस़ के कुछ अल्फ़ाज़ की इस तरह समझ न आ सकी जिस तरह वह चाहते थे शायद वहाँ भीड़ वग़ैरह हो और ये उस्ताद से कुछ फ़ासिले पर हों या कोई और वजह भी हो सकती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (89) ज़्यादा और फ़ालतू पानी बेचना

باب(٨٩): بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو .

(4666) हज़रत इयास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़्यादा पानी बेचने से मना फ़रमाया है। (हज़रत अम्र बिन आस़ (ؓ) की ज़मीन) वहत के नाज़िम ने वहत का ज़्यादा पानी बेचा तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) ने उसे नापसन्द फ़रमाया।

(4666) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6258, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1271.

फ़ायदा : मुफ़्त मिलने वाले पानी, जैसे: बारिश, चश्मे और नहर का पानी अगर किसी ज़रई ज़मीन से ज़्यादा हो तो उसको बेचना मना है। हाँ, जो पानी ख़रीदा गया हो, जैसे: ट्यूब वैल का पानी या जानवरों पर लाद कर लाया गया पानी, ऐसे पानी को उसी हिसाब से बेच दिया जाये तो कोई हर्ज नहीं। ये उस पानी की बैअ़ नहीं होती बल्कि ये दरअस़ल ट्यूब वैल या जानवरों के अख़राजात होते हैं या इन्सानी मेहनत का मुआवज़ा होता है मगर उर्फ़न उसे पानी की क़ीमत कह दिया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं। वहत, ये एक बस्ती या एक ज़मीन का नाम है जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र को विरास़तन मिली थी।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

(4667) स़हाबी-ए-रसूल हज़रत इयास बिन अ़ब्द (ؓ) बयान करते हैं कि ज़्यादा पानी न बेचो क्योंकि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़ालतू पानी बेचने से मना फ़रमाया है।

(4667) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6259.

फ़ायदा : जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने पानी मुफ़्त और वाफ़िर मुहैया फ़रमाया है, उसी तरह हमें भी

चाहिए कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी लोगों को मुफ़्त ले जाने दें, ख़ुसूसन किसी प्यासे इन्सान या हैवान को किसी सूरत भी पानी इस्तेमाल करने से रोकना जायज़ नहीं।

باب(٩٠): بَيْعُ الْخَمْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا " . فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِمَ سَارَرْتَهُ " . قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " . فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .

बाब : (90) शराब बेचना

(4668) हज़रत इब्ने वअ़ला मिस्री से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से अंगूर के निचोड़े हुये जूस के बारे में पूछा तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ऊँट पर लदी हुई शराब के दो मशकीज़े बतौर तोहफ़ा पेश किये। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'तुझे इल्म नहीं कि अल्लाह (ﷻ) ने शराब हराम फ़रमा दी है?' उसने अपने पहलू में (बैठे या खड़े हुये) एक शख़्स से आहिस्ता से कुछ कहा और जो कुछ उसने कहा, उसे मैं उस तरह नहीं समझ सका जिस तरह मैं चाहता था, लिहाज़ा मैंने (इसकी बाबत हाज़िरीन में से किसी से) पूछा। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उससे पूछा: 'तूने आहिस्ता से उसको क्या कहा?' उसने कहा: मैंने उसे ये शराब फ़रोख़्त करने को कहा है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस ज़ात ने शराब को हराम क़रार दिया है, उसने उसको बेचना भी हराम किया है।' उस शख़्स ने दोनों मशकीज़ों के मुँह खोल दिये यहाँ तक कि जो कुछ शराब उसमें थी बह गई।

(4668) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1579, मौता: 2/846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शराब की ख़रीद व फ़रोख़्त शरई तौर पर ना जायज़ और हराम है। इस बात पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा है। (2) मालूम हुआ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में जो उसने

तोहफ़तन शराब पेश की थी, वह साबिक़ा इबाहत की बिना पर ही थी। उसे उसकी हुर्मत का इल्म नहीं था इसी लिये आप (ﷺ) ने उसका मुवाख़िज़ा नहीं फ़रमाया। मालूम हुआ जो इन्सान किसी हराम का इर्तिकाब करे या हराम चीज़ को हलाल समझता हो, और इस हवाले से उसे वाक़ेई शरई हुक्म मालूम न हो तो उसे बाख़बर करना, ज़रूरी होगा। ऐसी मअसियत और गुनाह के इर्तिकाब पर वह क़ाबिले इताब व इक़ाब भी नहीं होगा। वल्लाहु आलम! **(3)** ये हदीसे मुबारका दलील है कि एक इन्सान दूसरे इन्सान से उसके कुछ राज़ों की बाबत पूछ सकता है। बाद में अगर उन राज़ों को पोशीदा रखना ज़रूरी हो तो पोशीदा रखे वरना उन्हें ज़िक्र और ज़ाहिर भी किया जा सकता है। **(4)** हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के जवाब का मतलब ये है कि अंगूर का जूस शराब बनाने के लिये ही इस्तेमाल होता है। इसका कोई और मस्रफ़ नहीं, लिहाज़ा अंगूर का जूस निकालना और शराब बनाने वालों को बेचना मना है, अलबत्ता अगर वह जूस किसी और हलाल मस्रफ़ में इस्तेमाल हो सके तो उसे बनाना और बेचना जायज़ है बशर्ते कि यक़ीन हो कि उससे शराब नहीं बनाई जायेगी। शरीयत का ये उसूल है कि जो चीज़ हराम है, उसका कारोबार, ख़रीद व फ़रोख़्त, लेन देन हर चीज़ मना है, जैसे: शराब, मुर्दार, बुत, ख़िन्ज़ीर वग़ैरह, अलबत्ता जो चीज़ किसी पर हराम है, किसी के लिये हलाल तो उसका कारोबार, ख़रीदा फ़रोख़्त, लेन देन सब जायज़ है यहाँ तक कि जिस शख़्स पर हराम है, वह भी उसका लेन देन कर सकता है, जैसे सोना, रेशम वग़ैरह। ये मर्दों के लिये पहनना हराम है, रखना हराम नहीं, लिहाज़ा उनका कारोबार और लेन देन मर्द भी कर सकते हैं। इसका तोहफ़ा भी दिया जा सकता है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

(4669) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि जब सूद की (हुर्मत की) आयात उतरीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये और ये आयात लोगों को पढ़ कर सुनाईं, फिर आपने शराब की तिजारत को भी हराम क़रार दिया।

(4669) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4543, मुस्लिम, हदीस: 1580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6261.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से शराब की हुर्मत के साथ साथ उसकी तिजारत की हुर्मत भी वाज़ेह होती है। मज़ीद बरां ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे सूद के साथ मिलाकर बयान किया जिसके बारे में अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: 'अगर तुम लोग सूदी लेन देन से बाज़ न आओगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से एक (बड़ी ख़ौफ़नाक) जंग का ऐलान सुन लो।' (अल

बक़र: 2/279) सूद की हुर्मत का शराब की तिजारत की हुर्मत से ताल्लुक़ ये है कि ये दोनों हराम का ज़रिया बनते हैं। सूद ज़ुल्म का ज़रिया बन सकता है। इसी तरह शराब की तिजारत शराब पीने का सबब बन सकती है क्योंकि जब तक शराब की तैयारी, ख़रीद व फ़रोख़्त, लेन देन मुकम्मल तौर पर ममनूअ क़रार नहीं दिया जाता, उस वक़्त तक मुआशरा शराब पीने की लानत से नहीं बच सकता। आपने सूद की हुर्मत से ये नतीजा अख़ज़ फ़रमाया कि हराम का ज़रिया भी हराम होता है, लिहाज़ा आपने शराब की तिजारत हराम फ़रमा दी।

باب(۹۱): بَيْعِ الْكَلْبِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

बाब : (91) कुत्ते की बैअ

(4670) हज़रत अबू मसऊद उक़्बा बिन अम्र(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की उजरत और (ग़ैब की ख़बरें बताने वाले) काहिन की शीरीनी और कमाई (नज़्रो न्याज़) से मना फ़रमाया है।

(4670) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6262.

फ़ायदा : तफ़्सीली बहस़ के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, फ़वाइद हदीस़: 4297.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا " وَثَمَنِ الْكَلْبِ " .

(4671) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बहुत सी चीज़ों को हराम क़रार देते हुये फ़रमाया: 'और कुत्ते की क़ीमत (भी हराम है)'

(4671) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6263, मुसनद अहमद: 1/278 वग़ैरह.

باب(۹۲): مَا اسْتُثْنِيَ

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،

बाब : (92)क्या कोई कुत्ता मुस्तस़्ना है?

(4672) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते और बिल्ली

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُنْكَرٌ .

की क़ीमत से मना फ़रमाया, अलबत्ता शिकारी कुत्ते को मुस्तस्ना फ़रमाया।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है।

(4672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 4300, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6264.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) ने फ़रमाया: ये हदीस़ मुन्कर है, यानी स़ही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, और इसके रावी भी ज़ईफ़ हैं। सुनन तिर्मिज़ी में भी हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से इसी मफ़हूम की हदीस़ आती है लेकिन वह भी ज़ईफ़ है। मुहद्दिस़ीन ने इस इस्तिस़्ना को स़ही क़रार नहीं दिया। वैसे भी अगर ये इस्तिस़्ना रख लिया जाये तो कुत्ते की क़ीमत की हुर्मत ख़त्म हो जायेगी क्योंकि हर कुत्ता शिकारी बन सकता है। गोया इस इस्तिस़्ना को तस्लीम करने से अस़ल हुक्म बिल्कुल्लिया ख़त्म हो जायेगा, लिहाज़ा ये इस्तिस़्ना अक़्लन भी स़ही नहीं। तफ़्सीली बहस़ पीछे हदीस़ नम्बर 4297 में गुज़र चुकी है।

باب(٩٣): بَيْعِ الْخِنْزِيرِ

बाब : (93) ख़िंज़ीर की बैअ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ " لاَ هُوَ حَرَامٌ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ "

(4673) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) ने शराब, मुर्दार, खिंज़ीर और बुतों की ख़रीद व फ़रोख़्त हराम क़रार दी है।' आपसे पूछा गया: अल्लाह के रसूल! ज़रा मुर्दार की चर्बी के बारे में इरशाद फ़रमायें? उसके साथ कश्तियाँ लेप की जाती हैं। और ये चेहरे को मली जाती है और लोग इससे रोशनी हास़िल करते हैं। आपने फ़रमाया: 'नहीं' ये हराम है।' उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये भी फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूदियों पर लानत फ़रमाये कि अल्लाह (ﷻ) ने जब उन पर चर्बी हराम फ़रमा दी तो उन्होंने उसे पिघला कर

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " .

बेचा और उसकी क़ीमत खाई।'

(4673) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 4261, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6265.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि जैसे ख़िंज़ीर हराम है वैसे ही उसकी ख़रीदो फ़रोख़्त भी हराम है, और अगर कोई फ़र्द या क़ौम किसी ममनूअ और हराम चीज़ को हलाल करने की ख़ातिर किसी क़िस्म का हीला बहाना तराशे और फिर उस पर अमल पेरा हो जाये तो अल्लाह तआला के यहाँ वह लानती है क्योंकि इस तरह वह उन यहूदियों की राह पर चला है जिन्होंने अल्लाह (ﷻ) की हुर्मतों को पामाल करने के लिये हीले बहाने घड़ लिये थे और अल्लाह के यहाँ मग़ज़ूब अलैहि और लानती क़रार पाये थे। **(2)** ख़िंज़ीर मुत्लक़न हराम है। इसकी कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, लिहाज़ा इसकी बैअ हर हाल में हराम है इसकी कोई चीज़ भी फ़रोख़्त नहीं हो सकती यहाँ तक कि इसकी खाल भी दबाग़त से पाक नहीं हो सकती। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4261)

बाब : (94) ऊँट की जुफ़्ती की बैअ

باب(٩٤): بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

(4674) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँट की जुफ़्ती (ज़ाइद) पानी और काश्तकारी के लिये ज़मीन की फ़रोख़्त से मना फ़रमाया कि एक आदमी अपनी ज़मीन और उसका पानी किसी को बेच दे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है।

(4674) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 35/1565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6266.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ऊँट की जुफ़्ती की बैअ' से मुराद जुफ़्ती का मुआवज़ा है क्योंकि ये उसका फ़ितरी तक़ाज़ा है, लिहाज़ा न उजरत जायज़ है और न नर को रोकना जायज़ है। हाँ, जुफ़्ती के बाद कोई शख़्स ख़ुशी से नर के मालिक को कुछ दे दे तो इसकी गुंजाइश है। ऐसी चीज़ भी ख़ुद खाने की बजाये नर के मस्रफ़ ही में ले आये। कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक ये नह्य तन्ज़ीही है। **(2)** 'ज़मीन की फ़रोख़्त' से मुराद बटाई या ठेका है। उसकी तफ़्सीली बहस पीछे हदीस नम्बर 3893 में गुज़र चुकी है। बटाई और ठेके में अगर कोई ज़ालिमाना शर्त न हो तो उनमें कोई हर्ज नहीं।

(4675) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नर की जुफ़्ती की उजरत से मना फ़रमाया है।

(4675) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6267.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

(4676) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: बनू किलाब के एक (छोटे) क़बीले बनू सअक़ का एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे नर की जुफ़्ती की उजरत के बारे में पूछा। आपने उसे इससे मना फ़रमाया। उसने कहा: बसा औक़ात इस (जुफ़्ती) पर हम ख़ुशी से कुछ दे देते हैं (तो आपने इसकी रुख़सत फ़रमा दी)

(4676) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6268.

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكْرَمُ عَلَى ذَلِكَ .

(4677) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सेंगी लगाने वाले की कमाई, कुत्ते की फ़रोख़्त और नर की जुफ़्ती की उजरत से मना फ़रमाया है।

(4677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6269.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

(4678) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नर की जुफ़्ती की उजरत से मना फ़रमाया।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

(4678) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6270, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، { عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، } قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ.

(4679) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत और नर की जुफ़्ती की उजरत लेने से मना फ़रमाया है।

(4679) **तख़रीज : (सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 2160, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6271.

باب : (٩٥)
الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ

बाब : (95)
एक आदमी कोई चीज़ ख़रीदता है, फिर मुफ़्लिस हो जाता है और वह चीज़ बिऐनिही (हुबहू) उसके पास पाई जाती है तो?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .

(4680) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुफ़्लिस क़रार दिया जाये, फिर कोई शख़्स अपना सामान उसके पास बिऐनिही (हुबहू) पा ले तो वह उस सामान का दूसरों से ज़्यादा हक़दार है।'

(4680) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1559, बुख़ारी, हदीस: 2402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6272.

फ़ायदा : मुफ़्लिस वह शख़्स होता है जिस पर इतना क़र्ज़ चढ़ जाये कि वह अदायगी के क़ाबिल न हो। हमारी ज़बान में उसे दीवालिया कहते हैं। उस शख़्स पर ये पाबन्दी लगा दी जाती है कि तू अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता बल्कि उसका माल फ़रोख़्त करके जो कुछ मयस्सर होता है, वह क़र्ज़ ख़्वाहों में तक़्सीम कर दिया जाता है। और बाक़ी क़र्ज़ उसे माफ़ हो जाता है, जैसे: अगर उस पर दस हज़ार रूपये क़र्ज़ हैं मगर उसका माल कुल पाँच हज़ार रूपये में फ़रोख़्त हो तो उसके क़र्ज़ ख़्वाहों में उनके क़र्ज़ का निस्फ़ निस्फ़ दिया जायेगा और बाक़ी माफ़ होगा। इस हदीस में एक इस्तिस्ना किया गया है कि अगर

किसी की कोई चीज़ बिऐनिही (हुबहू) उसके पास हो, ख़्वाह वह उसे आरयतन दी गई हो या बेची गई हो और उसने अभी तक उसकी क़ीमत में से कुछ भी अदा न किया हो तो वह चीज़ पूरी की पूरी उसके मालिक को दे दी जायेगी। वह चीज़ फ़रोख़्त करके तमाम क़र्ज़ ख़्वाहों में तक़सीम नहीं होगी, अलबत्ता अगर उसने उसकी क़ीमत में से कुछ अदा कर दिया हो तो फिर वह बाक़ी सामान के साथ फ़रोख़्त होगी। और उसके मालिक को भी दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के साथ मिला कर उनके तनासुब से अदायगी की जायेगी, जैसे: अगर उनको उनके क़र्ज़ का निस्फ़ दिया जा रहा हो तो उसे भी उसके क़र्ज़ का निस्फ़ ही दिया जायेगा। जुम्हूर अहले इल्म इस इस्तिस्ना को मानते हैं मगर अहनाफ़ ने इस इस्तिस्ना को तस्लीम नहीं किया क्योंकि इससे दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों की हक़ तल्फ़ी होगी कि उनको तो उनके क़र्ज़ का निस्फ़ मिला लेकिन ये शख़्स अपनी चीज़ पूरी की पूरी ले गया। उनके नज़दीक ये चीज़ भी बाक़ी सामान के साथ फ़रोख़्त होगी और उस शख़्स को भी दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के तनासुब से अदायगी की जायेगी। अहनाफ़ की ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि उस शख़्स को दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों पर ये फ़ज़ीलत हासिल है कि उसकी चीज़ बिऐनिही (हुबहू) मुफ़्लिस के पास मौजूद है जबकि दीगर लोगों का माल तल्फ़ हो चुका है। अब ये क़तअन दुरुस्त नहीं कि मालिक के होते हुये उसकी चीज़ बेच दी जाये और उसे न दी जाये। यूँ समझिये कि वह बैअ कल्अदम (नहीं के बराबर) हो गई क्योंकि अभी कोई अदायगी नहीं हुई, लिहाज़ा चीज़ असल मालिक को वापस मिल गई।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ، يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ .

(4681) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुफ़्लिस आदमी के बारे में फ़रमाया: 'जब उसके पास किसी का सामान बिऐनिही (हुबहू) पाया जाये और उसमें कोई शक न रहे तो वह उसके असल मालिक को दे दिया जायेगा जिसने उसे बेचा था (बशर्ते कि क़ीमत से कुछ अदायगी न हुई हो।)'

(4681) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6273.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " . فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ " .

(4682) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में एक आदमी के उन फलों का नुक़्सान हो गया जो उसने ख़रीदे थे। इस तरह उस पर बहुत क़र्ज़ चढ़ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस पर सदक़ा करो।' लोगों ने उस पर सदक़ा किया मगर उससे उसका पूरा क़र्ज़ अदा नहीं हो सकता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (उसके क़र्ज़ ख़्वाहों से) फ़रमाया: 'जो मिलता है ले लो, तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा।'

(4682) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6274.

फ़ायदा : किसी के मुफ़्लिस होने का फ़ैसला हुकूमत करती है। इफ़्लास के अहकाम उस वक़्त लागू होंगे जब हुकूमत उसके इफ़्लास का बाक़ायदा ऐलान कर दे। कोई शख़्स बज़ाते ख़ुद अपने आपको मुफ़्लिस क़रार नहीं दे सकता।

باب(٩٦): الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ

बाब : (96) एक शख़्स कोई सामान बेचता है, बाद में उस सामान का मालिक कोई और निकल आता है तो?

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ

(4683) हज़रत उसैद बिन हुज़ैर बिन सिमाक(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि जब कोई आदमी अपनी चीज़ ऐसे शख़्स के हाथ में पाये जो मश्कूक और मुत्तहम न हो, अगर वह चाहे तो उससे वह चीज़ इतनी रक़म देकर जितनी की उसने ख़रीदी है ले ले। और अगर चाहे तो (अस़ल) चोर का पीछा करे। हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) ने भी

أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَٰلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .

यही फ़ैसला फ़रमाया।

(4683) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 4/226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6275, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपनी चीज़' जो चोरी हो चुकी थी या किसी ने छीन ली थी। (2) 'मश्कूक और मुत्तहम न हो' गोया वह ख़ुद चोर नहीं बल्कि उसने चोर से ख़रीदी है। ज़रूरी नहीं कि उसे उसके चोर होने का इल्म हो, अलबत्ता अगर किसी के चोर होने का इल्म हो तो फिर उससे कोई चीज़ ख़रीदना नाजायज़ है क्योंकि ग़ालिब गुमान यही है कि वह चीज़ चोरी की होगी। (3) 'इतनी रक़म देकर जितनी की उसने ख़रदी है ले ले' ये नेकी की तल्क़ीन है वरना वह उस चीज़ का अस़ल मालिक है लेकिन चूंकि दूसरे शख़्स का भी कोई क़सूर नहीं, लिहाज़ा उसकी रक़म भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर उसका क़सूर साबित हो, जैसे: उसने जानने के बावजूद कि ये चीज़ चोरी की है, उस चीज़ को ख़रीदा हो तो उसे तावान डाला जा सकता है। आइन्दा हदीस में इस हदीस के ख़िलाफ़ हुक्म है कि अस़ल मालिक अपनी चीज़ ले जायेगा। ख़रीदार बेचने वाले से अपनी रक़म वसूल करेगा। ये रिवायत उसूल के मुताबिक़ है मगर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का फ़ैसला पहली हदीस पर है। गोया हालात के मुताबिक़ फ़ैसला किया जायेगा। अगर दूसरा शख़्स बिल्कुल बेगुनाह हो तो पहली हदीस के मुताबिक़ फ़ैसला किया जायेगा, जैसे: बेचने वाले का इल्म नहीं हो सकता या वह भाग गया हो या वह मर चुका हो वग़ैरह। और अगर उसका भी क़सूर हो, जैसे: उसे इल्म था कि ये चीज़ चोरी की है या बेचने वाले से रक़म मिल सकती है तो फिर दूसरी हदीस के मुताबिक़ फ़ैसला होगा। गोया दोनों अहादीस का महल व मक़ाम अलग अलग है। वल्लाहु आलम! (4) ये अहम बात याद रखनी चाहिए कि इस हदीस की सनद में इमाम नसाई (رحمه الله) से सह्व हुआ है कि उन्होंने सहाबी का नाम 'उसैद बिन हुज़ैर बिन सिमाक' बयान किया है जो कि बिल्कुल ग़लत है। दुरुस्त नाम है: 'उसैद बिन ज़ुहैर' इस ग़लती पर इमाम मिज़्ज़ी (رحمه الله) ने अपनी मारूफ़ तालीफ़ 'तहज़ीबुल कमाल' में तम्बीह फ़रमाई है। देखिये: (तहज़ीबुल कमाल: 2/264-265) ये सहाबी उसैद बिन ज़ुहैर ही हैं क्योंकि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (رضي الله عنه) तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) के दौरे ख़िलाफ़त में फ़ौत हुये हैं और उनकी नमाज़े जनाज़ा भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने पढ़ाई है। ज़रा सोचिये कि जो शख़्स हज़रत उमर (رضي الله عنه) के ज़मान-ए-मुबारक में फ़ौत हो जाये, भला वह सय्यदना मुआविया(رضي الله عنه) का ज़माना किस तरह पा सकता है?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَقَدْ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ

(4684) हज़रत उसैद बिन ज़ुहैर अन्सारी(رضي الله عنه) जो कि यमामा के गवर्नर थे, ने बताया कि मुझे हज़रत मरवान ने लिखा कि हज़रत

أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا . ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلاَ أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ . فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لاَ أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ .

मुआविया(ﷺ) ने मुझे लिखा है कि जिस आदमी की कोई चीज़ चोरी हो जाये, वह जहाँ भी उसे पा ले उसका ज़्यादा हक़दार है। मैंने उनको लिखा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया था कि जब चोरी से ख़रीदने वाला शख़्स मश्कूक और मुत्तहम न हो तो उस चीज़ के मालिक को इख़्तियार है, चाहे तो क़ीमत देकर वह चीज़ ले ले और चाहे तो चोर का पीछा करे, फिर हज़रत अबू बक्र, उमर और उस्मान (ﷺ) ने भी यही फ़ैसला दिया। हज़रत मरवान ने मेरा ख़त हज़रत मुआविया (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दिया। हज़रत मुआविया (ﷺ) ने मरवान को लिखा कि तुम या उसैद मुझ पर फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं कर सकते बल्कि मैं अपनी हुदूदे ख़िलाफ़त में फ़ैसला नाफ़िज़ करने का मजाज़ हूँ, इसलिये तुम मेरे हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला करो। हज़रत मरवान ने हज़रत मुआविया (ﷺ) का ख़त मुझे भेज दिया। मैंने कहा: जब तक मैं गवर्नर हूँ मैं तो हज़रत मुआविया (ﷺ) के उस क़ौल के मुताबिक़ फ़ैसला नहीं करूँगा।

(4684) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6276.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उसैद और हज़रत मुआविया (ﷺ) दोनों सहाबी हैं। हज़रत मरवान नबी (ﷺ) के दौर में मौजूद थे, मुसलमान थे मगर अपने वालिद के साथ ताइफ़ में रहते थे। हज़रत उस्मान (ﷺ) के दौर में मदीना मुनव्वरा आये, लिहाज़ा वह ताबेई हैं। इल्म से ख़ास शग़फ़ था। राविशाने हदीस में शुमार है। मोतबर और सिक़ा रावी हैं। तमाम हदीस की किताबों में उनकी रिवायात मौजूद हैं। (رحمہ اللہ). **(2)** हज़रत मुआविया (ﷺ) इस हदीस से वाक़िफ़ नहीं थे जो हज़रत उसैद(ﷺ) ने बयान फ़रमाई, इसलिये उनको यक़ीन न आया, अलबत्ता उन्हें तहक़ीक़ करना चाहिए थी। इसीलिये

हज़रत उसैद (ﷺ) से नाराज़ हुये और उनके क़ौल के मुताबिक़ फ़ैसला करने से इन्कार फ़रमाया। अगरचे वह ख़लीफ़ा थे और हज़रत उसैद और हज़रत मरवान गवर्नर थे मगर शरीयत की हिदायात के होते हुये किसी की हिदायत वाजिबुल इत्तिबा नहीं। मोमिन इसी किरदार का हामिल होता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ " .

(4685) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी अपने ऐन (असल) माल का ज़्यादा हक़दार है जब (और जहाँ) भी उसे पा ले। ख़रीदने वाला ख़ुद बेचने वाले का पीछा करे।'

(4685) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3531, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6277, देखें, हदीस: 34, दारक़ुतनी: 3228.

फ़ायदा : ऐन, यानी असल माल से मुराद वह माल है जो चोरी हो गया या किसी ने छीन लिया, फिर वह किसी और आदमी के पास मिल गया। इस हदीस की रू से असल मालिक अपना माल दूसरे शख़्स से बिला मुआवज़ा ले लेगा। दूसरा शख़्स अपनी रक़म का मुतालबा बेचने वाले से करेगा न कि असल मालिक से क्योंकि वह तो उसका ज़ाती माल है। (तफ़्सीली बहस के लिये देखिये, हदीस: 4683)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .

(4686) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत का निकाह दो वली (अलग अलग) जगह कर दें, वह उस ख़ाविन्द की होगी जिससे पहले निकाह हुआ। और अगर किसी शख़्स ने एक चीज़ दो आदमियों को (अलग अलग) बेच दी तो वह चीज़ उसको मिलेगी जिसको पहले पहुँच गई है।'

(4686) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6278, व सहीह इब्ने अल जारूद.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक दफ़ा बेचने के बाद पहला मालिक, मालिक नहीं रहता बल्कि ख़रीदने वाला मालिक बन जाता है। अगर पहला मालिक दूसरी जगह बेचेगा तो किसी की चीज़ बेचेगा, लिहाज़ा दूसरी बैअ मोतबर नहीं होगी। इसी तरह चोर या डाकू किसी की चीज़ बेचे तो वह बैअ मोतबर

नहीं होगी बल्कि वह चीज़ अस़ल मालिक की रहेगी। अगर अस़ल मालिक चीज़ तक पहुँच जाये तो वह उसे बिला मुआवज़ा ले सकता है। (देखिये फ़वाइद व मसाइल, हदीस़: 4683) निकाह वाले मसले में भी जब एक वली ने निकाह कर दिया तो दूसरे वली का तस़र्रुफ़ ग़ैर मोतबर है। (2) इस हदीस़ की उ़न्वान के साथ मुनासिबत नहीं है। मुअल्लिफ़ (ﷺ) को इस हदीस़ के लिये मुस्तक़िल तौर पर अलग तर्जुमतुल बाब क़ाइम करना चाहिए था जिसके साथ हदीस़ की मुताबिक़त वाज़ेह होती है।

باب(۹۷): الاِسْتِقْرَاضِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ " .

बाब : (97) क़र्ज़ लेने का बयान

(4687) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबू रबीया(ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने मुझसे चालीस हज़ार (दिरहम) क़र्ज़ लिये, फिर आपके पास कहीं से माल आया। आपने मेरा क़र्ज़ मेरे सुपुर्द किया और फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला तेरे अहल व माल में बरकत फ़रमाये। क़र्ज़ का बदला तारीफ़ और अदायगी है।'

(4687) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 2424, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6280, देखें, हदीस़: 5/114.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़रूरत के तहत क़र्ज़ लेना जायज़ है लेकिन उसकी अदायगी की फ़िक्र भी रहनी चाहिए, वुस्अ़त होने या वक़्ते मुक़र्ररा आने पर फ़ौरन अदायगी करनी चाहिए। इस बारे में हमेशा एहसान ही से काम लिया जाये, यानी बरवक़्त और मुकम्मल अदायगी, अच्छे अन्दाज़ में की जाये। अगर कोई शख़्स अपने ज़िम्मे क़र्ज़ से, क़र्ज़ ख़्वाह के मुतालबे के बग़ैर ज़्यादा अदायगी कर दे तो ये बेहतरीन अदायगी के साथ साथ एहसान भी है। स़ाहिबे स़र्वत लोगों को इसका ख़ास़ ख़्याल रखना चाहिए। **(2)** मक़रूज़ को चाहिए कि अदायगी के वक़्त बिल ख़ुसूस़ और आ़म औक़ात में बिलउ़मूम क़र्ज़ ख़्वाह के लिये दुआएँ करता रहे। क़र्ज़ ख़्वाह को दुआएँ देना और उसका शुक्रिया अदा करना भी अहसन अन्दाज़ से अदायगी में शामिल है, ख़ुसूस़न उसके अहल व अ़याल और माल व मताअ़ और कारोबार में बरकत की दुआ देना मसनून अ़मल है। **(3)** ज़रूरत के वक़्त क़र्ज़ लेना जायज़ है, ख़ुसूस़न क़ौमी ज़रूरियात के लिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये क़र्ज़ भी क़ौमी ज़रूरत के लिये था न कि ज़ाती ज़रूरत के लिये। मज़म्मत बिला ज़रूरत क़र्ज़ लेने की है या जब क़र्ज़ लेते वक़्त अदायगी की नियत न हो।

बाब : (98) क़र्ज़ की बाबत शदीद वईद

باب(٩٨): التَّغْلِيظِ فِي الدَّيْنِ

(4688) हज़रत मुहम्मद बिन जहश (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठे थे कि आपने अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया। फिर अपनी हथेली अपनी पेशानी पर रखी, फिर फ़रमायाः 'सुब्हानल्लाह! किस क़द्र सख़्त हुक्म उतरा है?' हम ख़ामोश रहे लेकिन घबरा गये। अगले दिन मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या सख़्त हुक्म था? आपने फ़रमायाः 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर कोई आदमी अल्लाह तआला के रास्ते में शहीद किया जाये, फिर उसे ज़िन्दा किया जाये, फिर शहीद किया जाये, फिर ज़िन्दा किया जाये, फिर शहीद किया जाये जबकि उसके ज़िम्मे क़र्ज़ वाजिबुल अदा हो तो वह जन्नत में दाख़िल नहीं होगा यहाँ तक कि उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा क़र्ज़ उसकी तरफ़ से अदा कर दिया जाये।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ " . فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ " .

(4688) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6281.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद क़र्ज़ की बाबत शरीयत की सख़्त तरीन वईद बयान करना है, यानी जो आदमी क़र्ज़ ले और फिर उसे अदा किये बग़ैर मर जाये तो उसके लिये आख़िरत के मराहिल इन्तेहाई मुश्किल होंगे बल्कि उसके लिये जन्नत का दाख़िला भी बन्द कर दिया जाता है, लिहाज़ा क़र्ज़ लेने से मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करनी चाहिए और अगर क़र्ज़ लेना नागुज़ीर हो तो फिर उसकी जल्द अज़ जल्द वापसी और अदायगी यक़ीनी बनाई जाये। **(2)** शहीद फ़ौत होते ही जन्नत में पहुँच जाता है और जन्नत में उड़ता फिरता है, ताहम क़र्ज़ रुकावट बन जाता है यहाँ तक कि क़र्ज़ अदा कर दिया जाये। या क़र्ज़ ख़्वाह राज़ी हो जाये। अपने आप राज़ी हो जाये या अल्लाह तआला उसे राज़ी फ़रमा दे।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ " أَهَا هُنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَحَدٌ " . ثَلاَثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَنْ لاَ تَكُونَ أَجَبْتَنِي أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ إِنَّ فُلاَنًا - لِرَجُلٍ مِنْهُمْ - مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ " .

(4689) हज़रत समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ एक जनाज़े में थे। आपने तीन दफ़ा फ़रमाया: 'क्या यहाँ फ़ुलां ख़ानदान का कोई फ़र्द है?' आख़िर एक आदमी खड़ा हुआ। आपने उसे फ़रमाया: 'पहली दो दफ़ा तुझे कौन सी चीज़ जवाब देने से मानेअ (रोकने वाली) थी? मैंने तुझे एक अच्छे मक़सद के लिये बुलाया था। इस क़बीले का फ़ुलां शख़्स जो फ़ौत हो गया था, वह अपने क़र्ज़ की वजह से गिरफ़्तार है।'

(4689) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3341, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6282.

फ़ायदा : 'गिरफ़्तार है' या जन्नत में जाने से रुका हुआ है। आपका मक़सद ये था कि उसकी तरफ़ से उसका क़र्ज़ जल्दी अदा किया जाये ताकि वह रिहा हो सके या जन्नत में दाख़िल हो सके।

باب(٩٩): التَّسْهِيلِ فِيهِ

बाब : (99) क़र्ज़ लेने की गुंजाइश भी है

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَلاَمُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لاَ أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا " .

(4690) हज़रत इमरान बिन हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि हज़रत मैमूना (ﷺ) क़र्ज़ लिया करती थीं और ज़्यादा लिया करती थीं। उनके रिश्तेदारों ने इस बारे में उन पर ऐतराज़ किया, मलामत की और नाराज़ हुये। वह फ़रमाने लगीं: मैं क़र्ज़ लेना नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मैंने अपने प्यारे महबूब ख़ाविन्द (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जो शख़्स भी क़र्ज़ लेता है, जिसके बारे में अल्लाह तआला को इल्म हो कि वह अदायगी की नियत रखता है तो अल्लाह तआला दुनिया ही में उसका क़र्ज़ उसकी तरफ़ से अदा करा देगा।'

(4690) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6285, व सहीह

इब्ने हिब्बान, हदीस: 1157, व इब्ने हिब्बान वग़ैरह.

फ़ायदा : 'अदा करा देगा' यानी उसे अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमायेगा या अपने किसी नेक बन्दे के दिल में इल्क़ा फ़रमा देगा कि उसकी तरफ़ से क़र्ज़ अदा कर दे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

(4691) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से रिवायत है कि हज़रत मैमूना (ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा ने एक दफ़ा क़र्ज़ लिया। उनसे कहा गयाः ऐ उम्मुल मोमिनीन! आप क़र्ज़ लेती हैं जबकि आपके पास वापसी के लिये कुछ भी नहीं? वह फ़रमाने लगीं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुनाः 'जो शख़्स क़र्ज़ ले जबकि वह अदायगी का इरादा रखता हो, अल्लाह तआला उसकी मदद फ़रमाता है।'

(4691) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6286, पिछली हदीस देखें.

باب(١٠٠): مَطْلِ الْغَنِيِّ

बाब : (100) मालदार शख़्स का अदायगी में टाल मटोल करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ " .

(4692) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी (क़र्ज़ ख़्वाह) को किसी मालदार शख़्स के पीछे लगाया जाये तो उसे पीछे लग जाना चाहिए। (अगर उसे किसी मालदार शख़्स से अपना क़र्ज़ वसूल करने की पेशकश की जाये तो वह ये पेशकश क़बूल कर ले) ज़ुल्म ये है कि मालदार शख़्स टाल मटोल (अदायगी में ताख़ीर) करे।'

(4692) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2288, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6287.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि अगर मालदार शख़्स अदायगि-ए-क़र्ज़ में ताख़ीर करे

तो ये नाजायज़ और हराम है। अगर मक़रूज़ शख़्स, मालदार नहीं तो उसका क़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर करना ज़ुल्म नहीं होगा, लिहाज़ा ऐसे मक़रूज़ को बेइज़्ज़त करना या उसे सज़ा देना दुरुस्त नहीं होगा बल्कि उसके साथ नर्मी और मोहलत देने वाला सुलूक करना मतलूब है। ये भी याद रहे कि अगर मक़रूज़ शख़्स, है तो मालदार लेकिन उसका माल उसकी दस्तरस में नहीं तो इस सूरत में उसका लैत व लअल्ल ज़ुल्म नहीं समझा जायेगा और न उसके साथ मालदार मक़रूज़ वाला मामला ही किया जायेगा। **(2)** कभी मक़रूज़ इतनी वुस्अत नहीं रखता कि ख़ुद अदायगी करे, लिहाज़ा अगर वह क़र्ज़ ख़्वाह से गुज़ारिश करे कि आप अपना क़र्ज़ फुलां शख़्स से वसूल कर लें। वह मेरी तरफ़ से अदायगी करेगा। और वह शख़्स भी इक़रार करे कि मैं अदायगी कर दूँगा तो अख़्लाक़े करीमाना का तक़ाज़ा है कि उस ग़रीब आदमी की जान छोड़ दी जाये। और दूसरे शख़्स से, जो मालदार भी है और अदायगी का इक़रार भी करता है, क़र्ज़ वसूल कर लिया जाये। इस अमल को अरबी ज़बान में हवाला कहते हैं, जुम्हूर अहले इल्म की राय यही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 35/300, 301) **(3)** 'ज़ुल्म ये है' यानी ग़रीब आदमी में अदायगी की ताक़त न हो और वह टाल मटोल करे तो ये मुमकिन है मगर एक मालदार शख़्स क़र्ज़ की वापसी में बिला वजह ताख़ीर करे और आज कल करता रहे तो ये ज़ुल्म है जिसकी सज़ा उसे दी जा सकती है, ताहम इस्तेताअत न रखने वाला शख़्स ताख़ीर करे या मिन्नत समाजत करे तो उस पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मजबूर है और शरीयत हर माक़ूल उज़्र और हक़ीक़ी मजबूरी का लिहाज़ करती है और बहरहाल मजबूर शख़्स के साथ तआवुन और उसकी हिमायत करती है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " .

(4693) हज़रत शरीद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अदायगी की गुंजाइश रखने वाला शख़्स अदायगी में टाल मटोल करे तो उसकी बेइज़्ज़ती की जा सकती है और उसे सज़ा भी दी जा सकती है।'

(4693) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6288, बुख़ारी फ़ी सहीह, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1164, वल हाकिम: 4/102.

फ़ायदा : बेइज़्ज़ती तो क़र्ज़ ख़्वाह करेगा कि उसे लोगों के सामने ज़लील करे और सज़ा हुकूमत देगी कि उसे क़ैद कर दे।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ".

(4694) हज़रत शरीद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मालदार शख़्स (अदायगी में) हीले बहाने करे तो उसकी बेइज़्ज़ती करना और उसे सज़ा देना जायज़ और हलाल है।'

(4694) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6289.

باب : (١٠١)
الْحَوَالَةِ

बाब : (101)
हवाला (मक़रूज़ का क़र्ज़ ख़्वाह को किसी मालदार शख़्स के हवाले करना जायज़ है)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .

(4695) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'साहिबे इस्तेताअत शख़्स का अदायगी से टाल मटोल करना ज़ुल्म है। और जब किसी (क़र्ज़ ख़्वाह) को किसी मालदार शख़्स के सुपुर्द किया जाये तो उसे चाहिए कि वह अदायगी के लिये उससे रुजूअ करे।'

(4695) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2287, मुस्लिम, हदीस: 1564, मौता: 2/674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6290.

फ़ायदा : हवाला की तफ़्सील हदीस नम्बर 4692 में बयान हो चुकी है। मक़सद ये है कि क़र्ज़ एक शख़्स से दूसरे शख़्स की तरफ़ मुन्तक़िल हो सकता है। इसीलिये जुम्हूर अहले इल्म मुहद्दिसीने किराम व फुकहा-ए-इजाम असल मक्रूज को हवाला के बाद बरीउज्जिम्मा समझते हैं ख्वाह दूसरा शख़्स भी अदा न कर सके क्योंकि कर्ज दूसरे की तरफ़ मुन्तकिल हो गया दलाइल के ऐतबार से यही बात राजेह है।

बाब : (102)
क़र्ज़ की किफ़ालत (कोई शख़्स मक़रूज़ की तरफ़ से अदायगी का ज़िम्मेदार बन सकता है)

باب : (١٠٢)
الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ

(4696) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मरवी है कि एक अन्सारी शख़्स का जनाज़ा नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में लाया गया कि आप उसका जनाज़ा पढ़ायें। आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे इस साथी के ज़िम्मे तो क़र्ज़ है।' अबू क़तादा ने कहा: इसकी अदायगी का मैं ज़िम्मेदार बनता हूँ। आपने फ़रमाया: 'पूरा अदा करोगे?' मैंने कहा: पूरा (अदा करूँगा)

(4696) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1962, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6291.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ " إِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا " . فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ . قَالَ " بِالْوَفَاءِ " . قَالَ بِالْوَفَاءِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इब्तेदा में आपका तर्ज़े अमल यही था कि अगर मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ होता और उसके तर्के में उसके मुताबिक़ माल न होता तो आप बज़ाते ख़ुद जनाज़ा न पढ़ते, सहाब-ए किराम (ﷺ) से फ़रमा देते कि तुम पढ़ लो। फिर जब बैतुल माल में वुस्अत हो गई तो आपने ऐलान फ़रमा दिया कि जो शख़्स मक़रूज़ फ़ौत हो जाये तो उसका क़र्ज़ हुकूमत अदा करेगी। गोया हुकूमत की ज़िम्मेदारी में ये चीज़ भी शामिल है। (2) मय्यत के क़र्ज़ की किफ़ालत जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक सही है। वह कफ़ील न तो बाद में इन्कार कर सकता है न मय्यत के माल से वसूल कर सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) मय्यत की तरफ़ से किफ़ालत को जायज़ नहीं समझते अगर उसने माल न छोड़ा हो, हालांकि अगर कोई शख़्स सवाब की नियत से मय्यत का क़र्ज़ अदा करने की ज़िम्मेदारी उठाये तो इसमें क्या हर्ज है?

التَّرْغِيبِ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً "

बाब : (103)
अदायगी अच्छे तरीक़े से करनी चाहिए

(4697) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से बेहतरीन वह लोग हैं जो अदायगी करने में अच्छे हों।'

(4697) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6292.

باب : (١٠٤)
حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ فِي الْمُطَالَبَةِ

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

बाब : (104)
लेन देन और क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा अच्छे तरीक़े और नर्मी से करना चाहिए

(4698) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक आदमी ने कभी नेकी नहीं की थी। वह लोगों से लेन देन किया करता था। वह अपने कारिन्दे से कहता था कि जो आसानी से मुहैया हो सके, ले लेना और जिसमें मक़रूज़ को तंगी हो, वह छोड़ देना बल्कि माफ़ कर देना। उम्मीद है अल्लाह तआला भी हमें माफ़ करेगा, फिर जब वह फौत हो गया तो अल्लाह तआला ने उसे फ़रमाया: क्या तूने कभी कोई नेकी की है? उसने कहा: नहीं, मगर मेरा एक ग़ुलाम था और मैं लोगों से लेन देन किया करता था। जब मैं उसे वसूली के लिये भेजता था तो मैं उसे कहता था: जो आसानी से मिल जाये, ले लेना और जिसमें देने वाले को तंगी हो, छोड़ देना और माफ़ कर देना। शायद अल्लाह तआला हमें माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: जा

मैंने तुझे माफ़ कर दिया।'

قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ " .

(4698) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/361, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6293, व सहीह अलहाकिम अला शर्ते मुस्लिमः 2/28, अज़्ज़हबीः 8/326.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो शख़्स अल्लाह (ﷻ) के बन्दों के साथ हुस्ने मामला और शफकत व नर्मी का मुज़ाहिरा करता है तो अल्लाह (ﷻ) भी उसके साथ यही मामला फ़रमायेगा, और इसका बदला जन्नत की सूरत में देगा। (2) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि साबिक़ा शरीयत भी हमारे लिये, हमारी अपनी शरीयत ही की तरह वाजिबुल अमल और वाजिबुल इताअत है मगर ये कि कुर्आन व हदीस उसकी तर्दीद कर दें। इस मसले की बाबत अगरचे अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है, ताहम अहले इल्म का सही क़ौल यही है। इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम और इमाम नसाई (رحمهم الله) वग़ैरह का मस्लक यही है। (3) इस हदीसे मुबारका से जहाँ तंगदस्त शख़्स को मोहलत देने की फ़ज़ीलत साबित होती है वहाँ मुफ़्लिस व क़ल्लाश शख़्स के ज़िम्मे तमाम या कुछ क़र्ज़ माफ़ कर देने की फ़ज़ीलत भी साबित होती है। (4) ख़ालिस अल्लाह तआला की रिज़ा हासिल करने के लिये की जाने वाली मामूली सी नेकी भी बहुत से गुनाहों के मिटा देने का सबब बन सकती है। (5) गुलाम को वकील बनाने और मामलात में तसर्रुफ़ करने का इख़्तियार देना जायज़ हैं (6) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि अगर कोई इन्सान ख़ुद नेकी का काम न करे बल्कि किसी और से कराये तो उस काम करने वाले के साथ साथ कराने को भी पूरा अज्र मिलेगा। (7) शरीयते मुतह्हरा ने ये हिदायात इसलिये दी हैं कि उन पर अमल पेरा होने वाले शख़्स को बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ख़ूश अख़्लाक़ी बहुत बड़ी नेकी है, और ये भी हक़ीक़त है कि ख़ूश अख़्लाक़ ताजिर के कारोबार में बहुत बरकत होती है।

(4699) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः 'एक आदमी लोगों से लेन देन किया करता था। जब वह किसी तंगदस्त की तंगदस्ती देखता तो अपने नोकर से कहता था कि उसे माफ़ कर दो शायद अल्लाह तआला हमें माफ़ कर दे। फिर (वफ़ात के बाद) वह शख़्स अल्लाह तआला के सामने हाज़िर हुआ तो अल्लाह तआला ने उसे माफ़ फ़रमा दिया।'

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا

. فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ " .

(4699) **तख़रीज :** (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2078, मुस्लिम, हदीस: 1562, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6294.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ " .

(4700) हज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने एक आदमी को इस बिना पर जन्नत में दाख़िल कर दिया कि वह ख़रीदते, बेचते, अदा करते और तलब करते वक़्त नर्म रवैया रखता था।'

(4700) **तख़रीज :** (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6295, बुख़ारी,: 2067.

फ़ायदा : ये हदीसे मुबारका भी बलन्द और करीमाना अख़्लाक़ अपनाने और लेन देन में इख़्तिलाफ़ात ख़त्म करने की तर्ग़ीब देती है। इन्सानों के साथ तंगी तुर्शी वाला मामला नहीं करना चाहिए और न उनके लिये मुसीबत और अ़ज़ाब ही बनना चाहिए बल्कि मेहरबानी और दरगुज़र से काम लेना चाहिए।

باب(١٠٥): الشَّرِكَةِ بِغَيْرِ مَالٍ

बाब : (105) माल के बग़ैर शराकत का बयान

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ .

(4701) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं, अ़म्मार और सअ़द बद्र के दिन शरीक बने। हज़रत सअ़द (ﷺ) दो क़ैदी लाये। मैं और अ़म्मार कुछ न लाये।

(4701) **तख़रीज :** (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 3969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6296.

फ़ायदा : 'शरीक बने' इस शराकत का मतलब ये है कि हमें जो कुछ मिलेगा, वह बराबर तक़्सीम कर लेंगे। इस शराकत में कोई हर्ज नहीं कि दो तीन आदमी मिलकर काम करें और फिर हासिल होने वाली आमदनी में बराबर के शरीक बन जायें। अगरचे सब लोग एक जैसा काम नहीं करते मगर शराकत में मुसामहत होती है। फ़ुक़हा की इस्तेलाह में ऐसी शराकत को शिर्कतुल अब्दान कहते हैं।

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .

(4702) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो बाक़ी हिस्से की आज़ादी भी उसके माल से होगी बशर्ते कि उसके पास इतना माल हो जो उस गुलाम की क़ीमत के बराबर हो।'

(4702) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 57/1501, बाद, हदीस: 1667, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6297.

फ़ायदा : इस रिवायत की मुनासिबत अगले बाब से है, मगर ये कि इस बाब के मानी ये हों कि शराकत माल, यानी रूपये पैसे के अलावा और चीज़ों में भी हो सकती है, जैसे: गुलाम। फिर ये हदीस अगले बाब से मुताल्लिक़ भी हो सकती है।

باب(١٠٦): الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

बाब : (106) गुलाम में शिर्कत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ -قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ " .

(4703) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और उसके पास इतना माल हो जो उस गुलाम के बाक़ी हिस्से की क़ीमत बन सके तो वह गुलाम (पूरे का पूरा) उसके माल से आज़ाद होगा।'

(4703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2491, मुस्लिम, हदीस: 1501, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6298.

باب(١٠٧): الشَّرِكَةِ فِي النَّخِيلِ

बाब : (107) खजूर के दरख़्तों में शिर्कत का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى

(4704) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जिस शख़्स के पास ज़मीन या खजूरों के दरख़्त हों तो

الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .

वह उन्हें न बेचे यहाँ तक कि अपने शरीक पर पेश करे (अपने शरीक को ख़रीदने की पेशकश करे)'

(4704) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2492, अल हुमैदी, हदीस: 1281, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 461, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6299.

फ़ायदा : 'अपने शरीक पर' यहीं पर बाब से ताल्लुक़ है कि शरीक तभी बनेगा अगर दोनों उसके मुश्तरका मालिक होंगे। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील और वज़ाहत जानने के लिये देखिये, हदीस: 4650 के फ़वाइद व मसाइल।

بَاب (١٠٨): الشَّرِكَةِ فِي الرِّبَاعِ

बाब : (108) अहाते में शिर्कत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

(4705) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर मुश्तरक चीज़ में हक़्क़े शुफ़आ क़रार दिया है बशर्ते कि वह तक़्सीम न हुई हो। घर हो या खेत हो या बाग़। किसी एक शरीक को अपना हिस्सा बेचने की इजाज़त नहीं यहाँ तक कि अपने शरीक को मुत्तलअ करे। चाहे वह ले ले, चाहे न ले। लेकिन अगर उसे इत्तिला किये बग़ैर बेच डाला तो शरीक उसका ज़्यादा हक़दार होगा।'

(4705) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4650, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6300.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4650 के फ़वाइद व मसाइल

باب (١٠٩): ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا

बाब : (109) शुफ़आ और उसके अहकाम

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " .

(4706) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पड़ौसी अपने क़ुर्ब की वजह से ज़्यादा हक़ रखता है।'

(4706) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6301.

फ़ायदा : सुनन और मुसनद अहमद में हज़रत जाबिर (ﷺ) से इसी मफ़हूम की रिवायत है। इसमें ये शर्त भी है 'बशर्ते कि उनका रास्ता एक हो' (मुसनद अहमद: 3/303, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3518) गोया पड़ौसी को भी शुफ़आ का हक़ है अगर वह रास्ते वग़ैरह में शरीक हों इस तरह तमाम रिवायात पर अमल हो जायेगा। कुछ हज़रात ने सिर्फ़ पड़ौसी को भी शुफ़आ का हक़ दिया है, ख़्वाह वह किसी लिहाज़ से भी शरीक न हो लेकिन इससे सहीहैन की मुत्तफ़क़ा रिवायात की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी जिनमें तक़्सीम और रास्ते अलग अलग होने के बाद शुफ़आ की सराहतन नफ़ी की गई है। (जैसे: देखिये, हदीस: 4708) शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) ने शुफ़आ की दो क़िस्में क़रार दी हैं: शुफ़आ वाजिब और शुफ़आ मुस्तहब। शुफ़आ वाजिब तो शरीक के लिये ही है, ख़्वाह असल चीज़ में शरीक हो या रास्ते वग़ैरह में। सिर्फ़ पड़ौसी जो किसी भी लिहाज़ से शरीक न हो, वह शुफ़अ-ए-मुस्तहब का हक़दार है, यानी अच्छी बात है कि फ़रोख़्त करने से पहले पड़ौसी से भी पूछ लिया जाये, ज़रूरी नहीं। वह अदालत में दावा भी नहीं कर सकता और उसके कहने से बैअ फ़स्ख़ भी नहीं हो सकती जबकि शरीक से पूछ लेना ज़रूरी है वरना अदालत में ये दावा करके बैअ फ़स्ख़ करवा सकता है। ये तत्बीक़ भी मुनासिब है। वल्लाहु आलम1 (बाक़ी तफ़्सील देखिये, हदीस: 4650)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الْجُوَارَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" .

(4707) हज़रत शरीद (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी ज़मीन में कोई शख़्स शरीक नहीं, न किसी का हिस्सा है, अलबत्ता पड़ौसी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पड़ौसी भी क़ुर्ब की वजह से हक़दार है।'

(4707) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6302.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हमसाये को बवजह हमसायगी दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा हक़ हासिल है कि जब कोई शख़्स अपनी ज़मीन या मकान व दुकान वग़ैरह बेचना चाहे तो फ़रोख़्त करने से पहले अपने हमसाये से पूछ ले कि अगर वह ख़रीदना चाहे तो ख़रीद ले। मालिके जायदाद अगर हमसाये से पूछे बग़ैर ही किसी दूसरे शख़्स के हाथ अपनी जायदाद फ़रोख़्त कर दे तो क़ानूनी और शरई तौर पर हमसाये को महज़ हक्के हमसायेगी की बिना पर शुफ़आ करने का कोई हक़ नहीं। सहीह बुख़ारी में इस मसले की सरहात मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2213) **(2)** ये अहम मसला भी याद रहना चाहिए कि हक्के शुफ़आ सिर्फ़ ग़ैर मन्क़ूला जायदाद, जैसे: ज़मीन, मकान, बाग़ और दुकान वग़ैरह

में है। मन्क़ूला जायदाद में किसी को शुफ़्अे का कोई हक़ नहीं। मज़ीद बरां ये भी कि जो माल तक़्सीम न किया जा सके उसमें भी कोई शुफ़्आ नहीं। वल्लाहु आलम! (3) 'हक़दार है' बशर्ते कि रास्ता एक हो। या इस्तेहबाब मुराद है जैसे शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) ने फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ " .

(4708) हज़रत अबू सलमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शुफ़्आ हर उस माल में है जो तक़्सीम न हुआ हो। जब अलग अलग हदबन्दी हो जाये और रास्ते भी अलग अलग हो जायें तो शुफ़्आ बाक़ी नहीं रहता।'

(4708) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6303, बुख़ारी, हदीस: 2213, 2214 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ، - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ

(4709) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शुफ़्आ और पड़ौसी के हक़ को बरक़रार रखा है।

(4709) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6304, मुस्लिम, हदीस: 135/1608.

फ़ायदा : गोया पड़ौस का हक़ शुफ़्आ के अलावा है, जैसे कि हज़रत शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) की तहक़ीक़े नफ़ीस में बयान हुआ है। बहुत सी अहादीस में पड़ौस के हक़ का ख़्याल रखने की ताकीद वारिद है, लिहाज़ा इस रिवायत से पड़ौसी के लिये शुफ़्आ का हक़ साबित नहीं हो सकता। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। शरीक के लिये शुफ़्आ और पड़ौसी के लिये जवाज़।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार

★ **तारीफ़ :** 'क़सामा' इस्म मस्दर है जिसके मानी क़सम उठाने के हैं। इस्तेलाही तौर पर क़सामत उन मुकर्रर (पचास) क़समों को कहा जाता है जो किसी बेगुनाह शख़्स के क़त्ल के इस्बात के लिये दी जायें। और ये क़समें एक शख़्स नहीं बल्कि मुतअद्दिद अफ़राद उठायेंगे।

★ **मशरूइयत :** जब कोई शख़्स किसी इलाक़े में मक़्तूल पाया जाये और क़ातिल का पता न चले लेकिन कोई शख़्स या क़बीला मुत्तहम हो तो ऐसी सूरत में क़सामत मशरूअ है। ये शरीयत का एक मुस्तक़िल उसूल है और उसके बाक़ायदा अहकाम हैं। क़सम व क़ज़ा के दीगर अहकाम से इसका हुक्म ख़ास है। इसकी मशरूइयत की दलील इस बाब में मज़्कूर रिवायात और इज्मा है।

★ **शराइत :** अहले इल्म के इस बारे में कई अक़वाल हैं, ताहम तीन शराइत का पाया जाना मुत्तफ़क़ा तौर पर ज़रूरी है: (1) जिनके ख़िलाफ़ क़त्ल का दावा किया गया हो ग़ालिब गुमान ये हो कि उन्होंने क़त्ल किया है। और चार तरह से मुमकिन है। कोई शख़्स क़त्ल की गवाही दे जिसकी गवाही का ऐतबार न किया जाता हो, वाज़ेह सबब मौजूद हो, दुश्मनी हो या फिर जिस इलाक़े में मक़्तूल पाया जाये उस इलाक़े वाले क़त्ल करने में मारूफ़ हों। (2) जिसके ख़िलाफ़ दावा दाइर किया गया हो वह मुकल्लफ़ हो, किसी दीवाने या बच्चे के बारे में दावे का ऐतबार नहीं होगा। (3) जिसके ख़िलाफ़ दावा किया गया हो उसके क़त्ल करने का इम्कान भी हो, अगर ये इम्कान न हो, जैसे: जिनके ख़िलाफ़ दावा किया गया, वह बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो फिर क़सामत के अहकाम लागू नहीं होंगे।

★ **क़सामत का तरीक़-ए-कार:** उमूमी क़ज़ा में तरीक़ा ये होता है कि मुद्दई दलील पेश करता है। अगर वह दलील पेश न कर सके तो मुद्दआ अलैह क़सम उठा कर अपने बरीउज़्ज़िम्मा होने का इज़हार करता है। लेकिन क़सामत में हाकिमे वक़्त मुद्दई से पचास क़समों का मुतालबा करता है। अगर वह क़समें उठा लें तो क़िसास या दियत के हक़दार ठहरते हैं। और अगर न उठायें तो फिर मुद्दआ अलैह से मुतालबा किया जाता है कि उसके पचास क़रीबी या मुत्तहम क़बीले के पचास अफ़राद क़समें उठा कर अपनी बराअत का इज़्हार करें कि उन्होंने क़त्ल किया है न उन्हें इसका इल्म ही है। अगर वह क़समें उठा दें तो उनसे क़िसास या दियत साक़ित हो जायेगी।

हनाबिला, मालकिया और शवाफ़ेअ़ का यही मौक़िफ़ है, अलबत्ता अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है कि क़सामत में भी क़समें लेने का आग़ाज़ मुद्दआ अलैह फ़रीक़ से किया जाये। इस इख़्तिलाफ़ की वजह रिवायात का बज़ाहिर तआरुज़ है, ताहम दलाइल के ऐतबार से अइम्म-ए-सलासा का मौक़िफ़ ही अक़रब इस्सवाब (दुरुस्तगी के क़रीब) है।

✶ **मुलाहिज़ा:** मुद्दई फ़रीक़ अगर क़समें उठा ले तो फिर मुद्दआ अलैह फ़रीक़ से क़समों का मुतालबा नहीं किया जायेगा बल्कि उससे क़िसास या दियत ली जायेगी। दूसरी सूरत ये है कि मुद्दई फ़रीक़ क़सम न उठाये और मुद्दआ अलैह फ़रीक़ क़सम उठा ले कि उन्होंने क़त्ल नहीं किया। इस सूरत में मुद्दई फ़रीक़ को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी सूरत ये है कि मुद्दआ अलैह फ़रीक़ क़समें खाने के लिये तैयार है लेकिन मुद्दई फ़रीक़ उनकी क़समों का (उनके काफ़िर या फ़ासिक़ होने की वजह से) ऐतबार नहीं करता। इस सूरत में भी मुद्दआ अलैह फ़रीक़ पर क़िसास और दियत नहीं होगी, ताहम इस सूरत में बेहतर है कि हुकूमत बैतुलमाल से मक़्तूल की दियत अदा कर दे ताकि मुसलमान का ख़ून रायगां न जाये।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب القسامة

क़सामत, क़िसास और दियत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب : (١)
ذِكْرِ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

बाब : (1)
ज़मान-ए-जाहिलियत, यानी इस्लाम से पहले की क़सामत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ - قَالَ - فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لاَ تَنْفِرُ الإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالاً يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَتِ الإِبِلُ إِلاَّ بَعِيرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ

(4710) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जाहिलियत में सबसे पहली क़सामत इस तरह हुई कि बनू हाशिम में से एक आदमी को किसी दूसरे क़बीले के एक क़ुरैशी ने उजरत पर अपने पास रखा। वह नोकर उस क़ुरैशी के साथ उसके ऊँटों में गया। इत्तेफ़ाक़न बनू हाशिम का एक आदमी उसके पास से गुज़रा। उसके बोरे के मुँह की रस्सी टूट चुकी थी। उसने हाशमी नोकर से कहा: मुझे एक रस्सी दो जिससे मैं अपने बोरे का मुँह बाँध लूँ ताकि ऊँट न घबरायें। उस नोकर ने उसे एक ऊँट की घुटना बाँधने वाली रस्सी दे दी ताकि वह अपने बोरे का मुँह बाँध ले। जब वह आगे जाकर किसी मन्ज़िल में उतरे और ऊँटों के घुटने बाँधे गये तो एक ऊँट खुला रह गया। मालिक ने कहा: क्या वजह है कि इस एक ऊँट का घुटना नहीं बाँधा गया? उसने कहा: इसकी रस्सी नहीं। उसने कहा: इसकी रस्सी किधर गई? उसने बताया कि मेरे पास से बनू हाशिम का एक आदमी गुज़रा था। उसके बोरे के मुँह वाली रस्सी टूट चुकी थी।

قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ . قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَنِي فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لاَ تَنْفِرُ الإِبِلُ . فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ . قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ . فَقَالَ كَانَ ذَا أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ . فَمَكُثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ . قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ . قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ . قَالُوا هَذِهِ بَنُو

उसने मुझसे मदद तलब की और कहा कि मुझे एक रस्सी दे जिसके साथ मैं अपने बोरे का मुँह बाँध लूँ ताकि ऊँट न घबरायें। मैंने उसको दे दी। मालिक ने (ग़ुस्से में) उसकी तरफ़ ज़ोर से लाठी फेंकी जो उसकी मौत का बाइस बन गई। (वह क़रीबुल मर्ग था कि) इतने में उधर से एक यमनी आदमी गुज़रा। उस (हाशमी नोकर) ने यमनी से कहा: क्या तू मौसमे हज में (मक्का मुकर्रमा) जाता है? उसने कहा: आम तौर पर तो नहीं जाता, कभी कभार जाता हूँ। उसने कहा: क्या तू अपनी सारी उम्र में किसी भी वक़्त मेरा ये पैग़ाम पहुँचायेगा? उसने कहा: ज़रूर। उसने कहा: जब तू मौसमे हज में जाये तो ऐलान करना: ऐ क़ुरैशियो! जब वह आ जायें तो बनू हाशिम के बारे में पूछना, फिर जब वह आ जायें तो अबू तालिब के बारे में पूछना और उसे बताना कि फ़ुलां शख़्स ने मुझे एक रस्सी की वजह से क़त्ल कर दिया है। (इतनी बात कह कर) वह नोकर मर गया। जब वह शख़्स वापस (मक्के) आया जिसने उसे नोकर रखा था तो अबू तालिब उसके पास गये और पूछा: हमारे आदमी का क्या बना? उसने कहा: वह (रास्ते में) बीमार हो गया था। मैंने उसकी ख़ूब तीमारदारी की मगर वह फ़ौत हो गया। मैंने पड़ाव किया और उसका कफ़न दफ़न किया। वह कहने लगे: वाक़ेई वह तुझ से इसी सुलूक का अहल था। फिर कुछ अर्सा गुज़रा तो वह यमनी शख़्स जिसे उस नोकर ने वसीयत की थी कि ये पैग़ाम पहुँचाये, मौसमे हज में आ गया। उसने ऐलान किया: ऐ क़ुरैशियों! लोगों ने कहा: ये क़ुरैशी हैं। उसने कहा: अबू तालिब कहाँ हैं? किसी

هَاشِمٍ . قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ هَذَا أَبُو طَالِبٍ . قَالَ أَمَرَنِي فُلاَنٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ . فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاَثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ . فَأَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلِفُ . فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلاَ تُصْبِرْ يَمِينَهُ . فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ فَهَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلاَ تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ . فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً حَلَفُوا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ .

ने कहा: ये अबू तालिब हैं। उसने कहा: मुझे फ़ुलां शख़्स ने कहा था कि मैं तुझे ये पैग़ाम पहुँचा दूँ कि फ़ुलां शख़्स ने उसे एक रस्सी की बिना पर क़त्ल किया है। तब अबू तालिब उस (क़ातिल) के पास आये और कहा: हमारी तरफ़ से तीन बातों में से कोई एक क़बूल कर ले: अगर तू चाहे तो सो ऊँट बतौर दियत अदा कर क्योंकि तूने हमारा आदमी ख़ता (ग़लती से) क़त्ल किया है। अगर तू चाहे तो तेरी क़ौम के पचास आदमी क़सम खायें कि तूने उसे क़त्ल नहीं किया। अगर तू इन दोनों बातों को तस्लीम नहीं करेगा तो हम तुझे उसके बदले क़त्ल कर देंगे। वह अपनी क़ौम के पास गया और उनसे ये सारी बात ज़िक्र की। उन्होंने कहा: हम क़समें खायेंगे। बनू हाशिम की एक औरत जो उस क़बीले के एक आदमी के निकाह में थी और उससे उसकी औलाद भी थी, अबू तालिब के पास आई और कहने लगी: अबू तालिब! मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे को पचास आदमियों पर पड़ने वाली क़सम माफ़ कर दे और उससे क़सम न ले। अबू तालिब मान गये। उस क़बीले में से एक और आदमी आया और कहने लगा: अबू तालिब! तू सो ऊँटों के ऐवज़ पचास आदमियों से क़समें लेना चाहता है। इस लिहाज़ से हर आदमी को दो ऊँट पड़ते हैं। ये दो ऊँट मेरी तरफ़ से क़बूल कर ले और जब क़समें ली जायें तो मेरी क़सम न ली जाये। अबू तालिब ने दो ऊँट ले लिये। बाक़ी अड़तालिस आदमी आये और उन्होंने क़समें खाईं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अभी पूरा साल भी नहीं गुज़रा था

कि उन अड़तालीस आदमियों में से कोई एक आँख हरकत करती हो। (सारे के सारे मर गये)

(4710) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3845, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6909.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम से पहले के तमाम उसूल व ज़वाबित और शरीयतें मन्सूख़ हो चुकी हैं, ताहम जो उसूल व ज़वाबित और अहकाम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाक़ी रखे हैं, वह अब भी बाक़ी हैं, ऐसे अहकाम की हैसियत इस्लामी अहकाम ही की है। ये उसी तरह वाजिबुल इताअत हैं जिस तरह कुर्आन व हदीस के दीगर अहकाम हैं। **(2)** झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है। इसका वबाल, क़सम खाने वाले पर बहरसूरत पड़ता है (जैसा क इस हदीस में मज़्कूर लोगों पर पड़ा) ख़्वाह ये वबाल दुनिया में पड़ जाये या आख़िरत में, मगर ये कि ऐसा शख़्स सच्ची तौबा कर ले। **(3)** किसी शख़्स को नाहक़ क़त्ल करना हलाक कर देने वाला कबीरा गुनाह है। ये जुर्म इस क़द्र संगीन है कि ज़मान-ए-जाहिलियत में भी लोग इसकी शनाअत के क़ाइल थे। और इसकी रोक थाम के लिये हर तरह कोशिशें की जाती थीं, ताहम कमज़ोर, ताक़तवर से बदला नहीं ले सकता था। दीने इस्लाम ने न सिर्फ़ इस जुर्म की क़बाहत को बयान किया बल्कि उसे रोकने के लिये तर्ग़ीब व तर्हीब के साथ साथ क़ानून भी मुक़र्रर फ़रमाया। इसकी शनाअत की बाबत इरशादे बारी तआला है: 'जिस शख़्स ने किसी एक जान को, किसी जान के बदले के बग़ैर या ज़मीन में फ़साद मचाने के बग़ैर क़त्ल किया तो गोया उसने तमाम लोगों (सारी नस्ले इन्सानी) को क़त्ल किया और जिसने उसे (एक जान को) ज़िन्दा किया तो गोया उसने तमाम लोगों को ज़िन्दा किया।' (अल माइदा: 5/32) और इरशादे रब्बानी है: 'और जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है। वह उसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह उस पर ग़ज़बनाक हुआ और उस पर लानत की। और उसने उसके लिये बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है।' (अन्निसा: 4/93)

एक शख़्स के नाहक़ क़त्ल को पूरी इन्सानियत का क़त्ल क़रार देने वाला दीन, शरो फ़साद के फैलाने की किस तरह हौसला अफ़ज़ाई कर सकता है? मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया में जो ज़हर उगला जाता है वह इस्लाम के दुश्मनों की साज़िश है। बद क़िस्मती से हमारे कुछ नाम निहाद मुसलमान भी इस बातिल प्रोपेगेण्डे का शिकार हो चुके हैं और काफ़िरों के आल-ए-कार बन कर इस्लाम के रोशन चेहरे को दाग़दार करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। **(4)** क़सामत क़सम की एक ख़ास सूरत है और वह ये कि जब कोई शख़्स किसी इलाक़े में मक़्तूल पाया जाये लेकिन उसके क़ातिल का पता न चले या कुछ लोगों पर शक हो कि वह क़त्ल में मुलव्विस हैं मगर कोई सबूत न हो तो मुद्दईन से पचास क़समें ली जायेंगी। अगर वह न दें तो मुद्दआ अलैहिम के पचास मोतबर आदमियों से क़सम ली जाये कि न

हमने उसे क़त्ल किया है न ही क़ातिल को जानते हैं। ऐसी सूरत में उस इलाक़े के लोग क़त्ल के इल्ज़ाम से बरी हो जायेंगे। मज़्कूरा वाक़िये में भी क़ातिल तस्लीम नहीं कर रहा था और मौक़े की गवाही नहीं थी, सिर्फ़ ज़बानी पैग़ाम था, लिहाज़ा वह मशकूक हो गया और उससे क़समें ली गईं। मुद्दईन क़समें इसलिये नहीं उठा सकते थे कि उन्होंने देखा नहीं था। (5) क़सामत अगरचे जाहिलियत का रिवाज था मगर चूंकि सही था, इसलिये शरीयते इस्लामिया ने उसे बरक़रार रखा। ये अब भी मशरूअ है। (6) 'ऊँटों में गया' यानी उसके साथ सफ़र पर गया। साथ ऊँट भी थे। (7) 'ऊँट न घबरायें' बोरे की चीज़ों के गिरने की वजह से ऊँट डरते थे। (8) 'इसी सुलूक का अहल था' क्योंकि वह एक मुअज्जज क़बीले से ताल्लुक़ रखता था। (9) 'ख़ता' क़त्ल किया है' क्योंकि इसका मक़सद क़त्ल करना नहीं था बल्कि वैसे लाठी मारना था, ताहम वह किसी नाज़ुक जगह पर लगी जो उसकी मौत का सबब बन गई। क़त्ले ख़ता में क़िसास नहीं लिया जा सकता बल्कि दियत वसूल की जायेगी। (10) 'क़समें खायें' यानी झूठी' क्योंकि वह जानते थे कि हमारे आदमी से क़त्ल हुआ है लेकिन दियत से बचने के लिये झूठी क़समें खायें। याद रहे क़त्ले ख़ता में दियत क़ातिल के क़बीले को भरना पड़ती है। (11) 'कोई एक आँख हरकत करती हो' यानी उनमें से कोई भी ज़िन्दा न रहा। ज़िन्दा आदमी की ही आँख हरकत करती है। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को ये वाक़िया शायद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ुद बताया हो, तभी तो वह क़सम खाकर इस ज़ोरदार तरीक़े से बयान फ़रमा रहे हैं। (12) ज़रूरी नहीं कि हर झूठी क़सम का अंजाम यही हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है जब अल्लाह तआला अपने बन्दों को कोई निशानी दिखाना चाहे। रसूलुल्लाह (ﷺ) की बिअसत से पहले बहुत से ऐसे ख़िलाफ़े आदत वाक़ियात हुये थे। (13) ये हदीस हरम की अज़मत व हुर्मत पर भी वाज़ेह दलालत करती है और ये कि जिस किसी ने भी हरम या हुदूदे हरम में मआसी वग़ैरह का इर्तिकाब किया, उस पर अल्लाह तआला के अज़ाब का कोड़ा बरसा और वह निशाने इबरत बन गया।

बाब : (2) क़सामत का बयान

باب(٢): الْقَسَامَةِ

(4711) रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक अन्सारी सहाबी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सामत को बरक़रार रखा है जैसे कि वह जाहिलियत में राइज थी।

(4711) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1670, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6910.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

फ़ायदा : इस्लाम ने जाहिलियत की सिर्फ़ बुरी रस्मों को ख़त्म किया है, हर रस्म को नहीं। आप(ﷺ) के बरक़रार रखने से अब ये रस्म के तौर पर क़ाबिले अमल नहीं बल्कि इसे शरई हुक्म का दर्जा हासिल है।

(4712) रसूलुल्लाह (ﷺ) के बहुत से सहाबा से रिवायत हे कि क़सामत जाहिलियत में राइज थी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे उसी तरह बरक़रार रखा जिस तरह ये जाहिलियत में थी और आपने एक मक़्तूल के बारे में क़सामत का फ़ैसला भी किया था जिसके क़त्ल का इल्ज़ाम अन्सार ने ख़ैबर के यहूदियों पर लगाया था।

मअमर ने इन दोनों की मुख़ालिफ़त की है।

(4712) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6911.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ . خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ .

फ़ायदा : क़सामत वाली इस रिवायत को इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले तीन रावी: यूनुस, औज़ाई और मअमर हैं। मुख़ालिफ़त ये है कि यूनुस बिन यज़ीद और इमाम औज़ाई ने जब ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान की तो उन्होंने इसे मौसूल बयान किया है, यानी उनकी सनद में सहाबी-ए-रसूल ही रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं जबकि इमाम मअमर बिन राशिद ने अपनी सनद में सईद बिन मुसय्यब ताबेई के वास्ते से रसूलुल्लाह (ﷺ) की बाबत रिवायत ज़िक्र की है। इस तरह ये हदीस मुर्सल बनती है, यानी एक ताबेई फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस तरह किया था। इस मुख़ालिफ़त के बावजूद हदीसे मज़्कूर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह दोनों सिक़ा और हाफ़िज़ हैं, लिहाज़ा वह मुक़द्दम हैं।

(4713) हज़रत इब्ने मुसय्यब (رحمه الله) बयान करते हैं कि क़सामत जाहिलियत में थी, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे एक अन्सारी के बारे में

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولاً فِي جُبِّ الْيَهُودِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا .

बरक़रार रखा जो यहूदियों के एक कुएँ में मक़्तूल पाये गये थे। अन्सार ने दावा कर दिया था कि यहूदियों ने हमारे आदमी को क़त्ल किया है।

(4713) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6912.

بَاب : (٣)
تَبْدِئَةِ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

बाब : (3)
क़सामत में पहले मक़्तूल के वारिसीन से क़समें लेने का बयान

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ . فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ

(4714) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) ने बताया कि अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा भूख और मशक़्क़त के सताये हुये ख़ैबर की तरफ़ गये। मुहय्यिसा किसी काम से वापस आये तो उन्हें बताया गया कि अब्दुल्लाह बन सहल को क़त्ल करके कुएँ या चश्मे में फेंक दिया गया है। वह यहूदियों के पास गये और कहा: अल्लाह की क़सम! तुमने इसे क़त्ल किया है। उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हमने इसे क़त्ल नहीं किया। फिर वह मदीना मुनव्वरा वापस आये और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर होकर पूरी बात आप से ज़िक्र की। फिर वह ख़ुद, उनके बड़े भाई हुवय्यिसा और (मक़्तूल के भाई) अब्दुर्रहमान बिन सहल तीनों आये। मुहय्यिसा बात करने लगे क्योंकि वह ख़ैबर में (मक़्तूल के साथ) थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' तब हुवय्यिसा ने बात की। फिर मुहय्यिसा ने भी बातचीत की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसकी

وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرْ كَبِّرْ " . وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ " . فَكَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ " تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ " . قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ . فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ . قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

बाबत फ़रमाया: 'या तो यहूदी तुम्हारे मक़्तूल की दियत देंगे या उन्हें जंग लड़ना होगी।' नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने इसकी बाबत यहूदियों को ख़त लिखा। उन्होंने (जवाबन) लिखा: अल्लाह की क़सम! हमने इसे क़त्ल नहीं किया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान से फ़रमाया: 'क्या तुम (पचास) क़समें खा कर अपने मक़्तूल के बदले के हक़दार बनते हो?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर यहूदी तुम्हारे सामने (पचास) क़समें खा लें?' उन्होंने कहा: वह तो मुसलमान नहीं (झूठी क़समें खा जायेंगे) तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस मक़्तूल की दियत अपनी तरफ़ (बैतुल माल) से अदा कर दी और उनको सौ ऊँटनियाँ भेज दीं। यहाँ तक कि उनके घर में दाख़िल की गईं। हज़रत सहल ने फ़रमाया: इनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे लात भी मारी थी।

(4714) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7192, मुस्लिम, हदीस: 6/1669, मौता: 2/877, 878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6913.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका क़सामत की मशरूइयत की सरीह दलील है। मसला अब भी इसी तरह है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। **(2)** इस हदीस से मालूम हुआ कि अहम मामले में बड़ी उ़म्र वाले ही को मुक़द्दम किया जाये। पहले उसे बात करने का मौक़ा दिया जाये बशर्ते कि इसमें उसकी अहलियत हो। हाँ अगर बड़ी उ़म्र वाला ऐसी सलाहियत से आ़री हो तो फिर छोटे की बात का ऐतबार होगा। **(3)** क़सामत में क़त्ल साबित करने के लिये बिल जज़्म और पुख़्ता क़समें खाना ज़रूरी है, मक़्तूल शख़्स को क़त्ल होते देखा हो या फिर किसी पुख़्ता ज़रिये से क़ातिल की इत्तिला मिली हो। इसके अ़लावा, महज़ गुमान की बुनियाद पर क़त्ल साबित नहीं होगा। **(4)** अ़ब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा आपस में चचाज़ाद भाई थे। ख़ैबर में उनकी ज़मीन थी जो ख़ैबर की ग़नीमत से मिली थी। **(5)**

'हक़दार बनते हो' कुछ रिवायात में पहले यहूदियों से क़सम लेने का ज़िक्र है क्योंकि वह मुद्दआ अलैह थे और क़सम मुद्दआ अलैह का हक़ है। इस हदीस़ में मुद्दइयान से पहले क़सम लेने का ज़िक्र है। क़सामत में दूसरी सूरत के मुताबिक़ ही अ़मल होगा, इसी क़िस्म की रिवायात को तर्जीह हासिल है, अगरचे आ़म मामलात में मुद्दई के ज़िम्मे दलील और मुद्दआ अलैह पर क़सम होती है। वल्लाहू आ़लम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ وَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ " كَبِّرْ كَبِّرْ " . يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ " . فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ

(4715) हज़रत अबू लैला बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि मुझे सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) और मेरी क़ौम के बुज़ुर्गों ने बताया कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा (ﷺ) फ़ाक़ों के मारे हुये ख़ैबर को गये। मुहय्यिसा काम से वापस आये तो उन्हें बताया गया कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल करके कुएँ या चश्मे में फेंक दिया गया है। वह यहूदियों के पास गये और कहा: अल्लाह की क़सम! तुमने इसे क़त्ल किया है। उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हमने इसे क़त्ल नहीं किया। वह मदीना मुनव्वरा अपनी क़ौम के पास आये तो सारा वाक़िया उनसे बयान किया। फिर वह ख़ुद, उनके बड़े भाई हुवय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आये। मुहय्यिसा बात करने लगे क्योंकि ख़ैबर में वही थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को पहले बात करने दो।' आपका मक़सद था जो उम्र में बड़ा है। हुवय्यिसा ने पहले बात की। फिर मुहय्यिसा ने भी बात की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'या तो वह तुम्हारे मक़्तूल की दियत देंगे वरना उनसे ऐलाने जंग कर दिया जायेगा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी बाबत उन (यहूदियों) को ख़त लिखा। उन्होंने जवाब में लिखा: अल्लाह की क़सम! हमने उसे क़त्ल नहीं

किया। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और अब्दुर्रहमान से फ़रमाया: 'तुम (पचास) क़समें खा कर अपने मक़्तूल के ख़ून के हक़दार बनते हो?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर यहूदी तुम्हारे सामने क़समें उठायेंगे।' उन्होंने कहा: वह तो मुसलमान नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी तरफ़ से मक़्तूल की दियत अदा फ़रमा दी और उनके पास सौ ऊँटनियाँ भेज दीं यहाँ तक कि वह उनके घर में दाख़िल की गईं। हज़रत सहल ने कहा: उनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे लात मारी थी।

(4715) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6924.

बाब : (4)
सहल की इस हदीस की रिवायत में रावियों के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र

(4716) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा और हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: हज़रात अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा बिन मसऊद (رضي الله عنه) सफ़र को निकले यहाँ तक कि जब वह ख़ैबर पहुँचे तो वहाँ अपने अपने काम में अलग अलग हो गये। फिर अचानक मुहय्यिसा ने अब्दुल्लाह बिन सहल को मक़्तूल पाया। उनको दफ़न करने के बाद वह ख़ुद, हुवय्यिसा बिन मसऊद और अब्दुर्रहमान बिन सहल, जो कि सबसे छोटे थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। अब्दुर्रहमान (मक़्तूल का भाई होने के

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ " . قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ . فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ . قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

باب(٤): ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا بِمُحَيِّصَةَ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ - وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ - فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ " . فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ " . قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا " . قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ عَقْلَهُ .

नाते) अपने दोनों साथियों से पहले बात करने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'उम्र के लिहाज़ से बड़े को पहले बात करने दो।' वह चुप हो गये और दीगर दो साथियों ने बातें कीं। फिर उसने भी उनके साथ साथ बातें कीं। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने अब्दुल्लाह बिन सहल के क़त्ल का मामला पेश किया। आपने उनसे फ़रमाया: 'क्या तुम पचास क़समें खा कर अपने मक़्तूल के ख़ून के (बदले) या क़ातिल के मुस्तहिक़ बनते हो?' उन्होंने कहा: हम कैसे क़सम खायें जब कि हम तो मौक़े पर हाज़िर नहीं थे? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें उठाकर बरी हो जायेंगें' उन्होंने कहा: हम काफ़िरों की क़समें किस तरह क़बूल कर लें? जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सूरते हाल देखी तो आपने (अपनी तरफ़ से) मक़्तूल की दियत दे दी।

(4716) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6915.

फ़ायदा : 'दियत दे दी' बेगुनाह मुसलमान मक़्तूल का ख़ून रायगां नहीं होता, इसलिये आपने बैतुल माल से दियत अदा फ़रमा दी। इस तरह झगड़ा ख़त्म हो गया। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की कामिल बसीरत और मामला फ़हमी थी वरना वह दियत के हक़दार नहीं थे क्योंकि वह ख़ुद क़समें खाने के लिये तैयार नहीं थे और मुद्दआ अलैहिम की क़समों को मानते न थे।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ

(4717) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा और हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मुहय्यिसा बिन मसऊद और अब्दुल्लाह बिन सहल (رضي الله عنه) अपने किसी काम से ख़ैबर गये और खजूरों के दरख़्तों में अलग अलग हो गये। हज़रत

مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ - وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكُبْرَ لِيَبْدَأِ الأَكْبَرُ " . فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ . فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ . قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ .

अब्दुल्लाह बिन सहल क़त्ल कर दिये गये। उनका भाई अब्दुर्रहमान बिन सहल और उसके चचाज़ाद भाई हुवय्यिसा और मुहय्यिसा रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। अब्दुर्रहमान ने अपने भाई के बारे में बात शुरू की जबकि वह इन तीनों में से छोटे थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करनी चाहिए।' फिर इन दो भाईयों ने अपने मक़्तूल के बारे में बात की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से पचास आदमी क़समें उठायें।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम तो मौक़े पर मौजूद नहीं थे। हम कैसे क़समें उठायें? आपने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें देकर तुम से बरी हो जायेंगे।' वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! वह काफ़िर लोग हैं (उनकी क़समों का क्या ऐतबार?) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से मक़्तूल की दियत अदा कर दी। हज़रत सहल (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मैं उनके ऊँटों के बाड़े में दाख़िल हुआ तो उन ऊँटों में से एक ऊँटनी ने मुझे लात मारी।

(4717) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6916.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا

(4718) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा बिन मसऊद (رضي الله عنه) ख़ैबर गये। उन दिनों (यहूदे ख़ैबर से) सुलह थी। वह अपने अपने काम में इधर उधर हो गये। फिर मुहय्यिसा, अब्दुल्लाह बिन सहल की तरफ़ आये तो वह अपने ख़ून में लिथड़े हुये मक़्तूल पड़े थे। उन्होंने उन्हें दफ़न

किया। फिर वह मदीना मुनव्वरा आये और अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल, हुवय्यिसा और मुहय्यिसा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये। अ़ब्दुर्रहमान जो उम्र में उन सबसे छोटे थे, बात करने लगे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' वह ख़ामोश हो गये और दूसरे दो भाईयों ने बातचीत की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम पचास क़समें उठाकर अपने मक़्तूल के ख़ून के हक़दार बनते हो?' वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कैसे क़समें खायें जबकि हम तो मौक़े पर मौजूद ही न थे और न हमने किसी को देखा है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें खा कर तुमसे बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर लोगों से कैसे क़समें उठायें? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूल की दियत अपनी तरफ़ से अदा फ़रमा दी।

(4718) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6917.

خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ -وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرِ الْكُبْرَ " . فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ " تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ.

(4719) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा बिन मसऊ़द बिन ज़ैद ख़ैबर गये। और उन दिनों (यहूदे ख़ैबर से) सुलह थी। वह अपने अपने काम में अलग हो गये। फिर मुहय्यिसा, अ़ब्दुल्लाह बिन सहल की तरफ़ आये तो उन्हें ख़ून में लथ पथ पाया। ख़ैर! उन्होंने उन्हें दफ़न किया। फिर वह मदीना मुनव्वरा पहुँचे और हज़रत

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا

فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرِ الْكُبْرَ " . وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ فَقَالَ " أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ .

अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल और अपने भाई हुवय्यिसा बिन मसऊ़द को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। (मक़्तूल के भाई) अ़ब्दुर्रहमान, जो सबसे छोटे थे, बात करने लगे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो' वह चुप हो गये। दूसरे दो हज़रात ने बातचीत की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम पचास क़समें खा कर अपने साथी या क़ातिल के हक़दार बनते हो?' वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हम कैसे क़समें खायें जब कि हम मौक़े पर मौजूद नहीं थे और न हमने किसी (क़ातिल) को देखा है? आपने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर लोगों की क़समें कैसे क़बूल करें? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी दियत अपनी तरफ़ से अदा फ़रमा दी।

(4719) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6918.

फ़ायदा : 'अपनी तरफ़ से' यानी बैतुल माल से, क्योंकि बैतुल माल आपके मातहत था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ

(4720) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ؓ) से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल अन्सारी और मुहय्यिसा बिन मसऊ़द दोनों ख़ैबर गये। वहाँ वह अपने अपने काम में इधर उधर हो गये तो अ़ब्दुल्लाह बिन सहल अन्सारी क़त्ल कर दिये गये। फिर मुहय्यिसा, मक़्तूल का भाई अ़ब्दुर्रहमान और हुवय्यिसा बिन मसऊ़द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये।

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْكُبْرَ الْكُبْرَ " . فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ " . قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ بُشَيْرٌ قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا .

अ़ब्दुर्रहमान बात शुरू करने लगे तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'बड़े को पहले बात करने दो।' तो मुहय्यिसा और हुवय्यिसा ने बात शुरू की और अ़ब्दुल्लाह बिन सहल के क़त्ल का वाक़िया बयान किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पचास क़समें खा कर अपने क़ातिल का मुवाख़िज़ा (पकड़) कर सकते हो? ' वह कहने लगे: हम कैसे क़समें खायें हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे और न हमने वाक़िया देखा है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर लोगों की क़समें कैसे क़बूल करें! फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत ख़ुद अदा फ़रमा दी। हज़रत सहल ने फ़रमाया: हमारे बाड़े में उन ऊँटों में से एक ऊँटनी ने मुझे लात भी मारी थी।

(4720) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6919.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلاً فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ

(4721) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सहल मक़्तूल पाये गये। उनका भाई और उसके दो चचे हुवय्यिसा और मुहय्यिसा, और वह दोनों अ़ब्दुल्लाह बिन सहल के भी चचा थे, रसूलुल्लाह (ﷺ)की ख़िदमत में पेश हुये (उनका भाई अ़ब्दुर्रहमान बात करने लगा) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكُبْرَ الْكُبْرَ " . قَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَتَّهِمُونَ " . قَالُوا نَتَّهِمُ الْيَهُودَ . قَالَ " أَفَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ " . قَالُوا وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ قَالَ " فَتُبَرِّئُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ " . قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ . أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .

अ़ब्दुल्लाह बिन सहल को ख़ैबर के एक कुएँ में मक़्तूल पाया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम किन पर इल्ज़ाम लगाते हो?' उन्होंने कहा: हम यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम पचास क़समें खाते हो कि यहूदियों ने उसे क़त्ल किया है?' वह कहने लगे: हम ऐसी चीज़ की क़सम कैसे खा सकते हैं जो हमने नहीं देखी? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें खा कर कि हमने इसे क़त्ल नहीं किया, बरी हो जायेंगे।' वह कहने लगे: हम इन मुश्रिकों की क़समें कैसे तस्लीम कर लें? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी दियत अपनी तरफ़ से अदा फ़रमा दी।

मालिक बिन अनस ने ये रिवायत मुर्सल बयान की है।

(4721) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6919.

फ़ायदा : 'मालिक बिन अनस ने ये रिवायत मुर्सल बयान की' इमाम मालिक (رحمه الله) ये रिवायत दो असातिज़ा से बयान करते हैं। अबू लैला और यहया बिन सईद से। जब वह यहया बिन सईद से बयान करते हैं तो मुर्सल बयान करते हैं, यानी सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) का वास्ता ज़िक्र नहीं करते। जब अबू लैला से बयान करते हैं तो मौसूल बयान करते हैं, इसलिये इमाम मालिक की ये रिवायत शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर सही है। यहया बिन सईद की रिवायत: 4722 आइन्दा आ रही है जबकि अबू लैला से मरवी रिवायत इससे पहले हदीस: 4714 गुज़र चुकी है।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ

(4722) हज़रत बुशैर बिन यसार ने बताया कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल अन्सारी और मुहय्यिसा बिन मसऊद (رضي الله عنه) ख़ैबर गये और अपने अपने कामों में इधर उधर हो गये तो अ़ब्दुल्लाह बिन सहल क़त्ल कर दिये गये। मुहय्यिसा मदीना मुनव्वरा आये और अपने भाई हुवय्यिसा और

فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَبِّرْ كَبِّرْ " . فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ " . قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ .

(मक़्तूल के भाई) अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल समेत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। (मक़्तूल अ़ब्दुल्लाह के) भाई होने की वजह से अ़ब्दुर्रहमान बात करने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को पहले बात करने दो' फिर हुवय्यिसा और मुहय्यिसा ने आपसे बातचीत की और अ़ब्दुल्लाह बिन सहल का मसला पेश किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम पचास क़समें खा कर अपने मक़्तूल के ख़ून या अपने क़ातिल के मुस्तहिक़ बनते हो?'

इमाम मालिक (رحمه الله) बयान करते हैं कि यहया बिन सईद ने कहा: बुशैर बिन यसार ने कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें अपने पास (बैतुल माल) से दियत अदा फ़रमा दी।

सईद बिन उ़बैदुत ताई ने इन (बुशैर बिन यसार से रिवायत करने वालों) की मुख़ालिफ़त की है।

(4722) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6920, मौता: 2/878.

फ़ायदा : इसकी वज़ाहत ये है कि बुशैर बिन यसार से बयान करने वाले दीगर रुवाते हदीस़ ने सिर्फ़ क़समें लेने का ज़िक्र किया है गवाहों का नहीं जबकि सईद बिन उ़बैद ताई ने (हदीस़: 4723 में) जब बुशैर बिन यसार से बयान किया तो दीगर रावियों के बरअक्स ये कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुद्दइयों, यानी हुवय्यिसा, मुहय्यिसा और अ़ब्दुर्रहमान के दावा करने पर उनसे फ़रमाया था: 'तुम अपने इस दावा पर कि हमारे आदमी को यहूदियों ने क़त्ल किया है, गवाह पेश करो' उन्होंने कहा कि हमारे पास गवाह नहीं हैं। बाद में आपने उनसे क़समों की बात की। इसकी तफ़्सील आइन्दा रिवायत में मुलाहिज़ा करें।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ

(4723) हज़रत सहल बिन हस्मा (رضي الله عنه) ने बताया कि मेरी क़ौम के कुछ आदमी ख़ैबर गये। वहाँ वह अलग अलग हो गये। उन्होंने अपने में से एक शख़्स को मक़्तूल पाया तो उन लोगों से,

رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً . فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْكُبْرَ الْكُبْرَ " . فَقَالَ لَهُمْ " تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ " . قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ " فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ " . قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ . خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ .

जिनके पास उसकी लाश पाई गई थी, कहा: तुमने हमारे आदमी को क़त्ल किया है? उन्होंने कहा: हमने इसे क़त्ल नहीं किया और न हम इसके क़ातिल को जानते हैं। फिर वह अल्लाह के नबी (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! हम ख़ैबर गये थे। वहाँ हमने अपने एक आदमी को मक़्तूल पाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' आपने उनसे फ़रमाया: 'तुम अपने मक़्तूल के क़ातिल के बारे में कोई गवाह पेश करो।' वह कहने लगे: हमारे पास तो कोई गवाह नहीं आपने फ़रमाया: 'फिर वह तुम्हारे सामने क़समें खायेंगे (और बरी हो जायेंगे)' वह कहने लगे: हम तो यहूदियों की क़सम का ऐतबार नहीं करते। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पसन्द न फ़रमाया कि उसका ख़ून बिला मुआवज़ा रहे, लिहाज़ा आपने सदक़े के ऊँटों में से सो ऊँट दियत के तौर पर दे दिये।

अम्र बिन शुऐब ने इन (हदीस़ बयान करने वाले बाक़ी तमाम रुवात) की मुख़ालिफ़त की है।

(4723) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6921.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस मुख़ालिफ़त की वज़ाहत ये है कि ये हदीस़ बयान करने वाले बाक़ी तमाम रावी ये बयान करते हैं कि मक़्तूल अब्दुल्लाह बिन सहल हैं जो कि मुहय्यिसा के चचाज़ाद भाई हैं जबकि अम्र बिन शुऐब कहते हैं (जैसा कि आइन्दा हदीस़ में है) कि मक़्तूल मुहय्यिसा का छोटा बेटा है, यानी अब्दुल्लाह बिन सहल मक़्तूल नहीं। दूसरी मुख़ालिफ़त ये है कि दीगर तमाम रावियों के बरअक्स उन्होंने ये रिवायत अपने परदादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से बयान की है जबकि तमाम रुवात ने हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) से बयान की है। तीसरी मुख़ालिफ़त ये है कि ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत यहूदियों पर तक़्सीम कर दी थी और उनके साथ तआवुन करते हुये निस़्फ़

दियत, यानी पचास ऊँट अपने ज़िम्मे लिये थे जबकि तमाम रावी कहते हैं कि पूरी की पूरी दियत, यानी सौ ऊँट और ऊँटनियाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तरफ़ से (बैतुल माल से) अदा फ़रमाई थी। इस हदीस़ में बयान की गई तफ़्सील दुरुस्त नहीं बल्कि जो तफ़्सील दीगर रावियों ने बयान की है वही दुरुस्त और स़ही है। इस रिवायत में स़ही रिवायात और बहुत से सिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त की गई है, इसलिये ये रिवायत शाज़, यानी ज़ईफ़ है जबकि इसके मुक़ाबले में दूसरी रिवायात महफ़ूज़, यानी स़ही हैं। वल्लाहु आलम! (2) गवाही का ज़िक्र सिर्फ़ सईद बिन उबैद ताई की रिवायत में है। दीगर रुवात ने गवाही का ज़िक्र नहीं किया। तफ़्सीली रिवायात, जो कि बुख़ारी व मुस्लिम की हैं, में यही ज़िक्र है कि आपने पहले मुद्दईन से क़समें उठाने का मुतालबा किया। उनके इन्कार पर मुद्दई अलैहिम से क़समों का मुतालबा किया। इस लिहाज़ से गवाही का ज़िक्र सईद बिन उबैद ताई का शुज़ूज़ मालूम होता है। मुमकिन है (ख़लफ़हुम सईदु बिन उबैद अत्ताई) से इमाम नसाई(رحمه الله) का मक़स़द इसी तरफ़ इशारा करना हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ، أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ " فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لاَ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ فَقَسَمَ

(4724) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)) से रिवायत है कि मुहय्यिसा का छोटा बेटा ख़ैबर के दरवाज़ों पर मक़्तूल पाया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसका क़ातिल के दो ऐनी गवाह लाओ, मैं उसे उसकी रस्सी समेत (गिरफ़्तार करके) तेरे सुपुर्द कर दूँगा।' वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं दो गवाह कहाँ से लाऊँ? वह तो उन यहूदियों के दरवाज़ों के सामने मारा गया है। आपने फ़रमाया: 'अच्छा तो क़सामत की पचास (क़समें) खा ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस बात पर किस तरह क़समें खाऊँ जो मैं जानता नहीं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर तुम उनसे क़सामत की पचास क़समें ले लो' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम उनसे कैसे क़समें लें, वह तो यहूदी हैं (झूठे मशहूर हैं)? फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत यहूदियों पर तक़्सीम कर दी और निस़्फ़ दियत में आपने उनसे तआवुन फ़रमाया।

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا .

(4724) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2678, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6922.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत की सनद को हसन क़रार दिया है लेकिन राजेह बात ये है कि ये रिवायत शाज़ (ज़ईफ़ की एक क़िस्म) है। मज़ीद साबिक़ा हदीस़ की वज़ाहत मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

باب : (٥، ٦)
الْقَوَدِ

बाब : (5, 6)
क़िसास़ का बयान

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ " .

(4725) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान आदमी का ख़ून बहाना जायज़ नहीं, अलबत्ता तीन जुर्मों में उसे क़त्ल किया जा सकता है: उसने किसी को मार दिया हो तो उसे उसके बदले में क़त्ल किया जायेगा या शादी शुदा शख़्स़ ज़िना करे या जो शख़्स़ दीने इस्लाम छोड़ कर मुसलमानों की जमाअ़त से अलग हो जाये।'

(4725) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4021, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6923.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम ने क़िसास़ मशरूअ़ क़रार दिया है, अलबत्ता वारिसीने-मक़्तूल माफ़ी पर राज़ी हो जायें तो दियत अदा करनी होगी, लेकिन सिर्फ़ ये क़त्ले अ़म्द में होता है, क़त्ले ख़ता में नहीं। क़त्ले ख़ता ये है कि गोली तो चलाई गई किसी जानवर पर मगर अचानक कोई शख़्स़ आगे आ गया और गोली उसे लग गई या ये समझ कर गोली चलाई गई कि ये कोई जानवर है, बाद में मालूम हुआ कि ये तो इन्सान है। ऐसी सूरत में क़िसास़ नहीं होगा, अलबत्ता दियत देना ज़रूरी है क्योंकि मुसलमानों का ख़ून रायगां नहीं हो सकता। **(2)** क़िसास़ का डर क़ातिल को क़त्ल से रोकता है, और क़िसास़ लेने से नाहक़ ख़ूनरेज़ी से बचत होती है। लड़ाई नहीं फैलती। **(3)** क़िसास़ का आम क़ानून यही है जो हदीस़े मुबारका में बयान किया गया है, ताहम अगर कोई शख़्स़ किसी पर नाजायज़ तौर पर क़ातिलाना हमले करे और फिर दिफ़ा में हमलावर मारा जाये तो ऐसे शख़्स़ से भी क़िसास़ नहीं लिया जायेगा।

(4726) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक आदमी क़त्ल हो गया। क़ातिल को पकड़ कर नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया। आपने उसे मक़्तूल के वारिस़ के सुपुर्द कर दिया। क़ातिल कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मेरा इरादा इसे क़त्ल करने का नहीं था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूल के वारिस़ से फ़रमाया: 'अगर ये सच्चा हुआ और तूने इसे क़त्ल कर दिया तो तू आग में जायेगा।' उसने उसे छोड़ दिया। वह क़ातिल चमड़े की रस्सी से बँधा हुआ था। वह इसी तरह अपनी रस्सी को घसीटता हुआ निकला तो उसका नाम ही ज़ुन्नस्आ (तन्दी या रस्सी वाला) पड़ गया।

(4726) **तख़रीज : (सनद स़ही)** अबू दाऊद, हदीस़: 4498, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1407, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6924, मुस्लिम, हदीस़: 1680.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ " . فَخَلَّى سَبِيلَهُ . قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़्तूल के वारिस़ को चाहिए कि वह क़िस़ास़ लेने में जल्दी न करे बल्कि माफ़ कर दे। अगरचे क़िस़ास़ लेना जायज़ है, ताहम माफ़ करना बहुत बड़ी नेकी है। मुमकिन है क़ातिल बेगुनाह हो या उसने जानबूझ कर क़त्ल न किया हो वग़ैरह। **(2)** इस हदीस़ से ये इशारा भी निकलता है कि अगर किसी शख़्स़ को उसके किसी पेशे या किसी और ख़ुसूस़ियत की वजह से कोई लक़ब दिया जाये और वह उसे बुरा न समझे तो उसका जवाज़ है जैसा कि हदीस़ में मज़्कूर शख़्स़ को हज़रात स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ज़ुन्नस्आ (रस्सी या तन्दी वाला) कहा करते थे, यानी उसके गले वग़ैरह में पड़ी रस्सी की वजह से उसका लक़ब ही ज़ुन्नस्आ पड़ गया। **(3)** 'सुपुर्द कर दिया' शरीयत की रू से क़िस़ास़ का हक़ मक़्तूल के वारिसीन को है। वह चाहें तो क़त्ल करें, चाहें माफ़ कर दें इसलिये आपने क़ातिल को मक़्तूल के वली के सुपुर्द कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमत ख़ुद क़त्ल करे, ताहम जज के फ़ैसले से पहले अज़ ख़ुद ही क़ातिल को क़त्ल करना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये क़ानून को हाथ में लेने वाली बात है, अलबत्ता जब क़ाज़ी क़ातिल हवाले करे तो फिर उसे क़त्ल करना जायज़ है। **(4)** 'आग में जायेगा' क्योंकि जानबूझ कर क़त्ल करने वाले ही को क़िस़ास़न क़त्ल किया जा सकता है। क़ातिल

के बयान के मुताबिक़ उससे ये क़त्ल अम्दन सरज़द नहीं हुआ था, लिहाज़ा वह क़त्ल का मुस्तहिक़ नहीं था लेकिन आपका क़ातिल को मक़्तूल के वारिसीन के हवाले कर देना ये बताता है कि इस क़त्ल की ज़ाहिरी सूरत अम्दन (जानबूझ कर क़त्ल करने) ही की थी। क़ातिल की नियत को तो अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। गोया ऐसी सूरत में भी मक़्तूल के वारिसीन को चाहिए कि वह क़ातिल की जान बख़्शी कर दें ताकि कोई शख़्स नाहक़ क़त्ल न हो। अगरचे क़ाज़ी ज़ाहिर हालात के मुताबिक़ ही फ़ैसला करेगा, ताहम मक़्तूल के वारिसीन ये रिआयत दे सकते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ قَالَ " أَتَقْتُلُ " . قَالَ نَعَمْ قَالَ " اذْهَبْ " . فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ قَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَتَقْتُلُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ " . فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ " أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " . فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ - قَالَ - فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ .

(4727) हज़रत वाइल हज़्रमी (ﷺ) से रिवायत है कि क़ातिल को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पेश किया गया। उसे मक़्तूल का वारिस लेकर आया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'क्या तू इसे माफ़ करता है? उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल करेगा?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'जाओ' जब वह चल पड़ा तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ करता है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तू दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर तू क़त्ल करेगा?' उसने कहा: हाँ। फ़रमाया: 'जाओ' जब वह चल पड़ा तो आपने फ़रमाया: 'अगर तू इसे माफ़ कर दे तो वह तेरे और तेरे मक़्तूल के गुनाह का ज़िम्मेदार होगा।' उसने उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। मैंने क़ातिल को देखा, वह अपनी तन्दी (या रस्सी) को घसीटता हुआ जा रहा था।

(4727) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1680, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6925.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जज और हाकिम के लिये मशरूअ और जायज़ है कि वह मक़्तूल के वारिसीन को, माफ़ करने की तर्ग़ीब दें, लेकिन उन्हें बज़ाते ख़ुद किसी मुजरिम और क़ातिल को माफ़ करने का कोई हक़ नहीं। अगर हाकिमे वक़्त या फ़ैसला करने वाला जज अज़ ख़ुद किसी क़ातिल को,

जुर्म साबित होने के बावजूद माफ़ करेगा तो ये सरीह ज़ुल्म और अदल व इन्साफ़ का ख़ून करने के मुतरादिफ़ (बराबर) होगा। हमारे यहाँ जो ये राइज है कि तमाम क़ानूनी तक़ाज़े पूरे होने के बाद आला अदालतों से सज़ा-ए-मौत पाने वाले मुजरिमों को माफ़ करने का इख़्तियार 'जनाबे सदर' के पास है, ये क़तअन ग़लत और नाजायज़ है। **(2)** मुजरिम को बाँधना जायज़ है बिल ख़ुसूस जब उसके फ़रार होने और भाग जाने का अन्देशा हो। **(3)** 'तेरे और मक़्तूल के गुनाह' यानी इस माफ़ी के बदले में तेरे और मक़्तूल के गुनाह माफ़ हो जायेंगे और तुम दोनों जन्नती बन जाओगे। मक़्तूल इसलिये कि वह ज़ुल्मन मारा गया और मक़्तूल का वली इसलिये कि उसने क़ातिल की जान बख़्श दी। गोया एक शख़्स को ज़िन्दगी दी। और ये बहुत बड़ी नेकी है। ये मानी भी हो सकते हैं कि क़ातिल को दो गुनाह होंगे। मक़्तूल को क़त्ल करने का और तुझे (मक़्तूल के औलिया को) सदमा और नुक़सान पहुँचाने का, लेकिन पहले मानी ज़्यादा सही मालूम होते हैं। वल्लाहु आलम! **(4)** मक़्तूल के वारिसीन को तीन बातों में से सिर्फ़ एक का इख़्तियार है। पहली बात तो ये कि क़ातिल को माफ़ कर दें, ये सबसे बेहतर, अफ़ज़ल और अल्लाह तआला को बहुत पसन्द है। अगर माफ़ नहीं करते तो फिर दियत, यानी ख़ून बहा ले लें और उसे छोड़ दें। ये भी बेहतर है लेकिन पहले से कम दर्जे की नेकी है। और तीसरी और आख़री सूरत क़िसास में क़त्ल करना है। इससे जिस क़द्र बच जायें उतना ही बेहतर है। अगर पहली दोनों बातों पर वह आमादा न हों तो फिर क़ातिल को क़िसास में क़त्ल किया जोयगा और बस **(5)** रसूलुल्लाह(ﷺ) का मक़्तूल के वारिस को बार बार माफ़ करने की तल्क़ीन करना इस बात की दलील है कि माफ़ी पसन्दीदा और महबूब अमल है, और रसूलुल्लाह (ﷺ) के बार बार माफ़ी का शौक़ दिलाने से ये भी मालूम हुआ कि शरीयते इस्लामिया में माफ़ कर देना क़िसास लेने से बेहतर है और मक़्तूल के औलिया को माफ़ी की रग़बत दिलानी चाहिए।

बाब : (6, 7) अल्क़मा बिन वाइल की रिवायत में रावियों के इख़्तिलाफ़ का बयान

(4728) हज़रत वाइल (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं मौक़े पर मौजूद था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक क़ातिल लाया गया जिसे मक़्तूल का वली एक तन्दी (चमड़े की रस्सी) के साथ खींचे ला रहा था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मक़्तूल के वली से फ़रमाया:

باب(٦،٧): ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عَمْرٍو الْعَائِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

'क्या तू माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तू दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क़त्ल करेगा?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'जा ले जा' जब वह उसको ले जाने के लिये आपके पास से मुड़ा तो आपने उसको बुलाया और फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर क़त्ल करेगा?' उसने कहा: हाँ। तो आपने फ़रमाया: 'इसे ले जा।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुनो! अगर तू इसे माफ़ कर दे तो ये अपने और तेरे मक़्तूल के गुनाहों का बोझ उठायेगा।' उसने उसे माफ़ करके छोड़ दिया। मैंने उसे देखा कि वह (क़ातिल) अपनी तन्दी को घसीटते हुये जा रहा था।

حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَقْتُلُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَقْتُلُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " . فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ .

(4728) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6926.

फ़ायदा : 'अपने मक़्तूल के गुनाहों' यानी माफ़ी की सूरत में मक़्तूल के गुनाह भी उसके गले में डाल दिये जायेंगे और वह जन्नती हो जायेगा, बख़िलाफ़ उससे क़िसास लेने के कि इस तरह क़ातिल का गुनाह क़त्ल माफ़ हो जायेगा जब कि मक़्तूल के गुनाह माफ़ होने की कोई ज़मानत नहीं होगी।

(4729) एक और सनद से हज़रत वाइल (رضي الله عنه) नबी (ﷺ) से इस जैसी रिवायत बयान करते हैं।

यहया ने कहा: ये रिवायत इस (साबिक़ा रिवायत) से (सनदन) अच्छी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ . قَالَ يَحْيَى وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ .

(4729) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6927.

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायतें यहया बिन सईद बयान करते हैं। पहली रिवायत वह औफ़ बिन अबू जमीला से बयान करते हैं जबकि दूसरी रिवायत में उनके उस्ताद जामेअ बिन मुतर हबती हैं। इस दूसरी

रिवायत के पहली रिवायत से अच्छा और बेहतर होने का सबब, वल्लाहु आलम, ये है कि यहया बिन सईद का उस्ताद जामेअ बिन मुतर हबती, उनके उस्ताद औफ़ बिन अबी जमीला से हदीस़ बयान करने में अच्छा है। औफ़ बिन अबी जमीला के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'बुन्दार (मुहम्मद बिन बश्शार) ने कहा ...... बिला शुब्हा वह (औफ़ बिन अबू जमीला) तक़दीर का मुन्किर, शीया राफ़ज़ी और शैतान था' देखिये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: 8/149) इमाम इब्ने मुबारक(رحمه الله) फ़रमाते हैं कि औफ़ एक बिदअत पर राज़ी नहीं हुआ बल्कि इसमें दो बिदअतें पाई जाती थीं। एक तो ये कि वह क़दरी, यानी तक़दीर का मुन्किर था और दूसरी बिदअत ये थी कि वह शीया और राफ़ज़ी था। (हवाल-ए-मज़्कूर)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، - وَهُوَ الْحَوْضِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اعْفُ عَنْهُ " . فَأَبَى وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ " اعْفُ عَنْهُ " . فَأَبَى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ - أُرَاهُ قَالَ - فَضَرَبَ رَأْسَ

(4730) हज़रत वाइल (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि एक शख़्स आया जिसकी गर्दन में रस्सी थी (मतलब ये कि एक शख़्स दूसरे आदमी को गले में तन्दी डाल कर लाया) और (वही लाने वाला शख़्स) कहने लगा: ये और मेरा भाई एक कुआँ खोद रहे थे कि उसने कुदाल उठाई और मेरे भाई के सिर पर दे मारी और उसे मार दिया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे माफ़ कर दे।' उसने इन्कार कर दिया। और फिर कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! ये और मेरा भाई एक कुएँ में खुदाई कर रहे थे तो इसने कुदाल उठा कर अपने साथी के सिर पर दे मारी और उसे क़त्ल कर दिया। आपने फ़रमाया: 'इसे माफ़ कर दे।' उसने फिर इन्कार किया। कुछ देर बाद फिर उठा और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये और मेरा भाई दोनों एक कुएँ की खुदाई कर रहे थे। उसने कुदाल उठाई और अपने साथी के सिर पर मार दी और उसकी जान निकाल दी। आपने फ़रमाया: 'उसे माफ़ कर दे।' उसने फिर इन्कार किया।

صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ " اعْفُ عَنْهُ " . فَأَبَى قَالَ " اذْهَبْ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ " . فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ قَالَ " نَعَمِ اعْفُ " . فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا .

आपने फ़रमाया: 'फिर जा (लेकिन याद रख कि) अगर तूने उसे क़त्ल कर दिया तो तू भी उस जैसा ही होगा।' वह उसे लेकर चला गया यहाँ तक कि काफ़ी दूर निकल गया। तो हमने उसे आवाज़ दी कि तू रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात नहीं सुनता? वह वापस आया और कहने लगा: अगर मैंने इसे क़त्ल कर दिया तो इस जैसा हो जाऊँगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ' इसे माफ़ कर दे।' फिर (उसने क़ातिल को छोड़ दिया तो) क़ातिल अपनी तन्दी समेत निकल भागा यहाँ तक कि हमारी निगाहों से ओझल हो गया।

(4730) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6928.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तू उस जैसा ही होगा' ज़ाहिर मफ़हूम तो ये है कि अगर तूने उसे क़त्ल कर दिया तो तू भी नाजायज़ क़ातिल होगा लेकिन ये मफ़हूम यहाँ मुराद नहीं क्योंकि क़ातिल को क़िसास में क़त्ल करना जुर्म नहीं। बाक़ी रहा क़ातिल का ये कहना कि मेरी नियत क़त्ल करने की नहीं थी। इससे क़ातिल को माफ़ करना लाज़िम नहीं आता क्योंकि नियत तो अल्लाह तआला ही जानता है। ज़ाहिरन सूरत क़त्ल की ही थी। आपके फ़रमान का मफ़हूम ये है कि तुझे इस पर कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं होगी। उसने भी ग़ुस्से में क़त्ल किया, तूने भी। अगरचे उसने नाजायज़ क़त्ल किया और तू जायज़ करेगा मगर फ़ज़ीलत तभी हासिल होगी जब तू माफ़ कर दे। दुनिया में भी तारीफ़ होगी, आख़िरत में भी अज्रे अज़ीम हासिल होगा। आपने इस जैसा ज़ू मानी जुम्ला बोल कर उसके माफ़ी के जज़्बात को उभारा और अपने मक़सद में कामयाब रहे। (ﷺ). **(2)** मालूम हुआ क़िसास की बजाये माफ़ी बेहतर है ख़ुसूसन जब कि क़ातिल ये उज़्र भी पेश करता हो कि मेरी नियत क़त्ल की नहीं थी, अगरचे ऐसी सूरत में माफ़ी ज़रूरी नहीं तभी तो आपने क़ातिल मक़्तूल के वली के सुपुर्द कर दिया था कि वह उसे क़त्ल कर सकता है। (मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल हदीस: 4726)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ سِمَاكٍ، ذَكَرَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ

(4731) हज़रत वाइल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को तन्दी (चमड़े की

كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَقَتَلْتَهُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ . قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ " كَيْفَ قَتَلْتَهُ " . قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي إِلاَّ فَأْسِي وَكِسَائِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتُرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ " . قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ " دُونَكَ صَاحِبَكَ " . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " . فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " . فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

रस्सी) के साथ खींचता हुआ आया और कहने लगा: अल्लाह के रसूल! इसने मेरे भाई को क़त्ल कर दिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस (दूसरे आदमी) से पूछा: 'क्या तूने उसे क़त्ल किया है?' पहला आदमी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर ये न माने तो मैं गवाह पेश करूँगा। दूसरे आदमी ने कहा: हाँ मैंने इसे क़त्ल किया है। आपने फ़रमाया: 'कैसे क़त्ल किया?' उसने कहा: मैं और वह एक दरख़्त से ईंधन के लिये लकड़ियाँ काट रहे थे। उसने मुझे गाली दे कर गुस्सा दिला दिया तो मैंने कुल्हाड़ा उसके सिर की चोटी पर दे मारा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तेरे पास इतना माल है जो तू अपनी जान बचाने के लिये अदा करे?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास तो मेरे कुल्हाड़े और मेरी चादर के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या ख़्याल है तेरी क़ौम तुझे ख़रीद लेगी? (तेरी दियत देकर तुझे बचा लेगी?)' उसने कहा: मैं अपनी क़ौम के नज़दीक उससे कम मर्तबा हूँ। आपने उसकी रस्सी पहले आदमी की तरफ़ फेंक दी और फ़रमाया: 'लो अपने क़ातिल को संभालो।' जब वह पीठ फेर कर चला तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर उसने उसे क़त्ल कर दिया तो ये भी उस जैसा ही होगा।' लोग जाकर उस आदमी को मिले और कहा: तुझ पर अफ़सोस! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'अगर उसने उसे क़त्ल कर दिया तो वह उस जैसा ही होगा।' वह आदमी वापस रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल!

وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ " . وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلاَّ بِأَمْرِكَ فَقَالَ " مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " . قَالَ بَلَى . قَالَ " فَإِنْ ذَاكَ " . قَالَ ذَلِكَ كَذَلِكَ .

मुझे बताया गया है कि आपने फ़रमाया है: 'अगर उस (मैं) ने उसे क़त्ल कर दिया तो ये भी उस जैसा ही होगा।' हालांकि मैंने तो इसे आपके फ़रमान से पकड़ा है। आपने फ़रमाया: 'क्या तू नहीं चाहता कि ये शख़्स तेरा और तेरे मक़्तूल का गुनाह समेट ले। (तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाये?)' उसने कहा: क्यों नहीं, फिर कहा: अगर ये बात है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। आपने फ़रमाया: 'ये इसी तरह है जिस तरह मैंने कहा, यानी वह तेरे और तेरे मक़्तूल के गुनाह उठायेगा।'

(4731) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6929.

फ़ायदा : हदीस: 4730 में है कि वह कुआँ खोद रहे थे जबकि इस हदीस में है कि वह लकड़ियाँ काट रहे थे जब उसने क़त्ल किया। इसमें तत्बीक़ यूँ हो सकती है कि उनका असल काम तो कुआँ खोदना हो और इस दौरान में उन्हें लकड़ियाँ हासिल करने की ज़रूरत पड़ गई हो और लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुये उनके दरम्यान झगड़ा हो गया हो और उसने कुआँ खोदने वाली कुदाल के साथ उसे क़त्ल कर दिया हो। जब मक़्तूल के भाई ने बताया तो उसने उनके असल काम का हवाला दिया और जब क़ातिल ने ख़ुद बताया तो जाये वक़ूआ की ख़बर दी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ نَحْوَهُ .

(4732) हज़रत वाइल (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा था कि एक आदमी एक दूसरे शख़्स को खींचता हुआ लाया। बाक़ी रिवायत मज़्कूरा रिवायत के हम मानी है।

(4732) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6930.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ

(4733) हज़रत वाइल (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास एक आदमी लाया

إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجُلَسَائِهِ " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ . قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ قَالَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ .

गया जिसने एक आदमी को क़त्ल कर दिया था। आपने उसे मक़्तूल के वली के सुपुर्द फ़रमा दिया कि (चाहे तो) क़त्ल कर दे। फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने हम नशीनों से कहा: 'क़ातिल मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।' एक आदमी उसके पीछे गया और उसे आपके फ़रमान की ख़बर दी। जब उसने उसको ये बताया तो उसने उसे छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा तो मैंने देखा कि वह रस्सी घसीटते हुये भागा जा रहा था। (फ़ज़करतु ज़ालिक लिहबीबिन फ़क़ाल...) मैंने ये रिवायत हबीब से बयान की तो उसने कहा: मुझे सईद बिन अश्वा ने बयान किया कि नबी(ﷺ) ने उस आदमी को माफ़ करने का हुक्म दिया।

(4733) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6931.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (फ़ज़कर्तु ....) के क़ाइल इस्माईल बिन सालिम हैं। सहीह मुस्लिम में इसकी तसरीह है। इसी तरह हबीब से मुराद हबीब बिन अबी साबित हैं। इसकी तसरीह और वज़ाहत भी सहीह मुस्लिम में मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1680) **(2)** 'दोनों आग में' ये मतलब नहीं कि अगर उसने उसे क़त्ल कर दिया तो दोनों आग में जायेंगे। ये मानी मुसल्लमात के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि क़त्ल किये जाने की सूरत में क़ातिल का गुनाह माफ़ हो जायेगा क्योंकि क़िसास लेने वाला तो अपना हक़ वसूल करेगा। वह आग में क्यूँ? बल्कि मतलब ये है कि अगर क़ातिल और मक़्तूल दोनों एक दूसरे के क़त्ल के दर पे रहे हों तो वह दोनों आग में जायेंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ क़ातिल ही क़सूरवार हो, लिहाज़ा माफ़ कर देना चाहिए। इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ से मक़सूद माफ़ी के जज़्बात को उभारना था और वह मक़सूद हासिल हो गया। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ

(4734) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स अपने रिश्तेदार के क़ातिल को पकड़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया तो नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे

رَجُلاً، أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اعْفُ عَنْهُ " . فَأَبَى فَقَالَ " خُذِ الدِّيَةَ " . فَأَبَى قَالَ " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ " . فَذَهَبَ فَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ " . فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِيَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ .

माफ़ कर दे।' उसने इन्कार किया। आपने फ़रमाया: 'दियत ले लो।' उसने फिर इन्कार किया। आपने फ़रमाया: 'जा फिर इसे क़त्ल कर दे। तू भी उस जैसा ही है।' वह उसे ले गया। पीछे से कोई आदमी उसे जाकर मिला और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'उसे क़त्ल कर दे तो तू भी उस जैसा ही होगा।' तो उसने उसे छोड़ दिया। वह आदमी (क़ातिल) मेरे पास से गुज़रा इस हाल में कि वह रस्सी घसीटता हुआ भागा जा रहा था।

(4734) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2691, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6932.

फ़ायदा : 'रस्सी घसीटता हुआ' गोया उसने रस्सी खोलने का तकल्लुफ़ भी न किया। इसी तरह भाग उठा।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي . قَالَ " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ " . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اتَّقِ اللَّهَ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَأَعْنَفَهُ " أَمَا إِنَّهُ

(4735) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम(ﷺ) के पास आया और कहने लगा इस आदमी ने मेरे भाई को क़त्ल कर डाला है। आपने फ़रमाया: 'जा उसे क़त्ल कर दे, जैसे उसने तेरे भाई को क़त्ल किया है।' वह आदमी (क़ातिल) कहने लगा: अल्लाह तआला से डरो और मुझे माफ़ कर दो। इससे तुझे बहुत सवाब मिलेगा। और ये (माफ़ी) तेरे और तेरे भाई के लिये क़यामत के दिन बहुत अच्छी साबित होगी। उसने उसे छोड़ दिया। नबी (ﷺ) को बताया गया। आपने क़ातिल से पूछा तो उसने मक़्तूल के वारिस से जो कहा था आपको उसकी ख़बर दी। तो आपने उसे डाँटा (और फ़रमाया:) 'तेरा क़त्ल हो जाना इस सुलूक से बेहतर था जो मक़्तूल क़यामत के दिन तुझसे करेगा। वह कहेगा: ऐ मेरे रब इससे पूछिये कि उसने किस

كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي " .

बिना पर मुझे क़त्ल किया था?'

(4735) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6933, तस्हीलुल हाजा, हदीस: 3781, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तेरा क़त्ल हो जाना बेहतर था' गोया माफ़ी मक़्तूल और उसके वली के लिये तो बेहतर और अफ़ज़ल है मगर क़ातिल के लिये नुक़्सानदेह है क्योंकि मक़्तूल और उसका वली तो माफ़ी की वजह से जन्नत में चले जायेंगे मगर क़ातिल को हिसाब देना होगा और अज़ाब सहना होगा, बख़िलाफ़ इसके कि अगर माफ़ न किया जाता और क़ातिल को क़त्ल कर दिया जाता तो क़ातिल का गुनाह तो माफ़ हो जाता, अलबत्ता मक़्तूल और उसके वली की माफ़ी की कोई ज़मानत न होती। **(2)** इस हदीस से मालूम होता है कि अदालत से सज़ा होने के बाद भी क़ातिल, मक़्तूल के वारिस से माफ़ी की दरख़्वास्त कर सकता है और वह चाहे तो माफ़ कर सकता है क्योंकि ये ख़ालिसतन उसी का हक़ है। और ये सिर्फ़ क़त्ल के मसले में है। चोरी वग़ैरह के मसले में अदालत में केस आने से पहले तो माफ़ कर सकता है बाद में नहीं। जैसा कि दूसरी हदीस में इसकी वज़ाहत है। वल्लाहु आलम!

باب : (٧، ٨)
تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

बाब : (7, 8) अल्लाह तआला के फ़रमान (व इन हकम्त फ़ह्कुम बैनहुम बिल्क़िस्त) की तफ़्सीर

वज़ाहत : इस बाब की तफ़्सील आइन्दा बाब के तहत आने वाली अहादीस में बयान होगी।

باب : (٨، ٩)
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي ذَلِكَ

बाब : (8, 9) इस रिवायत में इक्रिमा पर इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ

(4736) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर (दो यहूदी क़बीले थे) बनू नज़ीर, बनू क़ुरैज़ा से अफ़ज़ल शुमार होते थे। अगर बनू क़ुरैज़ा में से कोई आदमी बनू नज़ीर के किसी आदमी को क़त्ल कर देता तो उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया

قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ . فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } .

जाता था लेकिन जब बनू नज़ीर का कोई शख़्स बनू क़ुरैज़ा के किसी आदमी को क़त्ल करता तो वह सो वस्क़ खजूर दे देता था। जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) मबऊस हुये (मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये) तो बनू नज़ीर के एक आदमी ने बनू क़ुरैज़ा के एक आदमी को क़त्ल कर दिया। बनू क़ुरैज़ा ने मुतालबा किया कि क़ातिल हमारे सुपुर्द करो ताकि हम उसे क़त्ल कर दें। (उनके इन्कार पर) बनू क़ुरैज़ा ने कहा: हमारे और तुम्हारे दरम्यान नबी-ए-अकरम (ﷺ) फ़ैसला फ़रमायेंगे। वह आपके पास आये तो ये आयत उतरी: (व इन हकम्ता....) 'अगर आप फ़ैसला फ़रमायें तो उनके दरम्यान इन्साफ़ के साथ फ़ैसला फ़रमायें।' और इन्साफ़ यही है कि जान के बदले जान (मक़्तूल के बदले क़ातिल क़त्ल किया जाये) फिर ये आयत उतरी (अ फ़हुक्मुल...) 'क्या ये अब भी जाहिलियत के फ़ैसले चाहते हैं?'

(4736) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6934, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1738, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 772, वल हाकिम: 4/366, 367, देखें, हदीस: 326, 2114.

फ़ायदा : 'हमारे और तुम्हारे दरम्यान' तर्जुमे में इसे बनू क़ुरैज़ा का क़ौल बतलाया गया है मगर ये बनू नज़ीर का क़ौल भी बन सकता है कि वह क़ातिल सुपुर्द करने के बजाये फ़ैसला आपके पास ले आये। उनका ख़्याल था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी हमारी रिवायात के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायेंगे। ये तर्जुमा मा बाद अल्फ़ाज़ 'क्या वह जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं?' से ज़्यादा मुताबिक़त रखता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ

(4737) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि सूर-ए-मायदा की आयत जिनमें अल्लाह(عزوجل) ने फ़रमाया है: (फ़हकुम ....)

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الآيَاتِ الَّتِي، فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } إِلَى { الْمُقْسِطِينَ } إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً .

'आप इनमें फ़ैसला करें या न, (आपकी मर्ज़ी है) .... इन्साफ़ करने वालों को (ही पसन्द करता है।)' ये आयात बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा के दरम्यान दियत के झगड़े के बारे में नाज़िल हुईं और वह इस तरह कि बनू नज़ीर के मक़्तूलीन को अफ़ज़ल ख़्याल किया जाता था, इसलिये उनकी मुकम्मल दियत (सौ ऊँट) अदा की जाती थी जबकि बनू क़ुरैज़ा के मक़्तूलीन की निस्फ़ दियत अदा की जाती थी। वह इस बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास फ़ैसला ले गये तो अल्लाह तआला ने उनके बारे में ये आयात नाज़िल फ़रमाईं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको इस बारे में हक़ इख़्तियार करने पर मजबूर किया और आपने सबकी दियत बराबर क़रार दी।

(4737) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3591, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6935.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लामी हुकूमत के तहत बसने वाले ग़ैर मुस्लिम ज़िम्मी कहलाते हैं। अपने ज़ाती मामलात तो वह अपनी रिवायात के मुताबिक़ ख़ुद तै करेंगे मगर जिन मामलात का ताल्लुक़ अदालत से है, वह फ़ैसला मुल्की क़ानून के मुताबिक़ होगा। मुल्की क़ानून से मुराद इस्लामी शरीयत है। मज़हब और दीन ज़ाती मामलात में शुमार होते हैं। लोगों से लेन देन और जुर्म व सज़ा वग़ैरह मुल्की मामलात के तहत आते हैं। **(2)** मज़्कूरा बाला दोनों रिवायतों को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन मज़्कूरा दोनों रिवायतों की बाबत लिखते हैं कि ये दोनों रिवायतें मिल कर दर्ज-ए-सेहत तक पहुँच जाती हैं। और दलाइल के ऐतबार से यही राय अक़रब इलस्सवाब मालूम होती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया, मुसनद इमाम अहमद: 5/401, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 36/6-12)

बाब : (9, 10) आज़ाद और ग़ुलाम के दरम्यान क़िसास का बयान?

باب(٩، ١٠): الْقَوَدِ بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ

(4738) हज़रत क़ैस बिन उबाद से रिवायत है कि मैं और अश्तर नख़ई हज़रत अली (ﷺ) के पास गये। हमने कहा: क्या नबी-ए-करीम (ﷺ) ने आपको कोई ख़ुसूसी वसीयत फ़रमाई है जो दूसरे लोगों को न फ़रमाई हो? उन्होंने कहा: नहीं, अलबत्ता मेरी इस तहरीर में कुछ लिखा है। फिर उन्होंने अपनी तलवार की म्यान से वह तहरीर निकाली तो उसमें लिखा था: 'तमाम ईमान वालों के ख़ून बराबर हैं। और वह सब अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ यक्मुश्त हैं। उनमें से कम मर्तबे वाला आम शख़्स भी किसी को पनाह दे सकता है। आगाह रहो किसी मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाये और न किसी ज़िम्मी को जब तक वह हमारी पनाह में है। जो दुश्मन बग़ावत करेगा, उसे उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। जो शख़्स किसी बाग़ी को पनाह मुहैया करे, उस पर अल्लाह तआला, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत है।'

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا . فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .

(4738) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद: 4530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6936, इब्ने अबी अरूबा, हदीस: 34, 36, बुख़ारी, हदीस: 3047, 6915, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1699, अलहाफ़िज़ फ़ी अल फ़तह: 12/231,

फ़वाइद व मसाइल : (1) मोमिन को काफ़िर के बदले किसी सूरत में क़त्ल नहीं किया जा सकता, ख़्वाह मक़्तूल ज़िम्मी ही हो क्योंकि मुसलमान और काफ़िर के ख़ून बराबर नहीं। अलबत्ता ज़िम्मी का क़त्ल चूंकि अहद और पनाह की ख़िलाफ़वर्ज़ी है, लिहाज़ा उसकी दियत दी जायेगी वरना आख़िरत में

मिन जानिब अल्लाह सज़ा होगी। हुकूमत भी तक़रीबन क़ैद वग़ैरह की सज़ा दे सकती है। वल्लाहु आलम! अहनाफ़ ज़िम्मी के बदले मुसलमान के क़त्ल के क़ाइल हैं। वह इस रिवायत को हरबी काफ़िर, यानी दुश्मन मुल्क के काफ़िर के बारे में क़रार देते हैं, हालांकि दुश्मन मुल्क के काफ़िर के बदले तो क़त्ल का सवाल ही पैदा नहीं होता। (2) इस हदीस से राफ़ज़ियों की तर्दीद होती है जो कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को कुछ ख़ुसूसी वसीयतें की थीं, और मालूम हुआ कि जुर्म की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ मुजरिम को मिलेगी किसी दूसरे शख़्स को नहीं। हमारे मुआशरे में जो अँधा क़ानून है कि करे कोई भरे कोई, तो ये शरअन नाजायज़ और हराम है। इरशादे इलाही है: (वला तज़िरु वाजिरतुंव विज़्रा उख़्रा) 'कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का (क़तअन) कोई बोझ नहीं उठायेगा (ख़्वाह वह उसका कितना ही क़राबतदार क्यों न हो।' (फ़ातिर: 35/18) अल्लाह के क़ानून में इसकी ज़र्रा भर गुंजाइश नहीं बल्कि ऐसा करने वाला, मुजरिम और लाइक़े सज़ा क़रार पाता है। (3) तमाम मुसलमानों पर लाज़िम है कि वह नेकी और तक़्वा के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन करें। एक दूसरे को कुव्वते बाहम पहुँचायें, और वह अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों। (4) जिस तरह जुर्म करना गुनाह है उसी तरह किसी मुजरिम की पुश्त पनाही करना या उसे क़रारे वाक़ेई सज़ा से बचाना और उसकी सिफ़ारिश वग़ैरह करना भी गुनाह है। मज़ीद बरां ये भी कि अगर कोई शख़्स बाग़ी और ऐसे ख़तरनाक मुजरिम को पनाह और तहफ़्फ़ुज (सुरक्षा) दे तो ये पनाह और तहफ़्फ़ुज देने वाला शख़्स मलऊन और लानती है। उस शख़्स पर लानत है अल्लाह तआला की, उसके फ़रिश्तों की और तमाम इन्सानों की। इसमें उन हज़रात के लिये लम्ह-ए-फ़िक्रिया ये है जो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज देते हैं कि वह झूठी नामवरी के लिये लानत और फटकार के मुस्तहिक़ ठहरते हैं। (5) 'ख़ुसूसी वसीयत' कुछ बे दीन लोगों ने मशहूर कर रखा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को असल वह्य की तालीम दी है। बाक़ी लोगों के पास नाक़िस वह्य है। हज़रत अली (رضي الله عنه) ने इसकी नफ़ी फ़रमाई कि मेरे पास सिर्फ़ एक तहरीर है। वह भी देख लो ताकि कोई शक व शुब्हा न रहे। इस तहरीर में ऐसे मसाइल थे जो सब लोगों से ताल्लुक़ रखते थे और लोगों को अलग तौर से भी मालूम था। (6) 'ख़ून बराबर हैं' इससे मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि आज़ाद और ग़ुलाम मोमिन का ख़ून बराबर है, लिहाज़ा उन्हें एक दूसरे के बदले क़त्ल किया जा सकता है। यही मौक़िफ़ सईद बिन मुसय्यब, इब्राहीम नख़ई, क़तादा, सुफ़ियान सौरी और अबू हनीफ़ा (رحمه الله) का है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया(رحمه الله) ने भी इसी मौक़िफ़ को राजेह क़रार दिया है क्योंकि मज़्कूरा हदीस के मुताबिक़ मुसलमानों के ख़ून बराबर हैं। इसके बरअक्स अहले इल्म की एक जमाअत के नज़दीक आज़ाद को ग़ुलाम के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा। इसमें सरे फ़ेहरिस्त सय्यदना अबू बक्र व उमर (رضي الله عنهم) का नाम आता है लेकिन उनसे सही सनद से साबित नहीं है, और इस बारे में वारिद तमाम अहादीस भी ज़ईफ़ हैं। इसलिये राजेह बात यही है कि

आज़ाद आदमी अगर ग़ुलाम को क़त्ल कर दे तो उसे क़िसासन क़त्ल किया जायेगा मगर ये कि उसके वारिसीन दियत पर राज़ी हो जायें या माफ़ कर दें। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: लिल अत्यूबी: 36/19) **(7)** 'यक्मुश्त हैं' यानी मुसलमानों को कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में यक्मुश्त रहना चाहिए। आपस में इन्तिशार या दुश्मन की साज़िश का शिकार नहीं होना चाहिए और न कुफ़्फ़ार को दोस्त बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कैसी बेहतरीन मिसाल इरशाद फ़रमाई है कि मोमिन एक हाथ की उंगलियों की तरह हैं जो ज़रूरत हो तो यक्जान होकर ज़बरदस्त मुक्का - बन जाती हैं। **(8)** 'पनाह दे सकता है' जो दूसरे मुसलमासनों को तस्लीम करना होगी, ख़्वाह पनाह देने वाला आम फ़ौजी या आम मुसलमान हो।

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".

(4739) हज़रत अली (رضی الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तमाम मोमिनों के ख़ून बराबर हैं और वह अपने दुश्मन काफ़िरों के ख़िलाफ़ एक हाथ की तरह हैं। उनमें से आम शख़्स भी पनाह दे सकता है। किसी मोमिन को किसी काफ़िर के बदले में क़त्ल नहीं किया जा सकता। न किसी ज़िम्मी को क़त्ल किया जा सकता है, जब तक उससे मुआहिदा क़ाइम है।'

(4739) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला फ़ी मुसनद: 1/424, हदीस: 302, मुसनद अहमद: 1/122, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6937, देखें, हदीस: 4749.

باب: (١٠، ١١) الْقَوَدِ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

बाब : (10, 11) मालिक से ग़ुलाम को क़िसास लेने का बयान

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، - هُوَ الْمَرْوَزِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

(4740) हज़रत समुरा (رضی الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने ग़ुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल कर देंगे। जो शख़्स अपने ग़ुलाम की नाक कान काटेगा, हम उसकी नाक कान काट देंगे और जो अपने

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ " .

गुलाम को ख़स्सी करेगा, हम उसे ख़स्सी कर देंगे।'

(4740) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4516, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6938, तिर्मिज़ी, हदीस: 1414, अबू दाऊद, हदीस: 4515, व सहीह अल हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 4/367, तस्हीलुल हाजा, हदीस: 2183, नैलुल मक़सूद वग़ैरहुमा.

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .

(4741) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल कर देंगे और जो अपने गुलाम के नाक कान काटेगा, हम उसके नाक कान काट देंगे।'

(4741) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6939.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .

(4742) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल करेंगे और जो शख़्स अपने गुलाम की नाक कान काटेगा, हम उसकी नाक काट काट देंगे।'

(4742) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6940.

फ़ायदा : ऊपर दी गई तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। मुहक़्क़िक़ का इन्हें हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि राजेह बात ये है कि हसन बसरी (رحمه الله) ने हज़रत समुरा (ﷺ) से सिवाए अक़ीक़ा वाली रिवायत के कोई रिवायत नहीं सुनी। तफ़्सील के लिये देखिये (अलमौसूआ अलहदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 33/296, 297) ताहम मसला इस तरह है जिस तरह मुअल्लिफ (رحمه الله) ने बाब क़ाइम किया है कि आक़ा अगर अपने गुलाम को क़त्ल कर दे तो उसे क़त्ल किया जायेगा जैसा कि हदीस: 4738 के फ़वाइद में तफ़्सील गुज़र चुकी है।

बाब : (11, 12) औरत को औरत के बदले क़त्ल किया जायेगा

باب : (١١، ١٢) قَتْلِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

(4743) हज़रत उमर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने उस (औरत को औरत के बदले क़त्ल करने) की बाबत लोगों से रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला पूछा तो हज़रत हमल बिन मालिक (ﷺ) उठे और कहा: मैं दो औरतों के दो कमरों के दरम्यान रहता था कि एक ने दूसरी को ख़ैमे की लकड़ी मार कर क़त्ल कर दिया, और उसके पेट का बच्चा भी मर गया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने पेट के बच्चे की दियत में एक गुलाम या लौण्डी देने का हुक्म दिया और उस औरत के बदले क़ातिल औरत को क़त्ल करने का हुक्म दिया।

(4743) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6941.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رضى الله عنه أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَىِ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (ﷺ) के दौर में शायद इसी क़िस्म का मसला पेश आया होगा कि औरत भी मारी गई और पेट का बच्चा भी। इस लिये पूछने की ज़रूरत पेश आई। वल्लाहु आलम! **(2)** 'दो औरतें' ये दोनों औरतें आपस में सोकनें थीं। सोकना पे में ऐसा मुमकिन है। **(3)** 'पेट के बच्चे की दियत' जबकि बच्चे में रूह फूँकी जा चुकी हो, यानी हमल चार माह का हो जाये तो उसके बाद पैदाइश तक किसी भी वक़्त किसी की ज़र्ब से बच्चा ज़ाया हो जाये तो उसकी दियत गुलाम या लौण्डी या क़ीमत की सूरत में लागू होगी। पैदाइश के बाद कोई मार दे, ख़्वाह उसने एक ही साँस लिया हो तो फिर क़िसास या पूरी दियत, यानी सौ ऊँट अदा करने पड़ेंगे। **(4)** 'क़त्ल करने का हुक्म दिया' गोया क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा, ख़्वाह उसने डण्डे सोटे वग़ैरह ही से मारा हो मगर ये कि मक़्तूल के औलिया माफ़ कर दें तो फिर दियत होगी।

बाब : (12, 13)
औरत के बदले मर्द को क़िसासन क़त्ल करने का बयान

باب : (١٢، ١٣)
الْقَوَدِ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

(4744) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक लड़की को उसकी बालियाँ उतारने की ख़ातिर क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस यहूदी को उस लड़की के ऐवज़ क़त्ल कर दिया।

(4744) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6942.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا .

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मर्द औरत को क़त्ल करे तो उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया जाये मगर ये कि माफ़ी हो जाये। मज़्कूरा वाक़िया चूंकि 'डाके' की तारीफ़ में आता है, इसलिये आपने मक़्तूला के औलिया से माफ़ी का इन्दिया मालूम नहीं फ़रमाया बल्कि उसे ख़ुद क़त्ल करा दिया क्योंकि डाका मअ़ क़त्ल (लूट के साथ क़त्ल) मुहारबा की ज़ेल में आता है जिसमें माफ़ी नहीं।

(4745) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक लड़की की बालियाँ उतार लीं। फिर उसका सर दो पत्थरों के दरम्यान कुचल दिया। लोगों ने लड़की को देखा तो उसमें कुछ जान बाक़ी थी। वल लोग उसके सामने मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास का नाम लेकर पूछने लगे: वह फ़ुलां था? वह फ़ुलां था? आख़िर (उस यहूदी के नाम) पर लड़की ने हाँ का इशारा कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया तो उस यहूदी का सर भी इसी तरह दो पत्थरों के दरम्यान कुचल दिया गया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6943, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا، أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ بِهَا النَّاسَ هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4049, 4050.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ " . قَالَتْ بِرَأْسِهَا لاَ . قَالَ " فُلاَنٌ " . قَالَ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا نَعَمْ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

(4746) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः एक लड़की घर से निकली। उसके कानों में बालियाँ थीं। एक यहूदी ने उसे पकड़ लिया। उसका सर कुचला और ज़ेवरात उतार कर ले गया। जब उस लड़की को देखा गया तो उसमें कुछ जान बाक़ी थी। उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया तो आपने उससे पूछाः 'तुझे किस ने मारा है? क्या फ़ुलां ने?' उसने सर से इशारा किया, नहीं। फ़रमायाः 'फ़लां ने?' यहाँ तक कि आपने उस यहूदी का नाम लिया तो उसने सर के इशारे से हाँ कहा। उस यहूदी को पकड़ लाया गया। आख़िर उसने तस्लीम कर लिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया और उसका सर भी उसी तरह दो पत्थरों के दरम्यान कुचल दिया गया।

(4746) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारीः 2413, मुस्लिम, हदीसः 17/1672, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6944.

بَاب : (١٣، ١٤) سُقُوطِ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

बाब : (13, 14) मुसलमान से काफ़िर का क़िसास न लेने का बयान

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى

(4747) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'किसी मुसलमान को क़त्ल करना जायज़ नहीं मगर ये कि वह उन तीन जराइम में से कोई जुर्म करेः शादी शुदा होकर ज़िना करे तो उसे रज्म किया जायेगा। किसी मुसलमान शख़्स को जानबूझ कर क़त्ल कर दे। या इस्लाम से ख़ारिज हो जाये और अल्लाह तआला और उसके

ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ "

रसूल(ﷺ) से जंग शुरू कर दे तो उसे क़त्ल किया जायेगा या सूली पर लटकाया जायेगा या अपने इलाक़े से जला वतन कर दिया जायेगा।'

(4747) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4053, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6945.

फ़ायदा : मुसन्निफ़ (رحمه الله) का इस्तेदलाल ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से है कि इन तीन जराइम के अलावा किसी मुसलमान को क़त्ल करना जायज़ नहीं। और उनमें दूसरा जुर्म किसी मुसलमान को क़त्ल करने का है न कि काफिर को। इस इस्तेदलाल की ताईद आइन्दा अहादीस से भी हो रही है जिनमें सराहतन फ़रमाया गया है कि किसी मुसलामन को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा। बाक़ी रहा अन्नफ़्स बिन्नफ़्स तो ये आम नहीं क्योंकि हरबी काफ़िर के बदले कोई शख़्स भी मुसलमान को क़त्ल करने का क़ाइल नहीं। जिस तरह हरबी काफ़िर मुस्तस्ना है, इसी तरह इन अहादीस की बिना पर ज़िम्मी काफ़िर भी मुस्तस्ना है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल हदीस: 4738)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ فَقَالَ لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ فِيهَا " الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " .

(4748) हज़रत अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि हमने हज़रत अली (رضي الله عنه) से पूछा: क्या आपके पास रसूलुल्लाह (ﷺ) की जानिब से क़ुर्आन मजीद के अलावा कोई और चीज़ भी है? उन्होंने फ़रमाया: क़सम है उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़ कर अंगूरी निकाली और रूह को पैदा फ़रमाया! नहीं, मगर ये कि अल्लाह तआला किसी आदमी को अपनी किताब की समझ अता फ़रमाये। (इसमें फ़र्क़ हो सकता है) या फिर इस तहरीर में कुछ बातें हैं। मैंने कहा: इस तहरीर में क्या लिखा है? उन्होंने फ़रमाया: इसमें दियत के मसाइल हैं। क़ैदी को छुड़ाने की फ़ज़ीलत का बयान है और ये कि किसी मुसलमान को किसी काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा।

(4748) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6903, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6946.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस़: 4738 **(2)** 'इस तहरीर में' और ये बातें भी हज़रत अली (ﷺ) या अहले बैत से ख़ास़ नहीं थीं बल्कि आम लोग भी जानते थे। **(3)** 'क़ैदी को छुड़ाना' मुराद वह क़ैदी है जो काफ़िरों की क़ैद में फँस जाये या हुकूमत की क़ैद में बेगुनाह हो गुनाहगार क़ैदी जो किसी जुर्म में माख़ूज़ हो कर क़ैद में हो, उसे छुड़ाना जायज़ नहीं, अलबत्ता इससे तआम व लिबास या उसके अहले ख़ाना के तआम वग़ैरह के सिलसिले में तआवुन हो सकता है। बसा औक़ात कुछ लोग क़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में क़ैद हो जाते हैं। उनकी तरफ़ से क़र्ज़ अदा करके उनको छुड़ाना भी फ़ज़ीलत की बात है।

(4749) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आम लोगों के अलावा मुझे कोई ख़ुसूसी वसीयत नहीं फ़रमाई मगर मेरी तलवार की म्यान में एक तहरीर है। लोग आपसे इस्रार करते रहे (कि आप वह तहरीर दिखायें) यहाँ तक कि आपने वह तहरीर निकाली। इसमें लिखा था: 'तमाम मोमिन भी किसी शख़्स को तमाम मुसलमानों की तरफ़ से पनाह दे सकता है। सब मुसलमान कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में एक हाथ की तरह यक्जान हैं। किसी मुसलमान को किसी काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता और किसी ज़िम्मी को उसके ज़िम्मे होते हुये क़त्ल नहीं किया जा सकता।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي . فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " .

(4749) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4739, अबू दाऊद, हदीस़: 2035, मुसनद अहमद: 1/119, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6947.

(4750) अशतर नख़ई से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अली (ﷺ) से कहा कि लोगों में ऐसी बातें बहुत फैली हुई हैं जो वह (इधर उधर से) सुनते हैं। अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको कोई ख़ुसूसी इल्म या वसीयत अता फ़रमाई है तो हमें बयान

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْتَرِ، أَنَّهُ

قَالَ لِعَلِيٍّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ . قَالَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " . مُخْتَصَرٌ .

फ़रमायें। हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे कोई ख़ुसूसी इल्म या वसीयत नहीं फ़रमाई जो दूसरे लोगों को अता न फ़रमाई हो। अलबत्ता मेरी तलवार की म्यान में एक तहरीर मौजूद है। देखा तो इसमें ये लिखा था: 'तमाम अहले ईमान के ख़ून बराबर हैं। एक आम मुसलमान भी सब मुसलमानों की तरफ़ से पनाह दे सकता है। किसी मोमिन को किसी काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता और न किसी ज़िम्मी को उसके ज़िम्मी होते हुये क़त्ल किया जा सकता है।' ये रिवायत मुख़्तसर है।

(4750) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6948.

باب : (١٤، ١٥)
تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

बाब : (14, 15)
ज़िम्मी को क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .

(4751) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी ज़िम्मी को नाहक़ क़त्ल करे, अल्लाह तआला ने उस पर जन्नत हराम फ़रमा दी है।'

(4751) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6949, व सहीह इब्ने हिब्बान, व इब्ने अल जारूद वग़ैरहुमा.

फ़ायदा : 'जन्नत हराम' यानी उस शख़्स पर जन्नत में पहले पहल दाख़िला हराम है क्योंकि ये ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लिहाज़ा वह अव्वलीन तौर पर जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकेगा। ये मतलब नहीं कि वह कभी जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि ये बात तो किसी मोमिन को क़त्ल करने की सूरत में भी नहीं कही जा सकती। शरीयत की वाज़ेह नुसूस सराहतन दलालत करती हैं कि किसी भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हमेशा के लिये जहन्नमी नहीं होगा, आख़िरकार वह जन्नत में ज़रूर जायेगा

बशर्ते कि वह कलिमा गो और मुवह्हिद (तोहीद परस्त) हो। क़त्ल भी गुनाहे कबीरा ही है। तफ़्सीली बहस़ हदीस़ नम्बर: 4004 में गुज़र चुकी है। (ज़िम्मी के क़त्ल की बहस़ के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल हदीस़: 4738)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا " .

(4752) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने किसी ज़िम्मी को नाहक़ क़त्ल किया, अल्लाह तआला ने उस पर जन्नत तो एक तरफ़ उसकी ख़ुशबू सूंघना तक हराम कर दिया है।'

(4752) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6950.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " .

(4753) नबी-ए-करीम (ﷺ) के एक स़हाबी से मन्क़ूल है कि नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ किसी ज़िम्मी को क़त्ल करेगा वह जन्नत की ख़ुशबू भी नहीं पायेगा हालांकि उसकी ख़ुशबू सत्तर साल के फ़ास़िले से आती है।'

(4753) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6951.

फ़ायदा : 'इसकी ख़ुशबू सत्तर साल के फ़ास़िले से आती है' जन्नत की ख़ुशबू महसूस होने की मसाफ़त और फ़ासले की बाबत शदीद इख़्तिलाफ़ है। इसकी वजह ये है कि इस मफ़हूम की अहादीस़ कई एक हैं। किसी हदीस़ में सत्तर साल का ज़िक्र है तो किसी में चालीस साल का। मज़ीद बरां ये कि कुछ अहादीस़ में सौ साल का ज़िक्र है, कुछ में पाँच सौ साल का और कुछ में हज़ार साल का भी ज़िक्र है। इस इख़्तिलाफ़े मसाफ़त की बाबत अहले इल्म मुहद्दिस़ीने किराम (رحمهم الله) ने मुख़्तलिफ़ तौजीहात बयान फ़रमाई हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक इन अहादीस़ के माबैन जमा व

तत्बीक़ की सूरत ये है कि मौक़िफ़ (जिस जगह रोज़े क़यामत लोग खड़े होंगे) से कम अज़ कम फ़ासला जहाँ जन्नत की ख़ुशबू आ सकती है वह चालीस साल की मुद्दत का है। इससे ज़्यादा सत्तर साल का फ़ासला है। या फिर ये अदद मुबालिग़े के लिये इस्तेमाल किये गये हैं। इस तरह पाँच सौ बरस, फिर उनमें सबसे ज़्यादा फ़ासला जहाँ से जन्नत की ख़ुशबू आ सकती है, हज़ार साल का है। हाफ़िज़ इराक़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं कि इन मुख़्तलिफ़ रिवायात में तत्बीक़ इस तरह होगी कि ये मुख़्तलिफ़ लोगों के बाहमी तफ़ावुते दर्जात के ऐतबार से है। जिनके दर्जात बलन्द होंगे उन्हें ज़्यादा मसाफ़त से भी जन्नत की ख़ुशबू आयेगी और जो दर्जात व मनाज़िल के लिहाज़ से कम होंगे उन्हें कम और थोड़े फ़ासले से जन्नत की ख़ुशबू आयेगी। इब्नुल अ़रबी का कहना है कि जन्नत की ख़ुशबू अपनी तबीयत व आ़दत की बुनियाद पर नहीं पाई जा सकती बल्कि अल्लाह तआ़ला अपनी मशियत से बन्दे के अन्दर उसके इदराक की सलाहियत पैदा फ़रमा देगा, जिसकी बिना पर मसाफ़त से जन्नत की ख़ुशबू आयेगी, कभी सत्तर साल की मसाफ़ात से ख़ुशबू आयेगी तो कभी पाँच सौ साल की मसाफ़त से। वल्लाहु आ़लम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 36/50, 51)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " .

(4754) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी ज़िम्मी को क़त्ल किया, वह जन्नत की ख़ुशबू तक नहीं पा सकेगा जबकि उसकी ख़ुशबू तो चालीस साल के फ़ासले से महसूस होती है।'

(4754) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/186, व अत्राफ़ुल मुसनद: 4/10, हदीस: 5113, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6952, व सहीह अल हाकिम अ़ला शर्तिश शैख़ैन: 2/126, 127.

फ़ायदा : 'चालीस साल' चालीस साल में सत्तर की नफ़ी नहीं, लिहाज़ा ये रिवायत साबिक़ा रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं। और अगर कसरत के मानी मुराद हों तो फिर तो सिरे से कोई इश्काल नहीं। मक़सद ये है कि वह जन्नत से बहुत दूर रहेगा। लेकिन इससे मुराद इब्तेदा है वरना आख़िरकार हर मोमिन जन्नत में जायेगा जैसा कि पीछे बयान हो चुका है।

बाब : (15, 16) गुलामों में जान से कम में क़िसास न होने का बयान

باب(١٥، ١٦): سُقُوطِ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلاَمًا، لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا .

(4755) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि फ़क़ीर लोगों के एक गुलाम ने मालदार लोगों के एक गुलाम का कान काट दिया। वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आये तो आपने उनको कोई मुआवज़ा न दिलाया।

(4755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6953, देखें, हदीस: 34.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसन्निफ़ (رحمه الله) ने यहाँ गुलाम मम्लूक के मानी में लिया है जब कि कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने यहाँ गुलाम के मानी बच्चा किये हैं। अ़रबी में लफ़्ज़ गुलाम दोनों मानी के लिये इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है बच्चे पर क़िसास नहीं। अलबता अगर गुलाम ही मुराद हो तो ये ख़ता का मुक़द्दमा होगा, यानी इससे ख़तअन कान काटा गया और ख़ता की सूरत में भी क़िसास नहीं होता। दोनों सूरतों में इसके औलिया पर दियत आनी थी लेकिन वह ख़ुद कंगाल थे। उनसे क्या वसूल होना था? लिहाज़ा आपने सुलह करवा दी। **(2)** मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन इस रिवायत को सहीहुल इस्नाद क़रार देते हैं और दलाइल की रू से उनकी राय ही सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 5436-57)

बाब : (16, 17) दाँत टूट जाने की सूरत में क़िसास

باب(١٦، ١٧): الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِدٍ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " .

(4756) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दाँत में क़िसास का हुक्म जारी फ़रमाया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह का हुक्म क़िसास है।'

(4756) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6954, बुख़ारी, हदीस: 4761.

फ़ायदा : दाँत मुकम्मल उखड़ जाये तो तोड़ने वाले का दाँत क़िसास़न तोड़ा जा सकता है, अलबत्ता ऐसे तरीक़े से कि दूसरे दाँतों को ज़ुअफ़ न पहुँचे। और जो दाँत उखड़ा हो, फ़रीक़े स़ानी का भी वही दाँत उखाड़ा जायेगा। और अगर मुकम्मल न उखड़े बल्कि ऊपर से टूट जाये तो फ़रीक़े स़ानी मुनासिब मुआवज़ा देगा। इसमें क़िसास़ नहीं होगा क्योंकि उतना ही दाँत तोड़ना मुमकिन नहीं होगा और ज़्यादा तोड़ना जायज़ नहीं, लिहाज़ा मुआवज़ा दिया जायेगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .

(4757) हज़रत समुरा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल कर देंगे और जो कोई अपने गुलाम की नाक या कान काट दे, हम उसकी नाक कान काट देंगे।'

(4757) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6955.

फ़ायदा : जब नाक कान में क़िसास़ हो सकता है तो दाँत में भी हो सकता है। बाब से मुनासिबत इसी तरह है, ताहम ये रिवायत ज़ईफ़ है जैसा कि पहले उसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है। देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस़: 4740.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " . وَاللَّفْظُ لاِبْنِ بَشَّارٍ .

(4758) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने गुलाम को ख़स्सी करे, हम उसे ख़स्सी कर देंगे और जो अपने गुलाम की नाक कान काटेगा, हम उसकी नाक कान काटेंगे।'

ये अल्फ़ाज़ इब्ने बश्शार के हैं।

(4758) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6956.

फ़ायदा : ये रिवायत इमाम नसाई (ﷺ) ने दो उस्तादों: मुहम्मद बिन मुसन्ना और मुहम्मद बिन बश्शार से सुनी है। मज़्कूरा अल्फ़ाज़ उस्ताद मुहम्मद बिन बश्शार के हैं, और ये रिवायत ज़ईफ़ है जैसा कि तफ़्सील गुज़िश्ता औराक़ में गुज़र चुकी है।

(4759) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रुबैअ की बहन उम्मे हारिसा ने एक इन्सान को ज़ख़्मी कर दिया। वह ये मुक़द्दमा नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ले गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़िसास देना होगा।' रुबैअ की वालिदा कहने लगीं: रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या उम्मे हारिसा से क़िसास लिया जायेगा? अल्लाह की क़सम! हरगिज़ नहीं। उससे कभी क़िसास नहीं लिया जायेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! उम्मे रुबैअ! क़िसास तो अल्लाह तआला का हुक्म है।' वह कहने लगीं, अल्लाह की क़सम! नहीं। इससे कभी क़िसास नहीं लिया जायेगा। वह उसी तरह कहती रही यहाँ तक कि फ़रीक़े सानी ने दियत क़बूल कर ली। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जो अल्लाह तआला के भरोसे पर क़सम खा लें तो अल्लाह तआला उन्हें सच्चा कर देता है।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ " . فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ " . قَالَتْ لاَ وَاللَّهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا . فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ . قَالَ " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " .

(4759) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 24/1675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6957.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई किसी का दाँत तोड़ दे तो उसमें क़िसास वाजिब है, यानी दाँत के बदले तोड़ने वाले का भी वही दाँत तोड़ दिया जायेगा मगर ये कि उनकी बाहमी रज़ामन्दी हो जाये, माफ़ी मिल जाये या क़िसास न लिया जाये और दियत क़बूल कर ली जाये। (2) इस हदीस की रू से क़िसास में माफ़ी की सिफ़ारिश करना मुस्तहब है, अलबत्ता ये मसला अपनी जगह अटल है कि क़िसास या दियत लेने का इख़्तियार मुस्तहिक़ और मज़्लूम ही को है, चाहे वह क़िसास पर राज़ी हो या दियत लेने पर। उसे न तो दियत लेने पर मजबूर किया जा सकता है और न उस पर किसी क़िस्म का दबाव ही डाला जा सकता है। (3) क़िसास व हुदूद के अहकाम औरतों पर भी लागू होंगे। (4) इस हदीसे मुबारका से औलिया अल्लाह की करामात का भी इस्बात होता है। (5) 'क़िसास नहीं लिया

जायेगा' ये इन्कार नहीं क्योंकि इन मुख़्लिस मोमिनीन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान और किताबुल्लाह के हुक्म का इन्कार करेंगे बल्कि ये उनके यक़ीन का इज़्हार है कि इन्शाअल्लाह मुसालिहत के हालात पैदा हो जायेंगे और क़िसास की नौबत नहीं आयेगी। और फ़िल वाक़ेअ ऐसा ही हुआ। (6) 'सच्चा कर देता है' क्योंकि वह अल्लाह तआला के नज़दीक मुअज़्ज़ज व मुकर्रम होते हैं और उनकी क़सम भी अल्लाह तआला पर भरोसा और तवक्कुल का नतीजा होती है, न कि तकब्बुर व इन्कार का।

बाब : (17, 18)
सनिय्या (दाँत) में क़िसास

باب : (١٧، ١٨)
الْقِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ

(4760) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरी फूफी ने एक लड़की का सामने वाला दाँत तोड़ दिया। अल्लाह के नबी (ﷺ) ने क़िसास का हुक्म दे दिया। उनके भाई अनस बिन नज़र (ﷺ) ने कहा: क्या उसका दाँत तोड़ दिया जायेगा? नहीं, क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाया है! उसका दाँत नहीं तोड़ा जायेगा। इससे पहले उन्होंने उस लड़की के घर वालों से माफ़ी और दियत की गुज़ारिश की थी (मगर वह न माने थे) फिर जब उनके भाई, जो हज़रत अनस के चचा थे और जंगे उहुद में शहीद हुये, ने क़सम खा ली तो वह लोग माफ़ी पर राज़ी हो गये। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के कुछ बन्दे ऐसे (बलन्द मर्तबा) होते हैं कि अगर वह अल्लाह तआला पर भरोसा करते हुये क़सम खा लें तो अल्लाह तआला उन (की क़सम) को सच्चा कर देता है।'

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةَ . قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا - وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ - رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " .

(4760) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4756, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6958.

फ़ायदा : ये रिवायत साबिक़ा रिवायत से मुख़्तलिफ़ है। इसमें है कि दाँत तोड़ने वाली औरत, हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) की फूफी और हज़रत अनस बिन नज़र (ﷺ) की बहन, हज़रत रुबैअ(ﷺ) ख़ुद हैं जबकि साबिक़ा रिवायत में उन (रुबैअ) की बहन उम्मे हारिसा को ज़ख़्मी करने वाली कहा गया है। दूसरा इख़्तिलाफ़ ये है कि इस रिवायत के मुताबिक़ क़सम खाने वाले उम्मे रुबैअ को कहा गया है। ज़ाहिरन इन दोनों हदीसों में तज़ाद है। इमाम इब्ने हज़्म (رحمه الله) ने पूरे वसूक़ से कहा है कि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं, ताहम एक ही औरत से सरज़द हुये हैं, यानी एक दफ़ा उन्होंने किसी को ज़ख़्मी किया तो क़सम उनकी वालिदा ने उठाई और जब दाँत तोड़े तो क़सम खाने वाले उनके भाई थे। इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं। एक रुबैअ का और दूसरा उनकी बहन का। रुबैअ ने किसी का दाँत तोड़ा तो क़सम उनके भाई ने खाई और उनकी बहन उम्मे हारिसा ने किसी इन्सान को ज़ख़्मी किया तो उस वक़्त क़सम खाने वाली उनकी वालिदा थीं। इमाम नववी (رحمه الله) की तत्बीक़ ही राजेह मालूम होती है क्योंकि अहादीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के क़रीब तर है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 36/60)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ . قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ . قَالَ " يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " . فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ " .

(4761) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: (मेरी फूफी) हज़रत रुबैअ(ﷺ) ने एक लड़की का सामने वाला दाँत तोड़ दिया। उनके रिश्तेदारों ने लड़की के रिश्तेदारों से माफ़ी माँगी। उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्हें दियत की पेशकश की गई तो उन्होंने फिर इन्कार कर दिया। फिर वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आ गये। आपने क़िसास का हुक्म जारी फ़रमा दिया। हज़रत अनस बिन नज़र (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! रुबैअ का दाँत तोड़ा जायेगा? नहीं, क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया! हरगिज़ नहीं तोड़ा जायेगा। आपने फ़रमाया: 'अनस! अल्लाह तआला की किताब तो क़िसास का हुक्म देती है।' इतने में फ़रीक़े सानी राज़ी हो गया और उन्होंने माफ़ी दे दीं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा

अल्लाह तआला के कुछ बन्दे ऐसे हैं कि अगर अल्लाह तआला का नाम लेकर क़सम खा लें तो अल्लाह तआला उनकी लाज रख लेता है।'

(4761) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2703, 4499, 4500, 4611, 6894, मुस्लिम, हदीस: 1675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6959.

बाब : (18, 19)
दाँत काटने के क़िसास और इमरान बिन हुसैन की रिवायत में नाक़िलीने हदीस के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का बयान

باب : (۱۸، ۱۹)
الْقَوَدِ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ " .

(4762) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के हाथ पर काट लिया। उसने अपना हाथ खींचा तो उसके सामने वाला एक दाँत उखड़ गया। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) की अदालत में इसके ख़िलाफ़ दावा दाइर कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'तू क्या चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं उसे कहूँ कि वह अपना हाथ तेरे मुँह में दिये रखे और तू उसे चबाता रहे, जैसे ऊँट चबाता है? अगर तू चाहता है तो अपना हाथ उसके मुँह में डाल दे ताकि वह उसे चबाये। फिर तू चाहे तो अपना हाथ खींच लेना।'

(4762) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 21/1673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6960.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि अगर कोई शख़्स किसी को दाँत काटे और दूसरा शख़्स, काटने वाले के मुँह से अपना हाथ खींच ले जिसकी वजह से दाँत काटने वाले का दाँत टूट जाये तो उसका कोई क़िसास नहीं होगा। अगर उसमें क़िसास वाजिब होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) क़िसास

लेकर देते। (2) इस हदीसे मुबारका से साबित हुआ कि फ़ैसला कराने के लिये हाकिमे वक़्त के पास मुक़द्दमा पेश करना दुरुस्त है, और ये भी साबित हुआ कि इन्सान ख़ुद ब ख़ुद ही क़िसास लेना शुरू न कर दे। ऐसा करने से ज़ुल्म व ज़्यादती और शरो फ़साद फैलने का अंदेशा है जिससे मुआशरे का अमन व अमान तबाह होगा। (3) बवक़्ते ज़रूरत आदमी को जानवर के साथ तश्बीह देना जायज़ है। इसका असल मक़सद ऐसे बुरे फ़ेअल से नफ़रत दिलाना होता है जो उसके शायाने शान न हो। यही वजह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स के इस ग़लत काम को जानवर के काम के साथ तश्बीह दी है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि हमलावर से अपना दिफ़ा करना, शरअन दुरुस्त और जायज़ है। बिल ख़ुसूस जब उसके बग़ैर ख़ुलासी ना मुमकिन हो। इस दौरान हमलावर का अगर कोई अज़्व ज़ाया भी हो जाये तो दिफ़ा करने वाले से क़िसास नहीं लिया जायेगा जैसा कि हदीस में मज़्कूर हाथ चबाने वाले शख़्स का दाँत उखड़ गया और आपने उसकी कोई क़ीमत न लगाई।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " .

(4763) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे के बाज़ू पर काट खाया। उसने अपना बाज़ू ख़ींचा तो उस (काटने वाले) का सामने वाला दाँत गिर गया। ये मुक़द्दमा नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अदालत में पेश किया गया। आपने दाँत का कोई मुआवज़ा नहीं दिलवाया बल्कि फ़रमाया: 'तेरा मक़सद ये है कि तू ऊँट की तरह अपने भाई का गोश्त चबाता रहता? (और वह कुछ भी न करता)'

(4763) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6892, मुस्लिम, हदीस: 1673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6961.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(4764) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि हज़रत यअ़्ला (رضی اللہ عنہ) का एक आदमी से झगड़ा हो गया तो उनमें से एक ने दूसरे को दाँत काटा। उसने उसके मुँह से अपना हाथ खींचा तो काटने वाले का सामने वाला दाँत गिर गया। वह दोनों ये झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले आये तो आपने (ग़ुस्से से) फ़रमाया: 'क्या तुममें से एक

وسلم فَقَالَ " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ " .

आदमी अपने भाई को ऊँट की तरह चबाता है? जाओ उस दाँत की कोई दियत नहीं।'

(4764) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6962.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ يَعْلَى، قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ دِيَةَ لَكَ " .

(4765) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत यअ्ला (ﷺ) ने उस आदमी के बारे में जिसने दूसरे को काटा था जिससे उसका दाँत गिर गया था, फ़रमाया कि नबी-ए अकरम (ﷺ) ने (उस जैसे मुक़द्दमे में) फ़रमाया था: 'जाओ तुझे कोई दियत नहीं मिलेगी।'

(4765) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6963.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " . فَأَبْطَلَهَا .

(4766) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के बाज़ू पर दाँत काटा जिसके नतीजे में उसका सामने वाला दाँत उखड़ गया। वह नबी-ए अकरम (ﷺ) के पास गया और आपसे उसका तज़्किरा किया। आपने फ़रमाया: 'तेरा मक़सद ये है कि तू अपने भाई का बाज़ू ऊँट की तरह चबाता रहता।' फिर आपने उसका कोई मुआवज़ा न दिलवाया।

(4766) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4763, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6964.

باب : (۱۹، ۲۰) الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

बाब : (19, 20) आदमी अपना दिफ़ा करे (और उससे फ़रीक़े सानी का नुक़सान हो जाये तो कोई क़िसास और तावान नहीं)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

(4767) हज़रत यअ्ला इब्ने मुन्या (ﷺ) से रिवायत है कि मैं एक आदमी से लड़ पड़ा। हममें

مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ " . فَأَبْطَلَهَا .

से एक ने दूसरे को दाँत काटा तो उसने अपना हाथ उसके मुँह से खींचा और उसका दाँत उखेड़ दिया। ये मुक़द्दमा नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया तो आपने फ़रमाया: 'तुममें से एक आदमी अपने भाई को इस तरह काटता है, जैसे ऊँट?' फिर आपने उसे बातिल और लग़्व क़रार दिया। (उसके दाँत का कोई मुआवज़ा नहीं दिलवाया)

(4767) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फिल्कबीर: 22/258, हदीस: 666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6965.

फ़ायदा : किसी शख़्स पर हमला हो तो उसे दिफ़ा का हक़ है। दिफ़ाई कार्यवाही के दौरान में हमलावर कोई नुक़सान हो जाये यहाँ तक कि वह मर भी जाये तो कोई क़िसास, दियत या मुआवज़ा या तावान नहीं अदा करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर वह दिफ़ा से बढ़ कर जारिहाना कार्यवाही करे तो फिर वह ज़िम्मेदार होगा। और इस बात का तअय्युन अदालत करेगी कि उसने दिफ़ा किया या जारिहाना कार्यवाही भी की।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ " . فَأَطَلَّهَا أَىْ أَبْطَلَهَا .

(4768) हज़रत यअ़्ला इब्ने मुन्या (ؓ) से रिवायत है कि बनू तमीम के एक आदमी ने एक दूसरे शख़्स से लड़ाई की और उसके हाथ पर दाँत गाड़ दिये। उसने अपना हाथ खींचा तो साथ ही उसका दाँत भी बाहर आ गया। वह ये झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गये तो आपने फ़रमाया: 'तुम अपने भाई को इस तरह काटते हो जिस तरह ऊँट काटता है?' फिर आपने उसे बातिल क़रार दिया, यानी उसके दाँत का कोई मुआवज़ा न दिलवाया।

(4768) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6966.

باب(٢٠، ٢١): ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

बाब : (20, 21) इस रिवायत में (रावियों का) अता पर इख़्तिलाफ़

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّيْهِ، سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَىْ أُمَيَّةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ " يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لاَ عَقْلَ لَهَا " . فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(4769) उमैया (ﷺ) के बेटों हज़रत सलमा और यअ्ला (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ गये। हमारे साथ हमारा एक साथी भी था। वह किसी दूसरे मुसलमान से लड़ पड़ा। उस आदमी ने उसके बाज़ू पर दाँत गाड़ दिये। उसने बाज़ू उसके मुँह से खींचा तो साथ दाँत भी निकल आया। वह आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गया और दियत दिलवाने का मुतालबा करने लगा। आपने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स अपने भाई को जाकर इस तरह काटता है जैसे ऊँट चबाता है। फिर आकर दियत माँगना शुरू कर देता है? इस (तरह के दाँतों) की कोई दियत नहीं।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे दाँत का कोई मुआवज़ा न दिलवाया।

(4769) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2656, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6967, मुसनद अहमद: 4/222, 223 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَهَا

(4770) हज़रत यअ्ला (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के बाज़ू पर काट खाया जिससे उसका सामने वाला दाँत उखड़ गया। वह आपके पास (दियत लेने के लिये) आया तो आपने उसे रायगां क़रार दिया। (उसका कोई मुआवज़ा नहीं दिलवाया)

(4770) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2265, मुस्लिम: 23/1674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6968.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، وَابْنِ، جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيَدَعُهَا يَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ " .

(4771) हज़रत यअ्‌ला (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने एक शख़्स को नोकर रखा। वह किसी आदमी से लड़ पड़ा और उसका हाथ काट खाया। साथ ही दाँत भी उखड़ गया। वह ये मुक़द्दमा नबी (ﷺ) की अ़दालत में ले गया। आपने फ़रमाया: 'क्या वह अपना हाथ (तेरे मुँह में) छोड़ देता कि तू उसे ऊँट की तरह चबाता रहता?'

(4771) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6969.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلاً فَعَضَّ الآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(4772) हज़रत यअ्‌ला (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जंग को गया तो मैंने एक शख़्स को नोकर रख लिया। फिर मेरा नोकर किसी आदमी से लड़ पड़ा। उस आदमी ने उसे काट खाया यहाँ तक कि उसका सामने वाला दाँत गिर गया। वह शख़्स नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आया और आपके सामने ये बात ज़िक्र की। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसे रायगां क़रार दिया। (उसका कोई मुआवज़ा न दिलवाया)

(4772) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6970.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْعُسْرَةِ - وَكَانَ

(4773) हज़रत यअ्‌ला बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ तंगी वाले लश्कर में गया और मेरे नज़दीक मेरा ये अ़मल सब से अफ़ज़ल अ़मल है। वहाँ मेरा एक नोकर किसी आदमी से लड़ पड़ा। उनमें से किसी एक ने दूसरे की उंगली पर दाँत गाड़

أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي - وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا أُصْبُعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ " أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا" .

दिया। उसने जो उंगली खींची तो साथ ही दाँत भी उखड़ आया। दूसरा शख़्स नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने उसे कोई मुआवज़ा न दिलवाया बल्कि फ़रमाया: 'क्या वह अपना हाथ तेरे मुँह में दिये रखता कि तू उसे चबा डालता?'

(4773) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6971.

फ़ायदा : 'तंगी वाला लश्कर' इससे मुराद ग़ज़्व-ए-तबूक का लश्कर है क्योंकि ये वक़्त तंगी का था। मौसम सख़्त गर्म था। फल और फ़सलें पक चुकी थीं। पिछले फल और ग़ल्ले ख़त्म हो चुके थे। सफ़र भी बहुत लम्बा था। दुश्मन बहुत ताक़तवर और कसीर था। ऐसे में निकलना बहुत दुश्वार था। तभी तो उन्होंने इस सफ़र को अपना सबसे अफ़ज़ल अमल क़रार दिया है क्योंकि अज्र मशक़्क़त के हिसाब से मिलता है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ دِيَةَ لَكَ

(4774) हज़रत यअ़ला (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में जिसने साथी को काट खाया था और उसका दाँत उखड़ गया था, साबिक़ा रिवायत की तरह बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'तुझे कोई दियत नहीं मिलेगी।'

(4774) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6972.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ

(4775) हज़रत सफ़वान बिन यअ़ला इब्ने मुन्या से रिवायत है कि मेरे वालिद हज़रत यअ़ला इब्ने मुन्या (ﷺ) के एक नोकर के बाज़ू पर एक दूसरे शख़्स ने दाँत काट दिये। उसने अपना हाथ उसके मुँह से खींचा तो उसका दाँत गिर गया। ये मुक़द्दमा नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास पेश हुआ तो आपने उस दाँत का कोई मुआवज़ा न दिलवाया बल्कि फ़रमाया: ' क्या वह अपना हाथ तेरे मुँह में

صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ " .

रख छोड़ता कि तू उसे ऊँट की तरह चबाता रहता।'

(4775) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6973.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَنَّ أَبَاهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ " . فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ .

(4776) हज़रत सफ़वान बिन यअ्ला से रिवायत है कि मेरे वालिद ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ गये। साथ एक नोकर भी ले गये। वह किसी आदमी से लड़ पड़ा। उस आदमी ने उसकी कलाई पर काट लिया। जब उसको तकलीफ़ हुई तो उसने ज़ोर से हाथ ख़ींचा। साथ ही दाँत भी उखड़ आया। ये मुक़द्दमा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया तो आपने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स अपने भाई की तरफ़ बढ़ता है और उसको इस तरह काट खाता है जैसे ऊँट चबाता है।' आपने उसके दाँत का कोई मुआवज़ा न दिलवाया।

(4776) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6974.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत मुख़्तलिफ़ सनदों से मरवी है। कुछ तुरुक़ में लड़ने वाले दोनों अफ़राद के नाम मख़्फ़ी रखे गये हैं। कुछ में दाँत काटने वाले की सराहत है और कुछ में जिसे काटा गया उसका ज़िक्र है। इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मुमकिन है ये दो वाक़ियात हों, एक लड़ाई करने वाले हज़रत यअ्ला और दूसरा कोई शख़्स हो और दूसरे में हज़रत यअ्ला का नोकर और दूसरा कोई शख़्स हो। लेकिन राजेह बात ये मालूम होती है कि ये एक ही वाक़िया है और तमाम रिवायात में तत्बीक़ की सूरत यूँ है कि ये लड़ाई हज़रत यअ्ला और उनके नोकर के दरम्यान हुई। दाँत काटने वाले हज़रत यअ्ला ख़ुद थे और दाँत भी उन्हीं का टूटा था। शायद इसी वजह से उन्होंने अपना नाम मख़्फ़ी रखा। हज़रत इमरान बिन हुसैन ने हज़रत यअ्ला के नाम की सराहत की है। (हदीस: 4764) और जिन्हें

काटा गया वह उनके नोकर थे। इस तरह रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, रजुल, मिम्बनी तमीम, अज़्जल आख़रु और अज़्ज़र्रजुल से मुराद हज़रत यअ़्ला होंगे। **(2)** कुछ रिवायात में यअ़्ला बिन उमैया है और कुछ में यअ़्ला इब्ने मुन्या। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। उमैया हज़रत यअ़्ला (ﷺ) के बाप का नाम है और मुनिया माँ का इसलिये कभी उनकी निस्बत बाप की तरफ़ की गई और कभी माँ की तरफ़, लिहाज़ा इसमें कोई इश्काल नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी शरह सहीह अल बुख़ारी: 12/274-275)

बाब : (21, 22) छड़ी चूभोने में क़िसास

باب(٢١، ٢٢): الْقَوَدِ فِي الطَّعْنَةِ

(4777) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई चीज़ तक़्सीम फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया। और (बेसब्री में) आप पर औंधा ही हो गया। आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी की नोक उसको मार दी। वह आदमी (हल्के से) निकल गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'भाई! इधर आ और बदला ले ले।' उसने कहा: (नहीं) बल्कि मैंने माफ़ कर दिया।

(4777) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6975.

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . قَالَ بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

(4778) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई चीज़ तक़्सीम फ़रमा रहे थे कि एक आदमी (लेने के लिये) आप पर औंधा ही हो गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छड़ी से उसे कचोका लगाया तो वह हाय वाय करने लगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'इधर आ और बदला ले ले' उसने कहा: अल्लाह के रसूल! (नहीं) बल्कि मैंने माफ़ कर दिया।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(4778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6976.

फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायतें सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम दीगर दलाइल से मालूम होता है कि आप किसी पर ज़ुल्म नहीं करते थे और अगर कभी आप किसी पर सख़्ती करते तो अपने आपको बदला देने के लिये पेश कर देते। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (رضي الله عنه) की कोख में लकड़ी चुभोई तो उन्होंने कहा: मुझे बदला दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ले लो' उन्होंने कहा: आप के जिस्म पर तो क़मीस़ है जबकि मुझ पर क़मीस़ नहीं थी। (ये बात सुन कर) नबी(ﷺ) ने अपनी क़मीस़ ऊपर कर दी। उसैद बिन हुज़ैर (رضي الله عنه) ने आपको अपने बाज़ूओं में ले लिया और आपके पहलू मुबारक पर बोसा देने लगे और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा यही इरादा था। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 5224)

بَاب(٢٢، ٢٣): الْقَوَدِ مِنَ اللَّطْمَةِ

बाब : (22, 23) थप्पड़ में क़िसास़

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ . فَلَبِسُوا السِّلاَحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ أَىُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَقَالُوا أَنْتَ . فَقَالَ " إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لاَ تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا " . فَجَاءَ

(4779) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत अ़ब्बास के जाहिली दौर के एक जद्दे अम्जद को बुरा भला कहा। हज़रत अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। उस आदमी के क़बीले वाले आये और कहने लगे: ये भी उन्हें थप्पड़ मारेगा जिस तरह उन्होंने इसे थप्पड़ मारा है यहाँ तक कि उन्होंने अस्लहा पहन लिया। ये बात नबी-ए-अकरम(ﷺ) तक पहुँची। आप मिम्बर पर चढ़े और फ़रमाया: 'ऐ लोगो! तुम रूए ज़मीन पर बसने वाले लोगों में से किस शख़्स को अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़्यादा मुअज़्ज़ज व मोहतरम समझते हो?' उन्होंने कहा: आपको आपने फ़रमाया: 'फिर सुन लो! अ़ब्बास मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। हमारे फ़ौत शुदा आबा ओ अज्दाद को बुरा न कहो। इस तरह तुम हममें से ज़िन्दा

الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا .

अफ़राद को तकलीफ़ पहुँचाओगे।' वह लोग आपके पास हाज़िर हुये और कहा: हम आपकी नाराज़ी से अल्लाह तआला की पनाह माँगते हैं। (माफ़ फ़रमा दीजिये और) अल्लाह तआला से हमारे लिये बख़्शिश की दुआ फ़रमाइये।

(4779) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने सअद फ़ित्तबक़ात: 4/24, तिर्मिज़ी, हदीस: 3759, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6977, व सहीह अल हाकिम: 3/325, 326, अस्सियर: 2/99, देखें, हदीस: 2011.

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस अगरचे ज़ईफ़ है, ताहम ऐसे मामलात में क़िसास सही अहादीस से साबित है।

باب : (۲۳، ۲۴)
الْقَوَدِ مِنَ الْجَبْذَةِ

बाब : (23, 24)
खींचने (और घसीटने) में क़िसास

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ - وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا - فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَىَّ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لاَ تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالِ أَبِيكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي

(4780) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मस्जिद में बैठा करते थे। जब आप खड़े होते, हम भी आपके साथ खड़े होते। एक दिन आप खड़े हुये, हम भी आपके साथ खड़े हुये, यहाँ तक कि जब आप मस्जिद के दरम्यान पहुँचे तो एक आदमी आपको मिला। उसने पीछे से आपकी चादर पकड़ कर खींची। आपकी चादर खुरदुरी सी थी, इसलिये आपकी गर्दन सुर्ख़ हो गई। वह शख़्स कहने लगा ऐ मुहम्मद! मुझे ये दो ऊँट (ग़ल्ला) लाद दीजिये आप कौन सा अपने या अपने बाप के माल से देते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं वाक़ेअतन अपने माल से नहीं देता और मैं अल्लाह तआला से बख़्शिश तलब करता हूँ (कि ऐसा ग़लत ऐतक़ाद रखूँ) लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं दूँगा यहाँ तक कि

مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي " . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُقِيدُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُقِيدُكَ . فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلاَمِي أَنْ لاَ يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ " يَا فُلاَنُ احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْصَرِفُوا " .

तू मुझे गर्दन से चादर खींचने का क़िसास़ दे।' उस आराबी ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं आप को क़िसास़ नहीं दूँगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन मर्तबा ऐसे ही फ़रमाया। वह (आराबी) हर दफ़ा यही कहता था: अल्लाह की क़सम! मैं आपको क़िसास़ नहीं दूँगा। हमने आराबी की बातें सुनीं तो हम तेज़ी से उसकी तरफ़ बढ़े। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें आते देखा तो फ़रमाया: 'जो भी शख़्स मेरी आवाज़ सुनता है, मैं उसे क़सम देता हूँ कि वह अपनी जगह से हरकत न करे यहाँ तक कि मैं उसे इजाज़त दूँ।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी से कहा: 'अरे! उसको एक ऊँट पर जौ और दूसरे ऊँट पर ख़ुश्क ख़जूरें लाद दे।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (दूसरे लोगों से) फ़रमाया: 'जाओ। चले जाओ।'

(4780) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 4775, इब्ने हिब्बान: 1599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6978.

फ़ायदा : ये रिवायत इस सियाक़ से सनदन ज़ईफ़ है, ताहम आराबी के सवाल करने और चादर गले में डालने का वाक़िया हज़रत अनस (ﷺ) से स़हीह बुख़ारी में मरवी है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 6088)

الْقِصَاصِ مِنَ السَّلاَطِينِ

बाब : (24, 25)
बादशाहों से क़िसास़ लेने का बयान

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ .

(4781) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी ज़ाते अक़्दस से क़िसास़ दिलाते थे।

(4781) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 4537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6979.

बाब : (25, 26) हाकिमे वक़्त के हाथों किसी पर ज़्यादती हो जाये तो?

باب(٢٥،٢٦): السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ

(4782) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) को सदक़ा लेने के लिये भेजा। एक आदमी ने सदक़ा देने के बारे में झगड़ा किया तो हज़रत अबू जहम (رضي الله عنه) ने उसको मारा। वह लोग नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें क़िसास चाहिए। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें इतना मुआवज़ा देता हूँ।' वह राज़ी न हुये। आपने फ़रमाया: 'अच्छा तुम इतना (और) ले लो।' आख़िर वह राज़ी हो गये। रसुलूल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं लोगों के सामने ख़ुत्बा देकर उन्हें तुम्हारे राज़ी होने की ख़बर देता हूँ।' उन्होंने कहा: ठीक है। नबी-ए अकरम (ﷺ) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 'ये लोग मेरे पास क़िसास लेने आये थे। मैंने उन्हें इतने माल की पेशकश की तो ये राज़ी हो गये हैं।' लेकिन वह लोग कहने लगे: हम राज़ी नहीं। मुहाजिरीन ने उनको सज़ा देने का इरादा किया लेकिन आपने उनको रोक दिया। वह रुक गये। आपने फिर उनको बुलाया और फ़रमाया: 'क्या तुम अब राज़ी हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'मैं फिर लोगों से ख़िताब करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि तुम राज़ी हो गये हो।' उन्होंने कहा: ठीक है। आपने लोगों से ख़िताब फ़रमाया और उनसे पूछा: 'तुम राज़ी हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ هَؤُلاَءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا " . قَالُوا لاَ . فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ " أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ " أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا نَعَمْ .

(4782) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4534, मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 18022, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6980, देखें, हदीस: 1207.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर बादशाह और कोई साहिबे इख़्तियार व इक़्तेदार हुक्मरान किसी के साथ इस क़िस्म की ज़्यादती और मार कुटाई वाला मामला करे जैसा कि हज़रत अबू जहम (ﷺ) ने किया था तो उससे क़िसास लिया जा सकता है, ताहम फ़रीक़े सानी को कुछ दे दिला कर भी मामला रफ़ा दफ़ा किया जा सकता है। **(2)** देहाती तबअ़न सख़्त मिज़ाज होते हैं और ला'इल्म भी, इसलिये उन्होंने इस तरह का रवैया इख़्तियार किया। रसूले अकरम (ﷺ) ने उनकी जहालत की वजह से उनके रवैये से दरगुज़र फ़रमाया जो आपकी वुस्अ़त ज़रफ़ी और हुस्ने अख़्लाक़ की दलील है। इससे मालूम हुआ कि अहले इल्म को अवामुन्नास की बेअदबियों को सब्र और अख़्लाक़ से बरदाश्त करना चाहिए और अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। **(3)** इस रिवायत को दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने दीगर शवाहिद की बिना पर सही कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा (मुतर्जम, तबअ दारुस्सलाम, हदीस: 2638)

बाब : (26, 27)
तेज़ धार आले की बजाये किसी और चीज़ से क़िसास लेना

باب : (٢٦، ٢٧)
الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا، رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ " أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ " . فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لاَ . فَقَالَ " أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ " . فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لاَ . قَالَ " أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ " . فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ . فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

(4783) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक लड़की के कानों में बालियाँ देखीं तो (उनको हासिल करने के लिये) उसने लड़की को एक पत्थर से मार डाला। इस बच्ची को नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास लाया गया तो उसमें कुछ जान बाक़ी थी। आपने उससे पूछा: 'तुझे फ़ुलां ने क़त्ल किया है?' उसने सर के इशारे से कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फ़ुलां ने क़त्ल किया है?' उसने सर के इशारे से कहा: नहीं। आपने फिर (तीसरी बार) उससे पूछा: 'क्या तुझे फ़ुलां ने क़त्ल किया है?' उसने सर के इशारे से कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको बुला भेजा और उसे दो पत्थरों के दरम्यान क़त्ल कर दिया।

(4783) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6877, मुस्लिम, हदीस: 1672, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6981.

फ़ायदा : मालूम हुआ ये ज़रूरी नहीं कि क़िसास़ तलवार से ही लिया जाये, क़िसास़ तो बज़ाते ख़ुद भी मुमास़लत का तक़ाज़ा करता है, इसलिये अगर क़ातिल ने मक़्तूल को दर्दनाक तरीक़े से क़त्ल किया हो तो उसे भी दर्दनाक तरीक़े ही से क़त्ल किया जायेगा। रही हदीस़: 'क़िसास़ तलवार के बग़ैर नहीं लिया जायेगा।' तो ये ज़ईफ़ है। ये भी साबित हुआ कि क़त्ल किसी भी चीज़ से हो, अगर नियत क़त्ल की हो तो क़िसास़ लिया जा सकता है क्योंकि ऐतबार नियत का है न कि आल-ए-क़त्ल का बल्कि तलवार के अलावा तो क़त्ल मज़ीद दर्दनाक हो जाता है और ज़ालिमाना भी। मज़ीद तफ़्सील अहादीस़: 4029, 4050, 4743 में मुलाहिज़ा फ़रमायें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلُوا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا " .

(4784) हज़रत क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़स्अम क़बीले की तरफ़ एक लश्कर भेजा। वह सज्दे में पड़ गये ताकि जान बचा सकें लेकिन वह भी मारे गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी निस़्फ़ दियत अदा फ़रमाई और फ़रमाया: 'मैं हर उस मुसलमान से ला'ताल्लुक़ हूँ जो काफ़िरों में रहता है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुसलमान और काफ़िर इतने दूर रहें कि उन्हें एक दूसरे की आग नज़र न आये।'

(4784) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6982, अबू दाऊद, हदीस़: 2645, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1605.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वह सज्दे में गिर पड़े' यानी उनमें से कुछ लोग जो मुसलमान थे लेकिन किसी को उनके इस्लाम का इल्म नहीं था, उन्होंने सज्दे को अपने इस्लाम के इज़्हार का ज़रिया बनाया मगर जंग की भीड़ भाड़ में इसका पता न चला और वह भी मारे गये। इसमें मक़्तूलीन का भी क़ुसूर था कि वह मुशरिकीन में रह रहे थे, इसलिये आपने उनकी दियत निस़्फ़ अदा फ़रमाई। और फिर तम्बीह फ़रमा दी कि मुसलमानों और मुश्रिकीन को इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, ख़ुसूसन उस हालत में कि जब उनमें इम्तियाज़ भी न हो बल्कि मुसलमानों को मुश्रिकीन से इतना दूर रहना चाहिए कि एक दूसरे की आग भी नज़र न आये। गोया अलग बस्ती में रहना चाहिए। मुसलमानों की आबादी अलग होनी चाहिए और कुफ़्फ़ार की अलग ताकि हमले की सूरत में इम्तियाज़ हो सके। **(2)** इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता किताब से ताल्लुक़ है कि अगर ला'इल्मी या ख़ता में कोई मुसलमान मारा जाये तो उसकी दियत अदा करनी होगी। वल्लाहु आलम! **(3)** जब कोई शख़्स अपने इस्लाम का

इज़्हार कर दे तो फिर उसे क़त्ल करना हराम है, ख़्वाह वह काफ़िरों ही में रहता हो। (4) बिला ज़रूरत दारुल हरब में रहना दुरुस्त नहीं। बिल.ख़ुसूस वहाँ मुस्तक़िल रिहाइश इख़्तियार करना बिल्कुल जायज़ नहीं। (5) मुहक़्क़िक़े किताब ने अगरचे इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस पर सियर हासिल बहस की है और इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। और दलाइल की रू से उन्हीं का मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 5/29-33, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 36/114-118) (6) मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिये मुलाहिज़ा फ़रमायें। (सुनन अबू दाऊद (मुतर्जम) तबअ़ दारुस्सलाम, हदीस: 2645)

بَاب: (٢٧، ٢٨)
تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }

बाब : (27, 28)
अल्लाह तआला के फ़रमान (फ़मन उफिया लहू अखीहि शैउन फत्तिबाउम बिल मारूफि व अदाउन इलैहि बिइह्सानिन) की तफ़्सीर

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى } إِلَى قَوْلِهِ { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ {

(4785) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि बनी इस्राईल में सिर्फ़ क़िसास़ था। दियत नहीं थी। अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में ये आयत उतारी: (कुतिब अ़लैकुम ....) 'तुम पर मक़्तूलों के बारे में बराबर का बदला लेना फ़र्ज़ किया गया है। आज़ाद के बदले वही आज़ाद (क़ातिल) और ग़ुलाम के बदले वही ग़ुलाम (क़ातिल) और औरत के बदले वही (क़ातिल) औरत (क़त्ल की जायेगी) .... फिर जिस शख़्स को उसके भाई (मक़्तूल के वली) की तरफ़ से कुछ माफ़ी मिल जाये तो (माफ़ करने वाले के लिये) अच्छे तरीक़े से अदायगी करना है।' माफ़ी से मुराद ये है कि क़त्ले अ़म्द की सूरत में मक़्तूल का वली दियत लेना क़बूल करे। इत्तिबा बिल मारूफ़ से ये मुराद

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ .

है कि मक़्तूल का वली मुनासिब अन्दाज़ में दियत वसूल कर ले और दूसरा फ़रीक़ अच्छे तरीक़े से अदायगी करे। (ज़ालिक .....) 'ये तुम्हारे रब की तरफ़ से आसानी और रहमत है' यानी अहले किताब पर नाज़िलकर्दा हुक्म के मुक़ाबले में जो कि सिर्फ़ क़िसास़ था और दियत (की गुंजाइश) नहीं थी।

(4785) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4498, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6983.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बराबर का बदला लेना फ़र्ज़ किया गया है' यानी क़िसास़ लेना जायज़ है। मशरूअ है, वाजिब और ज़रूरी नहीं बल्कि आम हालात में माफ़ी बेहतर है। **(2)** 'आज़ाद के बदले वही आज़ाद (क़ातिल)' दौरे जाहिलियत में कुछ क़वी क़बाइल अपने ग़ुलाम को दूसरों के आज़ाद और अपनी औरत को दूसरों के मर्दों के बराबर समझते थे। अपने एक आज़ाद के बदले में वह दूसरों के दस, दस आज़ाद मार देते थे। शरीयत ने फ़रमाया: क़ातिल ही क़त्ल किया जायेगा आज़ाद हो या ग़ुलाम, औरत हो या मर्द, एक हो या ज़्यादा। कुछ हजरात ने मानी किये हैं: 'आज़ाद के बदले आज़ाद क़त्ल किया जायेगा, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम' हालांकि ये मानी ग़लत हैं। मक़्तूल के बदले में क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा न कि कोई आज़ाद या ग़ुलाम। **(3)** 'कुछ माफ़ी' यानी क़िसास़ माफ़ हो जाये, ख़्वाह सब औलिया माफ़ कर दें या एक वली माफ़ कर दे। ऐसी सूरत में क़िसास़ नहीं, दियत होगी। **(4)** 'अच्छे तरीक़े से' जब वली ने क़िसास़ माफ़ किया है तो वह दियत लेने में भी एहसान करे कि क़िस्तों में ले। यक्मुश्त अदायगी की ज़िद न करे मगर ये कि क़ातिल आसानी से यक्मुश्त अदा कर सकता हो। इसी तरह क़ातिल को भी एहसान की क़द्र करते हुये तन्देही (जिम्मेदारी) से अदायगी करनी चाहिए और मक़्तूल के औलिया को परेशान नहीं करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ } قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ

(4786) हज़रत मुजाहिद ने आयते करीमा (कुतिब अलैकुम ....) तुम पर मक़्तूलों के बारे में क़िसास़ (बराबर का बदला) लेना फ़र्ज़ किया गया है, आज़ाद के बदले वही आज़ाद।' के मुताल्लिक़ में फ़रमाया: बनू इस्राईल के लिये सिर्फ़ क़िसास़ का हुक्म था, दियत नहीं थी। फिर

अल्लाह तआला ने दियत का हुक्म उतार कर इस उम्मत के लिये बनी इस्राईल के मुक़ाबले में तख़फ़ीफ़ फ़रमा दी।

الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ .

(4786) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6984.

बाब : (28, 29) क़िसास माफ़ करने का मश्वरा देने का बयान

باب : (٢٨، ٢٩) الأَمْرِ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

(4787) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास क़िसास का एक मुक़द्दमा आया तो आपने माफ़ करने का मश्वरा दिया।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .

(4787) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6985.

फ़ायदा : हदीस में लफ़्ज़ 'अम्र' है। अरबी में इसके मुख़्तलिफ़ मफ़हूम हैं। इनमें से एक मश्वरा भी है। क़िसास औलिया-ए-मक़्तूल का शरई हक़ है, लिहाज़ा उन्हें क़िसास छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जा सकता, अगरचे माफ़ करना ही अफ़ज़ल है। अलबत्ता मश्वरा दिया जा सकता है, इसलिये यहाँ इस मानी को तर्जीह दी गई है।

(4788) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब भी नबी-ए अकरम (ﷺ) के पास क़िसास का कोई मुक़द्दमा आया आपने माफ़ी का मश्वरा दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .

(4788) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6986.

फ़ायदा : मालूम हुआ माफ़ करना अफ़ज़ल है बशर्ते कि फ़रीक़े सानी आजिज़ी के साथ माफ़ी का तलबगार हो। अगर वह फ़ख़्र व गुरूर में हो या ज़बरदस्ती की माफ़ी चाहता हो तो क़िसास और इन्तेक़ाम अफ़ज़ल है। फिर माफ़ी के बाद दियत ज़रूर होनी चाहिए ताकि ख़ून की अहमियत रहे।

बाब : (29, 30)
जब मक़्तूल का वारिस क़िसास माफ़ कर दे तो क्या क़ातिले अम्द से दियत ली जायेगी?

باب : (٢٩، ٣٠)
هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ - قَالَ أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى ".

(4789) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का रिश्तेदार क़त्ल कर दिया जाये, उसे दो चीज़ों में से बेहतर का इख़्तियार है: क़िसास ले ले या दियत।'

(4789) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2434, मुस्लिम, हदीस: 1355, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6987.

फ़ायदा : उमूमन मक़्तूल के वारिसीन क़िसास का मुतालबा करते हैं या फिर दियत पर राज़ी हो जाते हैं, इसलिये दो चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया, ताहम अगर मक़्तूल के वारिसीन दरगुज़र करते हुये बिल्कुल माफ़ कर दें तो भी क़ुर्आन के उमूम के पेशे नज़र जायज़ है, और ये भी मालूम हुआ कि क़िसास, दियत या माफ़ी का इख़्तियार मक़्तूल के वारिसीन को है न कि क़ातिल को।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4790) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का रिश्तेदार मारा जाये, उसे दो में से बेहतर चीज़ का इख़्तियार है: क़िसास ले या दियत।

(4790) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6988.

" مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى " .

أَخْبَرَنَا [أَحْمَدُ بْنُ،] إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ " . مُرْسَلٌ .

(4791) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का रिश्तेदार मारा जाये।' ये रिवायत मुर्सल है।

(4791) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6989.

फ़ायदा : मुर्सल का मतलब ये है कि इस रिवायत में असल रावी, यानी सहाबी का नाम नहीं लिया गया बल्कि शागिर्द ने ख़ुद ही फ़रमान बयान कर दिया। 'रिश्तेदार' हर रिश्तेदार मक़्तूल का वारिस नहीं बन सकता बल्कि अव्वलीन हक़दार बेटे, पोते हैं। फिर बाप, दादा, फिर भाई भतीजे, फिर चचा वग़ैरह।

باب : (٣٠، ٣١)
عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ .

बाब : (30, 31)
क्या औरत क़िसास माफ़ कर सकती है?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي حِصْنٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي حِصْنٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ " .

(4792) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(क़िसास के लिये) लड़ने वालों के लिये मुनासिब है कि वह क़िसास से रुक जायें। (जल्दी न करें) वारिसों में माफ़ करने का हक़ उसे है जो उनमें से ज़्यादा क़रीबी हो, ख़्वाह वह औरत हो।'

(4792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6990, 6991.

बाब : (31, 32) जो शख़्स पत्थर या कोड़े से क़त्ल कर दिया जाये तो?

باب : (۳۱، ۳۲) مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ" .

(4793) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अँधाधुन लड़ाई झगड़े (बलवे और हंगामे) में मारा जाये जिसमें पत्थर, कोड़े या लाठी का आम इस्तेमाल हुआ हो तो उसकी दियत क़त्ले ख़ता की दियत होगी। और जिस शख़्स को जानबूझ कर क़त्ल किया जाये, उसका क़िसास लिया जायेगा। जो शख़्स क़िसास में रुकावट बने, उस पर अल्लाह तआला की, फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत है। न उसका फ़र्ज़ क़बूल न नफ़ल।'

(4793) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6992.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका कि क़त्ले अम्द (किसी का किसी को जानबूझ कर क़त्ल करना) का बिलकुल सरीह हुक्म बयान करती है कि इसमें क़िसास वाजिब है। हाँ अगर मक़्तूल के वारिसीन दियत पर राज़ी हो जायें तो ये दुरुस्त होगा। इस सूरत में क़ातिल से क़िसास साक़ित हो जायेगा जैसा कि दीगर अहादीस में इसकी सराहत है। **(2)** जो शख़्स अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा हुदूद क़ाइम करने में हाइल हो और किसी क़िस्म की रुकावट पैदा करे तो वह शख़्स, ख़्वाह सदरे मम्लकत ही हो, लानती है। उस पर अल्लाह तआला की लानत है, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की भी लानत है, और ऐसे शख़्स की कोई इबादत क़बूल नहीं होती क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मतलब ये कि ऐसा करना हराम और शरअन नाजायज़ है। **(3)** इस हदीस में हंगामे और बलवे की सूरत बयान की गई है कि दोनों तरफ़ इज़्दिहाम है। आपस में लड़ रहे हैं। कोई पत्थर चला रहा है कोई लकड़ी। कोई कोड़ा मार रहा है, कोई ख़ाली हाथ। ऐसे बलवे में क़ातिल का तअय्युन नहीं किया जा सकता। वैसे भी ऐसी लड़ाई का मक़सूद किसी को क़त्ल करना नहीं होता। बिल फ़र्ज़ अगर कोई मारा जाये तो उसे क़त्ले ख़ता क़रार दिया जायेगा और फ़रीक़े सानी दियत भरेगा। अलबत्ता अगर ऐसी लड़ाई में अस्लहा इस्तेमाल हो लेकिन क़ातिलीन का तअय्युन न हो तो फ़रीक़े सानी से क़त्ले अम्द की दियत वसूल की

जायेगी क्योंकि अस्लहा चलाने से मक़सूद क़त्ल करना ही होता है और अगर क़ातिल का तअय्युन हो जाये तो क़िसास़ लिया जायेगा। इसी तरह अगर एक आदमी का मक़सद दूसरे को क़त्ल करना ही है फिर ख़्वाह वह तलवार इस्तेमाल करे या आतिशें अस्लहा या पत्थर या लकड़ी या हथौड़ा, हर हाल में उससे क़िसास़ लिया जायेगा जैसा कि इस हदीस़ में अलग तौर पर ज़िक्र है। **(4)** 'फ़र्ज़ व नफ़ल' कुछ ने स़रफ़ुन के मानी तौबा और अ़दलुन के मानी फ़िद्या व मुआवज़ा किये हैं। ये भी मुमकिन है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً " .

(4794) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने मरफ़ूअन बयान फ़रमाया कि जो शख़्स़ पत्थरों, कोड़ों या डण्डों की अंधाधुन लड़ाई में मारा जाये तो उसकी दियत क़त्ले ख़ता वाली होगी लेकिन जिसे जानबूझ कर मारा गया, उसका क़िसास़ लिया जायेगा। और जो शख़्स़ क़िसास़ में रुकावट बने, उस पर अल्लाह तआ़ला, फ़रिश्तों और सब लोगों की तरफ़ से लानत। अल्लाह तआ़ला न उसका फ़र्ज़ क़बूल फ़रमायेगा न नफ़ल।'

(4794) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6993.

फ़ायदा : मरफ़ूअन से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है। कभी इख़्तेस़ार की ख़ातिर ऐसे कह दिया जाता है।

كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ

बाब : (32, 33)
क़त्ले शिब्हे अ़म्द की दियत का बयान और क़ासिम बिन रुबैआ की हदीस़ में अय्यूब पर रावियों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : इस इख़्तिलाफ़ की वज़ाहत ये है कि शोबा ने अय्यूब से रिवायत बयान की तो उसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र की मुसनद बनाते हुये मौस़ूलन बयान किया जबकि हम्माद उसे क़ासिम बिन रुबैआ की मुर्सल क़रार देते हैं, ताहम ये इख़्तिलाफ़ स़ेहते हदीस़ पर अस़र अन्दाज़ नहीं होगा क्योंकि ऐसी सूरत में मौस़ूल बयान करने वाले की रिवायत राजेह होगी, बिल ख़ुसूस़ जब कि मौस़ूल बयान करने वाले भी शोबा हैं जो हम्माद के मुक़ाबले में ज़्यादा स़िक़ा हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

(4795) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो ग़लती से मारा जाये शिब्हे अ़म्द की सूरत में, यानी कोड़े और डण्डे वग़ैरह से, उसकी दियत एक सौ ऊँट हैं जिनमें से चालीस हामिला ऊँटनियाँ होंगी।'

(4795) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6994.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़त्ल की तीन सूरतें हैं: (अ) क़त्ले ख़ता: किसी ने तीर वग़ैरह चलाया शिकार करने के लिये अचानक कोई शख़्स आगे आ गया और मर गया या किसी को जानवर या बेजान चीज़ समझ कर तीर या कोई और अस्लहा चलाया, बाद में पता चला कि वह तो इन्सान था। (ब) शिब्हे अ़म्द : लड़ाई वग़ैरह में किसी को क़त्ल करने की नियत न हो और न अस्लहा इस्तेमाल किया गया हो। डण्डे सौंटे वग़ैरह चलाये गये लेकिन उससे कोई शख़्स मर गया। (जीम) क़त्ले अ़म्द: नियत क़त्ल की हो या अस्लहा इस्तेमाल किया गया हो क्योंकि अस्लहे का मक़सद ही क़त्ल करना होता है, लिहाज़ा दोनों सूरतों को क़त्ले अ़म्द ही कहा जायेगा। अगर नियत क़त्ल की हो तो ख़्वाह किसी भी चीज़ से क़त्ल किया गया हो, उसे क़त्ले अ़म्द ही कहा जायेगा। अहनाफ़ ने क़त्ले अ़म्द और शिब्हे अ़म्द में सिर्फ़ आले का फ़र्क़ किया है, यानी आल-ए-क़त्ल इस्तेमाल किया गया हो, यानी अस्लहा वग़ैरह तो क़त्ले अ़म्द और अगर डण्डे, सौंटे, पत्थर, लोहे (जो नोकदार और तेज़ न हो) से क़त्ल किया गया हो तो शिब्हे अ़म्द। दोनों में नियत क़त्ल की होती है। लेकिन उनकी ये तारीफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर के बहुत से वाक़िआत के ख़िलाफ़ पड़ती है, लिहाज़ा मोतबर नहीं। ख़ैर, क़त्ले ख़ता की सूरत में सिर्फ़ दियत होगी और वह भी हल्की जैसा कि आगे आ रहा है। शिब्हे अ़म्द में भी सिर्फ़ दियत होगी लेकिन भारी जैसा कि इस हदीस में है कि सौ में से चालीस हामिला ऊँटनियाँ हों। क़त्ले अ़म्द में क़िसास है और अगर माफ़ी मिल जाये तो दियत शिब्हे अ़म्द वाली। याद रहे हर क़िस्म की दियत में तादाद सौ ऊँट ही है। **(2)** इस हदीस में शिब्हे अ़म्द को ख़ता कहा गया है क्योंकि इसमें भी मक़सद क़त्ल करना नहीं होता, सिर्फ़ लड़ाई मक़सूद होती है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ

(4796) हज़रत क़ासिम बिन रुबैआ ने मुर्सल तौर पर बयान किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ . مُرْسَلٌ.

फ़तहे मक्का के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया।

(4796) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6995.

फ़ायदा : मुर्सल हदीस से मुराद है कि ताबेई बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीस बयान कर दे।

باب: (٣٣، ٣٤)
ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَّاءِ

बाब : (33, 34) खालिद अल्हज़्ज़ा पर रावियों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : इस इख़्तिलाफ़ की वज़ाहत कुछ इस तरह से है कि खालिद अल्हज़्ज़ा से मज़्कूरा रिवायत बयान करने वाले: हम्माद बिन ज़ैद, हुशैम, इब्ने अबी अदी, बुशैर बिन मुफ़ज़्ज़ल और यज़ीद हैं। हम्माद बिन ज़ैद, खालिद अल्हज़्ज़ा से बयान करते हैं: अन ख़ालिद अनिल क़ासिम बिन रुबैआ अन उक़्बा बिन औस अन अब्दुल्लाह अन रसूलुल्लाह (ﷺ), हुशैम, खालिद अल्हज़्ज़ा से बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं: अन ख़ालिद, अनिल क़ासिम बिन रुबीआ, अन उक़्बा बिन औस अन रजुल मिन अस्सहाबिन्नबी (ﷺ) क़ाल: ख़तबन्नबी (ﷺ). मतलब ये कि हुशैम ने हम्माद बिन ज़ैद की मुख़ालिफ़त की। हम्माद की रिवायत में था: अन उक़्बा बिन औस, अन अब्दुल्लाह, जबकि हुशैम की रिवायत में है: अन उक़्बा बिन औस अन रजुल मिन अस्हाबिन्नबी (ﷺ), यानी सहाबी का नाम मुबहम है। इब्ने अबी अदी ने हम्माद और हुशैम दोनों की मुख़ालिफ़त की और यूँ कहा: अनिल क़ासिम, अन उक़्बा बिन औस अन रसूलुल्लाह (ﷺ)....' यानी उन्होंने रिवायत मुर्सल बयान की जबकि पहले दोनों बुज़ुर्गों ने मुत्तसिल बयान की थी। अलबत्ता हम्माद ने सहाबी का नाम अब्दुल्लाह बयान किया था और हुशैम ने नाम मुबहम रखा। बुशैर बिन मुफ़ज़्ज़ल और यज़ीद बिन ज़रीअ ने खालिद अल्हज़्ज़ा से बयान किया तो मज़्कूरा तीनों बुज़ुर्गों: हम्माद, हुशैम और इब्ने अबी अदी की मुख़ालिफ़त की और कहा: अन अलक़ासिम बिन रुबैआ, अन याक़ूब बिन औस अन रजल मिन अस्हाबिन्नबी (ﷺ).....' यानी इन दोनों ने क़ासिम के शैख़ का नाम याक़ूब लिया और सहाबी को मुबहम ही रखा। दरअसल याक़ूब बिन औस, उक़्बा बिन औस ही हैं, इसलिये इस इख़्तिलाफ़ की कोई हैसियत नहीं, और इस तमाम तर इख़्तिलाफ़ के बावजूद रिवायत सही है और इसमें तत्बीक़ मुमकिन है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 36/159, 160) वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ

(4797) हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आगाह रहो! जो शख़्स शिब्हे अम्द वाली सूरत में ग़लती से

- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

मारा जाये, जैसे: कोड़े और डण्डे वग़ैरह से, उसकी दियत सौ ऊँट है जिनमें से चालीस ऊँटनियाँ हामिला होंगी।'

(4797) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6996, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1526, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 773 वग़ैरहुम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ " أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ " .

(4798) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया। (इसमें) आपने फ़रमाया: 'आगाह रहो! शिब्हे अम्द की सूरत में कोड़े, डण्डे या पत्थर के साथ ग़लती से मारे जाने वाले शख़्स की दियत सौ ऊँट है जिनमें से चालीस सनिया से बाज़िले आम तक हों और उनमें से हर एक हामिला हो।'

(4798) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6997.

फ़ायदा : 'सनिया' पाँच साल की ऊँटनी को कहते हैं जो छठे साल में दाख़िल हो और 'बाज़िल' जो आठ साल की हो और नवें में दाख़िल हो। गोया चालीस ऊँटनियाँ पाँच साल से आठ साल की उम्र तक हों, और वह हामिला हों। ज़ाहिर है ये बहुत महंगी होंगी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

(4799) हज़रत उक़्बा बिन औस से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कोड़े या डण्डे सोंटे के साथ ग़लती से मारा जाये, उसकी दियत मुग़ल्लज़, यानी सख़्त होगी, सौ ऊँट जिनमें से चालीस ऊँटनियाँ हामिला हों।'

(4799) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6998.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ " أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

(4800) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी से मन्क़ूल है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो आपने फ़रमाया: 'आगाह रहो! जो शख़्स ग़लती से शिब्हे अ़म्द की सूरत में मारा जाये कोड़े और डण्डे सौंटे के साथ तो उसकी दियत के ऊँटों में चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेट में बच्चे हों।'

(4800) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6999.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ " أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

(4801) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़तहे मक्का के मौक़े पर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो आपने फ़रमाया: 'आगाह रहो! जो मक़्तूल शिब्हे अ़म्द की सूरत में ग़लती से कोड़े या डण्डे सौंटे से मारा जाये, उसकी दियत के ऊँटों में से चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेट में बच्चे हों।'

(4801) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7000.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4802) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो फ़रमाया: 'ख़बरदार! जो शख़्स शिब्हे अ़म्द की सूरत में कोड़े या सौंटे के साथ ग़लती से क़त्ल हो

حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ " أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

जाये, उसकी दियत में से चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेट में बच्चे हों।'

(4802) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7001.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

(4803) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन काबा की सीढ़ी पर खड़े हुये। आपने अल्लाह तआला की हम्द व स़ना बयान की और फ़रमायाः 'सब तारीफ़ अल्लाह तआला के लिये है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया और अपने बन्दे (हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ)) की मदद फ़रमाई, और उस अकेले ने कुफ्फार की तमाम जमाअतों को शिकस्त से दो चार किया सुना जो शख़्स़ शिब्हे अ़म्द की स़ूरत में कोड़े या सौंटे के साथ ख़तअन मारा जाये, उसकी दियत सख़्त होगी। (यानी ऐसे) सौ ऊँट जिनमें से चालीस ऊँटनियाँ हामिला होंगी।'

(4803) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 4549, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7002.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا " .

(4804) हज़रत क़ासिम बिन रुबैआ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'क़त्ले ख़ता शिब्हे अ़म्द की स़ूरत में, यानी जो कोड़े या सौंटे के साथ हो, इसमें दियत सौ ऊँट है जिनमें से चालीस ऊँटनियाँ हामिला हों।'

(4804) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7003.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई कुछ रिवायात में क़त्ले ख़ता के साथ अम्द का लफ़्ज़ आया है। इससे मुराद भी शिब्हे अम्द ही है क्योंकि क़त्ले अम्द तो क़त्ले ख़ता नहीं हो सकता। ये तो आपस में मुक़ाबिल हैं, लिहाज़ा मुराद शिब्हे अम्द ही होगा, यानी जो देखने में अम्द जैसा हो मगर हक़ीक़तन ख़ता हो क्योंकि क़ातिल की नियत क़त्ल की नहीं थी बल्कि वैसे मारने पीटने की थी। ख़ता (ग़लती से) क़त्ल हो गया। (2) क़त्ल शिब्हे अम्द की दियत में से चालीस ऊँटनियों का बयान तो कर दिया गया है कि वह हामिला हों, बाक़ी साठ का बयान नहीं किया गया मगर दीगर अहादीस़ में ज़िक्र है कि तीस हिक़्क़े हों (तीन साला ऊँटनियाँ जो चोथे में दाखिल हों) क़त्ले अम्द में भी माफ़ी की सूरत में दियत होगी। तीस हिक़्क़े, तीस जज़ओ और चालीस हामिला (पाँच से आठ साला)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ " . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى

(4805) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ख़ता (ग़लती से) मारा जाये, उसकी दियत सौ ऊँट है। तीस बिन्ते मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी) तीस बिन्ते लबून (दो साला ऊँटनी), तीस हिक़्क़े (तीन साला ऊँटनी) और दस इब्ने लबून (एक साला मुज़क्कर)' उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन अम्र) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) बस्तियों (गाँव) में रहने वाले लोगों पर इस दियत की क़ीमत चार सौ दीनार या उसके बराबर चाँदी मुक़र्रर फ़रमाते थे और ऊँटों वालों पर उनकी क़ीमत वक़्त के लिहाज़ से आइद फ़रमाते थे। जब ऊँट महंगे होते तो क़ीमत बढ़ा देते और अगर सस्ते हो जाते तो क़ीमत कम लगाते, जो भी होती। आपके दौरे मुबारक में ये क़ीमत चार सौ दीनार से आठ सौ दीनार तक रही या इसके बराबर चाँदी थी। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये फ़ैसला भी फ़रमाया कि जो शख़्स गायों से दियत देना चाहे तो गायों वालों पर दियत दो सौ गाय होंगी और

ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ . قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا .

जो शख़्स बकरियों से देना चाहे तो दियत दो हज़ार बकरी होगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि दियत भी विरासत की तरह मक़्तूल के वारिसीन में तक़्सीम होगी। उनको उनके मुक़र्ररा हिस्सों के मुताबिक़ दी जायेगी। अगर कोई माल बच जाये तो वह मक़्तूल के अ़स्बा को मिलेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया था कि औरत की तरफ़ से दियत तो उसके अ़सबा भरेंगे, जो भी हों लेकिन वह उसकी विरासत से कुछ हासिल नहीं करेंगे मगर ये कि वारिसीन को उनके मुक़र्ररा हिस्सों की अदायगी के बाद कुछ बच जाये। (तो वह बतौर अ़स्बा उनको मिलेगा।) और अगर कोई औरत क़त्ल कर दी जाये तो उसकी दियत वारिसीन में तक़्सीम होगी और वही क़ातिल को क़त्ल करेंगे (अगर वह माफ़ न करें)

(4805) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4541, 4564, इब्ने माजा, हदीस: 2630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7004.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इस हदीसे मुबारका में क़त्ले ख़ता की दियत की मिक़्दार का बयान है और वह चार क़िस्म के सौ ऊँट है, इसकी तफ़्सील हदीसे मज़्कूरा में बयान कर दी गई है। **(2)** ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि असल दियत ऊँट ही हैं, ताहम ऊँट मयस्सर न होने की सूरत में सौ ऊँटों की क़ीमत दियत होगी। अगर ऊँट महंगे होंगे तो दियत की रक़म ज़्यादा होगी और अगर ऊँट सस्ते होंगे तो फिर दियत की रक़म भी कम होगी। अगर कोई शख़्स दियत में गाय बैल देना चाहे तो दियत दो सौ गाय बैल होगी। और अगर दियत बकरियों की सूरत में अदा करना चाहे तो दो हज़ार बकरियाँ दियत होगी। **(3)** क़ातिल से क़िसास लेना वारिसीन का हक़ है। वह चाहें तो क़िसास लें और अगर चाहें तो माफ़ कर दें। मक़्तूल के वारिसीन, यानी वरसा-ए माल के अलावा दीगर अ़स्बात (अ़ज़ीज़ व अक़ारिब) वग़ैरह को क़िसास लेने या माफ़ी देने का कोई हक़ नहीं। हाँ, अगर मक़्तूल के वारिसीन में से कोई मर्द या औरत न हो तो फिर दीगर अ़ज़ीज़ व अक़ारिब को ये हक़ मिल जायेगा। वल्लाहु आलम! **(4)** मक़्तूल की दियत, उसके दूसरे माल की तरह उसके वारिसीन का हक़ है, यानी दियत भी, उन्हीं में

तक़्सीम होगी। पहले अस्हाबुल फ़ुरूज़ (जिनका हिस्सा शरीयत ने मुक़र्रर कर दिया है) लेंगे, उनसे जो बच जाये वह अस्बा ही अदा करेंगे, अस्बा क़रीब तरीन मुज़क्कर को कहते हैं, जैसे: बेटे, पोते, बाप, दादा, भाई, भतीजे, चचा ताया, उनकी औलाद। और वारिसीन से मुराद वह रिश्तेदार हैं जिनका हिस्सा विरासत में मुक़र्रर किया गया है। (5) ये हदीस मुताल्लिक़ा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। अल्बत्ता आइन्दा बाब से इसका ताल्लुक़ है। और सुनन नसाई में बहुत जगह ऐसा हुआ है, ख़ुसूसन जब कि साबिक़ा बाब के तहत रिवायात ज़्यादा हों।

बाब: (34, 35)
क़त्ले ख़ता की दियत के ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील

باب : (۳۴، ۳۵)
ذِكْرِ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ

(4806) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़त्ले ख़ता की दियत के बारे में फ़ैसला फ़रमाया कि उनमें बीस बिन्ते मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी), बीस इब्ने मख़ाज़ (एक साला मुज़क्कर), बीस बिन्ते लबून (दो साला ऊँटनी), बीस जज़अे (चार साला ऊँटनी) और बीस हिक़्क़े (तीन साला ऊँटनी) होंगे।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً .

(4806) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7005.

बाब : (35, 36)
चाँदी से दियत का बयान

باب : (۳۵، ۳۶)
ذِكْرِ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ

(4807) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में एक आदमी ने दूसरे आदमी को क़त्ल कर दिया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसकी दियत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، ح وَأَخْبَرَنَا

أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ . وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ .

बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर फ़रमाई। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान: (वमा नक़मू.....) 'और नहीं इन्तेक़ाम लिया उन्होंने मगर इस बात का कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल ने उनको अपने फ़ज़्ल से ग़नी फ़रमाया।' दियत लेने के बारे में है।

और (मज़्कूरा) अल्फ़ाज़ अबू दाऊद हरानी के हैं।

(4807) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1388, पिछली हदीस़ देखें, 7006, 7007.

वज़ाहत : जबकि मुहम्मद बिन मुसन्ना की हदीस़ के अल्फ़ाज़ इसके हम मानी हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْنَاهُ مَرَّةً، يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا يَعْنِي فِي الدِّيَةِ .

(4808) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दियत बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर फ़रमाई।

(4808) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7007.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई दोनों रिवायात की स़ेहत मरफ़ूअ़न महल्ले नज़र है राजेह बात ये है कि ये रिवायत मुर्सल है, ताहम बारह हज़ार दिरहम के बारे में ये बात स़ही सनद से मरवी है कि हज़रत उ़मर (ﷺ) ने ऊँटों की क़ीमत का हिसाब लगा कर बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर किये थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4542) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्इर्वा: 7/304, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 36/186) (2) अस़ल दियत तो ऊँट हैं जिनकी तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है। अगर सोने चाँदी या सिक्कों में दियत देना हो तो मज़्कूरा सिफ़ात के ऊँटों की क़ीमत देना होगी जो इलाक़े और ज़माने के लिहाज़ से बदलती रहती है।

बाब : (36, 37)
औरत की दियत

باب : (٣٦، ٣٧)
عَقْلِ الْمَرْأَةِ

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا " .

(4809) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'औरत की दियत मर्द के बराबर है यहाँ तक कि तिहाई को पहुँच जाये।'

(4809) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 3/90, हदीस: 3105, देखें, हदीस: 4008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7008.

बाब : (37, 38)
काफ़िर की दियत कितनी है?

باب : (٣٧، ٣٨)
كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَذَكَرَ، كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ " . وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

(4810) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़िम्मी की दियत मुसलमान से निस्फ़ है। ज़िम्मी से मुराद यहूद व नसारा हैं।'

(4810) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/183, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7009, अबू दाऊद, हदीस: 4583, तिर्मिज़ी, हदीस: 1413, व इब्ने माजा, हदीस: 2644.

फ़ायदा: 'निस्फ़ है' क्योंकि मुसलमान और काफ़िर की शान बराबर नहीं हो सकती। (अफ़नज्अलुल मुस्लिमीन कल्मुज्रिमीन) (अल क़लम: 68/35) अलबत्ता ज़िम्मी का क़त्ल मुआहिदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी है, लिहाज़ा निस्फ़ दियत देनी होगी। अहनाफ़ मुस्लिम और ज़िम्मी की दियत बराबर समझते हैं और इस मफ़हूम की एक मुर्सल हदीस बयान करते हैं। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) तिहाई दियत के क़ाइल हैं लेकिन दोनों क़ौल सही हदीस के ख़िलाफ़ हैं।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ " .

(4811) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'काफ़िर की दियत मोमिन की दियत से निस्फ़ है।'

(4811) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1413, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7010.

بَاب : (٣٨، ٣٩) دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

बाब : (38, 39) मुकातब गुलाम की दियत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى .

(4812) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुकातब के बारे में, जिसे क़त्ल कर दिया जाये, फ़ैसला फ़रमाया कि जिस क़द्र वह मुकातिबत अदा कर चुका है, उतनी आज़ाद की दियत दी जायेगी।'

(4812) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7011, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 982.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन ये रिवायत और बाद वाली रिवायत: 4813 और 4814 भी शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर सही हैं। इस रिवायत की मुताबिअत और शवाहिद के लिये हदीस: 4815, 4816 मुलाहिज़ा कीजिये। **(2)** इस हदीस से मालूम होता है कि मुकातब जिस क़द्र मुकातिबत की रक़म अदा कर दे, उतना आज़ाद तसव्वुर होगा, बाक़ी गुलाम, जैसे: जो गुलाम निस्फ़ रक़म अदा कर चुका हो, वह निस्फ़ आज़ाद होगा, निस्फ़ गुलाम। इस हालत में अगर वह क़त्ल कर दिया जाये तो आज़ाद हिस्से की दियत पचास ऊँट होगी और बाक़ी निस्फ़ गुलाम की नियत दी जायेगी, यानी पच्चीस ऊँट।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ،

(4813) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने मुकातब के बारे में

قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ.

फ़ैसला फ़रमाया कि (अगर वह क़त्ल कर दिया जाये तो) जिस क़द्र वह आज़ाद हो चुका है, उतनी दियत आज़ाद की दी जायेगी।

(4813) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7012.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ.

(4814) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुकातब के बारे में फ़ैसला फ़रमाया कि मुकातब गुलाम जिस क़द्र माले मुकातबत अदा कर चुका है, उसकी उतनी दियत आज़ाद के हिसाब से दी जायेगी और बाक़ी गुलाम के लिहाज़ से।

(4814) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7013.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النَّقَّاشِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " .

(4815) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुकातब उतना आज़द है जिस क़द्र वह मुकातिबत अदा कर चुका है और वह जिस क़द्र आज़ाद है, उतनी उस पर हद लगाई जायेगी और जिस क़द्र वह आज़ाद है, उतना वह वारिस़ बनेगा।'

(4815) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7014, अबू दाऊद, हदीस़: 4582, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1259.

फ़ायदा : हदीस़ का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि मुकातब जिस तनासुब से मुकातिबत की रक़म आज़ाद कर चुका है, उतना वह आज़ाद है। अगर निस्फ़ रक़म अदा कर चुका है तो निस्फ़ आज़ाद है। उसके साथ निस्फ़ आज़ाद वाला सुलूक किया जायेगा। हद में भी और विरासत में भी। और बाक़ी निस्फ़ गुलाम वाला सुलूक किया जायेगा जैसा कि हदीस़ में वाज़ेह तौर पर ये बात मौजूद है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُكَاتَبًا، قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ .

(4816) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में एक मुकातब को क़त्ल कर दिया गया तो आपने हुक्म दिया कि जिस क़द्र वह माले मुकातिबत अदा कर चुका है, उतने हिस़्से की दियत आज़ाद के हिसाब से दी जाये और बाक़ी की ग़ुलाम के लिहाज़ से।

(4816) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7015.

फ़ायदा : मुकातब से मुराद वह ग़ुलाम है जिसने अपने मालिक से कुछ रक़म की अदायगी के ऐवज़ अपनी आज़ादी का मुआहिदा कर रखा हो। इस मुआहिदे को मुकातिबत या किताबत कहते हैं और मुक़र्ररा रक़म को माले मुकातिबत कहा जाता है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (٣٩، ٤٠) دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

बाब : (39, 40) औरत के पेट के बच्चे की दियत

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ . أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ .

(4817) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने दूसरी औरत को पत्थर दे मारा जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस सिलसिले में बच्चे की दियत पच्चास बकरियाँ मुक़र्रर कीं और उस दिन आपने ख़ज़्फ़ से भी मना फ़रमाया।

अबू नुऐम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया।

(4817) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4578, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7016.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनीन, यानी पेट के बच्चे की दियत पच्चास बकरियाँ मुक़र्रर फ़रमाई जबकि दीगर स़ही अहादीस़ में 'जनीन' (पेट के बच्चे) की दियत

'ग़र्रा' (गुलाम या लौण्डी) मज़्कूर है। दोनों रिवायात में तत्बीक़ यूँ मुमकिन है कि लोण्डी की दरम्यानी क़ीमत पचास बकरियों के बराबर हो। इस तरह उनमें तज़ाद ख़त्म हो जाता है। दूसरे कुछ उलमा ने कहा कि इस रिवायत का मतन असह (ज्यादा सही) रिवायत के मुख़ालिफ़ होने की वजह से मालूल है, लिहाज़ा इस तरह दोनों रिवायात का तज़ाद ही न रहा। (2) ख़ज़्फ़ से मुराद कंकरियाँ फेंकना है। शग़ल के तौर पर छोटी छोटी कंकरियों से निशाने लगाना अगरचे ज़ाहिरन बेज़रर सा काम महसूस होता है मगर इससे कोई आँख ज़ाया हो सकती है, दाँत टूट सकता है, कोई नाज़ुक अज़्व मुतास्सिर हो सकता है, इसलिये इससे मना फ़रमाया। वैसे भी ये बेफ़ायदा काम है। उस औरत ने भी तो दूसरी औरत को पत्थर मारा था और ख़ैमे की चोब, यानी लकड़ी मारी थी जो दूसरी औरत के पेट वग़ैरह पर लगी जिससे ये नुक़सान हो गया। आपने इसी मुनासिबत से ख़ज़्फ़ को भी ममनूअ क़रार दिया है। (3) इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अबू नुऐम (फ़ज़्ल बिन दकीन) ने मज़्कूरा रिवायत मुर्सल बयान की है। उन्होंने अपनी रिवायत में कहा है: (हद्दसना यूसुफ़ बिन सुहैब, क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अन्न इम्रातन ...... अलख़) मतलब ये कि अबू नुऐम ने अब्दुल्लाह के बाप हज़रत बुरैदा का ज़िक्र छोड़ दिया है। आइन्दा आने वाली रिवायत अबू नुऐम ही की है जो उन्होंने मुर्सल बयान की है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ الْمَخْذُوفَةُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الْغُرِّ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا وَهْمٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغُرِّ . وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ .

(4818) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने बयान किया कि एक औरत ने दूसरी औरत को पत्थर दे मारा जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया। ये मुक़द्दमा रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आपने उस बच्चे की दियत पाँच सौ बकरियाँ मुक़र्रर फ़रमाई, और उस दिन आपने ख़ज़्फ़ से रोक दिया।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं: ये वहम है। हो सकता है कि उनका इरादा एक सौ बकरियाँ कहने का हो (लेकिन ग़लती से पाँच सौ बकरियाँ कह दीं) और ख़ज़्फ़, यानी कंकरी फेंकने की मुमानिअत तो अब्दुल्लाह बिन बुरैदा, अन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल से मरवी है। (और वह अगली हदीस: 4819 ही है)

(4818) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7017.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) की तरह यही बात इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) ने भी अपनी सुनन में मज़्कूरा (पाँच सौ बकरियों वाली) रिवायत बयान करने के बाद फ़रमाई है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4578) अहादीसे सहीहा के मुआरिज़ होने के अलावा मज़्कूरा हदीस है भी मुर्सल जैसा कि पहले भी बयान हो चुका है, इसलिये ये क़ाबिले हुज्जत नहीं। असल मसला वही है जिसकी वज़ाहत हदीस: 4817 के फ़वाइद व मसाइल के तहत हो चुकी है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ . شَكَّ كَهْمَسٌ .

(4819) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) ने एक आदमी को ख़ज़्फ़ करते देखा तो फ़रमाया: ख़ज़्फ़ न कर क्योंकि नबी-ए अकरम(ﷺ) ने ख़ज़्फ़ से मना फ़रमाया है या आप उसे नापसन्द फ़रमाते थे। कहमस को शक है।

(4819) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5479, मुस्लिम, हदीस: 1954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7019.

फ़ायदा : मतलब ये है कहमस रावी को शक है कि 'नहा अनिल ख़ज़्फ़' के अल्फ़ाज़ हैं या 'यक्रहुल ख़ज़्फ़' के ताहम ये शक सेहते रिवायत पर असर अन्दाज़ नहीं होगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً . قَالَ طَاوُسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ .

(4820) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने पेट के बच्चे की दियत के बारे में लोगों से मश्वरा किया तो हज़रत हमल बिन मालिक (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेट के बच्चे की दियत ग़ुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई है। हज़रत ताऊस ने कहा कि घोड़ा भी ग़ुर्रा है।

(4820) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4743, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7020.

फ़ायदा : अहादीस में ग़ुर्रा की तफ़सीर ग़ुलाम या लौण्डी से की गई है। हज़रत ताऊस ने घोड़े को और कुछ लोगों ने घोड़े के साथ साथ ख़च्चर को भी शामिल कर दिया है। कुछ मरफ़ूअ रिवायात में घोड़े और ख़च्चर का ज़िक्र मुद्रज और किसी रावी का वहम है क्योंकि ग़ुर्रा की तफ़सीर जब ख़ुद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ग़ुलाम या लौण्डी से फ़रमा दी है तो फिर इधर उधर इल्तिफ़ात की ज़रूरत ही नहीं रही। रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात क़ौले फ़ैसल है।

(4821) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू लिहयान की एक औरत के पेट के बच्चे के बारे में जो (चोट की वजह से) साक़ित होकर मर गया था, फ़ैसला फ़रमाया कि उसकी दियत ग़ुर्रा होगी, यानी ग़ुलाम या लौण्डी। फिर जिस औरत के लिये (जिसके बच्चे की दियत की बाबत) ग़ुर्रा का फ़ैसला किया था, वह मर गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि उसकी विरासत उसके बेटों और ख़ानदान को मिलेगी। और उस (क़ातिला) के ज़िम्मे वाजिबुलि अदा दियत उस (क़ातिला) के अस्बा के ज़िम्मे होगी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .

(4821) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6740, मुस्लिम, हदीस: 1681, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7021.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में भी जनीन की दियत ग़ुलाम या लौण्डी बयान हुई है, ताहम अगर जनीन ज़िन्दा पेट से बाहर आया, फिर उसी लगाई गई चोट के असर की वजह से फ़ौत हो गया तो इस सूरत में बड़े शख़्स वाली मुकम्मल दियत अदा करनी पड़ेगी। चोट जानबूझ कर लगाई गई हो या ग़लती से लगी हो, दोनों सूरतों में मसला इसी तरह है जैसे बयान किया गया है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिलअत्यूबी: 36/219, 220) **(2)** इस हदीसे मुबारका के अलफ़ाज़ (इन्नल मर्अत .....) से कुछ अहले इल्म को ये वहम हुआ है कि इससे मुराद क़ातिला है, इसलिये उन्होंने इन अल्फ़ाज़ के मानी किये हैं: 'फिर जिस औरत के ज़िम्मे ग़ुर्रा (देने) का फ़ैसला किया गया था, वह मर गई।' ये बात दुरुस्त नहीं बल्कि हक़ीक़ते वाक़िया के ख़िलाफ़ है। असल बात ये है कि मरने वाली क़ातिला नहीं बल्कि वह थी जिसका जनीन गिराया गया था क्योंकि अहादीसे सहीहा में ये सराहत मौजूद है कि मरने वाली क़ातिला नहीं बल्कि दूसरी थी जिसे पत्थर मार कर उसका जनीन गिरा दिया गया था और उसे क़त्ल कर दिया गया था। हदीस के अल्फ़ाज़ हैं: 'हुज़ैल क़बीले की दो औरतें लड़ पड़ीं। उनमें से एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उसे क़त्ल कर दिया और उस बच्चे को भी जो उसके पेट में था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6910, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1681 (36), मतलब ये कि अलैहा बमानी लहा है। सहीह बुख़ारी में ये अल्फ़ाज़ हैं: (सुम्मा इन्नल ......) देखिये: (सहीह

बुख़ारी, हदीस: 6740) कुछ अहले इल्म को हदीसे मुबारका के आख़री जुम्ले (क़ज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ....) से ये वहम लगा है कि मरने वाली क़ातिला ही है। उसी की विरासत के हक़दार उसके बेटे और उसका ख़ाविन्द हैं और उसकी दियत उसके अ़स्बा के ज़िम्मे है। सहीह मुस्लिम की हदीस से इस शुब्हा और वहम का मुकम्मल इज़ाला हो जाता है। इसके अल्फ़ाज़ इस क़द्र वाज़ेह और सरीह हैं कि वहम का तसव्वुर ही नहीं होता। अल्फ़ाज़ ये हैं: 'फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूला की दियत, क़ातिला के अ़स्बा के ज़िम्मे लगाई और उस (मक़्तूला) के पेट के बच्चे की दियत एक ग़ुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1682) ऊपर दी गई तसरीहात से तमाम शुब्हात खत्म हो जाते हैं। **(3)** क़त्ले ख़ता शिब्हे अ़म्द में दियत क़ातिल के ज़िम्मे होती है लेकिन इसकी अदायगी में इसके तमाम नसबी रिश्तेदार शरीक होंगे। क़ानूनी तौर पर उन सबके ज़िम्मे क़िस्तवार रक़म मुक़र्रर की जायेगी और वह अदा करने के पाबन्द होंगे क्योंकि क़त्ले ख़ता में क़ातिल क़सूरवार नहीं होता या ज़्यादा क़सूरवार नहीं होता। अलबत्ता अ़म्द की सूरत में दियत क़ातिल के ज़िम्मे होगी और वही अदायगी का ज़िम्मेदार है क्योंकि वह मुकम्मल क़सूरवार होता है, लिहाज़ा उसे ही सज़ा भुगतना होगी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ

(4822) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: क़बील-ए-हुज़ैल की दो औरतें आपस में लड़ पड़ीं। एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा। नतीजतन उसे भी क़त्ल कर दिया और उसके पेट के बच्चे को भी। वह (वारिसीन) ये झगड़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि पेट के बच्चे की दियत ग़ुर्रा है, यानी एक ग़ुलाम या लौण्डी, और आपने फ़ैसला फ़रमाया कि (क़ातिला) औरत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा दियत उसके अ़स्बा भरेंगे। और आपने उस (मक़्तूला) की औलाद और दीगर वारिसीन को उसका वारिस बनाया। हज़रत हमल बिन मालिक बिन नाबिग़ा हुज़ली ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कैसे उस (बच्चे) की दियत भरूँ जिसने न पिया न खाया, न बोला न चिल्लाया? उस जैसा (बच्चा) तो ज़ाया और लग़व

مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ " . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ

(बिला दियत) होता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो काहिनों में से एक काहिन महसूस होता है।' (आपने ये बात फ़रमाई) इसलिये कि उसने मुसज्जअ कलाम किया था।

(4822) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 8681, बुख़ारी, हदीस: 6910, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7022.

फ़ायदा : 'काहिन' दौरे जाहिलियत में हर बुत के साथ एक काहिन भी होता था। लोग इलाज वग़ैरह के लिये भी उन्हीं से राब्ता करते थे। ये बड़े चालाक व अय्यार लोग होते थे। जिन्नों से रवाबित रखते थे। ज़ू मआनी कलाम किया करते थे। पेश गोईयाँ भी करते थे मगर बड़े मोहतात अन्दाज़ में ताकि पेश आमदा हालात में मुश्किल पेश न आये। बड़ी दिल आवेज़ कलाम करते थे। छोटे छोटे मुसज्जअ फ़िक़रे बोलते थे जिनको सुन कर लोग मरऊब हो जाते थे। यही वजह है कि आपने हज़रत हमल बिन मालिक को काहिन कहा।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ .

(4823) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में क़बील-ए-हुज़ैल की दो औरतों में से एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उसका हमल गिरा दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत ग़ुर्रा मुक़र्रर रखी, यानी एक ग़ुलाम या लौण्डी।

(4823) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, अस्साबिक़, बुख़ारी, हदीस: 5759, मौता: 2/855, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7023.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي

(4824) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेट के उस बच्चे की दियत जिसे वालिदा के पेट में क़त्ल कर दिया जाये, एक ग़ुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई है, यानी ग़ुलाम या लौण्डी। जिस शख़्स के ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला फ़रमाया था, वह कहने लगा: मैं उस बच्चे की

بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَلاَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ " .

दियत कैसे भरूँ जिसने न पिया न खाया, न चीख़ा न बोला? ऐसा बच्चा तो ज़ाया और लग़्व होता है (मुआवज़े का हक़दार नहीं होना चाहिए) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ये तो काहिन लगता है।'

(4824) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मौताः 2/855, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7024.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، - وَهُوَ ابْنُ تَمِيمٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً . فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " .

(4825) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से मरवी है कि एक औरत ने अपनी सौकन को ख़ैमे की लकड़ी दे मारी और उसे क़त्ल कर दिया जबकि वह हामिला थी (लिहाज़ा हमल भी ज़ाया हो गया) ये मुक़द्दमा नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास लाया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि क़ातिल औरत के अस्बा (मक़्तूला की) दियत भरें, और पेट के बच्चे के बदले ग़ुर्रा दें। उस औरत का अस्बा कहने लगा क्या मैं ऐसे बच्चे की दियत दूँ जिसने पिया न खाया, चीख़ा न चिल्लाया? ऐसा बच्चा तो किसी शुमार व क़तार में नहीं होना चाहिए। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ये तो आराबियों जैसी तुकबन्दी करता है।'

(4825) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 1682, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7025.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ऐसा बच्चा' यानी जो ज़िन्दा पैदा नहीं हुआ बल्कि पैदा होने से पहले फ़ौत हो गया। (2) 'आराबियों जैसी' आराबी लोग फ़सीह व बलीग़ ज़बान बोलते थे और आला दर्जे के शाइर होते थे, और वह मुसज्जअ कलाम किया करते थे। (3) 'तुकबन्दी' यानी मुसज्जअ कलाम जिसके जुम्ले हम आहन्ग हों। हर जुम्ले के आख़िर में एक जैसे अल्फ़ाज़ आयें जैसे अशआर में होता है मगर वज़न एक नहीं होता। (4) इस रिवायत में है कि उस औरत ने ख़ैमे की चोब, यानी लकड़ी मारी

थी जबकि कुछ रिवायात में है कि उसने पत्थर मारा था। उनमें तत्बीक़ इस तरह है कि मुमकिन है उसने दोनों चीज़ें मारी हों, किसी रावी ने एक चीज़ बयान कर दी किसी ने दूसरी। वल्लाहु आलम!

बाब : (40, 41)

क़त्ले शिब्हे अम्द का बयान और उसका कि पेट के बच्चे और क़त्ले शिब्हे अम्द की दियत किसके ज़िम्मे होगी? और इब्राहीम अन उबैद बिन नुज़ैला की हज़रत मुग़ीरा से मरवी रिवायत पर रावियों के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र

باب : (٤٠، ٤١)

صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(4826) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक औरत ने अपनी सौकन को ख़ैमे का सुतून खींच मारा जब कि वह हामिला थी। वह मर गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूला की दियत क़ातिला के क़रीबी नसबी रिश्तेदारों पर डाल दी। और मक़्तूला के पेट के बच्चे की दियत में एक ग़ुर्रा लाज़िम किया। क़ातिला के रिश्तेदारों में से एक शख़्स कहने लगा: क्या हम ऐसे बच्चे की दियत भरें जिसने खाया न पिया और न चूँ की? ऐसा बच्चा तो ज़ाया और लग़्व होता है। आपने फ़रमाया: 'क्या आराबियों जैसी मुसज्जअ व मुक़फ़्फ़ा कलाम बोलते हो?' फिर उन पर दियत लागू की।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏ ‏.‏ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ ‏.‏

(4826) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7026.

(4827) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि दो सौकनों में से एक ने दूसरी को ख़ैमे की लकड़ी दे मारी और उसे क़त्ल कर दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ، ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ تُغَرِّمُنِي مَنْ لاَ أَكَلْ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ " سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ " . وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत क़ातिला के नसबी रिश्तेदारों पर डाल दी और मक़्तूला के पेट के बच्चे की दियत ग़ुर्रा क़रार दी। आराबी कहने लगा: आप मुझ पर ऐसे बच्चे की दियत डाल रहे हैं जिसने न खाया न पिया, न चीख़ा न चिल्लाया? ऐसा बच्चा तो ज़ाया और लग़्व होता है। आपने फ़रमाया: 'ज़मान-ए-जाहिलियत जैसी मुसज्जअ व मुक़फ़्फ़ा गुफ़्तगू है।' आपने पेट के बच्चे की दियत ग़ुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई।

(4827) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7027.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ .

(4828) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: बनू लिहयान की एक औरत ने अपनी सौकन को ख़ैमे की लकड़ी दे मारी और उसे क़त्ल कर दिया। मक़्तूला को हमल था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी दियत क़ातिला के नसबी रिश्तेदारों पर डाल दी और उस (मक़्तूला) के पेट के बच्चे की दियत ग़ुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई।

(4828) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7028.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا

(4829) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि बनू हुज़ैल के एक आदमी के निकाह में दो औरतें थीं। एक ने दूसरी को ख़ैमे की लकड़ी दे मारी और उसके पेट का बच्चा गिरा दिया। फ़रीक़ैन झगड़ते हुये नबी-ए-अकरम(ﷺ) की

تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا كَيْفَ نَدِي مَنْ لاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " . فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ .

ख़िदमत में हाज़िर हुये। क़ातिल फ़रीक़ कहने लगा: हम उस बच्चे की कैसे दियत अदा करें जिसने पिया न खाया, न चीख़ा न चिल्लाया? नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या आराबियों की तरह तुकबन्दी कर रहे हो?' फिर आपने ग़ुर्रा (ग़ुलाम या लौण्डी बतौर दियत) क़ातिल औरत के नसबी रिश्तेदारों के ज़िम्मे डाल दी।

(4829) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 4825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7029.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لاَ أَكَلْ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ . فَقَالَ " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " . فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ . أَرْسَلَهُ الأَعْمَشُ .

(4830) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि बनू हुज़ैल के एक आदमी की दो बीवियाँ थीं। एक ने दूसरी को ख़ैमे का सुतून दे मारा और उसका हमल गिरा दिया। (जब आपने बच्चे की दियत बयान फ़रमाई तो) आपसे कहा गया: बताइये तो भला जिस बच्चे ने न पिया न खाया, न चीख़ा न चिल्लाया (क्या उसकी भी दियत होगी?) आपने फ़रमाया: 'ये क्या आराबियों जैसी तुकबन्दी है।' फिर आपने उसकी दियत ग़ुर्रा, यानी एक ग़ुलाम या लौण्डी मुक़र्रर फ़रमाई और उसे औरत के नसबी रिश्तेदारों के ज़िम्मे डाल दिया।

आमश ने इसे मुर्सल बयान किया है।

(4830) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 4825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7030.

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने मरफ़ूअ मुत्तसिल बयान किया है लेकिन इमाम आमश ने ये रिवायत इब्राहीम से मुर्सल बयान की है जैसा कि आइन्दा रिवायत में है: अल्आमश अन इब्राहीम ....

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوا نُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ " .

(4831) हज़रत इब्राहीम से मन्क़ूल है कि एक औरत ने अपनी सौकन को पत्थर मारा जबकि वह हामिला थी जिससे वह मर गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके पेट के बच्चे की दियत गुर्रा (गुलाम या लौण्डी) मुक़र्रर फ़रमाई और मक़्तूला की दियत क़ातिला के नसबी रिश्तेदारों के ज़िम्मे डाल दी। उन्होंने कहा: हम ऐसे बच्चे की दियत भरें जिसने पिया न खाया, न चूँ चाँ की? ऐसे बच्चे का तो कोई मुआवज़ा नहीं होना चाहिए। आपने फ़रमाया: 'आराबियों की तरह तुकबन्दी करते हो? अस़ल हुक्म वही है जो मैं कहता हूँ।'

(4831) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7031.

फ़ायदा : ये रिवायत मुर्सल है, ताहम शवाहिद की बिना पर स़ही है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ . فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ . فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلّ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(4832) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: दो सौकनें थीं। उनमें झगड़ा हो गया। एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उसके पेट का बच्चा गिरा दिया जो मुर्दा था। उसके बाल उग चुके थे। और औरत भी मर गई। आपने क़ातिला के नसबी रिश्तेदारों पर दियत डाल दी। मक़्तूला के चचा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने बच्चा भी ज़ाया किया है जिसके बाल उग चुके थे। क़ातिला के वालिद ने कहा: ये झूठ बोलता है। अल्लाह की क़सम! ये बच्चा न चीख़ा न चिल्लाया, न इसने पिया न खाया। ऐसा तो ज़ाया और बातिल होता है। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या जाहिलों और काहिनों जैसी सजअ (तुकबन्दी) कर रहा है? इस बच्चे में भी गुर्रा आयेगा।'

وسلم " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ .

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: एक औरत का नाम मुलैका और दूसरी का उम्मे ग़तीफ़ था।

(4832) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4574, तबरानी फ़िल्कबीर: 11/289, 290, हदीस: 11767, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7032.

फ़ायदा : कुछ रिवायात में इस दूसरी औरत का नाम उम्मे अ़फ़ीफ़ आया है।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلاَ يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ .

(4833) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये तहरीर लिखवाई कि हर क़बीले को अपने लोगों पर आइद शुदा दियतें देनी होंगी, और किसी आज़ाद शुदा गुलाम के लिये जायज़ नहीं कि वह अपने मौला की इजाज़त के बग़ैर किसी और मुसलमान को मौला बना ले।

(4833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7033.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आक़िला (यानी नसबी रिश्तेदार) पर दियत अदा करना लाज़िम है। **(2)** 'आइद शुदा दियतें' यानी क़त्ले ख़ता और शिब्हे अ़म्द की दियतें क़ातिल के ख़ानदान को भरना पड़ेंगी। और बाब का मक़सद भी यही है कि क़त्ले ख़ता या शिब्हे अ़म्द की दियत सिर्फ़ क़ातिल के ज़िम्मे नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। **(3)** 'इजाज़त के बग़ैर' ये क़ैद डाँट के तौर पर है वरना इजाज़त लेकर भी किसी दूसरे की तरफ़ मन्सूब नहीं हो सकता जैसे कोई शख़्स अपने बाप के अ़लावा किसी दूसरे को बाप नहीं बना सकता, ख़्वाह बाप इजाज़त दे भी दे। वैसे भी कोई सलीमुत तबअ़ शख़्स न तो रिश्ता बेचता है, न हिबा करता है क्योंकि रिश्ता बेचने और हिबा करने की चीज़ नहीं। मौला आज़ादकर्दा गुलाम को भी कहते हैं और आज़ाद करने वाले मालिक को भी और उनके माबैन ताल्लुक़ को वला कहते हैं जो नसबी रिश्ते के बाद मज़बूत रिश्ता है जो मौत से भी ख़त्म नहीं होता यहाँ तक कि नसबी रिश्तेदार न होने की सूरत में विरासत भी जारी होती है। ज़ाहिर है कोई शख़्स भी ऐसे मुअज़्ज़म रिश्ते को बदलने की इजाज़त नहीं देगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसकी बाबत फ़रमाया: 'वला भी नसबी रिश्तेदारी की तरह है, ये न बेची जा सकती है और न किसी को हिबा ही की जा सकती है।' (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 4/341) मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने आज़ादकर्दा गुलाम को

इजाज़त दे भी दे तो भी ये ताल्लुके वला किसी दूसरे मुसलमान की तरफ़ मुन्तक़िल नहीं हो सकता। न किसी मुसलमान को लाइक़ ही है कि वह उसे क़बूल करे। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ " .

(4834) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ऐसे ही (तकल्लुफ़न) तबीब बन कर इलाज करे, हालांकि (इससे पहले) वह मुस्तनद तबीब नहीं था तो (अगर कोई नुक़सान हो जाये) वह ज़ामिन (ज़िम्मेदार) होगा।'

(4834) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7034, व सहीह अल हाकिम: 4/212, देखें, हदीस: 4008.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िके किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने शवाहिद की बिना पर उसे हसन क़रार दिया है। शैख़ मुहम्मद नासिरूद्दीन अल्बानी(رحمه الله) मज़्कूरा हदीस पर बहस करते हुये फ़रमाते हैं: (लाकिनिल हदीस़ हसन बिमज्मूइत्तरीक़ैन) यानी दोनों तरीक़ की वजह से मजमूई तौर पर मज़्कूरा हदीस़ हसन बन जाती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 635) **(2)** मौजूदा दौर में अताई क़िस्म के डॉक्टर और तबीब आम हैं। इन तबीबों और डॉक्टरों की हौसला शिकनी ज़रूरी है। हुकूमते वक़्त की ये शरई और अख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसी क़ानून साज़ी करे कि कोई अनाड़ी डॉक्टर और तबीब लोगों की ज़िन्दगी और उनकी सेहत से न खेल सके। अवाम को ऐसे लोगों की दस्त बुर्द से बचने की ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों और तबीबों के हाथों अगर कोई मर जाये तो उनके ज़िम्मे दियत होगी, ताहम मुस्तनद मुआलिजीन से दवा लेना शरअन जायज़ बल्कि मुस्तहब है। इस हदीसे मुबारका से इलाज मुआलजे और दवा की मशरूइयत साबित होती है बशर्ते कि डॉक्टर व तबीब मुस्तनद और मारूफ़ हो। **(3)** अगर कोई आदमी किसी डॉक्टर या तबीब की बेपरवाई या अदमे महारत की वजह से मर जाये तो उस पर दियत होगी जो उसकी नसबी रिश्तेदार अदा करेंगे। क़िसास़ नहीं होगा क्योंकि वह मुकम्मल तौर पर क़सूरवार नहीं। आख़िर इलाज करवाने वाले की रज़ामन्दी ही से उसका इलाज हुआ, लिहाज़ा अनाड़ी शख़्स से इलाज करवाने में मुताल्लिक़ा शख़्स भी मुजरिम है। तबीब अकेला मुजरिम नहीं। **(4)** मुस्तनद तबीब से कोई नुक़सान हो जाये तो जब तक उसकी स़रीह ग़लती साबित न हो जाये, वह ज़िम्मेदार नहीं होगा। स़रीह ग़लती की सूरत में उसे दियत भरनी होगी क्योंकि ये भी ख़ता की ज़ेल में आता है। अगर साबित हो जाये कि तबीब ने अम्दन नुक़सान पहुँचाया है तो क़िसास़ जारी होगा। वल्लाहु आलम!

(4835) अम्र बिन शुऐब के परदादा से बिल्कुल ऐसी ही रिवात आती है।

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً

(4835) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7035.

फ़ायदा : ये रिवायत भी मजमूई तुरुक़ की बिना पर क़ाबिले इस्तेदलाल है।

बाब : (41, 42) क्या किसी शख़्स़ को दूसरे के जुर्म में पकड़ा जा सकता है?

باب: (۴۱، ۴۲) هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ

(4836) हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास अपने वालिद के साथ हाज़िर हुआ। आपने (मेरे वालिद से) फ़रमाया: 'ये तेरे साथ कौन है?' उन्होंने कहा: मैं गवाही देता हूँ, ये मेरा बेटा है। आपने फ़रमाया: 'ख़बरदार! तेरे जुर्म का ये ज़िम्मेदार नहीं और तू उसके जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं।'

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي فَقَالَ " مَنْ هَذَا مَعَكَ " . قَالَ ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ " .

(4836) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7036.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) इस बात का हमेशा इल्तेज़ाम फ़रमाते कि मौक़ा महल की मुनासिबत से मसला बयान फ़रमायें और किताब व सुन्नत के अहकाम वज़ाहत से बयान कर दें, और नबी (ﷺ) मसला इस अन्दाज़ से वाज़ेह फ़रमाते कि उसमें किसी क़िस्म का इब्हाम बाक़ी न रहता बल्कि हर शख़्स़ बा'आसानी समझ लेता था। (2) ये हदीसे मुबारका अल्लाह तआला के इस फ़रमान की तफ़्सीर करती है: 'कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का (क़तअन) कोई बोझ नहीं उठायेगा।' (फ़ातिर: 35/18) (3) जाहिलियत में बाप बेटा तो एक तरफ़ पूरे क़बीले के अफ़राद को एक दूसरे के जराइम का ज़िम्मेदार समझा जाता था। क़बीले के किसी शख़्स़ ने क़त्ल किया होता तो क़बीले के किसी भी शख़्स़ को पकड़ कर क़त्ल कर दिया जाता और दावा किया जाता कि हमने क़िसास़ ले लिया है। इस्लाम ने इस बुरी रस्म को न सिर्फ़ ख़त्म किया बल्कि ये ऐलान किया कि गुनाहगार वही है जिसने जुर्म किया। सज़ा भी उसे ही दी जा सकती है, किसी और को नहीं। बाक़ी रही ये बात कि फिर क़त्ले ख़ता व शिब्हे अम्द की दियत रिश्तेदारों पर क्यूँ पड़ती है? तो इसका जवाब ये है कि दरअस़ल ये उसके

साथ तआवुन है क्योंकि क़त्ले ख़ता की सूरत में तो क़ातिल बिल्कुल ही बेगुनाह होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेएहतियाती का मुजरिम कहा जा सकता है और शिब्हे अ़म्द में मुजरिम तो होता है कि उसने लड़ाई की मगर चूंकि क़त्ल का तो उसे तसव्वुर भी नहीं था, लिहाज़ा वह इतना मुजरिम नहीं होता कि उस पर सौ क़ीमती ऊँटनियों का बोझ डाल दिया जाये लेकिन चूंकि किसी मुसलमान का ख़ून रायगां नहीं जा सकता, इसलिये दियत उस पर डाल दी गई और उसके साथ साथ उसके रिश्तेदारों को उससे तआवुन करने का क़ानूनी तौर पर पाबन्द बना दिया गया ताकि वह पाँव न खींच सकें। अलबत्ता जब क़ातिल मुकम्मल क़सूरवार हो, जैसे: क़त्ले अ़म्द में तो उसे ख़ुद ही क़िसास़ देना होगा। उसके किसी भाई या बाप को कुछ नहीं कहा जायेगा। दियत हो तो वह भी ख़ुद ही भरेगा।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلاَنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ " أَلاَ لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى " .

(4837) हज़रत स़अलबा बिन ज़हदम यरबूई(ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) अन्स़ार के एक गिरोह में ख़िताब फ़रमा रहे थे। अन्स़ार कहने लगे: इन बनू स़अल्बा बिन यरबूअ़ ने जाहिलियत में फुलां शख़्स़ को क़त्ल कर दिया था। नबी-ए अकरम(ﷺ) ने आवाज़ बलन्द करते हुये फ़रमाया: 'आगाह रहो! कोई शख़्स़ किसी दूसरे के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं।'

(4837) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी फिल्कबीर: 2/85, हदीस़: 1384, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7027.

फ़ायदा : जाहिलियत में एक फ़र्द के जुर्म करने पर पूरे क़बीले को मुजरिम समझ लिया जाता था। और जो भी हत्थे चढ़ जाता, उससे इन्तेक़ाम ले लिया जाता था। आपने अन्स़ार की इस बात से इसी ज़हन की बू सूंघी कि उन्होंने इस क़बीले के एक शख़्स़ को देख कर क़बीले के किसी एक शख़्स़ का जुर्म ज़िक्र किया, इसलिये आपने वाशगाफ़ (खुले) अल्फ़ाज़ में तर्दीद फ़रमाई।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ،

(4838) हज़रत स़अ़्लबा बिन ज़हदम (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: बनू स़अ़्लबा के कुछ लोग नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास पहुँचे जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। एक आदमी ने

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلاَنًا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى " .

कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन बनू स़अ़्लबा बिन यरबूअ़ ने नबी (ﷺ) के फ़ुलां स़हाबी को क़त्ल किया था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी शख़्स़ के जुर्म का कोई दूसरा शख़्स़ ज़िम्मेदार नहीं होता।'

(4838) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7038.

फ़ायदा : आपका मक़स़द ये था कि क़ातिल कोई और हैं और ये आने वाले लोग और हैं। सिर्फ़ क़बीला एक होने की वजह से ये लोग मुजरिम नहीं बन सकते।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ نَاسًا، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلاَنًا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".

(4839) बनू स़अ़्लबा बिन यरबूअ़ (क़बीले) में से एक शख़्स़ से रिवायत है कि बनू स़अ़्लबा के कुछ लोग नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आये तो एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन बनू स़अ़्लबा बिन यरबूअ़ ने नबी (ﷺ) के फ़ुलां स़हाबी को क़त्ल किया था। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स़ किसी दूसरे के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं।'

(4839) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7039.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، -وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي

(4840) बनू स़अ़्लबा बिन यरबूअ़ के एक शख़्स़ से रिवायत है कि बनू स़अ़्लबा के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक स़हाबी को क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक स़हाबी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये बनू स़अ़्लबा हैं।

ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلاَنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى " . قَالَ شُعْبَةُ أَىْ لاَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

उन्होंने फ़ुलां (सहाबी) को क़त्ल किया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी शख़्स का जुर्म किसी दूसरे के नाम नहीं लग सकता।' (रावि-ए-हदीस़) शोबा ने कहा: यानी किसी को किसी और शख़्स के जुर्म में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। वल्लाहु आलम!

(4840) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7040.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلاَنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ - يَعْنِي - لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ " .

(4841) बनू स़अ़्ल्बा बिन यरबूअ के एक आदमी से रिवायत है कि मैं नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास हाज़िर हुआ जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन बनू स़अलबा बिन यरबूअ ने फ़ुलां शख़्स (सहाबी-ए-रसूल) को क़त्ल किया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' यानी किसी शख़्स का जुर्म किसी दूसरे पर नहीं डाला जा सकता।

(4841) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7041.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَا

(4842) बनू यरबूअ के एक आदमी ने कहा: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचे तो आप लोगों से ख़िताब फ़रमा रहे थे। (हमें देख कर) कुछ लोग खड़े हो गये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! ये फ़ुलां क़बीले के लोग हैं। उन्होंने फ़ुलां सहाबी को क़त्ल किया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी एक शख़्स का जुर्म दूसरे के

ज़िम्मे नहीं लगाया जा सकता।'

(4842) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7042.

رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو فُلاَنٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلاَنًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى " .

(4843) हज़रत तारिक़ मुहारिबी (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये बनू सअ्लबा हैं जिन्होंने अपने दौरे जाहिलियत में फुलां को क़त्ल किया था। उनसे हमें क़िसास दिलवा दीजिये। आपने अपने हाथ मुबारक उठाये यहाँ तक कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। आपने दो दफ़ा फ़रमाया: 'किसी माँ का जुर्म उसके बेटे के गले नहीं पड़ता।'

(4843) तख़रीज : (सनद सही) अलदारक़ुतनी: 3/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7043, देखें, हदीस: 2533.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلاَنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا . فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ " لاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ " . مَرَّتَيْنِ

फ़ायदा : आपका मक़सद ये था कि क़ातिलीन और थे और ये हाज़िरीन और हैं, लिहाज़ा उनसे क़िसास नहीं लिया जा सकता। अगरचे उनका क़बीला एक है। शरीयत में हर मुजरिम अपने जुर्म का ख़ुद जवाबदेह है न कि उसके रिश्तेदार।

बाब : (42, 43)अपनी जगह क़ाइम कानी आँख अगर फोड़ दी जाये तो?

باب(٤٢، ٤٣): الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

(4844) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि जो कानी (बेनूर) आँख अपनी जगह क़ाइम हो, अगर फोड़ दी जाये तो आँख की एक तिहाई दियत दी जायेगी। और बेजान हाथ अगर काट दिया जाये तो हाथ की तिहाई दियत दे दी जायेगी। और वह दाँत जो स्याह हो चुका हो,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ

السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

उखाड़ दिया जाये तो दाँत की तिहाई दियत होगी।

(4844) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7044.

फ़ायदा : वल्लाहु आलम, शायद एक तिहाई दियत इसलिये दी जा रही है कि इन आज़ा के फोड़ने, काटने और उखेड़ने से ज़ाहिरी हुस्न व जमाल जाता रहा है। ये आज़ा अगरचे अपने अस़ल मक़स़द से ख़ाली हैं लेकिन अपनी जगह क़ाइम होने की वजह से ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत और हुस्न व जमाल का फ़ायदा बहरहाल दे रहे हैं। दूर से देखने में तो वह शख़्स़ बेऐब है, लिहाज़ा ऐसे अज़्व को ज़ाया कर देने से, शरीयत में उसी अज़्व की जितनी दियत मुक़र्रर है उसकी एक तिहाई दियत देना होगी। स़ही आँख की दियत पचास ऊँट, स़ही हाथ की दियत पचास ऊँट और स़ही दाँत की दियत पाँच ऊँट है, उनका तिहाई कस्र में आता है। लिहाज़ा कस्र की जगह क़ीमत लगाई जायेगी, जैसे: आँख और बेजान हाथ की दियत सोलह सोलह ऊँट और बाक़ी दो दो ऊँटों की कुल क़ीमत का एक एक तिहाई हिस़्सा होगी। दो ऊँटों की क़ीमत अगर तीन लाख रूपये हो तो इसमें से एक लाख उसे दिया जायेगा। वल्लाहु आलम!

باب(٤٣، ٤٤): عَقْلِ الأَسْنَانِ

बाब : (43, 44) दाँतों की दियत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ " .

(4845) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दाँतों में पाँच ऊँट हैं।' यानी हर दाँत की दियत पाँच ऊँट है।

(4845) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7045.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا " .

(4846) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब दाँत (दियत में) बराबर हैं।' यानी हर एक में पाँच पाँच ऊँट।

(4846) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 8/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7046, पिछली हदीस़ देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी भी अ़ज़्व के फ़ायदे का सही तअ़य्युन बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एक अ़ज़्व कई काम देता है, जैसे: सामने के दाँत काटने के काम भी आते हैं और मुश्किल वक़्त में पकड़ने के भी। इसी तरह वह चेहरे की ज़ीनत भी हैं, लिहाज़ा ये नहीं कहा जा सकता कि खाना खाने में दाढ़ों का ज़्यादा हिस्सा है और दाँतों का कम, इसलिये दाढ़ों की दियत ज़्यादा होनी चाहिए। गोया आ़ज़ा के पूरे फ़ायदे का तअ़य्युन अल्लाह तआ़ला ही जानता है, लिहाज़ा शरीयत ने जो दियत मुक़र्रर कर दी है, वही सही है। इसमें बहस नहीं करनी चाहिए। **(2)** अगर कोई शख़्स किसी के तमाम दाँत तोड़ दे तो उसकी दियत कितनी होगी? जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ाइल हैं कि हर दाँत की दियत पाँच ऊँट होगी। इस तरह कि अगर कोई शख़्स बत्तीस दाँत तोड़ता है तो उसे एक सौ साठ (160) ऊँट दियत देना होगी। दाढ़ें और दाँत इसमें बराबर हैं। उनकी दलील मज़कूरा हदीस़ है। जबकि अहले इल्म की एक जमाअ़त इस बात की क़ाइल है कि बारह दाँतों में पाँच पाँच ऊँट होंगे और बाक़ी बीस दाढ़ों में एक एक ऊँट होगा। और एक क़ौल ये है कि बाक़ी दाढ़ों में दो दो ऊँट होंगे। उनकी दलील हज़रत उ़मर (ﷺ) का एक फ़ैसला है कि उन्होंने दाढ़ों में एक एक ऊँट दियत मुक़र्रर की। फिर ये भी कि पहले क़ौल पर अ़मल की सूरत में दियत जान की दियत से भी बढ़ जायेगी। इब्ने अ़ब्दुल बर्र(رحمه الله) फ़रमाते हैं कि जहाँ तक हज़रत उ़मर (ﷺ) के फ़ैसले का ताल्लुक़ है तो उनसे ये भी मरवी है कि दाँत और दाढ़ें बराबर हैं, इसलिये उनका वह फ़तवा क़ाबिले अ़मल होगा जो मरफ़ूअ़ हदीस़ के मुताबिक़ है और फिर हज़रत मुआ़विया (ﷺ) से मरवी है कि अगर हज़रत उ़मर (ﷺ) को मरफ़ूअ़ हदीस़ का इल्म होता तो वह भी दाढ़ों में पाँच पाँच ऊँटों का फ़ैसला फ़रमाते। रही दूसरी बात कि इस तरह दियत जान की दियत से बढ़ जायेगी तो ये न क़यास के ख़िलाफ़ है न उसूल के बल्कि उसूल के ऐन मुताबिक़ है कि दाढ़ों को दाँतों पर क़यास किया जाये, फिर अहले इल्म के नज़दीक 'अस्नान' का इत्लाक़, अज़्रास पर भी होता है। फिर कई सूरतें और भी मुमकिन हैं जिनमें दियत जान की दियत से बढ़ जाती है, जैसे: किसी शख़्स की आँख निकाल दी जाये और दोनों हाथ काट दिये जायें तो दियत जान की दियत से बढ़ जायेगी। मज़ीद देखिये: (अलइस्तिज़कार, लिइब्ने अ़ब्दुलबर्र: 25/146-148) हमारे नज़दीक जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ही राजेह है। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (44, 45) उँगलियों की दियत

باب(۴۴، ۴۵): عَقْلِ الأَصَابِعِ

(4847) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उँगलियों में (हर उँगली के) दस दस ऊँट हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4556, 4557, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7047, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1527.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) उँगलियाँ अगरचे फ़ायदे के लिहाज़ से मुख़्तलिफ़ हैं। जो हैसियत अंगूठे की है, वह छंगली की नहीं लेकिन सब एक दूसरे को कुव्वत देती हैं। फिर कुछ उँगलियाँ ज़ीनत का सबब हैं। कुछ उँगलियों के ख़ुसूसी फ़ायदे हैं। कुछ मौक़े पर छंगली ही काम देती है, अंगूठा वहाँ कुछ नहीं कर सकता। गोया हर उँगली के सही मफ़ाद का हक़ीक़ी तअय्युन हमारे लिये बहुत मुश्किल है, इसलिये अल्लाह अलीम व ख़बीर और उसके रसूल (ﷺ) ने सब उँगलियों को बराबर क़रार दिया है। दाँया हाथ हो या बायाँ, हाथ की उँगलियाँ हों या पाँव की और छंगली हो या अंगूठा। वल्लाहु आलम! **(2)** 'दस दस ऊँट' अगर किसी आदमी के दोनों हाथ या दोनों पाँव काट दिये जायें तो वह मय्यत के बराबर है। लोगों का मोहताज बन जायेगा और उसकी ज़िन्दगी मौत से बदतर हो जायेगी, इसलिये दोनों हाथों या दोनों पाँव की दियत सौ सौ ऊँट रखी गई है। एक हाथ या एक पाँव की दियत पचास ऊँट होगी, ख़्वाह बायाँ ही हो क्योंकि बायें के बग़ैर दायें की ज़ीनत भी कल्अदम हो जाती है। फिर हाथ पाँव में असल उँगलियाँ हैं। उँगलियाँ न हों तो हाथ पाँव अपने असली मक़सद से ख़ाली हो जाते हैं, लिहाज़ा उँगलियों को पूरे अज़्व के बराबर क़रार दिया गया है। अलबत्ता अगर पाँचों उँगलियाँ काट दे, तब भी दियत पचास ऊँट, कलाई से काटे तब भी और कुहनी से काट दे तब भी और कंधे से काट दे, तब भी यही दियत होगी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا "

(4848) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऊँगलियाँ सब बराबर हैं।'

(4848) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7048, अलबैहक़ी: 8/92.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ .

(4849) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया कि ऊँगलियाँ सब बराबर हैं। (हर एक दियत) दस दस ऊँट है।

(4849) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7050.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوا فِيهِ " وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا " .

(4850) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि जब मैंने वह दस्तावेज़ देखी जो अम्र बिन हज़्म (ﷺ) की औलाद के पास थी और जिसके बारे में उनका दावा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये तहरीर ख़ुद लिखवा कर उनको दी, उसमें ये भी लिखा था कि ऊँगलियों की दियत दस दस ऊँट है।

(4850) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7051, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " . يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ .

(4851) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये और ये बराबर हैं' यानी अंगूठा और छंगली।

(4851) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6895, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7052.

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ .

(4852) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि ये और ये, (यानी) अंगूठा और छंगली (दियत के लिहाज़ से) बराबर हैं।

(4852) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7053.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ .

(4853) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया सब ऊँगलियों की दियत दस दस ऊँट है।

(4853) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7054.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ " وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ".

(4854) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया तो अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया: 'उँगलियों की दियत दस दस ऊँट है।'

(4854) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4562, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7055, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 781.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ " .

(4855) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने बाप से, वह (शुऐब) अपने दादा से बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बे में फ़रमाया जब कि आपने काबा के साथ अपनी पुश्त की टेक लगा रखी थी: 'तमाम उँगलियाँ (दियत के लिहाज़ से) बराबर हैं।'

(4855) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7056, पिछली हदीस देखें.

باب : (٤٥، ٤٦)
الْمَوَاضِحِ

बाब : (45, 46)
हड्डी को नंगा कर देने वाले ज़ख़्मों की दियत

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ " وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ "

(4856) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया तो अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया: 'हड्डी को नंगा कर देने वाले ज़ख़्मों में दियत पाँच पाँच ऊँट है।'

(4856) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4566, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7057, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 785, तिर्मिज़ी, हदीस: 1390.

फ़ायदा : अगर चमड़ा और गोश्त कट कर हड्डी नज़र आने लगे लेकिन हड्डी का नुक़सान न हुआ हो तो उस ज़ख़्म को अरबी ज़बान में मूज़िहा कहा ज़ाता है। ये ज़ख़्म मामूली होता है और जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिये इसकी दियत भी मामूली, यानी सिर्फ़ पाँच ऊँट रखी गई है। अगर उससे कम ज़ख़्म हो तो अदालत कोई सी दियत जो पाँच ऊँट से कम हो, मुक़र्रर कर सकती है। दियत इन्सानी अज़मत के पेशे नज़र रखी गई है कि इन्सान ख़ुसूसन मुसलमान को मामूली न समझा जाये। अगर उसको ख़राश भी आ गई तब भी जुर्माना और तावान लागू होगा। कुछ फ़ुक़हा ने इस मूज़िहा में पाँच ऊँट दियत रखी है जो सर या चेहरे में हो। बाक़ी जिस्म में मूज़िहा की दियत अदालत की सवाबदीद पर मौक़ूफ़ की है और कहा है कि वह पाँच ऊँट से कम होगी क्योंकि चेहरा अफ़ज़ल अज़्व है, इसलिये इस पर मारना ज़्यादा जुर्म है। लेकिन ये तख़्सीस किसी हदीस में नहीं।

बाब : (46, 47)
दियत के मसाइल के बारे में हज़रत अम्र बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख़्तिलाफ़

باب : (٤٦، ٤٧)
ذِكْرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لَهُ

(4857) हज़रत अम्र बिन हज़्म (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यमन वालों की तरफ़ एक तहरीर लिखवा कर भेजी जिसमें फ़राइज़ व सुनन और दियत के मसाइल थे। आपने वह तहरीर अम्र बिन हज़्म के हाथ भेजी थी। वह अहले यमन को पढ़ कर सुनाई गई। उसकी इबारत यूँ थी: 'ये तहरीर नबी-ए-अकरम मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से शुरहबील बिन अब्दे कुलाल, नुऐम बिन अब्दे कुलाल और हारिस बिन अब्दे कुलाल की तरफ़ से जो ज़ूरुऐन, मुआफ़िर और हम्दान के सरदार हैं। अम्माबाद! (इस तहरीर में बहुत सी बातें थीं) इस तहरीर में ये बात भी थी कि जो शख़्स किसी मोमिन को बेगुनाह क़त्ल कर दे और गवाह मौजूद हों तो उसको क़िसासन क़त्ल कर दिया जायेगा मगर ये कि मक़्तूल के वारिसीन राज़ी हो जायें।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا " مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ

كُلاَلٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ " . وَكَانَ فِي كِتَابِهِ " أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ " . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ .

और हर इन्सानी जान की दियत सौ ऊँट है। अगर पूरी नाक काट दी जाये तो इसमें मुकम्मल दियत (सौ ऊँट) होगी। ज़बान पूरी काट दी जाये तो इसमें भी पूरी दियत होगी। दोनों हौंठ काटे जाने की सूरत में भी पूरी दियत होगी। ख़ुसयतैन मुकम्मल काट दिये जायें तो पूरी दियत होगी। ज़कर (शर्मगाह) पूरा काट दिया जाये तो पूरी दियत होगी। कमर (रीढ़) की हड्डी तोड़ दी जाये तो पूरी दियत होगी। दोनों आँखें फोड़ या निकाल दी जायें तो पूरी दियत होगी। एक पाँव की निस्फ़ दियत होगी। दिमाग़ तक पहुँच जाने वाले ज़ख़्म में तिहाई दियत होगी। पेट के अन्दर तक पहुँच जाने वाले ज़ख़्म में तिहाई दियत होगी। हड्डी को तोड़ देने वाले ज़ख़्म की दियत पन्द्रह ऊँट होंगे। हाथ पाँव की उँगलियों में से हर उँगली की दियत दस ऊँट होगी। हर दाँत की दियत पाँच ऊँट होगी। हड्डी को नंगा करने वाले ज़ख़्म की दियत पाँच ऊँट होगी। आदमी औरत को क़त्ल करे तो उसे क़त्ल कर दिया जायेगा। अगर कोई शख़्स सोने की सूरत में दियत देना चाहे तो दियत एक हज़ार दीनार होगी।

मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने इसकी मुख़ालिफ़त की है।

(4857) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बैहक़ी: 4/89, 90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7058, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 793, वल हाकिम: 1/395-397, अबी दाऊद, हदीस: 258, देखें, हदीस: 4850, 4859.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने हकम बिन मूसा की मुख़ालिफ़त की है। और वह इस तरह कि हकम बिन मूसा ने ये रिवायत बयान करते हुये कहा है: हद्दसना यहया बिन हम्ज़ा अन सुलैमान बिन दाऊद, क़ाल: हद्दसनी अज़्ज़ोहरी। जब मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने ये रिवायत

बयान की तो कहा: हद्दसना यहया क़ाल: हद्दसना सुलैमान बिन अरक़म क़ाल: हद्दसना अज़्ज़ोहरी मतलब ये है कि हकम बिन मूसा ने यहया बिन हम्ज़ा के उस्ताद सुलैमान बिन दाऊद से रिवायत बयान की है जबकि मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने यही रिवायत यहया के उस्ताद सुलैमान बिन अरक़म से बयान की है जैसा कि नीचे दी गई रिवायत में बयान किया गया है। वल्लाहु आलम! (2) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसके अक्सर मन्दरजात दीगर सही अहादीस में मज़्कूर हैं जिनमें से कुछ पहले गुज़र चुके हैं, और उनसे मुताल्लिक़ा अहकाम व मसाइल की तफ़्सील भी बयान हो चुकी है।

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً .

(4858) हज़रत अम्र बिन हज़्म (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यमन वालों की तरफ़ एक तहरीर लिख कर भेजी जिसमें फ़राइज़ व सुनन और दियत के मसाइल थे। आपने ये तहरीर हज़रत अम्र बिन हज़्म के हाथ भेजी थी और ये यमन वालों को पढ़ कर सुनाई गई। ये इसका मज़मून है। फिर रावी ने साबिक़ा रिवायत की तरह बयान किया मगर उसने कहा: एक आँख में निस्फ़ दियत (पचास ऊँट) हैं एक हाथ में निस्फ़ दियत है और एक पाँव में निस्फ़ दियत है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि ये रिवायत दुरुस्त होने के ज़्यादा क़रीब है। वल्लाहु आलम! और सुलैमान बिन अरक़म मतरूकुल हदीस है। और यही रिवायत यूनुस (बिन यज़ीद) ने इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) से मुर्सलन बयान की है जैसा कि दर्ज ज़ेल रिवायत है।

(4858) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7059.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ - وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ - فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} " . وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ثُمَّ كَتَبَ " هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " . نَحْوَهُ .

(4859) हज़रत इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की वह तहरीर पढ़ी है जो आपने हजरत अम्र बिन हज़्म को नजरान का हाकिम बनाते वक्त लिख कर दी थी ये तहरीर हज़रत अबु बक्र बिन हज़्म के पास थी। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लिखा था कि ये अल्लाह तआला और उसके रसूल की तरफ़ से (अहकाम का) बयान है: 'ऐ ईमान वालो! अहद पूरे करो।' फिर आपने चन्द आयात लिखीं। यहाँ तक कि यहाँ तक पहुँचे: (इन्नल्लाह सरीअुल हिसाब) 'बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।' फिर आपने तहरीर फ़रमाया था कि ये ज़ख़्मों वग़ैरह (की दियत) के बारे में एक तहरीर है। जान (ख़त्म कर देने की सूरत) में दियत सौ ऊँट होगी। बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ है।

(4859) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद हदीस: 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7060, देखें, हदीस: 4861.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नजरान यमन का एक इलाक़ा था। साबिक़ा अहादीस में भी यमन वालों से मुराद अहले नजरान ही हैं। वहाँ तीन क़बीलों के तीन सरदार थे जिसकी तफ़सील हदीस नम्बर: 4857 में गुज़र चुकी है। हज़रत अम्र बिन हज़्म (رضي الله عنه) को आपने निगराने आला बना कर भेजा था। **(2)** 'चन्द आयात' ये सूर-ए-माइदा की इब्तेदाई चार आयात हैं। इनमें भी कुछ शरई अहकाम बयान हुये हैं। **(3)** आप लिखना नहीं जानते थे। ये क़तई बात है, लिहाज़ा अगर कहीं लिखने का ज़िक्र है तो मुराद लिखवाना है। आप हमेशा दूसरों से लिखवाते थे। **(4)** ये रिवायत मुर्सल है और मुर्सल के बारे में मुहद्दिसीन का सही मौक़िफ़ यही है कि ये ज़ईफ़ है, ताहम अम्र बिन हज़्म (رضي الله عنه) की किताब क़ुरूने ऊला में मारूफ़ थी। और उनकी आल के पास भी रही। फिर इस रिवायत के मतन के शवाहिद भी सही अहादीस में मौजूद हैं, इसलिये नफ़्से सनद हदीस पर हसन या सही का हुक्म तो महल्ले नज़र है, ताहम इसमें मज़्कूरा अहकाम दीगर अहादीस की ताईद की बिना पर क़ाबिले इस्तेदलाल हैं।

(4860) हज़रत ज़ोहरी (رَحِمَهُ اللهُ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः मेरे पास हज़रत अबू बक्र बिन हज़्म रसूलुल्लाह (ﷺ) की तहरीर लेकर आये जो चमड़े के टुकड़े पर लिखी हुई थी कि ये अल्लाह तआला और उसके रसूल की तरफ़ से (अहकाम का) बयान है: 'ऐ ईमान वालो! अहद पूरे करो।' फिर इसके बाद कई आयतें पढ़ीं। फिर कहा: (फिर लिखा था) किसी जान को ख़त्म कर देने की सूरत में दियत सौ ऊँट होगी। एक हाथ में पचास ऊँट हैं। एक आँख में (आँख की दियत) पचास ऊँट हैं और एक पाँव की दियत भी पचास ऊँट हैं। दिमाग़ तक पहुँच जाने वाले ज़ख़्म में तिहाई दियत है। और पेट के अन्दर तक पहुँच जाने वाले ज़ख़्म की दियत भी एक तिहाई है। हड्डी को तोड़ देने वाले ज़ख़्म में पन्द्रह ऊँट दियत है। ऊँगलियों की दियत दस दस ऊँट है। दाँतों की दियत पाँच पाँच ऊँट है और हड्डी को नंगा करने वाले ज़ख़्म में पाँच ऊँट दियत है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } " . فَتَلاَ مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ " فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ " .

(4860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4857, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7061.

(4861) हज़रत अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म से रिवायत है कि वह तहरीर जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत के मसाइल के बारे में हज़रत अम्र बिन हज़्म (رضي الله عنه) को लिख कर दी थी (यूँ है कि) जान (ख़त्म कर देने की सूरत) में सौ ऊँट दियत है। और नाक में, जब वह जड़ से काट दी जाये, भी सौ ऊँट दियत है। और दिमाग़ तक पहुँच जाने वाले ज़ख़्म में कुल दियत का एक

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ "

إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ " .

तिहाई है और दिमाग़ के अन्दर पहुँच जाने वाले ज़ख़्म में भी तिहाई दियत ही है। एक हाथ में पचास ऊँट दियत है। और एक आँख में भी पचास ऊँट हैं और एक पाँव में भी पचास ऊँट हैं। और (हाथ पाँव की) हर ऊँगली में दस ऊँट दियत है। हर दाँत में पाँच ऊँट हैं और हड्डी को नंगा कर देने वाले ज़ख़्म में भी पाँच ऊँट दियत है।

(4861) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7062, मौता: 2/849.

फ़ायदा : ये अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हज़्म वही हैं जिनको ऊपर वाली अहादीस़ में मुख़्तस़रन अबू बक्र बिन हज़्म कहा गया है, यानी स़हाबी-ए-रसूल हज़रत अ़म्र बिन हज़्म (ﷺ) के पोते जिनका इस तहरीर से अव्वलीन वास्ता पड़ा था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ " .

(4862) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक आ़राबी नबी-ए-अकरम(ﷺ) के दरवाज़े के पास आया और उसने अपनी आँख दरवाज़े के सूराख़ पर लगा दी। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने उसको देख लिया और आप एक तेज़ धार वाली चीज़ या एक (नोकदार) लकड़ी लेकर उसकी तरफ़ चले ताकि उसकी आँख फोड़ दें। जब उसने आपको (आते) देखा तो आँख पीछे हटा ली। (पीछे हट गया) नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने उसे (गुस़्से के साथ) फ़रमाया: 'अगर तू इसी तरह खड़ा रहता तो मैं तेरी आँख फोड़ देता।'

(4862) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 1091, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7063, स़हीह बुख़ारी: 6889 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फोड़ देता' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि अगर कोई इस तरह छुप कर किसी के घर देखे तो हाकिमे वक़्त को इत्तिला किये बग़ैर ही उसकी आँख फोड़ी जा सकती है। कोई दियत या तावान वाजिबुल अदा नहीं होगा। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (رحمهما الله) का यही ख़्याल

है मगर इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) इसके क़ाइल नहीं। उनका ख़याल है कि आपने ये कलिमात ज़ज्रन फ़रमाये थे। आपकी नियत उसकी आँख फोड़ने की नहीं थी। राजेह यही है कि ऐसे शख़्स की आँख फोड़ना जायज़ है और फोड़ने वाले पर कोई तावान भी नहीं होगा क्योंकि हदीस़ से इसी मौक़िफ़ की ताईद होती है। बेजा तावीलात से गुरेज़ करना चाहिए। **(2)** ये हदीस़ और आइन्दा हदीस़ साबिक़ा बाब से इस तरह मुताल्लिक़ हैं कि ऐसी हालत में अगर आँख फोड़ दी जाये तो कोई दियत नहीं देना पड़ेगी। या फिर इमाम स़ाहिब नया बाब क़ाइम करना भूल गये हैं या ये दोनों अहादीस़ आइन्दा बाब से मुताल्लिक़ हैं जैसा कि सुनन नसाई में कई मक़ामात पर हुआ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " .

(4863) हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (ﷺ) ने ख़बर दी कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(ﷺ) के दरवाज़े के सूराख़ से झाँकने लगा। और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक नोकदार लकड़ी थी जिससे आप अपने सर को खुजली फ़रमा रहे थे। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको देखा तो फ़रमाया: 'अगर मुझे इल्म होता कि तू मुझे देख रहा है तो मैं ये लकड़ी तेरी आँख में मार देता। इजाज़त लेने का हुक्म तो इसलिये दिया गया है कि नज़र न पड़ सके।'

(4863) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 6901, मुस्लिम, हदीस़: 2156.

باب : (٤٧، ٤٨)
مَنِ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ

बाब: (47, 48)
जो शख़्स हाकिम तक मुक़द्दमा ले जाये बग़ैर ख़ुद ही बदला ले ले या अपना हक़ ले ले

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(4864) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स किसी के घर में बग़ैर इजाज़त लिये झाँकने लगे और वह उसकी आँख फोड़ दें तो उसको दियत मिलेगी न क़िसास़।'

وسلم قَالَ " مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ

(4864) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7065.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने भी इसी क़िस्म का बाब क़ाइम किया है। लेकिन सही बात ये है कि जान से कम का क़िसास लेने की गुंजाइश तो हो सकती है। इसी तरह माली मामलात में अपना हक़ वसूल किया जा सकता है मगर हुदूद व क़िसास हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है वरना ख़ाना जंगी छिड़ सकती है। अगर लोग ख़ुद ही क़त्ल करने लगें और हाथ पाँव काटने लगें तो अमन व अमान कैसे क़ाइम रहेगा? बाक़ी रही ये हदीस तो ये सिर्फ़ मज़्कूरा सूरत के साथ ख़ास होगी, यानी अगर कोई किसी के घर झाँकना हो तो उसकी आँख मौक़े पर फोड़ी जा सकती है, ताहम अगर वह मौक़े पर बच जाता है तो बाद में उसकी आँख नहीं फोड़ी जायेगी। **(2)** जब दूसरे के घर झाँकना हराम है तो ऐसे मकानात बनाना कि हमसायों के घर का पर्दा ही ख़त्म हो जाये, बिल औला हराम होगा। दौरे हाज़िर में ये तरीक़ा वबा इख़्तियार कर चुका है कि एक शख़्स लाखों रूपये ख़र्च करके मकान बनाता है तो दूसरा उससे भी ऊँचा करके बनाता है कि पहला शख़्स फिर नई तामीर पर मजबूर हो जाता है। हुकूमत को इसके लिये ज़रूर क़ानून साज़ी करके उस पर अमल दरआमद कराना चाहिए।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ " . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى " جُنَاحٌ " .

(4865) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर कोई शख़्स तुझे बग़ैर इजाज़त झाँकने लगे और तू कंकरी वग़ैरह मार कर उसकी आँख फोड़ दे तो तुझ पर कोई तावान व गुनाह आइद नहीं होगा।'

(4865) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6902, मुस्लिम, हदीस: 44/2158, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7066.

फ़ायदा : झाँकने वाला तब मुजरिम है अगर वह बन्द दरवाज़े से देखने की कोशिश करे या पर्दा उठा कर देखे लेकिन अगर दरवाज़ा खुला हो और उसके सामने कोई पर्दा न हो तो फिर झाँकने वाला मुजरिम नहीं बल्कि घर वाले मुजरिम हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

(4866) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे। इतने में हज़रत मरवान का एक बेटा उनके आगे से गुज़रने लगा। उन्होंने उसको पीछे धखेला लेकिन वह

سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلاَمُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِي سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

पीछे न हटा तो उन्होंने उसे मारा। वह रोता हुआ चला गया यहाँ तक कि हज़रत मरवान के पास पहुँच गया और जाकर उन्हें बताया। हज़रत मरवान ने हज़रत अबू सईद (ﷺ) से कहा: आपने अपने भतीजे (मेरे बेटे) को क्यूँ मारा है? उन्होंने कहा: मैंने इसको नहीं मारा। मैंने तो शैतान को मारा है। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई दूसरा शख़्स उसके आगे से गुज़रना चाहे तो वह अपनी ताक़त की हद तक उसे रोकने की कोशिश करे। अगर वह (रुकने से) इन्कार कर दे (और रोकने के बावजूद फिर भी गुज़रने पर मुसिर्र रहे) तो उससे लड़े क्योंकि वह शैतान है।'

(4866) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7087, मुस्लिम, हदीस: 2/15-17 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उससे लड़े' इसका मतलब ये है कि मुमकिन हद तक सामने से गुज़रने वाले शख़्स को रोके, लेकिन इस हद तक न जाये कि उसकी अपनी नमाज़ ही बातिल हो जाये क्योंकि नमाज़ की हिफ़ाज़त के लिये तो गुज़रने वाले को रोक रहा है। अगर ख़ुद ही नमाज़ ख़राब कर ली तो उसको रोकने का फ़ायदा? उसकी सूरत ये होगी कि सामने से गुज़रने वाले शख़्स को हाथ से रोके, अगर गुज़रने वाला शख़्स न रुके बल्कि सामने से गुज़रने पर ही मुसिर्र रहे तो उसके सीने में धक्का दे, ये नहीं कि आस्तीनें चढ़ा कर उससे कुश्ती शुरू कर दे और नमाज़ छोड़ कर मार कुटाई पर उतर आये क्योंकि इससे उसकी अपनी नमाज़ बातिल हो जायेगी। **(2)** इमाम साहिब ने इससे इस्तेदलाल फ़रमाया है कि वह ख़ुद भी सज़ा दे सकता है। हाकिम के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि किसी को धक्का देना या मामूली चपत रसीद करना न तो सज़ा के ज़ुम्रे में आता है न क़िसास के। इससे बाब पर इस्तेदलाल क़वी नहीं। हाँ ये कहा जा सकता है कि मामूली सी कार्यवाही अज़ ख़ुद भी कर सकता है जो अदालत के इख़्तियार में नहीं आती लेकिन जो उमूर अदालती इख़्तियार के तहत हैं और जिन पर फ़ौजदारी जुर्म का इत्लाक़ होता है, उनका इख़्तियार अफराद को नहीं, जैसे: किसी को इस तरह मारना कि वह ज़ख़्मी हो जाये या उसकी कोई हड्डी टूट जाये या कोई अज़्व जाया हो जाये या अल्लाह न करे वह मर ही जाये। ऐसी सूरत में वह ख़ुद मुजरिम होगा और सज़ा पायेगा।

باب: (۴۸، ۴۹)

مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجْتَبَى مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا }

बाब : (48, 49)

क़िसास से मुताल्लिक़ा रिवायात जो सिर्फ़ मुज्तबा नसाई में हैं, सुनन कुब्रा में नहीं, और अल्लाह तआला के फ़रमान: 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है। वह उसमें हमेशा रहेगा' का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ، { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ . وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ .

(4867) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) ने हुक्म दिया कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास से इन दो आयात के बारे में पूछूँ: (व मय यक्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम है।' हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: इस आयत को किसी दूसरी आयत ने मन्सूख़ नहीं किया। दूसरी आयत ये थी: (वल्लज़ीन ला यदऊना मअल्लाहि) 'और वह लोग जो अल्लाह तआला के साथ किसी और को माबूद नहीं बनाते और किसी क़ाबिले एहतिराम जान को नाहक़ क़त्ल नहीं करते।' उन्होंने फ़रमाया: ये मुश्रिकीन के बारे में उतरी है।

(4867) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7069.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये अहादीस: 3989, 4004, 4013.

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ

(4868) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: कूफ़े वालों का इस आयत के

الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَىْءٌ .

बारे में इख़्तिलाफ़ हो गयाः (व मयं यक़्तुल मुअ्मिनन मुतअम्मिदन) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे।' मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तरफ़ कूच किया और उनसे ये, मसला पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः ये आयत आख़री नाज़िल होने वाली आयात में शामिल है। इसको किसी और आयत ने मन्सूख़ नहीं किया।

(4868) तख़रीज : (सनद सही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इख़्तिलाफ़ हो गया' कि क़ातिले अम्द की तौबा क़बूल हो सकती है या नहीं **(2)** 'कूच किया' क्योंकि वह मक्का मुकर्रमा में रहते थे। **(3)** 'मन्सूख़ नहीं किया' क्योंकि ये आयत मदनी है और तौबा वाली आयत मक्की है, और इसमें मुश्रिकीन का ज़िक्र है, मुसलमानों का नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ . وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } .

(4869) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा कि जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे, क्या उसकी तौबा क़बूल हो सकती है? उन्होंने फ़रमायाः नहीं। मैंने सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत पढ़ीः (वल्लज़ीना .....) 'वह लोग जो अल्लाह तआला के साथ किसी को माबूद नहीं बनाते और न किसी क़ाबि ने एहतिराम जान को नाहक़ क़त्ल करते हैं मगर हक़ के साथ।' उन्होंने फ़रमायाः ये आयत मक्की दौर में उतरी। इसको मदीना मुनव्वरा में उतरने वाली एक आयत ने मन्सूख़ कर दियाः (व मयं यक़्तुल ....) 'जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है।'

(4869) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 4006, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7071.

फ़ायदा : 'सूर-ए-फ़ुरक़ान वाली आयत' असल इस्तेदलाल अगली आयत से है जिसका मफ़हूम ये है

कि जो शख़्स तौबा करे, ईमान लाये और नेक काम शुरू कर दे तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों की बुराईयाँ नेकियों में बदल देता है और उसकी तौबा क़बूल फ़रमाता है। मगर हज़रत इब्ने अब्बास उसे सिर्फ़ मुश्रिकीन से ख़ास समझते हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي " . ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا .

(4870) हज़रत सालिम बिन अबू अल जअद (رحمه الله) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जो किसी मोमिन शख़्स को जानबूझ कर क़त्ल कर दे। फिर तौबा करे, ईमान ले आये और नेक अमल शुरू कर दे। फिर राहे रास्त पर आ जाये (क्या उसकी तौबा क़बूल है?) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: उसके लिये तौबा की गुंजाइश कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हारे नबी-ए अकरम (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'मक़्तूल क़ातिल को पकड़ कर लायेगा जब कि मक़्तूल की रगों से ख़ून बह रहा होगा और वह कह रहा होगा: या अल्लाह! इससे पूछ, इसने मुझे किस बिना पर क़त्ल किया?' फिर फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! ये (पिछली हदीस में मज़्कूर) आयत अल्लाह तआला ने उतारी है और इसे मन्सूख़ नहीं फ़रमाया।

(4870) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4004, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7072, इब्ने माजा: 2621.

फ़ायदा : 'ये आयत अल्लाह तआला ने उतारी है' यानी सूर-ए-निसा वाली आयत जिसमें क़ातिल की सज़ा अब्दी जहन्नम बयान की गई है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا

(4871) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कबीरा गुनाह ये हैं: अल्लाह तआला के साथ शरीक बनाना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, किसी (बेगुनाह) को क़त्ल करना और झूठी बात करना।'

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ " .

(4871) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 4015, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7074.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا فِرَاسٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ " .

(4872) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बड़े बड़े गुनाह ये हैं: अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफ़रमानी करना, किसी बेगुनाह जान को क़त्ल करना और झूठी क़सम खाना।'

(4872) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 6675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7075.

फ़ायदा : 'झूठी क़सम' अरबी में यमीने ग़मूस का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसी क़सम जो क़सम खाने वाले को गुनाह में डूबो दे। ज़ाहिर है वह झूठी ही होगी जिसके साथ किसी का माल नाहक़ हासिल किया गया हो। क़यामत के दिन ऐसी क़सम आग ही में डूबोयेगी।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .

(4873) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई बन्दा ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं रहता। जब कोई शराब पीता है तो शराब पीते वक़्त मोमिन नहीं रहता। जब कोई चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता और क़त्ल करता है तो भी मोमिन नहीं रहता।'

(4873) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 6782, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7076.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका ज़िना और बदकारी की हुर्मत पर सरीह दलालत करती है, और इन उमूर की हुर्मत पर भी दलालत करती है जो ईमान के मुनाफ़ी हैं और ये इसलिये कि ज़िना फ़वाहिश में से है। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: (वला तक़रबू ....) (बनी इस्राईल: 17/32) (2) इस हदीसे मुबारका से शराब की हुर्मत साबित होती है। शराब ख़बाइस की जड़ है। ये रज़ील और घटिया हरकात पर उभारती है, और चोरी और क़ाबिले एहतिराम जान को क़त्ल करने की हुर्मत भी वाज़ेह होती है। (3) 'मोमिन नहीं रहता' मक़सद ये है कि ये काम ईमान के मुनाफ़ी हैं। ईमान उनसे रोकता है। तो जो शख़्स ये काम करता है, वह ईमान के तक़ाज़े पर अमल नहीं करता। गोया मोमिन नहीं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वह काफ़िर बन जाता है क्योंकि अहले सुन्नत का ये मुसल्लमा उसूल है कि सिकी भी गुनाह, ख़्वाह वह कबीरा ही हो, के इर्तिकाब से मुसलमान काफ़िर नहीं बनता। और ये उसूल बहुत सी आयात व अहादीस से क़तअन साबित है, जैसे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया 'जो शख़्स इस हालत में मरा कि उसे ला इलाह इल्लल्लाह का इल्म (उस पर यक़ीन) है तो वह जन्नत में दाख़िल हो चुका।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 26) इसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये भी फ़रमाया: 'जो बन्दा कह दे ला इलाह इल्लल्लाह, फिर इसी (अक़ीदे) पर मर जाये तो वह जन्नत में दाख़िल हो गया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5827) ये और इस जैसी दूसरी बहुत सी अहादीस में सराहत के साथ ये मज़्कूर है कि जो शख़्स ला इलाह इल्लल्लाह, यानी कलिम-ए-इख़्लास व तौहीद की शहादत पर फ़ौत हो जाये उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह चाहे तो अपनी मशीयत के तहत उसे माफ़ फ़रमा कर इब्तेदाअन जन्नत में दाख़िल फ़रमा दे और अगर चाहे तो कुछ मुवाख़िज़े और सज़ा के बाद जन्नत में दाख़िल फ़रमाये। ऐसा शख़्स अब्दी जहन्नमी क़तअन नहीं जैसा कि काफ़िर व मुश्रिक हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। अल्लाह हमें इससे बचाये! या इस हदीसे मुबारका का मफ़हूम ये है कि जब वह ये काम कर रहा होता है, उस वक़्त मोमिन नहीं रहता। जब वह बाज़ आता है, फिर ईमान लौट आता है। ये मतलब हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) राविे-ए-हदीस से मन्क़ूल है। गोया वक़्ती तौर पर मोमिन नहीं रहता। या वह अज़ाब से अमन में नहीं रहता या मक़सूद ये है कि मोमिन को ये काम नहीं करने चाहिए। गोया मक़सद नहीं है। (4) इन तीन रिवायात 4871 से 4873 तक चूंकि क़त्ल को कबीरा गुनाहों में ज़िक्र किया गया है और क़िसास भी क़त्ल में ही होता है, लिहाज़ा ये अहादीस किताबुल क़िसास में आ सकती हैं। (5) क़त्ल का गुनाह क़िसास ही से माफ़ हो सकता है। वारिसीने मक़्तूल की माफ़ी से क़त्ल का गुनाह माफ़ नहीं होता। सिर्फ़ ये है कि दुनिया में क़त्ल से बच जायेगा। आख़िरत में क़त्ल की सज़ा भुगतना होगी। मगर ये कि मक़्तूल को अल्लाह तआला अपनी रहमत से राज़ी फ़रमा दे और वह आख़िरत में माफ़ कर दे। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़!

मुनाजात

हकीम मुहम्मद सिद्दीक ग़ौरी

रब्बे-आज़म, अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।

हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद,
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।

लामकां, बेज़्वानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्श पर होक भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब,
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा।

अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से क़रीब,
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।

अर्श पर है तू यक़ीनन और वह मकतूब भी
तेरी रहमत है फ़ज़ूं तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।

अरबों ख़रबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा।

काबिले-तारीफ़ है तू मेरे रब्बुल आलमीन,
तू है रहमानो-रहीम-मालिके-यौमे-जज़ा।

हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है,
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू,
फक़्र भी तू देर कर दे, क़र्ज भी या रब मेरा।

मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र,
कोई भी पाता नहीं हूं मैं ख़ुदा तेरे सिवा।

चाँद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर,
तेरी क़ुदरत से अयां है बिलयक़ीन होना तेरा।

मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ़ भी,
तू क़यामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूं ज़ाकिर तेरा,
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।

क़ल्बे-मुज़्तर को सुकूं मिल जाये तेरी याद से,
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मईन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चौसठ घड़ी,
तू ही तू दिल में हरे कोई न हो तेरे सिवा।

मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे,
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस में सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रब न हो,
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर,
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा।

मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब,
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे क़दमों में पड़ा।